

# आचार्य रामचंद्र शुक्ल

आचार्य शुक्ल की साहित्यिक कृतियों की विस्तृत समीक्षा )



शिवनाथ, एम्० ए०



पुस्तक विप्रेता  
नदकिशोर एण्ड ब्रदर्स  
चौरु, काशी

प्रथमावृत्ति : मं० २००० वि०  
द्वितीयावृत्ति : मं० २००५ वि०  
तृतीयावृत्ति : सं० २००८ वि०  
मूल्य ४)

मुद्रक  
श्रीमन्महाशय कपूर  
ज्ञानमण्डल यन्त्रालय  
काशी, ३८३९-०३

## प्रथम संस्करण का निवेदन

अपने श्रेष्ठ गुरुवरों पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र और पं० नंददुलारे बाजपेयी को सर्वप्रथम मैं नतमरतक हो प्रणाम करता हूँ, जिनकी सहायता और प्रेरणा से यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य के संमुख आ सकी है। पूज्य विश्वनाथ जी की यदि कृपा न हुई होती तो संभवतः पुस्तक अभी अप्रस्तुत ही रहती। किस प्रकार इन गुरुवरों से उन्नत हो सकूँगा, समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई सीताराम सिंह का भी बड़ा भारी ऋण मेरे ऊपर है, जो यथासमय पुस्तकों से मेरी सहायता करते रहे हैं। छोटे भाई के नाते उनसे मुझे ऋण लेने का पूरा अधिकार भी है। ऋण भर सकूँगा कि नहीं इसकी मुझे चिन्ता नहीं, मैं छोटा जो हूँ।

पुस्तक के समीक्षात्मक होने के कारण इसमें मैं आचार्य शुक्ल के अध्यापन-कौशल तथा कोश-कार्य पर कुछ नहीं लिख सका, क्योंकि यहाँ इनकी आवश्यकता नहीं समझी। इसी प्रकार उनके अँगरेजी के लेखों पर भी मैंने कुछ विचार नहीं किया—उनका संबंध विशुद्ध साहित्य से न देखकर। उनमें आचार्य शुक्ल की दृष्टि केवल प्रचारात्मकता पर ही है भी।

दो शब्द अपने इस प्रथम प्रयास की प्रवृत्ति के विषय में भी कह दूँ। इस प्रस्तुत प्रयास का लक्ष्य आचार्य शुक्ल के सभी साहित्यिक कार्यों की विवेचना करके उनकी विशेषताओं का उद्घाटन है। पर समीक्षक के धर्म के नाते उनके दोषों की ओर संकेत करने से भी विमुक्त नहीं रह सका। अपने कार्य में मैं कितना सफल रहा, इस विषय में तो सहृदय ही कुछ कह सकेंगे। वस इतना ही।

रक्षाबंधन,  
सं० २०००  
काशी।

शिवनाथ

## द्वितीय संस्करण का निवेदन

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के जीवनवृष और व्यक्तित्व के सबंध से जो महीन सामग्री मुझे प्राप्त हुई उसका उपयोग मैंने इस संस्करण में किया है। इस सामग्री के लिए मैं आचार्य शुक्ल के परम प्रिय अनुज श्री हरिभद्र शुक्ल और श्री कृष्णचन्द्र शुक्ल तथा उनके सुपुत्र श्री गोकुलचन्द्र शुक्ल का बहुत ही कृतज्ञ हूँ।

द्वितीय संस्करण में मैंने पद्यास्थान आवश्यक प्रवर्धन तथा सशोधन भी किया है। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने के पश्चात् आचार्य शुक्ल का 'मूरदास' नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है और उनकी 'रस-मीमांसा' प्रकाशित होनेवाली है। अतः अगले संस्करण में ही पुरतक के विशेषरूप से प्रवर्धित करने का निश्चय किया गया।

अध्ययन की सुविधा के लिए इस संस्करण में परिच्छेदों के अंतर्गत उपशीर्षक लगा दिए गए हैं।

घरतू पूर्णिमा,  
स० २००४ वि०  
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी

शिष्यनाथ

## सूची

उपक्रम	...	१
आलोचना	...	३१
✓ रस-सिद्धांत	...	१८०
इतिहास	...	२२२
✓ निबंध	...	२३८
भाषाओं की मीमांसा	...	२६७
अनुवाद	...	२७२
/ गद्य-शैली	...	२८२
काव्य	...	३०१
उपसंहार	...	३१८
अनुक्रमणिका		

---

## लेखक के अन्य ग्रंथ

१. हिंदी-कारकों का विकास ।
२. अनुशीलन ।
३. आधुनिक साहित्य की आर्थिक भूमिका ।
४. हिंदी नाटकों का विकास ।
५. भारतेंदु की कविता (श्री वचनसिंह के साथ) ।
६. अनुशीलन ।
७. मीमांसिका ।



आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

[ जन्म स० १९४१ ]

[ निरान स० १९९७ ]

आचार्य रामचंद्र शुक्ल



# आचार्य रामचंद्र शुक्ल

## उपक्रम

( १ )

आधुनिक हिंदी-साहित्य के गद्य-युग का वास्तविक आरंभ भारतेंदु बाघू हरिश्चंद्र ने किया। गद्य के विकास का आभास यत्र-तत्र उनके जीवन-काल में ही मिलने लगा था। पर हिंदी-गद्य का विकास के पथ पर सम्यक् रूप से आने का समय 'सरस्वती' के प्रकाशन का आरंभ तथा अल्प काल पश्चात् ही इसके संपादन के लिए पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का हिंदी-साहित्य में आगमन है। 'सरस्वती' के प्रकाशन के कुछ आगे-पीछे कतिपय गद्य-निर्माताओं का भी विकास आरंभ हुआ, जिन्होंने आगे चलकर अपने प्रतिभा-प्रकाश से सारे हिंदी साहित्य को आच्छादित कर दिया। इन निर्माताओं के नाम हैं— श्री प्रेमचंद्र, श्री प्रसाद, श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी और श्री रामचंद्र शुक्ल। श्री प्रेमचंद्र और श्री प्रसाद का क्षेत्र विशुद्ध कारयित्री प्रतिभा (क्रीएटिव जीनियस) का था। इनका क्षेत्र गद्य का होते हुए भी द्विवेदी जी और शुक्ल जी से भिन्न था। द्विवेदी जी तथा शुक्ल जी का विषय-क्षेत्र प्रधानतः एक (आलोचना और निबंध का) था, पर परिस्थिति की भिन्नता के कारण दोनों का विकास भिन्न-भिन्न रूपों में हुआ। द्विवेदी जी को 'सरस्वती' के संपादक के नाते अनेक सामयिक विषयों और प्रसंगों पर निरंतर लिखते रहना पड़ता था, इसलिए उनका कार्य प्रचारात्मक अधिक रहा। उनकी दृष्टि बहुमुखी हो गई। उन्हें प्रायः साधारण वा मध्यम कोटि के पाठकों की भूख पूरी करनी पड़ती थी और ग्रन्थूत भाषा में पूरी करनी पड़ती थी। भाषा-संस्कार से लेकर नाना सामयिक और समयोपयोगी विषयों पर लेखनी चलाना और संपादक के समस्त कर्तव्यों का पालन करना उनके जिम्मे पड़ा। उनके यहाँ अधिक भीड़ थी। पर शुक्ल जी की परिस्थिति उससे उलटी थी। यहाँ एकांत था, भीड़-भाड़ नहीं थी; इस कारण इन्हें

महानि के पत्न्यन् इहाने 'पाटशाळा' छोड़ दी। गणित को छोड़कर सभी विषयों में गुप्त जी के अतिरिक्त कक्षा में बर्मा कोई प्रथम नहीं आता था। क्ल में वे 'प्रीडरशिप' (वकालत) पढ़ने प्रयत्न गए। तब स्कूल प्राइमरल अथवा ए० ए० पास करने के पश्चात् जो क्लास पढ़ते थे उन्हें 'प्रीडरशिप' की उपाधि मिलती थी और जो प्रोजेक्ट होकर इसे पढ़ते थे उन्हें एल एल० बी० की उपाधि। पर इसमें इहे सफलता न प्राप्त हो सकी।

( ३ )

गुप्त जी की शिक्षा-काल में अर्ध-सकट का काफी सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि पिता से इनकी नहीं बननी थी जिसके कारण इन्होंने पिता की इच्छा विरोध करते थे और वे इनकी आर्थिक सहायता नहीं करते थे। परन्तु गुप्त जी को अपने अध्ययन के बल पर ही शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। द्रव्योत्पन्न के लिए वे 'भगवन्द्वादविनी' में अनिश्चित समय में काम करने लगे। स्कूल के प्रथमाध्यापक श्रीमंत के० एन० चरभा इनके प्रति बहुत ही कृपा के साथ इन्हें ध्यान दिया देने थे। इस प्रकार गुप्त जी ने शिक्षा प्राप्त की।

गुप्त जी के अर्ध-सकट के साथ ही इनकी कर्मठता और इनका अध्ययन देव इनके पिता इनमें बहुत प्रभावित हुए और एक दिन इन्हें पन्द्रहवर्ष की उम्र में (उन्होंने मुक्त ३००) इन्हें दिया। जब पिता से मेल-माप हो गया और बापकी स्वाभाविक दूर हो गई।

( ४ )

शिक्षा समाप्त कर लेने पर गुप्त जी ने सरकारी नौकरी की और शीघ्र ही उसे छोड़ी थी। इसका उल्लेख हुआ है कि गुप्त जी के पिता मिर्जापुर में सदर कानूनगो थे। वे आर्यवक्तानुसार नकशा गुप्त जी ने ही बनाते थे। यह बहुत ही प्रसिद्ध बात है कि गुप्त जी की हस्तालिपि अत्यन्त सुन्दर थी। जब वे रक्कर लिख देते तो इनके अधर छापे के जखों से कम सुन्दर नहीं बनते थे। उस समय मिर्जापुर के कलकत्त विद्वान् साहब थे। उन्होंने एक दिन गुप्त जी द्वारा बनाए गए नकशा को देखा और उनमें अत्यन्त प्रभावित

होकर इनके पिता से पूछा कि ये नकशे किसके बनाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लड़के के। यह जान बिंदम साहव ने तुरत शुक्ल जी की नामजदगी नायब तहसीलदारी के लिए कर दी। यहाँ यह भी कह दिया जाय कि कुछ दिनों के बाद नायब तहसीलदारी के लिए जो परीक्षा हुई उसमें शुक्ल जी घोड़सवारी तक में अच्छी तरह उत्तीर्ण हुए। अस्तु। बिंदम साहव शुक्ल जी पर कृपाछे थे ही, अतः नामजदगी के साथ ही इन्हें एक अँगरेजी आफिस में २०) मासिक पर फिलहाल नियुक्त कर दिया। मगर शुक्ल जी के आत्मसंमान ने इन्हे अधिक दिनों तक यहाँ टिकने न दिया। एक बार कार्यालय के प्रधान लेखक ने इनसे रविवार को भी आने के लिए कहा। इस पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। स्मरण यह रखना है कि यह वह समय था जब सरकार के अधिकारी किसी व्यक्ति के हृदय में आत्मसंमान को जगने नहीं देना चाहते थे। बिंदम साहव भी इसी वर्ग के थे—यद्यपि त्यागपत्र देने पर उन्होंने शुक्ल जी को बहुत ऊँचा-नीचा समझाया था और त्यागपत्र लौटा लेने को कहा था। परन्तु शुक्ल जी पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा।

शुक्ल जी के लिए आत्मसंमान जीवन का अमूल्य रत्न था, जिसे खो देना वे मनुष्यत्व से भ्रष्ट होना मानते थे। इसे त्यागकर अधिकारियों के संकेत पर विभिन्न प्रकार का नाटक करना ये नहीं सह सकते थे। ये कहते थे—  
“आत्मसंमान की रक्षा करते हुए कौटो पर घसीटा जाना अच्छा पर इसे खोकर फूलों में तुलना अच्छा नहीं।” नौकरी त्यागने के पश्चात् इसकी प्रतिक्रिया के रूप में सं० १९५९ में शुक्ल जी ने ‘इंडियन रिव्यू’ में ‘हाट हैज इंडिया टु डू?’ नामक लेख लिखा।

बिंदम साहव ने जब यह लेख पढ़ा तब शुक्ल जी के पिता को बुलाकर कहा—‘देखो तुम्हारा लड़का रिभोल्यूशनरी हो रहा है, हाथ से निकल जायगा, किसी तरह रोको।’

बिंदम साहव शुक्ल जी के परिवार के बहुत बड़े शुभचिंतक थे। कालांतर में वे शुक्ल जी का बहुत संमान करने लगे और इनके परिवारवालों से इनके विषय में बराबर पूछताछ करते रहते थे।

नौकरी त्याग देने के बाद घर और बाहर सर्वत्र का वातावरण इनके

सिद्ध था। लोग इसे देखने की कोटि में शायद ऊपर नहीं समझते थे। और देखने समझे जाने का कारण यह था कि ये प्रकृति प्रेमवदा रूप भ्रमण करते थे। इनके पिता से लोगो में कहा—‘ये क्या करेंगे, ये तो बन्दू हो गए, तिन रात घूमा करते हैं।’ ऐसी दशा में इनके पिता भी इनसे विचल रहते। शुक्ल का का अर वश भी उदा, तिनसे कारण इन्होंने १० १९६५ में मिजापुर के मिशन स्कूल में २०) मासिक वेतन पर ड्राइंग मास्टरी कर ली। बाद में वेतन २०) और फिर २५) भी हुआ। इस काम को शुक्ल जी न बहुत प्रसन्न, मे प्रण विरा था और इसमें इनका मन भी खूब लगता था।

#### ( ५ )

शुक्ल जी के साहित्य निमाण की दो पवित्र भूमियाँ रही हैं, एक मिजापुर का और दूसरा काशी की। मिजापुर मूठी इनके साहित्य निमाण का आरम्भ समझना चाहिए, काशी में आकर उसमें विकास, प्रौढता और पृथक्ता आई। यद्यपि शुक्ल जी इधर प्रायः काशी में ही रहा करते थे तथापि उस मिजापुर के प्रति इनका विशेष प्रेम था, यहाँ इनके साहित्यिक जीवन का आरम्भिक चरण चलीन हुआ था। एक बार इन्होंने कहा था—“लोगो ने मुझे उनारसी समझ लिया है, वह मेरे साथ अचानक है। मैं मिजापुर का हूँ। और मिजापुर मुझे अत्यन्त प्रिय है। मैं इसे बँसे भूत सकता हूँ।”

शुक्ल जी के जीवन कृत पर दृष्टिगत करने से सिद्ध होता है कि इनके साहित्यिक होने का हेतु इनके जीवन के उत्पन्न काल से ही उद्भूत था। यदि कोई इस अतिप्रायिक का सीमा तन न ले जाय तो कहा जा सकता है कि इनका माता से इहे जो रक्त मिला वह मदान् साहित्यिक परंपरा का रूप था, क्योंकि हमने देखा है कि शुक्ल जी की माता उसी पेशा की थी तिनमें हिदा के ही संप्रदेश कवि नदा, विद्वान के भी संप्रदेश कविता में गिन जाननाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास के प्रति शुक्ल जी का सितनी भद्रा थी, वह किमी पर अग्रवद नदा है। एक प्रकार से शुक्ल जी का सारा काव्य-मिशन गोस्वामी जी के काव्य के आधार पर ही निर्मित समझा चाहिए। यह तो हुई माता के संप्रदेश से आए साहित्यिक रीति की रत्न। शुक्ल जी के

पिता भी बड़े काव्य-प्रेमी जीव थे। 'प्रेमघन की छायास्मृति' में शुक्ल जी ने लिखा है—'भैरे पिता जी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी-कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिन्दी-कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्रायः 'रामचरित मानस' और 'रामचंद्रिका' घर के सब लोगों को एकत्र करके, बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी-साहित्य में भारतेन्दु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें भी वे कभी-कभी सुनाया करते थे।" शुक्ल जी के पिता के काव्य प्रेम में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। वे हिन्दी-कविता के प्रेमी थे, इसमें भी संदेह नहीं। परन्तु यह प्रेम दूसरे ढंग का था, इसका कुछ कारण तो धार्मिकता थी और कुछ कारण फारसी-कविता से हिंदी-कविता की तुलना की इच्छा। उद्धरण में शुक्ल जी ने इसका उल्लेख किया भी है। फारसी-साहित्य से शुक्ल जी के पिता का अगाध प्रेम था। उन्होंने यस्ती-निवासी मौलवी ३ कचर अली या अकबर हुसेन से पंद्रह वर्ष तक फारसी पढ़ी थी। उनके अधिकतर मित्र मुसलमान थे। मुसलमानी ढंग की डाढ़ी रखते थे। घर और बाहर सर्वत्र पाजामा पहनते थे। ढीली धोती से उन्हें सख्त नफरत थी। घर में भी उर्दू बोलते थे। उन्हें ब्राह्मणों से कुछ घृणा थी। वे इन्हें 'बम्हन' कहते थे। मुसलमानियत से इतना प्रभावित होते हुए भी भोजनादि में भारतीय ढंग की स्वच्छता वे बराबर बरतते थे। मुसलमानियत का इतना कायल व्यक्ति यदि हिंदी को 'मँवारू बोली' समझे तो आश्चर्य नहीं। हम देख चुके हैं कि कैसे शुक्ल जी चुपके से हिंदी पढ़ते थे।

परन्तु इसमें संदेह नहीं कि उनमें साहित्य-प्रेम था, यह प्रेम चाहे किसी भी साहित्य के प्रति क्यों न हो। बर्मे-भावना से अथवा हिंदी-साहित्य की फारसी-साहित्य से तुलनाकी दृष्टि से वे सूर के पद, 'रामचरितमानस' 'रामचंद्रिका' 'विहारी-सतसई' 'हम्मीर हठ', भारतेन्दु के सभी नाटक बहुत ठाट से पढ़ते थे।

शुक्ल जी के पिता भी विचित्र व्यक्ति थे। एक ओर तो वे मुसलमानी सभ्यता से प्रभावित थे और दूसरी ओर आर्यसमाजी विचारों से। वे 'सत्यार्थ-प्रकाश', 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका', 'साहित्य-दर्पण' (इटाचे से प्रकाशित होनेवाली आर्यसमाजी मासिक पत्रिका) आदि आर्यसमाजी विचारों से संपन्न

मुन्कर तथा पत्र-पत्रिकाएँ परापर पढ़ते रहते थे। बात यह है कि शुक्ल जी की भाँति हा इनके पिता भी रचन से ही रतत्र विचारों से थे, लकीर के लकीर थे। इसी कारण जब जिस बात को उचित समझते थे तब उसे अर्थात्नित करते थे। यही कारण है कि कालांतर में शुक्ल जी के प्रभाव से वे अनातनी विचार धारा में मग्न थीं रामावतार शर्मा रचित 'मुद्गलानंद चरितायली' मुनाया करते थे। इसे मुन्कर ने कहते—“मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है।” इस प्रकार उनके विचारों में परिवर्तन हुआ। और अब उन्होंने मुसलमानी डाढ़ी को मंचे फट के रूप में रखा, पानामे से पतझन की ओर आए। स्मरण यह रहना है कि तब अँगरेजियन का प्रभाव भी कम न था। जो भी हो, इस विवरण से शुक्ल जी के बाल्य काल में उनके चारों ओर छद्म हुई साहित्यिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का ता परिचय प्राप्त होता ही है, साथ ही यह भी शत होता है कि तुलसी का 'रामचरितमानस' से उनका 'परिचय' आरम्भ से ही था, आगे चलकर तुलसी पर उनका कितना 'प्रेम' हुआ, यह विदित ही है। पर जिन केशव से इनका 'परिचय' बाल्य काल से ही था, उन केशव के प्रति इनका 'प्रेम' भविष्य में कभी नहीं दिखाई पड़ा। ऊपर उद्धृत गद्य गूढ से एक बात का ज्ञान और होता है, वह यह कि हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग के प्रथम नेता भारतेंदुहरिश्चन्द्र से भी इनका परिचय बाल्य जीवन से ही था। इसी लेख में आगे इन्होंने लिखा है—“जब उनकी (पिता जी की) बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील में मिरजापुर हुई तब मेरी अवस्था आठ वर्ष की थी। उससे पहले हा मे भारतेंदु के सपथ में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। सत्यहरिश्चन्द्र नाटक के नायक राजा हरिश्चन्द्र और कवि हरिश्चन्द्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नश कर पाती थी। 'हरिश्चन्द्र' शब्द मे दाँतों को एक मिली जुली भावना एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी।” इस उद्धरण में भारतेंदु के प्रति शुक्ल जी की बाल्य कालिक भावना तथा धारणा का परिचय मिलता है। आगे चलकर शुक्ल जी ने भारतेंदु पर कई लेख तथा कविताएँ लिखा। बलुन, इन भावनें जो जो लेकर ही इनका परिचय 'प्रेमघन' जा से हुआ, जिनसे यह आरम्भ में प्रभूत साहित्यिक प्रेरणा मिली और प्रत्यक्ष

वा परोक्ष रूप से वे उनसे प्रभावित भी हुए। इसी लेख में इन्होंने आगे चलकर लिखा है—“मिरजापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पढ़ने लगा कि **भारतेन्दु हरिश्चन्द्र** के एक मित्र यहां रहते हैं, जो हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका नाम है **उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी**। भारतेन्दु-मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है।” कहने की आवश्यकता नहीं कि यह ‘सजीव स्मृति’ **प्रेमघन** जी ही थे। अपनी बाल-मित्र-मंडली के साथ वे ‘प्रेमघन’ की ‘पहली झांकी’ भी ले आए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि **शुक्ल जी** का बाल्य-काल साहित्यिक विभूतियों के श्रवण, स्मरण तथा दर्शन से प्रभावित हुआ।

किशोरावस्था में पं० **केदारनाथ पाठक** से परिचय होना भी **शुक्ल जी** के साहित्यिक जीवन में विशेष महत्व रखता है। इनके साहित्यिक जीवन का अग्रसर और प्रौढ़ करने में अवश्य ही उन्होंने सहारे का काम किया। इन्हे **नागरीप्रचारिणी सभा** में लाने में भी उन्हीं का प्रयत्न हाथ था। पं० **केदारनाथ पाठक** ने मिरजापुर में ‘मेयोमेमोरियल लाइब्रेरी’ खोली थी, जहाँ नित्य सार्धकाल श्री **काशीप्रसाद जायसवाल** श्री **प्रयागदास** और **शुक्ल जी** पढ़ने आया करते थे। यह तब की बात है जब **शुक्ल जी** नवीं कक्षा में पढ़ते थे। इस लाइब्रेरी की **शुक्ल जी** ने जितनी पुस्तकें पढ़ी, उन सबपर इनके नोट लिखे हुए हैं। वे बाल्य-काल से ही अध्ययनशील थे और नवीन नवीन विषयों का अध्ययन करते थे। इनके छोटे भाई श्री **हरिश्चन्द्र शुक्ल** का कथन है कि जब वे दसवीं कक्षा में थे तब मैंने इन्हें **हर्वर्ट स्पेंसर** की ‘**साइकोलाजी**’ नामक पुस्तक पढ़ते देखा था। **शुक्ल जी** को यहाँ से अँग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं की पुस्तकें पढ़ने को मिलती थीं। **शुक्ल जी** के लिए हिन्दी-पुस्तकें एकत्र करने में **पाठक जी** को विशेष प्रयत्न करना पड़ता था, क्योंकि वे चाहते थे कि ये हिन्दी की पुस्तकों का अवलोकन करें। हिन्दी की ओर **शुक्ल जी** की प्रवृत्ति तो थी ही। इस प्रकार पं० **केदारनाथ पाठक शुक्ल जी** में अध्ययन की प्रवृत्ति जगाने और इनकी ज्ञान-वृद्धि करने में सहायक हुए। वे **शुक्ल जी** के घर पर इन्हें पुस्तकें पढ़ने को दे आया करते थे। घर पर **पाठक जी** को देख **शुक्ल जी** के पिता कहते—“ले आया हिन्दी” “आ गया कमवस्त!” **शुक्ल जी** में अध्ययन का

घुसने जागम से ही था और अतः तक चला रहा। पिछले साल ही रामचंद्र और गौरी का रोग हो गया था। रोग की अवस्था में भी वह व्यग्न नहीं हूट पता था। देखा गया है कि ये गलत जले थे और पढ़ने जाते थे।

रामचंद्र पंद्रह साल की अवस्था में शुक्ल जी की पेशी साहित्यिक मित्र मंडल में गद्द निम्न निम्न साहित्य-चर्चा हुआ करती थी। अब शुक्ल जी आने का हिंदी का एक लेख समझने लगे। 'प्रेमचंद की छाया स्मृति' नामक एक म आने एक स्थान पर लिखा है—“१६ वर्ष की अवस्था तक पहुँचने-पहुँचने का समय-काल दिना प्रेषितों कि एक गलती मंडली मुझे मिला गद्द। निम्न धी-धुन काशी-प्रसाद जी जायसवाल, बा० अरवाजदास जी हालना प० उदरीनाथ शोह, प० उमाशंकर द्विवेदी मुन्ध थे। हिन्दी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रटा करती थी। मैं भी अब उनमें की एक लयक मानने लगा था। इस लोका की वातचात भाव लिखने-पढ़ने की हिन्दी में हुआ बर्गी थी, निम्न 'निम्नदेव' इत्यादि नाम आता करते थे।” अब इनका 'मूल' पर हिन्दी का 'श्री' माल मालने लगा था। एक बार इनने विना जी ने अपने मुहल्ले के एक मर जन सादर से इनका परिचय देते हुए कहा—“इन्हें हिन्दी का उदा गौरी है।” चट उत्राव मिला—‘अपनी बताने का जरूरत नहीं। मैं तो इनका मूल देखने ही इस बात में जाँच हो गया’—(‘प्रेमचंद की छाया स्मृति’) वह द्रव्य सुसलमान था।

साहित्य निमाण की ओर शुक्ल जी की प्रवृत्ति बाल्य में ही थी। कहा जाता है कि अपने साहित्यिक जीवन में प्रारंभिक काम शुक्ल जी भी राम-गौरी चर्चा में अवलोकन बहुत प्रभावित हुए। वे रमई पट्टी में शुक्ल जी के घर में ही रहते थे। वे अत्यंत गौर वण के थे और अर्धम सारते थे। मभयत भांग जानने की प्रेरणा परोक्ष शुक्ल जी की उर्ध्व से मिला। परंतु वे भांग के सुगंध कर्मा नहीं हुए। श्री रामचंद्र चर्चा जैंगेजी भांग के प्रभाव पटल तथा जैंगेजी से हिन्दी और हिन्दी में जैंगेजी में अनुवाद करने में परम प्रेरण थे। बाद हिन्दी भोल्ला जाता और वे जैंगेजी में उरत अनुवाद करत जाते। जैंगे-रिचा से हिन्दी में अनुवाद की भी ऐसी ही गति थी। मौखिक रचना



के क्षेत्र में भी उनकी गति बहुत ही तीव्र थी। बैठते तो बराबर लिखते ही जाते। चौबे जी की इस लेखन-शक्ति से अपने साहित्यिक जीवन के आरंभ में शुक्ल जी परीक्षित अवश्य प्रभावित हुए। कहा जाता है कि क्रुफ़्स साह्य का 'कास्टस पे'ड ट्राइव्स' नामक तमस्त ग्रंथ चौबे जी का ही लिखा है। स्वर्गीय श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा के टाड राजस्थान में भी उन्होंने काम किया है। श्री चंद्रबली पांडे को चौबे जी की हिंदी की कुछ कविताएँ भी प्राप्त हुई हैं। इनके कुछ अनुसंधानात्मक निबंध भी पुरानी पत्रिकाओं में मिलते हैं। अपने सहपाठियों के उपहास में तथा अन्य छोटी-मोटी इधर-उधर की बातों पर ये दो-चार पंक्तियाँ जोड़ लिया करते थे। सुनकर आश्चर्य होता है कि इन्होंने तेरह वर्ष की अवस्था में ही 'हास्य-विनोद' नामक एक नाटक लिखा था, जिसे किसी महाशय ने हँसते-हँसते फाड़ डाला। इससे शत होता है कि इनमें हास्य-विनोद की प्रवृत्ति आरंभ से ही थी। 'पृथ्वीराज' नाम का एक और नाटक इन्होंने लिखना आरंभ किया था, जो दो ही अंक तक लिखा जा सका, पूरा नहीं हुआ। इनकी सर्वप्रथम प्रकाशित कविता 'मनोहर छटा' है, जो सोलह वर्ष की अवस्था में लिखी गई थी और 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई थी। 'प्राचीन भारतवासियों का पहिरावा', 'साहित्य' आदि लेख इसी मिर्जापुर के निवास-काल में लिखे गए थे। हिंदी की सर्वप्रथम कहानियों में गिनी जानेवाली कहानी 'ग्यारह वर्ष का समय' इसी समय लिखी गई थी। जोसेफ़ एडीसन के 'एसेज़ ऑन इमेज़िनेशन' का अनुवाद 'कल्पना का आनंद' नाम से तथा मेगास्थनीज़ की 'टा इंडिका' का 'मेगास्थनीज़ का भारतवर्षीय वर्णन' नाम से अनुवाद इसी समय की रचनाएँ हैं। पता चला है कि 'कल्पना का आनंद' उस समय अनूदित हुआ जिस समय शुक्ल जी नवीं कक्षा में थे। वह अनुवाद अर्थ-संकट के कारण हुआ था।

शुक्ल जी की इन दो-चार रचनाओं का नामोल्लेख करने का हमारा तात्पर्य यह है कि इनमें साहित्य के निर्माण की प्रवृत्ति बाल्य-काल से ही थी। इसके अतिरिक्त हमारा उद्देश्य यह दिखाना भी है कि इनके आरंभिक तथा प्रथम कार्य-क्षेत्र मिर्जापुर में ही इनकी सभी प्रकार की रचना-प्रवृत्तियों के दर्शन मिलते हैं, जिनमें आगे चलकर काशी के निवास-काल में विकास और प्रौढ़ता

जाई। कविता, निबंध, कहानी, अनुवाद आदि सभी प्रकार की रचनाएँ हमें इस मिनापुर की भूमि में लिखी गई मिलती हैं।

लेख के इस मूड से विदित हो गया होगा कि शुक्ल जी में साहित्यिक बनने की प्रवृत्ति बाल्य काल में ही थी और इस प्रवृत्ति को पनपाने के लिए अनुकूल परिस्थिति भी मिली और इस परिस्थिति में उसका विकास आरंभ हुआ। अतः तब शुक्ल जी मिनापुर में ही थे।

( ६ )

सु० १९६६ ६७ के लगभग शुक्ल जी 'हिंदी शब्द-सागर' का काम करने के लिए कारी आए। शुक्ल जी ने साहित्यिक जीवन में कारी का आगमन भी एक प्रधान घटना है। अब ये साहित्य और साहित्यिकों के प्रधान पीठ में आ गए थे, जहाँ इन्हें साहित्यिक कार्य करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ तथा प्रोत्साहन मिलने लगे।

इसमें सदेह नदी कि शुक्ल जी में प्रतिभा थी और उसका प्रकटन कभी न कभी अवसर होता, पर इस प्रतिभा के विकास के लिए श्रेष्ठ देने का श्रेय कारी नागरप्रचारिणी सभा को है, क्योंकि शुक्ल जी अपने सर्वश्रेष्ठ तथा संप्रधान रूप में—आलोचक के रूप में—'सभा' के फर्मापशी कामों द्वारा ही दिखाई पड़े। 'सभा' की 'तुलसी-प्रथावली', 'जायसी प्रथावली' तथा 'इतिहास' ने ही इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ आलोचक बनाया।

इनके अतिरिक्त आलोचना सभों और कार्य भी इसी कारी के कार्य-काल में हुए। मनमानों पर इनके शान्धीय तथा साहित्यिक लेख भी इसी समय के बीच सामने आए। 'सुद्धचरित' तथा 'हृदय का मधुर भार' आदि काव्य भी इसी कार्य-काल की रचनाएँ हैं। शुक्ल जी के प्रांठ अनुवाद भी इसी समय हुए।

इस प्रकार ज्ञात होता है कि शुक्ल जी की प्रतिभा में पूर्ण विकास तथा प्रांठना कारी आगमन ने पश्चात् जाई। शुक्ल जी इस कारी की पवित्र भूमि

\* एक बार शुक्ल जी ने घातर्वाण के मिलसिले में 'तुलसी प्रथावली', 'जायसी प्रथावली', 'इतिहास' आदि को 'सभा' का 'फर्मापशी काम' तथा निबन्धों को अपनी रचि का स्वतंत्र काम बतलाया था।

में 'शुक्ल जी' बने। शुक्ल जी की इतनी बड़ी साहित्यिक प्रतिभा ( लिटरेरी जीनियस ) का समुचित आदर भी हिंदी-साहित्य ने किया, ये साहित्यिक पद तथा पुरस्कार से संमानित भी किए गए।

कुछ काल तक शुक्ल जी के हाथों में 'काशी नागरीप्रचारणी पत्रिका' का संपादन भी रहा, जब वह मासिक रूप में निकलती थी। इस समय 'पत्रिका' में शुक्ल जी के बहुत से लेख बिना नाम दिए ही निकले हैं। 'पत्रिका' को देखने से विदित होता है कि उसके लिए सामग्री प्रस्तुत करने में इन्हें विशेष परिश्रम करना पड़ता रहा होगा। हम देख चुके हैं कि 'आनंद-कादंबिनी' के संपादन में भी शुक्ल जी का हाथ रहता था। तो, शुक्ल जी संपादक के रूप में भी साहित्य के संमुख आते हैं !

कोश का कार्य समाप्त होने के पश्चात् शुक्ल जी की नियुक्ति हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी-विभाग में अध्यापक के पद पर हुई। यहाँ इसका स्मरण रखना आवश्यक है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में हिंदी-साहित्य की शिक्षा के प्रतिष्ठापकों में शुक्ल जी प्रमुख व्यक्ति थे। हिंदी में उच्च शिक्षा के लिए प्रतिभित साहित्यिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। शुक्ल जी ने उसकी पूर्ति की। हिंदी-निबंध और आलोचना के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठ कोटि की रचनाओं द्वारा इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों की हिंदी-साहित्य की शिक्षा को अवलंब दे उसका स्तर उच्च बनाया। हिंदी-साहित्य में इनकी गहरी पैठ, सुलझी बुद्धि और विचारों को बोधगम्य बनाने की सरल प्रणाली ने हिंदी-साहित्य की उच्च शिक्षा-व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान की। विश्वविद्यालयों में जब हिंदी-साहित्य भी एक वैकल्पिक विषय हुआ तब इससे खिंचे रहनेवालों ने सोचा कि हिंदी में क्या है जो इसकी पढ़ाई की जायगी, ऐसे लोगों की वह भी धारणा थी कि हिंदी जैसे लुप्त (!) विषय में प्रश्न-निर्धारण आदि कैसे होगा ? कहना न होगा कि ऐसे लोगों की उक्त धारणाओं का मूडोज़ेद करने में शुक्ल जी प्रमुख थे। इन्होंने हिंदी-साहित्य में भी जैसे ही श्रेष्ठ कोटि के प्रश्नों की निर्धारणा को जैसे श्रेष्ठ कोटि के प्रश्न अन्य विषयों में निर्धारित किए जाते थे। एक समय ऐसा था जब विश्वविद्यालयों के अध्यापक इसके विषय में शुक्ल जी से पूछताछ करते

ये। शुक्ल जी भी समुचित परामर्श देने, जिन्होंने हिंदी साहित्य को सिगाड़ी  
व्यवस्था उत्तरोत्तर विकसित हुई।

शुक्ल जी का इलाहाबाद के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद से अवसराय प्रदत्त  
करने पर ये स० १९०१ म हिंदी विभाग के अध्यक्ष बनाए गए और जीवन  
पर्यंत इस पद पर अर्थात् रहते रहे।

शुक्ल जी को दमा का रोग था, जो पाठों में कष्ट दिया करता था।  
एक बार इन्होंने कहा था—“यह पाठों में ही तंग करता है, गर्मी और बरसात  
में तो मैं दो-तीन पट तक बड़ाई क्षमा में खान करता हूँ।” स० १९१७ का  
जुलै की रात का था और वे लोगों में कहने भी लगे थे कि “यह साल तो मैं  
काट ल गया।” पर पाठ ने आकर जत में धोखा दे ही दिया। मार सुदी ६,  
शुक्रवार स० १९१७ की रात को (९-१२ के मध्य) दमा के दौर के बीच  
सहसा हृदय की गति रुक हो जाने से इनका स्वयंवास हो गया। यह मृत्यु,  
जिसके पेट की ज्वार, हिंदी के प्रेमचंद और प्रसाद को कर्तव्य करने भी  
जात न हुई थी इस ‘गम’ को भी निगल कर गई, जो अपनी अयोध्या (हिंदी)  
भरती जाती बनाकर प्रस्थान की सामना करते थे।

(७)

शुक्ल जी के जीवन तथा साहित्य में प्रकृति का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।  
ये प्रकृति के अनन्य प्रेमी थे। प्रकृति को लेकर इन्होंने कुछ वैदिक सिद्धांत भा  
सिद्ध किए हैं। जिस प्रकृति को ये मान में इनका मन्त्र देने थे, जिन्होंने  
इनका इतना प्रेम था, उसके साथ इनका परिचय भी बाल्य काल से ही था  
और जीवन-पर्यंत ये उसी प्रेममयी दृष्टि से उसके दर्शन के लिए लालायित रहे।

मिनापुर की जिस ‘रमद वृष्टि’ में शुक्ल जी रहते थे उसी में प० विध्वंश्वरी  
प्रसाद नामक एक सज्जन संस्कृत के अच्छे पंडित तथा प्रकृति के जनक उपासक  
रहा करते थे। उनके यहाँ संस्कृत के विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। वे इन  
विद्यार्थियों को तैदर प्राय विध्याचर की ओर निकल जाने और वहाँ प्रकृति  
के रम्य दृश्यों को देखकर कालिदास, भगवति आदि के प्रकृति गणन-सूत्रों  
रचना को पढ़ाया करते थे। शुक्ल जी भी उनके साथ प्राय पत्र की ओर  
निकल जाते और उन्हीं लोगों के साथ सानंद विचरण करते। यह तर की बात

है जब शुक्ल जी बालक थे। यहीं से इनके प्रकृति-प्रेम का आरम्भ होता है, और जैसा ऊपर कहा जा चुका है, वह प्रेम अंत तक बना रहा। मिर्जापुर के प्राकृतिक दृश्यों से तो इन्हें अत्यंत प्रेम था। मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व मिर्जापुर के कावि-सम्मेलन में इन्होंने कहा था—“मैं मिर्जापुर की एक-एक शाड़ी, एक-एक टीले से परिचित हूँ। उसको टीलों पर चढ़ा हूँ। बचपन मेरा इन्हीं शाड़ियों की छाया में पला है। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। लोगों की अंतिम कामना रहती है कि वे काशी में मोक्ष-लाभ करें, किंतु मेरी अंतिम कामना यही है कि अंतिम समय मेरे सामने मिर्जापुर का वही प्रकृति का दिव्य खंड हो जो मेरे मन में, भीतर बाहर, बसा हुआ है।” इससे शुक्ल जी के प्रकृति-प्रेम और साथ ही इनकी तत्संबंधी भावुकता का परिचय मिल जाता है।

इसका निर्देश किया जा चुका है कि शुक्ल जी की प्रकृति-क्षेत्र में भ्रमणशील प्रवृत्ति के कारण इनके पिता अप्रसन्न रहा करते थे। जब ये मिर्जापुर में रहते थे तब अपराह्न में अपने समयस्क मित्रों के साथ प्रकृतिदर्शन के हेतु निकल जाते थे। कभी-कभी तो तीन-तीन बजे रात तक घूमा ही करते थे। पैर-सपाटे को जाते, तो थोड़ा भोग का सामान भी लेते जाते। शुक्ल जी के मित्रों में एक श्री रामेश्वरनाथ शुक्ल थे। वे आर० एस० एस० में नौकर थे। वे भी अजीब सुमकड़ थे। मिर्जापुर शहर से दो-दो तीन-तीन बजे रात को ही घूमने चलने के लिए शुक्ल जी को लिबाने रमई पट्टी आ जाया करते थे। वे बहुत ही हाविर जवाब थे और जरा बहुरूपिया ढंग से रहा करते थे—कभी कुछ पहनते थे, कभी कुछ। उन्होंने ‘इङ्ग्लिस्तान का इतिहास’ लिखा है। वे हिंदी की कविता अच्छी करते थे और सुकंठ होने के कारण बहुत अच्छे ढंग से सुनाते भी थे। शुक्ल जी का और उनका साथ जीवन भर बना रहा। वे अभी स्वर्गगत हुए हैं।

शुक्ल जी के अनुज श्री हरिश्चन्द्र शुक्ल ने लिखा है—“वसंत और वर्षा ऋतुओं में वे सुरभित द्रुमलताञ्छित वनस्थलियों में विहार करते थे और शरत् आदि अन्य ऋतुओं में नदी की कछारों या हरे भरे मैदानों में। प्रत्येक ऋतु में वे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया करते थे। वनस्थलियों में भ्रमण करते करते थक जाने पर वे मंद-मंद यहती और कल-कल शब्द करती हुई

विभी निहारिणी के निनारे जा टटगते। यहाँ अपने चारों ओर प्राकृतिक विभूति की अपार शक्ति लगी देख उ हे न बन की मुग्ध रहती और न मन की और मायावेश में डूबत ही धीमे स्वर से दगोक पढ़ने लगते थे। मिर्जापुर के आसपास शायद ही कोई टोला होगा, फिरला ही कोई गिरिदिगम्बर होगा, चित्र पर ये न चढ़े हों, शायद ही कोई दरा होगा, मुक्किल से कोई घाटी होगी जिस उन्होंने पार न किया हो।'

यहाँ एक और बात की ओर निर्देश कर देना जतिप्रसंग न होगा। वह यह कि शुद्ध जी ने सस्कृत प्रेम का आरम्भ भी यहीं से (प० विन्ध्येश्वरीप्रसाद के समय से) समझना चाहिए, और प्रतीत तो ऐसा होता है कि ये प्रकृति का यथार्थ चित्रण करनेवाले सरसूत कालों, यथा, वाल्मीकीय रामायण, 'कृमार-सभय', 'भेद्युत' 'उत्तररामचरित' आदि पढ़ने के लिए ही संस्कृत की ओर धुके।

प्रकृति दर्शन के लिए शुद्ध जी का पयटन अथक होता था। 'भेद्युत' में वर्णित प्राकृतिक प्रदेशों की यात्रा तक करने ये निकलते थे। यत्राय यथा ऋतु भ विध्याचल घूमने जाते थे और नए-नए प्राकृतिक स्थलों के दर्शन की कामना रखते थे। इससे इनके प्रकृति-सम्बन्धी ज्ञान में अभिवृद्धि होती थी और अथ बात भी शक्त होता था। यहाँ एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ, जो पूरा प० शिवनाथप्रसाद मिश्र से गिदिन हुआ है। एक बार शुक्ल जी हिंदी विभागा ने साथ विन्ध्याचल का पर्यटन करने गए थे। एक दिन की यात्रा में वे ऐसे स्थल पर पहुँचे जहाँ मेहदी का जंगल लगा था। इसे देखकर शुक्ल जी ने कहा कि कदाचित् मेहदी भारतीय वस्तु है (इनके पहले ये यह समझते थे कि मेहदी भारत में यमों के ताप कारक से आर) और गुणदेय प० केशवप्रसाद मिश्र से पूछा कि मेहदी को सस्कृत में क्या कहते हैं। पंडित जी ने झूठे ही उत्तर दिया—“मंधिरा नग्नजिनी मने जिमा सस्कृत कोश में देखा है, कोश का नाम नहीं स्मरण आ रहा है।” मेहदा के उस जंगल का नाम 'मंधिराशर्डी' रखा गया। इस घटना के उल्लेख का जमिमाय यहाँ है कि ये प्रकृति के बन-बनाना में घूम-घूमकर अपनी संस्कृति आदि के नियम में भी बहुत सी बात अवगत किया करते थे।

शुक्ल जी ने अपने बँगले के अंदरों में ब्रज मंडल की सीमा में स्थित

आगरे से कदंब और करील लाकर लमाया था, जो अब भी बिलगमान हैं ! इनका यह नित्य का नियम था कि अपराह्न में चाय पीन के पश्चात् ये अहाते में लगे फूलों के पौधों के पास जाते और उनमें न जाने किस रहस्य का दर्शन कर ठगे से उनसे वार्तालाप करते देखे जाते । जिन शुक्ल जो का प्रेम ब्रज-संघल के ही कदंब और करील से था और जो फूलों में भी किसी रहस्य का दर्शन करते थे उनकी भावुकता सहज ही बोधगम्य है ।

शुक्ल जी को प्रकृति का ज्ञान भी बिलक्षण था । प्रकृति की वस्तुओं के एक-एक अंग से परिचित थे । कभी-कभी फूलों के अंगों को ये वैज्ञानिक की भाँति अलग-अलग करके समझाते थे । किसी भी जाति के गुलाब को ये पहचान सकते थे । प्रकृति से संबद्ध इनकी दो-एक और बातें हैं, जिनका प्रभाव इनके काव्य-सिद्धांत पर भी पड़ा है । वह यह कि ये प्रकृति के मधुर, कोमल और सुंदर रूपों के ही प्रेमी नहीं थे, प्रत्युत उसके विकट, भयंकर, टूटे-फूटे, उजड़े रूपों में भी रमते थे । इसके अतिरिक्त ये प्रकृति के प्रकृत रूपों में ही सौंदर्य का शुद्धस्वरूप मानते थे, कटे-छँटे रूपों में नहीं, ये वन के सौंदर्य के प्रेमी थे, उपवनों को चाहते थे, अमीरों के उन बाग-बगीचों को नहीं, जिनमें पौधों को कतरकर मोर, हाथी, ऊँट या घोड़े बनाए जाते हैं ।

इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि शुक्ल जी में प्रकृति-प्रेम का बीज बाल्य-काल से ही बिद्यमान था और वही क्रमशः अंकुरित-पल्लवित होता गया; बात यहाँ तक पहुँची कि उसे लेकर इन्होंने काव्य-सिद्धांत तक स्थिर किए ।

( ८ )

यथास्थान हमने देखा है कि शुक्ल जी के जीवन-प्रवाह से किन्हीं ऐसे व्यक्तियों का संस्पर्श हुआ जिनसे प्रभावित हो इनकी जीवन-धारा किन्हीं विशिष्ट भागों पर बही । तात्पर्य यह कि शुक्ल जी किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के संस्पर्श में आए जिनसे ये प्रभावित हुए । ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने भी प्रभावित किया, इसमें संदेह नहीं; प्रभावित तो इन्होंने अपने पिता को किया, इसे हम देख चुके हैं । ऐसे व्यक्तियों में श्री चंद्ररीतारायण चौधरी 'प्रेमघन' श्री केंदारनाथ पाठक, श्री राममारीच चौबे का उल्लेख किया जा चुका है युक्त जी ने 'प्रेमघन की छाया-स्मृति' में अपने मित्रों में श्री उमाशंकर द्वि?

श्री भगवानदास हालना का भी नाम लिया है। श्री उमाशंकर द्विवेदी जिम्नास्टिक के अध्यापक मिर्जापुर और काशी दोनों स्थानों में थे। वे बहुत ही प्रख्यात थे। कालांतर में श्री काशीप्रसाद जायसवाल और शुक्ल जी में कुछ सैद्धांतिक झगडा हो गया था। यह झगडा बाद में वैयक्तिक हो गया और अत्यधिक कटुता उत्पन्न हो गई थी। ऐसी अवस्था में द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की जान रचाई था। यह घटना स० १९६०-६२ के आस-पास की है। जायसवाल जी तथा शुक्ल जी के गद्द विवाद का उल्लेख आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी 'स्मरस्वती' (भाग ६, संख्या १२, दिसम्बर १९०५, विविध विषय, पृष्ठ ८७३) में किया है।

जैसा कि शुक्ल जी ने लिखा है श्री भगवानदास हालना इनके आरम्भिक मित्रा में से हैं। शुक्ल जी में और हालना जी में प्रायः शास्त्र, साहित्य और भक्ति की चर्चा होती थी। वे दाना मित्र राम भक्ति की ओर विशेष झुके थे, अतः वातावरण के सिर्जित में इनमें भक्ति के प्रसंग परावर उठाने लगे थे।

शुक्ल जी अपने गौरव के लिए श्री बलभद्र सिंह से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उनका नाम 'हृदय का मयूर भाग' में भी आया है। वे विपुली कलकटर थे। उनके समय, उनके यौवन, उनकी मर्दनशीलता, उनकी दमनीरता आदि सद्गुणों की अनेक कथाएँ हैं, जिनका यहाँ उल्लेख करना अतिप्रसंग होगा। इतना ही कह देना जल्द है कि वे शुक्ल जी की दृष्टि में आदर्श धर्मिय थे। शुक्ल जी को इस युग में धर्मिय उन्हा में मिला।

वे पक्के विद्या व्यसनी भी थे। वे पुराण के गहरे पंडित थे। परन्तु उनके विचार कुछ पुराने दग के थे और शुक्ल जी नवीन और प्राचीन दोनों पर दृष्टि रखते थे। स्मरपट्टी में ऐसे ही लोगों के निरास करने के कारण शुक्ल जी कहते थे कि यहाँ सत युग है। अपने पिता आदि के समय की दायर करते थे और अपने समय को त्रिंल युग।

इसमें शुक्ल जी के एक मित्र श्री रामदेवराय शुक्ल का उल्लेख किया है। यह भी कहा है कि वे लेखक और कवि भी थे। वे बहुत ही हासिर-जवान थे। शुक्ल जी का प्रशुत्यमति व्यक्ति बहुत प्रिय थे, क्योंकि ये भी अक्सर पत्रों पर कभी इतने चूकते न थे। शुक्ल जी में हास्य, व्यंग्य और



विनोद की जो प्रवृत्ति थी उसका मूल इनका प्रत्युत्पन्नमत्तित्व ही है। शुक्ल जी की हाज़िरजवाबी के भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ एक का ही उल्लेख किया जा रहा है। 'सरस्वती' के 'भूतपूर्व संपादक कानपुर-निवासी श्री देवीप्रसाद शुक्ल ने एक बार कानपुर की चर्चा करते हुए कहा कि वहाँ धूल, धुआँ और धूर्त के सिवा और कुछ नहीं है। यह सुन शुक्ल जी बोले—'तो मुझे कानपुर जाकर सिर्फ धूल, धुआँ और देखना है।'।'

स्वर्गवास के कुछ ही दिनों पूर्व शुक्ल जी अयोध्या गए थे। वहाँ सरयू के किनारे एक याचक को इन्होंने 'साहब की टोपी ऊँची रहे! साहब की टोपी ऊँची रहे!' रटते सुना। ये उसके पास गए, उसे कुछ देकर कहा—“यदि तुम चाहते हो कि स्त्रियाँ भी तुम्हें कुछ दिया करें तो पास से जब किसी स्त्री को जाते देखो तब चट बोल उठो—‘मेम साहब की जूती, ऊँची रहे, मेम साहब की जूती ऊँची रहे।’”

हमने देखा है कि शुक्ल जी के लिए जीवन में आत्मसंमान बहुमूल्य वस्तु थी। इसी की रक्षा के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी। अलवर राज्य की नौकरी भी इसी की रक्षा के लिए छोड़ी। उनसे गुलामी नहीं हो सकती थी। अलवर राज्य की नौकरी का प्रसंग यह है। अलवर के महाराज श्री जयसिंह बहुत ही विद्वान् थे। वे बहुत ही प्रौढ़ अंगरेजी लिखते और बोलते थे। वे दर्शन के भी पंडित थे। इंग्लैंड में उन्हें 'फिल्लसफर प्रिंस' (दार्शनिक राजा) कहा जाता था। उन्हें अपनी साहित्यिक जिज्ञासा के समाधान तथा अंगरेजी के भाषणों के अच्छे अनुवाद की सुव्यवस्था के लिए हिंदी-भाषा और साहित्य के अच्छे विद्वान् की आवश्यकता थी। अतः इन्होंने अपने राज्य के शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर श्री रामभद्र ओझा, एम० ए० से कहा कि हिंदी की साहित्यिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय से हिंदी के अच्छे विद्वान् लाओ। ओझा जी दो प्रोफेसर्स, दो बकील्लों तथा एक पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी को ले गए। प्रोफेसर्सों में से एक शुक्ल-जी भी थे। अलवर महाराज ने इन व्यक्तियों की योग्यता की परीक्षा के लिए दार्शनिक प्रश्न किए। शुक्ल जी ने ही उनके सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। अतः ४००) मासिक पर नियुक्त कर लिए गए।

परंतु एक मास तक ही ये यहाँ टिक सके। स्तनप्रचेना शुक्ल जी यहाँ अधिक दिना तक टिक भी नहीं सकते थे। दरबार में चूड़ीदार पायजामा, स्वेटरपनी, मिर पर साफा और कमर में पट्टी बाँधकर जाना पड़ता था, जो शुक्ल जी को बेहद नापसंद था। महाराज के सामने चाहे किसी भी समय इनकी बुलाहट हो सकती थी। किसी भी एक पौन में ये बुला लिए जाते, बहा जाता—महागान की 'चिन्तयपत्रिका' का एक पद नहीं लग रहा है, तुम आइए। इसी प्रकार की पनायत आती था, चिट्ठी पढ़ी करने में शुक्ल जी असमर्थ थे। इस तरह का नोकरी से ये ऊब गए। एकबार बार्बेरा महागान के साथ बागी आए। यहाँ इस मौकरो से इस्तोफा दे दिया और पुनः सिविलियालय में पुनर्नर्तक बनने लगे।

जल्पर करते समय महामना १० मदनमोहन मालवीय ने शुक्ल जी से कहा था—“नादर जल्पर बिल सट घूना र यू त्रि सट जल्पर (न अन्वर हा जाने लायक है और न आप ही जल्पर के लायक हैं) मगर, गैर, जाइए।” मालवीय जी नहा चाहते थे कि शुक्ल जी सिविलियालय से जायें। परंतु अर्थ-संकट के कारण शुक्ल जी मालवीय जी की बात काटकर भी जल्पर गए। यह घटना स. १९०९-८० के आस पास की है।

एक दिन घर में मधोगरण पट्टी घोंती पहने शुक्ल जी फलंग पर बैठे थे। इनकी धर्मपत्नी ने पट्टी घोंती जो लपर कर बिनोदरस कहा—“तुम अच्छी नोकरी तो करते नहीं, यहाँ ७० पर चिदगी रिता रहे हो।” यह सुन शुक्ल जी तुरंत चले—

बीयदे लपेटे चने चाबेंगे चौखट पर  
चाकरी करेंगे नहीं चौपट चमार की।

( ९ )

शुक्ल जी के व्यक्तित्व के त्रिषय में दो-चार बात और जान लेना आवश्यक है, चिन्तनी इनके साहित्य पर उप है। शुक्ल जी की प्रमुख शक्ति, जिसके कारण ये साहित्यक्षेत्र में निपटे रूप में आए, इनकी गुण-दोष के समझ-रास की नीर-नीर विवेचनी शक्ति थी। इनमें किसी चन्दु के गुण-दोष की पकड़ की बड़ी ही सौत्र प्रज्ञा थी, और रही शक्ति के कारण ये आलोचना

के क्षेत्र में इतने सफल हुए। यद्यपि शुक्ल जी ने साहित्य के सभी क्षेत्रों को आजमाया—क्या कहानी, क्या कविता, क्या अनुवाद, सभी प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत कीं—पर आलोचना के क्षेत्रमें आकर ये जम गए। और इनके यहाँ जमाव का कारण यही गुण-दोष के विवेक की शक्ति थी।

गुण-दोष-निरूपण या नोर-धीर-विवेक का सम्बन्ध बुद्धि-पक्ष से है। इससे वह न समझना चाहिए कि इनमें हृदय-पक्ष नहीं था। वह भी था उसके दर्शन कविता और आलोचना तथा निबन्ध में यत्र-तत्र बराबर होते हैं। पर शुक्ल जी का हृदय-पक्ष या उनकी भावुकता भी अनर्गल और निरर्थक नहीं है, वह भी नियंत्रित और सार्थक है।

शुक्ल जी का आलोचक के ही दाने में प्रधान रूप से आभे का एक कारण और है, और वह है इनका गम्भीर व्यक्तित्व। इनके गम्भीर व्यक्तित्व की छाप इनकी रचनाओं पर लगी हुई है, प्रधानतः इनके निबन्धों तथा इनकी आलोचनाओं पर। इस गाम्भीर्य के साथ ही इनमें एक गुण और था, जो इसका ठीक उल्टा है, और जिसकी अच्छी छाप इनके साहित्य पर पड़ी है। यह गुण था इनकी हास्य-व्यंग्य और विनोद की प्रवृत्ति। आधुनिक युग में पारश्चात्य लेखकों के हास्य-विनोद की बड़ी प्रशंसा होती है, और गद्य-रचनाओं में इसकी बड़ी आवश्यकता समझी गई है। इसकी प्रशंसा करनेवालोंके सामने हम शुक्ल जी को भी रख सकते हैं, जिनका हास्य या व्यंग्य-विनोद गम्भीर तो होता ही था अर्थगर्भ भी होता था, फालतू शब्दव्यय और फालतू उभंगों का वहाँ लेश भी नहीं।

( १० )

अब शुक्ल जी के उन मूल विचारों पर भी सरसरी दृष्टि डाल लें, जिनका समीचेष्ट इनकी रचनाओं में मिलता है, जिन विचारों से इनकी रचनाएँ प्रभावित हैं। ऐसा करने के लिए हमें उन परिस्थितियों का तथा उन परिस्थितियों में प्रवाहित विचार-धाराओं का भी अवलोकन करना होगा जिनमें शुक्ल जी पूर्ण रूप से साहित्य-क्षेत्र में उतरे, क्योंकि किसी युग में प्रचलित किन्हीं विचारों से किसी व्यक्ति का बचा रहना सम्भव नहीं होता। यदि प्रत्यक्षतः नहीं तो परोक्षतः उनसे वह अवश्य प्रभावित होता है। इन परिस्थितियों तथा

विचार धाराओं की अभिवृद्धि के लिए पूर्वीय एवं पश्चिमीय विचारों को भी देवना होगा।

आज चारों ओर हाथ पैर फैलए इस बुद्धिवाद के युग (एन जेन इन्-रोजेशन) का आरम्भ तभी से समझना चाहिए जब से यूरोप में विगन (सायन्स) या औद्योगिक युग (इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन) का आरम्भ हुआ। इस युग ने अपने प्रतिष्ठान के लिए विगन सामंत युग के समस्त आदर्शों का प्रतिपादन किया। यह सभ्यता को प्राचीन जीवन पर आधारित थी बदलने लगी और उसके साथ ही जीवन की सब दिशाओं में परिवर्तन हुए। धार्मिकता (यहाँ हमने आशुय पौर और पादरियों के सब उद्भ्रम से है) का प्रभाव घटा और सामन्तशाही का जन्म कम होकर समस्त मध्ययुग में बेन्द्रित हुआ। संशय म कहा जा सकता है कि यह युग मध्य युग के उत्थान का था। धार्य और साहित्य का भी स्वरूप बदलने लगा। प्राचीन धार्मिक काव्य का आदर घट चला और नवीन भावनाएँ तथा प्रतीक व्यंजक म आने लगे। इस युग ने व्यक्ति के प्रति व्यक्ति की कर्तव्य भावना तथा उनमें परस्परिक समता और स्वातन्त्र्य की चेतना का उदय किया। उदात्त बुद्धिवादम उदित इन चेतनाओं का एक ही जटारहवीं शताब्दी के अन्त (सन् १७८९) में फ्रांस की राज्यक्रांति थी, जो राजा द्वारा केवल समाजके उच्च वर्ग को प्रदत्त सुविधाओं के विरोध में साधारण जनता, निरोपत मध्ययुग, के पक्ष समर्थन को लेकर घटित हुई थी। इस क्रांति ने मूल में स्थित प्रधान भावनाएँ दी थी—एक तो समाष्टि रूप में स्वातन्त्र्य की भावना और दूसरी दृष्टि रूप में स्वातन्त्र्य की भावना। इसने तुरन्त ही ऐक्य (इक्वीलिटी) भ्रातृभाव (फ्रेटर्निटी) तथा स्वातन्त्र्य (लिबर्टी) की घोषणा की। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि इस क्रांति में क्रांतिकारियों का दृष्टि समाज के उच्च या सामन्त वर्ग से हटकर मध्य वर्ग तक ही पहुँची थी, निम्न जा तक नहीं। अपना यत्न करना कदाचित् अधिक समझ होगा कि मित्रातः पूर्ण स्वातन्त्र्य की घोषणा करनेवाली इस फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने मध्य युग ने ही लाम उठाया। शोषित या अधिकांश वर्गों से तब तक क्रांति की चेतना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था।

फ्रांस की इस राज्यक्रांति का प्रभाव यूरोप के प्रायः सभी बड़े बड़े देशों

पर पड़ा। इसके आस-पास जितने साहित्यिक तथा दार्शनिक हुए सभी ने इसके सिद्धांतों से सहायुभूति प्रकट की और सभी इससे प्रभावित हुए। इस क्रांति के आगे-पीछे उत्तम साहित्यिक और दार्शनिक कांट, हीगेल, स्पिनोजा, लाक, ह्यूम, मिल, स्पेंसर सभी के साहित्य और दर्शन का मुख्य आधार विज्ञान-प्रसृत बुद्धिवाद, व्यक्ति-स्वातंत्र्य आदि था तथा उनका लक्ष्य था विचारप्रणाली एवं संस्कृति का आंशिकतः कायाकल्प करना। इस नवीन संस्कृति के अगुवा वे दार्शनिक और विचारक मध्य वर्ग के उत्थान-काल के प्रतिनिधि हैं। इसके अतिरिक्त इन चिंतकों ने जो सामाजिक सिद्धांत स्थिर किए वे बुद्धिवाद तथा वैज्ञानिक युग से प्रभावित थे। अथ तक डारविन का विकासवाद भी सत्य के संमुख आ गया था, जो आगामी बुद्धिवाद का ज्वलंत प्रेरक बन गया। इस वैज्ञानिकता तथा बुद्धिवाद के कारण जीवनव्यापी परिवर्तनों के साथ काव्य और कला के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। नई धाराएँ प्रवाहित हुईं और नए प्रतिमान (स्टैंडर्ड) निर्धारित हुए।

इस मध्यवर्गीय उत्थान-काल के दार्शनिकों में अनुसंधेय विषयों की भिन्नता चाहे जितनी हो और उनके वैयक्तिक विकास के अनुसार उनमें विचारों का चाहे जितना अंतर हो किंतु इतना तो स्पष्ट है कि उनकी विचार प्रणाली और उनके निरूप्य लक्ष्यों में बहुत दूर तक समता है। उन दार्शनिकों में से कोई सामाजिक और कोई राजनीतिक, कोई आर्थिक और कोई मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के विचार-विमर्श में प्रवृत्त हुए और कुछ इन व्यावहारिक क्षेत्रों से अलग रहकर विशुद्ध दार्शनिक (स्पेकुलेटिव) भूमि में ही विचरण करते रहे; किंतु उन सत्य के मूल में नवीन जीवन की प्रवृत्तियाँ और प्रेरणाएँ स्वभावतः कार्य कर रही थीं।

सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक जन को व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र माना। इस प्रकार सिद्धांत रूप में 'अधिक से अधिक संख्या का अधिक से अधिक हित' (दि ग्रेटेस्ट गुड आच दि ग्रेटेस्ट नंबर) का आदर्श प्रतिष्ठित हुआ। इसी से राजनीति में प्रजातंत्रात्मक प्रणाली का जोर बढ़ा और वह विचार-धारा प्रवर्तित हुई जो मध्य वर्ग की उदारता (लिबरलिज्म) और

मानवादों-सादिता ( ह्यूमैनिटेग्यनिष्म ) की श्रोतक थी । प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र नो अज्ञश्य रखा गया, पर स्वभागत स्वातंत्र्य के साथ वर्तव्य या उन्नत-दायित्व का पक्ष भी परातर बना रहा । इस प्रकार के लोकादर्शवाद की स्थापना के प्रमुख दार्शनिक लाक ह्यूम और मिल थे । यहाँ हम पुन स्मरण दिलाना चाहते हैं कि उनकी दृष्टि विशेषतः मध्य वर्ग पर थी । स्मरण रखना चाहिए कि यह नवीन जीवनोत्थान यूरोप में आरम्भ हुआ और कुछ समय तक वहीं परिमित रहा । इसलिए युरोपीय देशों में तो यह नई जीवन व्यवस्था सुगम समृद्धि और विकास की साधिका हुई, किंतु आगे चलकर यही युगोत्तर देशों में यूरोप की साम्राज्य-स्थापना में भी सहस्रक हुई और इस प्रकार यह अपने मूल स्वरूप—'मानवता का स्वतंत्र्य'—से दूर जा पड़ी । क्रमशः यह यूरोप में भी धौलागिरि और मध्य वर्ग की गुटबन्दी और उनकी अधिकार हानिमाना रहाने में योग देने लगी और अंत में व्यापक समाजिक संघर्ष का कारण बनी ।

व्यक्ति स्वातंत्र्य के साथ आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत संपत्ति का भी आदर्श प्रतिष्ठित हुआ और व्यक्तिगत उपयोग के आधार पर व्यक्तिगत संपत्ति-समूह की भी प्रतिष्ठा मिली । यही भावना आगे चलकर संपत्तिवाद ( कैपिटलिज्म ) के रूप में परिणत हुई । इसका अनिष्टकर परिणाम यूरोप में तब तक नहीं उपस्थित हुआ था । यह कुछ काल पश्चात् हुआ, जिसके कारण मार्क्स के सामाजिक सिद्धांत सामने आए । इस व्यक्तिगत संपत्ति या पूँजीवाद की प्रधानता के कारण उस काल के कुछ साहित्यिकों तथा दार्शनिकों में आशावाद का स्वर उँचा था ।

किंतु चला कि ऊपर कहा जा चुका है तबों व्यक्तिगत विचार वैचित्र्य भी था और निराशावादी दार्शनिकता भी । निराशावादी दार्शनिकों में से एक तो था शारेनहाइबर, जो वैदिक युगवाद का अनुयायी प्रतात होता है, और दूसरा था नोर्ससे, जिसका सिद्धांत अतिमानवीय ( सुपर-ह्यूमन ) था, शक या मन्चालक के बटोर अनुयायन में ही सामाजिक विकास की सम्भावना देगता था । वे दोनों ही मूल्य निराशावादी दार्शनिक रहे जाते हैं और मध्यमगोथ उत्थान की आशावादी सामान्य विचार धारा ने अन्तवाद ही है ।

उन्नीसवीं शती में, विशेषतः इसके अंत और बीसवीं शती के आरंभ में, भारतवर्ष को भी वही परिस्थिति थी जो इस परिवर्तनकालीन यूरोप की थी। अँगरेजी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो गई थी। यहाँ के उच्च वर्ग और मध्य वर्ग भी उसकी चकाचौंध से आकृष्ट होकर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। पश्चिम के विचारों का आगमन भी पूर्व में बढ़े जोरों पर था।

इस समय के साहित्यिकों, राजनीतियों और समाजसेवियों की दृष्टि भी नवीन परिस्थिति से अनुप्रेरित हुई। भारतीय स्थिति यूरोपीय स्थिति से कई स्थानों में भिन्न भी थी। यहाँ की जाति-संस्था या वर्णाश्रम-संस्था के अपने अलग वर्ग थे, जिनके साथ नवीन स्थिति से उत्पन्न औद्योगिक वर्गों से खींचतान भी चलती रही। यह संघर्ष यूरोप में इतना गहरा नहीं था। दूसरी भिन्नता यह थी कि भारतवर्ष में विदेशी शासन बाहर से आकर प्रतिष्ठित हो गया था, जिसने बहुत अंशों में एकदम नई समस्याओं की सृष्टि की और यहाँ की राष्ट्रीय गतिविधि को यूरोपीय गतिविधि से भिन्न एक दूसरे ही घरातल पर ला खड़ा किया। तथापि जहाँ तक युग-चेतना या युग-संस्कृति का प्रश्न है, भारतवर्ष में भी मध्यवर्गों के उत्थान (परतंत्रता और प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत) और बुद्धिवाद का प्रादुर्भाव हुआ। हमारे देश में 'राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना हुई, जिसमें स्वतंत्रता-प्रेमी मध्यवर्ग का आरंभ से ही प्राधान्य रहा। क्रमशः उसके संचालक तिलक और गाँधी हुए। शिक्षा, समाज, राजनीति आदि सब का संचालन मध्य वर्ग के हाथों में था। स्वामी दयानंद धार्मिक जटिलताओं और जाति-भेद के विस्तारों आदि के विरुद्ध आंदोलन उठाकर तथा कतिपय समाजिक परिवर्तनों का प्रचार करके हिंदूजातीय जीवन की प्रस्तुत स्थिति को संभालने में संलग्न हुए। बंगाल में ब्राह्मणसमाज तथा अन्य प्रांतों में भी इसी से मिलती-जुलती संस्थाएँ और व्यक्ति प्रादुर्भूत हुए, जिन्होंने समाजिक जीवन में समयोपयोगी परिष्कार का कार्य किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभी तक लोगों की दृष्टि उच्च वर्ग तक ही आई थी, यह समय भी यूरोप की भाँति मध्यवर्ग के उत्थान का था।

भारतीय समाज की यही अवस्था थी। भारतीय साहित्यकार भी इसी समाज के प्राणी थे और इन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न हुए थे। आरंभ में हम

भारतेंदु जी का उल्लंघन कर चुके हैं। उन्हें नवीन युग का प्रथम साहित्यिक नेता माना जा सकता है। उनकी चेष्टा साहित्य की सभी दिशाओं में नवीनता लाने की थी। किंतु उनकी यह चेष्टा स्वभावतः आत्मिक ही थी। उसमें तत्र तत्र प्रौढ़ता नहीं आई थी। भारतेंदु जी द्वारा प्रवर्तित नवीन आंदोलन इसी में परिचित क्षेत्र में ही पैदा करा। उसके समानव्यापी प्रसार का अन्तर तत्र आया जब द्विवेदी जी क्षेत्र में आए और पत्र-पत्रिकाओं का विस्तृत प्रचलन हुआ।

शुक्ल जी का कार्य द्विवेदी जी के समान विस्तृत नहीं, पर अधिक गभीर और विमल अन्वय था। उन्होंने सर्वप्रथम नवीन विचार धारा को सुशुद्ध रूप प्रदान किया। इनका क्षेत्र प्रधानतः साहित्यिक था। अतः उन्होंने तुलसी, सूर और जायसी जैसे महाकविों के काव्य को इस ढंग से उठाया और ऐसी विवेचना की जो नवीन होने हुए भी उन प्राचीन कवियों के प्रति अत्यंत उदार थी। इस प्रकार शुक्ल जी ने प्राचीन काव्य और उनमें व्यक्त संस्कृति को समादर की धनु बनाकर अगार लान पहुँचाया।

विचारों या सिद्धांतों के क्षेत्र में शुक्ल जी की दृष्टि सदैव बुद्धिवन्दी रहा है। ये बुद्धि की नुस्खा पर सौलभ्य तत्र किसी सिद्धांत का व्याख्या या उसकी मान्यता प्रस्थापन करते थे। इसा प्रवृत्ति के कारण हम देखते हैं कि वे 'विकासवाद' के सिद्धांत को मानते हैं। इसका निदान इनके साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलता है। इनके मतानुसार सृष्टि का विकास क्रमिक रूप से हुआ, जो एक बुद्धिसंगत बात है। ये शुद्ध भारतीय पद्धति को भीति यह नहीं मानते कि आरंभ में ही ईश्वर ने सारस्वत पूर्ण तथा प्रौढ़ सृष्टि का सन्निवेश किया। इस विकासवाद का प्रमाण इनके सिद्धांतों पर पडा है। ये 'भक्ति' का विकास 'भव' की सीढ़ी पार करने पर ही उल्लेखते हैं। यह बात 'गोस्वामी तुलसीदास' के 'लक्ष्मण' शीर्षक निरघ में देखी जा सकती है।

शुक्ल जी के सिद्धांतों या विचारों में लोक सिद्धांत या लोक भावना मनु में प्रमुख है। इस लोक सिद्धांत को लेकर ही इनके साहित्य या काव्य मनुष्यी सिद्धांत स्थिर हुए हैं। इन्होंने धर्म का व्यर्थ भी इसी से आधार पर स्थिर किया है। ये उसी धर्म, उसी साहित्य, उसी काव्य को श्रेष्ठ मानते हैं, जिसने



अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक नैतिक लाभ और आनन्द प्राप्त हो सके। शुक्ल जी की लोकवाद की भावना बड़ी व्यापक, उदार और सर्वदेशीय है। ये उसका सम्बन्ध भारतवर्ष से ही नहीं प्रस्तुत विश्व भर से जोड़ना चाहते हैं। इनके लोकवाद का अभिप्राय है सभी देशों के लोक और समाज की सुरक्षा तथा उसकी स्थिति और सम्यक् स्थापना। जिस रूप में इन्होंने लोकवाद का प्रतिपादन किया है उसको देखते हुए हम उस (लोकवाद) की दो श्रेणियाँ मान सकते हैं। एक श्रेणी तो वह किसी विशिष्ट देश के अन्तर्गत समाजकी रक्षा तथा संस्थापना से सम्बद्ध है और दूसरी श्रेणी वह जो एक देश द्वारा दूसरे देश की रक्षा तथा संस्थापना से संबद्ध है। अभिप्राय यह कि इनका लोकवाद उत्तरोत्तर अपनी सीमा बढ़ाता चलता है। उसका सम्बन्ध किसी देश के समाज की रक्षा और स्थिति से चलकर किसी देश द्वारा दूसरे की रक्षा और स्थिति तक पहुँचता है। ये किसी देश के समाज की सुरक्षा तथा संस्थापना के अभिलाषी तो हैं ही, साथ ही एक देश द्वारा दूसरे देश की रक्षा तथा संस्थापना के भी इच्छुक हैं। और आज संसार में लोकवाद की इस भावना का अत्यन्तभाव देख ये दुःखी होकर संसार के वणिक वृत्तिवाले तथा लोक की सुरक्षा तथा संस्थापना का ढोंग करनेवाले देशों पर व्यंग्य करते हैं। इसका उदाहरण इनके निबन्धों में देखा जा सकता है। विशेषतः उन निबन्धों में जो मनोविकार पर लिखे गये हैं, जैसे 'भय' शीर्षक निबन्ध में।

जो व्यक्ति गृहधर्म, कुलधर्म, समाजधर्म लोकधर्म और विश्वधर्म या पूर्ण धर्म की श्रेणी पर कलशः दृष्टि रखता हुआ अन्तिम श्रेणी के धर्म का—विश्वधर्म का—पालन करता दिखाई पड़ता है वही 'पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम' है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक या विश्व का सेवक ही इनकी दृष्टि में पुरुषोत्तम भगवान् है। 'मानस की धर्म-भूमि' के अवलोकन से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

समाज की रक्षा और स्थिति के लिए इन्होंने किन्हीं प्रक्रियाओं का भी प्रतिपादन किया है। इनका कथन है कि समाज की रक्षा और स्थिति तभी सम्भव है जब हम अपने हृदय के कामल तथा परुष दोनों भावों का उपयोग सम्यक् रूप से यथास्थान करें : हम दीन-हीन पर दया करें और अत्याचारी का

शोधपूर्णक दमन। ऐसी अवस्था में ही लोक की रक्षा तथा स्थिति साध्य हो सकती है। यदि अत्याचारी पर भी हम दया करगे तो वह हमारे दया प्रदर्शन से अनुचित लाभ उठाकर समाज को पीड़ित करता जायगा और इस प्रकार समाज मुक्त रूप से न चल सकेगा। लोक की स्थिति तथा रक्षा के विषय में अपनी इसी धारणा के कारण इन्होंने 'कान्य में लोक मंगल की साधनावस्था' नामक निर्याम टालस्टाय के 'दयावाद' की तीव्र आलोचना की है। आर्य समाज धारणा के कारण ये तुलसी के 'रामचरितमानस' में मयादा पुरुषोत्तम रामके लोक रक्षक तथा लोक-संस्थापक रूप पर सुम्भ हैं, क्योंकि राम दीन हीन पर दया तथा अत्याचारी पर क्रोध कर उठना नाग करते हैं और राम को इस रूप में चित्रित करनेवाले तुलसी को ये सर्वश्रेष्ठ कवि स्वीकार करते हैं। सूर ने भी टालसी के समकक्ष नहीं मिलाया चाहते, क्योंकि सूर ने कृष्ण के लोक रक्षक तथा लोक-संस्थापक रूप को नहीं दिया था। इसी प्रकार ये किश कवि में लोक की भावना जितनी अधिक पाते हैं, उन्हीं उन्हीं उच्च श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हैं। लोक पर कम ध्यान रखने वाले शुक पति, कृष्ण-भक्त कवि, शैलि शर्मा कवि और रहस्यवादी कवि उनका दृष्टि में उलने अच्छे नहीं मानते राम भक्त कवि, जो समाज की रक्षा तथा स्थिति को ध्यान में रखकर चलते हैं। समाज को दृष्टि में रखकर चलनेवाले अन्य कवियों का भी ये प्रतिष्ठा देने हैं। इस प्रकार हमें विदित होता है कि इनका काव्य और साहित्य विद्वान भी इस लोकवाद में गूढ़त प्रभावित है।

लोक की स्थिति तथा रक्षा के लिए इन्होंने एक और प्रक्रिया का भा निर्देश किया और वह प्रक्रिया भारतीय वर्ण व्यवस्था को लेकर है। इन्होंने कहा है कि लोक का रक्षा तथा स्थिति सभी सम्मम है जब समाज वर्ण के लोच्य व्यष्टित तो करने कर्मों में स्वतन्त्र हो और समष्टित वे जो कर्म करे वह समाज में विद्यमान सभी वर्णों की मयादा के अनुसार हो। अभिप्राय यह कि क्षत्रिय वर्णवाले व्यक्तिगत कर्म करने में शतन्त्र हों पर समाजगत कर्म करते समय उच्च आत्म वर्ण के नियमों का पालन करना होगा। यदि क्षत्रिय वर्णवाला वैश्य वर्ण के नियमों का पालन समाज में करेगा तो समाज अल्पस्थित हो जायगा, उसकी मयादा रक्षित तथा स्थित न रह पाएगा। लोक रक्षा तथा

स्थिति की इसी प्रक्रिया के कारण शुक्ल जी संत कवियों की टीका करते हैं, जिनका आक्रमण भारतीय वर्ण-व्यवस्था पर बड़ा कठोर था। तुलसी ने भी इसी प्रक्रिया को दृष्टि-पथ में रखकर संत-कवियों को फटकारा था।

इस प्रकार हमें अवगत होता है कि शुक्ल जी का लोकवाद बड़ी विस्तृत और समृद्ध भूमि पर प्रतिष्ठित है। उसमें अधिक से अधिक लोक-कल्याण की भावना निहित है। हम उनके लोकवाद को यूरोप के मध्य-वर्ग के उत्थान-काल के दार्शनिक मिल की 'अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण' (दि ग्रेटेस्ट गुड जाय दि ग्रेटेस्ट नंबर) की तथा तुलसी की 'आपु आपु कहँ सब भलो, अपने कहँ कोइ कोइ। तुलसी सब कहँ जो भलो, सुजन सराहिय सोइ।' की भावना के समकक्ष रखते हैं। शुक्ल जी लोक वा समाज में अपने को छ्य कर देना ही जीवन-मुक्ति मानते हैं। तुलसी की समीक्षा को देखने से यह बात स्पष्ट हो जायगी। इससे यह विदित होता है कि ये लोकसेवा को ही सब कुल मानते थे, जो इस कार्य में तल्लीन हो गया वह जीवनमुक्त हो गया। इसका कारण ये यह कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से जीव का चरम साध्य है ईश्वर वा उस के राम, और राम जगत् में व्याप्त हैं, अतः लोक में व्याप्त राम की प्राप्ति के लिए लोक में रमना, उसकी सेवा में तल्लीन होना अपेक्षित है।

शुक्ल जी के लोकवाद की यह संक्षिप्त विवेचना है। इससे स्पष्ट है कि साहित्यकार शुक्ल जी हमारे समुख एक शिष्ट चिंतक के रूप में भी उपस्थित होते हैं। जिन शुक्ल जी ने इस लोकवाद का प्रतिपादन और स्थापन किया है उनका हृदय कितना उदार और विदाल रहा होगा, उनमें कितना सौमनस्य रहा होगा, यह सहज ही बोधगम्य है।

शुक्ल जी 'प्रवृत्ति' के समर्थक थे, 'निवृत्ति' के नहीं। इसी कारण ये भगवान् की पुनीत कला के दर्शन लोक के भीतर करना चाहते थे, हृदय के किसी निभृत कोने में नहीं। इसीलिए ये 'रागात्मिका वृत्ति' को लोक के संबंध से रुगी हुई देखने के पक्ष में थे। यहाँ हमारी दृष्टि शुक्ल जी के उन्हीं सिद्धांतों और विचारों के अवलोकन की ओर रही है जिनका सम्वंध प्रधानतः उनके साहित्य से है।

‘उपक्रम’ में शुक्ल जी के जीवनवृत्त, उनके व्यक्तित्व और विचार के विषय में पाठक का अनुभवोत्प्रेरण करने से हमारा ताराय्य यही है कि इनके साहित्य के मनन के लिए सामान्य पाठिका प्रस्तुत हो जाय, जिसमें प्रवाह के बीच किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो सके ।

---

## आलोचना

He (critic) is an enemy of the false, the pretentious, the meretricious because he is intent upon clearing the way for what he conceives to be genuine and real [ वह ( आलोचक ) मिथ्या, छद्म और बाह्यरुचिरता का शत्रु होता है, क्योंकि वह ऐसा मार्ग प्रशस्त करने में प्रवृत्त होता है जिसे वह साक्षिक और सत्य समझता है । ]—आर० ए० स्कॉट-जेम्स प्रणीत 'दि मेकिंग ऑव लिटरेचर', पृ० ११३ ।

यदि साहित्यकार की सीमा के अंतर्गत रसात्मक और रमणीय वस्तु उपस्थित करनेवाले कारयित्री-प्रतिभा-संपन्न केवल कवि ही लिए जायेंगे तो वह शब्द सकुचित अर्थ का द्योतन करेगा । ऐसी दशा में साहित्यकार की 'साहित्य' के दूसरे प्रमुख कार्य 'प्रेषण' का कोई लक्ष्य ही सीमा न रहेगा । जब कोकिल के पंचम स्वर और मयूर के मनोहर नृत्य का सुनने और देखनेवाला ही न होगा तो उनके गाने और नाचने का प्रयोजन ही व्यर्थ हो जायगा । साहित्य के इसी कार्य की पूर्ति के लिए कवि के समानधर्मा सहृदय वा रसिक होते आए हैं और वे भी साहित्यकार की सीमा के ही अंतर्गत रखे गए हैं । कोई कृति प्रस्तुत करने के पश्चात् उसे औरों को दिखा-सुनाकर उनसे साधुवाद लेने की प्रवृत्ति मानव में आदि काल से ही रही है, और वह अब भी है । कवि अपनी रचना रसिक के समक्ष प्रकट करके उससे साधुवाद ( 'दाद' ) लेना चाहता है; इससे उसको शांति और तृप्ति मिलती है । उसके इस कार्य की सिद्धि 'सहृदय' द्वारा ही होती है । सहृदय द्वारा निर्दिष्ट अपनी त्रुटि पर भी शिष्ट कवि वृत्त ही होता है ।

विचार करने पर 'सहृदय' दो प्रकार के लक्षित होते हैं । एक वे जो किसी कृति में रमते अर्थात् उसका रस मात्र लेते हैं । उनमें काव्यानुभूति

की प्रादुर्भाव शक्ति तो होनी है, पर वे कृति की विवेचना करने सहृदय म अभ्यर्ष होते हैं, वे दो चार शब्दों में ही मुग्ध भाव में कृति का गुण-दोष यह डालने हैं, उसका तम में पढ़कर अनेक प्रकार से उसका अग्रगण्य करके याणी द्वारा उसे भली भाँति व्यक्त नहीं कर पाते। दूसरे वे होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, और साहित्य में सबसे सहृदय वा आलोचक कहे जाते हैं। पहले प्रकार के सहृदय की चाह तो हम केवल 'रसिक' कह सकते हैं। पर 'रसिक' और 'सहृदय' वा आलोचक का बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध है, बिना रसिक हुए, बिना रसने की बीरान्ध्रता को पार किए आलोचक होना कठिन ही नहीं प्य प्रकार से अभ्यर्ष है। अतः कृति की चाहिए बि रसिक को ही पर सशक्त याणी और परिकृत विवेचन-शक्ति मिल जाती है तब यह आलोचक हो जाता है। इस प्रकार साहित्यकार की सीमा के अन्तर्गत कवि या कर्ता तथा उसका समानधर्मा सहृदय वा आलोचक दोनों आपस में और दोनों की रचनाएँ साहित्य की श्रेणी में रानी जाएँगी।

उपर के विवेचन से स्पष्ट है कि कवि का कर्म और सहृदय वा आलोचक का कर्म दो भिन्न-भिन्न स्थितियाँ हैं। पर ऐसा होने हुए भी आलोचक में कवि के समान ही कुछ गुणों की अवस्थिति आवश्यक है, साहित्यकार और जिसमें यह उसका समानधर्मा हो सके, जिससे वह सहृदय—  
सहृदय कवि के समान हृदयमाला, हृदय भाव को समझना-  
वा भावु (मैं जानूँ-पीलिंग) कहला सके। आलोचक में भी कवि के समान ही कल्पना, अनुभूति आदि का होना आवश्यक है, जिससे वह कवि की परिस्थिति में पड़कर सहानुभूतिपूर्ण उसकी आलोचना कर सके। तात्पर्य यह कि कवि तथा सहृदय के कर्म भिन्न-भिन्न अवश्य है, पर आलोचक का कवि-सुलभ गुणों में युक्त होना भी अनिवार्य है, बिना इसके सफलता उससे विमुख ही रहेगी। कवि तथा आलोचक के उभयनिष्ठ वा समान गुण की अवस्थिति के कारण हमें कुछ साहित्यकार ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं जिनमें कवि-कर्म तथा सहृदय-कर्म दोनों-विद्यमान होते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ऐसे ही व्यक्ति थे। उनमें कारयित्री शक्ति

(क्रीएटिव पावर) के साथ ही भावयित्री वा आलोचनात्मक शक्ति (क्रिटिकल-साइजिंग पावर) भी थी। उन्होंने निबंध, कविता आदि की रचना तो की ही, आलोचनाएँ भी लिखीं। आलोचना के क्षेत्र में उन्हें विशेष सफलता मिली। इस क्षेत्र में सफलता-प्राप्ति के लिए उनमें अनेक गुणों की संस्थिति भी थी। आलोचना उपशात (ओरिजिनल) साहित्य, यथा काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि की भाँति मन की उमंग वा आलोचना और तरंगमयी दृष्टि (साइट) स्थिति (मूड) का परिणाम आचार्य शूक्र नहीं होती। आलोचक कवि की भाँति अपनी मन की तरंग में कभी नहीं लिखता। जो आलोचक ऐसा करता है उसकी आलोचना वास्तविक आलोचना की सीमा से बाहर की वस्तु करार दे दी गई है। प्रभावामिन्बन्धक आलोचक (इंप्रेसनिस्ट क्रिटिक) आज उतने आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता। आलोचना मन की गंभीर (थाटफुल) स्थिति का परिणाम है, जिसमें बुद्धि के साथ हृदय भी लगा चलता है, पर विषय (आलोच्य) का विवेचन सपेक्ष होने के कारण आगे-आगे बुद्धि ही चलती है, वहीं नेत्रो होती है। अतः आलोचना बुद्धि-पक्ष-प्रधान कर्म है। आलोचना में इस बुद्धि-पक्ष की प्रधानता कुछ तो आलोचक के जन्मगत स्वभाव से संबंध रखती है, पर अधिकतर उसकी अध्ययनशीलता से ही संबद्ध होती है। बिना अध्ययन वा मनन के विवेचन का गंभीर्य संभव नहीं। तार्क्य यह कि आलोचना के लिए गंभीर्य, बुद्धि-पक्ष की प्रधानता तथा अध्ययनशीलता की परमावश्यकता है। 'उपक्रम' में आचार्य शूक्र के व्यक्तित्व आदि पर विचार करते हुए उनमें हम इन गुणों की संस्थिति देख चुके हैं। वस्तुतः इन्हीं गुणों के कारण वे हिंदी के इतने बड़े आलोचक हो सके। उन्होंने अपनी विवेचन-शक्ति द्वारा हिंदी की आलोचना को न्यून और सुव्यवस्थित पथ पर पहले-पहल लगाया। इस प्रकार वे हिंदी की सच्ची आलोचना के प्रथम प्रति-पक्षक कहे जा सकते हैं। आलोचना के क्षेत्र में आचार्य शूक्र का कितना बड़ा महत्व है, यह उनके पूर्व की आलोचनागत परिस्थिति देखने में विदित होगा।

प्राचीन भारतीय साहित्य में भी आलोचना का रूप मिलता है, पर उनमें

उगता रूप कुछ दूर ही दृग न था, जाउकए का ग न था । प्रचलन अलोचन  
 विषयों वरि पर जनों विचार सुन रूप म, एताउगीर म नल  
 भारतीय साहित्य उर ठते थ । मूत्र रूप म कविता विरोधाभे क पण्यन डाए  
 म आलोचना उद्विष्ट वरि र विषय म अच्छा मान प्राप्त रिया जा सकता  
 था । लक्षण प्रथम म भी कुछ कुछ अलोचना मिश्री है,  
 एता एन आचार्य दूसरे आचार्य द्वारा निर्मित लक्षण ना उद्वृत्त उद्वरण  
 का स्वभाव भटा कस्तु था । इस प्रकार की आलोचनाओं के प्रयोगों में  
 आलोचन न पाठकों का पूरा पारस्पर अन्वय मिश्रा है, पर अलोचना का  
 जो स्वरूप आज विभारित रिया गया है उसकी सीमा म बढ नया जा पता ।  
 इस प्रकार की आलोचनाओं का हम चाहना 'पंडित मैत्री' की आलोचना  
 कद सक्त है । यह तो व्यापारिक आलोचना ( आंग्ल रिटिजिज्म ) का  
 पता हूद, जिसका अच्छा स्वरूप यहाँ उद्विष्ट नया होता । पर भारत म  
 सैद्धांतिक समालोचना ( प्यार रिटिजिज्म ) का स्वरूप बटा ही रिक्त नया  
 है । इस क्षेत्र म उसका बडा महत्व है, जिसका मान आज भी होता है ।  
 भारतीय ग्य, अज्ञान, धर्म, अज्ञान आदि के बाद सैद्धांतिक आलोचन  
 न ही अतगत जात है । आज की योरोपीय सैद्धांतिक आलोचना घूम किन्कर  
 भारतीय सैद्धांतिक आलोचनाओं के निर्णय पर ही पहुँच रही है ।

हमारे यहाँ जो आलोचना आचरन दिग्गद पटनी है उसने म्यून स्वरूप  
 का आरभ हिंदी म आज मे लगभग ५०-६० वर्ष पूर हुआ था । इस क्षेत्र  
 म भी, जय श्रेया की भौति, जैंगेजी का प्रभाव पटा ।  
 हिन्दी म आलोचना श्री गंगाप्रसाद जग्निहोत्री न जग्नी 'समालोचना' (स०  
 १०५३) नाम्नी पुस्तिका म एक स्थान पर लिखा है—“हमारे  
 देश म यह ( समालोचना ) प्राचीन समय में जैसी धाहित मैत्री न थी—पौर जना  
 चान काल में ता एतप्राय हो गई थी पर अभी दस पट्टा यों म हा जैंगेजी  
 प्रय कताओं के परिचय में जेना बही बहा इसका आरभ हा चला है ।”

हिंदी म 'गच्ची समालोचना' के आरभकता श्री बदरीनाथण जीवरि  
 'प्रेमजन' तथा श्री वाट्टण भट्ट है । इन लोगो मे स० १९६२ ६३ में इसका  
 आरभ पुस्तकालोचन के रूप में अपनी अपनी पत्रिकाओं—'आनंद काटिनी'



और 'हिंदी-प्रदीप'—में किया था । 'प्रेमचन्द' जी ने श्री गदाधर सिंह द्वारा अनूदित पुस्तक 'बंगविजयता' की आलोचना सं० १९४२ में की थी और भद्र जी तथा 'प्रेमचन्द' जी ने छाछ श्रीनिवासदास के 'संयोगता-स्वयंवर' की आलोचना अपनी-अपनी पत्रिकाओं में सं० १९४३ में । इन आलोचनाओं में यद्यपि आलोचकों की दृष्टि गुण-दोष-दर्शन मात्र पर ही है तथापि कहीं-कहीं विवेचन की ओर भी वे लोग उन्मुख हुए हैं । वस्तुतः आलोचना के लिए जिन विशेषताओं की आवश्यकता उस समय समझी जाती थी वे इनमें अवश्य थीं । आजकल मासिक पत्रिकाओं में पुस्तकों की जो आलोचनाएँ— प्रायः गुण-दोष-दर्शनवाली-दिखाई पड़ती हैं, उक्त जनों की आलोचनाएँ भी कुछ-कुछ इसी प्रकार की थीं । आजकल की आलोचनाओं में कुछ लाजव ( चुस्ती ) होता है, उनमें कुछ विस्तार वा ढीलापन था ।

आलोचना के प्रारंभकर्ताओं ने तो इस क्षेत्र में कुछ ठीक-ठिकाने का कार्य किया । पर आगे चलकर अग्निहोत्री जी की उक्त पुस्तिका तथा 'सरस्वती' में इस विषय में जो बातें लिखी प्राप्त होती हैं उनसे ज्ञात होता है कि इधर आकर आलोचना खिलवाड़ वा व्यवसाय के साधन की वस्तु समझी जाने लगी थी, और अब लोग आलोचना या तो किसी लेखक के प्रति रागवश करते थे या द्वेषवश । अग्निहोत्री जी लिखते हैं—“आजकल तो समालोचकगणों के सामान्यतः उद्देश्य द्वेषप्युक्ति और मत्सर के, वा यों ही विनोदार्थ प्रशंशकर्ताओं का उपहास और उनकी फजीती करना है । यदि वह न रहा तो यह तो अवश्य ही रहता है कि हमारा नाम लोगों को विदित हो और उसी के साथ हमारी विद्वत्ता भी उन्हें प्रदर्शित हो ।”—( समालोचना, पृ० २८ ) । 'सच्ची समालोचना' के दश वर्ष पश्चात् की आलोचना का यह स्वरूप है । 'सरस्वती' ( भाग १, संख्या ९ ) में 'हम्मीर-हट' की आलोचना करते हुए मिश्रबंधु ( श्री श्याम-विहारी मिश्र तथा श्री शुक्रदेवविहारी मिश्र ) लिखते हैं—“बहुधा हमारे यहाँ के समालोचक महाशय कागज व छापे की प्रशंसा, तथा मूल्य पर अपनी अनुमति प्रकाश करके पुस्तक के साहित्य-संबंधी गुण-दोषों के विषय में या तो एकदम मौन ही धारण कर बैठते हैं, या यदि बड़ा ही साहस किया तो दो-एक अत्यंत प्रगट विषयों पर प्रायः प्रशंसा करके अपने को कृतकार्य मान लेते

ह, और राम ( विशेषकर यदि कुटुंबी प्राचीन ग्रंथ हुआ ) किंगो प्रकार बुद्धि विमला को पाप ही समझते हैं।" 'सम्प्रती' की सत्प्राजा मंगल १००-१०१ के लक्ष्यम तक आलोचना के साथ में विन्ती पल १, उम प्राय इत प्रकार की जयमि है। इन उदाहरणा के देने से मेरा तापर्य यही है कि हिंदा में आलोचना अपने आरम्भ रूप में केंद्र गुण दोष-दर्शन के रूप में लायी की आगे चलकर उमम अथ अनेक छोटी बातें भी था गर बी, विन्ती कुटु कुट परिचय उपर्युक्त उदाहरणा द्वारा प्रकृत हो जाता है। इससे यह न समझना चाहिए कि 'प्रैमना' की तथा भट्ट जी न समान आलोचनाएँ नहीं होती थी, फेनी थी, पर उनकी कथा बहुत दाबम थी, और ऐंग आलोचक अपवाद स्वस्थ थे। श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी की आलोचनाएँ भी इसी समान निराला रती थी, चाहे गुण दोष का हा नमा उनमें रता रहा हो, पर इस प्रकार का आलोचनाओं का जोड़ा वे बहुत हा व्यभिक्त था।

यथा एक बात और कहना है अथ नर जो आलोचनाएँ होती था, व प्राय किसी पुस्तक की ही लेखर, आर वे आलोचनाएँ पत्रिकाओं में उनके सभा का द्वारा ही की जाती थी, अथ व्यक्ति प्राय बहुत ही कम आलोचना करते थे, या करते ही नहीं थे। इस प्रकार की आलोचनाएँ पत्रिकाओं में ही निराली पडी रहती थी, पुस्तक रूप में व्यवस्थित रूप धारण कर अथ वे तब तक नहीं जाद थी।

हिंदी में पुस्तक रूप में आलोचना के आगमन का ध्यानगत द्विवेदी जी का 'हिंदी साहित्य की समालोचना' से होता है, जो मून् १००१ (स० १०५८) में प्रकाशित हुई थी, और जिसमें "लीला सोतागम नो ए के कुमाग्रमम, कटसहार, मेरदूत और खुश भाया नियमन विचार" थे। इसकी 'नभिसा' में द्विवेदी जी ने लिखा था—“जहाँ तक हम जानते हैं, हिंदी में आज तक एक भी इस प्रकार की साध्यालोचना पुस्तकान्तर नहीं निराली। यह पहली ही है।” 'सम्प्रती' (भाग ०, सख्या १०) में इस पुस्तक के विषय में लिखते हुए श्री गणप्रसाद अग्निहोत्री ने लिखा था—“हिंदी में द्विवेदी जी की उक्त वृत्ति का नाम मुनकर नेत्रल हिंदी वा सस्कृत के विद्वान् मात्र ही नहीं किंतु उपर्युक्त लोका के निम्नभेगिन्य विद्वान् लोग भी आश्वयर्चनन हगे,

इसमें अगुमान भी संदेह नहीं है। क्योंकि हिंदी में पुस्तकाकार समालोचनाओं का प्रकाशित होना आज दिन लों अभूतपूर्व है।”

द्विवेदी जी की आलोचनाओं को देखने से दो बातें लक्षित होती हैं। एक तो यह कि उनमें प्रायः गुण-दोष-दर्शन ही है; किसी-किसी में तो केवल गुण ही गुण और किसी-किसी में केवल दोष ही दोष का उल्लेख वा निर्देश मिलता है। दूसरी यह कि समालोचना नाम से प्रसिद्ध उनकी कुछ कृतियों का लक्ष्य केवल संस्कृत की रचनाओं का परिचय हिंदीवालों को देना है। ऐसी कृतियाँ मन्चे अर्थ में समालोचनाएँ कैसे कही जा सकती हैं।

द्विवेदी जी के पश्चात् श्री मिश्रचंद्र, श्री पद्मसिंह शर्मा आदि की आलोचनाएँ संमुख आईं। इन लोगों ने समालोच्य कवियों की विशेषताओं पर दृष्टि अचरय रखी, पर कुछ-कुछ पक्षपात की प्रवृत्ति के कारण इनके द्वारा दोष-दोष वा गुण-गुण का ही दर्शन हो सका। कवियों को छोटा-बड़ा प्रमाणित करनेवाली इनकी आलोचनाएँ शुद्ध समालोचना की श्रेणी में संभवतः नहीं रखा जायेंगी। इन लोगों की अपेक्षा इन्हीं लोगों की शैली पर लिखी गई श्री श्रीकृष्णविहारी मिश्र की आलोचना कवियों की विशेषताओं की परिचायिका तथा मार्मिक है। विवेचन की भाँ इनकी प्रवृत्ति कुछ प्रतीत होती है।

सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में श्यामसुंदरदास सर्वप्रथम अग्रसर हुए और उन्होंने विशेषतः पाश्चात्य साहित्य-सिद्धांतों की दृष्टि में रखकर 'साहित्य-आलोचन' प्रस्तुत किया—लगभग सन् १९२०-२१ में।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अब तक आलोचना का प्रवाह अपने मूल स्थान से कुछ आगे अवश्य बढ़ गया था। गुण-दोष-निर्दर्शन से कुछ बढ़कर कवियों की विशेषताओं के निरूपण की प्रवृत्ति का आभास अवश्य मिलने लगा था। पर ऐसी आलोचनाओं की संख्या अँगुलियों पर गिनने योग्य ही थी। ऐसे एक ही दो आलोचक दिखाई पड़ते थे। अभी तक उस विवेचनात्मक वा विश्लेषणात्मक आलोचना का सच्चा स्वरूप नहीं दिखाई पड़ रहा था जिनमें समालोच्य कवि वा साहित्यकार की कृतियों की विशेषताओं का निरूपण उसके देश-काल की परिस्थिति को संमुख रखकर सहानुभूतिपूर्वक किया जाता है,

किन्तु मात्र यदि उदात्तता नष्ट कराय दिया जाता, किन्तु आगेचन आगेचन यदि नि आलोचना उसी के विचारों आदि का दृष्टि में रखकर करना है। किसी म उद्युक्त प्रकार की विरचनामय आगेचना का आरम्भ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने किया। उनकी नुस्खी, सुर और जायका की आगेचन आगेचन आगेचन के इस रूप के दर्शन हम मिलेंगे।

आचार्य शुक्ल के ऐतिहासिक महान को और स्पष्ट करने के लिए एक पुस्तक और रहनी है। आज की शिष्ट आलोचना में किसी विभाग में प्रतिमान (स्टैंडर्ड) द्वारा किसी कवि या साहित्यकार को तौटना आचार्य शुक्ल का या नामना जमाया है। आज माना यह जाता है कि किसी ऐतिहासिक महान कवि की कृति ही उसकी आलोचना का प्रतिमान है, कवि के विचार, उसकी परिस्थिति को ही दृष्टि पथ म रखकर आलोचना होनी चाहिए। बात तो ठीक है, पर कोई आलोचक किसी कवि या कृति पर विचार करते हुए अपनी रुचि (टेस्ट या इस्टेस्ट) से प्रथक् नती रत करना, उसकी आलोचना में उसकी रुचि का सहित। यदि प्रयत्न नहीं तो पराजित रंगा हा, ऐसा रुचि जो उसके मन में पुर्ण मिले होती है। आलोचना का आलोचना में उसकी रुचि जलम नहीं की जा सकती\*। आलोचना की आलोचना में तदर्थ रुचि (डिस्टिन्क्टेड इन्स्ट) रखने का परामर्श देने वाले भी उसकी स्वकीय रुचि का निदान करने ही है। इसी रुचि को लेकर समथ और शिष्ट रुचिवाला आलोचक अपने लिए आलोचना के कुछ सिद्धांत निर्धारित करता है और उसके वे सिद्धांत उसकी आगेचना के आधार होते हैं। इसी कारण सभी ने आलोचक साहित्य का काय के भीमासक भी होते हैं। वे साहित्य सिद्धांत और आगेचना दोनों प्रस्तुत करते हैं। आचार्य शुक्ल इसी श्रेणी के आगेचन थे। उन्होंने आगेचना तो की ही, साथ ही साथ या साहित्य के सिद्धांत भी निर्धारित

\* None the less, criticism, often precedes taste, and often follows it in such close neighbourhood that we often do not know which is which—E E Kellott's *Fashion in Literature*

रित किये, जिनका विचार यथास्थान होना। उनके कुछ अपने काव्य-सिद्धांत हैं, जिनके आधार पर उनको आलोचनाएँ लड़ी हैं। शुक्र जी हिंदी के पहले आलोचक हैं, जिन्होंने काव्य-सिद्धांत भी स्थिर किये और आलोचनाएँ भी प्रस्तुत कीं। इनके पहले कोई ऐसा आलोचक नहीं दिखाई पड़ता। इनके पूर्व जितने आलोचक हुए थे उनकी आलोचना का आधार निजी नहीं था, वे प्रायः संस्कृत के लक्षण-ग्रंथों में निर्धारित साहित्य-सिद्धांतों को दृष्टि-पथ में रखकर आलोचनाएँ प्रस्तुत करते थे। वे प्राचीन सिद्धांतों के प्रस्थान से चलकर लक्ष्य तक पहुँचना चाहते थे। आचार्य शुक्र ने अपना प्रस्थान स्थापित किया और उसके अनुसार लक्ष्य की ओर चले। इस विवेचन का तात्पर्य यही है कि आलोचना-क्षेत्र में शुक्रजी का ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व है।

ऊपर हमने देखा है कि श्रेष्ठ आलोचक साहित्य-मीमांसक भी होता है, वह कुछ साहित्यिक-सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है, जिनमें उसकी मूचि प्रधान रूप से काम करती है। हम ने यह भी देखा है कि आलोचक के सिद्धांत उसकी आलोचना के आधार होते हैं, वे ही उसकी दृष्टियाँ होती हैं, जिनसे वह आलोच्य पर विचार करता है। ऐसी स्थिति में आचार्य शुक्र के साहित्य-सिद्धांतों के दर्शन करने के पदचातु उनकी आलोचना के विषय में और कुछ कहना सुविधाजनक प्रतीत होता है।

प्रकृति वा ईश्वर द्वारा मानव को वरदान-स्वरूप जो अनेक वस्तुएँ मिलीं उनमें वाणी को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, जिसके द्वारा वह अपने हृदय और बुद्धिगत भावों और विचारों को एक दूसरे पर साहित्य-वाङ्मय तथा अनादि काल से प्रकट करता आ रहा है। वाङ्मय वा विशुद्ध साहित्य साहित्य इसी वाणी का—इसके साथ यदि 'विशिष्ट' वा 'असामान्य' विशेषण लगा लिया जाय तो और अच्छा हो—कंटानुकंट और लिखित रूप में संबन्ध है।

आजकल 'साहित्य' शब्द प्रधानतः दो अर्थों में चलता है। वह 'वाङ्मय' के पर्याय के रूप में भी प्रचलित है, जिसके अंतर्गत रचनात्मक और विवेचनात्मक सभी विशाएँ वा शास्त्र आ जाते हैं। इसका अर्थ 'शुद्ध साहित्य' भी लिया

जाता है, जिसकी सामा के भास काय, नाटक, कथा, विनय, आगेचना आदि आते हैं।

जानाब गुप्त यद्यपि 'गुप्त साहित्य' शब्द के व्यक्तित्व से उपाधि उद्घाटन 'साहित्य' से 'वाङ्मय' (शास्त्र) तथा 'गुप्त साहित्य' शब्दों का अर्थ ग्रहण किया है। प्रतीत ऐसा शब्द है कि पद्य व 'साहित्य' से 'गुप्त साहित्य' का ही अर्थ लिये व, पर वाट म उभे 'वाङ्मय' का पयाय माना गया। उन्होंने अपने 'साहित्य' ('सरस्वती', सा १००८) नामक विनय में विद्या (शास्त्र) तथा साहित्य का भेद प्रकृत किया है, और अत्र 'साहित्य' (वाङ्मय) के अर्थ अथ का सीमा से अलगत 'विज्ञान' भा जा सकता है। अर्थात्—'साहित्य वह वि विज्ञान 'पद्या' वा 'तत्त्व' का बोध है और साहित्य 'कल्पना' और 'विचार' का, विज्ञान प्रकृत 'व्याप' है और साहित्य का स्थान विज्ञान एवं व्यक्तित्व में। विज्ञान तथा जो सचेत की भाँति नाम से जाना है, किन्तु साहित्य में 'पद्या' का अर्थ से प्रामाण्य प्रयोग है और अकार, सुदर्शन, सत्य रचना, मातृता और मरगत तथा अज्ञान तथा अज्ञान अन्तर्गत है। साहित्य विन विज्ञान लोग का भिन्न भिन्न प्रकार से भाषा को नाम से जाना है।" इस उद्घाटन में ली जायत होता है कि यहाँ 'साहित्य' से उनका अर्थ 'गुप्त साहित्य' से है। आगे चल कर व 'साहित्य' से 'वाङ्मय' का भी अर्थ लेते हैं। इदानीं भाषण के आरम्भ से कहते हैं—'साहित्य के अन्तगत वह सादा वाङ्मय लिखा जा सकता है विन अर्थ बोध के अतिरिक्त भाषा-मेष तथा चमत्कारपूर्ण अनुकूल ही तथा विन एव वाङ्मय की विचारमय समीक्षा का आधार है।' इस उद्घाटन का 'जाँचोच' शब्द विशेष महत्त्व का है। इसके आगे उद्योग 'साहित्य' में गुप्त जी कहते हैं—'अर्थ से मेरा अभिप्राय कल्पना विन से है। अथ चार प्रकार के होते हैं—प्रथम, अनुमित, आभासपूर्ण और अर्थहीन।' इसमें अनुमित तथा आभासपूर्ण अर्थ का क्षेत्र दर्शन विज्ञान तथा इतिहास है, अर्थात् अर्थ का बोध जाय है। 'साहित्य' (या गुप्त साहित्य) के अन्तगत दर्शन विज्ञान तथा इतिहास नहीं आते, व 'वाङ्मय' के अन्तगत है। इन प्रकार हम देखते हैं कि उपर से 'साहित्य' से 'वाङ्मय' का पयाय मानते व।

पर 'साहित्य' का 'वाङ्मय' का पयाय मानने का भी उनका सोच न-शर्त उद्देश्य।

हैं। वे 'वाङ्मय' के अन्तर्गत आनेवाले विषय को भी विशेष परिस्थिति में 'शुद्ध साहित्य' के भीतर ले लेते हैं। ऐसा करना उचित भी है, अन्यथा साहित्य तथा अन्य शास्त्रों का पारस्परिक संबंध ही व्यर्थ हो जायगा। वे कहते हैं—“पर भाव या चमत्कारसम्बन्धित होकर ये दोनों (प्रत्यक्ष, अनुभूत, आत्मोपलब्ध) प्रकार के अर्थ काव्य के आधार हो सकते हैं और होने हैं।”—( इंदौरवाला भाषण, पृ० ३ )। अभिप्राय यह कि दर्शन, विज्ञान, इतिहास आदि भी साहित्य (काव्य) के अंतर्गत आ सकते हैं, यदि उनकी अभिव्यक्ति इस प्रकार हो कि वे भावोन्मेष करें, तथा चमत्कार वा अनुरंजनयुक्त हों। यदि दर्शन, विज्ञान आदि केवल अर्थ-बोध कराएँगे, केवल जानकारी कराएँगे, जैसा कि वे करते हैं, तो वे साहित्य के अंतर्गत न आ सकेंगे। आचार्य शुद्ध कहते हैं—“अर्थ-बोध कराना मात्र, किसी बात की जानकारी कराना मात्र, जिस कथन वा प्रबंध का उद्देश्य होगा वह साहित्य के भीतर न आएगा, और चाहे जहाँ जाय।”—( इंदौरवाला भाषण, पृ० ३ )।

'वाङ्मय' तथा 'साहित्य' पर किये गये विचार द्वारा साहित्य के स्वरूप का भी कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। आचार्य शुद्ध ने साहित्य की परिभाषा वही ही रूप और सीधे शब्दों में की है। वे कहते हैं—  
 साहित्य का स्वरूप “‘विचार’ और ‘कल्पना’ भाषा द्वारा प्रकट किये जाते हैं। वही साहित्य है। पदार्थ साहित्य नहीं, पदार्थों का शब्द-रूपी संकेत भी साहित्य नहीं और केवल शब्द भी साहित्य नहीं—‘विचार’ का नाम साहित्य है। ये विचार भाषा द्वारा प्रकट किये जाते हैं।... और ‘विचारों’ से तात्पर्य कल्पना, अनुभव, विवेचना तथा अन्यान्य मन की क्रियाओं से है।”—( साहित्य, ‘उत्पत्ति’ छत्र १९०४ )। वस्तुतः साहित्य जगत्-स्थित मानव के हृदय तथा बुद्धि से संबद्ध आलंबन और विषय की साहित्यकार द्वारा अभिव्यंजना ही है। साहित्यकार इस अनेक रूपात्मक जगत् में रहकर, इसकी बातों को अपने मातृर ले जाकर, पुनः उन्हें वाह्य प्रकाशित करता है, वाणी द्वारा। वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं अभिव्यक्ति साहित्य की संज्ञा धारण करती है। इस प्रकार आचार्य शुद्ध साहित्य को ‘कल्पना’ और ‘विचार’ की वाणीयत अभिव्यक्ति मानते हैं। अथ बात नहीं

यह कि वह रागा या भावा किस प्रकार की हो। इस पर 'व्यक्त्या' विचार होगा। इस युग का निष्ठ जैसा-जैसा समालोचन उपभोग्य भी साहित्य का 'विशुद्ध अनुभव' (धोर एकमात्रिणम्) को 'वर्णित अभिव्यक्ति' मानता है।

साहित्य के स्थिति परिवर्तन से पश्चात् 'म' भी देख लेना चाहिए कि विधान-पर्याय की दृष्टि से कितने प्रकार की रचनाएँ इससे अंतर्गत जाती हैं। इसी प्रकार भाषण में साहित्य पर विचार करने से पश्चात् आचार्य शुक्ल ने रचना-शैली की दृष्टि से अनेक-अनेक (साहित्य के) भीतर वाच, नाटक, उपासना, गणकाव्य और निबन्ध को रखा है। निबन्ध के ही भावर उद्देश्य साहित्योत्थान भी ले लिया है। उपर्युक्त क्रम से अनुसार ही हम उन विषयों पर आचार्य शुक्ल के मन की विवेचना करेंगे। अत्यंत ही हमारा प्रिय विषय काय आता है।

आचार्य शुक्ल ने काव्य सिद्धांत पर विचार करने से पूर्व उन विचारों का भी उल्लेख करना आवश्यक और सुविधानजनक है। आचार्य शुक्ल के काव्य सिद्धांतों के आधार

हंसा जिनके आधार पर ये काव्य सिद्धांत स्थित हैं। 'उपक्रम' में कहा कही उक्त (विचारों का) उल्लेख भी युक्त है।

आचार्य शुक्ल के सभी काव्य-सम्बन्धी सिद्धांतों का विचार के मूल में यह जनक-पामर-गोचर-जगत तथा जीवन निहित है, वे जगत को जगत् और जीवन में परे का दृष्ट का प्रत्यक्ष ही मानते। उनके विचारानुसार काव्य में दृष्टि के अंतर्गत घटित घटनाओं तथा स्थित-प्रत्यक्ष का चित्रण होता है। जगत् से आचार्य शुक्ल का तात्पर्य उसकी 'वैय' उन्नी शीमा में नहीं है, जिसके अंतर्गत आज मानव-संसार सम्य-व्यक्त विशेष रूप से दृष्ट-भूत किता करते हैं, प्रत्यक्ष उसकी परिमित में यह भाग भी जाता है जो आज मानव द्वारा विन्दा अंश में लय है। यह भाग है प्रकृति। 'उपक्रम' में हम आचार्य

\* So literature is the expression of pure experience which is common cable in language and which can be satisfactory simply because it has been communicated

—Lascelles Abercrombie M. A.'s Principles of Literary Criticism



शुद्ध के प्रकृति-भ्रम पर विचार कर चुके हैं। आचार्य शुद्ध के काव्य-सिद्धांत-चेतन को लेकर तो स्थिर किये ही गये हैं, साथ ही जड़ प्रकृति—कुल दार्शनिकों ने प्रकृति को चेतन भी कहा है—को भी लेकर। जगत् (या प्रकृति) के अंतर्गत वह शून्य लोक भी आता है जहाँ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, भेष आदि संस्थित हैं। आचार्य शुद्ध ने रहस्यवाद वा रहस्यभाषना पर विचार करते हुए इस शून्यलोक का ही विशेष आधार लिया है।

काव्य का मुख्य लक्ष्य उच्च-नीच सभी वर्गों के मनुष्यों को आनंद की अनुभूति कराना होता है, इस दृष्टि से तो काव्य में उच्च वा नीच वर्ग का प्रश्न ही नहीं उठता। पर आचार्य शुद्ध ने काव्य-संबंधी सिद्धांतों की दृष्टि से जिस वर्गगत जीवन वा मनुष्य पर ध्यान रखा है वह मध्यम वा निम्न वर्ग का जीवन है, क्योंकि साधारण वा सामान्य जीवन इसी वर्ग का होता है, और इसी जीवन की अनुभूति अत्यधिक मानवों को रखती है।

तत्पर्य यह कि आचार्य शुद्ध के काव्य-सिद्धांत वा विचार जगत् और जीवन के आधार पर स्थित हैं। सिद्धांत का आधारभूत जीवन सामान्य वा साधारण है, और जगत् चर-अचर वा जड़-चेतनमय।

आचार्य शुद्ध हृदय-स्थित कोमल तथा परुष दोनों भावों की कार्यकता के समर्थक हैं, वे इन दोनों प्रकार के भावों की उपबोधिता मानते हैं। इसलिए वे काव्य में इन दोनों के चित्रण पर जोर देते हैं। केवल कोमल भावों की ही व्यंजना को, जो प्रायः दृष्टिगत होती है, वे अच्छा नहीं समझते, उनके विचारानुसार कोमल के साथ ही परुष भावों की व्यंजना भी होनी चाहिए। काव्य में कोमल तथा परुष दोनों भावों की स्थिति की आवश्यकता पर दृष्टि रखकर ही वे इस क्षेत्र में 'सामंजस्यवाद' के समर्थक हैं।

इसी संबन्ध में एक बात और कहना है। वह यह कि आचार्य शुद्ध काव्य में चमत्कारवाद के पक्षपाती नहीं थे। वे सीधी-सादी वस्तु वा भाव-व्यंजना के ही सदैव समर्थक रहे। काव्य में असाधारण नहीं, साधारण ही विशेष रूप से अपेक्षणीय है, क्योंकि साधारण से ही असाधारण की स्थिति है। आचार्य शुद्ध इसी मत के अनुयायी थे। इसी विचार के कारण उन्होंने चमत्कार-वादियों को सर्वत्र निम्न कोटि में रखा है।

कदा रवि तथा उरुकी कृति काव्य म जन्वायाभित सरध है, दोनो एक  
 लगे म जाग नहा दिने जा सरन । अत आचाय एउ ने काव्य पर विचार  
 करत हुए रवि के गुण तथा कर्म का भी निर्देश यत्नतन  
 रवि का म्य भिना है । रवि सामान्य मानव-समान के कुछ कृपर उठा  
 हुना विशेष प्राणी हाता है । 'विशेष प्राणी' इस दृष्टि से  
 रि उमर हृदयगत धम सामान्य म ऊँच होते हैं । सभी मनुष्य के पाल  
 हत्य होत है तथा मनुष्य के दायत भाव तथावसर जन्मा-जन्मा  
 तय समूह, यम, मनुष्य म अनुभूति होती है, पर कवि के हत्य के  
 मय जन्मा की जेरा, जन्मा काव कुल सीसतपुत्रिक सपत्ति रगत है ।  
 रवि का अनुभूति भी जन्मा की जेरा कीर होता है । तावय व रि इत  
 काव्य आर अनुभूतिय का लंर हा कवि जय मनरा से विशिष्ट गिना का  
 रगत, जाता - । ए अधिक या विशेष भावुक का अनुभूतिगोल हाता है ।  
 आचाय गु ने रवि क लिए दहा गुणों का होना विशेष ल्य से माता है । वे  
 रगत है— 'मातुस्ता ही कवि की प्रभात निरुति है ।'—( इतिहास, पृ० ३६५ )  
 काव्य ग्यत्र पर भी उहीने रवि ने इसी गुण का होना कहा है—“रवि का  
 मृत् गुण मातुस्ता जभाव अनुभूति की तीस्ता है ।”—( काव्य म  
 रत्नसार, पृ० ७\* )

मातुक्ता और अनुभूति हृदय के श्रेष्ठ व्यापार है इनके साथ ही कवि के  
 लय और गुण का होना आचाय गुण न भावसर माना है, व है कर्ता ।  
 कर्ता का साथ हृदय तथा बुद्धि दोनों से है । व दृश्य की प्रेरणा ए ता  
 कर्ता है, पर सुवाक गति उमे बुद्धि से सिधनी है । कर्ता रवि का विशेष  
 महाविदा होता है, की उरुकी अनुभूति वा मातुक्ता से उदनीच नुमि पर  
 के कर्ता है, किम कवि जयन कर्म की वृत्ति से रगत होता है । कर्ता,  
 अनुभूति वा मातुक्ता से कर्ता होने हुए भी कवि गुँगा मा ग्येय यदि वह  
 इनके द्वारा प्रस्तुत कर्तु वा भाव की व्यक्त करने के लिए मया म 'वाभिज  
 गेय' । इमरण कवि की भाषा की भी साव्यकता होती है । अन्वय 'शुक्ल'  
 ने कहा है—“अत हम कह सकते हैं कि कल्पना और मातुक्ता कवि के लिए  
 दोनो अविनायक है । मातुक्ता पर कल्पनाएन और भाषा पर अविनायक मने

वाला होता है तभी कवि होता है"—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० ७९)।

उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि कवि में असामान्य वा विशिष्ट हृदय की स्थिति होती है, जिसके कारण उसकी भावुकता वा अनुभूति में तीव्रता आ जाती है। साथ ही वह कल्पनाशील भी होता है। इन गुणों के कारण कवि में दो विशेषताएँ आती हैं, भावुकता वा अनुभूति की तीव्रता होने से वह इसके आलंघन वा विषय की शीघ्रता से ग्रहण करता है और साथ ही कल्पना द्वारा भाव की गहरी या हल्की अनुभूतियों में अपने को तुरन्त ही पहुँचा देता है। इस प्रकार वह अन्य की परिस्थितियों में अपने को शीघ्र ही डाल पाता है, अन्य के सुख-दुःख का अनुभव स्वयं कर पाता है; उसका हृदय वा अंतःकरण विशाल हो जाता है। आचार्य शुक्ल ऐसे ही विशाल अंतःकरणमन्त्र को प्रकृत कवि कहते हैं—“प्राप्त प्रसंग के गोचर-अगोचर सब पक्षों तक जिसकी दृष्टि पहुँचती है, किसी परिस्थिति में अपने को डालकर उसके अंग-प्रत्यंग का साक्षात्कार जिसका विशाल अंतःकरण कर सकता है, वही प्रकृत कवि है।”—(गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १७२-७३)। कवि के संबंध में ऐसी ही बात उन्होंने प्रायः सभी स्थलों पर कही है—“कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानव-स्थिति में अपने को डालकर उसके अनुभव भावका अनुभव करे।”—(वही, पृ० ९३)।

हृदय की इस विशालता वा व्यापकता से कवि में लोक सामान्य हृदय के योग्य आलंघन निर्णीत करने की शक्ति भी आ जानी चाहिए, उसे इस बात का शान हो जाना चाहिए कि कौन-सा आलंघन ऐसा होगा जिसके प्रस्तुत करने में सभी का हृदय उसमें लीन हो सकेगा। इस प्रकार के आलंघन के चुनाव की क्षमता रखनेवाले को आचार्य शुक्ल सच्चा कवि कहते हैं, क्योंकि रस-दशा इसी पथ पर चलकर प्राप्त हो सकती है जो काव्य का परम लक्ष्य है। वे कहते हैं—  
 “सच्चा कवि वही है जिसे लोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य-जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक-हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रसदशा है।”—(विवामणि, पृ० ३०८-९)।

आचार्य शुक्ल का दृष्टि में प्रकृति का क्या स्थान है? हम दण्ड मुकुं  
 हैं। व कवि के लिये प्रकृति का निरीक्षण आवश्यक बनता है—'प्रकृति  
 के नाना रूपा जो दम्बने के लिये कवि की जाँचें खुली रहनी चाहिए', 'उसका  
 सन्दु सर्वांत सुनने के लिये मान खुले रहने चाहिए', और 'सबका प्रभाव  
 ग्रहण करने के लिये उसका हृत्प खुला रहना चाहिए'—(गोपबन्धी  
 तुलसीदास, पृ ११४)।

कविता का सार प्रकृतियों हृदय का व्यापार है, उस हृदय का जो  
 मानव-रूप बना है, प्रस्तुत भाव का सम्बन्ध है। इसी से आचार्य शुक्ल ने  
 कहा है—'कविता बड़ा निम्नमे चित्त शिखा जायेगा म लीन  
 कान्त तथा भाव हो जाय'—(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग १६, मध्या १०  
 पृ० ११०)। चित्त की प्रयोग में लीन करने के लिये  
 कविता में अन्तः प्रान्त जाना चाहिए, जिसका विवेचन बर्ण्य अभीष्ट रहा, हमारा  
 लक्ष्य इस उद्धरणगत 'जायग' शब्द से निराण है। यहाँ 'जायग' से तात्पर्य  
 भाव या हृदय के जाँच से है। रहने का अभिप्राय यह कि कविता का मुख्य  
 सार भाग से है।

भाव या मनाविनाम हृत्प में प्रसना के रूप में प्रसुत रहत है, उनका  
 उत्प्रेरण निम्न निम्न परिस्थितिरण होता है अर्थात् भावों का जगना परि  
 स्थिति सौकर्य है। मानव हृदयगत भावों को जगने के लिये  
 कार्य तथा आलयन परिस्थिति की प्राप्ति एकाल में—जहाँ कुछ न हो—नहीं हो  
 सकती। ऐसी परिस्थिति या ऐमा क्षणर तभी आ सकता है जब  
 मानव सिन्दी जट और चेतन वस्तुजो के सपर म रहे, क्योंकि भावों के दूध मुख  
 और दु ग्व, जो इन्ह (भावों को) अनेक रूपों में परिणत करते हैं, जट और चेतन  
 परिस्थिति में ही मिल सकते हैं, और, जट और चेतन की उपर्य प-इय शब्द  
 प्रकृति में होता है, जिनके ही भीतर जीवों भी चलता है। इस प्रकार अज्ञान पर  
 होता है कि भावों की जगन का क्षेत्र वाय प्रकृति का जगत् और जीवन में  
 मिलता है। साहित्यक पदार्थों में इसे यों कह सकते हैं कि भावों के आलयन  
 जगत् और जीवन है। जगत् कविता का सर्व भाग से है और भावों के

आलंबन जगत् और जीवन हैं, इस प्रकार कविता के भी आलंबन जगत् और जीवन टहरते हैं। आचार्य शुक्ल भी मूलतः हृदय के भावों का संबंध जगत् और जीवन से स्थापित करना कविता का कार्य समझते हैं—“हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपों और व्यापारों की भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है।”—(चिंतामणि, पृ० १९९)। एक दूसरे उद्धरण से यह बात भी स्पष्ट हो जायगी—“अतः काव्य का काम मनुष्य के साथ सत्र भावों और सवमनोविकारों के लिए प्रकृति के अपार क्षेत्र से आलंबन या विषय चुन-चुनकर रखना है। इस प्रकार उसका संबंध जगत् और जीवन की अनेकरूपता के साथ स्वतः सिद्ध है।”—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० १)। एक स्थल पर आचार्य शुक्ल ने काव्य को इस जगत् की अभिव्यक्ति कहा है—“कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है, चांगे और फैले हुए गोचर जगत् से है; अव्यक्त सत्ता से नहीं। जगत् भी अभिव्यक्ति है; काव्य भी अभिव्यक्ति। जगत् अव्यक्त की अभिव्यक्ति है और काव्य इस अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है।” (वही, पृ० ११)। अभिव्यक्ति के इसी रूप को लेकर आचार्य शुक्ल काव्य में ‘अभिव्यक्तिवाद’ की स्थापना करने के पक्षपाती हैं।—(देखिए वही, पृ० ५)।

ऊपर हृदय वा भाव को लेकर काव्य पर विचार हुआ। काव्य में बुद्धि वा ज्ञान का भी स्थान है। उसमें ज्ञान तथा भाव दोनोंका सामंजस्य होना चाहिए। जिस काव्य में यह सामंजस्य न होगा वह श्रेष्ठ काव्य की कोटि में न आ सकेगा। आचार्य शुक्ल कहते हैं—“हृदय की ऐसी भावदशा कभी-कभी होती है जिसका न धर्म से विरोध होता है, न ज्ञान से, और न किसी दूसरी भावदशा से। यही सामंजस्य हमारे यहाँ का मूल मंत्र है। जिस काव्य में यह सामंजस्य न होगा उसका मूल्य गिरा हुआ होगा।” इस सामंजस्य का अभिप्राय यह है कि बुद्धि अपना स्वतंत्र रूप से ज्ञान-संपादन का कार्य करे और हृदय भाव-प्रवर्तन का। एक दूसरे के कार्य में बाधक न हो, हस्तक्षेप न करे। बुद्धि यह न कहने जाय कि हृदय क्या? वह तो फालतू काम किया करता है, हृदय यह न कहने जाय कि बुद्धि क्या? वह तो सस्ते लकड़ पीरा

करता है। याना एक दृष्टि के दृष्टियों के रूप में समझें। (इन्द्रायाम्  
भाष्य, पृ० ५२)।

साधारण या सामान्य (साम्बा और जनरल) जात्यन का विषय ही दृष्टि में  
जात्यन शुक्ल में रूप में या स्वल्प उपर्युक्त प्रकार का माना है। भारतीय  
आचार्य ज्ञान का एक ही ही स्वतन्त्रता या 'सर्व दैनिकता' मानते हैं।  
जात्याय शुक्ल दृष्टि की मुक्त तथा जो स्वदशा मानते हैं, जिनमें दृष्ट्यजनने-  
रूपों के ये भाग का अलग करने शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है। इस  
जात्याय या स्वदशा का दृष्टि में स्वल्प 'जात्याय शुक्ल' प्रतिता का स्वल्प  
इस प्रकार विचारित करते हैं—'दृष्ट्य का इसी मुक्ति को साधना के लिए  
मनुष्य का जात्याय के एक विषय समझें जाई है उसे प्रतिता करते हैं।'  
(चित्तमणि, पृ० १०३)। यह एक स्वदशा और स्वदृष्टिमान की विवेचना  
न ही तब दम्भत रूप की ही परिभाषा बहुत ही मूल प्रतीत होगी।

जब जात्यन या विषय का दृष्टि में जात्याय विचार हुआ है। इस  
विशुद्ध ज्ञान और जीवन से किस प्रकार का 'साधारण' जात्याय मध्य हो सकता  
है, इस पर भी क्या विचार कर लें। काय के अनेक दृश्य  
काश्य तथा व्यापार हैं जो हो सकते हैं, पर उनमें 'प्रभाव' को श्रेष्ठ समझना  
शोधन चाहिए। बहुत जात्याय की साधारणता ही मही मही जात्याय  
पाठक या श्रोता का प्रभावित करे। ये प्रभाव अनेक  
प्रकार के हो सकते हैं। इसे ही दृष्टि में स्वल्प रूप में यदि अनेक साधारण  
में से ऐसा व्यापार चुनता है या प्रभावोत्पत्तिनी मन्त्र से संपन्न होगा है।  
दृश्य में मर्मसंज्ञिता तथा प्रभावोत्पत्ति के लिए इस प्रकार का  
'साधारण ज्ञान' जात्याय शुक्ल जात्याय मानते हैं—'यदि लोग अर्थ  
और वगैर विचार के विचार में जिस प्रकार साधन-साधन करते हैं उसा  
प्रकार जाध्य समझनी और प्रभावोत्पत्ति दृश्य उपस्थित करने के लिए  
साधारण-साधन भी करते हैं। बहुतों में व्यापार अथवा प्राकृतिक चीजों के कारण  
साधारण दृश्य का अधिक रूप समझना होता है, मनुष्य यदि ही दृष्टि  
उसी पर जाती है। यह खुदाय का प्रकार से दृश्य है। यहाँ तो (१) चुन  
हुआ स्वल्प उपस्थित प्रभाव के अन्तर् में होता है या हो सकता है, अतः

उस व्यापार और प्रसंग का व्याप्य-व्यापक संबंध होता है और वह व्यापार उपलक्षण मात्र होता है; और कहीं ( २ ) चुना हुआ व्यापार प्रस्तुत व्यापार से सादृश्य रखता है; जैसे अन्योक्ति में ।”—( गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १२१-१२३ ) । प्रभावोत्पादन के लिए दूसरी प्रक्रिया का निर्देश भी आचार्य शुक्ल ने किया है—“गंभीर चिंतन से उपलब्ध जीवन के तथ्य सामने रखकर जय कल्पना मूर्त-विधान में और हृदय भाव-संचार में प्रवृत्त होते हैं तभी मार्मिक प्रभाव उत्पन्न होता है ।”— ( प्रवेशिका, शेष स्मृतियाँ, पृ० १४ ) । तात्पर्य यह कि व्यापार-शोधन तथा विशिष्ट काव्य-विधान द्वारा भी प्रभाव उत्पन्न हो सकता है ।

यहीं प्रभाव से संबद्ध एक और बात पर विचार कर लें । कुछ कविताएँ वा कविता की पंक्तियाँ ऐसी प्रभावोत्पादनी वा चुभती-सी होती हैं कि लोग उन्हें बार-बार गुनगुनाया करते हैं । गुनगुनाने की प्रेरणा काव्य तथा प्रभाव का कारण स्वयं उन कविताओं में निहित अनुभूति की तीव्रता, संगीत की मधुरता वा अन्य कोई वस्तु होती है, जो हृदय में गूँज उत्पन्न करती है जिससे उसका प्रभाव कुछ काल तक बना रहता है । काव्य में इस विशिष्टता की ओर आचार्य शुक्ल की दृष्टि है । विहारी की कविता पर विचार करते हुए वे कहते हैं—“विहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूँजती रहे ।”—( इतिहास, पृ० ३०३ ) । अर्थात् वे श्रेष्ठ काव्य के लिए इस गूँज को आवश्यक मानते हैं ।

यह तो हुआ आलंबन वा विषय, व्यापार-शोधन तथा प्रभाव की दृष्टि से निर्धारित काव्य के स्वरूप पर विचार । अब वाणी-विधान की दृष्टि से भी उसपर विचार किया गया विचार देखिए । साहित्य, जिसके अंतर्गत काव्य काव्य तथा वाणी-विधान भी आता है, प्रधानतः वाणी का ही व्यापार है । अनुभूति, कल्पना, अभिव्यंजना आदि सभी शक्तियों को लिये-दिये कवि छटपटाता ही रहेगा, यदि उसमें वाणी न रहेगी, यदि वह अभिव्यक्ति न कर सकेगा । हमारे यहाँ सारी विद्यार्थियों का प्रतीक ‘सस्वती’

सी 'वाणी' वा 'भाषा' है। तात्पर्य यह कि कान में शब्द वा वाणी-विधान प्रदान है। प्रश्न होता है कि वाच्य में शब्द विधान का स्वरूप क्या हो? शब्द-विधान की दृष्टि से यह तो निश्चित है कि वाच्य में नित्यप्रति के व्यवहार के शब्द विधान का रूप नहीं जाता, यदि कहीं जाता भी है तो बिरल। वाच्य का शब्द विधान कुछ विशेष होता है अथवा। इसी विशेष शब्द विधान की साहित्य में वक्रता, वैचित्र्य, वैचित्र्य, चमत्कार, अनूठापन आदि नामों से अभिव्यक्त करने हैं। इसी वक्रता को लेकर हमारे यहाँ कुछक का वक्रोक्तिवाद चला। जिसके अनुसार वक्रोक्ति ही वाच्य की आत्मा है—'वक्रोक्ति वाच्य जीवतम्'—इस पक्ष का प्रतिपादन किया गया था।

आचार्य शुक्ल वाच्य में वक्रता वा चमत्कार का भी—को ही नहा—स्थान देते हैं, पर कुछ शर्तों के साथ। पहले यह देख लिया जाय कि चमत्कार का स्वरूप उन्होंने क्या माना है—“चमत्कार से हमारा चमत्कार वा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अन्तर्गत वक्र, विन्यास की विशेषता ( जैसे, अनुप्रास म ), शब्दों की श्रृंखला ( जैसे, रूप, यमक आदि में ), वाक्य की वक्रता या वचनवर्गी ( जैसे, वाच्यार्थव्यति, परिस्तरा, विरोधाभास, असंगति इत्यादि म ) तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य वा सम्यक का अनहानी या दूरानुद वक्रता ( जैसे, उल्लेख, अनिश्चयिता आदि में ) इत्यादि गत जाती हैं”—( चिन्तामणि प्र० २२\*—२३० )। चमत्कार वा वैचित्र्य द्वारा वाच्य में मार्मिकता तथा प्रभावशालिता की सृष्टि होती है, आचार्य शुक्ल की दृष्टि इससे इस पक्ष पर भी है। वे कहते हैं—“मेरा अभिप्राय कथन के उम दृग से है जो उम कथन का जोर भोना ना जासकित करता है तथा उसने विषय को मार्मिक और प्रभावशाली बना देता है। ऐसी उक्तियों में कुछ तो शब्द की लक्षण व्यञ्जना शक्ति का अश्रय लिया जाता है और कुछ वाक्य, पर्यायोक्ति ऐसे अलंकारों का।”—( गोरखामी तुलसीदास, पृ० १८१ )। तात्पर्य यह कि चमत्कार वा उक्ति वैचित्र्य को आचार्य शुक्ल वाच्य में केवल उसी रूप में लेना चाहते हैं जिस रूप में इसके द्वारा उममें प्रभावोत्पादना आवे। वे चमत्कार के उम रूप



के प्रतिपादक नहीं, जो खिलवाड़ वा तमाशा प्रस्तुत किया करता है। वे कहते हैं—“उक्ति-वैचित्र्य से यहाँ हमारा अभिप्राय उस वेपर की उड़ान से नहीं है जिसके प्रभाव से कवि लोग जहाँ रवि भी नहीं पहुँचता, वहाँ से अपनी उत्प्रेक्षा, उपमा आदि के लिए सामग्री लिया करते हैं।”—( वही )। उन्होंने इस प्रकार का चमत्कारवाद कहीं भी नहीं ग्रहण किया। हम पहले कह आये हैं कि वे चमत्कारवादी नहीं थे।

काव्य में वैचित्र्य का भी स्थान स्वीकार करने के लिए उनकी शर्त यह है कि वक्रता वा वचनमर्मिणा भाव वा अनुभूति से प्रेरित हो। कोरी वा शुद्ध वक्रता काव्य नहीं। वे कहते हैं—“वचन की जो वक्रता भाव-प्रेरित होती है, वही काव्य होती है।”—( भ्रमरगीततार, पृ० ७० )। “चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए ! जिस रूप वा जिस मात्रा में भाव की स्थिति है उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्रायः कवियों को व्यंजना का कुछ सामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है।”—( चिंतामणि, पृ० २३० )।

काव्य में वक्रता की अवस्थिति कैसे होती है, इसका कारण अतिम उदाहरण से कुछ कुछ विदित होता है। वस्तुतः बात यह है कि भाव-संपन्न कवि अपनी कविता द्वारा श्रोता या पाठक पर कुछ प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है, इस कार्य की पूर्ति के लिए वह प्रायः जान-बूझकर अपनी उक्ति को कुछ वक्र पथ पर ले जाता है, क्योंकि ऐसा न करने से उक्ति में प्रभावोत्पादनी शक्ति का सन्निवेश न हो पायेगा। कभी-कभी यह वक्रता भावावेग के कारण स्वतः भी आ जाती है, जैसा कि आचार्य शुक्ल का मत है—“उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अकसर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है।”—( चिंतामणि, पृ० २३६ )। आधुनिक अंगरेज समालोचक एवरक्रॉफी भी काव्य का कारण यही भावावेग बतलाते हैं। पर काव्यगत वक्रता का कारण सर्वत्र यह भावावेग ही नहीं होता:

“.....the greater the inspiration, the greater the art required to give it literary expression.”—Lascelles Bercrombie M. A.'s *Principles of Literary Criticism*, p. 17.

अधिकतर तो कवि में स्थित शाल्य-बीजल होता है।

आचार्य कुछ इस प्रकार वा अनूठपन की स्थिति शाल्य के मात्र तथा विभाज दोनो पक्षा में मानते हैं—“अनूठपन कहीं तो किसी भाव वा मनोवृत्ति की व्यजना में—प्रभात् तिन गार्यों में उम भाव की व्यजना होती है उनमें— और कदा उम वस्तु या तथ्य में ही होता है जिसकी ओर कवि अपने विषय कीशाल में भाव को प्रवृत्त करता है। सुभीते के लिए एक को हम भाव पक्ष का अनूठपन कह सकते हैं, दूसरे को विभाज पक्ष का।”—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० ७१)।

आचार्य शुक्ल वक्रता या वैचित्र्य को काव्य के लिए अत्यंत प्रयोजनीय वस्तु मानते हुए भी, उसे काव्य का चिर सहयोगी नहीं मानते। उमें ये काव्य का एक अतिरिक्त गुण मानते हैं, जिसके द्वारा मनो-जन की भाषा बढ़ जाती है। उनके मतनुसार सीधा सादी गणी द्वारा भी प्रभावोत्पादनी कविता प्रस्तुत हो सकती है। हम वक्रता की आवश्यकता तथा इसकी गौणता दोना पक्षों पर उद्धारण प्रस्तुत करते हैं—“भाषा को गोनर और सजीव रूप देने के लिए, भाव की निमुक्त और स्वच्छ द गति के लिए, काव्य में वक्रता या वैचित्र्य अत्यंत प्रयोजनाय वस्तु है, इसमें सन्देह नहीं।”—(इंदौरवाला भाषण, पृ० ७६)। इसकी गौणता वाग उद्धारण देखिए—“अनूठपन काव्य के नित्य स्वरूप के अनगत नहीं है, एक अतिरिक्त गुण है जिससे मनो-जन की भाषा बढ़ जाती है। इससे बिना भी तमय करनेवाली कविता उत्पन्न हुई है और होता है।”—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० ७१)। पर ऐसी कविता कम ही मिलती है। कवि अपनी वाणी को विशिष्ट करता ही है, उसमें वक्रता ही संस्थिति करना ही है। जैंगेज कवि उद्धृतार्थ काव्य में ऐसी ही सीधी सादी तथा निय की व्यावहारिक भाषा के समथक थे, पर वे अपने इस मत का अनुगमन स्वयं न कर सके। उनकी भाषा में भी वक्रता मिलती ही है। माथ ही यह भी कह देना आवश्यक है कि काव्य में केवल चमत्कार ही चमत्कार का सन्निवेश कोई समीर जागेकर न मानेगा।

(१) चमत्कार-वक्रति और उम वक्रति को दृष्टि में रखकर आचार्य शुक्ल काव्य को तान धेणियो में रचना चाहते हैं—“(१) जिसमें केवल चमत्कार या

वैलक्षण्य हो, ( २ ) जिसमें केवल रस या भावुकता हो, ( ३ ) जिसमें रस और चमत्कार दोनों हों ।” — ( जायसी-ग्रंथावली पृ० २२० ) । प्रथम प्रकार के काव्य को वे ‘काव्याभास’ वा ‘सूक्ति’ कहते हैं और दूसरे प्रकार को ‘प्रकृति-काव्य’; दूसरे प्रकार के काव्य को ही वे श्रेष्ठ काव्य मानते हैं ।

सूक्ति से आचार्य शुक्ल का तात्पर्य ऐसी रचनाओं से है, जिनमें केवल अनूठापन ही अनूठापन रहता है, उनके द्वारा केवल मनोरंजन ही होता है; मन रमता नहीं, भावों में तीव्रता नहीं आती, वे भावों को उद्बुद्ध करने में समर्थ नहीं होते । सूक्ति के विषय में विचार करते हुए वे कहते हैं “ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना ( जैसे, प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि ) में लीन न होकर एकवारगो कथन के अनूठे ढंग, वर्ण-विन्यास या पद-प्रयोग की विशेषता, दूर की सूक्ष्म, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं, सूक्ति है ।” — ( चिंतामणि, पृ० २३३ ) । काव्य और सूक्ति में भेद बतलाते हुए वे कहते हैं — “जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागरित कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य । जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना-वैचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति ।” — ( चिंतामणि, पृ० २३४ ) । इस प्रकार चमत्कार को दृष्टि में रखकर आचार्य शुक्ल काव्य के दो प्रधान रूप निर्धारित करते हैं — एक सूक्ति-काव्य और दूसरा भाव-काव्य ।

आचार्य शुक्ल कोरे चमत्कार को कवि-कर्मगत या काव्यगत खिलवाड़ मानते हैं । संस्कृत-साहित्य के आचार्यों ने चमत्कार का ग्रहण भले अर्थ में किया है । उनके मत्यनुसार चमत्कार मन के विस्फार वा विकोचन का कारण होता है; वही लोकोत्तर आनन्द की जिसे रस कहते हैं, अनुभूति कराता है; अर्थात् काव्य में लोकोत्तर आनन्द की सृष्टि चमत्कार के समानाधिकरण्य के कारण होती है । तात्पर्य यह कि संस्कृत के आचार्यों ने चमत्कार को रसानुभूति में सहायक माना है, और आचार्य शुक्ल उसे काव्य की निम्न श्रेणी का धर्म बताते हैं । इसे यों कहना चाहिए कि संस्कृत में ‘चमत्कार’ और ‘रमणीयता’

पर्यायवाची शब्दा के रूप में व्यवहृत हैं और इन्होंने 'समस्कार' और 'समशीयता' से एक दूसरे के विपरीत माना है। पहला है शब्द-सौंदर्य विधा पर गुण और दूसरा है साम्यन्तर-सादय विभाव्य गुण।

काव्य के स्वरूप पर विचार करने के पश्चात् अब उसके विषय (धैर्य वा भूमि) पर जाएँ। यह हम जानते हैं कि आचार्य शुक्ल का काव्य सिद्धान्त जगत् और जीवन के आधार पर स्थिर है, इसलिए उनके काव्य के विषय मत्पट्टसार काव्य का धैर्य वा विषय भी जगत् और जीवन से ही समान विस्तृत होना स्वाभाविक है। वे कहते हैं—“जितना विस्तार जगत् और जीवन का है उतना ही विस्तार उसका (काव्यभूमि का) है।”—(काव्य म रहस्यवाद, पृ० ७)। काव्य की इस विस्तृत भूमि का विभाजन व तीन रूपों में करते हैं—“काव्य दृष्टि नहीं तो १ नरभेद के भीतर रहती है, वहाँ २ मनुष्येतर वाह्य सृष्टि से और वहाँ ३ समस्त चराचर से।”—(चित्तमणि, पृ० १९०) इसी विभाजन की दृष्टि से उ होने तीन दृश्यों के कवियों का भी उल्लेख किया है—“विषय धैर्य के विचार से देखते हैं तो प्रायः तीन दृश्यों के कवि पाए जाते हैं। कुछ तो नर प्रकृति के वर्णन में ही अधिकतर लीन रहते हैं, कुछ वाह्य प्रकृति के वर्णन में और कुछ दोनों में समान रुचि रखते हैं।”—(वही, पृ० २६४)। इस उद्धरण से भी काव्य-विषय का स्पष्टीकरण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल की मति में काव्य का विषय-क्षेत्र यथा व्यापक है। उनसे अनुसार जिस काव्य का विषय नितना ही व्यापक होगा उस काव्य की दृष्टि उतनी ही व्यापक और गंभीर होगी, अर्थात् प्रथम या द्वितीय प्रकार के काव्य की अपेक्षा तृतीय प्रकार का काव्य श्रेष्ठ है। आचार्य शुक्ल कहते हैं—“पहले कहा जा चुका है कि नरभेद के भीतर बढ रहनेवाली काव्यदृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवनभेद और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करनेवाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जायगी।”—(वही, पृ० २१२-२१३)।

काव्य-विषय की एक बात और। यह कहा जा चुका है कि उद्दिवादी होने के कारण ये विनाशवाद के सिद्धांत के अनुयायी थे। पर इनका उद्दिवाद

कोरा नहीं है, उसमें हृदय के लिए पूरा स्थान है। ये मानते हैं कि सम्भता व्यो व्यो विकसित होती गई व्यो-व्यो मनुष्य की ज्ञान-सत्ता भी बुद्धि-व्यवसायात्मक होती गई; अर्थात् सम्भता के विकास के साथ ही मनुष्य बुद्धि से ही अधिक काम लेने लगा। हृदय को उतना अवकाश नहीं दिया गया। अब मनुष्य का ज्ञान-क्षेत्र या बुद्धि-क्षेत्र विस्तृत हो गया है। इसलिए ज्ञान-क्षेत्र के विस्तार के साथ ही भाव-क्षेत्र का भी विस्तार करना चाहिए। ज्ञान, विज्ञान आदि के अनुसंधान के कारण बहुत-से नवीन विषय उपस्थित हो गये हैं, अतः कवि का कर्तव्य है कि वह इन्हें भी अपने काव्य का विषय बनाये और इस रूप में प्रस्तुत करे कि ये हमारे भावों के आलंबन हो सकें। ऐसा करने के लिए सम्भता के विकास के कारण अनेक आवश्यकताओं में छिरे आलंबनों को मूर्त्त या गोचर रूप देना होगा, जो हमारे हृदय के भावों को उत्तेजित कर सकें। तात्पर्य यह कि ज्ञान-क्षेत्र के विस्तार के साथ ही भाव-क्षेत्र का विस्तार भी आवश्यक है, इस कार्य की पूर्ति के लिए कवि को अग्रसर होना पड़ेगा। और उसे इस स्थिति में ज्ञान के कारण विस्तृत हुए विषयों को इस रूप में रखना चाहिए कि वे हमारे भावों को उत्तेजित करें।—( देखिए चिन्तामणि, पृ० १९६-१९७ तथा काव्य में रहस्यवाद, पृ० ७७-७८ )।

काव्य के जिस विस्तृत विषय-क्षेत्र का उल्लेख ऊपर किया गया है वह साहित्य के केवल एक ही पद 'विभाग' द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। "विभाग के अंतर्गत दो पक्ष होते हैं—( १ ) आलंबन ( भाव का विषय ), ( २ ) आश्रय ( भाव का अनुभव करनेवाला )। इनमें से प्रथम तो मनुष्य से लेकर कीट, पक्षी, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि सृष्टि का कोई भी पदार्थ हो सकता है। किंतु दूसरा हृदय-संपन्न मनुष्य ही होता है।"—( काव्य में प्राकृतिक दृश्य )। तात्पर्य यह है कि आलंबन की परिमिति में सृष्टि के जड़-चेतन, अस्थिर-स्थिर या प्रकृति-मनुष्य सभी आते हैं और आश्रय की परिमिति में केवल चेतन एवं भावनायुक्त मनुष्य। जगत् वा प्रकृति और मनुष्य को लेकर जीवन की भी स्थिति है, इस प्रकार जीवन भी इसी विभाग के अंतर्गत आता है। यह जीवन विभाग की सीमा में आनेवाले आलंबन की कोटि में आवेगा। जैसे जगत् और जीवन या प्रकृति और नर से-प्रनिष्ठ संबंध है, वैसे ही इस आलंब-

बन और आभय में भी। दोनों एक दूसरे से शिल्प नहीं किये जा सकते।  
 आचार्य शुक्ल कहते हैं—'बदने की आवश्यकता नहीं कि काव्य में ये दोनों  
 आयोज्यक्षित हैं, अतः दोनों रहते हैं। जहाँ एक ही पत्र का वर्णन रहता है  
 वहाँ भी दूसरा पत्र अल्प रूप में रहता है। जैसे, नायिका के रूप या नव  
 निगम का दोरा वर्णन ल तो उसमें भी आभय का रतिभाव अल्प रूप में  
 यत्नमान रहता है।'—(भ्रमरगीतमाला, पृ० ८)।

काव्य के शिल्प, रसु या आलम्बन तथा उसकी व्यापकता की दृष्टि में हमने  
 आचार्य शुक्ल के विचार देखे। अब देखना यह चाहिए कि ये काव्य में किस  
 प्रकार के आलम्बन के चित्रण के पक्षपाती हैं। यह हमने  
 काव्य में आलम्बन कई स्थान पर देखा है कि आचार्य शुक्ल को चमत्कार को  
 के रूप तथा प्रकार असाध्य समझते हैं, इनकी दृष्टि में काव्य श्रेष्ठ को रखने  
 नहीं लाभ नहीं। आलम्बन के भेद में भी इनके विचार ऐसे ही  
 हैं वे साधारण आलम्बन के पक्षपाती नहीं हैं, क्योंकि इनका मत है कि साधारण  
 वस्तु भी भाव का आलम्बन हो सकती है। ये कहते हैं—“भावों के उच्चर्य के  
 लिए भी समान आलम्बन का असाधारणत्व अवश्य नही होता। साधारण से  
 साधारण वस्तु हमारे गभीर से गभीर भावों का आलम्बन हो सकती है।”—  
 (काव्य में प्राकृतिक दृश्य)। इसी निरर्थक मये अन्य स्थानों पर भी इसके विचार  
 में ऐसी ही बात कहते हैं। देखिए—“संग्रह प्रथम साधारण, असाधारण सभी  
 वस्तुना का वर्णन करि का कत र के साधारण के बीच में ही असाधारण  
 की प्रकृत अभिव्यक्ति हो सकती है। साधारण से ही असाधारण की सत्ता है।  
 अतः केवल वस्तु के असाधारणत्व वा असाधारणता ही असाधारणत्व में ही  
 काव्य समझ बैठना अच्छी समझदारी नहीं।” अतः इनका मत है कि “काव्य  
 का प्रमुख वस्तु या तथ्य विचार और अनुभव में सिद्ध, लौकिक स्वीकृत और  
 लौकिक विज्ञान का होना चाहिए, क्योंकि व्यजना उमा की होती है।”—(काव्य  
 में रसवाद, पृ० २०-२०)।

एक बात और। आचार्य शुक्ल काव्य श्रेष्ठ को दर्शन के अनेक अर्थों से  
 भी दूर रखना चाहते हैं। इनके मतानुसार भारतीय काव्य-परंपरा ऐसी ही है।

उसमें दर्शन के नाना वादों का ग्रहण नहीं हुआ है। कबीर काव्य में दार्शनिक आदि निर्गुणिए संत कवियों में दार्शनिक तथ्यों को लेकर वाद का त्याग जो मूर्त्त रूप खड़े किये गये हैं, वे सूती कवियों के अनुकरणवश। इन मूर्त्त रूपकों में भाव में लीन करने की उतनी शक्ति नहीं है, जितनी सर्वस्वीकृत अनुभूति वा तथ्य को लेकर की गई रूप-योजना में। इनका कथन है—“इन मूर्त्त रूपकों में ध्यान देने की बात यह है कि जो रूप-योजना केवल अद्वैतवाद, भाषावाद आदि वादों के स्पष्टीकरण के लिए की गई है, उसकी अपेक्षा वह रूप-योजना जो किसी सर्वस्वीकृत, सर्वानुभूत तथ्य को भावक्षेत्र में लाने के लिए की गई है, कहीं अधिक गर्मस्पर्शिणी है।”—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० ३०)। इस उद्धरण से विदित होता है कि आचार्य शुक्ल दार्शनिक वादों की काव्यात्मक रूप-योजना के ही कुछ-कुछ पक्षपाती हैं, पूर्णरूपेण उसके भी नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में वह उतनी गर्मस्पर्शिणी नहीं होती।

इसी प्रकार वे काव्य का संबंध किसी शानातीत (ट्रान्सेंडेंटल) दशा से भी नहीं जोड़ना चाहते, जिसका वर्णन सांप्रदायिक रहस्यवादी किया करते हैं। इस संबंध में उनका मत यों है—“यहाँ पर हम यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि उक्त शानातीत (Transcendental) दशा से—चाहे वह कोई दशा हो या न हो—काव्य का कोई संबंध नहीं है।”—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० ३६)। इसी बात को उन्होंने और स्पष्ट करके दूसरे रूप में यों कहा है—“मनो-मय कोश ही प्रकृत काव्य-भूमि है, यही हमारा पक्ष है। इसके भीतर की वस्तुओं की कोई मनमानी योजना खड़ी करके उसे इससे बाहर के किसी तथ्य का—जिसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं—सूचक बताना हम सच्चे कवि का क्या सच्चे आदमी का काम नहीं समझते।”—(वही, पृ० ३७-३८)।

इस प्रकार हमें विदित होता है कि आचार्य शुक्ल काव्य के क्षेत्र में दार्शनिक वादों तथा रहस्यवाद के किन्हीं सिद्धांतों वा अवस्थाओं का प्रवेश उचित नहीं समझते। पर इनकी ऐसी रूप-योजना, जिसमें काव्य की प्रधानता और उनकी गौणता हो, जिसका स्पष्टीकरण सहृदय पाठक वा श्रोता कर लें, काव्य

की परिमिति के अन्तगत मन्वना अनुमित न होगा। आचार्य शुक्ल भी निराशा भा में दार्शनिक तर्कों की स्पष्ट योजना के पक्षपाती हैं ही।

ऊपर राक्ष के निम्न व्यापक या निम्नतम भेद पर विचार हुआ है, उसकी उन्मुखें यदि हमारे समुप श्रितियों का गोमात्रों का अन्तर्ग्रह लेकर लाना है, उन इसे भा देखना चाहिए, क्योंकि इनके आधार विषय-प्रसव काय भेद को प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट परिमित ही मिश्रता है। उन्हीं में विषय क्षेत्र में चुनी हुई मार्मिक उन्मुखें सगर्भित होती हैं। व्यापक विषय-भेद की उन्मुखों की यदि किन् परिमित अर्थों या रूपों में मन्वता है, उनसे नाम हैं—प्रसव और मुक्तव-काय। प्रसव शब्द का क्या काव्य भी कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने उसे क्या काव्य कहा भी है।—(देहिण इतिहास पृ० १५१)।

मन्वत जाय हिदी के आचार्यों ने भी प्रसव शब्द तथा मुक्तव के अनेक लक्षण बड़े हैं, विशेषतः प्रसव शब्द के। प्रसव काव्य के अन्तगत महाकाव्य तथा गण्डकाव्य दोनों आते हैं, क्योंकि कथा का प्रधान महत्त्व तथा स्वतन्त्रता दोनों में जोड़ित है। यहाँ लक्षण प्रयोग में बधित इनके लक्षणों का उल्लेख जमीष्ट नहीं है। अतः हम केवल आचार्य शुक्ल द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों पर ही विचार करेंगे।

प्रसव शब्द का क्या काव्य पर विचार करने हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं—“कथा-काय या प्रसव काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु आधार कथन भाग पर बना और सहाय, ये अवयव होते हैं।”—(इतिहास, इतिवृत्त पृ० १७१)। इन्हीं को लेकर यदि विचार किया जाय तो आचार्य शुक्ल की प्रसव काव्य शरधो मन्वो बाल स्पष्ट हो जायेंगा। पहले इतिवृत्त को लीजिए। आचार्य शुक्ल ने प्रसव शब्द न इतिवृत्त का क्या के विषय में प्राचीन आचार्यों का भीति उन्में इतिहास, पुराण, महाकाव्य तथा मूल आदि से लेने का उल्लेख नहीं किया है। अतः यह है कि हम पर न ऐसी ही अन्य बातों पर उन्हीं प्रसव काव्य की जा गचना करते हुए विचार किया है। मन्वत रूप से तो उन्में इन पर विचार करने का ऐसा अन्तर थायन



मिला नहीं कि वे इसकी एक-एक बात पर विचार करते। पर जिन प्रबंधों की आलोचना करते हुए उन्होंने इन अवयवों का उल्लेख किया है, वे इतिहास, पुराण वा संभ्रांत परिवार के इतिवृत्त के आधार पर ही निर्मित हैं। हाँ, उन्होंने इस बात का उल्लेख अवश्य किया है कि संस्कृत के काव्यों वा नाटकों में पुराण-इतिहास के वृत्त ग्रहण करने का क्या रहस्य था। वे कहते हैं—“कल्पना के इस स्वरूप की सत्य-मूलक सजीवता और मार्मिकता अनुभव करके ही संस्कृत के पुराने कवि और अपने महाकाव्य नाटक इतिहास-पुराण के किसी वृत्त का आधार लेकर रचा करते थे।”—(चिंतामणि, पृष्ठ ३५५)। ‘कल्पना के इस स्वरूप’ से तात्पर्य कल्पना के उस रूप से है जो सत्य से अनुप्राणित होकर स्मृति और प्रत्यभिज्ञान का-सा रूप धारण करता है।—(देखिए चिंतामणि, पृ० ३५५)। अभिप्राय यह कि आचार्य शुक्ल ने प्रबंध-काव्य का इतिवृत्त कहां से और कैसा लिया जाय इस पर कुछ नहीं कहा है। केवल इतना ही कहा है कि “प्रबंध-काव्य में मानव-जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है।”—(जायसी-ग्रंथावली पृ० ९०)। यह मानव-जीवन किस वर्ग का और किस काल का हो इसका विचार उनकी आलोचना नहीं करती।

चाहे किसी भी वर्ग वा काल की कथा वा इतिवृत्त हों, उसका रूप कैसा हो, उसमें किस प्रकार की घटनाओं का समावेश हो, इस पर उन्होंने विचार किया है। उनका मत है कि “किसी प्रबंध-कल्पना पर और कुछ विचार करने के पहले यह देखना चाहिए कि कवि घटनाओं को किसी आदर्श परिणाम पर ले जाकर तोड़ना चाहता है अथवा यों ही स्वाभाविक गति पर ले जाकर छोड़ना चाहता है। यदि कवि का उद्देश्य सत् और असत् के परिणाम दिखा-कर शिक्षा देना होगा तो वह प्रत्येक पात्र का परिणाम वैसा ही दिखाएगा जैसा न्याय-नैतिकी दृष्टि से उसे उचित प्रतीत होगा। ऐसे नये-तुले परिणाम काव्य-कला की दृष्टि से कुछ कृत्रिम जान पड़ते हैं।”—(जायसी-ग्रंथावली, पृ० ८९)।—इससे विदित होता है कि इस विषय में आचार्य शुक्ल का मत यथार्थवादी से—हमारा तात्पर्य शिष्ट यथार्थवादी से है—कथाकारों से मिलता है, जो अपनी रचनाओं में सत् तथा असत् दोनों का मेल करते हैं, क्योंकि जीवन वा समाज में इनका संमिश्रण प्राप्त है। वे किसी धर्मात्मा की दारुण-

दुःख भोगते चित्रित करते हैं। और किसी पापी को अरर सुखों को बर्ती म बैठा हुआ, क्याकि समाज में ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं। श्री प्रेमचन्द का भा इस विषय में ऐसा ही मत है।—(देगिए प्रेमचन्द वृत्त 'विचार' का 'उपन्यास' शीर्षक लेख)।

किसी प्रबंधकाव्य के इतिवृत्त का घोंडा बहुत लम्बा होना आवश्यक है। अतः उमम अनेक घटनाओं की स्थिति भी आवश्यक है। इन अनेक घटनाओं का कवि द्वारा संरध निराह अत्यंत आवश्यक है। आचार्य शुक्ल का मत है कि "प्रबंधकाव्य में बड़ी भारी बात है संरध निराह।"—(जायसी प्रथावली, पृ० १५)।

प्रबंधकाव्य की जो अनेक घटनाएँ या कथाएँ होती हैं, स्मृत के आचार्यों द्वारा उनका दो रूपों में विभाजन हुआ है। इसकी कुछ कथाओं को आधिकारिक, प्रधान या नायक की कथा, कहते हैं और कुछ को प्रासंगिक या गौण कथा। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रासंगिक कथा वा वस्तु यह है "जिसमें प्रधान नायक के अनिश्चित किमो अर्थ का वृत्त रहता है।"—(जायसी प्रथावली, पृ० १६)। ऊपर हमने कहा है कि प्रासंगिक कथा गौण कथा है, वह आधिकारिक कथा की सहायिका होती है। वह प्रधान कथा के प्रसंग से ही आती है, उसका योजना प्रधान कथा के लिए ही होता है। प्रासंगिक कथा के स्वरूप पर विचार करने हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि "प्रासंगिक कथा ऐसी ही होनी चाहिए जो आधिकारिक कथा की गति आगे बढ़ानी या किसी ओर माडती हो।"—(जायसी प्रथावली, पृ० १५)। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रबंधकाव्य का कथाएँ इन्हीं दो रूपों में विभाजित पडती हैं। किसी प्रबंधकाव्य को वस्तु के संरध निराह पर विचार करते हुए, इन्हीं के समुचित मेल पर विचार करना चाहिए। आचार्य शुक्ल के मत में "संरध निराह पर विचार करने समय सबसे पहले तो यह देखना चाहिए कि प्रासंगिक कथाओं का जोड़ आधिकारिक कथा के साथ अच्छी तरह मिला हुआ है या नहीं, अर्थात् उनका आधिकारिक कथा के साथ ऐसा संरध है या नहीं जिससे उसकी गति में कुछ सहायता पडती चर्ता न। जो वृत्त इस प्रकार संरध न होंगे वे ऊपर से अर्थ हूँसे हुए माडम हागे चाहे उनमें कितना ही अधिक रमात्मकता हो।"

—(वही)। तात्पर्य यह कि आधिकारिक तथा प्रारंभिक कथा में ऐसा मेल हो कि प्रारंभिक ऊपर से आई हुई कोई अतिरिक्त वस्तु न प्रतीत हो। प्रारंभिक कथा का द्वितीय 'धर्म' यह है कि यह प्रधान कथा की गति में योग देनेवाली हो, उसे आगे बढ़ानेवाली हो।

आधिकारिक कथा प्रधान नायक की कथा होती है, जिसका लक्ष्य होता है कार्य तक पहुँचना। इस कथा की सहायिका प्रारंभिक कथा होती है जो कार्य स्थापना में भी सहायता करती है। 'कार्य' पर दृष्टि रखकर आचार्य कुल ने काव्यगत वृत्तान्तों की योजना पर अपना मत इस प्रकार प्रकट किया—“अतः घटनाप्रधान \* प्रबंध-काव्य में उन्हीं वृत्तान्तों का संनिवेश अपेक्षित होता है जो उस साध्य 'कार्य' के साधन-मार्ग में पड़ते हैं अर्थात् जिनका उस कार्य से संबंध होता है।”—( जायसी-ग्रंथावली, पृ० ९६-९७ )।

ऊपर हमने काव्य की कथा-वस्तु, उसके इतिवृत्त पर विचार किया है। र काव्य का लक्ष्य केवल इतिवृत्त प्रस्तुत करना ही नहीं होता, यद्यपि उसका चित्रा यही है, जिसके आधार पर उसकी स्थिति होती है। केवल इतिवृत्त प्रस्तुत करना ही इतिहास का लक्ष्य होता है। काव्य का लक्ष्य कुछ और होता है। उसका लक्ष्य है रसात्मक अनुभव का बोध कराना। रसात्मक अनुभव कराने के लिए कवि कथा की गति में विराम लाता है, जहाँ रुककर वह रसात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं—“उसमें घटनाओं की संबद्ध, शृङ्खला और स्वाभाविक क्रम के ठीक ठीक निर्वाह के साथ-साथ हृदय को स्पर्श करानेवाले—उसे नाना भावों का रसात्मक अनुभव करानेवाले—प्रसंगों का समावेश होना चाहिए। इतिवृत्त मात्र के निर्वाह से अनुभव नहीं कराया जा सकता। उसके अन्तर्गत ऐसी वस्तुओं और व्यापारों का प्रतिबिम्बित चित्रण होना चाहिए जो श्रोता के हृदय में रसात्मक तरंग उत्पाने में समर्थ हो।”—( जायसी-ग्रंथावली, पृ० ९० ) इन्हीं बातों को

ल संस्कृत के प्रबंध-काव्यों को लक्ष्य करके आचार्य शुक्ल दो प्रकार के काव्य निर्धारित करते हैं, एक व्यक्ति-प्रधान प्रबंध-काव्य और दूसरा घटना-प्रधान।—( देखिए जायसी ग्रंथावली, पृ० ९१ )।

दृष्टि में रखकर जानाव सुकन न प्रथम काव्य के दो अरण्यों—वस्तु-व्यापार चर्चा और भाव-व्यक्त—का निर्देश किया है। और इन्हीं के चुनाव में कवि द्वारा 'कथा के सम्भार और सभिक स्थानों की पचना' का पता चलना माना है।

उपरोक्त उद्धरण में विदित होता है कि प्रथम काव्य में इतिवृत्त तथा समात्मक स्थानों का अंतर्भाव होता है। इतिवृत्त के मरध निर्वाह पर तो विचार हो चुका, अब उसके मरध तथा समात्मक स्थान पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। आचार्य शूद्र का कथन है कि इतिवृत्त तथा समात्मक स्थानों के कारण ही "कवि को नहीं तो पटना का सकोन बनना पटना है और कहीं विस्मय।"—(जायसी प्रथावली, पृ० १०)। आगे वे कहते हैं—“पटना का समुचित उल्लेख तो केवल इतिवृत्त मात्र होता है। उसमें एक एक चरित्र पर ध्यान नहीं दिया जाता और न पत्रों के हृदय की शक्ति दिखाई जाती है।”—(वही, पृ० ००)। अतः काव्यगत इतिवृत्त का कार्य है क्या? इतिवृत्त समात्मक स्थानों के लिए भूमिका प्रस्तुत करते हैं। उनसे द्वारा यह विदित होता है कि पत्र किस परिस्थिति में है, और किस परिस्थिति में बढ़ है, उसमें अनुकूल कवि समात्मक स्थानों का भाव का उत्प्रेषण उपस्थित करता है या नहीं। इस इतिवृत्त के कारण कवि द्वारा प्रस्तुत किए 'हृदय की स्थान-गत प्रियता' की पत्र होती है। एक गाँव और इतिवृत्त ही पत्र की परिस्थिति का अनुमान कराके गता वा पाठक के हृदय में पत्रों की भावविभक्ति के लिए अनुकूल भूमि उपस्थित करता है, जो समात्मक-भूमि में महायत्न होता है। इसी कारण मधुक्त के आचार्यों ने गता लक्ष स्थान तक पहुँचाया या उसका अनुभव कराने में सहायक होनेवाले इतिवृत्त मात्र के वर्णन में कुछ पत्रों में भी समात्मक उल्लेख है। आचार्य शूद्र द्वारा समर्थन करते हैं।—(देविन्द्र जायसी प्रथावली, पृ० ११)।

जगत्-समात्मक स्थानों का उल्लेख हुआ है। वे कहा है। आचार्य शूद्र कहते हैं—“जिनके प्रभाव से सारी कथा में समात्मकता आ जाती है वे मनुष्य जीवन के सर्व-स्वर्ग स्थान हैं जो कथा प्रवाह के बीच-बाँच में आते रहते हैं।

ह समझिए कि काव्य में कथा-वस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक पहुँचने के लए होती है। इन रसात्मक स्थलों को छाने के लिए कवि-कर्म अरोक्षित होता। कवि को चाहिए कि इतिवृत्त इस दंग से ले चले जिससे उसमें मानव-चिन्तन के मर्मसर्शा स्थल, जिनके द्वारा हृदय में भावों का उन्मेष होता है, 'य' आते जायँ।—(जायसी-ग्रंथावली, पृ० ९१-९२)।

यह कहा गया है कि रसात्मक स्थल ही प्रबंध-काव्य की गति में विराम पस्थित करते हैं। यह विराम किस प्रकार का होता है, यह भी देखा जा का। कुछ काव्य ऐसे प्राप्त हैं जिनमें कवि ने केवल अपने पांडित्य-प्रदर्शन लिए विराम लिए हैं, जिनके द्वारा कवि की जानकारी के अतिरिक्त किसी सर का रसात्मक अनुभव नहीं होता। आचार्य शुक्ल ऐसे विरामों की स्थिति विरोध करते हैं। उनका कथन है कि 'केवल पांडित्य-प्रदर्शन के लिए, 'ल जानकारी प्रकट करने के लिए, केवल अपनी रचि के अनुसार असंबद्ध ग छेड़ने के लिए या इसी प्रकार की और बातों के लिए जो विराम होता वह अनावश्यक होता है।'—(जायसी-ग्रंथावली, पृ० ९९-१००)

एमें वा रसात्मक स्थलों की योजना वस्तु-व्यापार-वर्णन तथा भाव-व्यंजना लिए होती है, इसका निर्देश ऊपर हुआ है। यह वस्तु-व्यापार-वर्णन कवि द्वारा होता है और भाव-व्यंजना पात्र द्वारा होती है।— देखिए जायसी-ग्रंथावली, पृ० १०३ )।

काव्य में वस्तु-व्यापार-वर्णन दो रूपाँ में प्राप्त होता है, एक तो केवल रूपाँ की गिनती गिनाने के रूप में और दूसरे विव-ग्रहण कराने वा उनका चित्र खड़ा करने के रूप में। आचार्य शुक्ल काव्य में वस्तु-व्यापार-वर्णन सदैव विव-ग्रहण कराने के पक्षपाती है, अतएव वस्तु-व्यापार-वर्णन के लिए वे विव-ग्रहण करानेवाली पद्धति के ही अर्थक हैं; जिसमें कवि वर्ण्य वस्तु के एक-एक व्यारे पर दृष्टि रखकर उसका अष्ट चित्रण करके रूप खड़ा करता है। वे वस्तु-परिगणना-पद्धति के अर्थक कदापि नहीं थे।

कहा जा सकता है कि बहुधा वस्तु-व्यापार-वर्णन के वर्णनीय स्थल अनेक रूपाँ में एक ही होते हैं। इस स्थित में वर्णन में नवीनता कर्हों से आ सकती

है। आचार्य शुक्ल का मत है कि "नारीनता का सभारता तो कवि के निर्र के निर्गोपण द्वारा प्रत्यक्ष की हुई उन्मुओं और व्यापारों की सश्लिष्ट योजना म ही हो सकती है। सामग्री नरें नहीं होती, उमरी योजना नए रूप में होती है।"—( जायसी-प्रथायली, पृ० १०४ )। इसी को सम्भृत के आचार्यों ने इस प्रकार से कहा है—

“त एव पदविश्रमास्तः एवार्थविभूतयः ।

तथापि नव्य भवति काव्ये प्रथमकौशलान् ॥”

बन्तु ध्यायार वणन पर विचार करने के पश्चात् अब मात्र ध्यजना पर आइए। यह कहा जा चुका है कि भाव ध्यजना पात्रों द्वारा होती है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि “भाव ध्यजना का विचार करते समय दो भाव ध्यजना रात दसनो चार्हिएँ—( १ ) कितन भावा और गूढ भाव विर्र विर्रगों तर कवि की दृष्टि पहुँची है। ( २ ) कौर भाव कितने उत्कर्ष तक पहुँचा है।” ( जायसी प्रथायली, पृ० १२३ )।

अब केवल प्रथम काव्य के एक अखण्ड सवाद पर और विचार करना है। प्रथम काव्य में सवादों की सस्थिति नरिन नहीं है, यद प्रचीन ही है, ‘रामचरितमानस’ ‘पदमावत’ रामचद्रिका’ आदि काव्यों में यह उरातर मिलती है। प्राचीन काव्यों के सवादों की शैली सीधी सादी और स्वाभाविक है। हाँ, ‘रामचद्रिका’ के सवादों की पद्धति में कुछ बौरूपन अरथ है। आधुनिक प्रथम-काव्यों की सवाद पद्धति में कुछ विशेष तडक भडक वा चटपटावन रहता है। इसका कारण आधुनिक युग की त्रिछिष्ट रचना उपयाम-कहानी से प्रथम काव्यों का प्रभावित होना है। आचार्य शुक्ल प्रथम काव्यों म इस प्रकार के सवादों की अधिम्ना ने पक्षपाती नहीं हैं। ये कहते हैं—“आधुनिक प्रथम काव्यों के प्रथमो प्राय सवादों को ही, आरुपण की वस्तु समझ, प्रधानता दिशा करने हैं। कथा-प्रवाद का मरिम्क बनाने का प्रयत्न वे नहीं करते।”—( इदौराला भाषण, पृ० ७८ )। डाक्टर केर ( W. P. Ker ) ने भी इस विषय में ऐसी ही रात कही है।—( देखिए यही )। यहाँ ध्यान देने की

वात यह है कि संवाद से उनका तात्पर्य आधुनिक कथोपकथन से कथा-साहित्य की प्रधान विशेषता मानी जाती है।

व्यापक काव्य-विषय की अभिव्यक्ति के लिए कवि प्रबंध और मुक्तक काव्य का अवलंबन लेता है। प्रबंध-काव्य का विचार तो हो चुका, अब मुक्तक पर विचार करना है। विषय की परिमिते की दृष्टि से मुक्तक का स्वरूप यह है कि वह स्वच्छंद होता है, उसका विषय पूर्वापर-संबंध-विच्छिन्न होता है, वह अपने में ही पूर्ण होता है। आचार्य शुक्ल के प्रबंध और मुक्तक पर किये गये इस तुलनात्मक विचार से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं—“मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा-प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छंटे पड़ते हैं जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध-काव्य एक विस्तृत-वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुल्मदस्ता है। इसी से वह समासमाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक हृद्यों द्वारा संवटित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंडदृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ कुछ क्षणों के लिए मंत्र मुग्ध सा हो जाता है, इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा-सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है।”—(इतिहास, पृ० २९८-२९९)। इस विवेचन से स्पष्ट है कि प्रबंध की अपेक्षा मुक्तक की सीमा छोटी तथा उसका प्रभाव क्षणिक है। उसमें प्रबंध की भाँति वर्णन या हृदय की स्थानगत विशेषता पर दृष्टि नहीं रहती, क्योंकि उसमें प्रायः एक छोटा या बड़ा हृदय मात्र होता है। मुक्तक के विषय में आचार्य शुक्ल ने सर्वत्र ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं।—(देखिए काव्य में रहस्यवाद, पृ० ६२ और जामसी-ग्रंथावली, पृ० ९१)।

कुछ लोग मुक्तक तथा प्रगीत मुक्तक (लोरिसस) को एक ही मानते हैं। पर बात ऐसी नहीं है, दोनों का भेद स्पष्ट है। प्रगीत मुक्तक की सब से प्रधान

प्रियेपता है, उग्रमें वैयक्तिक रूप (मन्वेक्टिव एलिमेंट) मुक्त तथा प्रगीत की पूर्ण अस्थिति, जो मुक्तों में—जैसे, सूर तुम्ही आदि मुक्त कवियों के—नहीं दिखाई देती और यदि रहा दिखाई देती भी है तो अत्यन्त गिरल रूप में। हिंदी में भी प्रगीत मुक्तों की चान् हो जाने से मुक्तों से उसका पार्थक्य स्पष्ट हो गया है। यह तो निश्चित है कि प्रगीत मुक्तों का प्रचलन पाश्चात्य देशों के अनुकरण पर हुआ है। उन लोगों ने शुद्ध प्रगीत मुक्तों (ट्रिप्लर लीरिक्स) के अनेक लक्षण निधारित किये हैं। जिनमें से कुछ ये हैं—मध्यकालीन वैभवापूर्ण जीवन का चित्रण, वैयक्तिक रूप की स्थिति, निराशावाद का सन्निवेश, संगीत की प्रधानता, अभिव्यजना गैली की कलात्मकता आदि। हिंदी में जो प्रगीत मुक्तों की चान् चने हुए उनमें भी इन विशेषताओं की स्थिति के दृश्यन विशेष रूप से होते थे और कुछ में अब भी होते हैं। प्रगीत मुक्तों के नाम पर हिंदी में कुछ कवियाँ ऐसी भी प्रस्तुत की जाती हैं, जो केवल मुक्तों की ही श्रेणी में रखी जायेंगी, क्योंकि उनमें अभिव्यजनागैली की कलात्मकता ने अनिश्चित प्रगीत मुक्तों की अन्य विशेषताएँ बहुत कम दिखाई देती हैं या दिखाई ही नहीं देती।

यूरोपियों विषय की दृष्टि में काव्य को स्वानुभूतिनिरूपक (मन्वेक्टिव) और वाक्यार्थनिरूपक (जीवेक्टिव) दो श्रेणियों में रखते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी वहीं वहीं इस भेद को सामने करके अपने जालोच्य कवियों स्वानुभूति निरूपक पर विचार किया है, जैसे, सुमीते के विचार से तुलसी की तथा वाक्यार्थनिरूपक कविता का उन्होंने इसको सामने रखकर वर्गीकरण किया पक काव्य है, और वहीं यह भी कहा है कि "प्रथम काव्य सदा वाक्यार्थ निरूपक होता है।" (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ८४ ८५)।

प्रगीत मुक्तों (लीरिक्स) को वे अतर्कित निरूपक मानते ही हैं। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने सुमीते के लिए कहीं-कहीं काव्य को इन दो श्रेणियों में रख दिया है, तथापि वे इन श्रेणियों को स्थूल दृष्टि से निधारित ही यतगतते हैं। पेटर (Pater) ने भी इन्हीं स्थूल वर्गीकरण ही माना है।—देविण (गोस्वामी तुलसीदास पृ० ८६)। आचार्य शुक्ल के अनुसार "यहाँ पर यह उचित कर देना आवश्यक है कि 'स्वानुभूति निरूपक' और 'वाक्यार्थ निरूपक' यह भेद स्थूल दृष्टि से ही



किया हुआ है। कवि अपने से बाहर की जिन वस्तुओं का वर्णन करता है, उन्हें भी वह जिस रूप में आप अनुभव करता है उसी रूप में रखता है। अतः वे भी उसकी स्वानुभूति ही हुई।” इसके अतिरिक्त “जिस अनुभूति की व्यंजना को श्रोता या पाठक का हृदय भी अपनाकर अनुरजित होगा वह केवल कवि की ही नहीं रह जायगी, श्रोता या पाठक की भी हो जायगी।”—( गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ८६)। आधुनिक विशिष्ट समालोचक एवरक्राथी का भी यही मत है कि कवि जिस वस्तु का वर्णन करता है उसे वह पहले देखता है और देखने से उसे जो अनुभूति होती है, उसे व्यक्त करता है, इस प्रकार वह वर्णन स्वानुभूति से ही संभव है। अंतर्वृत्तिरूपक कविता में तो उसकी अनुभूति होगी ही।

काव्य में वर्णित विषय को दृष्टि में रखकर आचार्य शुक्ल ने उसका एक और विभाजन किया है, जो सर्वथा उपज्ञात (ओरिजिनल) है। वे काव्य को इन दो श्रेणियों में रखते हैं—“( १ ) आनंद की साधना-आनंदकी सिद्धा-वस्था वा प्रयत्न-पक्ष को लेकर चलनेवाले, ( २ ) अरुणंद वस्था और साधना-की सिद्धावस्था वा उपभोग-पक्ष को लेकर चलनेवाले।”—वस्था वाले काव्य ( चिंतामणि, पृ० २९२ )। “आनंद की साधनावस्था वा प्रयत्न-पक्ष को लेकर चलनेवाले काव्यों के उदाहरण हैं—हिंदी में रामचरित-मानस, पदमावत ( उत्तराद्ध ), हम्मीररासो, पृथ्वीराज-रासो, छत्रप्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य, भूषण आदि कवियों के वीरसात्मक मुक्तक तथा आल्हा आदि प्रचलित वीरगाथात्मक गीत...।” (वही, पृ० २९३)।

\*I do not give you my experience of looking at a landscape if my words merely represent what I have seen, nor if they merely express my feeling, if this experience is to be matter of literature, it must be the experience whole and entire both what I saw and what I felt in perfect combination.

—Loscelles Abercrombie M. A.'s *Principles of Literary Criticism*, p. 34

“आनंद का मिठावट या उपभोग-वादी को लेकर चम्पेराते काव्यों के उदाहरण हैं—हिंदी में सूरदास, कृष्णभक्त कवियों की पदावली, विह्वल, गलसई, रीतिशास्त्र के कवियों के कुटिल श्रुतार्थी पद्य, रामचन्द्राचार्य जैसे क्षणिककाल काव्य तथा जायकल की अधिकांश उदाहरण कविताएँ ।”—(उर्ध्व, पृ० २१४) आचार्य शुक्ल आनंद की साधनात्मक या प्रयत्न की लेख चम्पेराते काव्यों को आनंद का मिठावट या उपभोग-वादी को लेकर चम्पेराते काव्यों का विशेष अर्थ मानते हैं, जिनमें (प्रथम प्रकार के काव्यों में) श्रुतार्थी का कव्य भयभीत रूप संक्षिप्त रहता है।

जब काव्य के लक्ष्य पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार काव्य के स्वरूप व परिभाषा के विषय में राष्ट्रममण शताब्दियों में विचार करते जा रहे हैं, पर अभी तक उसकी कोई एक परिभाषा काव्य-लक्ष्य निश्चित नहीं की जा सकी, उसी प्रकार ‘काव्य का लक्ष्य क्या है’ इससे विषय में भी शताब्दियों से विचार होना जा रहा है, परंतु अभी तक कोई एक लक्ष्य निर्धारित नहीं हो सका। विभिन्न देश और काल के साहित्यममण अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार उक्त लक्ष्य भी विभिन्न ही बताते हैं। इस प्रकार हम विषय में ‘इदमित्यम्’ का कथन नहीं हो सकता, पर यह निश्चित है कि काव्य का लक्ष्य कुछ न कुछ है अवश्य। जो लोग काव्य का लक्ष्य कुछ न मानकर उगरी लक्ष्य उठाते हैं, उगरी बातों तक में ही लक्ष्य कुछ न कुछ लक्ष्य है ही।

हमारे विचार से जिस प्रकार यह जगत् और जीवन अनेकरूपामय है—जिस प्रकार देखने अनेक पक्ष हैं—उसी प्रकार काव्य का लक्ष्य भी अनेकरूपामय है—यदि सच्चे काव्य का प्रयोग जगत् और जीवन के सभी क्षेत्रों में साहित्यतापूर्ण माना जाय तो इसका लक्ष्य जगत् और जीवन के अतिसूक्ष्म सभी रूपों में अपना स्वरूप प्रकट करता हुआ दिशा दे सकता है। जगत् और जीवन की अनेकरूपता के समान ही काव्य के लक्ष्य भी अनेकरूपता के साथ यदि जगत् और जीवन का सौंदर्य परम लक्ष्य निर्धारित हो तो काव्य का भी परम

लक्ष्य निश्चित हो सकता है। ऐसा निश्चय हुआ भी है। कुछ भारतीय दार्शनिक जीवन का परम लक्ष्य ब्रह्मानन्द की अनुभूति मानते हैं। भारतीय साहित्य-चार्यों ने भी काव्य का परम लक्ष्य रसानुभूति माना है, जो ब्रह्मानन्द की अनुभूति के समान ही है, जो ब्रह्मानन्द-सहोदर है। अन्य देश के साहित्य-मर्मज्ञों ने भी काव्य का परम लक्ष्य किसी न किसी रूप में आनन्द ही माना है।

यहाँ हमें आचार्य शुक्ल द्वारा निर्धारित काव्य के लक्ष्य पर विचार करना है। काव्य के लक्ष्य पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है, एक तो काव्य-विधान की दृष्टि से और दूसरे जीवन के साथ उसके काव्य-लक्ष्य और समन्वय की दृष्टि से। पहले काव्य-विधान की दृष्टि से उस पर काव्य-विधान विचार करना सुविधाजनक होगा, क्योंकि इससे होकर ही उसका समन्वय जीवन से स्थापित होता है।

कवि की काव्य-रचना की प्रवृत्ति के मूल में आत्मतोष ही नहीं निहित रहता, पर-तोष भी निहित रहता है। देखा तो यह जाता है कि द्वितीय भावना की उसमें अधिकता होती है। 'स्वातः-सुखाय' रचना करने-प्रेषणीयता वाले कवियों की दृष्टि, यदि प्रत्यक्षतः नहीं तो परोक्षतः ही सही, 'परांतः-सुखाय' पर भी अवश्य रहती है। ऐसे कवियों को भी यह इच्छा रहती है कि कोई हमारी रचना देखे-सुने और इसके विषय में कुछ कहे—प्रायः अनुकूलवेदनीय बातें। तात्पर्य यह कि कवि का मन भी 'एकोऽहं बहुस्वाम्' का अभिलाषी होता है। उसका मन भी उसके काव्य को देखने-सुनने के लिए, सहृदय श्रोता वा पाठक की अपेक्षा रखता है। सारांश यह कि कवि का लक्ष्य अपने काव्य को दूसरों तक पहुँचाना होता है, उसकी यह प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। वस्तुतः इसी प्रवृत्ति को दृष्टि में रखकर काव्य-विधान के सभी रूप काव्य-क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं। काव्य के सभी संप्रदायवालों का यह लक्ष्य रहा है कि कवि की रचना सहृदय, पाठक वा श्रोता तक पहुँचे। इस प्रकार काव्य में प्रेषणीयता (काम्यूनिकेविलिटी) का सिद्धांत सर्वप्रथम आता है। बिना प्रेषण के काव्य का कोई प्रभाव पाठक वा श्रोता पर नहीं पड़ सकता। प्रेषण के पश्चात् ही वह उससे प्रभावित होकर उसके

विराम म बुल बह-मुन यकता रे । आचार्य शुक्ल ने भी प्रेषण को राज्य (वा काव्य शिक्षण) का लक्ष्य माना है—“एक वी अनुभूति को दूसरे से हृदय तक पहुँचाना, यही काव्य का लक्ष्य होगा है । ( काव्य में रस-संवाद, पृ. १०५ ) । कवि की दृग्गत अनुभूति, भाव या विचार की प्रेषणीयता पर गंम्यामी तुलसीदास ने भी प्या दिया है । ये भी इकने पठपाती हैं । ये कहते हैं—

भलि मानिक मुकुता-प्रवि जैमी । अहि, गिरि, गज-सिर मोह न लैमी ।  
 वृष किरिड सन्नी-नव पाहं । लहहि सकल मोभा अधिकाहं ।  
 तसइ मुकवि कविल सुध कहई । उपबहि अनत अनत छवि रहई ।

कवि की कविता कवि तक ही रहकर शोभा को प्राप्त नहीं होती, प्रत्युत वह दूसरे तक—पाठक या श्रोता तक—पहुँचकर गंमिभ होता है । आपुनिक जैंग-रन समीप दरजानी, जिने बहुत से काव्य गम्य-वी विचार भारतीय काव्य सिद्धांतो से मेर ग्याते हैं, जिना प्रेषण के साहित्य की स्थिति ही नहीं मानते । उनका कथन है कि जिल साहित्य में प्रेषण शक्ति नहीं, वह साहित्य ही नहीं है । उनके विचार से कवि की अनुभूति पाठक वा श्रोता तक पहुँचनी ही चाहिए ।

काव्य वा कला के लक्ष प्रेषण पर विचार करने के पश्चात् उसकी पद्धति वा प्रणिया पर भी विचार करना चाहिए । आचार्य शुक्ल कहते हैं— इसके

\* For evidently, whatever else literature may be, communication it must be no communication, no literature  
 The art consists in the communication established between author and reader (or, of course, hearer) literature communicates experience that is to say, the experience which lived in the author's mind must live again in the reader's mind The experience itself must be given, transplanted from one mind to another

—Lascelles Abercrombie M. A.'s *Principles of Literary Criticism*

लिए (प्रेषण के लिए) दो बातें अपेक्षित होती हैं। भाव-प्रेषण की प्रक्रिया पक्ष में तो अनुभूति का कवि के अपने व्यक्तिगत संबंधों या योग-क्षेम की वासनाओं से मुक्त या अलग होकर, लोक-सामान्य भावभूमि पर प्राप्त होना (Impersonality and detachment)। कला या विधान-पक्ष में उस अनुभूति के प्रेषण के लिए उपयुक्त भाषा-कौशल।”—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० १०४)। अर्थात् प्रेषण के लिए कवि में अनुभूति और उसको पाठक वा श्रोता तक पहुँचाने के लिए समुचित भाषा, इन दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अनुभूति के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं वह जैसी भी होगी उसे तो भाषा में आकर पाठक और श्रोता तक जाना ही है।

कवि-हृदयगत मूल अनुभूति तथा भाषा में आई अनुभूति में बड़ा भेद हो जाता है। हृदय की अनुभूति व्यों की त्यों भाषा में नहीं आ सकती। उसकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा पूर्णरूप से नहीं हो सकती। आचार्य शुक्ल कहते हैं—“पर यह भी निश्चय समझना चाहिए कि जिस रूप में अनुभूति कवि के हृदय में होती है, उसी रूप में व्यंजना कभी हो नहीं सकती। उसे प्रेषणीय बनाने के लिए—दूसरों के हृदय तक पहुँचाने के लिए—भाषा का सहारा लेना पड़ता है। शब्दों में दलते ही अनुभूति बहुत विकृत हो जाती है, और की और हो जाती है। इसी से बहुत सी दिव्य और सुंदर अनुभूतियों को कवि यों ही छोड़ देते हैं, उनकी व्यंजना का प्रयास ही नहीं करते।”—(काव्य में रहस्यवाद पृ० ७९-८०)। अँगरेज समालोचक एवरक्रावो का भी विचार इस विषय में ऐसा ही है। ऐसी स्थिति में कवि में ‘प्रेषण के लिए उपयुक्त भाषा-कौशल’ की आवश्यकता होती है। उसकी भाषा इतनी सशक्त होनी चाहिए कि वह अत्यधिक अंश में अपने हृदय की अनुभूति को श्रोता वा पाठक तक पहुँचा

\*Literature communicates experience : but experience does not happen in language.

—Laseelles Abercrombie M. A.'s *Principles of Literary Criticism.*

रहे। ऐसा करके ही वह सफल हो सकता है, अन्यथा ही। एकरात्री का कथन है कि ऐसी भाषा का प्रयोग, जिसके द्वारा कवि की अनुभूति धोना वा पाठक तक नहीं पहुँची, चाहे वह उसे उन प्रकार की भाषा द्वारा अपने लिए कितना ही स्पष्ट समझे, साहित्य नहीं कहना सकता। सरासरी यह कि अनुभूति की अभिव्यक्ति धोना या पाठक पर प्रभाव होनी चाहिए।

प्रयोग की सिद्धि के लिए प्रयाग हो तो किस प्रकार की भाषा का? इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यह तो कवि की अभिव्यक्ति-व्यवस्था पर निर्भर है। यह सीधे साधे शब्दा द्वारा भी अनुभूति के अत्यधिक जरा ही श्रोता वा पाठक पर प्रकट कर सकता है और चतुराई द्वारा भी, जिसके अंतर्गत सारी शब्द-शक्तियाँ और सभी प्रकार आ सकते हैं। इसी सिद्धि के लिए एकरात्री ने प्रतीकमय भाषा (सिग्नलिफिकेशन) के प्रयोग की अनुमति दी है। सच मान तो यह है कि इस कार्य में यही कवि सफल हो सकता है, जिसकी जाण मात्र ने अपने सतृप्त वाच्य वाचकमय वाणी का सेना खड़ी हो सकती है, और वह उसका उपयोग अपने इच्छानुसार करता है।

कवि की अनुभूति वाणी के साधन (मीडियम) में जो भोला वा पाठक तक पहुँचती है तब उसका कोई न कोई प्रभाव जीवन पर अवश्य पड़ता है।

\*If the language he uses does not represent his experience to his readers, not matter how clearly it expresses this to himself, it does not succeed in being literature it does not succeed as communication

—Lascelles Abercrombie M. A's *Principles of Literary Criticism* P. 63

† मैगिण्ट वही, पृ० ३१-३०

‡ अत्र कपोनिनपितृतिमिनातपर स्तुत्य स एव कविमण्डलचक्रवर्ती यस्याज्यैर पुरत स्वयमुज्जिर्हते द्राण् वाच्यवाचकमथ प्रतनानिरेक ।

अतः जीवन के साथ काव्य के संबंध की दृष्टि से उसका काव्य-लक्ष्य और (काव्य का) क्या लक्ष्य है, इसे भी देख लेना चाहिए।

जीवन जगत् यह सर्वविदित है कि आचार्य शुक्ल काव्य को जगत् और जीवन से परे की वस्तु नहीं मानते, उनके मतनुसार काव्य

का जगत् और जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः उनकी धारणा है कि काव्य का लक्ष्य भी इनसे सबद्ध है। वे कलावादियों की भाँति यह

नहीं मानते कि काव्य वा कला का लक्ष्य वह स्वयंही है, जगत् और जीवन से उसका कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार वे इसके भी पक्षपाती नहीं हैं कि

काव्य और सदाचार का कोई संबंध नहीं है, जैसा कि कलावादी मानते हैं। उनका कथन है कि यदि काव्य और सदाचार का संबंध न होता तो भारतीय

आचार्य रसातुभूति को 'सर्वोद्रेकात्' (सर्वोद्रेक के कारण) न मानते; रसातुभूति सर्व गुण से संबद्ध है, जिसका लगाव सदाचार से है, दुराचार से नहीं।

दुराचार का संबंध तो 'जोगुण तथा तमोगुण से है।—(देखिए इंदौरवाला भाषण, पृ० ३७-४०)।

रीतिकाल के काव्य की छीछालेदर होने के कारण—उसका लक्ष्य गिर

जाने के कारण—उस काल के अंतिम भाग से लेकर आधुनिक काल के आरं-

भिक भाग तक लोगों के हृदय में वह भावना बद्धगूल होने लगी थी कि काव्य का कोई ऊँचा लक्ष्य नहीं है, वह ठाले बैठे लोगों की वस्तु है। उसका उद्देश्य

मनोरंजन वा विलास की ओर प्रेरित करना है। व्यावहारिक जीवन में—जीवन की यथार्थता में—उसका कोई स्थान नहीं। उपर्युक्त दोनों कालों के मध्य में

परिस्थिति भी ऐसी थी कि इस प्रकार की भावना का उदय होना स्वाभाविक ही था। आज की अपेक्षा उस काल में धन-धान्य की अधिक संपन्नता के

कारण लोगों में विलास की तथा मनोरंजन की प्रवृत्ति भी विशेष थी। आचार्य शुक्ल काव्य का लक्ष्य केवल मनोरंजन ही नहीं मानते, वे यह नहीं मानते कि

काव्य का अंतिम लक्ष्य विलास की सामग्री उपस्थित करना है। वे कहते हैं—“मन को अनुरजित करना, उसे सुख या आनंद पहुँचाना, ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाय तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री

हुई।”—(चिंतामणि, पृ० २२३)। उनका कथन है कि काव्य का लक्ष्य

इसमें ऊँचा है, यह इसके जागे की वस्तु है—“जब यह धातु कि काल्य व्याहार का साधक है, उमरे अनुशास्त्र से अकर्मण्या आती है, ठीर नहीं। कृतिता तो भाव प्रसाद द्वारा कर्मण्य के लिए कर्मभेद का धीर विस्तार कर देता है।”—(बरी, पृ० २१६)। काव्य के इस प्रकार के उद्देश्य कथन ने न सिद्ध हो जायगा कि यह ठीर उँचे निष्पन्न लोगों की वस्तु नहीं है।

आचार्य शुक्ल द्वारा निर्धारित काव्य का लक्ष्य यही धारण स्थिर नहीं होता। वे काव्य का लक्ष्य इसमें भी ऊँचा धनलाते हैं। उनका मत है कि

काव्य-लक्ष्य और उनका परिष्कार और प्रसार करता है। जो व्यक्ति निर्मा के हृदयकी सुखावस्था दुःख से दुःखी नहीं होता, जो अपने व्यापार की कठोरता में भी जमटा हुआ दीन दुःखिया की पुकार पर जल नहीं देता, निम्नता हृदय प्रसार हो गया है, ऐसे मानसिक रोगिया की दवा कविता है। कविताद्वारा ऐसे व्यक्ति पुनः अपने हृदय की प्रवृत्तावस्था को प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार कविता हृदय को प्रवृत्तावस्था में लाकर मानव के वाच्य मानव का समुचित समर्थ स्थापित करती है। यह उसे एक दूसरे के सुख-दुःख में योग देने के योग्य बनाती है। इस प्रकार इसमें द्वारा हृदय का विना ही जाता है, जो मानवता की उच्चभूमि का परिचायक है।—(देखिए यहाँ पृ० २१७-२१९)।

अपनीय आचार्यों ने काव्य का परम लक्ष्य उमरे द्वारा स्थापित माना है, जो ब्रह्मज्ञान सहोदर है। आचार्य शुक्ल भी काव्य का परम वा अंतिम लक्ष्य उमरे द्वारा हृदय का सुखावस्था में स्थित होना मानते हैं, जिसमें वह 'मिरा-तेग' के व्यक्तिगत संतुष्टि समर्थ से छूटकर अपना सुखावस्था को प्राप्त हो जाता है और तब उसे सब कुछ अपना ही—सम्भूत जात्मभूत प्रतीत होता है। आचार्य शुक्ल स्थापित को इस रूप में मानते हैं। काव्य का लक्ष्य मल्लाने हुए वे कहते हैं—“काव्य का लक्ष्य है जगत् और जीवन के मार्मिक पत्रको गोचर रूप में लाकर सामने रखना जिम्मे मनुष्य अपने व्यक्तिगत समुचित धरे से अपने हृदय को निकाल कर उसे विश्वस्थापित और निकाल-वर्णिनी अनुभूति में लीन करे। इसी लक्ष्य के भीतर जीवन के ऊँचे में ऊँचे



उद्देश्य आ जाते हैं । इसी लक्ष्य के साधन से मनुष्य का हृदय जब विश्व-हृदय; भगवान् के लोकरक्षक और लोकरंजक हृदय, से जा मिलता है, तब यह भक्ति में लीन कहा जाता है । उस दशा में धर्म-कर्म के साथ, और ज्ञान के साथ उसका पूर्ण सामंजस्य घटित हो जाता है ।—( इंदौरवाला भाषण, पृ० ५०—५१ ] । काव्य के परम लक्ष्य के विषय में आचार्य शुक्ल ने सर्वत्र यही बात कही है ।

हम ने कई स्थलों पर देखा है कि आचार्य शुक्ल सामंजस्यवादी हैं । वे ब्राह्म वा आभ्यन्तर जगत् के सभी रूपों तथा भावों का चित्रण काव्य में अपेक्षित समझते हैं । प्रकृति के सुंदर, भयावह आदि दोनों प्रकार के रूपों वा व्यापारों के तथा हृदय के कोमल, परुष आदि दोनों प्रकार के भावों के चित्रण के वे पक्ष-पाती हैं, क्योंकि जीवन और जगत् में इन दोनों प्रकार के रूपों वा व्यापारों और भावों की स्थिति है । यह नहीं कि बाह्य वा आभ्यन्तर प्रकृति में इनमें से केवल एक ही प्रकार के रूपों का वा भावों का अस्तित्व हो । इस प्रकार बाह्य वा आभ्यन्तर दोनों प्रकृतियों में इन दो विषय वा जटिल वस्तुओं का समावेश है । आचार्य शुक्ल का कथन है कि इन जटिल भावों वा रूप-व्यापारों में सामंजस्य स्थापित करना काव्य का परम मूल्य है—“न तो अंतःप्रकृति में एक ही प्रकार के भावों वा वृत्तियों का विधान है और न बाह्य प्रकृति में एक ही प्रकार के रूपों वा व्यापारों का । भीतरी और बाहरी दोनों विधानों में घोर जटिलता है । इन्हीं जटिलताओं का, इन्हीं परस्पर संबद्ध विविध वृत्तियों का, सामंजस्य काव्य का परम उत्कर्ष और सब से बड़ा मूल्य है । सामंजस्य काव्य और जीवन दोनों की सफलता का मूल मंत्र है ।”—( काव्य में रहस्यवाद, पृ० १३—१४ तथा वही, पृ० २ ) ।

आचार्य शुक्ल द्वारा निर्धारित काव्य के लक्ष्य को देखने से विदित होगा कि वे काव्य को उपयोगितावादी दृष्टि से देखते हैं और जिस उपयोगितावाद की दृष्टि से देखते हैं उसकी परिमिति संकुचित नहीं है, काव्य-लक्ष्य तथा विस्तृत है । वे काव्य की उपयोगिता केवल मनोरंजन वा उपयोगितावाद विलास की सामग्री प्रस्तुत करने तक ही नहीं मानते, प्रत्युत वे उसको उस रूप में देखते हैं, जिसके द्वारा मानव-जीवन

में सन्निवृत्त जाती है, जिसमें वह मनुष्यता की उच्चभूमि पर प्रतिष्ठित होता है, जिसमें उसने हृदन का विस्तार हो जाता है और 'वद स्य को अपना समझना है—सर्वभूत को आमभूत कर लेना है। प्राचीन आचार्य काव्य की जिस 'रसानुभूति' को उसका चरम लक्ष्य कहते हैं उसे ही आचार्य शुक्ल भी काव्य का परम लक्ष्य मानते हैं, पर उनकी रसानुभूति वा काव्यानन्द की व्याख्या से भिन्न है। प्राचीन आचार्य तो उसे ब्रह्मानन्द-सहोदर या लोकोत्तर आनन्द कहते हैं, पर आचार्य शुक्ल हृदय की मुक्तानुभूति वा उसके प्रकृत्याख्या में स्थित होने को ही रसानुभव वा काव्यानन्द की स्थिति मानते हैं।

'उपक्रम' में हमने आचार्य शुक्ल के अनन्य प्रकृति प्रेम तथा उनके द्वारा उसने गूढ़ निरीक्षण पर विचार किया है। यही हमने यह सचेत भी किया था कि इस प्रकृति प्रेम तथा इसने निरीक्षण की प्रकृति के कारण काव्य और प्रकृति व काव्य में इसने विशेष महत्त्व के प्रतिष्ठापन हैं। यहाँ हम चित्रण आचार्य शुक्ल के विचारों को दृष्टि में रखकर काव्यगत प्रकृति (वा काव्य और प्रकृति) पर विचार करेंगे।

जिसे हम जगत कहते हैं, उसमें मनुष्यकृत कृत्रिम वस्तु-व्यापारों के अतिरिक्त जो कुछ स्वाभाविक है, वह सब प्रकृति ही है। इन्हीं को कहें तो और स्पष्ट हो जान कि जगत का जन्म व्यापार, क्रिया-रूप आदि प्रकृति के क्षेत्र में ही चलते हैं, उन प्रकृति में जिसे मानव ने अपनी सुविधा के लिए कुछ परिबद्ध कर लिया है। पर प्रकृति बहुत विस्तृत है और मानव की पहुँच अभी तक अपनी अधिक नहीं कि वह उसे सब अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ ले, इसलिए जन भी कुछ प्रकृति का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। इन प्रकार हम देखते हैं कि ससार वा काव्य प्रकृति के रसमंच पर ही चरता है, ससार प्रकृति में ही स्थित है, पर जिस प्रकृति में स्थित है, उसका स्वरूप परिमित हो गया है, पर सन्तुष्ट प्रकृति परिवर्तित नहीं है, वह अपने शुद्ध रूप में भी बड़े ही विस्तृत और विदाह आधार में बतमान है। काव्य के साथ सब प्रकृति का नाम जाता है तो उसमें प्रायः सभी शुद्ध प्रकृति का तात्पर्य होता है।

वैसे तो मनुष्य प्रकृति का ही प्राणी है, पर वह अपनी विशिष्टताओं तथा इनके द्वारा संपादित छोटे-बड़े किया-कलापों के कारण प्रकृति के अन्य प्राणियों से अपना कुछ विशिष्ट वा पृथक् स्थान रखता है। 'प्रकृति के प्राणी' का नाम देने पर अब उसका स्पष्टतः बोध नहीं होता, उसका मानव-क्षेत्र अब अलग ही स्थापित हो गया है। इसलिए काव्य का विषय मानव-क्षेत्र एक अलग ही विषय माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने भी केवल मानव-क्षेत्र के कवियों का उल्लेख किया है, काव्य वा कवि पर चिन्तार करते हुए हम इसका संकेत कर चुके हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य अब प्रकृति का एक विशिष्ट प्राणी हो गया है और उसकी गणना इतर प्राणियों से पृथक् होने लगी है।

मनुष्य की ही भौतिक चेतन, पर निम्न कोटि के अन्यप्राणी भी प्रकृति में रहते हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि आते हैं। इन्हें प्रकृति की सीमा में इन मनुष्येतर चेतन प्राणियों की भी गणना होती है और इन पर भी कविता की जाती है, ये भी काव्य के विषय बनते हैं।

इन चेतन प्राणियों के अतिरिक्त प्रकृति में अचेतन वा जड़ वस्तुएँ भी हैं, जो नदी, निर्जर, गहाड़, टोले, पटपर, समुद्र, मेघ, उषा, सूर्य, चंद्र आदि विभिन्न रूपों में दृष्टिगत होती हैं। प्रकृति का यही विभाग वा उसके ये ही रूप मनुष्य की अपनी ओर प्रधान रूप से आकर्षित करते हैं। अतः देखा यह जाता है कि काव्य में इन्हीं का वर्णन विशेष प्राप्त होता है। वस्तुतः काव्यगत प्रकृति-चित्रण के अंतर्गत उसके (प्रकृति के) प्रायः ये ही रूप अब तक समझे गए हैं। इन रूपों के संबंध से ही मनुष्येतर चेतन प्राणियों का भी चित्रण काव्य में मिलता है। विना प्रकृति के इस जड़ रूप के चित्रण के उपर्युक्त चेतन प्राणियों का चित्रण सुन्दर नहीं प्रतीत होता, जड़ प्रकृति ही चेतन प्रकृति के चित्र की पीठिका है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति से प्रायः मनुष्येतर चेतन प्राणी तथा जड़ वस्तुओं का बोध होता है, जिनका स्वरूप ऊपर देखा गया है। काव्य में प्रकृति-चित्रण की सीमा के अंतर्गत आचार्य शुक्ल भी प्रायः इन्हीं दो रूपों का ग्रहण मानते हैं। इस विषय में एक बात और कहनी है। प्रकृति के इन रूपों का चित्रण करनेवाला मनुष्य होता है, इसलिए कभी-कभी प्रकृति-चित्रण के

साथ मनुष्य के सस्र की चर्चा भी आ जाती है। वस्तुतः तब तो यह है कि मनुष्य और प्रकृति का संघ अत्यन्तान्ध्रित है, दोनों का पारस्परिक विन्यास समझ नडा। अतः ऐसा होना स्वाभाविक है।

पाश्चात्य विचारवादी वा भारतीय दोनों दृष्टियों से विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आज के नगरों की सभ्यता जंगल, वन, पहाड़, नदी तट आदि प्राकृतिक स्वर्गों से होकर इस रूप में 'प्रकृति की ओर दिशाई पड़ रही है। विकासवादी मानते हैं कि मानव अपने 'लौट चले' बुद्धि बल का विनाश करते करते वनों जंगलों की अस्थायी दशा से सभ्यता में आवर नगरों में पता, और भारतीय इस पर आस्था रखते हैं कि हमारी सभ्यता का निर्माण और विकास वनों-जंगलों, नदी-तट पर हुआ, और आज का नागरिक (नगर की) सभ्यता उसी वय सभ्यता के आवर पर स्थित है, जो वन में ही अपनी पूर्णावस्था पर थी। अतः, हम स तक्ष्य यों सभ्यता के विकास का विवेचन करना नहीं है, प्रयुक्त हम यह दिशाना चाहते हैं कि आज का मानव प्रकृति के क्षेत्र से ही होकर यहाँ तक आया है। प्रकृति के जन्मेन वस्तु वा प्राणी अपने कभी अपने रह चुके हैं, वह इनके साथ निवास कर चुका है। यह प्रकृति का सहचर रह चुका है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि मनुष्य अपनी सभ्यता से प्रायः होकर प्रकृति से दूर चला गया, इतने उसका असली रूप ढँक गया, पर कभी-कभी उवर्षा ओर जना अपने असली रूप का उद्घाटन करना है, क्योंकि वे मानते हैं कि मानव प्रकृति का प्राचीन सहचर है। उनका भन है कि ऐसा करने से उसे भत होगा कि वह प्रकृति से छूटकर कितना कूर और निष्ठुर हो गया है। वे कहते हैं कि "ज्यों-ज्यों मनुष्य अपनी सभ्यता की सोक में इन प्राचीन सहचर से दूर इतता हुआ अपने क्रियाकलाप की कृत्रिम जायसों में आच्छन्न कता जा रहा है त्यों-त्यों उसका असली रूप छिपता चला जा रहा है। इस असली रूप का उद्घाटन तभी हुआ करगा जब वह अपने तुरंत हुए घने जाल के घेरे से निकल कभी कभी प्रकृति के जगर क्षेत्र की ओर दृष्टि फैलाएगा और अपने इन पुगने सहचर के सस्र का अनुभव होगा। अपने घेरे से बाहर की कूरता और निष्ठुरता के अन्वेष का परिणाम

अंत में अपने घेरे के भीतर प्रगट होता है।" (काव्य में रहस्यवाद, पृ० १९)। इस उद्धरण से विदित होता है कि प्रकृति से दूर पड़े मानव की सम्यक्ता क्रूर और निश्चुर हो गई। इसका अनुभव उसे तब ही सकता है जब वह कभी-कभी प्रकृति की ओर जाय; वहाँ की जड़-चेतन वस्तुओं का पारस्परिक सौहार्द्र देखे।

कुछ ऐसे ही विचार फ्रांस की राज्यक्रांति में सक्रिय योग देनेवाले प्रसिद्ध लेखक जीन जैक्स रूसो के भी थे। बात यह हुई कि उक्त क्रांति में वे प्रजातंत्र का सुन्दर सिद्धांत लेकर सम्मिलित हुए थे। पर उसमें घोर रक्तपात हुआ, जिसके कारण इनका उसकी ओर से अंत में विराग हो गया; और इन्होंने 'प्रकृति की ओर लौट चलो' (रिटर्न टु नेचर) की पुकार लगाई। इस सिद्धांत को लेकर इन्होंने कुछ रचनाएँ भी कीं। स्वच्छंदतावादी (रोमांटिक) अँगरेज कवियों में जो प्रकृति-चित्रण की ओर विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है वह रूसो के इस सिद्धांत से प्रभावित होने के ही कारण। बर्ड्सवर्थ रूसो से विशेष प्रभावित हुए थे।

ऊपर हम ने देखा है कि आचार्य शुक्ल के मत्यनुसार मनुष्य के असली वा यथार्थ रूप का उद्घाटन कभी-कभी प्रकृति की ओर जाने से होता है। काव्य में वे मानव के अतिरिक्त प्रकृति के अन्य चेतन तथा जड़ रूपों के चित्रण के पूर्ण पक्षपाती हैं। उनका कथन है कि काव्य में इन दोनों को विशेष स्थान मिलना चाहिए। वे कहते हैं—“...यहाँ इतना ही कहना है के भाव-साहित्य में मनुष्यतर चर-अचर प्राणियों को थोड़ा और प्रेम का स्थान मिलना चाहिए वे हमारी उपेक्षा के पात्र नहीं हैं।” (काव्य में रहस्यवाद, पृ० २१)। इसका कारण काव्य वा जीवन-संबंधी अन्य बहुत-सी बातें हो सकती हैं; पर आचार्य शुक्ल को रुचि इस क्षेत्र में विशेष रूप से काम करती है। वे काव्य में प्रकृति-चित्रण के पक्षपाती क्यों हैं? इसका कारण मतलबते हुए वे कहते हैं—“न जाने क्यों हमें मनुष्य जितना और चर-अचर प्राणियों के बीच में अच्छा लगता है उतना अकेले नहीं। हमारे राम भी हमें मंदाकिनी या गोदावरी के किनारे बैठे जितने अच्छे लगते हैं उतने अयोध्या की राजसभा में नहीं। अपनी-अपनी रुचि है।”—

(वही पृ० २०-२१)। आचार्य शुक्ल का इस प्रकार की रचि का कारण उनका मानव प्रकृति प्रेम तो स्पष्ट ही है, पर इन्होंने अतिरिक्त मानव की व्याप्ति का विस्तार भी कारण है।

आचार्य शुक्ल जिस प्रकार जन प्रकृति के आधारभूत नोमल-वस्त्र सभी प्रकार के भाषा की अभिव्यक्ति ढाँच में प्रोत्थित समझते हैं (पिनरु निवार उपर हो चुका है), उभा प्रकार बाह्य प्रकृति के भी नोमल

काय में प्रकृति के सुंदर, साधारण, रूग्ण, विशाल, असाधारण सभी प्रकार — सर्वा रूपों का के रूपा का चित्रण उनमें जानकर मानते हैं। तात्पर्य यथन प्रकृति के काय में प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में भी सामान्य

भ्रमर पर विशेष दृष्टि रखते हैं। वे प्रकृति के साधारण तथा असाधारण सभी दृश्या का वर्णन ढाँच में देना चाहते हैं। इसका कारण वे यह बताते हैं कि मानव तथा प्रकृति का संबंध अत्यंत प्राचीन है वह उसका पुराना सचर है, इसलिए मानव के हृदय में प्रकृति के इन दोनों प्रकार के रूपों के प्रति प्रेम जमाना के रूप में परंपरा से ही होना चाहिए। जिनमें प्रकृति प्रेम का इस प्रकार की बातना जमी हुई है, वे ही सच्चे सद्बुद्ध का भाग्य हैं। जिनमें इन दोनों प्रकार के प्रति प्रेम न होकर शर्म से केवल एक ही प्रकार के रूप के प्रति प्रेम है, उनमें से कुछ तो राक्षसी शक्ति के हैं, और कुछ तमाज्जान। देखिए वे क्या कहते हैं—“जनत रूपों में प्रकृति हमारे सामने जाती है—कहा मधुर, सुमनित्त या सुंदर रूप में, कहा रूपे पैडल या ककण रूप में, कहा मधु, विशाल या विचित्र रूप में, कहा उग्र, कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसका अनुसंग का कारण अपना खाससुख भोग नहीं, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वाग्मना है। जो केवल प्रकृत प्रसून प्रकार के सारम सचर, मकरदलाटन मधुगुजार, कोकिल उज्जित निरुतु व और शक्ति सुखान्यद समीर इत्यादि की ही चचा किया करते हैं वे विषयी या भोगी शिशु हैं। इस प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिम विट्ट मडित मरुताम गाढ़ल जाल, जलान विशाल गिरिधार से गिरते हुए जलप्रपात के गभीर गर्भ से उठी हुई साकर-नीहायिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की दिग्गता, भयाना आर विचित्रता में ही जानें

हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशावीन हैं—सच्चे भावुक या सहृदय नहीं।”—(चितामणि, पृ० २०३-२०४)। 'काव्य में प्राकृतिक दृश्य' शीर्षक निबंध में तथा अन्य स्थलों पर भी आचार्य शुक्ल ने काव्य में इन दोनों रूपों के चित्रण का पक्ष ग्रहण किया है।

ऊपर कहा गया है कि प्रकृति का चित्रण करनेवाला कवि मनुष्य ही होता है, अतः वह कभी-कभी अपने जगत् और जीवन से ग्रहीत तथ्यों वा उनमें

अनुभूत भावों, विचारों आदि के दर्शन वा आरोप प्रकृति द्वारा भावों, भावुकतावश प्रकृति पर करता है। यहाँ विशेष ध्यान देने तथ्यों तथा अंतर्द- की बात कवि की भावुकता है, क्योंकि जड़ प्रकृति को मानव भावों की व्यंजना के समान ही सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि की व्यंजना करते

हुए सभी लोग नहीं देख सकते, यह उन्हीं लोगों का काम

है जो सच्चे सहृदय वा भावुक हैं। प्रकृति-चित्रण के इस रूप पर आचार्य

शुक्ल का भी यही मत है—“प्रकृति के नाना वस्तु-व्यापार कुछ भावों,

तथ्यों और अंतर्दशाओं की व्यंजना भी करते ही हैं। यह व्यंजना ऐसी

अगूढ़ तो नहीं होती कि सब पर समान रूप में भासित हो जाय, किंतु ऐसी

अवश्य होती है कि निदर्शन करने पर सहृदय वा भावुक मात्र उसका

अनुमोदन करे। यदि हम खिली सुकुदिनी को हँसती हुई कहें, मंजरियों

से लदे आम को माता और फूले अंगों न समाता समझें, वर्षा का

पहला जल पाकर साफ-सुथरे और हरे पेड़-पौधों को तृप्त और प्रसन्न

बताएँ, कड़कड़ाती धूप से तपते किसी बड़े मैदान के अकेले ऊँचे पेड़ को

धूप में चलते प्राणियों को विश्राम के लिए बुलाता हुआ कहें, पृथ्वी को पालती-

पोसती हुई स्नेहमयी माता पुकारें, नदी की बहती धारा को जीवन का संचार

सूचित करें, गिरि-शिखर से स्पृष्ट झकी हुई मेघमाला के दृश्य में पृथ्वी और

आकाश का उमंगभरा, शीतल, सरस और छायायुक्त आलिंगन देखें, तो प्रकृति

की अभिव्यक्ति की सीमा के भीतर ही रहेंगे।”—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० २१-

२२)। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति को इस रूप में देखनेवाला भावुक उसे चेतन

ही समझेगा, दार्शनिक चाहे जो समझते रहें। वही यह भी समझ रखना चाहिए

कि प्रकृति के मनुष्येतर चेतन प्राणियों द्वारा जो उनके रूप, चेष्टा आदि से

भाषा की व्यञ्जना होती है, यह स्पष्ट है। आचार्य शुक्ल कहते हैं—“पशु पक्षिया के मुख दुःख, दर्प शिशाद, राग-द्वेष, ताप शोभ, कृपा शोध इत्यादि भावों का व्यञ्जना जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि में होती है, वह तो प्रायः बहुत प्रायशः हानी है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आशङ्कता प्रायः नहीं होती।”—(चित्तमणि, पृ० २०७)। पर पशु पक्षियों के रूप, व्यापार आदि को दगकर कोई भावुक उनके आधार पर जान और जान में संरक्ष कुछ भावों का उन पर आरोप या उनके द्वारा कोई तत्त्व प्रकट कर सकता है—जिस प्रकार जड़ प्रकृति के आधार पर किया जाता है। आचार्य शुक्ल ने स्वयं ऐसा किया है।—(देखाएँ वही, पृ० २०७-८)। इस विषय में वे कहते हैं—“पर जित तथ्या का आभास हमें पशु-पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं।”—(उनी, पृ० २०७)। इस प्रकार हम विदित होता है कि मनुष्यतर नट तथा चतन दोनों प्रकार की प्रकृतियों का भावुक कवि मनुष्य के समान ही भावा, अनुदर्शाभा और तथ्यों की व्यञ्जना करते हुए देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी ऐसा किया है और वे इसका समर्थन भी करते हैं। स्वच्छन्दतावाद (रोमांटिक) जैंगेजी तथा हिंदी के कवियों की प्रकृति प्रकृति का चित्रण की आर विन्नेव देखी जाती है। वे प्रकृति के यथाथ सुदृष्ट चित्रण (जिस पर आगे विचार होगा) तथा उस पर मानव भावनाओं का आरोप करके उसका चित्रण दोनों पर दृष्टि रखते हैं। देखा यह जाता है कि दूसरे प्रकार के चित्रण में व मानव तथा प्रकृति में कोई भेद नहीं मानते। उन्हें प्रकृति भी मानव के समान सभी प्रकार के भावों का आधार, और सभी प्रकार के त्रिपुत्र-बलाप की कर्त्री के रूप में दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति के प्रति कवि श्री मुमित्रानन्दन पर प्रकृति को नारी के रूप में देखते हैं। उनका कथन है—“प्रकृति को मैंने अपने स अलग, सजीव सचा रमनेवाली, नागी के रूप में देखा है।

‘उस पैली हरियाली में,  
फौन अकेली खेल रही, मा,  
वह अपनी वय वाली में’—



पंक्तियाँ मेरी इस धारणा की पोषक हैं। कभी जब मैंने प्रकृति से तादात्म्य का अनुभव किया है तब मैंने अपने को भी नारी रूप में अंकित किया है।”—(आधुनिक कवि, श्री सुमित्रानंदन पंत, पृ० २)।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रकृति-चित्रण के जिस रूप पर विचार किया गया है वह अपने सच्चे रूप में काव्य की परमिति के अंतर्गत ही आएगा।

आचार्य शूद्र कहते हैं—“इसी प्रकार अभिव्यक्ति की प्रकृत प्रकृति और अन्योक्ति प्रतीति के भीतर, प्रकृति की सच्ची व्यंजना के आधार पर, जो भाव, तथ्य या उपदेश निकाले जायेंगे वे भी सच्चे काव्य होंगे।”—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० २२)। आगे वे कहते हैं—“प्रकृति की ऐसी ही सच्ची व्यंजनाओं को लेकर अन्योक्तियों का विधान होता है, जो इतनी मर्मस्पर्शिणी होती हैं।...अन्योक्तियों में ध्यान देने की बात यह है कि व्यंग्य तथ्य पूर्णतया ज्ञात होता है और हृदय को स्पर्श कर खुका रहता है, इससे प्रकृति के दृश्यों को लेकर जो व्यंजना की जाती है वह बहुत ही स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण होती है।”—(वहाँ, पृ० २३)। इस विषय में आचार्य शूद्र ने अन्य स्थलों पर भी ऐसी ही बात कही है। (देखिए, चितामणि, पृ० २११)।

कभी-कभी प्रकृति पर तथ्यों का आरोप जब सहृदय कवि द्वारा नहीं होता तब वह काव्य नहीं रह जाता, सूक्ति वा सुभाषित का रूप धारण कर लेता है।

आचार्य शूद्र का कथन है कि “इस प्रकार का आरोप प्रकृति और सुभाषित कभी-कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से घसीटकर ‘सूक्ति’ या ‘सुभाषित’ के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे, ‘कौबे सबेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं ? वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे में हमारा भी नाश न कर दे।’ यह सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं।”—(वही, पृ० २०७)।

\* वयं काका वयं काका जल्पन्तीति प्रगे द्विकाः ।

तिमिरारिस्तमो हन्यादिति शंक्तिमानसाः ॥

यहाँ एक उत्तम ध्यान में रमने की यह है कि जिन भावों में प्रकृति की ध्वनना द्वारा तत्त्व, भाव आदि ग्रहण किए जायेंगे अथवा उस पर इनका आरोप होगा, वे पृथक् श्रेणी में गये जायेंगे और जिन प्रकृति द्वारा भावों, वाक्या में मानव-भावनाओं का आरोप मात्र प्रकृति पर होगा, तत्त्वों, अतर्दशाओं उनमें किसी भाव आदि का ग्रहण न होगा—जैसा कि की ध्वनना तथा उस जागृनिष्ठ रस्यदतावादी कवि करते हैं—वे पृथक् श्रेणी में। पर इनका आरोप भावों का आरोप दोनों श्रेणी की कविताओं में प्राप्त होता है, पर प्रथम श्रेणी की कविताओं में हम ऐसा करते उम्मे (प्रकृति से) कुछ ग्रहण करते हैं—तत्त्व, उपदेश आदि, और द्वितीय श्रेणी की कविताओं में हम ऐसा करते उम्मे (प्रकृति की) उम्मी रूप में छोड़ देते हैं, उम्मे चेतन का रूप मात्र दे देते हैं, मानव के समान समझ लेते हैं, यह मानव के समान भावनाओं का जाघार तथा बिया कलापो की कर्मा मात्र धन जाती है, हम उससे उपदेश आदि नहीं निम्नान्ते। तात्पर्य यह कि अतर्दशाओं, तत्त्वों, मानुषिक भावनाओं आदि को लेकर कवियों द्वारा प्रकृति चित्रण दो रूपों में दृष्टिगत होता है, एक तो उस रूप में जिसमें रस्य प्रकृति द्वारा रस्य भावनाओं, अतर्दशाओं, तत्त्वों आदि का चित्रण होता है और दूसरा वह जिसमें कवि अपने भावों का आरोप प्रकृति पर करता है, वह अपने हृद्गत सुख दुःख की भावनाओं के आगेक में उम्मे देखता है।) कर्ना न हागा कि इन दोनों रूपों के चित्रण की मातृक का सहृदय कवि को जागृयता पत्नी है। देवना यह चाहिए कि जाचार्य शुक्ल प्रकृति चित्रण के इन रूपों में से किसी उत्तमता के प्रतिपादन है। वे कहते हैं—“उक्त प्रकृति के अनुसर कुछ पाश्चात्य कवियों ने तो प्रकृति के मानव रूपों के बीच ध्वनित होनवाली भावधारा का बहुत सुन्दर उद्घाटन किया, पर बहुतेरे अपनी प्रेमल भावनाओं का आरोप करते उन रूपों को अपनी अंतवृत्तियों से उपन लगे।” अरे विचार में प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचीन है। अनंत रूपों में भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस ‘महामानस’ की कल्पनाओं का अनंत प्रसार है। सम्मदशी सहृदयों को उससे भीतर नाना भावा की लज्जा मिलेगी। नाना रूप जिन नाना भावों की समुचित लज्जा कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अंत

कोटर की वासनाओं से उन्हें छोपना एक झूठे खेलवाड़ के ही अतर्गत होगा। यह बात मैं स्वतंत्र दृश्यविधान के संबंध में कह रहा हूँ जिसमें दृश्य ही प्रस्तुत वेपय होता है। जहाँ किसी पूर्वप्रतिष्ठित भाव की प्रबलता व्यंजित करने के लिए ही प्रकृति के क्षेत्र से वस्तु-व्यापार लिए जायेंगे, वहाँ तो वे उस भाव में 'मे दिखाई ही देंगे।'... पर बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना दृष्टि को उकुचित करना है। अपने ही सुख-दुःख के रंग में रँगकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है। प्रकृति का अपना रूप भी है।"— (इतिहास, पृ० ७१७-७१८) इस उद्धरण से स्पष्ट है कि वस्तुतः आचार्य शुक्ल उपरिलिखित द्वितीय प्रकार के प्रकृति-चित्रण के पक्षपाती नहीं हैं।

अभी तक प्रकृति-चित्रण के उस रूप पर विचार नहीं हुआ, जो संस्कृत के प्राचीन कवि वास्मीकि, कालिदास और भवभूति में, अंगरेज कवि वर्ड्सवर्थ, शेर्ली आदि में तथा हिंदी के दो-एक प्राचीन और इधर के नवीन कवियों में विशेष रूप से पाया जाता है। प्रकृति के उस रूप के चित्रण को आचार्य शुक्ल 'यथातथ्य संश्लिष्ट चित्रण' का नाम देते हैं और उनकी दृष्टि में प्रकृति के उस ढंग के चित्रण, जिस पर ऊपर विचार हुआ है, तथा इस यथातथ्य संश्लिष्ट चित्रण दोनों का समान महत्त्व है। उनका कहना है कि "दोनों का महत्त्व बराबर है। इनमें से किसी एक को उच्च और दूसरे को मध्यम कहना एक अश्ल वन्द करना है।"—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० २५)।

प्रकृति के यथार्थ या यथातथ्य संश्लिष्ट चित्रण के मूल में कवि का प्रकृति के प्रति अपना सीधा अनुराग प्रकट करने की भावना ही निहित रहती है। वह प्रकृति से अपना सीधा रागात्मक संबंध स्थापित करना यथातथ्य संश्लिष्ट चाहता है। प्रकृति उसके रति भाव का आलंबन बन प्रकृति-चित्रण—प्रकृति जाती है। वास्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि कवियों 'स्वतंत्र आलंबन भी ने इसी प्रकृति-प्रेम के कारण उसका वर्णन आलंबन के रूप में भी किया है, केवल उद्दीपन के रूप में ही नहीं। संस्कृत के इधर के आचार्य मानते थे कि प्रकृति काव्य में केवल उद्दीपन-के रूप में ही आ सकती है। आचार्य शुक्ल संस्कृत के इन आचार्यों द्वारा निर्धा-

रित काव्य में प्रकृति चित्रण के स्वरूप का समर्थन नहीं करने, वे यह नहीं मानते कि काव्य में प्रकृति का चित्रण केवल उद्दीपन के ही रूप में होता है। उनका मत यह है कि यदि कवियों के लिए प्रकृति उद्दीपन मात्र ही होती, जालपन के रूप में समुद्र न जानी, तो वाग्भटी के 'रामायण' में कालिदास के 'कुमारसंगम' के प्रारम्भ में, और 'मेघदूत' के पूर्वार्ध में प्रकृति का यथातथ्य सखिल चित्रण न मिलता। इन कवियों द्वारा अपने अपने काव्य में प्रकृति का इस रूप में चित्रण इस बात का साक्ष्य है कि उनका हमारे प्रति अनुराग था, वह उनके अनुराग वा रति के सीधे जालपन के रूप में उपस्थित होता था। यदि कोई पूछे कि प्रकृति के यथार्थ सखिल चित्रण में कवि की कौन-सी भावना स्थिर रहती है, तो इस विषय में आचार्य शुक्ल का उत्तर यह है— "प्रकृति के केवल यथार्थ सखिल चित्रण में कवि प्रकृति के सौन्दर्य के प्रति सीधे अपना अनुराग प्रकट करता है। प्रकृति के किसी गड के व्योरो में त्रिन्मना इसी अनुराग की बात है।"—(यही, पृ० २४-२५)। प्रकृति शुद्ध जालपन के रूप में भी वर्णित होती है, काव्यों में ऐसा हुआ है। इस विषय में वे कहते हैं— "वन, पर्वत, नदी, निहार, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि जगत् की नाना वस्तुओं का वर्णन जालपन और उद्दीपन दाना की दृष्टि से होता रहा है। प्रबंध काव्यों में बहुत से प्राकृतिक वर्णन जालपन रूप में ही हैं। कुमारसंगम के प्रारम्भ का हिमालय वर्णन और मेघदूत के पूर्वार्ध का नाना प्रदेश-वर्णन उद्दीपन की दृष्टि से नहीं कहा जा सकता। इन वर्णनों में कवि ही व्यक्त है जो प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति अपने अनुराग के कारण उनका रूप विवृत करके अपने सामने भी रखता है और पाठकों के भी।"—(यही, पृ० ७४)। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति का वर्णन स्वतंत्र जालपन के रूप में भी होता है, और केवल जालपन के चित्रण को भी आचार्य शुक्ल रसात्मक मानते हैं, अतः उनके मन्वन्तुसार प्रकृति के यथातथ्य सखिल चित्रण में भी रसालुभूति होती है। रसालुभूति के संरध में यह उनकी उपजात (आरिजिन) धारणा में सिद्ध है।—(देखिए यहाँ, पृ० ७४ और चिन्तामणि, पृ० ३४४)।

काव्यगत—विशेषतः प्रबंध काव्यगत—इस प्रकार के यथार्थ सखिल प्रकृति

## जाचार्य रामचंद्र शुक्ल

करते हुए अचार्य शुक्ल यही बात कहते हैं—“दृश्य” शब्द के अतर्गत, कल नञ के विषय या ही नहीं, अन्य ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का भी ( जैसे, शब्द, गंध, रस ) ग्रहण समझना चाहिए । ‘महकती हुई मज्जरियों से लक्ष्मी और वायु के क्षमोर्ग में हिलती हुई आम की डाली पर झोपल मैठी मसुर वृक्ष मुना रही है’ इस वाक्य में यद्यपि रूप, शब्द और गंध, रसना या विषय है, पर इसे एक दृश्य ही कहेंगे । बात यह है कि ज्ञानना द्वारा अन्य विषयों की अपेक्षा नेत्रों के विषयों का ही सर्वाधिक ज्ञानन होता है, और सर्वाधिक गण रूप से जाते हैं । वास्तविकता के सब विषय अतः कर्मण में ‘चित्र’ रूप से प्रतिबिम्बित हो सकते हैं । इसी प्रतिबिम्ब को “म दृश्य कहते हैं ।”—( नाट्य में प्राकृतिक दृश्य ) । काव्यगत प्रकृति चित्रण में इसी प्रतिबिम्ब वा दृश्य या श्रौता, पाठक के समुच्च मूर्त विधान करने का प्रयत्न ही प्रास्ताविक चित्रण है ।

जाचार्य शुक्ल तथा ज व नादित्य भीमासक भी कला पक्ष में कवि का परम कर्तव्य मूर्ति, चित्र वा दृश्य उपाहित करना मानते हैं । जाचार्य शुक्ल इसी को काव्यगत मूर्तिविधान की अभिवा देते हैं । जिस प्रकार काव्य में उसी प्रकार प्रकृति चित्रण में भावे मूर्ति वा दृश्य प्रस्तुत करने के पक्षपाता है । जब हम प्रकृति को निकट से—निराक्षणपूर्वक—देखते हैं, तब विदित होता है कि उसकी एक एक वस्तु या प्राणी दूसरी वस्तु वा प्राणी से जुड़े होते हैं, उनमें पारस्परिक सम्बन्ध होता है, य सल्लिष्ट रूप में सित होते हैं । इससे अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु वा प्राणी के भी अपने अपने अंग होते हैं । जाचार्य शुक्ल का मत है कि जिस प्रकार उपयुक्त वस्तु वा प्राणी अपने यथार्थ रूप में परस्पर सल्लिष्ट होते हैं, और उनका प्रत्येक अंग प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार कवि भा जब उन्हे काव्य में व्यक्त करे तब वहाँ भाव सल्लिष्ट रूप में ही वर्णित हों और उनका प्रत्येक अंग प्रत्यक्ष हो । इसलिए ये काव्य में प्रकृति के ‘व्यथातथ्य सल्लिष्ट चित्रण’ के समर्थक हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि सल्लिष्ट चित्रण मूर्ति विधान द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है । वस्तुतः मूर्तिविधान वा चित्रण तथा सल्लिष्ट चित्रण एक ही वस्तु है । देखना यह चाहिए कि सल्लिष्ट चित्रण में किस विधि का अख्यान लेना पड़ता है ।

उपर्युक्त विवेचन द्वारा इस बात का आभास मिलता है कि प्रकृति के संश्लिष्ट चित्रण में उसकी वस्तुएँ एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। उनमें पारस्परिक सम्बन्ध होता है। प्रकृति की जिस वस्तु का संश्लिष्ट चित्रण करना होगा उसे उसके आसपास की वस्तुओं के साथ देखना होगा, उस वस्तु के एक-एक अंग पर भी दृष्टि रखनी होगी। इस विषय में आचार्य शुकल कहते हैं—“आसपास की वस्तुओं के बीच उसकी परिस्थिति तथा नाना अंगों की संश्लिष्ट योजना के साथ किसी वस्तु का जो वर्णन होगा, वही चित्रण कहा जायगा।” (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १५०)। इस प्रकार के चित्रण में कवि को अर्थ-ग्रहण नहीं कराना पड़ता, प्रत्युत विभ्र-ग्रहण कराना पड़ता है। इस स्थिति में उसका काम प्रकृति की वस्तुओं का केवल नाम ही गिनाना नहीं रहता, बल्कि वह उनका (वस्तुओं का) रूप वा चित्र खींचता है। आचार्य शुकल कहते हैं—“उसमें (दृश्य-चित्रण में) कवि का लक्ष्य ‘विभ्र-ग्रहण’ कराने का रहता है, केवल अर्थ-ग्रहण कराने का नहीं। वस्तुओं के रूप और आसपास की परिस्थिति का व्योरा जितना ही स्पष्ट या स्फुट होगा, उतना ही पूर्ण विभ्र-ग्रहण होगा, और उतना ही अच्छा दृश्य-चित्रण कहा जायगा।”—(काव्य में प्राकृतिक दृश्य)।

यह विभ्र-ग्रहण और अर्थ-ग्रहण क्या है ? आचार्य शुकल कहते हैं—“यह तो स्पष्ट है कि ‘प्रतिविभ्र’ या ‘दृश्य’ का ग्रहण ‘अभिधा’ द्वारा ही होता है। पर अभिधा द्वारा ग्रहण एक ही प्रकार का नहीं होता। विभ्र-ग्रहण और अर्थ-ग्रहण हमारे यहाँ आचार्यों ने संकेत-ग्रह के जाति, गुण, क्रिया और यहच्छा, ये चार विषय तो यथाए, पर स्वयं संकेत-ग्रह के दो रूपों का विचार नहीं किया। अभिधा द्वारा ग्रहण दो प्रकार का होता है—विभ्र-ग्रहण और अर्थ-ग्रहण। किसी ने कहा ‘कमल’। अब इस ‘कमल’-पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफेद पंखड़ियों और नाख आदि के सहित एक फूल का चित्र अंतःकरण में थोड़ी-देर के लिए उपस्थित हो जाय; और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चलाया जाय।”—(काव्य में प्राकृतिक दृश्य)। प्रथम प्रकार के ग्रहण को विभ्र-ग्रहण

तथा द्वितीय प्रकार के प्रश्न को जय प्रश्न कहते हैं । प्रकृति चित्रण में प्रथम प्रकार का प्रश्न जाचाय शुक्ल अर्थात् सप्रसन्न है, इन्ने हम ऊपर देख चुके हैं ।

प्रकृति चित्रण के विषय में केवल एक बात और बहनी है, यह यह कि प्राकृतिक दृश्य-चित्रण में अलंकारों के प्रयोग का क्या स्थान है । प्रकृति-चित्रण के विषय में जाचाय शुक्ल ने जितने सिद्धांत निरूपित किए हैं, वे सब वार्त्तिक, काण्डिका, भयभूति आदि अलंकार विधानों के प्रकृति चित्रण का लक्ष्य में रखकर । इन कवियों के प्रकृति चित्रण का—विशेषतः यथातथ्य का लक्ष्य प्रकृति चित्रण को—रक्षने में निहित होता है कि इसमें अलंकारों का प्रयोग अति ही विरल है, उपयुक्त कविता ने इस क्षेत्र में जांचारा की सहायता प्राप्त नहीं की । वस्तुतः बात यह है कि प्रकृति के चित्र प्रस्तुत करने में अलंकारों की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि ऐसा करते हुए उसकी समृद्धि का ही का त्याग रूप देना होता है, वस्तुएँ जैसी हैं वैसी ही रख देनी होती हैं, और अलंकार तो ऊपरी या सजावटी फावूँ रखता है, कवि की अदना युक्त होती है, प्रकृति चित्रण में तो प्रस्तुत वस्तु ही उपस्थिति ही प्रधान लक्ष्य होती है । अतः प्रकृति के यथातथ्य चित्रण में अलंकारों का अतिव्यवहार उपयुक्त कवियों ने नहीं किया । जाचाय शुक्ल भी इस प्रकार के प्रकृति चित्रण में अलंकारों का प्रयोग आवश्यक नहीं मानते । पर प्राकृतिक दृश्य के चित्र को दृश्यगम करने में सहायक होने के लिए न अलंकारों के विरल प्रयोग का समर्थन करते हैं—'तद्वत्तु यद्विभाषा वी अनुभूति में सहायता देने के लिए केवल कहीं नही उपमा, उल्लेख आदि का प्रयोग उतना ही उचित है, जितने से शिथिल प्रहण करने में, प्रकृति का चित्र दृश्यगम करने में, धाता या पाठक को राधा न पड़े ।—(कल्प में प्राकृतिक दृश्य) । उद्धरण में आए 'वही वही' पद पर अत्यन्त दृष्टि जानी चाहिए । वे इस क्षेत्र में पद-पद पर अत्यन्त के प्रयोग को 'निराशा' समझते हैं, और ऐसा बरके 'कल्प ने गार्त्तिक और गौरव को नष्ट करना' और उसकी 'भयादा विगाहना' मानते हैं ।

यद्यपि दृश्य-वर्णन में वे अलंकारों का संनिवेश करने की राय देते हैं, पर इनकी गौणता पर भी उनकी दृष्टि है। इनकी गौणता पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हुए ये कहते हैं—“दृश्य-वर्णन में उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का स्थान कितना गौण है, इसकी मनोविज्ञान की रीति से भी परीक्षा हो सकती है। एक पर्वत-स्थली का दृश्य-वर्णन करके किसी को सुनाइए। फिर महीने दो महीने पीछे उसे उसी दृश्य-का कुछ वर्णन करने के लिए कहिए। आर देलेंगे कि उस संपूर्ण दृश्य की सुसंगत योजना करनेवाली वस्तुओं और व्यापारों में से वह बहुतों को कह जायगा पर आप को दी हुई उपमाओं में से शायद ही किसी का उसे स्मरण हो। इसका मतलब यही है कि उस वर्णन के जितने अंश पर हृदय की तल्लीनता के कारण पूरा ध्यान रहा, उसका संस्कार बना रहा। और इसलिए सकेत पाकर उसकी तो पुनरुद्भावना हो गई, शेष अंश छूट गया।—(काव्य में प्राकृतिक दृश्य)।

अभी तक आचार्य शुक्ल के काव्य-सिद्धांतों पर विचार करते हुए हमारी दृष्टि प्रायः उसके (काव्य के) अंतःपक्ष पर ही विशेष रही है, हमने वस्तु (मैटर) को ही दृष्टि में रखकर उनके विचारों को देखा है। काव्य का अंतःपक्ष काव्य के बाह्य वा कला-पक्ष पर हमने उनके विचार अभी नहीं देखे हैं, यदि देखें भी हैं तो प्रसंगात् ही। आगे हम आचार्य शुक्ल की दृष्टि से काव्य के कला-पक्ष पर विचार करेंगे, जिसके अंतर्गत कल्पना, अलंकार, भाषा, छंद आदि आते हैं, जो कवि-कर्म से संबंध रखते हैं। यहाँ यह निर्देश कर देना अतिप्रसंग न होगा कि काव्य के ये दोनों पक्ष अन्योन्याश्रित हैं। इनमें से किसी को भी कम महत्त्व नहीं दिया जा सकता। वस्तुतः काव्य के ये विभाग उसके विवेचन की सुविधा के लिए हो हैं।

यदि काव्य का परम लक्ष्य जगत्-जीवन के रूप-व्यापार, भाव-विचार को श्रोता वा पाठक के बाह्य तथा अंतःशुद्ध (मैटर आदि) के संमुख मूर्त रूप में लाकर उनका अनुभव कराना है, तो काव्य में कल्पना का स्थान कवि-कर्म की दृष्टि से सर्वप्रथम आता है, क्योंकि मूर्ति-विधान की सिद्धि कल्पना की प्रक्रिया द्वारा ही संभव



है। इसी कारण आचार्य शुक्ल कल्पना को काव्य का अत्यावश्यक भाग मानते हैं। पर, उसे उसका सामान ही मानते हैं, साध्य नहीं, जैसा कि यूरोप के कुछ कल्पनावादी समीक्षकों की धारणा है। उनका कहना है—“यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। है भी वह काव्य का अनिवार्य साधन, पर है साधन ही, साध्य नहीं, जैसा कि उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट है। क्लिष्ट प्रसंग के अतगत जैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो पर यदि उसमें उपयुक्त भावसंचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य के अतगत न होगा।”—(चिन्तामणि, पृ० २२०-२१)। उद्धरण के अंतिम वाक्य द्वारा यह निश्चित होता है कि कल्पना वही साध्य है, जो काव्य के प्रधान लक्ष्य भावसंचार की सहायिका हो। इसी से आचार्य शुक्ल इसे काव्य का साधन मानते हैं, साध्य नहीं, साध्य तो भावसंचार है। एक दूसरे उद्धरण में यह बात स्पष्ट हो जायगी—“अतएव साध्य विधाविनी कल्पना वही रही जो सकती है जो ना तो किसी भाव द्वारा प्रेरित हो अथवा भाव का प्रसर्तन या संचार करती हो। उस प्रकार की कल्पना काव्य की प्रक्रिया नहीं कहा जा सकती। अतः नायक में हृदय की अनुभूति अंगी है, मूल रूप अंग भाव प्रधान है, कल्पना उसकी सद्योगिनी।”—(इंदौराला भाषण, पृ० ३३)। कल्पना के समक्ष में अन्य स्थला पर भी आचार्य शुक्ल ने यहाँ बात नहीं है।

आचार्य शुक्ल प्रतिभा तथा भावना को कल्पना का पर्याय बताते हैं और धर्म के जन्म में जा स्वरूप ‘उपासना’ का स्थिर किया जाता है, वही स्वरूप साहित्य क्षेत्र में ‘भावना’ वा कल्पना का स्थिर करते हैं। कल्पना वा भावना उनके द्वारा इस प्रकार धर्म तथा साहित्य क्षेत्र को भावना का अनुल्लासना का कुछ कारण है। वे भाव को ‘भावयोग’ मानते हैं और (भावयोग को) ‘रसयोग’ तथा ‘ज्ञानयोग’ के समकक्ष रखते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार जिस प्रकार कर्म तथा ज्ञान का चरम लक्ष्य स्वभूत को ज्ञानमभूत करके अनुभव कराना है, उसी प्रकार काव्य का भी अंतिम उद्देश स्वभूत को ज्ञानमभूत करके अनुभव कराना ही है। इसी कारण वे उपासना तथा कल्पना की एकता स्थापित करते हैं और उपासना को भी भावयोग का एक अंग स्वीकार उसका तथा कल्पना वा भावना का स्वरूप समान रूप से निरक्षरित

करते हैं—“यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होता है कि ‘उपासना’ भावयोग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ‘ध्यान’ ही लिया करते हैं। जो वस्तु हम से अलग है, हम से दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्यवाले इसीको ‘भावना’ कहते हैं और आजकल के लोग ‘कल्पना’। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अभिहित होती है।”—(चिंतामणि, पृ० २१९-२०)। उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि कल्पना मन की एक क्रिया है, जो देखी या सुनी वस्तु के आकार-प्रकार को अंतश्चक्षु (मेंटल आइ) के संमुख उपस्थित करती है, और वही कल्पना सार्थक मानी जाती है, जो वस्तु के रूप को सांगोपांग रूप में उपस्थित करती है। ऊपर आचार्य शुक्ल ने उपासना तथा कल्पना की एकता स्थापित की है, जो श्रोता या पाठक को लेकर ही पूर्णतः घटित होती है, कवि को लेकर नहीं, क्योंकि उपासक मनश्चक्षु द्वारा प्रतीयमान (परसेप्टेड) रूप का दर्शन केवल अनुभूति के लिए ही करता है वह उसे अपने मन तक ही रखता है। पर कवि कल्पना द्वारा रूप को मन में लाकर उसकी अभिव्यंजना भी करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य वस्तु को श्रोता या पाठक तक पहुँचाना होता है।

अब देखना यह चाहिए कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कल्पना की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। भारतीय रसवादी तथा आचार्य शुक्ल भी कल्पना को कल्पना और मनोविज्ञान कि अभिव्यंजनावादी फोचे का मत है। एक स्थान पर आचार्य शुक्ल कहते हैं—“कल्पना है काव्य का क्रियात्मक बोधपक्ष जिसका विधान हमारे यहाँ के रसवादियों ने भाव के योग में ही काव्य के अंतर्भूत माना है।” (इंदीरबाल भाषण, पृ० २०)। तो कल्पना भाव से ही संबद्ध उद्भूत है। आचार्य शुक्ल ‘भाव’ को अकेली वृत्ति नहीं मानते, उसे एक वृत्तिचक्र मानते हैं। आइ० ए० रिचर्ड्स भी ‘व्यावहारिक समीक्षा’ (प्राॅक्टिकल क्रिटिसिज्म) नामक अपनी पुस्तक में इसके सम्बन्ध में यही बात कहते हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है—“मनो-

यहाँ एक रात ध्यान में गमने की वृत्ति है कि जिन वाक्यात्मक प्रकृति की व्यञ्जना द्वारा तथ्य, भाव आदि ग्रहण किए जायेंगे अथवा उस पर इनका आरोप होगा, वे पृथक् श्रेणी में रखे जायेंगे और जिन प्रकृति द्वारा भावा, वाक्यात्मक मानव-भावनाओं का आरोप मात्र प्रकृति पर होगा, तथ्यों, अतर्कशास्त्रात्मक उनसे विज्ञान भाव आदि का ग्रहण न होगा—जैसा कि की व्यञ्जना तथा उस आधुनिक स्वच्छदत्तादी कवि कर्म है—वे पृथक् श्रेणी में। पर इनका आरोप भावा का आरोप दोनों श्रेणी की कविताओं में प्राप्त होता है, पर प्रथम श्रेणी की कविताओं में हम ऐसा करके उसमें (प्रकृति से) कुछ ग्रहण करते हैं—तथ्य, उपदेश आदि, और द्वितीय श्रेणी की कविताओं में हम ऐसा करके उसे (प्रकृति को) उसी रूप में छोड़ देते हैं, उसे चेतन का रूप मात्र दे देते हैं, मानव के समान समझ लेते हैं, यह मानव के समान भावनाओं का आधार तथा क्रिया कलाओं की कर्त्री मात्र बन जाती है, हम उससे उपदेश आदि नहीं निकालते। तात्पर्य यह कि अतर्कशास्त्रात्मक, तथ्यों, मानुषिक भावनाओं आदि को लेकर कविता द्वारा प्रकृति चित्रण दो रूपों में दृष्टिगत होता है, एक तो उस रूप में जिसमें स्वयं प्रकृति द्वारा धारित भावनाओं, अतर्कशास्त्रात्मक, तथ्यों आदि का चित्रण होता है और दूसरा वह जिसमें कवि अपने भावों का आरोप प्रकृति पर करता है, वह अपने हृद्गत सुख दुःख की भावनाओं के आलोक में उसे देखता है। वदना न हागा कि इन दोनों रूपों के चित्रण की भावना का सद्दय कवि का जागरणता पड़ती है। देखना यह चाहिए कि आचार्य शुक्ल प्रकृति चित्रण के इन रूपों में से किसकी उत्तमता के प्रतिपादक हैं। वे कहते हैं—“उक्त प्रकृति के अनुसार कुछ पाश्चात्य कवियों ने तो प्रकृति के नाना रूपों के बीच धारित होनेवाली भावनाओं का बहुत सुंदर उदाहरण किया, पर बहुतों ने अपनी समस्त भावनाओं का आरोप करके उन रूपों को अपनी अतर्क शक्तियों में डालने लगे। मर विचार में प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचीन है। जनत रूप से बरा हुआ प्रकृति का निरवृत्त क्षेत्र उस 'महामानस' की कविताओं का जनत प्रकार है। सूक्ष्मदर्शी सद्दयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यञ्जना मिली। नाना रूप जिन नाना भावों की समुचित व्यञ्जना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित जत

करते हैं—“यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि ‘उपासना’ भावयोग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ‘ध्यान’ ही लिया करते हैं। जो वस्तु हम से अलग है, हम से दूर प्रतीत होता है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्यवाले इसीको ‘भावना’ कहते हैं और आजकल के लोग ‘कल्पना’। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना वा ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है।”—(चिंतामणि, पृ० २१९-२०)। उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि कल्पना मन की एक क्रिया है, जो देखी वा सुनी वस्तु के आकार-प्रकार को अंतश्शक्त (मैंटल आइ) के संमुख उपस्थित करती है, और वही कल्पना सार्यक मानी जाती है, जो वस्तु के रूप को सांघोषांग रूप में उपस्थित करती है। ऊपर आचार्य शुक्ल ने उपासना तथा कल्पना की एकता स्थापित की है, जो श्रोता वा पाठक को लेकर ही पूर्णतः घटित होती है, कवि को लेकर नहीं, क्योंकि उपासक मनश्शक्तु द्वारा प्रतीयमान (परसेप्टेड) रूप का दर्शन केवल अनुभूति के लिए ही करता है वह उसे अपने मन तक ही रखता है। पर कवि कल्पना द्वारा रूप को मन में लाकर उसकी अभिव्यंजना भी करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य वस्तु को श्रोता वा पाठक तक पहुँचाना होता है।

अब देखना यह चाहिए कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कल्पना की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। भारतीय रसवादी तथा आचार्य शुक्ल भी कल्पना को भाव-क्षेत्र की वस्तु मानते हैं, ज्ञान-क्षेत्र की वस्तु नहीं, जैसा कि अभिव्यंजनावादी कोचे का मत है। एक स्थान पर आचार्य शुक्ल कहते हैं—“कल्पना है काव्य का क्रियात्मक बोधपक्ष जिसका विधान हमारे यहाँ के रसवादियों ने भाव को बोध में ही काव्य के अंतर्भूत माना है।” (इंदौरवाला भाषण, पृ० २०)। तो कल्पना भाव से ही संबद्ध उद्हरती है। आचार्य शुक्ल ‘भाव’ को अकेली वृत्ति नहीं मानते, उसे एक वृत्तिचक्र मानते हैं। आइ० ए० रिचर्ड्स भी ‘ध्यावहारिक समीक्षा’ (प्राैक्टिकल क्रिटिसिज्म) नामक अपनी पुस्तक में इसके सम्बन्ध में यही बात कहते हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है—“मनो-

कल्पना और  
मनोविज्ञान

विज्ञान के अनुसार 'भाव' कोई एक अकेली वृत्ति नहीं, एक वृत्तिचक्र ( सिस्टम ) है जिसके भीतर बाववृत्ति या ज्ञान ( कांभियन ), इच्छा या सङ्कल्प ( कान्शन ), प्रवृत्ति ( टडसी ) और लक्षण ( सिस्टम )—ये चार मानसिक और शारीरिक वृत्तियाँ आती हैं। अतः भाव का एक जगत्प्रतीति या बोध भी होता है। रस निरूपण में जो 'विभार' कहा गया है वही कल्पनात्मक या ज्ञानात्मक अरूप्य है जो भाव का सूत्रार करता है। कवि और पाठक दोनों के मन में कल्पना कुछ नूतन रूप में जालपन सजा करता है जिसके प्रति किसी भाव का अनुभव होता है। उस भाव की अनुभूति के साथसाथ जालपन का बाध या ज्ञान भी बना रहता है। जालपन चाहे ज्ञान हो, चाहे रस, चाहे व्यापार या घटना, चाहे प्रकृति का कोई रस ।"—( इंदौरराग भाषण, पृ० ३०-३३ ) तात्पर्य यह कि कल्पना भाव में सबद्ध है और भाव के अतमगत बोध का ज्ञान भी जाता है, अतः इसका ( कल्पना या ) लगाय कुछ-कुछ बोध या ज्ञान से भी है। इस प्रकार कल्पना की प्रक्रिया में वृत्ति का भी स्थान जाता है। एक स्थान पर आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट कहा है कि कल्पना का उत्पत्ति बुद्धि और भाव दोनों द्वारा होती है—“इन्द्रियज्ञान के जो संस्कार ( उपा ) मन में संचित रहते हैं वे ही सभी बुद्धि के धक्के से, सभी भाव के धक्के से, कभी या हा, भिन्न भिन्न ढंग से जागृत होकर जगा करते हैं। यही मूर्त भावना वा कल्पना है।”—( इंदौरराग भाषण, पृ० ३५ )।

कल्पना काव्य का अपरिहार्य साधन है, इसे हमने ऊपर देखा है। इस साधन की उपयोगिता काव्य के प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों पक्षों में अर्पित है। काव्य के अप्रस्तुत पक्ष में, जिसके अतमगत अलंकार काव्यगत प्रस्तुत, आते हैं, इसकी आवश्यकता तो सभी पर प्रसृत है, क्योंकि अप्रस्तुत पक्ष तथा अलंकारों का विधान कल्पना-साधन है, बिना कल्पना के कल्पना अलंकारों की सृष्टि संभव नहीं। काव्य के प्रस्तुत पक्ष में भी कल्पना की उपयोगिता स्पष्ट है। काव्यगत रूप विधान कल्पना द्वारा ही सिद्ध होता है, क्योंकि यदि ऐसी स्थला पर बैठकर रचना नहीं किया करता जहाँ उसके अभीष्ट रूप व्यापार आदि उसके समुच्च पड़े रहते हैं और वह उनकी रचना की व्यापार योजना कर दिया करता है, प्रस्तुत उसे आने

अभीष्ट रूप-व्यापारों को कल्पना द्वारा मन में लाकर उनकी अभिव्यंजना करनी पड़ती है। अभिप्राय यह कि काव्य के प्रस्तुत पक्ष में भी कल्पना की आवश्यकता है, केवल अप्रस्तुत पक्ष में ही नहीं। इस विषय में आचार्य शुक्ल का कथन यों है—“प्रस्तुत पक्ष का रूप-विधान भी कवि की प्रतिभा द्वारा ही होता है। भाव की प्रेरणा से नाना रूप-संस्कार जग पड़ते हैं जिनका अपनी प्रतिभा या कल्पना द्वारा समन्वय करके कवि प्रस्तुत वस्तुओं या तथ्यों का एक मार्मिक दृश्य खड़ा करता है। काव्य में प्रतिभा या कल्पना का मैं यह पहला काम समझता हूँ।” (इंदौरवाल भाषण, पृ० ७४)।

कल्पना की आवश्यकता केवल कवि को ही नहीं प्रस्तुत सहृदय श्रोता वा पाठक को भी पड़ती है, जिससे वह कवि की कल्पना द्वारा प्रस्तुत तथा उसकी अभिव्यंजना द्वारा प्रेषित रूप-व्यापारों को यथार्थ रूप में विधायक और ग्राहक ग्रहण कर सके। किसी रचना को तत्पूर्णतः समझने के लिए कल्पना यह आवश्यक होता है कि कवि जिस मनोदशा (मूड) में पढ़कर उसे प्रस्तुत करता है, श्रोता वा पाठक भी उसी मनोदशा में अपने को स्थित करके उसे समझे। इसके अतिरिक्त कभी-कभी कवि बहुत-सी अभीष्ट बातों में से केवल कुछ ही कहकर शेष की कल्पना श्रोता वा पाठक पर छोड़ देता है, जिसे वह कल्पना द्वारा ही पूर्णतः ग्रहण करता है। तात्पर्य यह कि श्रोता वा पाठक को भी कल्पना की आवश्यकता होती है, और कवि को तो इसकी आवश्यकता है ही। इसी कारण आचार्यों ने कल्पना के दो रूप माने हैं, एक विधायक कल्पना, जो कवि की होती है और दूसरी ग्राहक, जो पाठक की। आचार्य शुक्ल कहते हैं—“कल्पना दो प्रकार की होती है—विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता वा पाठक में अधिकतर ग्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक वा श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति-विधान करना पड़ता है।” (चिन्तामणि, पृ० २२०)।

कल्पना को आचार्य शुक्ल ने काव्य का अपरिहार्य वा अनिवार्य साधन माना है, अलंकार को भी वे इसका साधन मानते हैं, पर अनिवार्य साधन नहीं,

क्योंकि बिना अलंकार के भी उक्ति में वैचित्र्य लाया जा सकता है। जैसे  
 वे कल्पना को काव्य का साध्य नहीं स्वीकार करते,  
 अलंकार जैसे ही अलंकार को भी। उनका कथन है—“पर साथ ही  
 यह भी स्पष्ट है कि वे (अलंकार) साधन हैं, साध्य  
 नहीं। साधन को अलंकार इत्यादि को साध्य मान देने से कविता का रूप अभी  
 वभा इतना विह्वल हो जाता है कि यह कविता ही नहीं रह जाती।”—  
 (चिंतामणि, पृ० २१७)। काव्य पर विचार करते हुए यह हमें देना चुकें हैं  
 कि आचार्य शुक्ल की कवि चमत्कारवाद की जोर नहीं थी, इसलिए अलंकार  
 को काव्य का साध्य माननेवाला के विपक्ष में वे सदैव रहे। कल्पि उन्होंने  
 अलंकार को काव्य का साधन कहा है तथापि उसे अपने मंत्र में भी कुछ  
 वैशिष्ट्य प्राप्त है। इस पर भा उनहीं दृष्टि अग्रस्त है, क्योंकि अलंकारों पर  
 विचार करते हुए उन्होंने एक स्थल पर कहा है—“कहीं कदा तो इनके बिना  
 काम ही नहा चल सकता।”—(चिंतामणि, पृ० २१७)। आचार्य शुक्ल का  
 यह कथन भी उपयुक्त ही है, क्योंकि काव्य में कुछ स्थल ऐसे आते हैं जहाँ  
 कवि को अलंकार प्रयोजना परनी ही पड़ती है, बिना ऐसा किए काम ही नहीं  
 सकता। अभिप्राय यह कि काव्य में अलंकार का भी विशेष महत्त्व है जबकि,  
 पर उसके साधन रूप में ही।

काव्य का प्रधान लक्ष्य श्रोता या पाठक के हृदय पर प्रभाव (होमोदान)  
 डालना है। इस प्रकार का सर्वथ काव्य के वर्णन वा प्रस्तुत विषय से तो है  
 ही प्रयुक्त का वर्णन करने की पद्धति से भी है। वर्णन  
 अलंकार का स्वरूप करने की विधि या प्रणाली भी इस कार्य में सहायक होती  
 है। आचार्य शुक्ल वर्णन का इसी प्रणाली का अलंकार  
 कहते हैं—“मैं अलंकार को वर्णन प्रणाली मान मानता हूँ, जिससे अतर्गत  
 करके किसी किसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता है। यन्तु निदर्श अलंकार  
 का काम नहीं।”—(काव्य में प्राकृतिक दृश्य)। हृदय पर प्रभाव भावों के  
 उत्कर्ष तथा किसी वस्तु के रूप, स्थावर, गुण जाद के तीव्र अनुभव द्वारा  
 होता है। आचार्य शुक्ल इस कार्य को सिद्ध वर्णन में अलंकार को ही सहायक  
 मानते हैं, व अलंकार का स्वरूप इस दृष्टि से भी निवारित करते हैं, जो इस

प्रकार है—“भावां का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होनेवाली उक्ति ही अलंकार है।” — (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १६१ और देखिये चिंतामणि, पृ० २४६-४७) । इस कार्य की सिद्धि के लिए कभी-कभी बात कुछ बॉकपन के साथ, कुछ घुमान-फिरा कर कहनी पड़ती है, कथन की यह विधि भी अलंकार है । उपर्युक्त उद्धरण से विदित होता है कि आचार्य शुक्ल के मतनुसार अलंकार प्रस्तुत की शोभा वा विशेषता को और बढ़ानेवाला है, अर्थात् प्रस्तुत को लेकर ही उसकी स्थिति है । प्रस्तुत प्रधान है और अप्रस्तुत वा अलंकार गौण । इसी कारण ये अलंकारवादी वा चमत्कारवादी आचार्यों तथा कवियों की, जिनमें केशव भी हैं, बराबर तीखी आलोचना करते रहे हैं । विशेषतः उन चमत्कारवादियों की, जिनका मत था कि काव्य में अलंकार ही सब कुछ है, बिना अलंकार के कविता हो ही नहीं सकती, बिना अलंकार के कविता मानने का तात्पर्य है अग्नि को उष्णता से रहित मानना । आचार्य शुक्ल चमत्कारवादियों की मति से अपनी भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए अलंकारों में ‘रमणीयता’ की स्थिति का प्रतिपादन करते हैं, ‘चमत्कार’ का नहीं । वे ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण बताते हुए कहते हैं—“अलंकार में रमणीयता होनी चाहिए । चमत्कार न कहकर रमणीयता हम इसलिए कहते हैं कि चमत्कार के अंतर्गत केवल भाव, रूप, गुण या क्रिया का उत्कर्ष ही नहीं, शब्द-कौतुक और अलंकार-सासग्री की विलक्षणता भी ली जाती है ।” भावानुभव में वृद्धि करने के गुण का नाम ही अलंकार की रमणीयता है ।” — (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १६२) ।

आचार्य शुक्ल की दृष्टि से ऊपर हमने प्रस्तुत की प्रधानता तथा अप्रस्तुत की गौणता पर विचार किया है । हमने देखा है कि प्रस्तुत के पश्चात् अप्रस्तुत का स्थान आता है, बिना प्रस्तुत के अप्रस्तुत की स्थिति संभव नहीं । हमने यह भी देखा है कि अलंकार प्रस्तुत के रूप, गुण, क्रिया के उत्कर्ष तथा

† अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृतिम् ।

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती । — चंद्रालोककार जयदेव ।



भाव की अनुभूति को और तीव्र करता है। अलंकार को दृष्टि में रखकर उन्होंने प्रस्तुत के समय में कहा है कि अलंकार उसी प्रस्तुत की शोभा बढ़ा सकता है जिसकी वस्तु या भाव स्वरूप रमणीय हो। उनके कहने का आशय यह है कि सुन्दर प्रस्तुत ही अलंकार द्वारा और सुंदर हो सकता है, असुंदर प्रस्तुत नहीं, उनका गढ़ना है— 'जिसे प्रकार एक कुरूप स्त्री अलंकार लाड़कर सुंदर नहीं हो सकती उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तत्त्व की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का देर काँवर का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा हो सकता। पहले में सुंदर अर्थ का ही अलंकार शामिल कर सकता है। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे शाल्यालंकार नहीं। वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतारकर किसी अलग चीज में रखा हुआ गढ़ना का देर। किसी भाव या भाविक भावना से असंगत अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं।'— (चिन्तामणि, पृ० २५१)।

जब तक अलंकारों के जितने स्वरूप निधारित किए गए हैं, उनसे निर्दिष्ट होता है कि वे अधिकतर साम्य के आधार पर ही बने हैं, अर्थात् अलंकारों में साम्यमूलक अलंकार ही अधिक हैं, असाम्यमूलक अल्प। अलंकारगत भा आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि "अधिकतर अलंकारों का म्ययांजन विधान सादृश्य के आधार पर होता है।"— (जायसं-प्रथावला' पृ० १३५)। अलंकारगत इस साम्य वा सादृश्य का योजना प्रायः नरत्नेत्र और प्रकृतित्रेण के मध्य में होती है। प्रस्तुत प्रायः नरत्नेत्र होता है और अप्रस्तुत प्रकृतित्रेण। रमणी का मुख्य उपमेय होता है और कमल वा चंद्रमा उपमान। अभिप्राय यह कि अलंकारगत साम्य विधान में प्रायः प्रकृति का सहारा लिया जाता है। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में इस साम्य-योजना में प्रकृति का समावेश नर तथा प्रकृति की पारस्परिक एकता का चोक्त है, इससे निर्दिष्ट होता है कि नर और प्रकृति दो भिन्न सत्ताएँ हैं अवश्य, पर उनमें साम्य वा एकता का सूत्र भी है, वे परस्पर रूंधे हैं। वे कहते हैं— "साम्य का आरोप भी निस्संदेह एक रस विद्याल सिद्धांत लेकर काव्य में चला है। यह जगत् के अनंत रूपों या व्यापारों के बीच फैले हुए उन मोटे और महीन समय सूत्रों का शलक भी दिखाकर नरसत्ता के स्नेहण का भाव दूर करता

हैं, अखिल सत्ता के एकत्व की आनंदमयी भावना जमाकर हमारे हृदय का बंधन खोलता है। जब हम रमणी के मुख के साथ कमल, स्मिति के साथ अर्धखिली कलियाँ सामने पाते हैं तब हमें ऐसा अनुभव होता है कि एक ही सौंदर्य-धारा से मनुष्य भी और पेड़ पौधे भी रूप-रंग प्राप्त करते हैं।” — ( इतिहास, पृ० ८५४ )। अलंकारगत साम्य के विषय में आचार्य शुक्ल के इस प्रकार के विचार के मूल में उनका अनन्य प्रकृति-प्रेम तथा उससे संबद्ध सार्थक भासुकता ही निहित समझनी चाहिए। अलंकारों के स्वरूप पर विचार करते हुए हमने देखा है कि आचार्य शुक्ल इनकी योजना भावों को और तीव्र करके अनुभव कराने तथा रूप, गुण वा क्रिया को और स्पष्ट रूप में दिखाने के लिए मानते हैं। साम्य-योजना के विषय में भी वे ऐसी ही बात कहते हैं—“सादृश्य की योजना दो दृष्टियों से की जाती है—स्वरूप-बोध के लिए और भाव तीव्र करने के लिए। कवि लोग सहस्र वस्तुएँ भाव तीव्र करने के लिए ही अधिकतर लया करके हैं। पर बाह्य कारणों से अगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए जहाँ सादृश्य का आश्रय लिया जाता है वहाँ कवि का लक्ष्य स्वरूप-बोध भी रहता है। भगवद्भक्तों की ज्ञान-गाथा में सादृश्य की योजना दोनों दृष्टियों से रहती है।” — ( जायसी-ग्रंथावली, पृ० १३५ )। प्रायः संत कवियों द्वारा माया को ठगिनी, काम, शोच आदि को बटमार, संसार को माया तथा ईश्वर को पति आदि कहना आचार्य शुक्ल साम्य-योजना के उपर्युक्त दोनों रूपों के कारण ही मानते हैं। सादृश्यमूलक अलंकारों के विषय में इस प्रकार की विवेचना द्वारा विदित होता है कि अव्यवसान वा अन्यापदेश ( अलेगरी ) तथा प्रतीक (सिंबल) भी साम्यमूलक अलंकारों को ही श्रेणी में आते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्रतीक भी अलंकार ही है पर अलंकार तथा प्रतीक में कुछ भिन्नता है। उनका कथन है—“...प्रतीकों का व्यवहार हमारे यहाँ के काव्य में बहुत कुछ अलंकार-प्रणाली के भाँतर ही हुआ है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि के उपमान और प्रतीक एक ही वस्तु हैं। प्रतीक का आधार सादृश्य या साधर्म्य नहीं, बल्कि भावना जाग्रत करने की निहित शक्ति है। पर अलंकार में उपमान का आधार सादृश्य या साधर्म्य ही मना जाता है। अतः सब उपमान प्रतीक नहीं होते। पर जो प्रतीक भी होते

हैं वे काव्य की बहुत अच्छी निधि करते हैं।—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० ८८)

जाचाय शुक्ल द्वारा कथित अलंकारगत सादर्य योजना के विषय में हमने ऊपर कुछ बातें कही हैं। इनके अतिरिक्त इस विषय में उन्होंने और बातें भी कही हैं। सादर्य-योजना में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के रूप, गुण, क्रिया में रस वा प्रसंग की दृष्टि से समन्वयता और उपयुक्तता, रस, गुण, क्रिया के स्वरूप की अनुभूति के लिए पद्य की नाव चोच की हीनता तथा साम्य के लिए जनगत शब्द-श्रीला के निषेध की सलाह उन्होंने दी है। रस की दृष्टि में अलंकार योजना के विषय में जाचार्य शुक्ल ने एक विशेष बान कहा है, जो ध्यान देने योग्य है। उनका कथन है कि रस-विराधी अप्रस्तुतों द्वारा साम्य की योजना न होनी चाहिए, इसमें भावानुभूति में बाधा पड़ती है, याम्यैदम्य द्वारा कुछ मनोरंजन चाहे ही जाय। अलंकार के प्राचीन जाचार्य ऐसी साम्ययोजना की दोषयुक्त नहीं मानते, पर जाचार्य शुक्ल ने इसे अप्रयुक्त कहा है, जो ठीक ही है। जायमा ने युद्ध के समय तोप का वर्णन करते हुए शुद्ध गार से सरद अप्रस्तुतों की योजना का है, जो अमृत वाररस की अनुभूति में ध्यायत पहुँचाती है।—(देखिए आरसा-प्रयाली का 'अलंकार' शीर्षक अध्याय)।

अप्रस्तुत के विषय में ऊपर के चित्रचित्र द्वारा यह स्पष्ट है कि काव्य में उसकी (अप्रस्तुत या अलंकार की) निहित या योजना अर्थ की स्पष्टता अथवा सुदृढ़ता के लिए ही होती है। ऐसी स्थिति में परिचित अप्रस्तुत उपमान वा अप्रस्तुत से भोता वा पाठक का परिचित हाना की आवश्यकता आवश्यक है। नात्यय यह की अप्रस्तुत ऐसे होने चाहिए, जिनसे पढ़ने या सुनने में उनका रूप, गुण, व्यापार आदि पाठक या श्रोता पर शोष ही प्रकट हो जाय, उलझे हुए वा संरतगम (अनुभव) अप्रस्तुत न हो। इस विषय में जाचार्य शुक्ल का भी यही मत है—“काव्य में ऐसे ही उपमान अच्छी सहायता पहुँचाते हैं जो सामान्य प्रत्यक्ष रूप में परिचित होते हैं और जिनकी भंग्यता, विमालता या रमणीयता जादि या सरकार जनसाधारण के हृदय पर परस्पर से जमा चला जाता है।”—(अमरगीतसार, पृ० ३७)। इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि परंपरा में वैधा चली आती हुई उपमाएँ ही लाल जावें, यह भी आवश्यक

नहीं है, नए-नए अप्रस्तुतों का प्रयोग भी कवि कर सकता है, पर इसका ध्यान रहे कि वे उलझी हुई न हों—“उपयुक्त कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि ऐसे प्रसंगों में पुरानी बंधी हुई उपयाएँ ही लाई जायें, नई न लाई जायें। ‘अप्रसिद्धि’ मात्र उपमा का कोई दोष नहीं, पर नई उपमाओं की सारी जिम्मेदारी कवि पर होती है।”—(जायसी-ब्रथावली, पृष्ठ १३७-३८)।

अब तक के विवेचन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि अलंकार प्रायः साम्य की दृष्टि से प्रस्तुत हुए हैं; असाम्यमूलक अलंकार भी हैं, पर बहुत ही कम, यथा विभावना, विरोधाभास, असंगति आदि। उपयुक्त अलंकारों के भेद विवेचन द्वारा यह भी विदित होता है कि साम्यमूलक अलंकार रूप, गुण और क्रिया के आधार पर ही निर्मित होते हैं। रूप, गुण और क्रिया की दृष्टि से साम्यमूलक अलंकारों के मुख्यतः दो भेद हैं—(१) सादृश्यमूलक (रूपगत साम्य); (२) साधर्म्यमूलक (धर्म अर्थात् गुण, क्रिया आदि में साम्य)। पर साम्य के अंतर्गत शब्द साम्य भी आता है, जो कोरे चमत्कार वा वाग्बैदग्य से संबंध रखता है। साम्य के इस तीसरे रूप पर दृष्टि रखकर रचना करनेवाले कवियों को आचार्य शुक्ल ने अच्छा नहीं कहा है। इस दंग की रचना करनेवालों में केशवदास प्रधान थे, जिन्हें उन्होंने निम्न कोटि का कवि माना है—अपने काव्य-सिद्धांतों के अनुसार। तात्पर्य यह कि साम्यमूलक अलंकारों के शास्त्रीय दृष्टि से तीन प्रमुख प्रकार हो सकते हैं। आचार्य शुक्ल की दृष्टि से अलंकारों पर विचार करते हुए हमने देखा कि वे अलंकार-योजना द्वारा भावोत्कर्ष के भी प्रतिपादक हैं, उनका कथन है कि अलंकारों द्वारा भावानुभूति में भी तीव्रता आनी चाहिए। इसी कारण वे गोस्वामी तुलसीदास के अलंकारों का विवेचन करते हुए रूप, गुण, क्रिया के साथ ही भाव पर भी दृष्टि रखकर विचार करते हैं। तुलसी के अलंकार-विवेचन का क्रम इस प्रकार है—“(१) भावों की उत्कर्ष व्यंजना में सहायक, (२) वस्तुओं के रूप (सौंदर्य, भीषणत्व आदि) का अनुभव करने में सहायक, (३) गुण का अनुभव तीव्र करने में सहायक, (४) क्रिया का अनुभव करने में सहायक।”—(गोस्वामो तुलसीदास, पृ० १६२)। इस उद्धरण से हमारा आशय यह है कि स्थूल-रूप से आचार्य शुक्ल

के मतानुसार हम जलकारों के उपर्युक्त चार भेद मान सकते हैं।

ऊपर हमने मान्य भी दृष्टि से ही आचार्य शुक्ल द्वारा जलकार विवरण देखा है। जलकारों में अप्रस्तुत की मान्य योजना की प्रक्रिया क्या है, कैसे

प्रस्तुत के समान ही अप्रस्तुत की भावना मन में आ जाती अप्रस्तुत के समान ही, हमने भी देखा है। प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत की योजना की प्रक्रिया तुल्य योजना मन्त्रि द्वारा अनुभूत ( एन्कपीरीरिड ) और ज्योति ( स्टडीड ) वस्तुओं की उनके हृदय पर छाया या

संस्कार ( इमप्रेशन ) का चयन द्वारा ग्रहण होता है। रमणा के मुख की उपमा चंद्रमा ने देने के पूर्व ही कवि के हृदय में अप्यनन वा अनुभूति द्वारा उमर्णा के मुख की सुन्दरता, दीप्ति आदि की तुलना में चंद्रमा की सुन्दरता, दीप्ति आदि का संस्कार निहित रहता है और अक्सर पढ़ने पर वह संस्कार चयन द्वारा स्वतः ही उदित होकर काव्य में प्रकट हो जाता है, क्योंकि कवि काव्य रचना करते समय भावदेश में उपमान और उपमेय के रूप, धर्म, क्रिया आदिने साम्य का लेखा-जोखा नहीं लेता, नाभ्य ना वह संस्कार पूर्व ही से उसके मन में पड़ा रहता है। जो कवि ऐसा करके काव्य रचेंगा उसकी रचना में प्रभाव का जमान दृष्टिगत होगा और वह (रचना) माथापची से बनी (लेखी) प्रतीत होगी। आचार्य शुक्ल भी अर्ककारणतः उपमान विधान कल्पना द्वारा ही मानते हैं—“कहने की आवश्यकता नहीं कि जलकार विधान में उपर्युक्त उपमान लाने में कल्पना ही काम करती है।”—( भ्रमरगीतसार, पृ० ३० )।

सत्यवाचक ( काक्रीट ) के स्थान पर असत्यवाचक ( जम्बूकट ) का और असत्यवाचक के स्थान पर सत्यवाचक का प्रयोग सभी देशों के प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार के काव्यों में प्राप्त होता है।

मातृवाचक के स्थान अंगरेजी काव्य में—विदोषत ह्यनृच्छदतारादी ( रोमांटिक ) पर असत्यवाचक कवियों के काव्य में—ऐसे प्रयोग विशेष रूप से मिलते हैं।

तथा असत्यवाचक हिन्दी के प्राचीन कविता यथा, घनानन्द और देवव आदि के स्थान पर सत्य- में भी कथन की यह प्रणाली वहीं-वहीं लक्षित होती है।

वाचक का प्रयोग हिन्दी के धार्मिक कवियों में इसका प्रचार विशेष है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंगरेजी काव्य से प्रभावित होने

के कारण हमारे यहाँ के नवीन कवि ऐसे प्रयोग विशेष रूपसे करने लगे हैं। हिंदी के गद्य-लेखकों में भी ऐसे प्रयोगों के दर्शन होते हैं। सत्त्व वा वस्तुवाचक का प्रयोग असत्त्व वा भाववाचक के स्थान पर तथा असत्त्व वा भाववाचक के स्थान पर सत्त्व वा वस्तुवाचक का प्रयोग भी कथन वा वर्णन की विशिष्ट प्रणाली ही है, जो अलंकार के अंतर्गत आती है—आचार्य शुक्ल के मतानुसार। अंगरेजी साहित्य के आलंकारिक कथन की उपर्युक्त दोनों प्रणालियों को सिनेकडोकी अलंकार के एक भेद के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे प्रयोगों के स्वरूप तथा उनकी विशिष्टता के विषय में देखिए आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं—  
 “मूर्त रूप खड़ा करने के लिए जिस प्रकार भाववाचक शब्दों के स्थान पर कुछ वस्तुवाचक शब्द रखे जाते हैं उसी प्रकार कभी-कभी लोकसामान्य व्यापक भावना उपस्थित करने के लिए व्यक्तिवाचक या वस्तुवाचक शब्दों के स्थान पर उपादान लक्षणा के बल पर भाववाचक शब्द भी रखे जाते हैं। इस युक्ति से जो तथ्य रखा जाता है वह बहुत भव्य, विशाल और गंभीर होकर सामने आता है।”—(शेष स्मृतियाँ की ‘प्रवेशिका’, पृ० ३० और देखिए काव्य में रहस्यवाद, पृ० २७—२९)।

प्रकृति और काव्य पर विचार करते हुए हमने देखा था कि प्रकृति के रूप-व्यापारों पर कवि भावों, तथ्यों आदि का आरोप करता है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि इस प्रकार का प्रकृति पर आरोप अलंकार प्रकृति पर भाव, ही है। उनका कहना है कि जिस प्रकार अप्रस्तुत प्रस्तुत तथ्य का आरोप के लिए फालतू वा अतिरिक्त वस्तु होता है उसी प्रकार और अलंकार यह आरोप भी प्रकृति के लिए अतिरिक्त वस्तु ही है। देखिए वे क्या कहते हैं—“प्रकृति की ठीक और सच्ची च्यंजना के बाहर जिस भाव, तथ्य आदि का आरोप हम प्रकृति के रूपों और व्यापारों पर करेंगे वह सर्वथा अप्रस्तुत अर्थात् अलंकार मात्र होगा, चाहे हम उसे किसी अलंकार के बँधे सँघे में ढालें या न ढालें। उसका मूल्य

❖ वक्रोक्तिजीवितकार कुंतक ने इसे ही ‘उपचारवक्रत्व’ कहा है। देखिए वक्रोक्तिजीवित का प्रथम उन्मेष।

एक फाल्गु या ऊपरी चीज के मूल्य से अधिक न होगा। चाहे हम कोई उपदेश निकाल, चाहे साहित्य या साधर्म्य के सहारे कोई नैतिक या 'आध्यात्मिक' तथ्य उपस्थित करें, चाहे अपनी कथना या भावना का मूर्त विधान करें, यह उपदेश, तथ्य या विधान प्रकृति के किसी वास्तविक मर्म का उद्घाटन न होगा।" (राज्य म खस्यसाद, पृ० २५-२६) प्रकृति पर भाव और तथ्य के आरोप को अलंकार मानने के दो कारण हैं। एक तो यह कि वे अप्रमत्त ही भाँति ही अतिरिक्त वस्तु होते हैं। दूसरे यह कि ऐसा करने से वचन न रमणीयता भी आ जाती है, जो अलंकार का प्रमुख धर्म है। यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार अलंकार ने दुष्ययोग द्वारा काव्य का मूल गिर जाना है, उसी प्रकार प्रकृति पर व्यर्थ के आरोपों द्वारा भी उसमें (प्रकृति या प्रस्तुत में) भद्धान आ सकता है। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने प्रकृति पर मानव भावनाओं आदि के आरोपों का अलंकार नहीं कहा है, पर अंगरकी अलंकारिक इस प्रकार के आरोपों को अलंकार के अंतर्गत रखते हैं, जैसे जड़ प्रकृति में मानव के समान ही भावना, क्रिया आदि के आरोपों को परमातिनिर्दिष्ट नामक अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। वचन की इस प्रणाली को हम सत्त्ववाचक के स्थान पर अश्ववाचक का प्रयोग कह सकते हैं, जो भारतीय प्राचीन तथा ग्रीक दाना काव्यों में प्राप्त है। इस 'मानवोत्तरण' अलंकार कहना तो फोरी नकल हो जायगा। भारतीय शास्त्रों के अनुसार यह अज्ञान विधान के भीतर ही है, जो कहा उपचार द्वारा होगा और कहीं अनुपचार या उपचारित योजना द्वारा।

अथालंकारों के रसानुसूल प्रयोग प्राप्त रूप प्रयोग के लो आचार्य शुक्ल पक्षपाता थे, यह उपर्युक्त विवरण से विदित है। वे राज्य में अलंकार को उपवागिता के समथर थे अनश्य, पर उसका समुचित और शब्दालंकार शिष्ट प्रयोग ही देखना चाहते थे, केवल चमत्कार के लिए उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा का बधान वे उचित नहीं समझते थे। वे काव्य में शिष्ट रचिनाले कथिया की रचनाओं को ही अच्छा समझते थे। शब्दालंकार को वे राज्य में विशेष महत्त्व नहीं देते थे, जिसके द्वारा तेरठ चमत्कार की ही सृष्टि होती है। अलंकारगत

शब्द-साम्य के विषय में उन्होंने कहा है—“इनमें से तीसरे ( शब्द-साम्य ) को लेकर समाशे खड़े करना तो केशव ऐसे चमत्कारवादी कवियों का काम है।” —( इन्दौरवाला भाषण, पृ० ८६ ) । इससे स्पष्ट है कि वे शब्दालंकार को अर्थालंकार की अपेक्षा निम्न कोटि की वस्तु समझते थे ।

आचार्य शुक्ल संस्कृत के आचार्यों द्वारा निर्धारित कुछ अलंकारों को अलंकार की श्रेणी में नहीं रखते । वे अलंकार हिंदी में भी प्रचलित हैं । उनके नाम हैं—स्वभावोक्ति, उदात्त और अत्युक्ति । स्वभावोक्ति स्वभावोक्ति का पर उन्होंने विशेष रूप से विचार किया है । उनका कहना अनलंकारत्व है कि स्वभावोक्ति में प्रस्तुत का ही वर्णन होता है, और केवल प्रस्तुत के वर्णन को रस-क्षेत्र से निकाल कर अलंकार की श्रेणी में नहीं रख सकते । स्वभावोक्ति में वर्णित वस्तु व्यापारों के आधार पर अप्रस्तुतों की योजना हो सकती है । ऐसी स्थिति में उसे अलंकार कैसे माना जा सकता है । देखिए वे क्या कहते हैं—“वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन आलंबन विभाग के अंतर्गत और उसकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विभाव के अंतर्गत होगा । प्रस्तुत वस्तु की रूप, क्रिया आदि के वर्णन को रस-क्षेत्र से घसीटकर अलंकार-क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते ।” ( चिंतामणि, पृ० २५० ) । दूसरे स्थल पर वे कहते हैं—“पर मैं इन्हें ( लड़कों का खेलना, चीते का पूँछ पटककर झपटना, हाथी का गंडस्थल रगड़ना इत्यादि को ) प्रस्तुत विषय मानता हूँ; जिन पर अप्रस्तुत विषयों का उत्प्रेक्षा आदि द्वारा आरोप हो सकता है ।” —( काव्य में प्राकृतिक दृश्य ) । अभिप्राय यह कि स्वभावोक्ति को वे अलंकार नहीं मानते, प्रस्तुत विषय ही मानते हैं । भामह और कुंतक ने भी इसे अलंकार नहीं माना है । अलंकार के समर्थक यह कह सकते हैं कि अब अलंकार वर्णन की एक प्रणाली ही है, तब प्रस्तुत का यथातथ्य चित्रवत् वर्णन ( ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ) भी तो अलंकार ही हुआ । पर आचार्य शुक्ल तो काव्य में मूर्त-विधान आवश्यक मानते हैं, जिसके अंतर्गत

⊗ अलंकाररूपतां येषां स्वभावोक्तिरलंकृतिः । अलंकार्यतया तेषां किमन्यवतिष्ठते ।

—वक्रोक्तिजीवित, प्रथम उन्मेष, ११ ।



‘सिद्धयन् शून्य’ भी जा जाता है। २६१७. दृग्भारिक प्रलम्ब प्रस्तुत शिष्य से ही सरद है, अप्रस्तुत से नहा। संस्कृत के कुछ प्राग्भारिक स्वभाविक से ‘जति’ भी कहते हैं।

नाम्य स्वरूप पर विचार करते हुए हमने देखा था कि काव्य में भाषा का वितना बड़ा महत्त्व है। बिना शशी या भाषा के नाम्य की लक्ष्य-वृत्ति हो ही नहीं सकती, यदि ही भाषा को पहुँच धोता या पाठक काव्य भाषा तब बिना शशी के असम्भव है, इस बात का प्रधान साधन या कारण भाषा ही है। तो, काव्य की साधकता भाषा पर ही अवलम्बित है। यह नाम्य की प्रधान साधन है। जाये हम आचार्य शुक्ल की दृष्टि में काव्य-भाषा पर विचार करने को काव्य के स्वभाव में अपना विशेष महत्त्व समझें।

यह हम पर विदित है कि आचार्य शुक्ल नाम्य या प्रधान लक्ष्य मूर्ति-विधान मानते हैं, उनका कथन है कि कविता हमारे समुद्र जगत् और जीवन से सरद रूप-स्वभावों को मूर्त वाचिन रूप में रखती है। लक्षणा-शक्ति यह मानकर वस्तु व्यापारों का तो मूर्त रूप प्रस्तुत ही करता है जगत्-भारणों से भी मानकर या मूर्त रूप में अंकित करने का प्रयास करती है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि “अनेकर बाता या भावनाओं को भी, जहाँ तक हो सकता है, शक्ति स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है।”—(चित्तमणि, पृ० २३८)। उनका मत यह है कि इस काव्य की पूर्ति के लिए भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेना पड़ता है—“इस मूर्त विधान के लिए यह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है।” (वही)। क्योंकि “लक्षणा द्वारा शब्द और सजाव आकृत-प्रदान का विधान प्राप्त सर देश के शक्ति-क्रम में पाया जाता है।”—(वही, पृ० २३९)। ऐसी स्थिति में यदि कवि को यह महत्ता रहता है कि ‘समय धीता जाता है’ तो वह इसको मूर्तरूप में प्रस्तुत करने के लिए लक्षणा का अवलम्बन लेकर करता है कि ‘समय भाषा जाता है’। इसी प्रकार गोचर रूप के प्रापशीकरण के लिए भी वह लक्षणा में सहयोग लेता है।

काव्य में भावना को गोचर रूप में प्रस्तुत करने के लिए कवि को एक  
 सरी पद्धति का भी अनुसरण करना पड़ता है, जिसमें जाति-संकेतवाले शब्द  
 न लाकर विशेष-रूप-व्यापार-सूचक शब्द लाने पड़ते हैं।  
 विशेष रूप व्यापार आचार्य शुक्ल कहते हैं—“भावना को मूर्तरूप में रखने की  
 सूचक शब्द-प्रयोग आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता  
 यह रहती है कि उसमें जाति संकेतवाले शब्दों की अपेक्षा  
 विशेष-रूप-व्यापार-सूचक शब्द अधिक रहते हैं।”—(चित्तामणि, पृ० २३९-  
 १०) कहने का तात्पर्य यह कि इस कार्य की पूर्ति के लिए ऐसे शब्दों का  
 योग विरल रूप से करना पड़ता है, जिसके द्वारा अनेक रूप-व्यापारों की  
 भावना मिले जुले रूप में होती है, जैसे, ‘अत्याचार’ शब्द का प्रयोग मारना-  
 पीटना, लड़ना-पाटना, डाटना-डपटना इत्यादि अनेक रूप-व्यापारों का  
 वरूप संमुख लाता है, पर मन में कोई रूप-व्यापार जमता नहीं। इनकी  
 प्रस्पष्ट भावना मात्र हो जाती है। तो, काव्यगत रूप-विधान के लिए  
 ऐसे अस्पष्ट रूप-व्यापार की श्रलक देनेवाले शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं  
 होता, प्रस्युत ऐसे शब्दों का प्रयोग अमीष्ट होता है, जिनके द्वारा मन में  
 देनेवाले केवल एक ही दो रूप-व्यापार व्यक्त होते हैं, जैसे, फनी पर अत्याचार  
 करनेवाले पति को समझाने के लिए यह कहना है कि—‘इसका तो विचार करो कि  
 तुमने उससे विवाह किया है’ की अपेक्षा ‘यह कहना अत्यन्त उपयुक्त है कि  
 तुमने उसका हाथ पकड़ा है’। इस प्रयोग द्वारा विवाह के समय का हाथ  
 पकड़ने का वह दृश्य संमुख आ जाता है जो अवलंब देने का सूचक है।  
 अभिप्राय यह है कि भावना को मूर्तरूप में प्रस्तुत करने के लिए अनेक रूप-  
 व्यापारों में से एक वा दो ऐसे रूप-व्यापार काव्य में चित्रित करने पड़ते हैं  
 जिनका प्रभाव हृदय में कुछ समय तक बना रहे। आचार्य शुक्ल का  
 कथन है कि इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए काव्य में शास्त्रगत पारिभाषिक  
 शब्दों का प्रयोग भी वर्ज्य है। ऐसे शब्दों का प्रयोग ‘अप्रतीतत्व’ देष माना  
 जाता है।

काव्य-भाषा की तीसरी विद्विष्टता पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल  
 कहते हैं—“काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त-विधान

के लिए कविता चित्र-विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है उसी प्रकार नाद सौष्टव के लिए यह संगीत का कुछ कुछ वृत्तविधान, छन्द, अल्पानुप्रास आदि नाद सौंदर्य-साधन के लिए ही है।— (चिन्तामणि, पृ० २४४)। आचार्य शुक्ल का कथन है कि “नाद-सौंदर्य से कविता की भाषा उदनी है।”—(वही, पृ० २४५)। उनके मतानुसार नाद सौंदर्य द्वारा काव्य के पूर्ण स्वरूप की प्रतिष्ठा में सहायता मिलती है।

काव्य भाषा की एक और विशेषता पर आचार्य शुक्ल ने विचार किया है और उसे संस्कृत से हिंदी में आई हुई बताते हैं। देखा यह जाता है कि काव्य में व्यक्तिवाचक नामों का प्रयोग भी होता है, प्रसंगानुकूल व्यक्ति इस स्थिति में चाहिए यह कि जिस व्यक्ति का नाम प्रयुक्त वाचक नामोंका प्रयोग हो, उसके रूप गुण वा कार्य को दृष्टि में रखकर रने गए नामों का प्रयोग प्रसंगानुकूल हो, इसमें विवाद नहीं। जैसे, कृष्ण के ‘सुगण’ नाम का प्रयोग विपनासथा में होना चाहिए, इस अवस्था में इनके ‘विपिननिहारो’ या ‘गापिनारमण’ नामों का प्रयोग नहीं, क्योंकि ये (नाम) इस स्थिति में प्रसंगविरुद्ध होंगे।

ऊपर हमने आचार्य शुक्ल की दृष्टि से काव्य भाषा की विशिष्टता पर विचार किया, उसी सरलता वा सीधे सादेपन पर भी विचार किया, जिसके द्वारा काव्य की सामिक व्यञ्जना होता है और भाषा से ही अभिधेनार्थ में ही सरल अल्पाकार पर भी कुछ दृष्टि डाली, किन्तु इसके अतिरिक्त काव्य की रमणीयता काव्य में भाषा को ही लेकर शब्द-शक्ति पर भी विचार होता है। जत इस सरल में भी हम आचार्य शुक्ल का मत एवं विवेचन देते। उ हान शब्द-शक्ति पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया है, स्थलभाषा का कारण उनसे लिए यह समझ भी नहीं था, पर इस विषय में उनका तथा प्राचीन आचार्यों की दृष्टि में जहाँ-जहाँ अंतर आ पड़ा है। उन उन स्थानों की विवेचना उन्होंने अपनी दृष्टि से की है। वह सभी विषय पर प्रकट है कि शूलत्व योग्यता, जाका-अ और जाकति वा सनिधि से युक्त पदसमूह वाक्य होता है, जो सरल अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। उपर्युक्त

विशिष्टताभावक पदों में ही यह शक्ति होती है कि यदि प्रयोक्ता बुद्धिपूर्वक इनका प्रयोग करे तो उसका अभीष्ट अर्थ व्यक्त हो सकता है अन्यथा नहीं। अभिधेय वा सीधे-सादे अर्थ की प्राप्ति के लिए तो यही प्रक्रिया काम करती है। पर कभी-कभी वचन-भंगिमा के लिए अयोग्य वा अनुपपन्न पदों की योजना भी की जाती है, जिनके अभिधेयार्थ द्वारा अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति होती नहीं दिखती। ऐसी स्थिति में, आचार्यों के मत्पुस्तक; शब्द की लक्षणा और व्यञ्जना शक्तियों द्वारा अभीष्ट अर्थ की पूर्ति होती है। वहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि लक्षणा और व्यञ्जना शक्तियों द्वारा लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्राप्ति अभिधा के पथ पर चलकर ही होती है, बिना अभिधेयार्थ समझे लक्ष्यार्थ वा व्यंग्यार्थ समझ में नहीं आ सकता। इस विषय में आचार्य शुक्ल तथा भारतीय प्राचीन आचार्य एक मत हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं—“इससे यह स्पष्ट है कि लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी ‘योग्यता’ वा ‘उपयुक्तता’ को पहुँचा हुआ, समझ में आने योग्य रूप में आया हुआ, अर्थ ही होता है। अयोग्य और अनुपपन्न वाच्यार्थ ही लक्षणा या व्यञ्जना द्वारा योग्य और बुद्धिग्राह्य रूप में परिणित होकर हमारे सामने आता है।”—( इन्दौरवाला भाषण, पृ० ८ )। ‘जौमिनिसूत्र’<sup>७</sup> पर भाष्य करते हुए शंकर स्वामी ने तथा ‘अभिधावृत्तिमातृका’<sup>८</sup> में मुकुल-भट्ट ने भी ऐसा ही कहा है। भट्टनायक का भी यही कथन है। ये लक्षणा की स्थिति अभिधा से पृथक् नहीं मानते।

शब्द की सभी शक्तियों के मूल में अभिधा-शक्ति को निहित देखकर ही आचार्य शुक्ल ने अपना यह मत स्थापित किया है कि काव्य में रमणीयता का दर्शन अभिधेयार्थ वा वाच्यार्थ में ही होता है। उनका कहना है—“अब प्रश्न यह है कि काव्य की रमणीयता किसमें रहती है? वाच्यार्थ में अथवा लक्ष्यार्थ वा व्यंग्यार्थ में? इसका श्रेष्ठतम उत्तर यही है कि वाच्यार्थ में, चाहे वह योग्य और उपपन्न हो, अथवा अयोग्य और अनुपपन्न। मेरा यह कथन विरोधाभास

<sup>७</sup> कथं परत्र परशब्द प्रवर्तत इति । गुणवाद्स्तु । गुणादेश्वाद्वाः । कथं अगुणवचनो गुणं व्युधात् । स्वार्थाभिधानेनेति व्युमः ।

<sup>८</sup> अत्र हि स्वार्थद्वारेण लक्ष्यभाषाभाषामिभिवेदिता शब्दानामुक्ता ।

का चमत्कार दिलाने के लिए नहीं है, सोलह जाने ठीक है।"—(इन्दौरवाणी भाग, पृ० १३)। अपने पक्ष के समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जाचार शुक्ल कहते हैं—“जोर, हाय ! पतंग मरे क्या—

जोर, हाय ! पतंग मरे क्या ?

इसमें भी यही बात है। जो कुछ वैचित्र्य या चमत्कार है, वह इस अयोग्य और अनुपपन्न वाक्य या इसके वाच्यार्थ में ही। इसके स्थान पर यदि इसका यह लक्ष्यार्थ कहा जाय कि ‘जोर पतंग क्या कष्ट भाग ?’ तो काहे वैचित्र्य या चमत्कार न रहेगा।”—(इन्दौरवाणी भाग, पृ० १३-१४)। अभिप्राय यह कि जाचार शुक्ल की दृष्टि में वाच्यार्थ ही वाक्य है, उसके और दा अर्थ काव्य नहीं, व ता वाच्यार्थ के साधक मात्र हैं।

इसे हम देख चुके हैं कि वाक्य में प्रयुक्त वाक्य के वाक्यार्थ की आनन्दरक्ता होता है, यद्यपि वही उसका सब कुछ नहीं है। अभी-अभी हमने यह भा दगा कि काश्चिद्वाक्य में उन लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ उक्तमत्र की सीमात्मा का भा स्थिति है, जो वाच्यार्थ से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। हम पर यह भी निर्दिष्ट है कि कविशला की दृष्टि से अपने काव्य को सँवारने के लिए मुद्रारों आदि का भी प्रयोग करता है, जो प्रायः अन्वकार के आधार पर रचते हैं और उक्त के समान काय करने हैं। ऐसा स्थिति में वाच्यार्थ को ही काव्य वा उसका (काव्य की) रमणीयता मानना ठीक नहीं प्रतीत होता। ‘जोर, हाय ! पतंग मरे क्या ?’ के वाच्यार्थ में ही यदि काश्चिद् की स्थिति मानी जाय तो उसका कोई अर्थ ही न लगेगा। इसमें प्रयुक्त ‘मृगना’ को यदि वस्तुन ‘शरीर त्याग करना’ मानकर अर्थ लगाया जाय, ‘मृगना’ को मुद्गारे के रूप में लेकर ‘कष्ट भोगना’ न माना जाय, तो इसका कोई अर्थ ही न निकलगा। हाँ, वाच्यार्थ के आधार पर, इसमें प्रयुक्त मुद्गारे का अर्थ समझकर, इसके लक्ष्यार्थ पर जो दृष्टि जाती है, तभी मन अनुरजित होता है, और कविकौशल भी ज्ञात होता है। बिना इस वाक्य की ध्वनि को समझे, केवल इसके वाच्यार्थ के आधार पर ही इसमें रमणीयता लक्षित नहीं रहता। जब हम इसका अर्थ समझते हैं, तभी इसकी रसात्मकता का अनुभव होता है। वाच्यार्थ को भेदकर जब हम लक्ष्यार्थ वा व्यंग्यार्थ तक पहुँचते हैं तभी

काव्य की स्थिति वस्तुतः माननी चाहिए । और वाच्यार्थ के आधार पर लक्ष्यार्थ वा व्यंग्यार्थ की स्थिति तो आचार्य शुक्ल भी मानते हैं । यह सत्य है कि ध्वनित वा व्यंजित वस्तु बड़ी ही सीधी-सादी और थोड़ी-सी होती है, पर काव्यमयी अभिव्यंजना के मध्य से ध्वनित वा व्यंजित होती हुई वह रमणीय प्रतीत होती है । हमारा पक्ष यही है कि केवल वाच्यार्थ काव्य नहीं है, इसके द्वारा लक्षित, व्यंजित वा ध्वनित अर्थ ही काव्य है । ध्वनि-काव्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन भारतीय साहित्य के आचार्यों ने इसी दृष्टि से किया है । अंगरेज साहित्य मीमांसक एवरक्रॉवी भी इसी पक्ष के समर्थक हैं<sup>१</sup> ।

व्यंजना के विषय में भी आचार्य शुक्ल ने कुछ अपनी दृष्टि से विचार किया है । व्यंजना दो प्रकार की होती है; एक वस्तु व्यंजना और दूसरी भावव्यंजना ।

इन दोनों व्यंजनाओं के स्वरूप के विषय में प्राचीन आचार्यों व्यंजना और उसके तथा आचार्य शुक्ल में मत-वैपश्य है । प्राचीन आचार्यों ने प्रकार इनका भेद किस रूप में स्थापित किया है, इसे आचार्य शुक्ल के शब्दों में ही देखिए—“पर साहित्य के ग्रन्थों में दोनों में केवल इतना ही भेद स्वीकार किया गया है कि एक में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ पर आने का पूर्वापर क्रम श्रोता या पाठक को लक्षित होता है, दूसरी

+ “Nevertheless, language in literature must be made to mean very much more than the logical or grammatical meaning which is given by its syntax—the orderly arrangement of its parts... Thus, as we have already noticed, something infinitely variable (experience) must be committed to a notation (language), the capacity of which is, by its nature, limited. Literary art therefore, will always be in some degree suggestion ; and the height of literary art is to make the power of suggestion in language as commanding, as far-reaching, as vivid, as suitable as possible.”—Lancelotti Abercrombie M. A.’s *Principles of Literary Criticism*, pp. 38-39.

में यह क्रम होने पर भी लक्षित नहीं होता।"—(इ दीरवाला भाषण, पृ० ९)। प्राचीन आचार्यों के इस मत का जालोचना करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं—“पर बात इतनी ही नहीं जान पड़ती। रति, क्रोध आदि भावों का अनुभव करना एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर जाना नहीं है, अतः किसी भाव की अनुभूति को व्यंग्याय कहना बहुत उपयुक्त नहीं जान पड़ता। यदि व्यंग्य कोई अर्थ होगा तो वस्तु या तथ्य ही होगा और इस रूप में होगा कि ‘अमुक प्रेम कर रहा है, अमुक क्रोध कर रहा है’। पर केवल इस बात का ज्ञान करना कि ‘अमुक क्रोध या प्रेम कर रहा है’ स्वयं मोक्ष या रति भाव का रसात्मक अनुभव करना नहीं है।”—(इ दीरवाला भाषण, पृ० ९-१०)। इस विषय में कहा यह ज्ञान मकता है कि कवि का लक्ष्य वस्तुतः बीज रूप में यही व्यक्त करना रहता है कि ‘अमुक क्रोध वा प्रेम कर रहा है’। पर वह इतनी ही बात की व्यंग्याय के लिए काव्य के उन सभी प्रमाथना या उपयाग करता है जिनके द्वारा श्रोता वा पाठक के हृदय में हम बात की अनुभूति हो जाय कि ‘अमुक क्रोध वा प्रेम कर रहा है’। यह तो निश्चित है कि कवि केवल यही तथ्य नहीं उपस्थित करता कि अमुक ऐसा करता है। वह तो इसी बात को काव्य के उपकरणों द्वारा ध्वनित करता है, जिसका अनुभव श्रोता वा पाठक करता है। इस तथ्य का कथन मात्र तो काव्य ही ही नहीं सचता।

वस्तुतः प्राचीन आचार्यों तथा आचार्य शुक्ल में इस विषय पर मत वैभिन्न का कारण यह है कि आचार्य शुक्ल के मतानुसार तथ्य वा वृत्त बोधवृत्ति से सम्बन्ध है और मात्र अनुभूति से। पहले या सुषुप्त बुद्धि से है और दूसरे का हृदय से। वस्तु व्याजना और भाव व्यंग्याय में भिन्नता का निर्देश करते हुए वे यही बात कहते हैं—“यदि थोड़ा ध्यान देकर विचार किया जाय तो दोना (वस्तु व्याजना और भाव व्यंग्याय) भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ टहरती हैं। वस्तु-व्याजना किसी तथ्य या वृत्त का बोध कराती है, पर भाव-व्याजना जिस रूप में मानी गई है उस रूप में किसी भाव का संचार करती है, उसकी अनुभूति उत्पन्न करती है। बोध का ज्ञान कराना एक ज्ञान है और कोई भाव जगाना दूसरी बात। दोना भिन्न नौटि की क्रियाएँ हैं।”—(इ दीरवाला भाषण, पृ० ९)। इस उद्धरण के पूरे उद्धरण पर विचार करते हुए हमने कहा है कि

वस्तुतः कवि का लक्ष्य 'अमुक क्रोध वा प्रेम कर रहा है' तथ्य का काव्यमयी चाणी द्वारा श्रोता या पाठक को बोध कराना होता है। काव्य का प्रधान संबंध हृदय से है, अतः काव्य में भाव का भी संबंध हृदय से स्थापित होता है और तथ्य-वा वृत्त का भी। यहाँ यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि काव्य अपने शुद्ध रूप में हो। अभिप्राय यह कि काव्य के राज्य में आकर वस्तु तथा भाव एक श्रेणी की वस्तु हो जाते हैं, दोनों का संबंध न्यूनाधिक रूप में हृदय से होता है। इसके अतिरिक्त आचार्य शुक्ल जिस भाव का संबंध केवल हृदय से मानते हैं, उसकी अनुभूति में बुद्धि की प्रक्रिया भी तो अपना कार्य करती ही है। ऐसी स्थिति में प्राचीन आचार्यों द्वारा वस्तु तथा भाव-व्यंजना को लगभग एक ही वस्तु मानना अनुपयुक्त नहीं लेंचता।

काव्य-भाषा के विषय में आचार्य शुक्ल के विचारों के निर्देश में हमने देखा है कि वे उसके लिए नाद-सौंदर्य की आवश्यकता भी समझते हैं, जो संगीत-शास्त्र से संबद्ध है। नाद काव्य के एक अन्य प्रसाधन रीति रीति से संबंध रखता है, जिसको दृष्टि में रखकर कविगण रसानुकूल वर्णों का प्रयोग करते हैं, अर्थात् कोमल रसों के वर्णन में कोमल वर्णों का प्रयोग करते हैं और परुष वा फटोर रसों के वर्णन में कर्कश वर्णों का। रीति के प्रयोजन के विषय में उन्होंने कहा है—“रीति का विधान शुद्ध नाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुआ है।”—(इंदौरवाला भाषण, पृ० ९२)। पर, वे कोमल-परुष वर्णों के प्रयोग में ही काव्य की सिद्धि नहीं मानते—“पर इसका यह मतलब नहीं कि ‘मंजु, मंजुल; प्रांजल’ तथा ‘उहं ड, प्रचंड, मार्तंड’ लिखकर ही काव्य की सिद्धि समझ ली जाय।”—(इंदौरवाला भाषण, पृ० ९२)। अभिप्राय यह कि वे कल्पना, अलंकार आदि की भाँति रीति को भी काव्य का एक साधन मानते हैं, उसका साध्य नहीं। प्राचीन आचार्यों में वामन रीति के बड़े भारी समर्थक थे। रीति पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने यूरोप में आधुनिक काल में प्रचलित फ्रांसीसी ‘रीतिवाद’ (फ्रेंच इंप्रेसनिज्म) का भी निर्देश किया है, जिसके अनुसार शब्दों के अर्थों पर विशेष ध्यान न देकर उनकी नाद-शक्ति पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है।—(देखिए इंदौरवाला भाषण, पृ० ९२-९३, ९८-९९)।



काव्य के कला-मनु के समय में अथ केवल छंद और लय पर ही और विचार करना है। काव्य का पत्र या रूप देने के लिए छंद तथा लय का अवलंब सभी देशों के काव्यों में बहुत प्राचीन काल से छंद और लय चला जा रहा है। स्थूलतः कुछ लोग जानते हैं यह विचार है कि बिना छंद के काव्य होता ही नहीं, पर बात ऐसी नहीं है, बिना छंद के गद्य में भी काव्य हो सकता है और होता है, यथा, 'कादंबरी' और 'प्रसाद' का भारतात्मक कहानियाँ, जिनकी भाषा काव्य की भाषा से वैशिष्ट्य में किसी प्रकार कम नहीं है। ईसा की उत्तरीय और बीसवीं शती में छंद के बंधन का विरोध का इस क्षेत्र में कुछ स्वातन्त्र्य-प्राप्ति का आंदोलन यूरोप, अमेरिका और भारत में, इन देशों में प्रचलित कानून रीतियों की कठोरता, कोरे प्रदर्शन (जाटिफिशियलिटी) आदि की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। अंगरेजी के पाप, ड्राइडेन आदि कवियों की, जो हमारे यहाँ के रीति-मार्गदर्शन (मॉर्ट पौनट्स) के कुछ-कुछ समान ही प्रतीत होते हैं, रीति-मार्गदर्शिता से ऊपर स्वच्छतावादी आंदोलन (रोमांटिक मूवमेंट) के कवियों ने काव्य के सभी पक्षों में सुविधा और स्वतंत्रता का सूत्रपात किया और इसे दृष्टि में रखकर रचनाएँ प्रस्तुत कीं। हमारे यहाँ छंद आदि का लेकर स्वतंत्रता की चर्चा तो द्विवेदी युग में हुई, पर इसका अधिक प्रचार न हो सका। इसका प्रचार तथा इसके अनुकूल रचना आंदोलन युग में हुई। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार इस युग के कवि काव्य के सभी क्षेत्रों में अंगरेज स्वच्छतावादी कवियों से प्रभावित हुए उसी प्रकार उदगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में भी। आचार्य शुक्ल का कथन है कि उद के बंधन के विरोध का आंदोलन का रूप देने में अमेरिका के कवि वाल्ट व्हिटमैन का प्रधान हाथ है।

काव्य में छंद की स्थिति की आवश्यकता के समर्थक भी प्राचीन काल से ही इसमें विशेष कठोरता का प्रतिपादन नहीं करते, वे भी नवीन नवीन उद-योजना के समर्थक हैं, पर उनका यथन यह है कि इस योजना में व्यवस्था होनी चाहिए। 'भागवत' के पंचम स्कंध में विचित्र नवीन उद का प्रयोग है, जो गद्य-से प्रतीत होते हैं, पर उनमें व्यवस्था है और वे उद ही हैं। आचार्य

शुक्ल ने भी नए-नए छंदों की योजना का समर्थन किया है; वे इसे काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं।—(देखिए इतिहास, पृ० ७७३)। वस्तुतः छन्द में बन्धन वा व्यवस्था का ही महत्त्व है, यह व्यवस्था नवीन भी हो सकती है। छन्द में लय का समावेश स्वतः ही हो जाता है। छन्द और लय के विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा है—“छन्द वास्तव में बंधी हुई लय के भिन्न-भिन्न ढाँचों ( Patterns ) का योग है जो निर्दिष्ट लम्बाई का होता है। लय स्वर के चढ़ाव-उतार के छोटे-छोटे ढाँचे ही हैं जो किसी छन्द के चरण के भीतर न्यस्त रहते हैं।”—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० १३५)। छन्द से ही संबद्ध तुक भी है। इसके विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं—‘तुक’ भी कोई ऐसी अनिर्धार्य वस्तु नहीं।”—(इतिहास, पृष्ठ ७७३)। इस प्रकार हमें विदित होता है कि छन्द को लेकर उनके विचार बड़े उदार हैं। पर वे कविता में इसको आवश्यक समझते हैं। इसके प्रयोजन के विषय में उनका कहना है—“छन्द द्वारा होता यह है कि इन ढाँचों की मिति और इनके योग की मिति दोनों श्रोता को ज्ञात हो जाती है, जिससे वह भीतर ही भीतर पढ़नेवाले के साथ ही साथ उसकी नाद की गति में योग देता चलता है।.....अतः छन्द के बन्धन के सर्वथा त्याग में हमें तो अनुभूत नाद-सौंदर्य की प्रेषणीयता (Communicability of Sound impulse) का प्रत्यक्ष हास दिखाई पड़ता है। हाँ, नए-नए छंदों के विधान को हम अवश्य अच्छा समझते हैं।”—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० १३५)।

स्वछंदतावादी कवि वा छायावादी कवि भाव वा विचार की छोटाई-बड़ाई की दृष्टि से चरणों को छोटा-बड़ा रखते हैं। हिंदी में श्री निराला ने सर्वप्रथम इस प्रकार की योजना प्रस्तुत की। इसके विपक्ष तथा पक्ष में आचार्य शुक्ल स्वयं इस प्रकार कहते हैं—“इस पर पहली बात तो यह पेश हो सकती है कि किसी भाव वा विचार की पूर्णता का संबंध वाक्य से होता है और वाक्य के लिए आज-कल की पद्य-पद्धति के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि वह चरण के अन्त ही में पूरा हो। वह बीच में भी पूरा हो सकता है। यह अवश्य है कि चरण के बीच में एक वाक्य का अन्त और दूसरे का आरम्भ होने से कविता

बुपचाय सँचने के ही अधिक उरसुक होती है, लय के साथ जोर से मुनाने के उरसुक नहीं होती। जिनहाने अरुठी लय के साथ किसी मुकूठ के मुँह से कविता या पाठ मुना है वे जन्ते हैं कि किसी कविता का पूर्ण रीतिरूप उरके जोर से पढ़े जाने पर ही प्रकट होता है। छदा की चलती लय में उर विद्येय माधुर्य होता है।"—(काव्य म रहस्यवाद, पृ० १३६)। इससे प्रिदित होता है कि लय के मध्य में एक विचार या भाव धारा की समाप्ति तथा दूसरे के आरंभ पर उनका मत अरुछा नहीं है। इसी कारण वे प्रस्ताव करते हैं—“छांटे बडे चरणों की रीति योजना करनी हो सो गिन भिन्न छदा के दो-दो चरण लपते हुए बरुनर चले चलने में हम कोई हर्ज नहीं समझते। यह हमारा प्रस्ताव मात्र है।”—(यही, पृष्ठ १३०)। भिन्न भिन्न छदा के दो-दो चरण रखने में भी कठिनाई उपस्थित हो सकती है। मान लीजिए कि एक छाटी भाव धारा चौदह मात्रा-पाठे छद के एक चरण में जा गई, इस भाव धारा के पश्चात् ही एक यही भाव धारा जाती है, जो तीस मात्रा के छद के एक चरण में व्यक्त होती है। इस स्थिति में भी तो चरण की पूर्वारर ओटाई-बडाई रना रहेगी, समान मात्रा के छद के दो चरणों की योजना कैसे हो सकती है।

आचार्य शुक्ल के काव्य-संरधी सिद्धांतों वा विचारों की दृष्टि में रखकर उसके (काव्य के) अंतरांग दोना मधो (भाव पद्य तथा कलापद्य) का विवेचन हमने ऊपर देखा है। जब हम तत्संरधी (काव्य-संरधी)

वाद प्रचलित प्रमुख वादा वा सिद्धांतों पर भी कुछ विचार रख लेना आवश्यक समझते हैं, जिनका समावेश आचार्य शुक्ल ने काव्य पर विचार करते हुए अपने विवेचन में किया है। जिन वादा पर आचार्य शुक्ल ने विचार किया है उन्हें वे भारतीय पद्य नहीं मानते, पश्चिम से आया बतलते हैं। कुछ वादा पर उन्होंने अपनी भारतीय दृष्टि से विचार किया है और अपने दृग् से उनका स्वरूप निधारित किया है, यथा, रहस्यवाद पर। वादा के विवेचन में आचार्य शुक्ल की दृष्टि प्रधानतः चार वादा पर है, जिनका अनिवेश अधुनिक हिदा कविता में मिलता है। ये वादा हैं—छायावाद, रहस्यवाद, कलावाद और अभिव्यक्त्यावाद। इन वादा के अतिरिक्त भी उन्होंने प्रसंगत अन्य भारतीय तथा अमरातीय काव्य-सिद्धांतों वा वादापर कुछ कहा है।

काव्य के विषय में आचार्य शङ्क की दृष्टि सदैव भौतिकवादी रही है। भौतिकवादी इस अर्थ में कि वे काव्य का संबंध इस जगत् और जीवन के अतिरिक्त और किसी क्षेत्र से नहीं जोड़ना चाहते। इसी रहस्यवाद तथा कारण वे छायावाद वा रहस्य-संरक्षिणी कविताओं में रहस्य-भावना 'असीम, अनंत, अव्यक्त' आदि का वर्णन उपयुक्त नहीं समझते। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इस पर विचार करके उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। 'असीम, अनंत, अव्यक्त' आदि की 'लालसा' वाली कविताओं को वे सांप्रदायिक रहस्यवादी कविता के अंतर्गत रखते हैं, जिसकी भावना वा प्रथा, उनके मतानुसार, ईसाई और सूफी संतों से होती हुई भारत में आई। इसका संनिवेश कबीर, जायसी आदि प्राचीन कवियों में तथा महादेवी, प्रसाद आदि नवीन कवियों में वे पाते हैं। काव्य में स्वाभाविक रहस्य-भावना के वर्णन के वे समर्थक हैं, जो इस जगत् के अंतर्गत आनेवाली प्रकृति के क्षेत्र से ही विशेष संबद्ध है, उनके विवेचन द्वारा यह बात स्पष्ट है। तात्पर्य यह है कि जगत् और जीवन से परे 'अव्यक्त' की 'लालसा' के काव्यगत वर्णन को वे सांप्रदायिक रहस्यवाद की कविता तथा 'अव्यक्त' वा 'अज्ञात' की 'जिज्ञासा' वाली कविता को स्वाभाविक रहस्यभावना की कविता मानते हैं। वे काव्य में रहस्यभावना की व्यंजना के ही पक्षपाती हैं। सांप्रदायिक रहस्यवाद की स्थिति भी वे मानते हैं, और भारत में ही मानते हैं, पर योग, तंत्र, स्मयन आदि के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में नहीं। रहस्यवाद पर विचार करते हुए एक स्थान पर उन्होंने लिखा है—“भारतीय दृष्टि के अनुसार अज्ञात और अव्यक्त के प्रति केवल जिज्ञासा हो सकती है; अभिलाष वा लालसा नहीं।..... जिज्ञासा और लालसा में बड़ा भेद है। जिज्ञासा केवल जानने की इच्छा है। उसका ज्ञेय वस्तु के प्रति राग, द्वेष, प्रेम, घृणा इत्यादि से कोई लगाव नहीं होता। उसका संबंध शुद्ध ज्ञान के साथ होता है। इसके विपरीत लालसा वा अभिलाष रतिभाव का एक अंग है। अव्यक्त ब्रह्म की जिज्ञासा और व्यक्त, सगुण ईश्वर वा भगवान् के सांनिध्य का अभिलाष, यही भारतीय पद्धति है। अव्यक्त, अभौतिक और अज्ञात का अभिलाष, वह विष्कूल विदेशी कल्पना है और मजहबी रुकावटों के कारण पैगंबरों

मत मानने वाले देशा म की गई है।"—(काव्य मे रहस्यवाद, पृ० ४७-८८)। हमने ऊपर कहा है कि आचार्य शुक्ल स्वाभाविक रहस्यभासना प्रकृति के क्षेत्र (एक जगत्) म मानते हैं। यह बात निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जायगी—“अच्छी तरह विचार करने पर यह प्रकट होगा कि ‘अज्ञात का राग’ (अज्ञात को जानने की इच्छा) ही अतर्वृत्ति को रहस्योन्मुख करता है। मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति म इस अज्ञात के राग का भी ठीक उसी प्रकार एक विशेष स्थान है जिस प्रकार ज्ञात के राग का। ज्ञात का राग बुद्धि को माना तथा के अनुसंधान की ओर प्रवृत्त करता है और उसकी सफलता पर तुष्ट होता है। अज्ञात का राग मनुष्य के ज्ञान प्रसार के बीच ग्रीच में छूटे हुए अधकार या धुँ बलेपन की ओर आकर्षित करता है तथा बुद्धि की असफलता और घाति पर तुष्ट होता है। अज्ञान के राग की इस तुष्टि की दिशा म मानसिक धर्म से कुछ विराम सा मिलता ज्ञान पड़ता है और उस अधकार और धुँ भ्रमण के भीतर मन के चिरसोपित रूपों की अस्थिति के लिए दृश्य-प्रसार के बीच अवकाश मिल जाता है। शिशिर के जल म उठी हुई धूल छाई रहने के कारण किसी भारी मैदान के धितिज से मिले हुए छोर पर वृक्षावलि की जो धुँ धली श्यामल रेखा दिखाई पड़ती है उसने उस पार किसी अज्ञात दूर देश का बहुत सुंदर और मधुर आरोप स्वभावतः आप से आप होता है। विषय की विशाल विभूति के भीतर न जान किन्तु ऐसे दृश्य हमारी अतर्वृत्ति को रहस्योन्मुख करते हैं।”—(काव्य मे रहस्यवाद, पृ० ११३-१५)। प्रकृति के इस प्रकार के रूपों में भी रहस्यवादी अपने काम की बर्तौ पाते हैं। वे ऐसे रूपों में ‘किसी’ के रूप सौंदर्य की झलक का दर्शन करते हैं, और इस झलक के दर्शन के लिए परस्पर उत्सुक रहते हैं। उनका कथन है कि दर्शन की इस अधिरल उत्सुकता के कारण उस ‘किसी’ (अज्ञात) के रूप को निर्दिष्ट करने में हमारी कल्पना तत्पर रहती है। आचार्य शुक्ल का मत है कि (सांप्रदायिक) रहस्यवादियों की यह बात तो ठीक है। यहाँ तक तो वे काव्य वा मनोविज्ञान की सीमा के भीतर ही रहते हैं। पर उनकी बात यहाँ तक नहा रहती। कल्पना के भीतर की गई ‘दूरारूढ रूपयोजना वा भावना म वे अगोचर और अव्यक्त सत्ता का साक्षात्कार करते हैं’। यही बात उन्हें ठीक नहीं

लँचती। ऐसी स्थिति में तो अज्ञात या अनोचर किसी 'रूप' में उपस्थित होता है। उसका 'कल्पनात्मक रूप' ही 'आलंबन' ठहरता है और सारा अंतिसुक्ष्म इसी रूप के लिए उठता है। आचार्य शुक कहते हैं—“कल्पनात्मक रूपों के इसी आलंबनात्म्य की प्रतिष्ठा करके सांप्रदायिक 'रहस्यवाद' काव्यक्षेत्र खड़ा हुआ।”—( देखिए काव्य में रहस्यवाद, पृ० १३:१४ )।

आचार्य शुक काव्य में रहस्यवाद के विरोधी नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग समझा करते थे और अब भी समझते हैं। पर वे काव्य में उसी रहस्यवाद के समर्थक हैं जो 'रहस्य-भावना' के रूप में गृहीत होता है। इसके विषय में उनका कथन इस प्रकार का है—“स्वाभाविक रहस्य-भावना बड़ी स्वर्णाय और मधुर भावना है, इसमें सदेह नहीं। सभूमि में इसका एक विशेष स्थान हम स्वीकार करते हैं। उसे हम अनेक मधुर और रमणीय मनोवृत्तियों में एक मनोवृत्ति या अंतर्दशा (Mood) मानते हैं जिसका अनुभव लँचे कवि और और अनुभूतियों के बीच कर्मा-कर्मा प्रकरण प्राप्त होने पर, किया करते हैं। पर किसी 'वाद' के साथ संबद्ध करके उसे हम काव्य का एक सिद्धांतमार्ग (Creed) स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं।”—( काव्य में रहस्यवाद, पृ० ११५ )।

उपर्युक्त विवेचन द्वारा स्वाभाविक रहस्य-भावना तथा सांप्रदायिक रहस्यवाद का स्वरूप तथा इनमें भेद स्पष्ट हो गया होगा। काव्यवस्तु (मैटर) की दृष्टि से ही इन पर विचार हुआ है, विधान-विधि (फार्म) की रहस्य-भावना तथा दृष्टि से नहीं। ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्वा-रहस्यवाद की भाविक रहस्य-भावना तथा सांप्रदायिक रहस्यवाद दोनों के विधान-विधि कवियों की विषय-भूमि प्रकृति ही है। पर वे यहाँ से वस्तु-व्यापार लेकर उनका विधान भिन्न-भिन्न पद्धति से करते हैं। प्रथम प्रकार के कवि का दृष्टि उसकी (प्रकृति की) संक्षिप्त योजना पर रहती है और द्वितीय प्रकार के कवि उसके कुछ अंगों का वर्णन अलग-अलग करके रह जाते हैं, जैसा कि रीतिकालीन शृंगारी कवि प्रकृति-वर्णन में करते थे। आचार्य शुक कहते हैं—“स्वाभाविक रहस्य-भावना-संपन्न कवि प्रकृति का कोई खंड लेकर वस्तु-व्यापार की संक्षिप्त और शृंखला-बद्ध योजना द्वारा पूर्ण दृश्य का विधान करते चलते हैं। उनकी रूप-योजना विस्तीर्ण और

जटिल होती है तथा कुछ दूर तक अखंड चलती है, पर सांप्रदायिक या सिद्धांती रहस्यवादी कुछ रेंधी हुई और इनी-गिनी बन्धुओं की ठीक उर्सा प्रकृत अलग-अलग झलक दिखाकर रह जाने हैं, जिस प्रकार हमारे पुराने १८ गायी रवि, शत्रुघो के धर्मेन म, उनीपन सामग्री दिखाया करते हैं।"—( नाव्य में रहस्यवाद, पृ० १२० )। यह वस्तु जिस सीमा वा रूप में वर्णित होता है, उसके नियम में भी व कहते हैं—“इसीलिए न्यायार्थ रहस्य भावनावाले कवि चरित नाथ्य या प्रसव नाव्य का भी बराबर आधर लेते हैं, पर सांप्रदायिक रहस्यवादी सुकक्रों या ओटे ओटे रचना गतों पर ही सत्रोप करते हैं। प्रथम कोटि के रविना म हदन के सखिल्ट प्रसार के साथ साथ विचार और भाव बड़ी दूर तक मिली हुई एक अखंड धारा के रूप में चलते हैं। पर दूसरी कोटि के कवियों में यह अन्यति ( Unity ) और मनोहर प्रसार अत्यन्त अल्प या नहीं के बराबर होता है।”—( यही ) । /

यहाँ तक तो रहस्यवाद की बात हुई, अब रहा छायावाद। 'नाव्य में रहस्यवाद' नामक पुस्तक में आचार्य शुक्ल ने 'या' शब्द के प्रयोग द्वारा रहस्यवाद और छायावाद का कदा नहा अभेद स्थापित किया छायावाद है। पुस्तक के अंतिम अंश में उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि यह नाव्यगत रहस्यवाद के लिए प्रयुक्त दार्शनिक सिद्धांत का परिचायक शब्द है—“यह ( छायावाद ) काव्यगत रहस्यवाद के लिए सहीत दार्शनिक सिद्धांत का श्रेष्ठ शब्द है।”—( नाव्यगत में रहस्यवाद, पृ० १४३ )। इस प्रकार सिद्धांतिक दृष्टि में इन दोनों वादों की एकता स्पष्ट है। आचार्य शुक्ल के मत्वनुसार छायावाद वेदांत के प्रतिबिम्बवाद का विदेशों से घूम फिरकर आया हुआ दूसरा रूप है। वे कहते हैं—“जब तो कदाचित् इस बात के विशेष विवरण की आवश्यकता न होगी कि जो 'छायावाद' नाम प्रचलित है वह वेदांत के पुराने प्रतिबिम्बवाद का है। यह प्रतिबिम्बवाद सुफिया के यहाँ से होता हुआ, योरप में गया जहाँ कुछ दिना पीछे 'प्रतानवाद' से सखिल्ट होकर वारे बीरे बगसाहित्य के एक रंजने में जा निकला और नवीनता की धारणा उत्पन्न करने के लिए 'छायावाद' रहा जान लगा।”—( यही और देखिए शतहास, पृ० ७८४ तथा ८०६ )। इस प्रकार हम देखते हैं कि रह-

स्ववाद और छायावाद मूलतः दर्शन-क्षेत्र की वस्तुएँ हैं, जो काव्य में उनके ( काव्य के ) प्रसाधनों द्वारा उपस्थित हुईं ।

आचार्य शुक्ल ने अपने 'इतिहास' में हिंदी-कविता के छायावाद का जो स्वरूप निर्धारित किया है, वह उस काल की कविताओं की प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखकर । अर्थात् छायावाद की कविताएँ उनके संमुख हिंदी में छायावाद लक्ष्य के रूप में थीं, उन्होंने उन्हीं के अनुशीलन द्वारा और रहस्यवाद उसका ( छायावाद का ) लक्षण स्थापित किया ।

छायावादी कवियों को काव्य-रचना की प्रधान प्रेरणा दो दिशाओं से मिली; एक तो बँगला से, जिसके प्रधान कवि रवींद्रनाथ ठाकुर थे और दूसरे अँगरेजी के स्वच्छंदतावादी ( रोमांटिक ) कवियों से, जिनमें मुख्य थे बर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स आदि । छायावादी रचनाकार विषय तथा विधान-पद्धति या कला-पक्ष दोनों क्षेत्रों में इनसे प्रभावित हुए । द्विवेदी-युग की कविताओं के विषय को देखने से विदित होता है कि उस समय प्रायः पुराण, इतिहास, नीति, विशिष्ट स्थान आदि कविता के विषय हुआ करते थे । इन विषयों में भी एक प्रकार की रुढ़िवादिता आ गई थी । उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर लिखी कविताएँ उस समय बहुत ही कम निकलती थीं । छायावादी कवियों ने बँगला की तथा स्वच्छंदतावादी अँगरेजी कवियों की देखादेखी नए-नए विषयों पर कविताएँ प्रस्तुत कीं, जैसे—लहर, किरण, पल्लव, छाया, मौननिमंत्रण, तुम और मैं आदि । इन विषयों को देखने से विदित होता है कि इन कवियों की दृष्टि ऐसे विषयों पर कविता प्रस्तुत करने की थी, जो प्रकृति, सूक्ष्म वस्तु ( अब्स्ट्रैक्ट टायिक ) तथा अभ्यात्मसे संबंध रखते थे । इस प्रकार समग्ररूपेण वे कविता के इस नवीन युग में नवीन विषयों को स्थान देने के पक्षपाती थे । इस काल के विषयों में एक विशिष्ट बात लक्षित होती है, वह यह कि कवि चाहे किसी भी विषय पर रचना करता था, उसमें ( कविता में ) कहीं-न-कहीं दो-चार पंक्तियाँ ऐसी अवश्य रख देता था, जिसके द्वारा अज्ञात, अलक्ष्य या अगोचर की ओर संकेत मिलता था, वह किसी भी विषय पर लिखते हुए दर्शन, अभ्यात्म वा रहस्य की ओर अवश्य उन्मुख हो जाता था । छायावाद-युग की रचनाओं को—विशेषतः इसके आरंभिक काल की



रचनाओं को—देग्ने से यह बात स्पष्ट हो जायगी। छोटे से लेकर बड़े तक सभी कवियों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। श्री सुमित्रानन्दन पंत ने कविता तो लिखी 'ऊया' पर परंतु अंत में उन्होंने रहस्य वा अध्यात्म की बात भी लिख दी—

‘हूँ सखि । आओ, बाँह खोल, हम छगकर गले, तुझ लें प्राण,  
फिर तुम तम म, मैं प्रियतम में, हो जायें द्रुत अवधान ।’

—(पल्लव, पृ० ७३) ।

ऐसे विषय पर लिखा गई रचनाओं में किसी 'प्रिय', 'उम' आदि के प्रति विरह निवेदन, उससे मिलन की कामना तथा उसके मिथन का वर्णन रहता था। इनका अर्थ प्रायः कविता में कुछ लयबद्ध के साथ ढँका हुआ होता था और जो अप्रौढ़ हाते थे उनमें स्पष्ट रूप से, जो विशेष श्रु गारी हो जाता करता था। इन कवियों पर लिखी गई कविताएँ रहस्यवाद की रचनाएँ समझी जाती थीं। इन कविताओं के विषय में एक बात और अवलोकनीय है। वह यह कि वैदिकक दृष्टि से रहस्यवाद का चाहे जा स्वस्व में कवि निर्धारित करने वा समझने से हा और उसके अनुसार ही कविताएँ भी लिखी जाती रही हा—जैसा कि किसी अलक्ष्य वा अगोचर प्रिय के प्रति विरह निवेदन, उससे मिलन की कामना वा उससे मिलन आदि को लेकर प्रस्तुत की गई रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है—पर दर्शन वा अध्यात्म की कविता भी बात का कविता में सन्निविष्ट हो जाना रहस्यवाद वा छानावाद की कविता का होना माना जाता था। जैसे, श्री निराला की 'तुम और मैं' शीर्षक कविता में जायात्मा की लघुता तथा परमात्मा की महत्ता अनेक प्रकार से वर्णित है और वह रहस्यवाद की रचना मानी जाती है। तबतः यह कि रहस्यवाद की कविता के लिए दर्शन वा अध्यात्म की बातें आसरेत ही अलम् माना जाता था, उसमें किसी अन्धक प्रियतम के लिए चाहे कुछ कहा गया हा वा न कहा गया हा। इन कवियों पर लिखनेवाले कवि 'ऊयावादी' कहलाते थे, जिसका 'रहस्यवाद' अर्थ भी ले लिया जाता था।

विधान पद्धति में आनावादी कवि कलावाद, कल्पनावाद, अभिव्यञ्जनावाद आदि वादों से विशेष प्रभावित दिगवाई पड़ते हैं, जो मूल्यतः वैंग्य के माध्यम

द्वारा अँगरेजी-साहित्य से आए—यद्यपि कुछ कवि ऐसे थे जिनका अँगरेजी का अच्छा अध्ययन था, और जिन्होंने इन वादों को सीधे अँगरेजी से ग्रहण किया। इन वादों से संपन्न कविता भी छायावादी कविता कही जाती थी। छायावादी कवियों की दृष्टि भारतीय दृष्टिकता पर भी थी, और उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा इसका भी उपयोग किया। प्रे कवि अपने विषयों का वर्णन प्रायः प्रगीत मुक्तकों में करते थे। कुछ कवियों ने मुक्त छंद तथा अन्य प्रकार के छंदों का भी विधान किया, और इस क्षेत्र में सफल भी हुए।

संक्षेपतः काव्य-विषय तथा उसकी विधान-पद्धति की दृष्टि से छायावाद-युग का यह स्वरूप था, जिसके प्रतिष्ठित हो जाने पर आचार्य शुक्ल ने उसे दृष्टि-

पथ में रखकर छायावादी कविता का लक्षण प्रस्तुत किया।

छायावाद ऐसा करते हुए उनकी दृष्टि इस युग में प्रस्तुत हुई हिंदी-

का स्वरूप कविता पर विशेष थी, छायावाद वा रहस्यवाद के सैद्धांतिक

पक्ष पर बहुत ही कम वा नहीं ही थी। छायावाद पर

विचार करते हुए वे कहते हैं—“छायावाद’ शब्द का प्रयोग दो अर्थों में

समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य-

वस्तु से होता है अर्थात् जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को

आलंबन बनाकर अत्यंत चिन्मयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना

करता है। रहस्यवाद के अंतर्भूत रचनाएँ पछुँचे हुए पुराने संतों वा साधकों

की उस वाणी के अनुकरण पर होती हैं जो तुरीयावस्था वा समाधि-दशा में

नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी

जाती थी। इस रूपात्मक आभास को योरप में ‘छाया’ ( Phantasmata )

कहते थे। इसी से बंगाल में ब्रह्मसमाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर

जो अध्यात्मिक गीत वा भजन बनते थे वे ‘छायावाद’ कहलाने लगे। धीरे-धीरे

यह शब्द धार्मिक क्षेत्र से वहाँ के साहित्य-क्षेत्र में आया फिर रवींद्र बाबू की

धूम मचाने पर हिंदी के साहित्य-क्षेत्र में भी प्रकट हुआ।”—( इतिहास,

पृ० ८०६ ),

छायावाद के दूसरे अर्थ के विषय में वे कहते हैं—“ ‘छायावाद’ शब्द

का दूसरा प्रयोग काव्यशैली वा पद्धति-विशेष के व्यापक अर्थ में है। सन्

१८८० म फ्रांस में रहस्यवाद कािया का एा दल खडा हुना जी प्रतीकवादी (Symbolists) कहलाता। ये अपनी रचनाओं म प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीका को उकर चन्त थे। इसा से उनकी शैली की जोर लक्ष्य करके 'शैलीवाद' शब्द का व्यवहार होने लगा। जाणगत्मिक न ईश्वर प्रेम-सुखकी इतिहास न अतिरिक्त और सर प्रकार की इतिहास का टिप भी प्रतीक शैली की जोर नहीं प्रदर्शन रही। हिंदी में 'छायावाद' शब्द का जी व्यापक अर्थ म—रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के सरथ म भी—प्रयुज हुआ वह इसी प्रचार-शैली के अर्थ में। छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी अज्ञात करनेवाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का स्थान। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है।"—(इतिहास, पृ० ८०६ ००)

विधान पद्धति का कडा पत्र की दृष्टि में आचार्य शुक्ल छायावादी कविता पर रहस्यवाद, नलावाद अभिव्यजनावाद का थोडा बहुत प्रचार और उसम उक्ति वैलक्षण्य, अन्योन्यिक-पद्धति, चित्रभाषा-शैली, लाक्षणिकता आदि का उन्निवेश मतलबते हैं।

छायावादी कवियों ने प्रेम आधार, तन्निमित्त निराशा वा वेदना तथा जीवन के अन्य क्षेत्र की निराशा वा वेदना, प्रकृति आदि विषय पर विशेष रूप से लेखनी चलाई। प्रकृति को इन लोगा ने नारी के हा रूप में चिन्तित किया। शुद्ध रहस्यवाद पर भी प्रभूत रचना हुद। इन लोगा ने इन विषय को प्रायः प्रगीत मुक्तका (लीरिक्स) म ही प्रस्तुत किया। प्रेम की टेंकर छोटे छोटे प्रथम-काव्य भी रचे गए।

ऊपर हमने आचार्य शुक्ल की दृष्टि से छायावाद और रहस्यवाद के सैद्धांतिक पक्ष का तथा हिंदी कविता म प्रतिष्ठित छायावाद युग की प्रकृतिया का जी लक्ष्य में स्थापन उनके द्वारा निदर्शित इन वादों के लक्षणों को देखा है। सैद्धांतिक दृष्टि से न इन वादों को अभासतीय जन्म मानते हैं, जो अपने यहाँ के बंदाती अद्वैतवाद तथा प्रतिनिधवाद के आधार पर ही निर्मित है। स्वाभाविक रहस्य भावना के-निरोधत प्रकृति के अंत म—वे पठवाती है। इस विषयम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है।

हिंदी में छायावाद और रहस्यवाद के विषय में एक मत नहीं है। विभिन्न काव्य-मीमांसक इस विषय में विभिन्न मत व्यक्त करते हैं। आचार्य शुक्ल के मत को हमने ऊपर देखा है। कुछ मीमांसक इनको भारतीय छायावाद, रहस्य-काव्य की प्रमुख धारा मानते हैं और इनका मूल वेद तथा वाद के विषय में उपनिषद् वतलाते हैं। इनके मतनुसार हिंदी में भी मतवैभिन्न्य रहस्यवादी काव्य की धारा प्राचीन है, जो संत कवियों से चलकर आधुनिक हिंदी-कविता में भी प्रवाहित हो रही है। ये लोग इसे अभारतीय वस्तु नहीं मानते, विशुद्ध भारतीय वस्तु मानते हैं। एक स्थान पर आचार्य शुक्ल ने कहा है कि रहस्यवादी कोई भी ऐसी बात नहीं कहते जिसका प्रतिपादन दर्शन में न हो चुका हो, अर्थात् वे दार्शनिक बातों को व्यक्त करते हैं। और यह तो स्पष्ट ही है कि उनके कहने का ढंग कुछ आकर्षक अवश्य होता है। यदि रहस्यवाद को रमणीय वाणी में व्यंजित दार्शनिक वस्तु (मैटर) माना जाय, जैसा कि हिंदी में माना जाता है, जिसका हम पहले ही निर्देश कर चुके हैं, तो अवश्य ही रहस्यवाद वा छायावाद का मूल वेदों और उपनिषदों को माना जा सकता है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे स्थल प्राप्त हैं जहाँ दार्शनिक वस्तु रमणीय पद्धति से कही गई है। वह दार्शनिक वस्तु विशेषतः जीवात्मा के परमात्मा से मिलन को लेकर ही है। संत कवियों में भी इस प्रकार की बातें विशेष हैं। आधुनिक हिंदी-कविता में भी इस प्रकार की बातें प्रभूत मात्रा में मिलती हैं।

इसके अतिरिक्त छायावाद वा रहस्यवाद के अन्य स्वरूपों का प्रचार भी हिंदी-कविता में है। प्रकृति में 'उस' ब्रह्म की छाया वा प्रतिबिम्ब का आभास पाने और इसका काव्य-पद्धति पर वर्णन करने को कुछ लोग छायावाद वा रहस्यवाद मानते हैं। प्रकृति में 'उसका' आभास पाकर उससे चिरह-निवेदन, उससे मिलन की उत्कण्ठा आदि का वर्णन भी वे इन वादों के अंतर्गत ही मानते हैं। जायसी को वे इसी प्रकार का (छायावादी वा.) रहस्यवादी कवि बताते हैं, जो सूफी थे।

कवि अपने हृदय की छाया प्रकृति पर डालता है। गुलाब के फूल को वह अपनी ही भाँति हँसता-रोता चित्रित करता है। इस प्रकार प्रकृति पर

अपने हृदय की छाया के दर्शन तथा उसके वर्णन को कुछ लोग छायावाद की कविता मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावाद तथा रहस्यवाद के विषय में हिंदी में अनेक मत प्रचलित हैं। अभी तक छायावाद या रहस्यवाद का एक सर्वमान्य स्वरूप नहीं निर्धारित हो सका है।

पश्चिमीय राष्ट्र क्षेत्र से आधुनिक हिंदी-कविता में आए कुछ वादा पर आचार्य शुक्ल ने विचार किया है, इसका उल्लेख वादों पर विचार करने के पूर्व किया गया है। इन वादों में प्रधान हैं—कलावाद, कलावाद और अभिव्यञ्जनावाद। इनके अतिरिक्त भी पश्चिमीय साहित्य में प्रचलित कुछ सिद्धांतों पर उन्होंने अपना मत प्रकट किया है।

आचार्य शुक्ल के काव्य सिद्धांत में हम देख सकते हैं, उनसे विदित होता है कि वे भारतीयता की दृष्टि में स्पष्ट किसी सिद्धांत का विवेचन वा उभय निर्धारण करते हैं। वे काव्य का संघर्ष जगत् तथा जीवन से जोड़ते हैं, और उभय कुछ न कुछ लक्ष्य स्वीकार करते हैं। वे काव्य द्वारा हृदयगत भावों का परिष्कार, जीवन में नवानुसूति का संचार तथा ऐसे ही अन्य लक्ष्यों की पूर्ति के समर्थक हैं। काव्य का परम लक्ष्य स्वातन्त्र्य वा सौंदर्यानुभूति के भी वे प्रतिपादक हैं। तब ही यह कि वे काव्य का उससे (काव्य से) अतिरिक्त कुछ न कुछ लक्ष्य मानते हैं। कलावाद का यह सिद्धांत कि 'काव्य का लक्ष्य काव्य ही है' वा 'कला का लक्ष्य कला ही है' (जार्ज फार आर्ट्स सेक) उनकी दृष्टि से ठीक नहीं है।

उनके काव्य-सिद्धांतों पर विचार करते हुए हमने यह भी देखा है कि वे काव्य में चमत्कारवाद के विरोधी हैं, जिसका लक्ष्य मन की वैचित्र्यपूर्ण उक्तियों तथा कल्पना की ऊँची ऊँची उड़ानों द्वारा चमत्कृत करना ही होता है, विस्तृत स्वातन्त्र्य पराना नहीं, जिसमें निष्पत्ति जगत् के आलोकन से हृदयगत भावों की संघर्ष स्थापना द्वारा होती है। वे काव्य में कल्पना और उक्तिवैचित्र्य को भी स्थान देते हैं, और प्रधान स्थान देते हैं, पर वे सब काव्य के साधन के क्षेत्र में ही, वे यह काव्य का साध्य वा लक्ष्य नहीं मानते। इसी कारण वे (बेनिडटो) काव्य के अभिव्यञ्जनावाद की काव्य के लिए प्राथमिकता समझते हैं, कल्पनावाद,

जो इसी वाद से संबद्ध है, को भी वे इसी दृष्टि से देखते हैं। अभिप्राय यह कि काव्य को जगत् और जीवन से संबद्ध समझने तथा उसमें चमत्कारवाद की अनुपयुक्तता के कारण आधुनिक हिंदी-कविता में कलावाद, अभिव्यंजनावाद, कल्पनावाद आदि के प्रचार को रोकने के लिए उन्होंने उन पर भारतीय दृष्टि से विचार करके उनका विरोध किया है।

कलावादी कला का उद्देश्य कला ही मानते हैं। उनका मत है कि कला का विशुद्ध क्षेत्र कला ही है, अतः किसी कला की अनुभूति वा समीक्षा के लिए हमें उसी की परिमिति में रहना होगा, उससे बाहर जगत् और जीवन को दृष्टि में रखकर उसकी अनुभूति वा समीक्षा करने से उनका यथार्थ स्वरूप नष्ट हो जायगा, उसका कुछ मूल्य ही न रहेगा। वे कला के सदाचार, शिक्षावाद, लोकमंगल, यज्ञ, अर्थ आदि साधनों के समर्थक हैं, पर वे उसके विशुद्ध क्षेत्र के बाहर की वस्तुएँ हैं, उसका विशुद्ध क्षेत्र तो वह स्वयं ही है।—(देखिए इतिहास, पृ० ६८४)। कलावाद के स्वरूप की उत्तमता पर विचार करते हुए, इस वाद के प्रमुख समर्थक डाक्टर ब्रैडले (आक्सफर्ड लेक्चर्स ऑन पोयट्री में) लिखते हैं—“उसकी उत्तमता तो एक तृतिदायक कल्पनात्मक अनुभव-विशेष से संबन्ध रखती है। अतः उसकी परीक्षा भीतर से ही हो सकती है। किसी कविता को लिखते और जाँचते समय यदि बाहरी मूल्यों (सदाचार, शिक्षावाद आदि) की ओर भी ध्यान रहेगा तो बहुत करके उसका मूल्य घट जायगा या छिप जायगा। बात यह है कि कविता को यदि हम उसके विशुद्ध क्षेत्र से बाहर ले जायेंगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जायगा, क्योंकि उसकी प्रकृति वा सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत् का कोई अंग है, न अनुकृति। उसको तो एक दुनिया ही निराली है—एकांत, स्वतः पूर्ण और स्वतन्त्रता।”—(इतिहास से उद्धृत, पृ० ६८४-८५)। इस प्रकार कलावाद के स्वरूप को देखने से विदित होता है कि इसमें दो नितांत विरोधी विचारों का समर्थन है, और इसमें प्रधानता उसी विचार को दी जाती है, जो बुद्धिसंगत नहीं प्रतीत होती। कलावादी एक ओर तो कला में जगत् और जीवन से संबन्ध वस्तुओं वा विचारों का समर्थन करते हैं, जैसे वे मानते हैं कि इसके द्वारा यज्ञ, अर्थ आदि की प्राप्ति होती है, इसे चाहे वे गौण ही मानते हों, पर मानते हैं अवश्य, और

सूरी जोर इसकी ( कला की ) दुनिया ही निराली बताते हैं, जगत् और जीवन से इसका संबंध ही नहीं स्थापित करते । इस दृष्टि से यह ग़द कल्पनावाद और अभिव्यक्तावाद से प्रभावित प्रतीत होता है ।

काव्य में जगत् और जीवन के नाना रूपा से मनुष्य के हृदयगत भाव का अभिव्यक्त्य देरनेवाले तथा काव्य के परम लक्ष्य रसानुभूति को इसी लोभ में रहकर उससे अपनत्व की भावना का विचर्चन माननेवाले जाचार्य शुक्ल कलावाद में प्रतिपादित 'कला की निराली दुनिया है इस जगत् जीवन से समिप्त' तथा उसका अनुभव 'तृप्तिदायक रम्यतात्मक अनुभव विशेष के रूप में होता है,' को जिस प्रकार मान सकते थे उन्हें यह वाद भारतीय काव्य क्षेत्र की अंतःप्रकृति के नितांत विरुद्ध प्रतीत होता है । इस ग़द के विषय में वे अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं—“अब हमारे यहाँ के सपूर्ण काव्यज्ञेय की जगत्-प्रकृति की छानबीन कर जाएँ, उसके भीतर जीवन के अनेक पक्ष और जगत् के नाना रूपा के साथ मनुष्य हृदय का गूढ़ अभिव्यक्त्य निहित मिलेगा । साहित्य-शास्त्रियों का मत लीचिए तो जैसे सपूर्ण जीवन अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष या राधन रूप है वैसे ही उसका एक जगत् काव्य भी । 'जगत्' का स्थूल और सजुचित अर्थ द्रव्यप्राप्ति ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ 'लोक की सुख-समृद्धि' लेना चाहिए । जीवन के और सामनों की अनेका काव्यानुभव में विशेषता यह होती है कि यह एक ऐसा रमणीयता के रूप में होता है जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है । राधनीयन और अंतर्जीवन की नितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है, किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता के निर्णय में इसका विचार अवश्य होता जाता है और होगा।” —( इतिहास, पृ० ६८० ) ।

इस वाद का विशेष उसी समय हुआ जिस समय यह फ्रांस से ईंग्लैंड में आया । इसका मूलस्थान फ्रांस है, वहाँ सन् १८६६ से इसका प्रचार आरम्भ हुआ । इससे फ्रांस से ईंग्लैंड में लानेवाले हिल्लर थे और कलावाद का विरोध जब यह यहाँ आया तो इसके प्रमुख व्याख्यातार यह प्रतिपादक आस्कर वाइल्ड थे, जो कला तथा जीवन में भी वैचिष्य या द्वनिमता ( आर्टिफिशियलिटी ) के धोर समर्थक थे । एक ओर तो

वे लोग 'कला का उद्देश्य कला है' का प्रतिपादन कर रहे थे, और दूसरी ओर उसी समय रस्किन साहब इन लोगों के विपरीत इस बात का समर्थन कर रहे थे कि 'कला को जनता के लिए शिक्षाप्रद होना ही चाहिए' ( आर्ट मस्ट बी डिडैक्टिव टु दि पीपुल ) । तात्पर्य यह कि इसका विरोध बहुत पहले से ही होता चला आ रहा था ।

जहाँ तक काव्य वा कला तथा जीवन का संबंध है वहाँ तक तो वस्तुतः यह वाद समर्थनीय नहीं प्रतीत होता । आलोचना के क्षेत्र में यदि इसका यह अर्थ लिया जाय कि किसी काव्य की समीक्षा के लिए उसी को दृष्टि में रखकर उसका विवेचन प्रस्तुत हो, जैसा कि व्याख्याकार समीक्षक ( इंडिक्टिव क्रिटिक ) करते हैं, तो इसका समर्थन किया जा सकता है । पर इस वाद के अनुयायियों की दृष्टि में संभवतः इस प्रकार का समर्थन स्थूल प्रतीत होगा, क्योंकि वे सूक्ष्म वा निराले के समर्थक हैं ।

हिंदी के छायावाद-युग में जब उक्त वाद का प्रचार हुआ तब गोस्वामी तुलसीदास की 'स्वांतःसुखाय तुलसी खुनाथगाथाभाषानिबंधमतिमञ्जुलमातनोति' पंक्ति से 'स्वांतःसुखाय' को लेकर यह कहा जाने लगा कि हमारे वहाँ भी इस वाद का बीज वर्तमान है, हमारे कवि भी अपने लिए ही लिखा करते थे, उनकी कविता का उद्देश्य उन्हीं तक सीमित था, वे भी 'परंतःसुखाय' वा 'परहिताय' नहीं लिखते थे । वे भी काव्य से शिक्षा, शिक्षाचार, अर्थ, यश आदि का संबंध नहीं जोड़ते थे । पर बात ऐसी नहीं है । स्वयं तुलसीदास की रचनाओं को देखने से विदित होता है कि वे काव्य तथा लोक-जीवन का घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, और काव्य के परम लक्ष्य प्रोपणीयता ( कम्प्युनि-कैबिलिटी ) को भी, आधुनिक समीक्षकों की भाँति मानते हैं । हमें तो कला-वाद पलायनवाद ( इस्केपिज्म ) का ही एक रूप प्रतीत होता है ।

कलावाद की भाँति ही इटली-निवासी क्रोचे का अभिव्यंजनावाद ( इक्स-प्रेशनिज्म ) भी है । जैसे कलावादी कला के विशुद्ध क्षेत्र में जगत्-जीवन का प्रवेश नहीं मानते, वैसे ही अभिव्यंजनावादी भी काव्य क्रोचे का अभिव्यं- में जगत् और जीवन से लिए गए रूप-व्यापार, भाव-विचार जनावाद को मुख्य वस्तु नहीं मानते, उनके मथ्यनुसार ये तो काव्य



के उपादान मात्र हैं। उनका कथन है कि काव्य में मुख्य वस्तु इहाँ (रूप-व्यापार, भाव-विचार) की मनमानी अभिव्यञ्जना है। आचार्य शुक्ल का मत है कि काव्य को वास्तु, स्थापत्य आदि कलाओं के अर्थात् लने का यह दुष्परिणाम है कि काव्य से जगत् और जीवन के वास्तविक रूप का निच्छेद किया जाता है, क्योंकि इन कलाओं से वाक्य की भाँति भागानुभूति नहीं उत्पन्न होती, केवल अनुरजन हाता है, इनमें तो केवल वैचित्र्य रहता है, कुछ वस्तुओं को लेकर उनकी मनमानी योजना की जाती है, अतः काव्य में भी उपर्युक्त उपादानों को लेकर यथेच्छ अभिव्यञ्जना का प्राधान्य माना जाने लगा। कलावाद के विषय में भी वे ऐसी ही बात कहते हैं, इसे भी वे गेल, वूटे, नक्काशी आदि की कलाओं के साथ काव्य को लेने का दुष्परिणाम मानते हैं। तत्रत्य यह कि शोचे की दृष्टि में जगत्-जीवन से लिए गए रूप-व्यापार वा भाव-विचारों का मनमानी वा अनूठी अभिव्यञ्जना ही कान्य है, व रूप-व्यापार वा भाव-विचार कुछ नहीं है, अभिव्यञ्जना ही सब कुछ है, अभिव्यञ्जना प्रणाली वा ढाँचा ही काव्य का परम लक्ष्य है, उस ढाँचे में वर्णित वस्तु (मैटर) कुछ नहीं। शोचे का यह भी कहना है कि उक्ति वा अभिव्यञ्जना जगत् में पूर्ण वस्तु है, अर्थात् उक्ति वा वाक्यार्थ ही काव्य का लक्ष्य है, उस वाक्यार्थ के अतिरिक्त उसके किसी व्यंग्यार्थ की सत्ता नहीं है। इसी बात को आचार्य शुक्ल संक्षेप में इस प्रकार कहते हैं—  
 “सात्यय यह कि अभिव्यञ्जना के दम का अनूठान ही सब कुछ है, जिस वस्तु वा भाव की अभिव्यञ्जना की जाती है, वह क्या है, वैसा है, यह सब काव्य क्षेत्र के बाहर की बात है। शोचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन वा पदार्थ न समझना चाहिए।”—(इतिहास, पृ० ६८९ और देखिए इंदौरवाला भाषण, पृ० १७-१८)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त वाद के प्रतिपादन में काव्य का कला में अभिव्यञ्जना ही ही प्रमाणता दी है। जिस अभिव्यञ्जना को वे सब कुछ मानते हैं, उसका असली रूप वास्तु तथा अनुरजन से परे आत्मा की निजी विज्ञा कल्पना द्वारा प्रस्तुत होता है, जो जगत् और जीवन से

स्वतंत्र रहकर अपना कार्य करती है। प्रातिम ज्ञान ( इत्य शान ) के साँचे ( कर्म ) में ढलकर व्यक्त होने को ही वे कल्पना कहते हैं और यही कल्पना अभिव्यंजना का मूल है। अभिव्यंजना पहले भीतर होती है और बाद में शब्द, रंग आदि द्वारा बाहर व्यक्त होती है। वे बिना कल्पना के अभिव्यंजना नहीं मानते, जो कल्पना प्रातिम ज्ञान का ही एक रूप है। इस प्रकार वे काव्य का संबंध ज्ञान से जोड़ते हैं, मात्र से नहीं, जो कविता का मुख्याधार है—रसानुभूति का मूल है। पर, एकाध स्थान पर कला के संबंध से भाव का भी नाम क्रोचे ने ले ही लिया है। —( देखिए इन्दौरवाला भाषण, पृ० ४२ )।

अर्थात् संक्षेप में ऊपर हमने अभिव्यंजनावाद का स्वरूप देखा है। प्रधान रूप से इसका प्रतिपाद्य यह है कि काव्य में अभिव्यंजना ही सब कुछ है, अभिव्यंग्य कुछ नहीं है, जो बात आचार्य शुक्ल के, तथा भारतीय समीक्षकों के भी, विरुद्ध पड़ती है। आचार्य शुक्ल का मत है कि अभिव्यंजना से उसमें अभिव्यंग्य वस्तु अलग की ही नहीं जा सकती। दोनों पर समान रूप से विचार होगा, काव्य में दोनों पर ध्यान देना होगा, केवल एक ही पर नहीं। अनेक स्थलों पर इस बात पर संकेत किया जा चुका है कि आचार्य शुक्ल जगत् और जीवन के रूप-व्यापार, भाव-विचार की ही अभिव्यंजना काव्य में मानते हैं। क्रोचे के अनुसार ये सब काव्य के उपादान मात्र हैं, जिनका उपयोग कवि अपनी प्रातिम ज्ञानमयी कल्पना द्वारा मनमाने वा अनूठे रूप में करता है, इनके सहारे अनूठी सृष्टि करता है, जिसका संबंध जगत्-जीवन से नहीं रहता। आचार्य शुक्ल इन बातों का समर्थन कहीं नहीं करते, वे तो काव्य में जगत् और जीवन की स्पष्ट शलक देखना चाहते हैं।

भारत में कुंतक ने भी यक्रोक्तिवाद चलाया था, जिसके अनुसार 'यक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है'—यक्रोक्तिः काव्यजीवितम्—का समर्थन किया गया था। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि आधुनिक अभिव्यंजना-कुंतक का यक्रोक्तिवाद वाद को इसी यक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान समझना चाहिए। इनमें अंतर इतना ही है कि यक्रोक्तिवादी व्यंजना का विशेष उपयोग करते थे और अभिव्यंजनावादी लक्षणा को प्राधान्य देते

हैं। इन वादा पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि "उक्ति ही कविता है, यह तो सिद्ध बात है।"—(चिंतामणि, पृ० २३७), पर उगे भावानुमोदित होना चाहिए और इन वादा स भाव का स्थान नाममात्र को ही रहता है, वा नहीं ही रहता।

अधर हमने आचार्य शुक्ल की दृष्टि से छायावाद, रहस्यवाद, कलावाद तथा अभिप्यजनावाद का विवेचन किया है। इन वादों के अतिरिक्त उन्होंने आधुनिक साहित्य में प्रचलित अन्य सिद्धांतों वा विचारों पर काम-वासना तथा भी विचार किया है, जैसे, कायड के काम-चाटना तथा स्वप्न स्वप्न-सिद्धांत के सिद्धांत पर विचार, जो इस खोसवी शती में काव्य के भीतर आया है—(देखिए इतिहास, पृ० ६१०-१२ और चिंतामणि पृ० ३६३-६४)। रहस्यवाद पर विचार करते हुए, उन्होंने 'काव्य में रहस्यवाद' में फरासीसी प्रतीकवाद (सिंवालिभ्म) पर भी विचार किया है। पर विशेषतः वादा के क्षेत्र में उनकी दृष्टि उपयुक्त चार वादा पर ही रही है, जिनका हमने देखा लिया है।

आचार्य शुक्ल के विचारा को दृष्टि में रखकर अब तक हमने काव्य संबंधी सिद्धांत का देखा है। काव्य के विषय में हो उहाने विशेष रूप से विचार किया है, और देखने में भी यही आता है कि प्राय सभी नाटक आलाचक इसी विषय पर अधिक ध्यान देते हैं। काव्य वा कविता का क्षेत्र बहुत विस्तृत है भी। अब हम नाटक, उपन्यास, गद्यकाव्य, निबंध और आलाचना संबंधी आचार्य शुक्ल के विचारा को देखगे, जैसा कि पहले ही निश्चित किया जा चुका है।

पाश्चात्य देशों की देखादेखी अधर हम लोग काव्य और नाटक में भेद करने लगे हैं। इसका कारण यह है कि अधर जा नाटक प्रस्तुत हुए उनमें यथातथ्यवाद पर दृष्ट रहने के कारण काव्य की रमणीयता नहीं आने पाई, यद्यपि पूर्व तथा पश्चिम में अब भी ऐसे नाटक लिखे जाते हैं, जिनमें काव्य-गुणा की ही प्रधानता रखी जाती है। इसके उदाहरण हिंदी में 'प्रसाद' के नाटक हैं और अँगरेजी में डब्लू० वी० वेल्स आदि के नाटक। इस युग में काव्य तथा नाटक का भेद विशेषतः उनके ध्व्य तथा दृश्य होने के आधार

पर समझना चाहिए। प्रायः यह अनुभव किया गया है कि जो नाटक अलंकार-शैली पर लिखे गये वे दृश्य नहीं हो सके—सफलतापूर्वक; और जो सरल वा स्वाभाविक भाषा-शैली में लिखे गए वे रंगमंच पर खेले जा सके, और नाटक की सार्थकता उनके दृश्य होने में है। तो इस दृष्टि से—भाषा-शैली की दृष्टि से—ही आजकल नाटक तथा काव्य में भेद होता है। पर अलंकृत भाषा-शैली में लिखे गए नाटक भी दृश्य हो सकते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि दर्शक तथा अभिनेता इस श्रेणी के हों कि उस प्रकार के नाटक देखदिखा सकें। 'प्रसाद' जी के नाटकों का भी अभिनय हो चुका है और वेब्स के 'दि काउंटेस कैथलीन' का भी, जिनमें काव्य-तत्त्व का पूर्ण विधान है। भाषा-शैली को ही दृष्टि में रखकर आचार्य शुक्ल ने नाटक का भेद काव्य से किया है, जैसा कि आजकल किया जाता है। इसी दृष्टि से उन्होंने नाटक का स्वरूप भी निर्धारित किया है, जो इस उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा—“काव्य की अपेक्षा रूपक या नाटक में भाव-व्यंजना या चमत्कार के लिये स्थान परिमित होता है। उसमें भाषा अपनी अर्थक्रिया अधिकतर सीधे ढंग से करती है, केवल बीच-बीच में ही भाव या चमत्कार उसे दबाकर अपना काम लेते हैं। बात यह है कि नाटक कथोपकथन के सहारे पर चलते हैं। पात्रों की बातचीत यदि बराबर वक्रता लिए अतिरंजित या हवाई होगी तो वह अस्वाभाविक हो जायगी और सारा नाटकत्व निकल जायगा।” - ( इंदीस्वाला भाषण, पृ० ६ )। इससे विदित होता है कि आचार्य शुक्ल की दृष्टि नाटक तथा कविता में भेद करते समय भाषा-शैली तथा नाटक के दृश्यत्व पर है। भारत के प्राचीन काव्य-समोक्षकों ने नाटक और कविता में भेद नहीं किया है, कविता और नाटक केवल रूप ( फार्म ) की दृष्टि से ही भिन्न माने गए हैं, और किसी बात में उनमें वैभिन्य नहीं है। प्राचीन नाटककार भी कवि ही माने जाते थे। वे लोग नाटक को काव्य की अपेक्षा श्रेष्ठ भी मानते थे—‘काव्येषु नाटकं रम्यम्’। लिओ टालस्टाय ने भी नाटक को कला का अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग माना है। इस युग में भी ‘प्रसाद’ के नाटक इस बात के प्रमाण हैं कि

⊗ One part of art, and almost the most important, is the drama.

कविता और नाटक म रूप के अतिरिक्त और किसी दृष्टि से भेद नहीं है।

ऊपर हमने इस बात का निदर्श किया है कि आज जो कविता से नाटक का भेद किया जाता है वह भाषा-शैली और दर्शन की दृष्टि से। यद्यपि अभिनेता और दर्शक मित तो यह भेद दूर किया जा सकता है। यदि ऐसी स्थिति उपस्थित न हो सके तो अभिनेय और अभिनेय नाटकों को दूर नाटक और ध्रुव या पाठ्य नाटक कहा जा सकता है, जिस प्रकार प्रचीन आचार्यों ने काव्य के दो भेद—इत्य काव्य और अत्य काव्य किए हैं। सिद्धांत का दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने नाटक पर इतना ही विचार किया है, जिसका निदर्श उनके उद्धरण द्वारा किया गया है।

जिस प्रकार आचार्य शुक्ल ने रूपक या नाटक पर भाषा-शैली की दृष्टि से विचार किया है उसी प्रकार उपन्यास पर भी। इस दृष्टि से उपन्यास के स्वरूप के विषय में विचार करते हुए वे कहते हैं—“आख्या उपन्यास यिका या उपन्यास के कथा प्रवाह और कथोपक्रम में अथ अपने प्रकृत रूप में और भी अधिक विद्यमान रहता है और उसे दबानेवाले भाव-विधान या उक्ति-वैचित्र्य के लिए थोड़ा स्थान बचता है।”—(इंदोरमाला भाषण, पृ० ६)। इसका कारण यह है कि “उपन्यास में मन बहुत-कुछ घटना-चक्र में लगा रहता है। पाठक का मर्मस्पर्श बहुत कुछ घटनाएँ ही करती हैं, पत्रों द्वारा भावों की लची-चीड़ी ब्यजना का जोश उतनी नहा रहती।”—(वही)। यह तो सत्य है कि उपन्यास या कथा में घटना की प्रधानता होती है और इन घटनाओं द्वारा भी भावों को उषेजना मिलती है। पर, केवल घटना प्रधान उपन्यास श्रेष्ठ उपन्यास नहीं माने गए हैं, क्योंकि केवल घटनाएँ मन को उतना नहीं रमा सकता, और वह तो मानना ही पड़ेगा कि जैसे प्रथम साध्य में मन को रमाने के लिए कवि उस्तु या भाव को ब्यजना करता है वैसे ही उपन्यासकार को भी पाठक के मन को रमाने के लिये उस्तु चित्रण, भाव-ब्यजना और विचाराभिव्यक्ति जोषेधित है। हाँ, यह आवश्यक होगा कि केवल इन्हा बातों की भरती न हो, अन्यथा उसमें कथागत ‘कथात्व’ (कथा का लक्ष्य) न रह जायगा।

साहित्य में उपन्यास का चित्ना महत्त्व है, इस पर विचार करते हुए

आचार्य शुक्ल कहते हैं—“उपन्यास साहित्य का एक प्रधान अंग है। मानव-प्रवृत्ति पर इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। अतः अच्छे उपन्यास का उपन्यासों से भाषा की बहुत कुछ पूर्ति और समाज का महत्त्व और कार्य बहुत कुछ कल्याण हो सकता है।”—(‘उपन्यास’ शीर्षक निबंध, ना० प्र० प०, भाग १५, संख्या ३)। इन थोड़े से शब्दों में आचार्य शुक्ल ने उपन्यास के महत्त्व के विषय में एक प्रकार से सारी बात कह दी है। उपन्यास का क्या कार्य है, इस विषय में वे कहते हैं—“मानव-जीवन के अनेक रूपों का परिचय कराना उपन्यास का काम है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं को प्रत्यक्ष करने का यत्न करता है, जिनसे मनुष्य का जीवन बनता है। और जो इतिहास आदि की पहुँच के बाहर होता है।”—(वही)। उपन्यास के विषय में सभी समीक्षक एकमत हैं कि उनका संबंध मानव-जीवन से है, उसकी सामग्री प्रत्यक्ष जगत् और जीवन से ली जाती है और वह मनुष्य-जीवन के लिए ही होता है। इस विषय में एक बात यह भी है कि इसका संबंध प्रायः व्यावहारिक जीवन से होता है, आध्यात्मिक वा दार्शनिक जीवन से नहीं। इसका अपवाद हूँदने से ही मिल सकता है। इसी कारण उपन्यास को लेकर कभी रहस्यवाद वा छायावाद की चर्चा नहीं सुनी गई। हाँ, कभी-कभी कुछ ‘आचार्य’ हिंदी के दो-एक उपन्यासों के संबंध में इस बात की चर्चा करते सुने जाते हैं।

उपन्यासकार के पक्ष को दृष्टि में रखकर आचार्य शुक्ल का कथन है कि उपन्यास का आधार अनुमान शक्ति है केवल कल्पना नहीं—“बहुत लोग उपन्यास का आधार शुद्ध कल्पना बतलाते हैं। पर उल्टे उपन्यास में उपन्यासों का आधार अनुमान शक्ति है न कि केवल कल्पना का स्थान कल्पना।”—(वही)। उपन्यास-रचना के क्षेत्र में हमें स्थूलतः ‘कल्पना’ और ‘अनुमान शक्ति’ में कोई अंतर नहीं प्रतीत होता, क्योंकि कल्पना तथा अनुमान दोनों का आधार वह जगत् और जीवन ही है और उपन्यास में इन्हीं के स्वरूपों की अभिव्यक्ति कल्पना वा अनुमान के द्वारा होती है—विशेषतः तब जब उपन्यास आदर्शवाद को लेकर चलता है, यथार्थवादी उपन्यास में रचनाकार अनुमान वा कल्पना द्वारा

यथाथ को और प्रथम से ज्ञाएगा, कम से कम ऐसा देखा तो नहा गया।

'उपन्यास' शीघ्र ही ऐस में आचार्य शुक्ल ने ऐतिहासिक उपन्यासों के विषय में विस्तृत विवेचन किया है। उसमें उन्होंने इतिहास के सन्धे पात्रों के अतिरिक्त अन्य विषय पानों की योजना तत्कालीन सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यास स्थिति, रहन सहन, गोल-चाल आदि के अनुसार बतलाई है। उन्होंने वह भी कहा है कि उपन्यासकार के लिए यह आवश्यक है कि वह इतिहास की उस घटना पर दृष्टि ले जाय जो इतिहासकार द्वारा वर्णित न की गई हो। उनका यथन है कि इतिहास में जो खगार केवल दोषपूर्ण शब्द (व्या, अत्याचार) द्वारा निर्दिष्ट हो उसी उपन्यासकार चित्र के रूप में रते। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस कार्य में उपन्यासकार को स्वतन्त्रता तो है, पर इतिहास में वर्णित देश-काल, आचार व्यवहार आदि की सीमा से अंतर्गत ही। वह ऐसी कोई भी बात नहीं कह सकता जो इतिहास की प्रसिद्ध घटना या व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध हो। वह अपने उपन्यास में परिवर्तन कर सकता है, नवीन योजना कर सकता है, पर इतिहास के घूँट पर ही, कौरी कल्पना या अनुमान के आधार पर नहीं।

स्थूल कहानी भी उपन्यास की ही जाति की रसु है। ऐसा होते हुए भी इन दोनों में कुछ अंतर भ्रम है। और आजकल तो शास्त्रीय दृष्टि से (टेबिकली)

उनमें महान् भेद उपस्थित कर दिया गया है, जो कहानी

कहानी

की, इस युग में, विकासार्थ और प्रसार के कारण ही

समझना चाहिए, अन्यथा उपन्यास तथा कहानी में विशेष

अंतर नहीं लक्षित होता। उपन्यास की भाँति कहानी को भी आचार्य शुक्ल

घटना प्रधान ही मानते हैं। कविता और कहानी का अंतर बतलाते हुए वे ऐसी

ही बात कहते हैं—“कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुननेवाला

विश्व भाग में भ्रम रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पत्र सुनना चाहता

है। पर कहानी सुननेवाला जागे की घटना के लिए जागृत रहता है। कविता

सुननेवाला कहता है, 'अब फिर तो कहिए।' कहानी सुननेवाला कहता है, 'हाँ!

तब क्या हुआ?'—(चिंतामणि, २२२-२२३)। तात्पर्य यह कि कविता

भाव प्रधान है और कहानी घटना प्रधान। पर, कहानी में भाव तथा विचार

के चित्रण की भी आवश्यकता है। बिना इनके कोरी-कोरी घटनाएँ नीरस लगेंगी। आचार्य शुक्ल ऐसी कहानियों की भी स्थिति मानते हैं जिनमें कहानीकार का लक्ष्य मार्मिक परिस्थिति का चित्रण होता है। ऐसी कहानियों में घटना की कल्पना तथा बाह्य वस्तु या प्रकृति-चित्रण की बहुलता होती है। आचार्य शुक्ल कहते हैं—“जो कहानियाँ कोई मार्मिक परिस्थिति लक्ष्य में रखकर चलेगी उनमें बाह्य प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप-रंगों के सहित और परिस्थितियों का विशद चित्रण भी बराबर मिलेगा। घटनाएँ और कथोपकथन बहुत अल्प रहेंगे……यह भी कहानी का एक ढंग है, यह हमें मानना पड़ेगा। पाश्चात्य आदर्श का अनुसरण इसमें नहीं है, न सही।”—( इतिहास, पृ० ६५२-६५३ )। श्री चंडीप्रसाद ‘हृदयेश’ की कहानियों प्रायः इसी ढंग की हैं। श्री प्रसाद की भावात्मक तथा कल्पनात्मक कहानियों में भी यह तत्त्व प्राप्त होता है। श्री ‘हृदयेश’ के उपन्यास ‘मंगलप्रभात’ में भी इसी तत्त्व की प्रधानता लक्षित होती है।

हिंदी में इधर जो गद्यकाव्य ( जिसे आचार्य शुक्ल काव्यात्मक गद्यप्रबंध या लेख कहते हैं ) की रचना आरंभ हुई, वह रवि वाघू की ‘गीतांजलि’ की प्रेरणा से। वस्तु तथा अभिव्यंजना-शैली दोनों की दृष्टि से यह गद्यकाव्य कविता के समकक्ष रखा जाता है, यद्यपि इसमें छंद का बंधन नहीं रहता। परिस्थिति की दृष्टि से गद्यकाव्य की रचना के मूल में हमें दो प्रवृत्तियाँ लक्षित होती हैं, एक तो वीसवीं शती के आरंभ से ही सभी देशों में गद्य का चरम विकास, जिसके द्वारा उसमें चाहे किसी भी वस्तु या भाव की अभिव्यक्ति हो सकती थी और दूसरे गद्य की इस अवस्था में स्वच्छंदतावादियों ( रोमांटिक्स ) में रीतिवाद के बंधन से मुक्ति की अभिलाषा, जिनका मत यह था कि जब गद्य इतना शक्तिशाली हो गया है तब क्या छंद-बंध से मुक्त होकर उसमें काव्य के उत्कृष्ट गुण नहीं आ सकते? वस्तुतः यह स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति है, जो विकास की शोचिनी समझी जाती है।

आचार्य शुक्ल गद्यकाव्य को छंदोवद्ध काव्य के समकक्ष ही रखते हैं। उसका स्वरूप बतलाते हुए वे कहते हैं—“काव्यात्मक गद्यप्रबंध या लेख छंद



के रचन से मुक्त नाथ्य ही हैं, अतः रचना-भेद से उनमें भी अर्थ का उन्हीं रूपों में ग्रहण होता है जिन रूपों में छंदोरत्न काव्य में होता है अर्थात् वहाँ तो वह अपने प्रकृत और सीधे रूप में विद्यमान रहता है और वही तो भाव या चमत्कार द्वारा सभ्रमित रहता है।"—(इंदीराला भाषण, पृ० ६-७)। अभिव्यजन शैली की दृष्टि से गद्यनाट्य कविता के समान है ही, वस्तु वा विषयाभिव्यक्ति की दृष्टि से भी यह काव्य के समान ही है, इसमें किसी भी विषय की रचना हो सकती है। पर, देखा यह जाता है कि इसमें अधिकतर रहस्य की ही अभिव्यक्ति होती है। इसी काव्यात्मक गद्यप्रबंध के अंतर्गत आचार्य शुक्ल श्री सुनीरसिंह द्वारा लिखित 'शेष स्मृतियों' ऐसे प्रबंध भी रचते हैं।

आचार्य शुक्ल काव्यात्मक गद्यप्रबंध या गद्यनाट्य को साहित्य के लिए एक शुभ लक्षण उतारते हैं, पर इसका साहित्य के समा क्षेत्रों में हाथपैर फैलाना वे अच्छा नहीं समझते, जैसे, वे जाणोचना में इसका उपयोग व्यर्थ नतलाते हैं। उनका कथन है—“यदि इस प्रकार के गद्य की ओर ही लोगों का ध्यान रहेगा, तो प्रकृत गद्य का विकास रुक जायगा और भाषा की शक्ति को वृद्धि में प्रवृत्त बाधा पड़ेगी।”—(इंदीराला भाषण, पृ० १०९)।

निरध साहित्य का एक प्रधान अंग है, विशेषतः यह निरध जो विचार स्मर होता है। निरध के कई भेद दिए जा सकते हैं, यथा, विचारात्मक, भावात्मक, वणात्मक आदि। गद्य की महत्ता हमारे यहाँ निरध प्राचीन काल से ही मानी जाती है। 'गद्य कवियों की कर्मांडी है'—गद्य कबोना निकप बदन्ति—यह पुरानी उक्ति है। गद्य के भी अन्तर्गत निरध की उदा महत्ता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं—“यदि गद्य कविया या लेखक की कर्मांडी है तो निरध गद्य की कर्मांडी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निरध में ही सबसे अधिक संभव होता है।” (इतिहास, पृ० ६०५)। अंगरेजी के समीक्षकाओं में निरध के विषय में यही धारणा है।

\* The essay is a severe test of a writer, and has been described as the Ulysses bow of literature —J W Marriott's *Modern Essays and Sketches*, Introduction, p, x

इधर अँगरेजी-साहित्य में निबंधों की जो चाल चली है, उसमें वे अनेक विशेषताओं की निहिति बतलाते हैं। विशेषताओं में सर्वप्रमुख यह है कि उसमें निबंधकार के व्यक्तित्व (पर्सोनालिटी) की छाप हो, इन अँगरेजी-साहित्य निबंधों को वे वैयक्तिक निबंध (पर्सनल एसेज) कहते ही हैं। विशेषताओं में दूसरी प्रमुख विशेषता वे यह मानते हैं कि निबंध का विधान सरल वा हल्का (लाइट ट्रीटमेंट) हो। दूसरी विशेषता के कारण वे वैयक्तिक निबंधों को सरल साहित्य (लाइट लिटरेचर) के अंतर्गत रखते हैं, इससे उनका तात्पर्य यह है कि जैसे नैसर्गिक वा स्वाभाविक कविता मन को अनुरंजित करती वा रमाती है, वैसे ही विधान की सरलता के कारण निबंध भी मन को अनुरंजित करते हैं। उनका कथन है कि वैयक्तिक निबंधों को समझने वा पढ़ने में पाठकों को किसी प्रकार के श्रम का अनुभव न होना चाहिए—उनका विधान इतना सरल हो। वैयक्तिक निबंधों को वे कविता की ही कोटि में रखते हैं। तो, व्यक्तित्व की छाप तथा विधान की सरलता वैयक्तिक निबंधों की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

निबंध में व्यक्तित्व की छाप वा व्यक्तिगत विशेषता के समर्थक आचार्य शुक्ल भी हैं, पर विधान की सरलता की और उनकी दृष्टि नहीं लक्षित होती है। इसका कारण यह है कि वे विचारात्मक निबंधों को ही निबंध की साहित्य में उच्चकोटि के निबंध मानते हैं और जहाँ विचारों विचारात्मकता की प्रधानता होगी वहाँ विधान की सरलता (लाइट ट्रीटमेंट) का होना असंभव नहीं तो दुर्लभ तो है ही। श्री महावीर-प्रसाद त्रिवेदी के निबंधों पर विचार करते हुए उन्होंने एक स्थान पर कहा है—“शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहाँ कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार-दबा-दबाकर कते गए हों और एक एक वाक्य किसी संक्षिप्त विचार-खंड को लिए हो।”—(इतिहास, पृ० ६१०)। इस स्थिति में विधान की सरलता संभव नहीं, यह इस उद्धरण से स्पष्ट है। अन्य स्थलों पर भी आचार्य शुक्ल ने निबंधों में बुद्धि वा विचारों की प्रधानता पर ध्यान दिया है। जैसे, इस उद्धरण में—“काव्य-समीक्षा के

अतिरिक्त और प्रसार के विचारात्मक निबन्ध साहित्य कोटि में वे ही जाते हैं जिनमें बुद्धि के अनुसंधान क्रम या विचार-परवरा द्वारा रचीत अथवा या तथ्यों के साथ लेखक के व्यक्तिगत वाग्वैचित्र्य तथा उसके हृदय के भाव या प्रवृत्तियों पूरी पूरी झलकती हैं।—(इंदौरवाला भाषण, पृ० ४)। वैयक्तिक निबन्ध में वहाँ के समाधिक विधान की सरलता का प्रतिपादन इसी लिए कर रहे हैं कि वे उसे साम्य के समझ रखना चाहते हैं। वे उन्हें न तो निबन्धकार के पत्र से और न पाठक के पत्र से ही धर्मसाध्य बनाना चाहते हैं। और आचार्य शुक्ल निबन्ध में बुद्धि वा विचार की ही प्रधानता मानते हैं, उनके मतनुसार इसकी योजना ही उनकी विशेषता है। वस्तुतः बात ठीक भी है क्योंकि साहित्य के सभी अंगों का अपना-अपना लक्ष्य होता है, यदि कविता के तत्त्व निबन्ध में और निबन्ध के तत्त्व कविता में नियोजित किए जायें तो इत विपर्यय का परिणाम साहित्य में अनर्गलता का प्रसार ही होगा।

उपर्युक्त उद्धरण द्वारा निबन्ध की दूसरी प्रमुख विशेषता—उसमें लेखक के व्यक्तित्व की छाप—का भी उल्लेख हुआ है। व्यक्तित्व की छाप से आचार्य शुक्ल का तात्पर्य दो बातों से है, एक तो लेखक निबन्ध में व्यक्तित्व की शैली वा वाग्वैचित्र्य से और दूसरी उसके हृदय के भावों वा प्रवृत्तियों की निबन्ध में झलक से। शैली वा वाग्वैचित्र्य-गत व्यक्तित्व की छाप अर्थ वा तथ्य को लेकर होगी, जो विचार वा बुद्धि से समझ है। निबन्ध-लेखक के हृदय के भाव तथा प्रवृत्तियाँ भी अर्थ को ही लेकर झलक मारेंगी। ये सब बात उपरिलिखित उद्धरण द्वारा स्पष्ट हैं। अभिप्राय यह कि लेखक की व्यक्तिगत विषयता, जिसके अंतर्गत उसकी शैली तथा उसके हृदयगत भावों की झलक जाती है, निबन्ध की रचना से ही सम्यन्ध रखती है और इस वस्तु का सम्यन्ध बुद्धि से है।

निबन्ध में आचार्य शुक्ल व्यक्तिगत विशेषता किस रूप में ग्रहण करते हैं, इसे देखने के पूर्व इसका परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है कि अंगरेजी के सभी उक्त वैयक्तिक निबन्ध में इस तथ्य का स्वरूप क्या समझते हैं। इस प्रकार के निबन्ध के विषय में उनका मथन यह है कि निबन्धकार कौन सी वस्तु

अपनी रचना में देता है, इस ओर दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं है, वरन् यह देखने की आवश्यकता है कि वह जो भी वस्तु निबंध में व्यक्त करता है, उसके व्यक्त करने का ढंग कैसा है, वह सरल, स्वाभाविक, मार्मिक है वा नहीं। तात्पर्य यह कि वे ऐसे निबंधों में वस्तु (मैटर) का ध्यान नहीं रखते, प्रत्युत वस्तु-विधान (मैटर) का ध्यान रखते हैं। निबंध के इस प्रकार के लक्षण का कारण यह है कि निबंधकार जिस विषय पर निबंध प्रस्तुत करते हैं, उस विषय पर उनकी दृष्टि नहीं रहती, वे किसी भी विषय पर लिखते हुए अपने व्यक्तित्व से संबद्ध अनेक बातों की अभिव्यक्ति करते हैं अर्थात् उनकी दृष्टि में प्रस्तुत विषय प्रधान नहीं है, वह तो गौण है, प्रधान है प्रस्तुत विषय के संबंध से प्रसंग-प्राप्त आत्माभिव्यक्ति। अतः इस आत्माभिव्यक्ति के लिए वे अनेक विषयांतर करते हैं, जिनका संबंध प्रस्तुत विषय से नहीं रहता। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आत्माभिव्यक्ति के लिए वे निबंधकार विषयांतर करते हैं। व्यक्ति विशेषता से वे लोग यही अर्थ लेते हैं। आचार्य शुक्ल इस प्रकार की व्यक्तिगत विशेषता का समर्थन नहीं करते। देखिए वे क्या कहते हैं—“आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात् व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है, यदि ठीक तरह से समझी जाय। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की शृंखला रखी ही न जाय या जान-बूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाय, भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ-योजना की जाय जो उनकी अनुभूति के प्रकृत या लोकसामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे अथवा भाषा से सरकसवालों की-सी कसरतें या हठयोगियों के-से आसन कराए जायें जिनका लक्ष्य समाशा दिखाने के सिवाय और कुछ न हो।” — (इतिहास, पृ० ६०५)।

व्यक्तिगत विशेषता से आचार्य शुक्ल का अभिप्राय निबंधकार के मानसिक संघटन, संस्कार वा अध्ययन के कारण उसके निबंध पर इसका (मानसिक-संघटन का) प्रभाव है, वह प्रभाव उसके सभी निबंधों में—चाहे वे किसी भी विषय पर लिखे गए हों—मिलेगा। उदाहरण के लिए आचार्य शुक्ल के ही निबंध ले। वे साहित्यिक व्यक्ति थे, अतः उनके मनोभावों से संबद्ध

निरर्था में भी साहित्यिकता का पुट है। मनोवैज्ञानिक समस्त क्रोध, क्रूरता आदि मनोविकारों पर आचार्य शुक्ल के समान साहित्यमय निरर्थ प्रस्तुत न कर पाता, क्योंकि ऐसा करते हुए उसकी दृष्टि अधिकतर मानोभावों के विरले पण पर होती, नित्य के अनुभव पर नहीं, और न वह उसमें साहित्य का पुट हो दे पाता, जैसा कि आचार्य शुक्ल ने किया है। आचार्य शुक्ल इसी को 'अर्थ संपन्नी व्यक्तिगत विशेषता' तथा 'एक ही बात को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखना' कहते हैं।

व्यक्तिगत विशेषता के विषय में एक बात ये यह भी रहती है कि निरर्थकार यद्यपि बुद्धि के साथ चलता है पर उस बुद्धि के साथ उसका हृदय भी खगा रहता है, इस स्थिति में उसकी विशिष्ट भाव प्रणयता का प्रभाव उसके निबन्धों में जपर्य होगा। जैसे, यदि कोई लेखक कृष्ण रस में विशेष रूप से प्रयत्न होगा तो वह निरर्थ लिखते हुए कृष्ण के स्वयं की योजना का प्रयत्न उपस्थित करेगा। आचार्य शुक्ल का कथन है कि "इस अर्थगत विशेषता के आधार पर भाषा और अभिव्यक्ति-प्रणाली की विशेषता—शैली की विशेषता—खड़ी हो सकती है।"—(इतिहास, ६०७, और देखिए उदा., पृ० ६०६-६०७)।

निरर्थ के ही उत्तम आचार्य शुक्ल साहित्यालोचन को भी ले लेते हैं, क्योंकि यह (साहित्यालोचन) निरर्थों में ही प्रस्तुत वा साहित्यालोचन उपस्थित किया जाता है। अपनी आलोचनाओं को उन्होंने निबन्ध वा प्रबंध ही कहा है। अत आगे हम आलोचना पर विचार करेंगे।

आजकल आलोचन और आलोचना के संबन्ध में जो चर्चा हिंदी में चलती है, उसपर पाश्चात्य आलोचना साहित्य का बड़ा गहरा प्रभाव है।

वर्तमान काल में इसका ग्रहण भी वहाँ से हुआ है, अतः कवि और आलोचक ऐसा होना स्वाभाविक है। संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों में समीक्षक वा समीक्षा के विषय में बहुत सी बातें मिलती हैं, पर हिंदी में ये न आ सकीं। संस्कृत में समीक्षक को 'सहृदय' कहा गया है, अर्थात् समीक्षक को कवि के समान ही हृदयवाला होना चाहिए, जिससे वह उसकी परिस्थिति में पड़ कर उसका काव्य का विवेचन सहानुभूतिपूर्वक (सिंधि-

शेदिकली) कर सके। आलोचक में इस गुण की स्थिति आज भी परमावश्यक मानी जाती है, आज भी आलोचक को कवि का समानधर्मा बतलाया जाता है। यद्युतः जब तक कवि और समालोचक में समान गुणों की अवस्थिति नहीं होती तब तक आलोचना की सफलता में संदेह ही सम्झना चाहिए। पर दोनों में समान गुणों की अवस्थिति होते हुए भी दोनों का क्षेत्र पृथक्-पृथक् है। संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथों में समीक्षक के लिए 'भावक' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। 'काव्यमीमांसा-कार' राजशेखर ने प्रतिभा दो प्रकार की मानी है—एक कारयित्री और दूसरी भावयित्री। कारयित्री प्रतिभा कवि में होती है और भावयित्री प्रतिभा भावक वा समीक्षक में। राजशेखर ने कारयित्री प्रतिभा के तीन भेद—सहजा, आहार्या और औपदेशिकी—कहे हैं। भावक वा समीक्षक की भावयित्री प्रतिभा के विषय में उन्होंने कहा है कि यह कवि के धर्म वा कवि-कर्म तथा अभिप्राय अथवा भाव, तथ्य, विचार आदि की विवेचना करती है। वे यह भी कहते हैं कि इसी भावयित्री प्रतिभा के कारण कवि का काव्यलयी पृथक् सफल होता है अन्यथा वह असफल ही रहे। तात्पर्य यह कि काव्य की विवेचना के लिए समीक्षक का होना आवश्यक है। राजशेखर के उपर्युक्त विचारों को देखने से विदित होता है कि उन्होंने कवि और समीक्षक के विषय में सीधे-सीधे बात न करके उनमें स्थित प्रतिभा को लेकर उनकी तर्का की है, जिनके द्वारा कवि और समीक्षकों के विषय में ही विवेचन हुआ।

ऊपर हमने कहा है कि कवि तथा आलोचक में समान गुणों वा धर्मों की स्थिति आजकल भी मानी जाती है, यद्यपि इन दोनों का क्षेत्र भिन्न-भिन्न है। कुछ आलोचक कवि भी होते हैं, आचार्य शुक्ल ऐसे ही आलोचक थे।

\* वा शब्दप्रामस्यसार्थलंकारतन्द्रमुक्तिगार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा ।...सा च द्विधा कारयित्री भावयित्री च कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री ।... भावकस्योपकुर्वाणा भावयित्री ।

† सोऽपि त्रिविधा सहजाऽऽहर्षांपदेशिकी च ।

‡ सा हि कवेः श्रमनभिगार्थं च भावयति । तथा खलु फलितः कवेर्या-पारतरुः । अन्यथा सोऽचक्रेदी स्यात् ।

संस्कृत के कुछ प्राचीन आचार्यों ने भी कवित्व और समीक्षकत्व की स्थिति एक ही व्यक्ति में देखकर कवि तथा समीक्षक में अभेद माना है। उनका कहना यह है कि जय रवि भी प्रियेचन फलदा है और भारक कवि होता है, तब इनमें भेद क्या, अर्थात् इस स्थिति में इनमें कोई भेद नहीं है। पर राजशेखर स्वहय और प्रियभेद के कारण कवित्व से भावकत्व का तथा भावकत्व से कवित्व का भेद मानते हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि समान धर्मों के होते हुए भी कवि या कार्य रचना करना होता है और आलोचक का कार्य है उस रचना की प्रियेचना, कवि में रचना-शक्ति ही प्रधानता होती है और समीक्षक में भाविका शक्ति की। इसके अतिरिक्त एक ही व्यक्ति में समीक्षा तथा कविता शक्ति की विरलता भी देखी जाती है। ऐसी स्थिति में उसे (समीक्षक को) काव्यानुशीलन के अभ्यास जादि द्वारा अपने हृदय को कवि के समान धर्मवाला बनाना पड़ता है।

राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में अपनी तथा अन्य आचार्यों की दृष्टि से आलोचकों के चार प्रकार माने हैं। आचार्य मंगल का कथन है कि भावक दो प्रकार के होते हैं—अरोचकी और सत्पुण्यवहायी। राजशेखर द्वारा शेखर दो प्रकार और बतलाते हैं—मत्सरी और तत्पामि निवारित आलोचक के प्रकार। इस प्रकार आलोचक के चार प्रकार होते हैं। चक के प्रकार अरोचकी आलोचक को निरा का कायादि नहीं रचता, उन्हें प्रायः दोष ही दृष्टिगत होता है। राजशेखर का कथन है कि अरोचकी समीक्षकों में अरोचकता दो प्रकार की होती है—एक नैवर्गिकी और दूसरी अनयोनि वा मानमूला। नैवर्गिकी अरोचकता के कारण समीक्षक को कोई भी रचना भंगी नहीं लग सकती, क्योंकि उसमें (समीक्षक में) यह अरोचकता सदा होता है। जिस आलोचक में ज्ञान के कारण अरोचकता जागृत है, उसे विशिष्ट रचनाएँ सुंदर लग सकती हैं, वह कुछ

\*“क पुनरनयोभेदो यत्कविर्भावेति भाष्यश्च कवि” इत्याचार्याः ।

† ते च द्विधाऽरोचकिनः, सत्पुण्यवहारिणश्च” इति मंगलः । “चतुर्धा” इति मायावरीय मत्सरिणस्तत्पामिनिवेदिनश्च ।

रचनाओं के द्वारा प्रसन्न हो सकता है। आलोचकी आलोचक सभी देशों के आलोचना-साहित्य के प्रारंभिक काल में प्रायः दिखाई पड़ते हैं। सतृणाभ्यवहारी आलोचक नीर-धीर-विवेक की शक्ति न होने के कारण आलोच्य के गुण दोष-विवेचन में असफल रहता है। वह प्रायः अनुचित का ग्रहण तथा उचित का त्याग कर देता है। इस प्रकार के समीक्षक भी आलोचना-साहित्य के आरंभिक काल में देखे जाते हैं, जिनकी आलोचना में एकांगिता का बाहुल्य मिलता है। मसूरी समीक्षक वे हैं, जो दूसरे के गुण को भी दोषवश दोष के रूप में ही देखते हैं। ऐसे समीक्षकों द्वारा साहित्य में वितंडा मात्र ही उपस्थित की जाती है, वे साहित्य का कुछ भी उपकार नहीं कर सकते। राजशेखर ने तत्त्वाभिवेकी समीक्षक पर विचार करते हुए कहा है कि वह सहस्र में एक होता है। वस्तुतः ऐसे आलोचक थिरले ही मिलते हैं जो आलोच्य के कला-पक्ष और हृदय-पक्ष दोनों के तर्कों में—दोनों के यथार्थ रूपों में—पैठकर उनका उद्घाटन करे। राजशेखर ने भाषक द्वारा काव्य के कला-पक्ष की विवेचना, उसकी रसशक्ता, उसके द्वारा काव्य के सटीक तात्पर्य के उद्घाटन आदि का निर्देश किया है। उन्होंने कवि तथा भावक में पारस्परिक सहानुभूति का भी संकेत यह कहकर किया है कि आलोचक कवि का स्वामी, मित्र, शिष्य और आचार्य होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आलोचना के एक उत्तम रूप

“अलोचकित्वा हि तेषां नैसर्गिणी, ज्ञानयोनिवा । नैसर्गिणी हि संस्कारशते-  
नाऽपि । यद्गमिव कालिका ते न जहति । ज्ञानयोनौ तु तस्यां विशिष्टज्ञेयवति  
वचसि रोचकित्वा-वृत्तिरेव” इति यायावरीयः ।

किञ्च सतृणाभ्यवहारिता सर्वसाधारिणी । तथाहि—भ्युरिपत्तोः कौतुकिनः  
सर्वस्य सर्वत्र प्रथमं सा । प्रतिभाधिवेक विकलता हि न गुणागुणयोर्विभागसूत्रं पात-  
यति । ततो बहु त्यजति बहु च शृङ्गाति ।

ज्ञानसरिणस्तु प्रतिभातमपि न प्रतिभातं, परगुणेषु वाचं यमत्वात् ।

+शब्दानां विधिनक्ति गुम्फनविधानामोदते सूक्तिभिः

सांद्रं छेदि रसामृतं विचिनुते तात्पर्यमुद्रां च यः ।

पुण्यैः सङ्गते विवेकविरहादन्तमुत्सं ताम्बतां

केपामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यध्रमज्ञो जनः ॥



पर हमारे प्राचीन आचार्यों को भी दृष्टि थी। यदि इस प्रकार की आलोचना को हम जाचक की विश्लेषणात्मक (इंटेक्टिव) समीक्षा कहने में कुछ संकोच हो तो इतना तो जरूर ही कहा जा सकता है कि यह किन्हीं अंश में विश्लेषणात्मक समीक्षा की ओर ही उन्मुख है। संक्षेप में भारतीय दृष्टि से समाश्रयण तथा सा संवेन करने से हमारा तात्पर्य यही दिखाने का है कि भारत में प्राचीन काल में भी समाशा की रूप प्राप्त है। नैदानिक आलोचना (ओर क्रिटिसिज्म) की तो यहाँ कमी नहीं थी। अनेक साहित्यिक बाद इसके प्रमाण हैं। व्यावहारिक आलोचना (अप्लायड क्रिटिसिज्म) का भी एक रूप अनेक जाचार्यों द्वारा किए गए भाष्य तथा टीकाशा में मिलता है। महिनाथ की टीका बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें ऐसे स्थल भी हैं, जहाँ आलोचना का गीत वतमान है, कहा नहीं इसका विस्तार भी है।

वर्तमान काल में आलोचना पर पाश्चात्य समाश्रयण ने विशेष ध्यान दिया है और तन्मधी साहित्यनिमाण भी वहाँ प्रभूत मात्रा में हुआ है।

उन लोग ने आलोचक के कर्तव्य और उसकी सीमाएँ, समीक्षा-साहित्य आलोचना-सिद्धांत तथा इसके वर्गांतरण आदि पर पूर्ण रूप से विचार किया है। अगस्त समालोचक एयक्रोनी ने उत्तमालोचना के लिए आलोचक में किन किन गुणों की स्थिति आवश्यक है, इस पर विचार करते हुए कहा है कि उसमें ममभेदिनी काव्यदृष्टि, कवि या काव्य के प्रति सहानुभूति, कवि का मनोदशा (मूड) को समझने के लिए शान्तिनित ग्राहकता, व्यावहारिक ज्ञान, नार और विवेकिनी शक्ति तथा ऐसे ही अन्य गुण होने चाहियें। आलोचक के कर्तव्य या उसके गुण के विषय में

स्वामी मित्र च मत्री च शिष्यश्चाचार्य एव च ।

कवभवंति ही चित्र किं हि तद्यत्र भावक ॥

\* Laugh, sympathy, imaginative response, common sense, or mere power to express discriminating gusto—of these attributes and other such, may excellent criticism be made, without anything being formulated—Lascelles Abercrombie M A's *Principles of Literary Criticism* p 121

प्रायः सभी सम्राक्षक येन केन प्रकारेण ऐसी ही बातें कहते हैं। सहृदय भावक पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं। उनके तथा आलोचक के इन गुणों को देखने से विदित होता कि इनमें कुछ न कुछ समता अवश्य है। आलोचन के सिद्धांतों के विषय में भी इधर बहुत विचार हुआ है। वस्तुतः आलोचन-सिद्धांत साहित्य-सिद्धांत से ही संबद्ध हैं, जिन (साहित्य-सिद्धांतों) पर दृष्टि रखकर आलोचक आलोचना करता है और इस प्रकार उसके (आलोचन के) सिद्धांत भी स्थिर होते हैं। साहित्यगत भारतीय ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद तथा यूरोपीय अनुकरणवाद (यिक्सी आफ इमिटेशन) तथा अभिव्यंजनावाद (एक्सप्रेसनिज्म) आदि भी काव्य वा साहित्य के ही वाद हैं, पर आलोचना करते समय आलोचना-सिद्धांत में भी इनका उपयोग होता है। इस प्रकार आलोचना के अनेक सिद्धांत अब तक स्थिर हो चुके हैं, जो अनेक लक्ष्यों के आधार पर बने हैं। इतने युग में अनेक दृष्टियों से आलोचना के अनेक वर्गीकरण भी हुए, जिन पर हम आगे विचार करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आलोचना-साहित्यकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई है और वह अब बहुत समृद्ध हो चला है, इसका श्रेय पाश्चात्य देशों को विशेष है। आलोचना का कार्य भी अब केवल पर-प्रत्यक्ष ~~सिद्धांत~~ नहीं माना जाता, इसके लिए भी अब रचनाकार की भाँति मौलिक कला-श्रुति (आरिजिनेटिव आर्ट इंपल्स) की आवश्यकता समझी गई है, बिना इस कला-श्रुति के आलोचना में सफलता नहीं हो सकती, वह व्यर्थ की वस्तु हो जायगी क।

विभिन्न परिस्थितियों वा कालों में आलोचना (क्रिटिसिज्म) द्वारा विभिन्न अर्थ लिए जाते रहे हैं और अब भी लिए जाते हैं। आलोचना द्वारा (१) दोषदर्शन (काल्ट फाइंडिंग), (२) गुण-कथन वा स्तवन (प्रेज), (३) गुण-दोष-निर्धारण (पासिग जजमेंट), (४) तुलना (कम्पेरिजन) तथा (५) सहायुक्ति-प्रदर्शन (अप्रीसिएशन) प्रायः ये पाँच अर्थ

\* Criticism that is not based upon the originative art impulse can produce nothing, lead to nothing, prepare nothing.—R. A. Scott-James's *The Making of Literature*, p. 113.

लिए जाते हैं—विभिन्न काल या परिस्थितियों के अनुसार छ । आलोचना द्वारा दोष-दर्शन या कथं प्राप्त इसके आरम्भिक काल में देखा जाता है। आचार्य द्विवेदी द्वारा 'हिंदी कविदास की समालोचना' तथा उनकी अन्य आलोचनाएँ तथा विशाखा और देव के श्लोकों में इन कवियों में जल बूझकर दोष दर्शन इसके उद्वहरण के रूप में रचे जा सकते हैं। आजकल भी प्रसमानुक्त 'आलोचना' द्वारा सुभाषा का दोष दर्शन का अर्थ लिया जाता है। 'अनुरुक्ति का कृति की बड़ी आलोचना हो रही है' का तात्पर्य आज भी यही समझा जाता है कि उसमें दोष देने जा रहे हैं। आलोचना द्वारा गुण-कथन का अर्थ भी लिया जाता है, और अर्थ भी प्रायः ऐसी आलोचनाएँ देखी जाती हैं, जिनमें फेरल गुणों का ही धियेचन रहता है। आलोचना-साहित्य को देखने से विदित होता है कि गुण दोष-निर्धारण या किसी कवि या कृति को मलाबुरा करार देना ही अभी आलोचना का स्वरूप वा अर्थ समझा जाता है। उसकी ऐसी स्थिति प्राप्त उसकी आरम्भिक अवस्था में ही होती है। आलोचना का एक प्रकार निष्पात्मक आलोचना (ज्यूशिक्षित्व विदितम्) इसके रसा अर्थ या स्वरूप के आधार पर माना गया है। आलोचना से सुलना के अर्थ का ग्रहण बहुत कम होता है, यद्यपि सुलना मक आलोचना (वपण्टिव विदितम्) आलोचना का एक प्रकार है अथवा। आलोचना द्वारा महानुभूति-प्रदर्शन का अर्थ लने से उसमें किसी कवि या कृति की विशेषताओं का उद्घाटन तथा उनका समथन होता है। इसके द्वारा यही नहीं दोष को भी धियेचना द्वारा गुण के अर्थ में लेने का भाव भी व्यक्त होता है। गुण कथन तथा महानुभूति प्रदर्शन में यही भेद है। यद्युत गुण को गुण के रूप में लना तो गुण-कथन है और नहीं नहीं दोष का भी इस दृश से प्रतिपादन करना कि यह गुण के रूप में ग्रहण किया जा सके महानुभूति प्रदर्शन है। आलोचना के नाम पर महानुभूति प्रदर्शन भी प्रायः सभी साहित्यों में विशेष रूप से किया जाता है। आजकल आलोचना का सच्चा अर्थ या स्वरूप

\* देखिए C. M. Gayley and F. N. Scott's *Methods and Materials of Literary Criticism*—Definition of criticism

विवेचन वा विश्लेषण में माना जाता है। इस समय आलोचना का विश्लेषण ( एनालिसिस ) वा विवेचन ( इंटरप्रेटेशन ) अर्थ ही मुख्यतः प्रचलित है।

ऊपर हमने आलोचना के विभिन्न अर्थों का संकेत किया है। इन अर्थों पर दृष्टि रखकर ही आलोचना के कई प्रकार माने गए हैं। प्रधानतः और आलोचना के प्रकार प्रचलित रूप में आलोचना के तीन प्रकार माने जाते हैं— और उनके नाम ( १ ) निर्णयात्मक ( ज्यूडिशियल ), ( २ ) विवेचनात्मक ( इंडिक्टव ) और ( ३ ) प्रभावाभिव्यंजक ( इंप्रेसनिस्ट )।

निर्णयात्मक आलोचना का कार्य आलोच्य के गुण-दोष का निर्धारण है। इस गुण-दोष की निर्धारणा में आलोचक को निश्चित वा मान्य ( एस्सेप्टेड ) साहित्य-सिद्धान्तों का आधार लेना पड़ता है। वह स्थिर निर्णयात्मक आलोचना किए हुए सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर किसी कृति वा कृतिकार की आलोचना करता है और जो कृति वा कृतिकार सिद्धान्तों के अनुकूल पड़ता है उसे वह भला निर्णीत करता है तथा जो प्रतिकूल पड़ता है उसे बुरा करार देता है। इस प्रकार की आलोचना में आलोचक की रुचि स्पष्टतः लक्षित होती है। वस्तुतः वह अपनी रुचि से शासित हो उसके अनुकूल आलोचन-सिद्धान्तों को लेकर किसी कृति वा कृतिकार की आलोचना के लिए उनका आरोप उस ( कृति वा कृतिकार ) पर करता है। और इस प्रकार रचना वा रचनाकार के भले-बुरे होने का निर्णय देता है। निर्णयात्मक आलोचना के इस स्वरूप को देखकर यह न समझना चाहिये कि यह सरल कार्य है और इसे साधारण विद्या-बुद्धिवाला भी कर सकता है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। निर्णय देने के लिए भी आलोचक को मान्य सिद्धान्तों का आरोप ( अप्लिकेशन ) आलोच्य रचना पर करके उस रचना का विवेचन वा प्रतिपादन करना पड़ता है। वह सिद्धान्त की दृष्टि से आलोच्य रचना का विवेचन करके तय निर्णय देता है। कहने का तात्पर्य यह कि निर्णयात्मक आलोचना में उस विवेचनात्मक आलोचना की सहायता अपेक्षित है, जो उच्चम श्रेणी की आलोचना मानी जाती है। बिना विवेचना के निर्णयात्मक आलोचना सकल नहीं हो सकती। इसी कारण आलोचकों ने

इसकी भी, अपने धेन में ही सही, महसूस दिया है, आचार्य शुक्ल भी उसके पक्ष में हैं—पर कुछ अन्धा में ही, जगो हम इसे देखना ।

विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक वा विवेचनात्मक आलोचना का मुख्य स्वरूप है किसी रचना का आलोचना उसी म वर्णित बातों को दृष्टि में भ्रमकर करना, निराकार्यक आलोचना की भाँति किसी सिद्धान्त का आगेप विवेचनात्मक उस ( रचना ) पर न करना । अभिप्राय यह कि विवेचना-आलोचनात्मक आलोचना में राहसी सिद्धान्त का अनिवेद्य नहीं किया जाता, परन्तु उसमें आलोच्य रचना ही उसका सिद्धांत होती है । इसमें आलोच्य विवेचन ( इन्टरप्रेटेशन ) और विश्लेषण ( एनालिसिस ) द्वारा रचना की विशेषताका का उद्घाटन करता है । सब बात यह है कि हम प्रकार की आलोचना में कौनसा बलु बँसो और क्या है इसी को व्याख्या द्वारा उपस्थित कर देना होता है, इसके लिए विवेचन और विश्लेषण की अवेक्षा है, जिसका निर्देश हमने अभी किया है । ऐसी स्थिति में यह जानना यह है कि आलोचक में निरीक्षण शक्ति तथा व्यापक काव्यममशता भी हो ।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्याख्यात्मक आलोचना वा प्रधान लक्ष्य किसी कृति का मूल्योद्घाटन ( डिन्क्यूएशन ) है । एसा करने के लिए ज्ञान प्रकार की विवेचना का भी सहारा लेना पड़ता है । कृति पर कृतिकार के मानसिक तथा देश कालगत रीति नीति, व्यवहार, आचार-विचार आदि का प्रभाव परोक्षता वा प्रत्यक्षत पड़ता है, जत इन बातों के विवेचन वा उद्घाटन के लिए मनादिज्ञान तथा इतिहास का सहारा भी लेना पड़ता है, जिसके कारण विवेचनात्मक आलोचना के जगतगत मनादिज्ञानिक ( साइकोलॉजिकल )

\* In the interest of Judicial criticism itself we have to recognize that the judicial criticism must always be preceded by the criticism of interpretation ( p 269 ) no judicial criticism can be of any value which has not preceded by the criticism of interpretation ( p 323 )—Richard Green McCutcheon's *The Modern study of Literature*

तथा ऐतिहासिक ( हिस्टोरिकल ) आलोचनाएँ भी आ जाती हैं। ऐतिहासिक आलोचना में साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से भी कितनी रचना का मूल्य अँका जाता है। आचार्य शुक्ल ने इन दो आलोचनाओं को भी माना है।

विवेचन में स्पष्टता के लिए समान देश-काल, प्रवृत्ति, गुण आदि की दो या दो से अधिक रचनाओं में कभी-कभी तुलना भी की जाती है। इस प्रकार तुलनात्मक आलोचना ( कम्परेटिव क्रिटिसिज्म ) भी विवेचनात्मक आलोचना के ही अंतर्गत आ सकती है। 'आलोचना' के अर्थ में 'तुलना' का ग्रहण सम्भवतः इसी कारण किया गया है, जिस पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं।

प्रभावभिर्व्यंजक आलोचना ( इम्प्रेसनिस्ट क्रिटिसिज्म ) को मोल्हन ने स्वतंत्र वा आत्माभिर्व्यंजक आलोचना ( फ्री आर सन्जेक्टिव क्रिटिसिज्म ) भी कहा है। इसे भावात्मक आलोचना भी कहते हैं। इस प्रभावभिर्व्यंजक प्रकार की आलोचना में प्रधानतः दो बातें देखी जाती हैं—एक तो यह कि इसमें आलोचक विवेचन वा विचार की ओर नहीं उन्मुख होता, जो आलोचना का मुख्य कार्य है, प्रत्युत वह किसी रचना द्वारा अपने हृदय पर पड़े प्रभावों को व्यक्त करता है। और दूसरी बात यह कि प्रभावों की व्यंजना वह प्रायः भावात्मक शैली में करता है, जिसके कारण उसकी आलोचना एक स्वतंत्र रचना के रूप में प्रस्तुत होती है। ऐसी स्थिति में वह आलोचक नहीं, रचनाकार हो जाता है। हाँ, यह अवश्य है कि उसकी स्वतंत्र रचना मौलिक रचना ( क्रॉएटिव वर्क ) की भाँति आनन्ददायिनी हो सकती है, चाहे उसमें आलोचना का बोज भी न मिले। आचार्य शुक्ल के आलोचन-संबंधी विचारों का विवेचन करते समय इसकी उपयुक्तता तथा अनुपयुक्तता पर विचार किया जायगा।

इन तीन प्रकार की आलोचनाओं के अतिरिक्त मोल्हन ने एक और प्रकार की आलोचना का विचार किया है, जिसे वे सिद्धांतिक आलोचना ( स्पेक्युलेटिव क्रिटिसिज्म ) कहते हैं। इसके अंतर्गत वे साहित्य के सिद्धांत ( थियरीज ) तथा उनका सम्बन्ध विवेचन वा दर्शन ( फिलोसोफी ) लेते हैं। इसे विशुद्ध आलोचना ( प्योर क्रिटिसिज्म ) भी कहा जा सकता है।

✓ आलोचना को आचार्य शुक्ल सर्वत्र एक गभीर ताय मानते रहे हैं। उन्होंने इसके लिए जन्म, मनन, निरीक्षण, मार्मिक काल्य दृष्टि आदि की आवश्यकता बतलाई है। एक स्थान पर वे लिखते हैं—“इसके अतिरिक्त आचार्य शुक्ल की दृष्टि उच्च कोटि की आधुनिक शैली को समालोचना के लिए से विवेचनात्मक विस्तृत जन्म, सूक्ष्म जन्मीक्षण-बुद्धि और ममप्राहिणी समीक्षा ही ब्राह्म प्रसा जन्म है।”—(इतिहास, पृ० ६३५)। इसके विदित होता है कि वे विचारात्मक आलोचना का ही समर्पण करते हैं, प्रभावात्मक या प्रभावाभिव्यक्त आलोचना का नहीं। उनका कथन है “इस समय में पहली बात समझने की यह है कि ‘समीक्षा’ अच्छी तरह देखना या विचार करना है। वह जय होगा विचारात्मक होगी। कल्पनात्मक या भावमय दृष्टि की परीक्षा विचार या विवेचना द्वारा ही हासिल है, उसके जोड़ में दूसरी कल्पना भिड़ने से नही।”—(इदौराला भाषण, पृ० ६८)। इस उदाहरण में यह स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल आलोचना के विचारात्मक या विवेचनात्मक प्रकार को ही सही आलोचना मानते हैं, उसके भावात्मक प्रकार को नहीं। उनकी दृष्टि में भावात्मक समीक्षा कोई वस्तु ही नहीं, उसे आलोचना कहना ही नहीं चाहिए। वे कहते हैं—“प्रभावाभिव्यक्त समीक्षा कोई ठाक ठाकान की वस्तु ही नहीं। न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र में। उसे समीक्षण या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। किसी कवि की आलोचना कोई इसीलिए पढ़ने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को, और ठाक हृदयगत करने में सहारा मिले, इसीलिए नहीं कि आलोचक की भावभंगी और सजीचे पर विचार द्वारा अपना मनोरंजन करे।”—(इतिहास, पृ० ६७५)। इसके द्वारा यह विदित होता है कि आचार्य शुक्ल आलोचना को व्यक्तिगत वस्तु मानते हैं, इसका समय आलोचक के हृदय पर पड़े काल्य के प्रभाव से ही है। वस्तुतः आलोचना केवल आलोचक की ही वस्तु नहीं है, वह उसके अन्य पाठकों से भी संबद्ध है। उसे ऐसे रूप में होना चाहिए जिससे जनेर व्यक्तियों को रचना समझने में सहायता मिले। आलोचना के इसी स्वरूप को दृष्टि में रखकर रिचर्ड्स तथा एनरिकाबी जैसे संसमालोचकों ने भी इसका समर्पण

नहीं किया है<sup>३</sup>। आचार्य शुक्ल ने आलोचना की उस हवाई वा उड़ती हुई शैली के प्रति भी अरुचि प्रदर्शित की है जो फ़र्गसिंह शर्मा में मिलती है और जिसकी परंपरा छायावादी काल के दो-एक अप्रौढ़ आलोचकों में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की आलोचना के विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं—  
 “...” अहा हा !” और ‘चाह वाह !’ वाली इस चाल का समालोचना कहा जाना जितनी ही जल्दी बन्द हो उतना ही अच्छा।”

उपर्युक्त विवेचन द्वारा अवगत होता है कि आचार्य शुक्ल आलोचना के क्षेत्र में विचाररसत्मकता का ग्रहण तथा भावात्मकता का त्याग करते हैं।

इधर की अपनी सारी कृतियों में उन्होंने विवेचनात्मक निर्णयात्मक और (इंडिडिक्ट) आलोचना का पक्ष लिया है और प्रभाव-प्रभावाभिव्यंजक भिव्यंजक आलोचना का विरोध किया है। ‘काव्य में समीक्षा का भी रहस्यवाद’ में उन्होंने यद्यपि प्रभाववादी आलोचना का समर्थन विरोध किया है (देखिए वही, पृ० ६४) तथापि वे आलो-

चना में उसकी भी आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। इसमें उन्होंने निर्णयात्मक आलोचना का भी पक्ष लिया है और उसकी भी आवश्यकता तथा उपयोगिता का कुछ समर्थन किया है। इन आलोचनाओं पर विचार करते हुए वे कहते हैं—‘समालोचना के लिए विद्वत्ता और प्रशस्त रूचि दोनों अपेक्षित हैं। न रूचि के स्थान पर विद्वत्ता काम कर सकती है और न विद्वत्ता के स्थान पर रूचि। अतः विद्वत्ता से सम्बन्ध रखनेवाला निर्ण-

\* At the least a critic is concerned with the value of things for himself, and for people like him. Otherwise his criticism is mere autobiography—[ A. Richards' *Principles of Literary Criticism*, P. 223. और .criticism proper naturally prefers to stand on something more reliable than impressions which may be at the mercy of personal prejudices or emotional accidents. —Lascelles Abercrombie M. A.'s *Principles of Literary Criticism*, P. 14.]



यात्मक आलोचन (Judicial Criticism) और कवि से सम्बन्ध रखनेवाली प्रभाव्यात्मक समीक्षा दोनों आवश्यक है।"— (काव्य में रसयत्नाद, पृ० ६५)। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आचार्य शुक्ल निष्पात्मक आलोचनागत विद्वत्ता का ही निर्देश करते हैं, और हम देख चुके हैं कि निष्पात्मक आलोचना तथा विवेचनात्मक आलोचना का घनिष्ठ सम्बन्ध है। विवेचना के पश्चात् ही निष्पाद हो सकता है। उन्होंने यहाँ गुण दोषनिर्धारण का निर्देश नहीं किया है, जो इस आलोचना का अंतिम कार्य है। इसका कारण यह है कि वे इसके विवेचनात्मक पक्ष का ही लेना चाहते हैं, जो विद्वत्ता से सम्बन्ध रखता है। प्रभाववादी आलोचना को भी, वे केवल उनमें स्थित कवि को ही लेकर, ग्रहण करते हैं। यहाँ उनकी दृष्टि इस आलोचना को व्यक्त करनेवाली भावात्मक शैली पर नहीं है, जिसका विरोध वे अपनी बाद की आलोचनाओं में करते हैं, इसे हम देख चुके हैं। निष्पात्मक आलोचना के व्यवहार पक्ष पर विचार करते हुए वे कहते हैं—“सम्बन्ध और शिक्षित समाज में निष्पात्मक आलोचना का व्यवहार पक्ष भी है। उसके द्वारा साधन हीन (काव्य के साधन में रहित) जनधिकाधिकों की यदि कुछ रोक टोक न रहे तो साहित्य क्षेत्र नूतन-करकर से भर जाय।”— (काव्य में रसयत्नाद, पृ० ६६)।

प्रभावविषयक आलोचना के विषय में एक बात और कहनी है। यह तो सत्य है कि काव्य में प्रभाव्यात्मकता सब से बड़ा वस्तु है और जिस काव्य में यह वस्तु होती है उसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह समालोचक पर भी प्रभाव डालती है, और यदि वह समालोचक की शिक्षा-दीक्षा वा हृदयगत सम्कार जादि समान है—ऐसा होना असंभव नहीं है, प्रायः ऐसा देखा जाना—तो यह निश्चित है कि एक काव्य का प्रभाव इन समालोचक पर। जो न प्रकार का न पड़ेगा, यह समान ही रूप में पड़ेगा, हाँ, उसका मात्रा में न्यूनाधिक हो सकता है। इस जरूरत में सत्समालोचक द्वारा काँ गई आलोचना—जहाँ तक प्रभाव का सम्बन्ध है—व्यभिचारी वस्तु नहीं हो सकती, वैसे कि इस पर दोष लगाया जाता है, क्योंकि एक रचना का प्रभाव जनक पर समान रूप से पड़ता है। इस दृष्टि से एक रचना की आलोचना में विशेष अंतर नहीं रक्षित हो सकता, यदि यह सत्समालोचक

द्वारा प्रस्तुत की जाय। हाँ, प्रभाववादी आलोचना को व्यक्त करने की भावात्मक शैली से तो कोई विद्वत् साहित्यिक सहमत न होगा।

अब तक हम आचार्य शुक्ल के साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्त देखते रहे हैं जिन्हें सैद्धान्तिक आलोचना ( प्योर और स्पेकुलेटिव क्रिटिसिज्म ) कह सकते हैं। सिद्धान्त की दृष्टि से उन्होंने काव्य पर ही विशेष आचार्य शुक्ल की रूप से विचार किया है। काव्य का कोई प्रकार वा अग व्यावहारिक आलो- ऐसा नहीं है जिस पर उनकी दृष्टि न गई हो। काव्य से चनाएँ संबद्ध रस-सिद्धान्त पर भी उन्होंने विचार किया है, जिसका विवेचन स्वतन्त्र रूप से आगे किया जायगा। साहित्य के अन्य अंग, जैसे, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, आलोचना आदि का उन्होंने सिंहावलोकन ही किया है, इन पर जम कर विचार नहीं हुआ है। पर, जितना विचार हुआ है उतने से ही इनके स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाता है। हिंदी-साहित्य के उपन्यास और छोटी कहानियों को दृष्टि में रखकर उन्होंने उनका विषयगत तथा शैलीगत वर्गीकरण भी अपने 'इतिहास' में किया है। तात्पर्य यह कि न्युनाधिक रूप में साहित्य के सभी अंगों के सिद्धांत-पक्ष पर उनकी दृष्टि गई है, पर काव्य के सैद्धान्तिक पक्ष का विवेचन उन्होंने पूर्ण रूप से किया है। आचार्य शुक्ल की सैद्धान्तिक आलोचना देखने के पश्चात् अब हम उनकी व्यावहारिक आलोचनाओं को भी देख लें।

यहाँ आचार्य शुक्ल की आलोचना के विषय में एक बात का निर्देश करने के पश्चात् उनकी व्यावहारिक आलोचनाओं पर विचार करना सुविधाजनक होगा। आचार्य शुक्ल की जो प्रौढ़ आलोचनाएँ— आचार्य शुक्ल की सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों—हमारे संमुख हैं उनका आलोचना का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। वे दो-एक वर्ष की साधना विकास क्रमिक का फल नहीं है। आचार्य शुक्ल के अध्ययन मनन और चिंतन की प्रवृत्ति आरम्भ से ही रही है, यही कारण है कि साहित्य के संबन्ध में विचारपूर्वक सिद्धांत की विवेचना और रचना उनका रचनाओं में आरम्भ से ही मिलती है। इसकी झलक उनके 'साहित्य', 'उपन्यास' 'भाषा की शक्ति' आदि आरम्भिक निबन्धों में ही देखी जा सकती है। कहने

ना अभिप्राय यह कि उनकी इधर को जालोचनाओं में जो साहित्य-सम्बन्धी  
 मौलिक विचार वा सिद्धांत उनकी व्यावहारिक जालोचनाओं, 'वितामणि' के  
 कुछ निरन्धा, 'काव्य में प्राकृतिक दृश्य', 'वाक्य में रहस्यवाद', 'इदीरवाल  
 भाषण' तथा अन्य स्थान पर भी मिलते हैं, उनके बाँझ उनके (आचार्य शुक्ल)  
 व्यापक निरर्थों में ही प्राप्त हैं। उनके साहित्यिक सिद्धांतों में प्रौढ़ता क्रमिक  
 रूप में आई है। इन सिद्धांतों के विषय में हमने ऊपर विचार भी कर लिया है।  
 आचार्य शुक्ल की व्यावहारिक आलोचनाओं के विषय में भी यही बात लागू है।  
 तुलसी, जायसि और सूर पर जो इतनी युगपरवर्ती जालोचनाएँ उरोने प्रस्तुत  
 की उनका मूल भा प्रार्थना है, ये भी क्रमिक रूप में विकसित होती हुई इस  
 धारणा को प्राप्त हुई हैं। 'भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिन्दी' तथा कतिपय अन्य  
 कवियों वा लेखकों पर व्यावहारिक आलोचनाएँ आचार्य शुक्ल द्वारा उनके  
 साहित्यिक जीवन के प्रारम्भिक काल से ही दिखाई पड़ने लगी थीं। इस प्रकार  
 की कुछ आलोचनाएँ विशेषतः 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' में मिलती हैं, जब यह  
 साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होती थी। ऐसी आलोचनाएँ तब की 'पत्रिका' में  
 विद्यमान हैं, जब आचार्य शुक्ल इसके संपादक थे। अभिप्राय यह कि उनकी  
 व्यावहारिक आलोचनाओं का विकास भी क्रमिक है।

आलोचना के स्वरूप पर विचार करते हुए हमने देखा है कि आचार्य  
 शुक्ल विचारालोक जालोचना (इडेंटिफिकेटिव) का ही पक्ष ग्रहण करते  
 हैं। और उनमें प्रमुख तीन आलोचनाओं को देखने से  
 आचार्य शुक्ल की विदित होता है कि वे विवेचनात्मक वा विचारात्मक आलो  
 व्यावहारिक आलो-चनाएँ ही हैं। विवेचनात्मक आलोचना का प्रतिमान  
 चना के सिद्धांत (स्टैंडर्ड) आलोच्य ही होता है, उसी के (आलोच्य के ही)  
 संदर्भ का अन्वयन उसका आदर्श वा कर्मव्य होता है।  
 उसमें समीक्षक अपनी रुचि वा सिद्धांत का उस पर (आलोच्य पर) आरोप  
 करके उसे नहीं देखा। उसमें आलोच्य ही अपना आदर्श होता है। आलो  
 चक तटस्थ वा निष्पक्ष होकर उसका विवेचन करता है। ऐसा करने हुए भी  
 जालोचक का शिक्षा दीक्षा से उत्पन्न संस्कार उसके साथ ही रहते हैं, उसकी  
 रुचि उससे अलग नहीं की जा सकती। अतः अपनी रुचि का प्रदर्शन भी वह

आलोचना करते हुए कभी-कभी करता है। पर अपनी रुचि या सिद्धांत का प्रदर्शन इस रूप में न होना चाहिए कि विद्वलेषणात्मक आलोचना का लक्ष्य ही अंधकार में जा डूबे। इस रुचि तथा विवेचनात्मक आलोचना के विषय में हम अध्याय के आरंभ में विचार कर चुके हैं। यहाँ इन पर इतना विचार ही अलम् होगा।

आचार्य शुक्ल की आलोचनाएँ विद्वलेषणात्मक हैं, यह तो निश्चित है, और यह भी निश्चित है कि इन व्यावहारिक आलोचनाओं को लिखते हुए उनकी रुचि या विचार भी उनके साथ ही थे, जैसा कि सभी समर्थ आलोचकों के साथ रहते हैं। पर, कुछ खटकने की बात यह लक्षित होती है कि वे अपनी रुचियों का प्रदर्शन स्पष्टतः या प्रत्यक्षतः अपनी व्यावहारिक आलोचनाओं में करते हैं। और उन्होंने अपनी जो रुचि या सिद्धांत एक बार बना लिए थे, उन्हीं के अनुसार वे नवीन तथा प्राचीन और सभी परिस्थितियों में अद्भुत साहित्य की विवेचना करते थे। यदि संक्षेप में कहे तो कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने अपनी नियत वा निर्धारित रुचि के अनुसार समस्त साहित्य को देखा। यह ध्यान में नहीं रखा कि कौन-सा साहित्य किन परिस्थितियों में निर्मित हुआ है। साथ ही अपनी रुचि का प्रदर्शन वे प्रत्यक्षतः करते हैं, इसका निर्देश हमने ऊपर किया है। इस प्रकार का रुचि-प्रदर्शन निर्णयात्मक समीक्षा ( ज्यूडिशियल क्रिटिसिज्म ) में स्थान पा सकता है, शुद्ध विवेचनात्मक समीक्षा में नहीं, यद्यपि आचार्य शुक्ल की व्यावहारिक आलोचनाएँ विवेचनात्मक ही हैं।

अपनी व्यावहारिक आलोचनाओं को आचार्य शुक्ल ने किन-किन रुचियों सिद्धांतों को दृष्टि में रखकर देखा है, आगे हम उन्हीं पर विचार करेंगे।

व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों आलोचनाओं में आचार्य

लोकधर्म

शुक्ल ने जिस सिद्धांत पर सब से अधिक जोर दिया है वह है उनका लोकधर्म वा लोकादर्शवाद। उनके लोकधर्म वा

लोकादर्शवाद पर हम 'उपक्रम' में भले प्रकार विचार कर चुके हैं। वे उसी काव्य को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें लोकपक्ष के चित्रण की अधिकता हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक आनंद प्राप्त हो सके। इस लोकपक्ष वा धर्म पर दृष्टि रखने के कारण ही निर्गुणिए संत कवियों तथा

छायावाद की वास्तववादी नियों के प्रति उनका विशेष रुचि नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इनमें लोक-वश ही प्रधानता नहीं है। जिन छायावाद कवियों में, इसी अवस्थिति है उन्हें वे श्रेष्ठ मानते हैं अवश्य। वाक्य की श्रेष्ठता का प्रतिमान उसमें जीवन के अधिक से अधिक अंश का सनिग्ध जो आचार्य शुक्ल द्वारा माना गया है, वह उनके लोकधर्म के सिद्धांत के प्रभाव के कारण ही। ज्ञान में भी वे लोकधर्म के पक्षपाती हैं, इसमें (लोकधर्म में) जीवन का लय कर देना ही वे मुक्ति मानते हैं, इसे हम 'उपक्रम' में देख सकते हैं।

अपनी तीन प्रमुख आलोचनाओं में भी आचार्य शुक्ल की दृष्टि लोकधर्म पर ही है। कइना यह चाहे कि उनका लोकधर्म का सिद्धांत उस समय बना जब वे तुलसी की आलोचना कर रहे थे। तुलसी के राम का व्यावहारिक आलोचक-स्वरूप 'लोकधर्म रक्षक' और 'लोक रजक' है। उनके राम चरित्रों में लोकधर्म के द्वारा लोकधर्म का साधन तथा लोक रजन अधिक से अधिक प्रभाव अधिक जाता है, उन्होंने कभी लोक की उपेक्षा नहीं की, उन्होंने सदैव लोक का रक्षा तथा उत्थान रजन किया। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में राम इस कारण परम पुरुषात्तम हैं, और राम के इस स्वरूप की अनेक 'मानव' में अभिव्यक्ति करनेवाले तुलसी श्रेष्ठ कवि। तुलसी इस कारण हिंदी के नियों में श्रेष्ठ हैं कि उन्होंने राम के लोक रक्षक तथा लोक रजक दोनों स्वरूपों का व्यञ्जना परमात्कृत रूप में की। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में सूर उतने श्रेष्ठ नहीं हैं, जितने कि तुलसी, क्योंकि सूर ने कृष्ण के लोक रक्षक स्वरूप ही व्यञ्जना उतना अधिक नहीं का जितनी कि उनके लोक रजक स्वरूप की, इस कारण उनमें एकामिना आ गई। वे कृष्ण के इन दोनों स्वरूपों के प्रतिष्ठा में सनिग्ध नहीं ला सके। उनको दृष्टि कृष्ण के लोक रजक स्वरूप पर ही गई, लोक रक्षक स्वरूप पर नहीं, यदि सूर चाहते तो दोनों की भावना समस्य में कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया नही। इस कारण आचार्य शुक्ल सूर को तुलसी के समकक्ष नहीं बिटाते। उनकी दृष्टि में सूर तुलसी निम्न श्रेणी में जाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि सूर में ज्ञान का विस्तार का उतना विस्तार नहीं है, जितना कि तुलसी में। और

आचार्य शुक्ल लोकपक्ष की विविधता के चित्रण के पक्षपाती हैं—काव्य में। सूर के पक्ष में यहाँ यह कहा जा सकता है कि उन्होंने जितना क्षेत्र अपने काव्य के लिए लिया है, उन्हें उसी क्षेत्र में देखना चाहिए। जितना लोकपक्ष उनके काव्य में आया है, उसका उतना ही ग्रहण वे अलम् समझते थे। जिस रूप में उनका काव्य वर्तमान है, उसे उसी रूप में देखना उचित होगा। लोकपक्ष वा धर्म के सिद्धांत को आरोपित करके उनकी विवेचना अधिक संगत न होगी।

तुलसी और सूर भक्त कवि थे और राम तथा कृष्ण उनके भगवान्। इन लोगों ने इनके लोक-रक्षक तथा लोक-रंजक स्वरूपों का चित्रण किया। आचार्य शुक्ल का कथन है कि भगवान् के इन दोनों स्वरूपों का चित्रण भक्ति की परंपरा में प्राप्त है, उस भक्ति की परंपरा में जो वेद-शास्त्रों तत्त्वदर्शों आचार्यों द्वारा चलाई गई थी।

तुलसी और सूर की आलोचनाओं में आचार्य शुक्ल की दृष्टि एक और सिद्धांत पर है, जो संभवतः तुलसी के राम को देखकर स्थापित हुआ है, वह है भगवान् वा पुत्रपौत्र में शील, शक्ति और सौंदर्य की अभि-शील, शक्ति, सौंदर्य व्यक्ति का सामंजस्य। सगुण भक्त कवियों की आलोचना में आचार्य शुक्ल की दृष्टि भगवान् के इन तीन गुणों की उपासना वा अभिव्यक्ति पर सदैव रही है। वे जिस भक्ति-काव्य में इन गुणों का वर्णन देखते हैं और अनुपाततः देखते हैं, उसे वे अनुपात से ही श्रेष्ठ काव्य और उसके रचयिता को श्रेष्ठ कवि मानते हैं। तुलसी ने अपने राम में इन तीनों की अभिव्यक्ति को चरमावस्था तक पहुँचा दिया है, अतः वे श्रेष्ठ कवि हैं—आचार्य शुक्ल के मत्यनुसार। सूर के भगवान् कृष्ण में इन तीनों में से केवल एक की ही अत्यधिक व्यंजना दिखाई पड़ती है, केवल सौंदर्य की—शील की भी व्यंजना है पर उतनी नहीं; अतः सूर को तुलसी की अपेक्षा वे निम्न श्रेणी का कवि मानते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इन तीनों गुणों द्वारा भगवान् के अतः तथा वास्तव दोनों सौंदर्यों का परिचय मिलता है। शील मन का गुण वा धर्म है, शक्ति शरीर का, पर अगोचर, और सौंदर्य शरीर का ही, पर गोचर। भगवान् के ये अतर्बाह्य सौंदर्य वा गुण भक्तों के लिए परमाकर्षण के विषय

होते हैं, ये ही उनकी भक्ति के आधार हैं। भगवान् प्रेम और श्रद्धा के पात्र इन गुणों के कारण ही बनते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को दृष्टि में रखकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो तुलसी के राम में पूर्णतः व्यक्तमान है। आचार्य शुक्ल के इस सिद्धांत की परिमति भक्ति-राज्य तक ही समझनी चाहिए, इसमें भी वे काव्य जिनमें भक्ति की पूर्ण व्यञ्जना है। सभी भक्त कवियों के भगवान् में ये स्वरूप न मिलेंगे।

आचार्य शुक्ल की आलोचनाओं में उनकी दृष्टि सगुणमार्गियों की ओर सदैव मुद्रित है, वे सत्र इनका समर्थन करने हैं। निगुणमार्गियों की ओर उनकी रुचि अस्त्री नहीं प्रतीत होती। वे सगुणमार्गियों को निगुण-सगुण और निगुण मार्गियों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते हैं। यहाँ भी आचार्य शुक्ल मार्ग कवि की दृष्टि लोकपत्र पर है, क्योंकि सगुणमार्ग सर्वजनमुक्त

है। इस कारण के कवियों में विनय की अधिपत्ता है और उनका भाव भी सर्वजनमुक्त, सरल तथा सरल है। निगुण पदियों को उन्होंने उनकी ज्ञान दमता, अभिव्यञ्जना-मौली में अस्पष्टता तथा रुचि, ज्ञान की अधिपत्ता आदि के कारण सर्वत्र कटु आलोचना की है, जो कुछ लोगों को खटकती है। उनके अनुसार यदि आचार्य शुक्ल उन कवियों के समय के आश-पास होते और उनकी आलोचना करते, जिसमें उसका उन पर (निगुणमार्गी कवियों पर) वा जनता पर प्रभाव पड़ता तो यह बात उद्घटनी, श्रेष्ठ कि तुलसी ने यत्र-तत्र किया है। निगुण साहित्य भी परिस्थितिगत प्रस्तुत हो गया है और जो साहित्य प्रस्तुत हो गया है उसकी आलोचना या विवेचना आलोचक द्वारा परिस्थिति को दृष्टि में रखकर सहानुभूतिपूर्वक ही होनी चाहिए। सगुण मत के महत्त्व को स्थापना के लिए कहा भी निगुण कवियों का प्रसंग जाने पर उनका कटु आलोचना करना उचित प्रतीत नहीं होता। पर, हम पर यह विदित है कि आचार्य शुक्ल के सिद्धांत तुलसी के काव्य या विचार पर ही मुख्यतः टिके दिखाई पड़ते हैं और तुलसी ने निगुणियों से कविता को खूब फटकारा है, अतः आचार्य शुक्ल ने भी ऐसा किया, यह अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि आचार्य शुक्ल तुलसी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हैं। अतः हम ने सिद्धांत के मूल में तुलसी के विचार ही निहित समझने चाहिए।

आचार्य शुक्ल ने दो ऐसे कवियों पर—जायसी और सूर पर—आलोचनाएँ लिखी हैं, जो प्रधानतः प्रेम के ही कवि हैं। प्रेम के संबन्ध में भी उनकी दृष्टि बड़ी व्यापक है ! वे उसी प्रेम को सच्चा मानते हैं जो स्वभाव-वर्णन का विक है और जिसकी क्षेत्र-सीमा अधिक से अधिक लोगों को अपने अन्तर्गत ले सकती है। कहना न होगा कि प्रेम-संबन्धी उनके विचार पर भी लौकधर्म के प्रभाव की झलक दिखाई पड़ती है। वे काव्य में संकुचित वा ऐकांतिक प्रेम-वर्णन के पक्षपाती नहीं हैं। जायसी तथा सूर के प्रेम-वर्णन में इसी ऐकांतिकता तथा तुलसी के प्रेम-वर्णन में व्यापकता के कारण ही वे सूर तथा जायसी की अपेक्षा तुलसी के प्रेम-वर्णन को अच्छा समझते हैं। काव्यगत प्रेम-वर्णन के सम्बन्ध में उनका सिद्धान्त सदैव ऐसा ही लक्षित होता है। प्रेम वा शृङ्गार के खुले सम्भोग-पक्ष तथा उसके अतिशयोक्तिपूर्ण वा विरह के ऊहात्मक वर्णन को वे अच्छा नहीं मानते। रीतिकालीन कवियों द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रकार के प्रेम-वर्णन का वे कभी समर्थन नहीं करते।

आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचनाओं का विवेचन करते हुए हमने देखा है कि वे चमत्कारवादी नहीं हैं, इसी कारण वे अलंकार को काव्य में प्रधानता नहीं देते। अलंकार की ओर विशेष रुचि न होने के कारण आचार्य शुक्ल चमत्कारवादी केशवदास के प्रति सर्वत्र अरुचि प्रकट करते हैं और जहाँ-जहाँ प्रसंग आता है वे उन्हें हृदयहीन आदि विशेषणों से विभूषित करते हैं। पर वस्तुतः केशवदास उतने अधिक निन्दा के पात्र नहीं हैं, जितना कि आचार्य शुक्ल समझते हैं। केशवदास आलंकारिक सम्प्रदाय (स्कूल) के थे, अतः उन्हें आलंकारिकों की दृष्टि से ही देखना उचित प्रतीत होता है, कम से कम इतनी सहायुभूति तो उनके प्रति होनी ही चाहिए। पर आचार्य शुक्ल अपनी रुचि वा सिद्धान्त के अनुसार केशव को सर्वत्र अत्यन्त निम्न कोटि का कवि ठहराते हैं। केशव के प्रति आचार्य शुक्ल के विचार देखकर हमें अंगरेज समालोचक मैथ्यू आर्नल्ड का स्मरण हो आता है, जो शैली के विषय में कठोर साहित्यिक धारणा रखता था और इसी कारण जिसे 'शैली के प्रति दृष्टिहीन' (शैलीज ब्लाइण्ड) कहा जाता है।



आचार्य शुक्ल की व्यावहारिक आलोचनाओं में मुख्य-धर्म में एक बात और यह बतानी है कि उन्होंने प्रत्येक काल्य-सामुदायिक वा गीतिकाल्य की ओर ध्यान उचित माना है। इसी कारण वे प्रत्येक काल्य-सामुदायिक की उन्नति को सुदृढ़ कर रचि की अपेक्षा उचित मानते हैं।

व्यावहारिक आलोचनाएँ प्रस्तुत करते समय आचार्य शुक्ल की दृष्टि मुख्यतः इन्हीं सिद्धान्तों वा रचियों पर लक्षित होती है। उनकी सभी आलोचनाओं में जिसके अन्तगत हम उनका 'इतिहास' भी ले सकते हैं, हम यही सिद्धान्त खोजते मिलते हैं। यहाँ यह न भूल जाना चाहिए कि आचार्य शुक्ल का सैद्धान्तिक आलोचनाएँ वा साहित्य-सम्बन्धी विचार भी उनकी व्यावहारिक आलोचनाओं में प्रेरणा-स्रोत हैं। उन्होंने अनेक साहित्य-सम्बन्धी विचारों को लेकर ही व्यावहारिक आलोचनाएँ लिखी हैं। अभिप्राय यह कि व्यावहारिक आलोचना तथा सैद्धान्तिक आलोचना दोनों के सिद्धान्तों से प्रेरित होकर उन्होंने आलोच्य का विवेचन किया है।

आचार्य शुक्ल की तुलना, जासूसी तथा मूर पर तीन प्रसिद्ध व्यावहारिक आलोचनाएँ हैं, इसी सम्बन्ध में इनके विषय में दो तुलनात्मक आलोचनाएँ छन्द कह देना उचित प्रयत्न न होगा।

'गोस्वामी तुलसीदास' विवेचनात्मक आलोचना है। इसमें आलोचक की दृष्टि कवि की विशेषताओं को उद्घाटित करने के लिए सत्य विवेचना पर रही है। उन्होंने कवि द्वारा भावोक्तिपूर्ण पर अधिकार दिखाने के लिए मनाबिकारों का विवेचन, भूलापर परिस्थितियों को तुलना करके उसका (कवि का) साहित्य में स्थान निर्धारित करने के लिए शुद्ध इतिहास का विवेचन और कवि के काल्य-पक्ष पर विचार करने के लिए यथास्थान काल्य के सैद्धान्तिक पक्ष का विवेचन किया है। आचार्य शुक्ल की विवेचनात्मक आलोचना की प्रणाली यही ही स्पष्ट और सुस्पष्ट है।

तुलसी का विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए आचार्य शुक्ल ने कर्तव्य-कर्म अन्य कवियों के गुण दोषों का निर्देश तुलसी के प्रायः गुणों के साथ किया है, जिसके द्वारा तुलनात्मक समीक्षा का आभाव सा मिलता है।

‘गोस्वामी तुलसीदास’ ग्रंथ के ‘वक्तव्य’ से स्पष्ट है कि आलोचक की दृष्टि कवि की विशिष्टताओं पर ही है। अतः जहाँ कहीं कवि में कुछ दूषण भी है, उनको उसने (आलोचक ने) अपनी तर्कशक्ति द्वारा भूषण बना दिया है, पर ऐसे स्थल एकाध ही हैं। जैसे, तुलसी के ‘वाङ्मय-दृश्य-चित्रण’ पर विचार करते हुए आलोचक ने तुलसी के संदिलिप्त प्रकृति-चित्रण को संस्कृत-कवियों से प्राप्त परंपरा का अनुगमन बतलाकर उसकी प्रशंसा की है। पर जहाँ कवि के प्रकृति-चित्रण में अर्थग्रहण मात्र है, या जहाँ उन्होंने प्रकृति-चित्रण करते हुए भी नीति और उपदेश पर ध्यान रखा है, उसे आलोचक ने हिंदी-कवियों की परंपरा का वाक्य होकर पालन करना बतलाया है। वह उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। तुलसी की विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए अन्य कवियों के मध्ये यह दोष मढ़ना उचित नहीं जेंचता। यदि तुलसीदास चाहते तो सर्वत्र संदिलिप्त प्रकृति-चित्रण प्रस्तुत कर सकते थे, उनमें यह शक्ति भी थी, पर सर्वत्र वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। उनकी दृष्टि यत्र-तत्र उपदेश की ओर विशेष थी। फिर, तुलसी ने काव्य के क्षेत्र में पूर्ण संयम का पालन करके खुले शृंगार आदि का चित्रण नहीं किया। यदि वे चाहते तो क्या परंपरा से विमुख होकर इस क्षेत्र में भी शुद्ध रुचि का परिचय नहीं दे सकते थे? इसी प्रकार जहाँ तुलसी में भरती के अलंकार हैं वहाँ यह कहकर उन्हें बचाया गया है कि “उन्होंने अलंकार की भरी रुचि रखनेवालों को भी निराश नहीं किया...”।

अंत में हम इस बात का निर्देश करना चाहते हैं कि आचार्य शुक्ल की व्यावहारिक आलोचना के सिद्धान्तों का संनिवेश तुलसी की आलोचना में प्रधानतः तथा स्पष्टतः हुआ है। इन सिद्धान्तों का उल्लेख हम कर चुके हैं।

समग्ररूपेण अति संक्षेप में हमने तुलसी की आलोचना पर विचार किया है। हमने देखा है कि यह आलोचना विवेचनात्मक है। उपर्युक्त आलोचना को भौति जायसी की आलोचना भी विवेचनात्मक है, जिसमें जायसी की आलोचना यथायसर शुद्ध इतिहास, साहित्य के इतिहास, काव्य-शास्त्र, दार्शनिक तथ्य, भाषा आदि का विवेचन प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करने के निमित्त किया गया है। आचार्य शुक्ल ने जायसी की आलोचना

में अल्पाक्षरों, दास्यनिक्र तथा तथा भाषा पर सुरभ्य, गर्भीर तथा विस्तृत विवेचन किया है, जिससे इन ग्रन्थों में उनकी पूरा अभिव्यक्ति लक्षित होती है।

तुलसी की आलोचना में हमने देखा है कि आचार्य शुक्ल की प्रकृति मनोभावों वा मनोविकारों के विश्लेषण की ओर विशेष रहती है, या राज्य के मुख्य आधार होते हैं। उनमें मनोविकारों के सरल तथा जटिल दोनों रूपों में प्रवेश की बड़ी चाप शक्ति है, जिसका दर्शन हम जायसी की आलोचना में भी करते हैं। उदाहरणार्थ जानकी के 'विशोभ-पथ' तथा 'प्रोम-राज' का विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्थानाहारिक आलोचना के जिस आदर्श पर तुलसी की आलोचना प्रस्तुत की गई है उसी आदर्श पर जायसी की आलोचना भी, अर्थात् जायसी की आलोचना में भी आचार्य शुक्ल की दृष्टि उनके आलोचना के आदर्श काल में लोक-पथ की अधिकांश से अधिक नियोजन तथा शक्ति, शील और सौंदर्य पर रही है। लोक-पथ की दृष्टि से 'पदमास्त' उतनी घरी नदी उतर पाई है, इसका निर्देश आलोचन ने कई स्थानों पर किया है। शक्ति, शील तथा सौंदर्य की चर्चा हम आलोचना में बहुत कम हुई है—एक प्रकार से हुई ही नहीं है, इसमें इसकी जायस्यरत्ना भी नहीं थी।

तुलसी की आलोचना में हम यथास्थान तुलनात्मक समीक्षा भी मिलती है। जायसी की आलोचना में भी यथास्थान पर समान तथा असमान बातों को दृष्टि में रखकर जायसी तथा तुलसी के काव्यों का निदध किया गया है। जायसी की आलोचना में आचार्य शुक्ल ने शैली, भावनिग, कई सुवर्ध आदि जैंगरी के बरिया के तथा जायसी के समान भावों को भी एक साथ रखकर उन पर विचार किया है।

आलोचना विषय के समाप्त की दृष्टि से जायसी की आलोचना को देखने से एक विशेष बात लक्षित होती है, जो आचार्य शुक्ल का अन्य दोनों आलोचनाओं में नहीं दिखाई पड़ती। वह है आचार्य शुक्ल द्वारा यथास्तिक जायसी के आलोचनविषय की समग्र रूप में रचना। तुलसी की आलोचना में ऐसा जान पड़ता है कि वह तुलसी पर लिखे गए विभिन्न निरन्ध का समग्र है,

अर्थात् एक निबंध दूसरे निबंध से उतना संबद्ध नहीं है। सूर की आलोचना तो बहुत छोटी है, फिर भी उसमें सम्बन्ध-निर्वाह है। जायसी की आलोचना के विषय यथाशक्ति सभी एक दूसरे से संबद्ध रखे गए हैं, वे जायसी पर लिखे गए विभिन्न लेखों के संग्रह नहीं प्रतीत होते। जायसी की आलोचना के पाठकों पर यह बात स्पष्ट हो गई होगी। तो, जायसी की आलोचना के विषयों का सजाव-क्रम पूर्वापर संबद्ध है, जो तुलसी की आलोचना में नहीं मिलता, यद्यपि वह एक स्वतन्त्र आलोचना है।

जायसी की आलोचना में आचार्य शुक्ल की दृष्टि अन्य दोनों आलोचनाओं से कहीं अधिक कवि के गुण-दोषों के विवेचन पर रही है। उन्होंने गुणों तथा दोषों दोनों का निर्देश स्पष्ट रूप से बिना किसी सकोच के किया है।

तुलसी तथा जायसी की आलोचना की भांति 'भ्रमरगीतसार' की भूमिका के रूप में लिखी गई सूर की आलोचना एक प्रकार से स्वतन्त्र आलोचना के रूप में नहीं है, यही कारण है कि इसमें सूर की आलोचना उतना विस्तार नहीं है जितना कि उपयुक्त स्वतन्त्र आलोचनाओं में।

सूर की आलोचना में आचार्य शुक्ल की दृष्टि सूर की प्रायः सभी विशेषताओं को थोड़े में बताने पर है, अतः उसमें उन्होंने सूर को पूरे ढंग से ऐतिहासिक, सामाजिक तथा साहित्यिक विवेचन करके नहीं देखा है, जैसा कि तुलसी तथा जायसी की आलोचना में किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह विवेचनात्मक आलोचना नहीं है, यह भी विवेचनात्मक आलोचना ही है, पर इसमें विवेचना कवि द्वारा वर्णित विषय की ही विशेष है, उसके काव्य को स्पष्ट करने के लिए, उसके महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए शुद्ध इतिहास तथा साहित्य के इतिहास का विवेचन करके उस पर (कवि पर) विचार बहुत ही कम किया गया है। काव्य के सिद्धांत-पक्ष की विवेचना इसमें एकाध ही स्थान पर है। इस प्रकार की विवेचना तुलसी तथा जायसी की आलोचना में विशेष है।

आलोचना का जो प्रतिमान (स्टैंडर्ड) आचार्य शुक्ल ने तुलसी तथा जायसी की आलोचना में स्थापित किया था, यथा, काव्य में लोक-पक्ष की स्थापना,

उत्तम जावन की अनेतरुपता या चित्रण तथा उसमें सजि, मीठ और सँदर्य की गणना उसी के अनुसार उन्होंने मूर की आलोचना भी की है। मूर में इन ताना तथा की कुठ कुठ न्यूनता पाई जाती है, इनका पूर्ण स्फुरण नहीं मिलता, मूर के शब्दों में लोक पक्ष की रमी है, उसमें समाज तथा परिवार का जो चित्रण है वह व्यापक नहीं है। मूर के शब्दों में गालत्य तथा श्रम के चित्रण की ही प्रधानता है, उसमें नेत्र सँदर्य का ही बणन है।

मूर की आलोचना आचार्य शुक्ल ने दो पक्षों में विभाजित करके की है—हृदय पक्ष तथा कला पक्ष। हृदय-पक्ष के अंतर्गत उन्होंने कवि द्वारा बणित भावों, विभाषा की मार्मिक उन्नति की है, जिसके द्वारा उनकी भावों के वह तन पहुँचनेवाली पैनी दृष्टि का परिचय मिलता है। तत्पर्य यह कि हृदय-पक्ष पर विचार करते हुए उन्होंने मूर द्वारा वर्णित सयोग तथा विमोह-पक्ष के भावों का विश्लेषण किया है। कला-पक्ष के अंतर्गत मूर के रचिकर्म पर विचार किया गया है, जो बहुत ही सक्षित है, पर उनकी निरपेक्षाओं का उद्घाटन उसमें अस्तर ही जाता है।

मूर को ह्या आलोचना के अंतर्गत एक स्थान पर आचार्य शुक्ल ने मूर तथा तुलसी की प्रमुख प्रमुख प्रवृत्तियों पर दृष्टि रखकर अत्यंत सक्षित तुलनात्मक आलोचना की है, जो बड़ी सुस्त और तुलनात्मक आलोचना की आदर्शिका है। अन्य स्थान पर भी यथावसर तुलना के लिए अन्य रचिकर्मों के गुण दोष बने गए हैं, तथा, केशव, सत कवि तथा जायसं आदि ने।

मूर की आलोचना में 'भ्रमरगीत' पर भी एक छोटी सी आलोचना है, जिसमें मूर द्वारा वर्णित विरहगत मानसिक दशाका का बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण है।

अंत में उल्लेखार्थ ने दार्शनिक सिद्धांतों के सजित निदर्शन के पश्चात् मूर के काव्य में उसकी नियोजना का स्पष्टीकरण है।

मूर की आलोचना में मूर के गुणों और दोषों का भी निदर्शन मात्र है, उन पर कमतर आलोचना नहीं की गई है, ऐसा करने का अवसर भी नहीं था। पर जो कुठ है उसी से मूर के विषय में प्रायः सभी बातें अंतर्गत हो जाती हैं।

ऊपर हमने आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों दृंग की आलोचनाओं पर विचार किया। इससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में साहित्य-संबंधी

उनको जो धारणाएँ और मान्यताएँ थीं, उन्हीं के अनुसार आचार्य शुक्ल के उन्हींने आलोच्य साहित्य को देखा और उस पर अपनी आलोचक रूप समति प्रकट की। आचार्य शुक्ल की इस क्षेत्र में सर्वप्रमुख की विशेषताएँ विशेषता यह है कि उन्हींने साहित्य-संबंधी जो सिद्धांत एक

वार स्थापित कर लिए थे, उनका पालन आदि से अंत तक किया। उन्हींने अपनी साहित्यिक धारणाओं में कभी चंचलता (फिफिलनेस)

नहीं आने दी। एक सत्समालोचक की यह सब से बड़ी विशेषता है। यह प्रश्न दूसरा है कि उसके सिद्धान्त अन्यो की दृष्टि में कैसे हैं। उसने अध्ययन, मनन और चिंतन से जो कुछ निर्धारित किया है, वह उसे लोगों के संमुख रख देता है और उसी को दृष्टि में रखकर जीवन-पर्यंत कार्य करता है।

आचार्य शुक्ल में हम यह विशेषता पाते हैं। उन्हींने जो आलोचन दृष्टियाँ

निश्चित कर ली थीं, उन्हीं के अनुसार सचार्ड के साथ (सिसियर्ल) वे सदैव साहित्य को देखते रहे। अपने सिद्धांतों का इस सचार्ड के साथ व्यवहार,

उनके पालन में आदि से अंत तक यह तत्परता हमें कम ही आलोचकों में मिलेगी। एक आलोचक ने मैथ्यू आर्नोल्ड के लिए यह कहा है कि उन्हींने

साहित्य-सिद्धांत निर्धारित तो किए, पर वह बात दूसरी है कि वे उनका पालन सदैव वा सर्वत्र नहीं कर सके थे। किन्तु आचार्य शुक्ल के लिए कोई ऐसा नहीं कह सकता। उन्हींने जिन साहित्य-सिद्धांतों की निर्धारणा की उनका

पालन सदैव और सर्वत्र किया।

आलोचना की दृष्टि से आचार्य शुक्ल में हमें एक और विशेषता लक्षित होती है, जो सामान्यतया सभी आलोचकों में नहीं मिलती। वह यह कि उन्हींने

साहित्य-सिद्धांत भी निर्धारित किए और व्यावहारिक आलोचनाएँ भी प्रस्तुत की। देखा यह जाता है कि कुछ आलोचक अपनी शिक्षा-दीक्षा, अध्ययन,

\* He (Mathew Arnold) laid down principles, if he did not always keep the principles he laid down.—Herbert Paul.

चिन्तन आदि द्वारा सिद्धांत तो निष्पासित कर देने हैं, पर व्यापहारिक आलोचनाएँ नहीं प्रस्तुत कर पाने। कुछ आलोचकों में इसके विपरीत शक्ति का दायन मिलता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो दानों प्रसार की आलोचनाओं का प्रस्तुत करने के लिए उन्हें समय न मिलता हो अथवा उनमें किसी एक को प्रस्तुत करने की शक्ति न हो। प्रायः दूरबी विशेषता न रहने के कारण ही आलोचकों का पूर्ण स्वरूप नहीं लक्षित होता। पर आचार्य शुक्ल में हम दोनों शक्तियों की अवतारणा मिलती है। वे शैक्षणिक तथा व्यापहारिक दोनों प्रकार के आलोचक थे। सिद्धांत निष्पारण की शक्ति के कारण वे पर प्रत्यय आलोचक नहीं हो पाए हैं, वे अपर या आत्म प्रत्यय आलोचक ही हैं। जो लोग उन्हें पर प्रत्यय आलोचक मानते हैं, वह उनका कोस भ्रम है।

अब हमें आचार्य शुक्ल की आलोचन शैली देखनी है। यह हम पर विदित है कि आचार्य शुक्ल विश्लेषणात्मक आलोचन शैली के पक्षपाती हैं

और उनकी व्यापहारिक आलोचनाएँ भी विश्लेषणात्मक आलोचना शैली—हैं। अब उनकी आलोचन-पद्धति या शैली भी विश्लेषण-बुद्धि और हृदय का पूष ही होगी। विश्लेषण के लिए जिस सुलक्षो विद्या बुद्धि समन्वय की अपेक्षा होती है आचार्य शुक्ल में यह विद्यमान भी।

हम 'उपक्रम' में ही इसका निदर्श कर चुके हैं कि आचार्य शुक्ल की दृष्टि यथैव बुद्धिवादिनी रही है अर्थात् उनमें बुद्धि-पथ की प्रधानता थी, जो समर्थ समालोचन के लिए पूर्णतया अर्जित होती है। पर, कोरी बुद्धि का उपयोग तो नीरस तर्क ही हो सकता कर सकता है, उसके द्वारा तो सरसता का सन्निवेश साहित्य में नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में हृदय की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना हृदय के सरसता की प्राप्ति व्यर्थ ही समझनी चाहिए। और आचार्य शुक्ल का श्रेष्ठ साहित्य का था, जिसके रचन का सम्राट् हृदय होता है। 'उपक्रम' में हम इसका भी निदर्श कर चुके हैं कि आचार्य शुक्ल में बुद्धि-पथ की स्थिति के साथ ही हृदय-पथ भी वर्तमान था। अभिप्राय यह कि समालोचना वा व्याख्या में—जो 'बुद्धि-रूपेण' होती है—बुद्धि की आवश्यकता तो पड़ती ही है, उसमें हृदय का भी विरहकार

नहीं किया जा सकता—समालोच्य साहित्य के रचयिता के हृदय तक पहुँचकर विवेचन को सरस बनाने के लिए। तो, आचार्य शुक्ल में बुद्धि तथा हृदय दोनों का समन्वित रूप वर्तमान था। इसी कारण उनकी आलोचना-शैली कहीं भी रूखी वा लफ़्फ़ चीरती हुई—सी नहीं प्रतीत होती। उन्होंने समालोच्य की विवेचना में बुद्धि का उपयोग तो किया, पर हृदय को भी उसके (बुद्धि के) साथ ही रखा। यह बात उनकी सभी आलोचनाओं में मिलेगी। इसी कारण उनकी आलोचना-शैली में सरसता मिलती है।

आलोचना का प्रमुख लक्ष्य है विवेच्य साहित्य की विशेषताओं का उद्घाटन। इसके लिए विवेचना को स्पष्टता अपेक्षित है। आचार्य शुक्ल इस स्पष्टता की अवतारणा के लिए अनेक शैलियों का आश्रय विवेचन की ग्रहण करते हैं। वे विवेच्य विषय को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टता यदि उसका (विषय का) विभाजन हो सकता है तो ऐसा करके उसके एक-एक विभाग को लेकर सुस्पष्ट विवेचन कर डालते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का उलझाव नहीं रह जाता। जैसे, सूर के कवि-कर्मविधान का विश्लेषण करने के लिए आचार्य शुक्ल ने उसके दो पक्ष—विभाव तथा भाव-पक्ष—करके और इनमें से एक एक को लेकर क्रमशः विवेचन किया है। ऐसे ही सूरों पर वे प्रायः 'साराश यह कि', 'तात्पर्य यह कि' का प्रयोग करते हैं।

विवेचन वा सिद्धांत की स्पष्टता प्रस्तुत करने के लिए वे अन्य शैलियों का भी आश्रय लेते हैं। इस स्थिति में यह शैली सुविधाजनक होती है कि पहले विवेच्य विषय पर सामान्य वा साधारण बातों का निर्देश कर लिया जाय तब विशिष्ट बातों पर विचार किया जाय। आचार्य शुक्ल की आलोचना-शैली में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। वे समालोच्य के विषय में सामान्य बातें कह लेते हैं, तब विशिष्ट पर विचार करते हैं। 'पद्मावत की प्रेम-पद्धति' पर विचार करते हुए उन्होंने पहले भारतीय प्रेम-पद्धतियों का उल्लेख किया, पुनः उनकी तुलना फारसी की मसनवियों की प्रेम-पद्धति से की—यह सब 'पद्मावत' की दृष्टि में रखकर हुआ है। इसके पश्चात् 'पद्मावत' में वर्णित रससेन, पद्मावती तथा नागमती के प्रेम का विवेचन किया गया है। इसी प्रकार सूरदास की आलो-



चना में उन्हाने पहले सूत्र के विषय में 'सामान्य' बातें कह ली हैं, तब उनकी निगिष्ट प्रवृत्तियों पर विचार किया है। इस गैली द्वाग होता यह है कि आलोच्य या विवेच्य के विषय में प्रमुख तथा सामान्य बातें ज्ञात हा जाती हैं, तब उसकी अन्य गीण तथा विशेष बातों में समझने में सुविधा होती है।

आलोचना में स्पष्टता के सधान के लिए ही आचार्य शुक्ल विषय की दुरुहता या स्पष्टकरण यत्र-तत्र स्पष्ट सामान्य प्रदना की अपतारणा कर उनके उत्तर के द्वारा कर देते हैं। उदाहरणार्थ एक स्थग देखिए—“किर लक्ष्यार्थ या व्यग्यार्थ हा काव्य में प्रयोजन क्या है? वाच्यार्थ के वाचित, व्याहृत या अनुपपन्न होने पर लक्षणा और व्यजना के सहारे योग्य और बुद्धिमास्य अर्थ प्राप्त करने का प्रयास क्या किया जाता है?” इस प्रदना का उत्तर वे जगो देते हैं—“इसका अभिप्राय यही है कि ”।—(इदौराला भाषण, पृ० १४)।

आलोचक के कतधर की इति आलोच्य त्रि चा काव्य में उणित बातों के 'तु सु' पर विचार कर लेने में ही नहीं है। आलोच्य के 'तु सु' का निर्देश तो यही हलकी आलोचना है। आलोचक को म्बर काव्य शास्त्र काव्य शास्त्र का तथा आलोच्य में वर्णित काव्य के सम्बन्ध से जाए अन्य शास्त्र विवेचन की विवेचना करके उसकी (आलोच्य की) विशेषताओं की विवृति करनी पडती है आचार्य शुक्ल की आलोचना-शैली ऐसी है, वे इस गैली को ग्रहण करके आलोच्य की पूण विवेचना प्रस्तुत करते हैं। अपनी आलोचनाओं में आचार्य शुक्ल तान्त्र सिद्धान्त या शास्त्र पर यथासंकर सगन विचार करते गए हैं। जायता और तुलसी की आलोचना करते हुए उन्हाने जलकारा हा जो विवेचन किया है उसे काव्य शास्त्र के विवेचन के अन्तर्गत हा समझना चाहिए। इस विवेचन के अवलोकन से उदित हाता है कि अकार के विषय में उनका जल यहा विस्तृत, गभीर तथा सुतरा था। आचार्य शुक्ल में तथ्य के ग्रहण की बडों पैनी दृष्टि गी जो मिया बुद्धि से ही विरोपत सम्बद्ध है। इस पैनी दृष्टि के कारण ही वे प्राचीन जाचार्यों द्वारा अविचचित विषया पर भी स्वतन्त्र रूप से विचार करते हुए पाए जाते हैं। जैसे, उहाने तुलसी के काव्य में 'उदासीनता' भाव तथा आक्षर्य के सचारी 'चक्रपकाट' का निर्देश कर उसकी पूरी विवेचना की है।

अभिप्राय यह कि उन्हें तथ्यग्राहिणी पैनी दृष्टि प्राप्त थी, जिसके सहारे उन्होंने नवीन-नवीन शास्त्रीय तथ्यों का उद्घाटन किया, जो उनकी विद्वत्ता का परिचयक है। इस प्रकार की विवेचना द्वारा उनकी आलोचन-शैली में बड़ी गंभीरता आ गई है। आचार्य शुक्ल तो गंभीर व्यक्ति थे ही। उन्होंने श्सी शक्ति के बल पर प्राचीन तथा नवीन और देशी तथा विदेशी बड़े-बड़े आचार्यों के साहित्य वा काव्य-संबंधी सिद्धांतों की आलोचना की है। इसका प्रमाण 'काव्य में लोफमंगल की साधनाबन्धा', 'साधारणीकरण और व्यक्ति-वैचित्र्यवाद' तथा अन्य निबंधों में मिल सकता है। इनको देखने से आचार्य शुक्ल की तथ्य-ग्रहण की निर्मल दृष्टि तथा विवेचन की तीक्ष्ण बुद्धि का पता चलता है।

बड़ तो काव्य-शास्त्र की विवेचना की बात हुई। उन्होंने काव्य के संबंध से आए अन्य शास्त्रों की भी विवेचना अपनी आलोचनाओं में की है। जैसे, उनकी आलोचनाओं में यथावसर दश-तम काव्य को स्पष्ट अन्य शास्त्रों का करने के लिये दार्शनिक तथ्यों का विवेचन आया है, विवेचन जिसमें उल्लास का नाममात्र नहीं है, 'उसका बड़ा स्पष्ट विवेचन है। तनिक भी ध्यान से अवलोकन करने पर, गंभीर विषय होने पर भी, वे सरलतापूर्वक बोधगम्य हो जाते हैं। इसके द्वारा आचार्य शुक्ल का दर्शन-ज्ञान भी स्पष्ट रूप से लक्षित हो जाता है। उदाहरणार्थ जायसी की आलोचना में 'मत और सिद्धांत' के अंतर्गत किया हुआ दार्शनिक विवेचन देखा जा सकता है, जिसमें आलोचक ने सूफियों के दार्शनिक तथ्यों तथा उन्हीं से संबद्ध ईसाई, मूसई तथा यूनानी दार्शनिक तथ्यों का सूक्ष्म, पर स्पष्ट विवेचन किया है; और साथ ही इन सब मतों वा तथ्यों के संमुख भारतीय दार्शनिक तथ्यों को भी रखा है। इस प्रकार यह दार्शनिक विवेचन सुलनात्मक हो गया है, जिसका प्रस्तुत करना आचार्य शुक्ल ऐसे स्पष्ट दृष्टा और अध्ययनशील व्यक्ति का ही काम था।

आचार्य शुक्ल की इस प्रकार की आलोचन-शैली को देखने से विदित होता है कि आलोचनाओं में उनकी दृष्टि आलोच्य के व्यावहारिक वा साधारण पक्ष (एक्स्टेंसिव एलिमेंट) पर तो है ही, आलोच्य में माने विपत्तों की गंभीर विवेचना (इंटेंसिव एलिमेंट) पर भी उनका ध्यान है। उन्होंने आलोचनाओं

में व्यवहारि पक्ष ( एक्स्प्रेसिव एलिमेंट ) तथा विवेचनात्मक पक्ष ( इंटेंसिव एलिमेंट ) दोनों का समन्वय किया है।

ऊपर हमने आचार्य शुक्ल की आलोचना शैली के जंतुगत भाष्य शास्त्र-विवेचन पर विचार किया है। शास्त्र-विवेचन तथा अन्य विषयों के विवेचन

में भी आचार्य शुक्ल की पद्धति ऐसी दिखाई पड़ती है कि शास्त्र-विवेचन की वे पहले सूत्र रूप में कुछ कह जाते हैं उसके पश्चात् पद्धति उसकी व्याख्या करते हैं। निरुद्धा में तो उनकी यह शैली स्पष्ट लक्षित होती है। जहाँ व्याख्या विस्तृत हो जाती है,

और वे समझते हैं कि पाठक को इसे स्पष्ट रूप में ग्रहण करने में बटुनाई उपस्थित हो सकती है, वहाँ व्याख्या के अंत में 'सामान्य यह कि', 'साधारण यह कि' आदि कहकर विषय को पुनः सूत्र रूप में यह देते हैं। जब निरुद्धा गहन और विस्तृत होता है तो भी वे उसकी पूरी व्याख्या या समीक्षा करने पश्चात् अंत में सूत्र रूप में उसका निदेश उपयुक्त पद्धति पर हो करते हैं। पाठक के सम्पूर्ण बोध तथा सुविधा के लिये तो यह है ही, तात्पर्यों की सहकृत में मिलने वाली यह देशी पद्धति भी है। यथा 'गोश्रामो गुणवीदाश्च' म 'लोचनमं' शीरफ ल्ले निरुद्धा के अंत में उसका कारण दे दिया गया है।

आचार्य शुक्ल की आलोचनाओं को देखने से निश्चित होता है कि उनमें उनकी दृष्टि आलोच्य के गुण दोषों पर सम रूप में गई है। वे न आलोच्य रचनाकार की प्रशंसाग्राम करना चाहते हैं और न निंदाग्राम। गुण और दोष पर बहि की विशेषताओं का उन्होंने उदाहरण तो किया ही है, समान दृष्टि उसके द्वारा लिखी गई राटकनेवाली बातों को भी उन्होंने निरुद्धाच संयुक्त रखा है। जैसे, सूर तथा तुलसी के दोषों पर भी उनकी दृष्टि गई है। दोष निरुद्धा के अंत में आचार्य शुक्ल की यह प्रवृत्ति पाई जाया है कि वे दोषों का निरुद्धाच करन के पश्चात् यदि कवि में दोष आ जाने का कारण कवि ही कारण नहीं होना, साहित्यिक परंपरा का अन्य राते कारण स्वरूप होती है, तो वे उसमें दोष के आ जाने के कारण का भी उल्लेख करते हैं। आचार्य शुक्ल में इस प्रकार की आलोचना-पद्धति सर्वत्र मिलेगी।

आचार्य शुक्ल किसी रचनाकार द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण चारों के उदाहरण

के लिए, उसके गुण-दोष-विवेचन के लिए और साहित्य में उसके स्थान की निर्धारणा के लिए उसकी ऐतिहासिक परिस्थिति को स्पष्ट ऐतिहासिक समीक्षा-रूप से चित्रित करते हैं। इस ऐतिहासिक परिस्थिति के पद्धति अन्तर्गत वे शुद्ध इतिहास, साहित्य के इतिहास, तत्कालीन समाज, धर्म आदि का स्पष्टीकरण करते हैं। जैसे, 'तुलसी की भक्ति-पद्धति' पर विचार करते हुए उन्होंने वीरगाथा-काल के पश्चात् की भारतीय परिस्थिति का—इतिहास, साहित्य, धर्म—समाज आदि की दृष्टि से—दिग्दर्शन किया है। जायसी की आलोचना में भी इस शैली के दर्शन होते हैं। आलोचन के इसी प्रकार को ऐतिहासिक आलोचना (हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म) कहते हैं। इस प्रकार की आलोचन-पद्धति द्वारा, रचनाकार द्वारा, साहित्य में किए गए कार्य को स्पष्ट झलक मिल जाती है।

साहित्य की किसी धारा को स्पष्ट करने के लिए उसके तत्वों पर विचार भी वे ऐतिहासिक दृष्टि से ही करते हैं। यथा, उन्होंने भक्ति-मार्ग, ज्ञान-मार्ग, सन्तों तथा सूफियों के रहस्यवाद का स्वरूप-निर्धारण उनके समग्रदाय के इतिहास की दृष्टि में रखकर किया। उन्होंने इनकी परिभाषा नहीं दी है प्रत्युत इनका इतिहास दिया है, जिससे इनका स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है और इनके इतिहास का परिचय भी मिल जाता है।

साहित्य के मूल में निहित मनोभाव वा मनोविकार के आधार पर आचार्य शुक्ल की आलोचनाएँ विशेष रूप से स्थित हैं। मनोभावों के विवेचन की ओर उनकी रचि से सभी लोग परिचित हैं, भावों पर लिखे मनोभावों का मनोविज्ञान-मिश्रित उनके साहित्यिक निबन्ध इसके उदाहरण आधार हैं। हिन्दी-साहित्य में मनोविकारों के विवेचन की ओर जितनी प्रवृत्ति इनकी पाई जाती है उतनी और किसी साहित्यकार की नहीं। आचार्य शुक्ल की आलोचनाओं में पुरुषोत्तम वा ईश्वर में सौंदर्य, शक्ति, शील की नियोजना का सिद्धांत मनोविकारों के आलोचन पर ही स्थित है, जो पूर्ण रूपेण उपयुक्त प्रतीत होता है। जायसी की आलोचना में भी उनकी दृष्टि प्रेम, क्रोध आदि मनोविकारों के विश्लेषण की ओर गई है। काव्य-सिद्धान्त तथा काव्य-प्रक्रिया को स्थिर करने के लिए भी वे मनोविकारों का विवेचन वा मनो-

वैज्ञानिक विवेचन करते हैं। 'नविता क्या है?', 'काव्य में रहस्यवाद' आदि प्रश्नों में यह बात देखी जा सकती है। उनकी आलोचनाओं में मनोविज्ञान के विवेचन को देखने से विदित होता है कि मानव तथा मानवोत्तर प्राणियों के स्मृत एव वृद्ध दोनों प्रकार के मनोविकास की स्थिति तथा उनके विकास को अग्रगत करने और उनका विवेचन करने की बड़ी पनी दृष्टि आचार्य शुक्ल में थी। मानवोत्तर प्राणियों के मनोविकास भी उनकी आँख में नहा बच सके हैं। इसका एक उदाहरण देखिए—“द्रुम चटि राहे न उरत कान्हा, गैमों दूरि गई। भई जाति समन के जागे जे वृषभान दई। 'जे वृषभान दई' कहकर सुर ने पशु प्रकृति का अच्छा परिचय दिया है। नए खूँटे पर आई हुई गाएँ बहुत दिना तक चंचल रहती हैं और भागन का उद्योग करती हैं। इसी से वृषभानु की दो हुई गाएँ चरते समय भा भाग खड़ी होती हैं और दूसरी गाएँ भी स्वभावगत सार उनके पाँडे दौड़ पड़ती हैं।”

किसी कवि की जाननी के जमान में आलोचक उसकी प्रकृति द्वारा ही उस की मनोवृत्ति, स्वभाव, प्रकृति आदि की शल्लू प्राप्त कर लेता है। पर ऐसा करने के लिए सम्यक् दृष्टि ही आवश्यकता होती है। आचार्य शुक्ल कवि की प्रकृति में यह दृष्टि थी और इसका उपयोग अपनी आलोचनाओं में आदि की खोज उन्होंने यथार्थ रूप में किया है। कवि की प्रकृति आदि का खोज के पश्चात् उसकी आलोचना में सरलता होती है, इस कारण इस शैली का अत्यन्त प्रहण किया जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आचार्य शुक्ल ने कवि के शील, स्वभाव आदि को जानने के लिए ही उसकी रचना का सहारा लिया है, उसकी शारीरिक बनावट आदि जानने के लिए नहीं।

आचार्य शुक्ल की आलोचना शैली को देखने से विदित होता है कि उनकी दृष्टि रचनाकार के हृदय-पक्ष तथा कला पक्ष दोनों पर रहती है। वे किसी रचनाकार का सामाजिक, राजनीतिक वा ऐतिहासिक विवेचना हृदय तथा कला के पक्षान् देखते हैं, उसकी प्रमुख प्रकृतियों का निर्देश पक्ष दोनों पर दृष्टि करते हैं, उसके हृदय पक्ष की आलोचना करते हैं, और इन सभी कर्मों के साथ ही वे उसने कला पक्ष की भी

विवेचना करते हैं । इस प्रकार उनकी आलोचना कहीं भी एकांगिनी नहीं हो पाई है । आधुनिक आलोचकों की प्रवृत्ति अधिकतर यह पाई जाती है कि वे साहित्यकार की प्रवृत्तियों की ही—उसके हृदय-पक्ष की ही—विवेचना अधिक करते हैं, और कला-पक्ष की कम । पर आचार्य शुक्ल में ऐसी प्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है, जिसके कारण उनकी आलोचनाएँ पूर्ण प्रतीत होती हैं ।

ऊपर हम विवेच्य विषय की स्पष्टता के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा यहीत कई प्रकार को आलोचन-शैलियों को देख चुके हैं । तुलनात्मक शैली का ग्रहण भी इस स्पष्टता के लिए ही समझना चाहिए । उच्च, तुलना सम वा निम्न वस्तु अथवा व्यक्ति की तुलना वा उसका भेद किसी वस्तु वा व्यक्ति से कर देने से उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । आचार्य शुक्ल ने बराबर ऐसा किया है । जैसे, 'पदमाघत' की 'प्रेम-पद्धति' को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने मसनवियों में वर्णित प्रेम-पद्धति का निर्देश किया है, जो 'ऐकांतिक' लोकवाह्य और आदर्शात्मक (Idealistic) होता है । तुलना को लेकर आचार्य शुक्ल के विषय में यह ध्यान रखना चाहिए कि वे तुलना के लिए अपनी आलोचनाओं में—सूर और जायसी की—प्रायः तुलसी को संमुख रखते हैं और तब दूसरे कवि पर (सूर वा जायसी पर) अपनी संमति प्रकट करते हैं । जैसे, सूर के काव्य में लोकपक्ष की कमी, जीवन की अनेकरूपता की कमी तथा जीवन की गम्भीर समस्याओं से तटस्थता का उल्लेख वे तुलसी में इन तत्त्वों की स्थिति का ध्यान दिलाकर करते हैं ।

आचार्य शुक्ल की प्रकृति तथा उनके साहित्य की गंभीरता किसी पर अप्रकट नहीं है, साथ ही उनके हास्य-व्यंग्य तथा विनोद की प्रकृति से भी कोई अपरिचित नहीं है, जिसका पुट उनकी रचनाओं में हास्य, व्यंग्य तथा विनोद प्राप्त है । उनकी गम्भीर आलोचनाओं में भी हास्य और व्यंग्य की शिष्ट झलक मिलती है । आचार्य शुक्ल हास्य-व्यंग्य-विनोद की नियोजना अपनी आलोचनाओं में बड़े ही उपयुक्त स्थलों पर करते हैं । देखा यह जाता है कि प्रायः गम्भीर विवेचन के पश्चात् ही वे इसके एकाध छोटे मार देते हैं, जिससे पाठकों का बुद्धि-श्रम दूर हो जाय और वे पुनः

गम्भीर विवेचन के अन्वयन में लगने योग्य हो जायें । नीचे के उदाहरण में देखा कि किस प्रकार वे प्रेम के गम्भीर विवेचन के पश्चात् व्यंग्य का एक छोटा मारते हैं—कारसा चरित्रा ने प्रेम वचन पर—“शुनि के धनि जरी जस करी । तन भा मयन, हिये भइ मया ॥ यही ‘भाग’ वा सदानुभूति प्रेम की परिणत जननी हो जाती है । यद्वा साधुतकार द्वारा प्रेम के युगपत् आविर्भाव में उक्त पूजापर क्रम नहीं होता इसलिए उक्त प्रेमी जीर प्रिय का भेद नष्ट होता । उसमें दोनों एक दूसरे के प्रेमी और एक दूसरे के प्रिय सम्बन्ध होते हैं । उक्त चार की सगदिला या वैरुद की शिखायत—निःशुद्धता के उपाय—की जगह पहले तो नष्ट होता, आगे चलकर हो जाय ता हो जाय ।” ध्यान देने की बात यह है कि हास्य-व्यंग्य-विनोद की उत्पत्ति के लिए वे उर्दू शायरी शब्दों का प्रयोग करते हैं ।

आचार्य शुक्ल की आलोचन शैली में कुछ स्थल ऐसे प्राप्त हैं, जहाँ वे हास्य व्यंग्य विनाद के निमित्त किसी कवि की बातों को अपनी वाणी में प्रस्तुत करते हैं, जो बातें सही प्रसिद्ध होती हैं, और जिन्हें पहले ही ज्ञात हो जाता है कि ये बातें अशुद्ध कवि ने कही हैं, और आलोचक उहा पर व्यंग्य करके उन्हें अपने शब्दों में उद्धृत कर रहा है । विहारा की शिखरी नायिका का अपने शब्दों में वचन हम प्रकार की शैली का उदाहरण है । निम्नलिखित प्रसंग में पद्माकर द्वारा उचित शब्दों की सुखदायक सामग्रियों का सूची का उल्लेख भी इसी शैली का उदाहरण है—“दूरारुढ प्रेम में प्रिय के साधुतकार के अतिरिक्त और नाई ( सुख आदि की ) कामना नहीं हाती । ऐसा प्रेम प्रिय को छोड़ किसी अन्य वस्तु का आश्रित नष्ट होता । न उसे सुराही चाहिए, न प्याला, न गुल्लुली गिलमें, शरीचा ।” आचार्य शुक्ल द्वारा इस शैली के प्रयोग में किसी कवि का उदाहरण दिया है, जत इस उदाहरण में शैली कहा जा सकता है । इसी शैली के अन्तर्गत हम आचार्य शुक्ल की यह शैली भी ले सकते हैं, जिसमें वे किसी की बातों का उल्लेख नहीं करते, प्रयुक्त किसी के विचारों का निर्दोषमान करने ‘कुछ लोग’ वा ऐसे शब्दों आदि पदों का उल्लेख कर देते हैं । निम्नलिखित उदाहरण में ‘ऐसे लोग’ का प्रयोग मिश्रबधुजो के लिए करके उन पर व्यंग्य रखा गया है—“आश्चर्य ऐसे लोग पर होता है जो ‘देन’

कवि के 'शुल' नामक एक और संचारी डूँढ़ निकालने पर बाहं बाह का पुल बाँधते हैं और देव को एक आचार्य मानते हैं।'

आचार्य शुक्ल की आलोचन-पद्धति में यह बात लक्षित होती है कि वे उस विषय या कवि पर सम्यक् विवेचन वा अपनी संमति का प्रकाश यथास्थान अवश्य करते हैं जिस विषय या कवि पर साहित्य-क्षेत्र में विवाद पर संमति-कुल भ्रम फैला रहता है वा विवाद चलता रहता है।

प्रकाश तुलसी को कुछ लोग रहस्यवादी कवि मानते हैं, इस पर आचार्य शुक्ल कहते हैं—“तुलसी पूर्ण रूप में इसी भारतीय भक्तिमार्ग के अनुयायी थे अतः उनकी रचना को रहस्यवाद कहना हिन्दुस्तान को अरथ वा चिन्तायत कहना है।”

आलोचना और निबंध दोनों में वे संसार के प्रचलित प्रधान विषम विचारों की टोका भी करते चलते हैं। निबंध में इसे वैयक्तिक रचि (पर्सनल टच) कहेंगे और आलोचना में भी इसके लिये यही बात कही

विषम विचारों की जा सकती है। साम्यवाद की विषमताओं पर वे अपना मत टीका इस प्रकार प्रकट करते हैं—“अल्पशक्तिवालों की अहंकार-

वृत्ति तुष्ट करनेवाला 'साम्य' शब्द ही उत्कर्ष का विरोधी है। उत्कर्ष विशेष परिस्थिति में होता है। परिस्थिति-विशेष के अनुरूप किसी वर्ग में विशेषता का प्रादुर्भाव ही उत्कर्ष या विकास कहलाता है, इस बात को आजकल के विकासवादी भी अच्छी तरह जानते हैं। इस उत्कर्ष का विरोधी साम्य जहाँ हो, उधे हमारे यहाँ के लोग 'अंधेर नगरी' कहते आए हैं।”

पर ही वे एक टिप्पणी और करते हैं—“उनका ( गोस्वामी जी का ) लोकवाद वह लोकवाद नहीं है, जिसका अकांड-तांडव रूप में हो रहा है।”

आलोचना की एक यह शैली भी है कि किसी काव्य के कुछ अंशों को प्रसंगानुकूल उद्धृत करके उसके गुण-दोषों पर विचार उसकी व्याख्या करके करना। प्रायः गुण वा विशेषता दिखलाने के लिये ही ऐसी पद्धति की परिपाटी चल पड़ी है। आचार्य शुक्ल ने भी ऐसा किया है। 'फिर फिर भूँजेसि तजिउँ न बारू' की रसात्मक विवेचना इस प्रकार की शैली के प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत की जा सकती है।



कमी कमी आलोच्य काव्य के कुछ अंगों को न लेकर उसके एक एक शब्द वा एक ही शब्द को लेकर उसकी विशेषता का उद्घाटन करके परि की कुशलता प्रदर्शित की जाती है। इसके द्वारा आलोचक की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय भी मिलता है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना की इस शैली का भी आभार दिया है। जायसी की आलोचना में 'सदेसड़ा', 'मया' आदि शब्दों को लेकर उद्धरण जो विवेचना की है वह इसी शैली का उदाहरण है। इसमें जायसी द्वारा इन शब्दों के प्रयोग की उपयुक्तता तथा उनकी काव्य-कुशलता का परिचय तो मिलता ही है, आचार्य शुक्ल की ऐसी दृष्टि का भी पता चलता है।

जब से छायावाद की कवियों की आलोचना होने लगी है तब से उनकी कुछ आलोचनाओं में प्रायः देखा जाता है कि उनमें आलोचक अपनी कविताओं

में वर्णित भावों या विचारों के समर्थन के लिए उनकी आलोच्य में वर्णित आलोच्य पंक्तियों में वर्णित भावों या विचारों का अपनी भावों विचारों की भाषा में विवेचन करके तब उन्हें (आलोच्य पंक्तियों को) आलोचना के माद उद्धृत करते हैं। इस प्रकार की आलोचना शैली में आलोच्य

उद्धरण कवि के भावों या विचारों को स्पष्ट करने की प्रवृत्ति ही निहित

रहती है। यह बात दूसरी है कि इस शैली का दुरुपयोग कदा-कदा दिखाई पड़ता है। यह ठग भी अपने छोटे रूप में पहले से ही मिलता है, जिसका उपयोग या दुरुपयोग श्वर अधिक होना लगा है। आलोचना की यह शैली (जिसका दुरुपयोग नहीं किया गया है) आचार्य शुक्ल में भी मिलती है, जिसका उदाहरण 'शेष स्मृतियों' की 'प्रवेशिका' में देना जा सकता है। इसमें आचार्य शुक्ल ने आलोच्य पंक्तियों में वर्णित भावों या विचारों के समर्थन के लिए उनमें वर्णित भावों या विचारों की विवेचना अपने शब्दों में करके तब उन्हें उद्धृत किया है।

छायावाद युग में आलोचना को एक सही मसुर शैली का प्रचार हुआ,

जो अपने छोटे रूप में पहले भी दिखाई पड़ती थी, जिसमें कवि के ही कुछ

शब्दों या वाक्य-खण्डों को लेकर आलोचक अपने कुछ शब्द

एक मसुर पद्धति (संयोजक शब्द आदि) मिलानकर वाक्य प्रस्तुत करता है,

जिसके द्वारा प्रायः कवि की बातों का ही समर्थन होता है।

इस शैली को हम आलोचना की काव्यात्मक शैली ( पौष्टिक स्टाइल ) कह सकते हैं । आचार्य शुक्ल ने भी यत्र-तत्र आलोचना की इस शैली का प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ यह अंश देखें—“प्रेम का धीर-समुद्र अपार और अमाध है । जो इस धीर-समुद्र को पार करते हैं वे उसकी शुभ्रता के प्रभाव से 'जीव' वशा को त्याग शुद्ध आत्म-स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं—'जो एहि धीर-समुद्र महीं परे । जीव गँवाइ, ईस होइ तरे । फिर, तो वे 'बहुरि न आइ मिलहिं एहि छारा ।' ” इस शैली में कुछ-कुछ भावात्मकता का समावेश लक्षित होता है ।

यह हम पर विदित है कि आचार्य शुक्ल विवेचनात्मक आलोचना के पक्ष-पाती हैं । इस प्रकार की आलोचना प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने यत्र-तत्र ( गद्य की ) भावात्मक शैली का भी उपयोग किया है, जिसके द्वारा भावात्मक पद्धति उसमें प्रवाह तथा ओज के दर्शन मिलते हैं । इस प्रकार की शैली 'शेष स्मृतियों' की 'प्रवेशिका' में विशेषतः दृष्टिगत होती है । जैसे यह गद्य-खंड—“उत्तरोत्तर सुख की इच्छा यदि मनुष्य के हृदय में घर न किए हो तो शायद उसे दुःख के इतने अधिक और इतने कड़े धक्के न सहने पड़ें ! जिसे संसार अत्यन्त समृद्धिशाली, अत्यन्त सुखी समझता है उसके हृदय पर कितनी चोटें पड़ी हैं कोई जानता है ? बाहर से देखनेवालों की अकबर के जीवन में शान्ति और सफलता ही दिखाई पड़ती है । पर हमारे भावुक लेखक की दृष्टि जब फतेहपुर सिकरी के लाल-लाल पत्थरों के भीतर घुसी तब वहाँ अकबर के हृदय के टुकड़े मिले ।” कहना न होगा कि आचार्य शुक्ल की भावात्मक शैली में भी एक प्रकार का गार्भीर्य है, वह फालतू धोजना नहीं प्रतीत होती ।

आचार्य शुक्ल ने तुलसी तथा जायसी की आलोचना में क्रमशः 'शील-निरूपण' और 'चरित्र' तथा 'स्वभाव-चित्रण' का विवेचन किया है, जो पञ्चात्य-आलोचन-शैली का प्रभाव-स्वरूप प्रतीत होता है । पञ्चात्य-आलो- क्योंकि चरित्र-चित्रण ( कैरेक्टराइजेशन ) की विशेष चना-पद्धति प्रवृत्ति उधर से ही आई है, जिसका आजकल साहित्य-क्षेत्र में बड़ा बोलबाला है । पर यह स्मरण रखना चाहिए कि

आचार्य शुक्ल द्वारा जो चरित्र-निरूपण उनकी आलोचनाओं में है उसका प्रतिमान (स्टैंडर्ड) नास्तोव हा है, पश्चात्तर नहीं।

ऊपर हमने आचार्य शुक्ल की आलोचना-शैली का विवेचना की है। हमने स्पष्ट है कि उन्होंने अनेक रूसियों का ग्रहण आलोच्य विषय या रचनाकार की स्पष्टता की दृष्टि में गहरा हा किया है, जो आलोचक का प्रधान कर्तव्य है। उपर्युक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने आलोच्य की रचना के लिए काव्य, इतिहास, मनोविचार आदि का निरूपण भी प्रस्तुत किया है। इस निरूपण में यह भी स्पष्ट है कि आलोच्य के सभी पक्ष—भाव तथा रचना—की विशेषताओं के उद्घाटन की जाए उनकी दृष्टि सदैव रही है, उन्होंने अपनी आलोचना को एक गिनो गरी बनने दिया है।

### रस सिद्धांत

साहित्य के सभी अंगों के विषय में आचार्य शुक्ल की मान्यताओं, उनके समुचित व्यवहार तथा उनकी प्रतिपादन पद्धति का विवेचन हम देय चुके। इसके द्वारा आचार्य शुक्ल की महत्ता तथा उनके साहित्यिक सम-मीमांसा ध्यानत्व (लिटरी पर्सनालिटी) का सम्भवतः पूर्ण परिचय मिल गया होगा। अपनी साहित्यिक धारणाओं का निर्धारण, स्वीकरण और प्रतिपादन आचार्य शुक्ल ने जिस अधिकार और सामर्थ्य के साथ किया है, उसे देखकर निःसंकोच उन्हें किसी देश और काल के समर्थ समालोचक की धेनी में रखा जा सकता है। भारतीय समीक्षकों में काव्य का साहित्य का परम लक्ष्य रसानुभूति माना है और उस पर अनेक दृष्टियाँ से विचार किया है। जहाँ भारतीय समीक्षक भी प्रस्थानभेद से अन्तर्, इसी 'लक्ष्य तक पहुँच रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने भी रस पर अपने दृष्ट से विचार कर उसके विषय में कुछ मौलिक वा उपजत (ऑरिजिनल) सिद्धान्त स्थापना की है। इस क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का यह अधिकारपूर्ण कार्य हिन्दी को भारतीय साहित्य की चिन्तन परम्परा से जोड़ता है। रस मीमांसा के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल की मौलिकता से तात्पर्य रसानुभूति के विषय में

उनके विचार, उसके आलंबन वा सीमा के विस्तारप्रसार तथा तत्सम्बन्धी अन्य बातों से है। रसानुभूति में सहायक उसके (रस के) अवयवों—आश्रय, आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन, आदि—को उन्होंने भी माना है। अभिप्राय यह कि रस के विषय में आचार्य शुक्ल का आधार तो प्राचीन ही है, पर उसकी प्रक्रिया, प्रसार आदि पर उनके विचार कुछ नवीन हैं।

आचार्य शुक्ल उन समीक्षकारों में से हैं जो साहित्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता मानते हैं और उसे दर्शन, विज्ञान आदि बुद्धि से संबद्ध विषयों के या तो समकक्ष प्रतिष्ठित करते हैं या उनसे बढ़कर घोषित करते हैं।

काव्य और दर्शन साहित्य वा काव्य का सम्बन्ध प्रधानतः हृदय से है और दर्शन का बुद्धि से। एक भावक्षेत्र की वस्तु है, जिसका

आधार है हृदय और दूसरा ज्ञानक्षेत्र की, जिसका आधार है बुद्धि। काव्य और दर्शन के चरम लक्ष्य की एकता के कारण वे इन्हें एक ही श्रेणी में रखते हैं। वे कविता को एक साधना मानते हैं, जो हृदय की मुक्तावस्था तक पहुँचाती है और इस साधना को 'भावयोग' कहते हैं तथा इसे ज्ञानयोग और कर्मयोग के समकक्ष रखते हैं, क्योंकि अंतिम दोनों योगों का लक्ष्य भी कविता की भाँति अंततः मुक्ति ही मिलिषित किया जाता है।—(देखिए चिंतामणि-पृ० १९३)

उनकी धारणा है कि जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता समझी जाती है उसी प्रकार काव्य की चरम सीमा भी आश्रय और आलंबन की एकता ही है। अभिप्राय यह कि जो ज्ञानक्षेत्र में ज्ञाता और ज्ञेय है वही भावक्षेत्र में आश्रय और आलंबन, दोनों अपनी-अपनी परिमिति में रहकर अंततः एक ही लक्ष्य तक पहुँचते हैं अतः लक्ष्य की दृष्टि से काव्य और दर्शन एक ही हैं।—(देखिए गौस्वामी तुलसीदास पृ० ९८)

इस प्रकार काव्य वा साहित्य तथा दर्शन की एकता का प्रतिपादन करके आचार्य शुक्ल ने साहित्य का पक्ष स्पष्ट कर दिया है। कहना न होगा कि उन्होंने इनकी एकता की स्थापना उन दार्शनिकों वा ज्ञानियों की इस व्यवस्था के कारण ही की है जो काव्य को दर्शन वा ज्ञानक्षेत्र के लक्ष्य में बाधक समझते हैं। काव्य पढ़ने का निषेध कई दार्शनिकों, ज्ञानियों वा धर्माचार्यों ने किया है, इसे सभी जानते हैं। वे इसे केवल विद्यास की वस्तु समझते हैं।

पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं है, दोनों का लक्ष्य साधक है। तबों हमारा प्रतिपाद यही है कि आचार्य शुक्ल लक्ष्य की दृष्टि से दर्शन और काव्य को एक मानते हैं। दर्शन पर तो हमें विचार करना नहीं है, विचार करना है केवल काव्य पर, जिसका चरम लक्ष्य है सत्सुभूति, जो आत्म और आलवन की एतता का मुख्य विषय है।

भारत के प्राचीन साहित्याचार्यों ने काव्य—विशेषतः दृश्यकाव्य—को लेकर ही समीक्षा की है। इसका एक कारण तो यह है कि वे काव्य के अंतर्गत ही प्रायः साहित्यमात्र का ग्रहण कर लेते थे। रस का क्षेत्र काव्य, दूसरा कारण यह है कि वर्तमान गद्य-युग के पूर्व भारत में परिचित आलवन का काव्य का ही निर्माण प्रधानतः होता रहा, जत आचार्यों

काव्यशक्तता के समुच्च लक्ष्य रूप में काव्य ही था। रस निरूपण करते

ए आचार्य शुक्ल ने भी काव्य को ही लक्ष्य माना है।

वस्तुतः बात यह है कि काव्य की सज्जित परिमिति में गद्य-युग का योजना, उसकी परिपक्वता के स्पष्ट निदर्श तथा प्रभावत्मकता के कारण उसे ही इस कार्य की सिद्धि के लिए दृष्टि पथ में रखा जाता है। जभिप्राय यह है कि रस का संबंध काव्य से ही माना जाता रहा है और इस विषय में साहित्यकारों की धारणा जत भी ऐसी ही है। काव्य ही वह भूमि है जहाँ पहुँचने पर सत्सु-

सत्सुभूति होती है। प्रश्न उठता है, उस काव्य भूमि का स्वरूप क्या है, जो सत्सुभूति का आधार है। काव्य के विषय में आचार्य शुक्ल की सदैव यही

धारणा रही है कि वह ऐसी साधना है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य

के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और उसका निर्वाह होता है। शेष सृष्टि से आचार्य

शुक्ल का तात्पर्य क्रि ( जो काव्य रचना काल में उसका—शेष सृष्टि का—

द्रष्टा मान रहा है ) के अतिरिक्त मानव तथा मानवोपर अन्य प्राणियों और

पदार्थों से युक्त अनेक रूप एवं व्यापारमय जगत् से है, इन्हीं से साथ कर्ता

या श्रोता के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा उसके निर्वाह की स्थापना होती है।

आचार्य शुक्ल उक्त काव्य की परिभाषा के अंतर्गत आए 'शेष सृष्टि' पद के

नीचे मानव का ग्रहण कर लेना जानकार है। इस अनेक रूप व्यापारमय

'शेष सृष्टि' के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह करनेवाला मानव

का हृदय भी अनेक कोमल और पुरुष भावों का आश्रय है। यदि सृष्टि में अनेक रूप व्यापार हैं तो हृदय में भी अनेक भाव, जो उससे संबंध-स्थापन के मूल कारण हैं। सृष्टि के अनेक रूप-व्यापारों के साथ मानव-हृदय के अनेक भावों के तादात्म्य वा संबंध का रहस्य क्या है। इत विषय में आचार्य शुक्ल का कथन है कि मानव आदिम युगों से अनेक रूप-व्यापारमय जगत् के संपर्क में रहता चला आ रहा है, अतः उनके साथ उसके हृदय में तादात्म्य की भावना वास्तना के रूप में उसकी (मानव की) वंश-परंपरा से ही स्थित है। यही कारण है कि जब आदिम युगों से परिचित सृष्टि के रूप-व्यापार काव्य में आलंबन के रूप में चित्रित होते हैं तब अनेक भावों का आश्रय उसका हृदय उनके साथ वंश-परंपरागत साहचर्य-भावना वा रागात्मक संबंध के जमाने के कारण तादात्म्य का अनुभव करता है, उनमें रमता है, ऐसी स्थिति में कुछ क्षण तक वह अपनी सत्ता भूल जाता है, अनुभूति वा भावभाव का ही अनुभव वा ज्ञान (परस्पर्शन) उसे रह जाता है और किसी वस्तु-व्यापार का ज्ञान नहीं। इस विवेचना का अभिप्राय यह कि रसानुभूति का संबंध काव्य से है और इसकी सिद्धि के लिए उसमें मानव के सुपरिचित आलंबन ही आने चाहिये, अन्यथा रस की परिपक्वता में पूर्णता का संनिवेश न हो पाएगा। आलंबन जितने ही परिचित होंगे रस का अनुभव उतना ही पूर्ण होगा।

रसानुभूति के लिए सामान्य (जनरल) उपादान—आश्रय और आलंबन क्या हैं, इनका परिचय उपर्युक्त विवेचन से प्राप्त हो गया होगा। कवि वा साहित्यकार इन्हीं की सहायता से रसानुभव करता है। रस-प्रतीति और अब देखना यह है कि कवि अपनी कला द्वारा इन कवि-कर्म अवयवों वा उपादानों को किस रूप में उपस्थित करता है, जिससे रसानुभूति होती है, अर्थात् रसात्मक प्रतीति और कवि-कर्म का क्या संबंध है, अब इसे देखना चाहिए।

काव्य-कला तथा कल्पना के घनिष्ठ संबंध का प्रतिपादन साहित्य-मीमांसक बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं। इनका संबंध उतनी ही दूर तक समझना चाहिए जहाँ तक कल्पना काव्य के साधन के रूप में प्राक्-कल्पना हो। काव्य-कला तथा कल्पना के घनिष्ठ संबंध से हमारा

तात्पर्य कल्पनावादियों द्वारा प्रतिपादित मत से नहीं है, वा इसको ही लेकर एक अतिपाद (एक्स्ट्रीमिज्म) की स्थापना करना चाहते हैं। यह हमें विदित है कि आचार्य शुक्ल भी कल्पना को काव्य के प्रमुख साधन के रूप में ही स्वीकार करते हैं। रसात्मक प्रतीति की भूमि कविता ही है, जत इसके लिए भी कल्पना की जंपेधा होती है, ऐसी कल्पना की जो भाव प्रेरित और मार्मिक रूप विधायिनी होती है, कोरी ही कोरी और निराली दुनिया खड़ी करनेवाली नह। रसात्मक प्रतीति में और अन्यत्र भी कल्पना का जो स्वरूप आचार्य शुक्ल स्थिर करते हैं वह यही है। यहाँ इसका भा निर्देश नर देना आवश्यक है कि रसानुभूति की सृष्टि करने के लिए काव्यकार कवि में और उसका ग्रहण वा आस्वादन करने के लिए पाठक वा श्रोता में भी कल्पना की स्थिति वाछनीय है। पूर्ण वा सच्ची रसानुभूति के लिए कवि की विधायिनी कल्पना की समानधर्मिणी श्रोता वा पाठक की ग्राहिका कल्पना की भी आधत्य कता है। आचार्य शुक्ल की भी ऐसी ही धारणा है।

मुनिवर भरत ने अपने 'नाट्यशास्त्र' में निभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस-निष्पत्ति की मान्यता स्वीकार की है। यहाँ इससे हमारा तात्पर्य नेपाल इतना ही है कि रसानुभूति की सृष्टि में आधय तथा आलवन, ये तीन जययज जुड़ते हैं, जिनमें प्रथम दो प्रधान हैं। अनुभाव तथा उद्दीपन निभाव के अतर्गत आश्रय तथा आलवन और उनकी चेशाएँ प्रथम उद्दीपन जाते हैं। अनुभाव के अतर्गत भाव ने आश्रय का चेशाएँ आती है। अभिप्राय यह कि रस निष्पत्ति वा रसानुभूति के लिए कवि को आलवन और उद्दीपन तथा आश्रय और अनुभाव का निधान करना पड़ता है। निभाव अर्थात् आश्रय और आलवन के अतर्गत 'शेष सृष्टि' के अनेक रूप और ध्यापार जाते हैं। आश्रय की चेशाएँ अनुभाव की स्वजना वा उनका प्रत्योकरण दो रूपों में दिखाने पड़ता है, एक तो आधय में भावात्मिक के फलस्वरूप उसकी जागिक चेशाओं के रूप में, जिसका धेन जति परिमित है, और दूसरे उसमें भावात्मिक के फल स्वरूप वाचिक

॥ विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात्सनिष्पत्ति

रूप में, जिसकी सीमा—बाणी की अनंतता के कारण—अति विस्तृत है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि विभाव के इन सभी रूपों वा अवयवों के विधान के लिए कवि में कल्पना की आवश्यकता होती है (देखिए चिंतामणि, पृ० ३६०-३६९), क्योंकि काव्य-रचना-काल में विभाव कवि की आँखों के संमुख उपस्थित नहीं रहता, वह इनका विधान इनके अंतःसाक्षात्कार की सहायता से, जिन्हें पहले देख और सुन चुका रहता है; कल्पना द्वारा ही करता है। रूप-व्यापार-विधान में भी उसे कल्पना का साहाय्य ग्रहण करना पड़ता है और बाणी-विधान में भी। आचार्य शुक्ल की धारणा है कि इस विधान में कल्पना की प्रचलना के कारण ही भारतीय प्राचीन साहित्य शास्त्रियों ने कल्पित-रूप-विधान में ही रसानुभूति का प्रातिपादन किया है; "रूपों और व्यापारों के प्रत्यक्ष बोध और उससे संबद्ध वास्तविक भाषानुभूति की बात अलग ही रखी" गई।—(देखिए चिंतामणि, पृ० ३३३)। आचार्य शुक्ल प्रत्यक्ष रूप-विधान और स्मृत रूप-विधान में भी रसानुभूति मानते हैं, जिन पर यथास्थान विचार किया जायगा।

रसानुभूति और कल्पना के रहस्य के साथ ही एक बात और अवलोकनीय है। वह यह कि रसात्मक बोध की प्रक्रिया में भाव तथा ज्ञान दोनों के समन्वित कार्य की अपेक्षा होती है, केवल कल्पना की ही आवश्यकता नहीं पड़ती।

बात यह है कि रस-बोध के लिए प्रधान आवश्यक अवयव रस-बोध में भाव तथा आलंबन की योजना है, जिसको पहले शनेन्द्रियों ही ज्ञान का समन्वित कार्य उपस्थित करती हैं और तत्पश्चात् इनके द्वारा उपस्थित

आलंबन-सामग्री को लेकर कल्पना वा भाषना इनका रसात्मक विधान करती है। इस प्रकार आलंबन के मार्मिक विधान में ज्ञान और भाव—बुद्धि और हृदय—दोनों का योग रहता है। आचार्य शुक्ल का मत है—“भावों के लिए आलंबन और रस में शनेन्द्रियों उपस्थित करती हैं; फिर शनेन्द्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान-प्रसार के भीतर ही भाव-प्रसार होता है।”—(काव्य में रहस्यवाद; पृ० ७७, और देखिए चिंतामणि, पृ० २३३)। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो विदित



होगा कि हमारे सभी कार्यों का प्रथम प्रयास जानात्मक ही होता है। वह हम किसी कार्य में—चाहे वह ज्ञानात्मक हो चाहे भावात्मक—बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त होती है तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। अतः रसात्मक आलयन के विधान में प्रथमतः ज्ञानद्विगों ही प्रवृत्त होती हैं और तब इन्द्रिय का व्यापार आरम्भ होता है। रसानुभूति में ज्ञान की भी आवश्यकता के कारण ही इस क्षेत्र में ध्याननिकों ने भी अपनी धारणाओं के अनुसार कार्य किया है, और इसे वे पूणा की और ले गए हैं।

इसने विवेचन से यह स्पष्ट है कि रसानुभूति में विधान-वश ही प्रयत्नता है और इसकी प्रस्तुत करने के लिए ज्ञान और कल्पना की आवश्यकता पड़ती है। आलयन के विधान की चर्चा भी हम कर चुके हैं। अब रसानुभूति में आल देवना है कि रसानुभूति के लिए कवि आलयन का विधान उन विधान का रूप किस रूप में करे, वह वैसा आलयन गूढा करे कि रसानुभूति हो। आचार्य शुक्ल के साध्य सिद्धांतों की विवेचना करते हुए हम देख चुके हैं कि वे कार्य का लक्ष्य विग्रह करना मानते हैं, — विशेष-ग्रहण करना मात्र नहीं। और विग्रह वा मूर्ति जब होगी तब विशेष व्यक्ति वा वस्तु की ही होगी, सामान्य वा जाति मात्र की नहीं। बात यह है कि कवि की प्रभावात्मकता-प्रामाण्यता, जो रसानुभूति के क्षेत्र तक पहुँचानेवाला तत्त्व है, उत्पन्न करने के लिए काव्य में पुनः हुए रूप-व्यापारों की योजना करनी पड़ती है। चुनाव करते समय उसके समुच्च जति या सामान्य रहता तो है, पर यह उसमें से व्यक्ति वा विशेष-वा ही ग्रहण करता है। उसे या कह कि उसके काव्य के रूप व्यापार व्यक्ति वा विशेष के रूप में जाति वा सामान्य या प्रतिनिधित्व करते हैं। जाति मात्र के चित्रण के लक्षण उसके प्राप्त समय और स्थान ही रहता है और न इसकी आवश्यकता ही पड़ती है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि जाति या सामान्य के सिद्धांत आदि की स्थापना तो ठीक और विधान का काम है, काव्य का नहीं। रसानुभूति के लिए आलयन प्रस्तुत करने में भी कवि मात्र की विग्रह प्रणाली से ही काम लेता है वह आलयन रूप में विशेष का ही चित्र उपस्थित करता है।

आचार्य शुक्ल की दृष्टि से व्यक्ति रूप में आलयन का प्रतिष्ठा के विपर

में दो बातें और कहनी हैं। कुछ काव्य ऐसे होते हैं, जिनमें केवल भावों का ही प्रदर्शन वा चित्रण होता है। आचार्य शुक्ल इन्हें आलम्बन का आरोप 'भाव-प्रदर्शक' काव्य कहते हैं। आधुनिक युग के प्रगीत और इसका महत्त्व मुक्तक ( लीरिक्स ) इस प्रकार के काव्य के अच्छे उदाहरण हैं, जिनमें प्रायः भाव की ही व्यंजना की जाती है, विभाव का चित्रण बहुत ही कम रहता है। ऐसे काव्य का अध्ययन करते समय, आचार्य शुक्ल कहते हैं, श्रोता वा पाठक अपनी ओर से आलम्बन का आरोप कर लेता है। कहना न होगा कि श्रोता वा पाठक द्वारा आलम्बन का आरोप अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल व्यक्ति-रूप में ही होगा। कभी-कभी होता यह है कि "पाठक या श्रोता की मनोवृत्ति या संस्कार के कारण वर्णित व्यक्ति-विशेष के स्थान पर कल्पना में उसी के समान धर्मशाली कोई मूर्ति विद्योप आ जाती है।... कहने की आवश्यकता नहीं कि वह कल्पित मूर्ति भी विशेष ही होगी— व्यक्ति की ही होगी।"—( चिन्तामणि, पृ० ३१२ )। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल का काव्य को लेकर विवेकमय सिद्धान्त रस-निरूपण में भी पूर्णतः घटित होता है। इस विवेचन से एक और बात लक्षित होती है, वह यह कि रस के अवयवों की नियोजना में आलम्बन का बड़ा महत्त्व है। आचार्य शुक्ल की भी इस विषय में यही धारणा है, वे केवल इसी के चित्रण द्वारा भी रसानुभूति मानने को तैयार हैं। उनका कहना है—“मैं आलम्बन मात्र के विशुद्ध वर्णन को श्रोता में रसानुभव ( भावानुभव वही ) उत्पन्न करने में पूर्ण समर्थ मानता हूँ।”—( काव्य में प्राकृतिक दृश्य )।

रस के सभी प्रधान अवयवों पर विचार करने के पश्चात् अब विचार इस पर करना है कि इनके द्वारा रसानुभूति का रहस्य क्या है। रसानुभूति के साधक के रूप में वे क्यों और कैसे उपस्थित होते हैं, अर्थात् रस-प्रक्रिया—महत्त्व रस की प्रक्रिया क्या है। रस-निष्पत्ति वा अनुभूति की लोअल्ट का मत प्रक्रिया के विषय में मुनिवर भरत ने केवल इतना ही कहा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से इसकी सृष्टि होती है। इतने से ही विषय का परिपूर्ण उद्घाटन न होने के कारण उनके

पश्चात् कई आचार्यों ने, जिनकी संख्या ग्यारह है, अपनी-अपनी धारणाओं के अनुकूल इस पर विचार किया। इन ग्यारह आचार्यों में से चार—भट्ट लोल्लट, शुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्तपादाचार्य—के मत विचारणीय हैं। भट्ट लोल्लट की दृष्टि से रस की स्थिति अनुकारों वा पात्र में होती है, जिसके रूप रंग, वेत भूषा, नार्य कलाप की बणिका (रोल) में अभिनेता रंग मंच पर उपस्थित होता है। दर्शक अनुकार्य का अनुकरणकर्ता अभिनेता में उसके (अनुकार्य के) रूप व्यापार की नियोजना देख कर उसे (अभिनेता की) ही अनुकार्य के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार अनुकार्य के भावों की 'उत्पत्ति' अभिनेता में हो जाती है। दर्शक इस अवस्था में चमत्कृत हो जाता है, यद्यपि रस की स्थिति अनुकार्य में होती है, जो अभिनेता के रूप में उपस्थित रहता है। भट्ट लोल्लट का यह मत 'उत्पत्तिवाद' के नाम से प्रचलित है। इस मत का यह पक्ष कि श्रोता, दृष्टक वा पाठक में रस की स्थिति नहीं है, ठीक नहीं। भारतीय तथा अभारतीय सभी शिष्ट साहित्य मीमांसकों की यह भावना है कि स्वानुभव दर्शक में होता है। पर उत्पत्तिवाद द्वारा यह अवश्य अग्रगत होता है कि दर्शक में हृदय है और वह—चमत्कार रूप में ही सही—आलम्बन रूप अभिनेता द्वारा कुछ न कुछ प्रभावित अवश्य होता है। 'रस की स्थिति अनुकार्य में होती है, अभिनेता जिसका प्रतिनिधि है'—इसका अर्थ यदि यह लिया जाए कि अभिनव के समय अनुकार्य के रूप, गुण, शील, क्रिया कलाप आदि की अवतारणा (उत्पत्ति) अभिनेता की पट्टावसथ उत्तमे (अभिनेता में) स्त हो जाती है, और वह अनुकार्य के रूप में—(हृदय) बाल्य में बणित आलम्बन के रूप में—उपस्थित होता है, जिसे देख दर्शक चमत्कृत होकर अपने हृदय का रञ्ज करता है, और 'रञ्ज' से 'रमना' का अर्थ गृहीत हो, तो इस मत में विशेष जायति की सम्भारना नहीं प्रतीत होती। इस न्याय में 'रस की स्थिति अनुकार्य में है' का तात्पर्य यह होगा कि वह रस का कारण है।

आचार्य शुक ने भी रस निष्पत्ति के विषय में अपना मत स्थापित किया और वह 'अनुमितिवाद' कहलाया। उन्होंने भी यह प्रतिपादित किया कि रस

की स्थिति अनुकार्य में ही होती है, पर अभिनेता द्वारा उसके आचार्य शुक्ल का अनुकरण से रस की 'उत्पत्ति' नट में नहीं होती, प्रत्युत मत् अनुमान से दर्शक उसे (अभिनेता को) ही नायक वा अनुकार्य मानकर चमत्कृत हो आनन्दित होता है। भट्ट लोब्लट और शंकुक के मत में अंतर यही प्रतीत होता है कि एक रस की उत्पत्ति अभिनेता में मानते हैं और दूसरे 'अनुमिति' से-अभिनेता को नायक के रूप में ग्रहण करते हैं। दोनों ही रस की स्थिति अनुकार्य में प्रतिपादित करते हैं। दर्शक में रस की स्थिति दोनों ही नहीं स्वीकार करते। दर्शक के पक्ष में दोनों की धारणाएँ समान हैं। अनुमितिवाद के विषय में विचार करने पर विदित होगा कि इसमें दर्शक का पक्ष कुछ अधिक आया, उसमें अनुमान करने की शक्ति मानी गई और तत्पश्चात् चमत्कृत और आनन्दित होने की। पर बाधा यह उपस्थित होती है कि रस की स्थिति-उसमें नहीं मानी गई, क्योंकि कुशल दर्शक-अनुमान से भी रस-कोटि के कुछ निकट पहुँच सकता है। इस वाद के अनुकार्य-पक्ष पर विचार करने से शत होता है कि उत्पत्तिवाद की भाँति रस का मूल बही (अनुकार्य ही) है, अंतर केवल इतना ही है कि नट की कला द्वारा अनुकार्य के भाव आदि की अवतारणा (उत्पत्ति) उसमें (नट में) होती है और इस वाद में उसके (कला के) प्रदर्शन पर अनुकार्य का उसमें (नट में) अनुमान। उत्पत्ति की प्रक्रिया लघु और अनुमिति की विस्तृत प्रतीत होती है। पर सूक्ष्मतः दोनों का लक्ष्य प्रस्थान-भेद होते हुए भी एक ही निर्धारित किया जा सकता है। दोनों का लक्ष्य आलंबन-रूप अनुकार्य को अनुकर्ता में स्थापित करके दर्शक में चमत्कार द्वारा आनंद की अनुभूति का प्रतिपादन करना है। रसवाद के यथार्थ स्वरूप की स्थापना इनके पश्चात् के दोनों आचार्यों— भट्ट नायक और अभिनव गुप्तपादाचार्य—ने की। इन्होंने यह स्थापित किया कि रस की स्थिति अनुकार्य में नहीं दर्शक, श्रोता वा पाठक में होती है, जो बुद्धि-संगत सत्य है। यह तो स्पष्ट है कि सभी रस-मीमांसकों के संमुख लक्ष्य-रूप में इत्यकाव्य था। भट्ट नायक ने रस-निष्पत्ति वा स्वानुभूति की प्रक्रिया की पूर्णता के लिए तीन वृत्तियों वा शक्तियों मानीं, जिनके

नाम है—अभिधा, भोजन और भोग । अभिन्न गुणपादाचार्य ने भट्ट नायक की अन्तिम दो वृत्तियों की कल्पना का विरोध यह कहकर किया कि इनको मानने की आवश्यकता क्या है, जब कि इनका काम पहले से ही मानी हुई व्यञ्जना-ज्ञानो वृत्ति से चल जाता है । अभिधा वृत्ति द्वारा मान्य के अर्थ का ज्ञान होता, पाठक वा दर्शक से हो जाता है । इस वृत्ति की सहायता से जागे पढ़ने पर काव्य में ऐसी वृत्ति को स्थापना होती है जिसके द्वारा यह होता, पाठक वा दर्शक के भोगने वा ग्रहण करने योग्य हो जाता है, इसे उद्दान 'भोजक वृत्ति' नाम दिया । पढ़ने की आवश्यकता नहीं की इन दोनों वृत्तियों का सर्वत्र काव्यगत कवि-कर्म से है, जिसके अन्तर्गत उसके हृदय गथा रचानुप्राय-रचना की सन्धिस्थिति समझनी चाहिए, और जिनका लक्ष्य काव्य का पूर्णता होती है । यही इसका भी निर्देश कर दे कि उस सिद्धांत के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का कुछ कुछ वैसा ही पत्र है, जैसा कि आचार्य भट्ट नायक का । जब यद्यपि आचार्य शुक्ल ने उन युक्त वृत्तियों का स्थापना नहीं की है, तथापि इति कर्म के विषय में उनके जो मत हैं, जिनका निर्देश उनके वाच्य-सिद्धांत की विवेचना करते हुए भी किया गया है और उस सिद्धांत की प्रक्रिया की विवेचना करते हुए भी, व भट्ट नायक की 'भोजक वृत्ति' के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है । वस्तुतः भट्ट नायक द्वारा मान्य 'भोजक वृत्ति' का स्थापन कुछ पूर्व-कर्म ही है ।

भट्ट नायक को 'भोग वृत्ति' का सर्वत्र होता, पाठक वा दर्शक से है, यह काव्य के सुनने, पढ़ने वा देखने पर उसके हृदय में जगती है, और यह काव्य के भोग करने योग्य बन जाता है । भोग वृत्ति को मानने के कारण भट्ट नायक का मत 'भुक्तिवाद' के नाम से प्रसिद्ध है । अभिन्न गुणपादाचार्य का मत 'व्युक्तिवाद' वा 'अभिव्यक्तिवाद' कहलाता है । इसका कारण यह है कि उनके मत के अनुसार अपनी शक्ति और वृत्ति द्वारा काव्य होता, पाठक वा दर्शक में घासना रूप में स्थित भाव को जगाकर उसी व्यक्ति या अभिव्यक्ति कर देता है, और यह रस का अनुभव करता है । भोला, पाठक वा दर्शक को उचित में रसकर विचार करने पर हमें भट्ट नायक तथा अभिन्न गुणपादाचार्य के सिद्धांतों में कोई विशेष अंतर नहीं लक्षित होता । यह तो स्पष्ट है कि दोनों एक

की स्थिति श्रोता, पाठक वा दर्शक में मानते हैं। भट्ट-भायक कहते हैं कि भोग-वृत्ति के द्वारा रसानुभूति होती है, जो श्रोता, पाठक वा दर्शक में काव्य के सुनने, पढ़ने वा देखने पर जगती है; अर्थात् काव्य इस वृत्ति को जगता है। कहना न होगा कि जो वृत्ति जगती है उसका अस्तित्व श्रोता, पाठक वा दर्शक में अन्वय है, तभी वह जगती है! अभिप्राय यह कि इस वृत्ति का जगना वस्तुतः भाव के जगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो रसानुभव की प्रथम श्रेणी मानी जा सकती है। आचार्य शुक्ल का भी यही पक्ष है। वे हृदय को अनेक भावात्मक मानते हैं, और काव्य द्वारा इनका उद्बुध होना। तात्पर्य यह कि आचार्य शुक्ल यद्यपि इन दोनों आचार्यों की भौतिक वृत्ति आदि की स्थापना नहीं करते पर श्रोता, पाठक वा दर्शक का भाव-संपन्न तथा काव्य को ग्रहण करने योग्य अवश्य मानते हैं। श्रोता, पाठक वा दर्शक से उनका तात्पर्य ऐसे ही व्यक्ति से है जो मायुक है और रसानुभव के योग्य है। अभिनव गुप्तपादाचार्य का कथन है कि काव्य उन वासनाओं को जगता वा अभिव्यक्त कर देता है जो हृदय में सोई हुई वा अव्यक्त रहती हैं\*। ध्यानपूर्वक विचार करने पर विदित होगा कि मुक्तिवाद में दर्शक आदि की भोग वृत्ति का जगना और अभिव्यक्तिवाद में वासना का जगना वा अभिव्यक्त होना सूक्ष्मतः एक है, दोनों मतों में जगना भाव (वा उसका मूल रूप वासना) ही है और इसको जगानेवाला है काव्य। अतः इस दृष्टि से दोनों मत एक ही लक्ष्य पर पहुँचे हैं। यदि अभिव्यक्तिवाद में काव्य द्वारा वासना अभिव्यक्त होती है तो मुक्तिवाद में भी इसके द्वारा भोग वृत्ति (वा भाव) जगती है अर्थात् वह सब काल में जगी रहती रहती, काव्य के प्रदर्शन, श्रवण वा पठन से ही जगती है। आचार्य शुक्ल की भी यही धारणा है, इसे हम ऊपर देख चुके हैं।

\* अंगरेज समीक्षक एवरक्रॉवी का भी इस विषय में यही मत है—

"But an audience does not go into a theatre in a state of pity and fear. Every one is liable to these emotions, but they are not present unless they are provoked—Lascelles Abercrombie M. A.'s *Principles of Literary Criticism*, p. 109.

इन आचार्यों के इस सिद्धान्त के विषय में एक और बात विचारणीय है। यह है 'साधारणीकरण' का सिद्धान्त। साधारणीकरण का प्रश्न इस रूप में उठा कि काव्य—प्रायः दृश्यकाव्य—में ऐसे व्यक्तियों का भी वर्णन साधारणीकरण— होता है तब प्रती दृश्यक, श्रोता वा पाठक की पूज्य भावना भट्ट नायक और हाती है इस स्थिति में इन व्यक्तियों के अङ्गार आदि के आचार्य शुक्ल का मत व्यापार का ग्रहण स्व-रूप में दर्शक आदि जैसे कर सकते हैं। इस उल्लेख से तुल्यताते हुए भट्ट नायक न यह प्रतिपादित किया कि भोजक वृत्ति द्वारा पूज्य भावना के जालम्बन (वा अर्थकारी व्यक्ति) अपने विषय (पूज्य भावना वा जालम्बनत्व) का त्याग करके 'साधारण' रूप में उपस्थित होते हैं। वे ध्वनिमात्र रह जाते हैं—किसी भी विशेषता के आरण का त्याग करके। अभिप्राय यह कि साधारणीकरण में सुखा साधन भोजक वृत्ति है। हम ऊपर इसकी विवेचना कर चुके हैं कि यह वृत्ति सफल कवि रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसका निश्चय यह कि साधारणीकरण कवि रस साधन है, अर्थात् कवि अपनी कला द्वारा जालम्बन को इस रूप में उपस्थित करे कि वह सभी दर्शक, श्रोता वा पाठक को साधारण रूप में प्रतीत हो। आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण के विषय में भट्ट नायक की ही धारणा है। उनका कथन है—“यद्यत्किञ्चिन्न भाव का कोटि विषय दृश्य रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः करके उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक उसमें सखोदीवन की पूर्ण शक्ति नहीं जाती। इस रूप में लाया जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण' कहलाता है”—(चिन्तामणि, पृ० ३०८)। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा है कि “साधारणीकरण जालम्बनत्व धर्म का होता है।”—(वही, पृ० ३१३) इस रूप में साधारणीकरण होने के कारण ही एक काव्य अनेक जनों को एक साथ रसानुभूति कराता है। आचार्य शुक्ल ने वा इस विषय में वही धारणा है।—(देखिए चिन्तामणि, पृ० ३०८)। यहाँ इसका निदर्श कर देना जतिप्रसंग न होगा कि साधारणीकरण उपस्थित करने में कवि रस की वे सभी कलाएँ अपेक्षित हैं जिनकी विवेचना, आचार्य शुक्ल ने दृष्टि से, ऊपर हो चुकी है।

साधारणीकरण के विषय में अभिनव गुप्तदासचार्य का मत इससे भिन्न

है। उनका कथन है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का नहीं होता, साधारणीकरण दर्शक, श्रोता वा पाठक का हृदय करता है। अभिनव गुप्तपादा- इसका अभिप्राय यह कि आलंबन चाहे कैसा भी हो दर्शक चार्थ का मत आदि के हृदय की एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें वह उसको साधारण समझता है—किसी भी विशेषता से मुक्त।

पर स्मरण यह रखना चाहिए कि अभिनव गुप्तपादाचार्य भी हृदय में वासोना-रूप में स्थित भाव को जगाने की प्रथम क्रिया काव्य वा आलंबन द्वारा ही मानते हैं अतः यदि यह माना जाय कि साधारणीकरण हृदय करता है तो भी आलंबन इसका मूल कारण ठहरता है, क्योंकि उक्त अवस्था तक श्रोता, पाठक वा दर्शक काव्य को पढ़कर ही पहुँचता है। यही इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि इस मत के अनुसार साधारणीकरण करनेवाला हृदय सामान्य व्यक्ति का न होगा। ऐसे असामान्य व्यक्तियों का होगा जो गिने-चुने होते हैं, पर काव्य केवल गिने-चुने लोगों को ही रसानुभव नहीं कराता। इसलिए भट्ट नायक का यह प्रतिपादन कि भोजक वृत्ति द्वारा दर्शक, श्रोता वा पाठक का हृदय सख, रज और तम गुणों में से अंतिम दोनों से मुक्त होकर केवल सखगुणमय रह जाता है, सर्वसुलभ तथा सर्वबोधगम्य प्रतीत होता है।

साधारणीकरण के सिद्धांत की विवेचना करते हुए वह भी विचारणीय है कि किन अवस्थाओं में रसानुभव के उपयुक्त साधारणीकरण हो सकता है।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इसके लिए आलंबन का अनेक रसानुभवके उपयुक्त श्रोता, पाठक वा दर्शक के लिए सामान्य ( कॉमन ) होना साधारणीकरण की अत्यावश्यक है। इस सामान्यत्व ( कामननेस ) की स्थापना के अवस्था कई हेतु हो सकते हैं। आलंबन के प्रति श्रोता, पाठक वा दर्शक स्वाभाविक आकर्षण, उसकी लोकगत स्थािति, अथवा उस के विधान वा चित्रण में कवि-कौशल आलंबन के सामान्य रूप में श्रोता, पाठक वा दर्शक के संमुख आने के प्रधान कारण हैं। ताल्पर्य यह है कि साधारणीकरण के लिए आलंबन का ऐसा आकर्षण भरा होना आवश्यक है कि वह मनुष्य-मात्र के किसी भाव का विषय ( वा आलंबन ) हो सके। आचार्य शुक्ल की भी धारणा इस विषय में यही है।—(देखिए काव्य में रहस्यवाद, पृ० ६०-६१)।



सो तत्रा पुनश्च के द्याभास्त पारस्परिक आसर्पण के कारण ही प्रेम वा श्रु गार-  
 नात्र का आधिक्य सत्र प्राप्त होता है। प्रेम वा श्रु गार के अतिरिक्त अन्य  
 भाव के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आसर्पण-समुपमात्र के भावों का  
 पात्र हो सके। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि रीतिरस की अनुभूति के लिए यह  
 आवश्यक नहीं है कि आसर्पण का जालन सभी के क्रोध का आलन स्वभावात्  
 हो, प्रत्युत इसके लिए यह आवश्यक है कि उसकी (जालन की) मूला,  
 जगत्, उसका प्रवृत्त आदि इस रूप का हो कि मनुष्यमात्र के क्रोध का  
 जालन वा पत्र न सके।— देखिए वही) यहाँ आसर्पण में आसर्पण  
 का वैशिष्ट्यता की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक है उसमें ऐसे क्रम  
 की स्थाना की जो मनुष्यमात्र के भाव का त्रिपय हा सने, चाहे आलन  
 अशक्ति हो क्या न हो। रसानुभूति के उपयुक्त साधारणीकरण के लिए  
 एक जगत् तत्र वा होना अत्यावश्यक है, यह है आसर्पण का आलन, अर्थात्  
 आसर्पण की भाव व्यञ्जना ऐसे पात्र के प्रति हो जो प्रकृत सभा धाता, पाठक  
 वा दशक के भाव का आलन हो सके। आलन ऐसा न हो कि आसर्पण के  
 भाव का पात्र न जाय और किसी धाता आदि के भाव का न न सके।  
 आचार्य शुक्ल कहते हैं— "यदि भाव व्यञ्जना में भाव अनुचित है, ऐसे के प्रति  
 है जगत् के प्रति न होना चाहिए, तो 'साधारणीकरण' न होगा, अर्थात् धाता  
 वा पाठक का हृदय उस भाव की स्वात्मक अनुभूति प्रवृत्त न करेगा, उस भाव  
 में गीन न होगा।"। इदौराला भाषण, पृ० ३७ और देखिए, चिन्तामणि,  
 पृ० ३०९)। इस विवेचन का अभिप्राय यह कि रसानुभूति के उपयुक्त  
 साधारणीकरण के लिए आलन की उपयुक्तता भी आवश्यक है।

अब विचारणीय यह है कि रसानुभूति का स्वरूप क्या है। इस विषय में  
 प्राचीन साहित्यमीमांसका जगत् आचार्य शुक्ल में मत वैमिथ्य उत्पन्न होता है।

प्राचीन आचार्यों ने रसानुभूति को 'जानदमय', प्रयानद  
 रसानुभूति का स्वरूप-सहोदर', 'लोकोत्तर' आदि रूपा में प्रतिपादित किया है।  
 प्राचीन भाषणों तथा आचार्य शुक्ल की धारणा यह है कि रसानुभूति का  
 आचार्य शुक्ल में मत इस रूप में ग्रहण देख 'अर्थवाद के रूप में' है।  
 वैमिथ्य रसानुभूति वा रसानुभूति की प्रतिष्ठा वा गौरव का

स्थापना के लिए इसे ये विशेषण दिए गए हैं । इस विषय में उनका अपना मत यह है कि काव्यानुभूति वा रसानुभूति वस्तुतः “जीवन के भीतर की ही अनुभूति है” ( देखिए काव्य में रहस्यवाद, पृ० ८१-८२ ) ; उससे बाहर वा परे की नहीं । “इसलिए यह धारणा कि शब्द, रंग या पत्थर के द्वारा जो अनुभूति उत्पन्न की जाती है केवल वही काव्यानुभूति हो सकती है, ठीक नहीं ।”—( वही, पृ० ८ ) । इस विषय में आचार्य शुक्ल की धारणा सर्वत्र ऐसी ही रही है । इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि उन्होंने इसे लोकानुभूति वा जीवन की अनुभूति के समान ही ग्रहण किया है तथापि वे भी इसके साथ ‘उदात्त और अवदात्त’ विशेषण जोड़ते हैं । इस उद्धरण से रसानुभूति के विषय में आचार्य शुक्ल की सारी मान्यताएँ स्पष्ट हो जायेंगी—“रसानुभूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सर्वथा पृथक् कोई अंतर्दृष्टि नहीं है वरिष्ठ उसी का एक उदात्त और अवदात्त स्वरूप है ।”— ( चिन्तामणि, पृ० ३४४ ) । अभिप्राय यह कि रसानुभूति है तो जीवन की अनुभूति के सदृश ही, पर उसमें कुछ वैशिष्ट्य अवश्य है । प्रतीत ऐसा होता है कि जिसे आचार्य शुक्ल उदात्त और अवदात्त कहते हैं प्राचीन भीमासकों ने उसी को महत्त्व देने के लिए लोकोत्तर आदि, के रूप में ग्रहण किया । पर आचार्य शुक्ल के पक्ष की स्पष्टता के लिए यहाँ एक बात का निर्देश कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । आरंभ में ही हम कह चुके हैं कि काव्य तथा रस का घनिष्ठ सम्बन्ध है । एक स्थान पर काव्य के विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा है—“मनोमय कोश ही प्रकृत काव्य-भूमि है, यही हमारा पक्ष है ।”— ( काव्य में रहस्यवाद, पृ० ३७ ) । इस प्रकार रस का संबंध भी, उनकी दृष्टि से, इसी कोश से है । यह मनोमय कोश क्या है । वेदांत-शास्त्रियों की धारणा है कि मनुष्य में पंच कोशों की स्थिति है—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विशानमय और आनन्दमय । यहाँ हमारा तात्पर्य केवल तृतीय और पंचम कोश से है । पंच ज्ञानेन्द्रिय ( बाह्यकरण ) और मन ( अंतःकरण ) को मनोमय कोश कहते हैं । वहीं कोश अधिष्ठा-रूप है और इसी से सासारिक विषयों की प्रतीति होती है । सर्वगुणविशिष्ट परमात्मा के आवरक ( आवछादक ) का नाम आनन्दमय कोश है । जो रस-भीमासक वस्तुतः रस को ब्रह्मानन्द-संशोद्धर, आनन्द-

मय, लोकोत्तर आदि रूप में ग्रहण करते हैं उनकी धारणा के अनुसार रस का पूर्ण अनुभूति इसी आनन्दमय कोश में होती है। पर आचार्य शुक्ल की दृष्टि से रस की पूर्ण अनुभूति मनोमय कोश में ही हो जाती है आनन्दमय कोश तक पहुँचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह बात काव्य-संरधी उनके ऊपर के उद्धारण से स्पष्ट है। मनोमय कोश में ही रस की सिद्धि हो जाने के कारण ही वे रसानुभूति को 'प्रत्यक्ष वा यास्तविक अनुभूति' से भिन्न अनुभूति नहीं स्वीकार करते।

मूलतः रसानुभूति वा रस दशा क्या है, अब इसे देखें। कवि वाणी द्वारा काव्य की श्रोता, पाठक या दर्शक तक पहुँचता है—*निर्घा न निघी उद्देश्य से* ही। यदि विचार किया जाय तो विदित होगा कि उसके रसानुभूति वा रस-उद्देश्य के मूल में यही भावना निहित रहती है कि श्रोता, दशा का स्वरूप पाठक या दर्शक का हृदय उसके काव्य से प्रभावित हो,

कुछ न कुछ प्रभाव ग्रहण करे। रसानुभूति वा रसानुभूति

आदि इस प्रकार के ही उच्च या निम्न रूप वा उसकी मात्राएँ (डिग्रिज) हैं। आचार्य शुक्ल की दृष्टि से भी मन का किसी भाव में रमना और हृदय का उससे प्रभावित होना ही रसानुभूति है।—(देखिए काव्य में रहस्यवाद, पृ० ५७)। रस-दशा के विषय में आचार्य शुक्ल ने मुख्यतः तीन बातें कही हैं। एक तो यह कि वे इस दशा को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने पराये के भेद-भाव से छूटकर अनुभूति मात्र रह जाता है वा काव्य द्वारा उपस्थित भाव का ही अनुभव करता है और किसी वस्तु का नहीं।—(देखिए चिन्तामणि पृ० १९२ और दूसरेखाला भाषण, पृ० ४१)। इस विषय में दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि रस-दशा वा रसानुभूति की अवस्था में व्यक्ति-हृदय लोक-हृदय में लीन हो जाता है। इस अवस्था का वे 'भाव की परित्र भूमि' वा 'पुनीत रसभूमि' कहते हैं। व्यक्ति-हृदय का लोक-हृदय में लीन होने से आचार्य शुक्ल वा अभिप्राय है मनुष्यमात्र के लिए सामान्य आलम्बन में श्रोता, पाठक या दर्शक के हृदय का लीन होना। जिस सामान्य आलम्बन में मनुष्यमात्र का हृदय लीन होता है उसमें एक श्रोता, पाठक या दर्शक के हृदय का लीन होना वे लोक-हृदय में व्यक्ति-हृदय का लय होना

मानते हैं, और इस अवस्था की अनुभूति को रस-दशा की अनुभूति स्वीकार करते हैं।—(देखिए चिन्तामणि, पृ० ३०८-३०९ और काव्य में रहस्यवाद, पृ० २, ६०)। विचार करने पर शायद होता है कि रस दशा को हृदय की मुक्तावस्था मानना तथा लोक हृदय में व्यक्ति हृदय का लीन होना स्वीकृत करना सूक्ष्मतः एक ही बात है, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में लोक के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध की भावना का परिहार या त्याग अपेक्षित है। अँगरेज समीक्षक रिचर्ड्स भी सौन्दर्य ग्रहण (एस्थेटिकरिस्पॉन्स) की अवस्था को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। उनका भी कथन है कि इस दशा में लोकगत वैयक्तिक सम्बन्ध का त्याग हो जाता है।

\* With the preliminary disavowal of undue certainty we may proceed. The equilibrium of opposed impulses, which we suspect to be the ground-plan of the most valuable aesthetic responses, brings into play far more of our personality than is possible in experiences of a more defined emotion. We cease to be orientated in one definite direction; more facts of the mind are exposed and, what is the same thing, more aspects of things are able to effect us. To respond, not through one narrow channel of interest, but simultaneously and coherently through many, is to be 'disinterested' in the only sense of the word which concerns us here. A state of mind which is not disinterested is one which sees things only from one standpoint or under one aspect. At the same time since more of our personality is engaged the independence and individuality of other things becomes greater. We seem to see 'all round' them, to see them as they really are; we see them apart from any one particular interest which they may have for us. Of course without some interest we should not see them at all, but the less any our particular interest is indispensable, the more 'detached' our attitude becomes. And to say we are 'impersonal', is merely a curious way of saying that one personality is more 'completely' involved.

—I. A. Richards's *Principles of Literary Criticism*, P. P. 251-252.

रस रसना के सम्बन्ध में सीसरी बात कहने के पूर्व आधुनिक काल में प्रचलित एक साहित्यिक वाद के विषय में कुछ निदेश कर देना आवश्यक है। इस युग में पाश्चात्य साहित्य के अन्तर्गत सौन्दर्यावाद (एस्थेटिसिज्म) की प्रचुर विवेचना हुई और इसका प्रचार भी सुरू रहा। हिन्दी साहित्य में भी इसके विषय में चर्चा प्रायः हुआ करती है। सौन्दर्यानुभूति (एस्थेटिक एक्सपीरियंस) के विषय में आचार्य शुक्ल ने जो विवेचना की है उससे विदित होता है कि वे इस अनुभूति को भी रसानुभूति के रूप में ही ग्रहण करते हैं। सौन्दर्य रूप व्यापार, कम जाति को देखकर 'अन्तःसत्ता' की उनमें 'तदानीपरिणति' को वे सादर्यानुभूति कहते हैं—“कुछ रूप-रंग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन में जन्मे ही थोड़ी देर के लिये हमारा सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उतना सज ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अन्तःसत्ता की यही तदानीपरिणति सौन्दर्य की अनुभूति है।”—(चिन्तामणि, पृ० २२४-२२५)। कहना न होगा कि हमारी सत्ता पर उन रूप-रंगयुक्त वस्तुओं का अधिकार कर लेना उनके द्वारा हमारा प्रभावित होना ही है और तदानीपरिणति उनमें लीन होना या रमना। अतः सौन्दर्यानुभूति की अवस्था रसदशा से समान ही होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि आचार्य शुक्ल ने रसदशा के विषय में मुख्यतः तीन बातें कही हैं, परन्तु उनमें कोई भेद नहीं है, उनका अर्थ एक ही है।

आचार्य शुक्ल की दृष्टि से हम इस पर विचार कर चुके हैं कि रसानुभूति का रसानुभूति जीवनगत प्रत्यक्ष वा वास्तविक अनुभूति के अतिरिक्त और किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती। हाँ उसका स्वरूप दुःखात्मक भावों की इस अनुभूति से उदात्त और अव्यक्त अवश्य होता है। रसानुभूति दुःखमय इस स्थिति में विचारणीय यह है कि नाश्वगत दुःखात्मक इस दुःख की भावों का अनुभूति दुःखमय होगी अथवा जान हमें, क्योंकि रसानुभूति जानने में वे भाव प्रतिकूलनेनीय ही होते हैं। इस विषय में आचार्य शुक्ल का मानना यह है कि नाश्वगत दुःखात्मक भावों की अनुभूति जीवन की अनुभूति के समान दुःखमय ही होता है, क्योंकि

करुणरस के काव्य वा नाटक पढ़ने वा देखने पर आँसू का आना मनोविज्ञान की दृष्टि से दुःखानुभूति का ही लक्षण (सिग्ण) है। उनका कथन है कि ऐसी अवस्था में “यह कहना कि ‘आनन्द में भो तो आँसू आते हैं’ केवल यातनालना है। दर्शक वास्तव में दुःख ही का अनुभव करते हैं।” — (देखिए चिन्तामणि, पृ० ३४१-४२)। अभिप्राय यह है कि वे काव्यगत दुःखात्मक भावों की अनुभूति दुःखमय ही मानते हैं। वेनिडीटो क्रोसे की भी यही धारणा है कि काव्यगत भावों की अनुभूति सुखात्मक और दुःखात्मक दोनों होती है। (देखिए इष्टीरवाला भाषण, पृ० ४०-४१) आचार्य शुक्ल का कथन यह है कि काव्यगत दुःख की अनुभूति दुःखात्मक तो अवश्य ही होती है, पर “हृदय की मुक्त दशा में होने के कारण वह दुःख भी रसात्मक होता है।” — (चिन्तामणि, पृ० ३४२)। यहाँ रसात्मक से तात्पर्य “भोग्य” से है। इस विषय में भी आचार्य शुक्ल का पक्ष बड़ा सटीक प्रतीत होता है। बात यह है कि परिस्थितिवश दुःखात्मक तथा सुखात्मक दोनों प्रकार के भावों में लीन होनेवाले व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि ‘मुझे रोने दो, रोने में ही सुख मिलता है’ का तात्पर्य यही है कि दुःख भी उन्हें परिस्थिति विरोध में अनुकूलवेदनीय प्रतीत होता है, और इसका कारण है उसमें उनकी तन्मयता।

यह हमें विदित है कि रस की स्थिति श्रोता, पाठक वा दर्शक में होती है। उसमें रस की अनुभूति के लिए ग्राहक कल्पना की भी आवश्यकता है, इसे भी हम देख चुके हैं। कवि में विभागीय कल्पना होती है कवि की रसोन्मुख और वह अपनी भावुकता (इसे हम इस स्थान पर काव्य-अवस्था रचना की चाह के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं) के कारण इस कल्पना को रूप-विधान की ओर प्रवृत्ति करके काव्य प्रस्तुत करता है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि “.....कवि अपनी स्वभावगत भावुकताकी जिस उमंग में रचना करने में प्रवृत्त होता है और उसके विधान में तत्पर रहता है, उसे यदि हम कुछ कहना चाहें तो रस-प्रवणता या रसोन्मुखता कह सकते हैं।” — (काव्य में रहस्यवाद, पृ० ७९)।

अभिप्राय यह कि प्रस्तुत हो जाने पर काव्य रसात्मक तो होता ही है, उसकी रचना के समय कवि भी रसो-मुख अवस्था में रहता है। वस्तुतः काव्य-रचना ही उमंग में उमंग तमयता ही रसो-मुखता है, जिसे हम पूर्ण रस-दशा तो नहीं कह सकते, पर इस अवस्था में भी कुछ क्षण ऐसे आया करते हैं जिनमें रसात्मकता का आभास जगदय मिलता रहता है।

स्वानुभूति की प्रक्रिया पर शास्त्रीय दृष्टि से भी विचार कर लेना चाहिए। 'रस' जो भारतीय प्राचीन आचार्यों ने व्यक्त कहा है। इन आचार्यों का पक्ष यह है कि काव्य में जिन भावों और वस्तुओं की व्यञ्जना व्यञ्जक वाक्य मरस होती है वे भाव वा वस्तु श्रोता, पाठक वा दर्शक को रस भूमि पर पहुँचाते हैं। आचार्य शुक्ल की मान्यता है कि "व्यञ्जना में अर्थात् व्यञ्जक वाक्य में रस होता है।"—(काव्य में रहस्यवाद, पृ० ६९) अर्थात् किसी काव्य द्वारा ध्वनित यह तथ्य कि 'अमुक क्रुद्धा, मोघ वा प्रेम कर रहा है' रस नहीं है प्रत्युत वाक्यमयी वाणी ही यह कुछ है, उक्ति ही सब कुछ है, जो स्वानुभूति कराती है।—(देखिए काव्य में रहस्यवाद, पृ० ६८-६९)। आचार्य शुक्ल व्यञ्जक वाक्य को ही काव्य भी मानते हैं, काव्य पर विचार करते हुए हम इसे भी देख चुके हैं। आचार्य शुक्ल की यह मान्यता यों भी व्यक्त की जा सकती है कि काव्य-शरीर ही काव्य की आत्मा का अनुभव कराता है, उसकी आत्मा तक पहुँचने की-मार्ग उसका शरीर ही है। जहाँ तक उनकी इस धारणा का सम्बन्ध है कि 'उक्ति ही कविता है' वहाँ तक वे भारतीय समीक्षा के 'रीतिवाद' के निवृत्त प्रतीत होते हैं, जिसका प्रतिपाद यह है कि 'रीति ही काव्य की आत्मा है'—'रीतिरात्मा काव्यस्य'। पर हमें इसे भी नहीं भूल जाना चाहिए कि वे रीति जो काव्य की आत्मा नहीं मानते, प्रत्युत रस को मानते हैं। आचार्य शुक्ल भी रसवादियों ही हो श्रेणी में आते हैं। अभिप्राय यह कि वे काव्य की रीति के समर्थक तो हैं, पर उसे ही उद्यकी आत्मा नहीं स्वीकार करते। उनकी दृष्टि में काव्य की आत्मा रस ही है।

जब विचारणीय यह है कि 'रस व्यञ्ज्य होता है' अथवा व्यञ्जना में अर्थात् व्यञ्जक वाक्य में रस होता है जिस (प्रथम) पक्ष का आचार्य शुक्ल

ने विरोध किया है उसमें तथा उनके पक्ष में हमें कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि उन्होंने काव्य में जिस उक्ति का प्रतिपादन किया है, उसका विरोध प्राचीन रसवादी वा ध्वनिवादी करते नहीं दिखाई पड़ते। वे भी काव्य-कला को तो स्वीकार करते ही हैं, इसी के द्वारा रस की व्यंजना होती है, अर्थात् व्यंजक काव्यमय वाक्यों से रस, जो ध्वन्य है, की प्रतीति होती है। ध्यानपूर्वक विचार करने पर विदित होता है कि रसवादी सम्प्रदाय भी आचार्य शुक्ल की भाँति ही काव्य की उक्ति की मान्यता अस्वीकार नहीं करता, वह काव्यगत भाव की व्यंजना को रस मानता है, जो उक्ति द्वारा साध्य है। 'रस ध्वन्य है' इसका अर्थ आचार्य शुक्ल यह लेते हैं कि काव्य में जिस भाव की व्यंजना होती है वही भाव रस है, काव्य में शृंगार की व्यंजना हुई, तो प्रेम भाव रस हुआ। इस पक्ष के समर्थन में यह कहा जा सकता है कि काव्य में वर्णित प्रेम का अनुभव पाठक, श्रोता वा दर्शक उसकी व्यंजना होने पर प्रेम भाव के ही रूप में करता है, क्योंकि रस रूप में प्रेम-भाव का ध्वन्य होना रस वा काव्य-संभार वा उपकरण के द्वारा श्रोता, पाठक वा दर्शक पर इस भाव के समन्वित प्रभाव (टोटल इंप्रेशन) के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। व्यंजक वाक्यों की रस-रूप में अनुभूति भी इसी प्रभाव के ढंग की ही होती है। इस प्रकार हमें विदित होता है कि जिस रसवाद का आचार्य शुक्ल ने विचार किया है वह भी विचारणीय है।

ऊपर काव्यानुभूति की चर्चा के साथ रस वा भाव-व्यंजना और वस्तु-व्यंजना की बात आई है। यहाँ इसे भी देख लेना चाहिए कि इन व्यंजनाओं की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि वाच्यार्थ से ध्वन्यार्थ तक पहुँचने व्यंजना की प्रक्रिया पर ही व्यंजना होती है। बोध की जिस प्रक्रियावश वाच्यार्थ से ध्वन्यार्थ तक पहुँचा जाता है, उसे दृष्टि में रखकर व्यंजना के दो रूप निर्धारित किए गए हैं—संलक्ष्यक्रम और असंलक्ष्यक्रम। वस्तु-व्यंजना संलक्ष्यक्रम की प्रक्रिया से और भाव-व्यंजना असंलक्ष्यक्रम की प्रक्रिया से होती है। व्यक्तिविवेककार अहिंसा अग्र (जो नैयामिक थे) ने व्यंजना पर विचार करते हुए कहा है कि वाच्यार्थ से ध्वन्यार्थ तक पहुँचने की प्रक्रिया अनुमान द्वारा होती है। विचार करने पर विदित होता है कि वस्तु-व्यंजना में महिम



भट्ट द्वारा प्रतिपादित अनुमान का कोटि-रूप मटीक उतरता है, पर भाव-व्यञ्जना में यह लागू नहीं होता, क्योंकि भाव का स्व ही व्यञ्जना में धोता, पाठक का दर्शक फाल्गु को सुन, पद का देखकर अनुमान कर्म के पश्चात् उसका (भाव का स्व का) अनुभव नहीं करता, इसमें अनुमान का कोटि-रूप नहीं प्रतिष्ठित होता, क्योंकि इसकी व्यञ्जना की प्रक्रिया यही ही तीव्र-गति से जानना का सम्पादन करती है। श्रोता, पाठक का दर्शक का स्व को सुनने, पढ़ने का देखने के साथ ही तुरत व्यञ्जना की कोटि पर पहुँच जाता है। उसके मन में अनुमान की प्रक्रिया होती तो है पर इतनी तीव्रगति में कि उसका पता नहीं चलता। इसी से भाव-व्यञ्जना असल्परम व्यञ्जना के अन्तर्गत रखी गई है। आचार्य शुक्ल की भी यही धारणा है कि वस्तु व्यञ्जना में तो अनुमान की प्रक्रिया उचित प्रतीत होती है, पर भाव-व्यञ्जना में नहीं।— (देविण्ट इदीरसाय भाष्य, पृ० १०)। प्रस्तुत बात यह है कि वस्तु व्यञ्जना में जैसे आचार्य-से व्यञ्जना तक पहुँचा जाता है वही बात भाव-व्यञ्जना का स्व व्यञ्जना में नहीं होती। भाव-व्यञ्जना में हृदय किंवा तप्य के बीच से चमत्कृत नहीं होता, प्रस्तुत-उप भाव का-स्व में हीन होता है। अतः भाव-व्यञ्जना वस्तु-व्यञ्जना की भेति अनुमानाधिन यह।

स्व का स्थानुमति का सत्स्वरूप सर्वत पूर्ण (अन्वोल्पूट) मानना चाहिये। उसमें भेद करके उसकी श्रेणी (विशेष) स्थापित करना उसकी पूर्णता और अप्रकृतता से छेड़तानी करना ही होगा। स्व की कोटियाँ ज्ञान के क्षेत्र में जैसे प्रकृत अप्रकृत और पूर्ण (इतिभिजिरल एड अन्वोल्पूट) है वैसे ही साहित्य का ज्ञान के क्षेत्र में स्व का रसाभूति का भी अप्रकृत और पूर्ण स्वीकार किया जा सकता है। प्रतीत ऐसा होता है कि समा अप्रकृतता और पूर्णता की मान्यता के कारण ही प्राचीन भारतीय समीक्षकों ने इसकी श्रेणियाँ नहीं स्थापित कीं। इसकी अनुभूति का स्व पूर्णता और अप्रकृतता का ही हम इसका महत्त्व मानते हैं, क्योंकि

ॐ इयं विषय में विशेष अभिज्ञान के लिए देविण्ट—५० विद्वन्नाथप्रसाद मिश्र कुन 'वाङ्मय विमर्श', पृ० ११५—१२०।

यह स्वतः अपने में पूर्ण है । यद्यपि वस्तुस्थिति ( रीचलिटी ) यह है तथापि काव्य वा साहित्य के पटन-पाटन द्वारा विदित होता है कि रस की पूर्ण अनुभूति के अतिरिक्त हमें कुछ अनुभूतियों ऐसी भी होती हैं जो इसके ( रसानुभूतिसे ) निम्न श्रेणी में रखी जा सकती हैं । आचार्य शुक्ल ने इसी अनुभव के आधार पर रस की श्रेणियों नियत की हैं । उनकी तो यह धारणा है कि "दो प्रकार की अनुभूति तो लक्षण-ग्रंथों की रस-व्यक्ति के भीतर ही, सूक्ष्मता से विचार करने से, मिलती हैं—( १ ) जिस भाव की व्यंजना हो उसी में लीन हो जाना । ( २ ) जिस भाव की व्यंजना हो उसी भाव में लीन तो न होना; पर उसी व्यंजना की स्वाभाविकता और उत्कर्ष का हृदय से अनुभूत करना ।"—( देखिए काव्य में रहस्यवाद, पृ० ५९-६० ) । द्वितीय प्रकार की अनुभूति का प्रभाव को वे मध्यम कोटि में रखते हैं । कहना न होगा कि भाव-व्यंजना की स्वाभाविकता और उत्कर्ष का हृदय से यह अनुभूतन काव्य-संज्ञा ( पौष्टिक धर्म-सिद्धान्त ) के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो श्रोता, पाठक वा दर्शक की काव्य-के प्रति-सुगंधता-का परिणाम होता है ।

रस की कोटियों स्थापित करने के लिए आचार्य शुक्ल की दृष्टि में कई बातें उपरिष्ठत थे । उनका कथन है कि यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो भाव की तीन दशाएँ निर्धारित होती हैं—क्षणिक दशा, शील-दशा और शील-दशा । उनका मत है कि "किसी भाव की क्षणिक दशा एक अवसर पर 'एक आलंबन के प्रति होती है' और इसकी अनुभूति मुक्तक रचनाओं में की जाती है । आचार्य शुक्ल भाव की क्षणिक दशा का संबंध मुक्तक रचनाओं से ही जोड़ते हैं ।

भाव की स्थायी दशा के विषय में आचार्य शुक्ल की मान्यता यह है कि वह "अनेक अवसरों पर एक ही आलंबन के प्रति होती है ।" इसकी स्थिति वे प्रबंध-काव्यों में वतलाते हैं । शील दशा के विषय में उनका मत है कि वह "अनेक अवसरों पर अनेक आलंबनों के प्रति होती है ।" इसकी अनुभूति पान्ना के चरित्र-चित्रण में होती है ।—( देखिए इंदिरवाला भाषण पृ० ८४-८५ ) । भाव की शील-दशा को अनुभूति को आचार्य शुक्ल रसानुभूति की मध्यम कोटि

मानते हैं, जिस पर प्राचीन भारतीय समीक्षका ने विचार नहीं किया है। आचार्य शुक्ल की इस पर अपनी मौलिक विवेचना है।

हमें यह विदित है कि रसानुभूति के लिए आचार्य शुक्ल और प्राचीन समीक्षक भी श्रोता, पाठक या दर्शक का काव्य वर्णित आश्रय के साथ तादात्म्य तथा आलंबन के साथ उसका साधारणीकरण आवश्यकत्व की मध्यम कोटि रखते हैं। इस स्थिति में ही गई रसानुभूति तो उच्च कोटि की होगी। आचार्य शुक्ल का पक्ष यह है कि इसके अतिरिक्त एक मध्यम कोटि की भी रसानुभूति होती है जिसमें "किसी भाव की व्यञ्जना करनेवाला, कोई मिया या ब्यारार करनेवाला पात्र भी शील की दृष्टि से श्रोता (या दर्शक) के किसी भाव का—जैसे, भ्रदा, भाँत, घृणा, राग, अस्वाभाव, कुतूहल या अनुराग का—आलंबन होता है।" — (चिन्तामणि, पृ० ३१५)। उस की इस स्थिति में श्रोता, पाठक या दर्शक के हृदय में उस भाव का उद्बोधन नहीं होता जिस भाव की व्यञ्जना आलंबन रूप में आया पात्र किसी अन्य पात्र के प्रति करता है, अर्थात् श्रोता, पाठक या दर्शक का हृदय आलंबन के रूप में चित्रित पात्र के हृदय से भिन्न स्थिति में वतमान रहता है। इसे जो कहिए कि आलंबन के साथ साधारणीकरण और आश्रय के साथ तादात्म्य सब की इस कोटि में नहीं होता; श्रोता, पाठक या दर्शक किसी दूसरे ही भाव का अनुभवन करता है और आलंबन व्यञ्जना करता है किसी दूसरे ही भाव की। "ऐसी दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य या रसानुभूति न होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शील-द्रष्टा या प्रकृति-द्रष्टा के रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा।" — (चिन्तामणि, पृ० ३१६)।

यह हम देव चुके हैं कि रसानुभूति के लिए आश्रय के साथ श्रोता, पाठक या दर्शक का तादात्म्य तथा आलंबन के साथ उसका साधारणीकरण आवश्यक है। प्रत्यक्ष तो नहीं पर परोक्ष रस की मध्यम दशा में भी यह बात देती जाती है। यह तो स्पष्ट है कि रस की इस कोटि में भी भाव-व्यञ्जना करनेवाले पात्र के प्रति श्रोता, पाठक या दर्शक का कोई भाव अवश्य उद्बुद्ध रहता है, अर्थात् काव्य में वर्णित भाव का आश्रय श्रोता, पाठक या दर्शक

का आश्रय नहीं होता, प्रत्युत वह उसका आलंबन हो जाता है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि ऐसी स्थिति में "तादात्म्य कवि के उस अव्यक्त भाव के साथ होता है जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संघटित करता है। जो स्वरूप-कवि अपनी कल्पना में लाता है उसके प्रति उसका कुछ न कुछ भाव अवश्य रहता है। वह उसके किसी भाव का आलंबन अवश्य होता है। अतः पात्र का स्वरूप कवि के जिस भाव का आलंबन रहता है, पाठक वा दर्शक के भी उसी भाव का आलंबन प्रायः हो जाता है।" — (चिन्तामणि; ३१५)। आलंबन और आश्रय की इस प्रकार स्थापना के पश्चात् साधारणीकरण और तादात्म्य की प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती दिखाई पड़ती। इतने विवेचन से यह तो स्पष्ट ही हो गया होगा कि रस की मध्यम कोटि की अनुभूति का सम्बन्ध काव्यगत पात्रों के चरित्र-चित्रण वा शील-निरूपण से ही बिहोप है। कुपात्र जब सुपात्र के प्रति ऐसे भाव की व्यञ्जना वा कार्य-स्थापना (हरकत) करता है जैसे का वह (सुपात्र) पात्र नहीं होता तब कुपात्र के प्रति विरोधी भाव तथा सुपात्र के प्रति अनुकूल भाव का उद्बोधन श्रोता, पाठक वा दर्शक के हृदय में होता है। ऐसी स्थिति में जब काव्यगत तीसरा पात्र आकर कुपात्र के प्रति विरोधी भाव की व्यञ्जना कर सुपात्र के प्रति अनुकूल भाव की व्यञ्जना करता है तब श्रोता, पाठक वा दर्शक को 'अपूर्व तुष्टि' होती है। यह तुष्टि ही रस की मध्यम कोटि है। आचार्य शुक्ल की दृष्टि से रस की इस कोटि के विषय में एक बात और कहनी है, वह यह कि इसमें "श्रोता वा पाठक अपनी पृथक् सत्ता अलग सँभाले रहता है"; और रस की उच्च कोटि की अनुभूति में वह "अपनी पृथक् सत्ता का कुछ क्षणों के लिए विसर्जन कर आश्रय की भावात्मक सत्ता में मिल जाता है।" — (चिन्तामणि, पृ० ३१६)। आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित रस की मध्यम कोटि की अनुभूति पर सम्यक् रूप से विचार करने पर स्पष्टतः विदित हो जाता है कि उनका पक्ष सटीक है और इस अवस्था में भी रस की-सी ही अनुभूति होती है—पर अनुभूति की मात्रा कुछ कम रहती है। इस अवस्था में काव्य हृदय पर ऐसा प्रभाव डालता है जिसके द्वारा उसका (हृदय वा) अपूर्व प्रसादन वा-तुष्टि होती है। यस्तुतः रस की इस कोटि का सम्बन्ध हृदय की तुष्टि से ही समझना चाहिए।

आचार्य शुक्ल स्व ही एक निरुद्ध दशा की भी मानना स्वीकार करते जान पड़ते हैं, बितके अंतर्गत वे चमत्कारवादियों के अनूद्ध-का रचना चाहते हैं।

उनका कथन है—“चमत्कारवादियों के अनूद्ध को मा रस की निरुद्ध साव्यनुभूति के अन्तर्गत ले लन पर रसानुभूति की क्रमशः क्रांति उत्तम, मध्यम और निरुद्ध तीन दशाएँ हा जाती है।”—  
( इन्दिराया भाषण, पृ० ८६ ) ।

रस विषयक सभी सामान्य ( कौमल और जगदल ) विषया का विवेचना का प्रस्तुत कर चुके हैं। इ-ह दृष्टि पथ में स्तर-तर अर ‘रसात्मक बोध क विविध रूप’ पर विचार करना है। रसानुभूति का अत्र काव्य स्मृत और प्रत्यक्ष है, इसका निर्देश आरभ में हा चुका है, और यह भी हम रस विधाना द्वारा विदित है कि काव्य हमारे समुच्च मूर्ति, चित्र वा रूप ही भी रस प्रतीति रखता है—‘रमणाय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है—  
‘रमणार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम्’—का तात्पर्य यही है।

काव्यगत इस मूर्ति, चित्र वा रूप का आधार क्या है, इसका मूल क्या है। विचार करने पर निश्चित होता है कि साव्यगत चित्रों वा रूपा क आधार ‘देवी-मुनी बहु लोक की शक्त’ ही हैं। हम ज्ञानेदियों द्वारा किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष किए हुए विषयों को हा साव्य में उपस्थित करते हैं। दरना यह है कि इ-ह किन रूप में उपस्थित करते हैं। अर यह तो स्पष्ट है कि साव्यगत रूप विधान का मूलधार- ज्ञानेदियों द्वारा प्रत्यक्ष विधान ही है। प्रायः होता यह है कि अर कवि इन प्रत्यक्ष विषयों वा रूपा का विधान करने में उद्यत है तब उसे इ-ह काव्य में उपस्थित करने के लिए काव्य क दा प्रधान साधनों का अवलम्ब लेना पड़ता है। ये साधन वा उपकरण हैं—स्मृति और कल्पना। सभी वह किसी दश-काल में प्रत्यक्ष किए हुए या अनुभूत रूपा को स्मृति क सहार काव्य में उनी का र्थों रस देता है और कभी इ-ह अपनी कल्पना द्वारा कुछ पथ यदा कर प्रत्यक्ष से कुछ भिन्न या नवीन रूप में चित्रित करता है। इन उपकरणों के आधार पर प्रभूत रूपा का प्रतिपाद का हम ‘स्मृत रूप विधान’ अर ‘कल्पित रूप विधान’ यह सकते हैं, अर जिन प्रत्यक्ष के आधार पर ये दो रूप विधान हुए हैं उवनों ‘प्रत्यक्ष रूप-विधान’। स्मरण यह रखना चाहिए

कि स्मृति और कल्पित रूपविधानों का संबंध अर्थात्तर से है और प्रत्यक्ष रूप-विधान का बाह्य से । भारत के प्राचीन साहित्य-शास्त्रियों की धारणा यह है कि इनमें से केवल कल्पित रूप-विधान में ही रसानुभूति उत्पन्न करने की शक्ति होती है । आचार्य शुक्ल की मान्यता वा सिद्धांत ( थोथरी ) यह है कि कल्पित रूप-विधान द्वारा रसानुभूति ता होती ही है स्मृत और प्रत्यक्ष रूप विधानों में भी यह शक्ति होती है कि वे रस-प्रतीति करा सकें । प्राचीन आचार्यों ने केवल कल्पित रूप-विधान में ही रसानुभूति क्यों मानी है, इस पर विचार हो चुका है ।

‘प्रत्यक्ष’ से आचार्य शुक्ल का अभिप्राय चक्षु-विषयक रूप से ही नहीं है प्रत्युत इसके ( रूप के ) अंतर्गत अन्य ज्ञानेन्द्रियों के विषय शब्द, गंध, रस और स्पर्श भी हैं । कवि-गण इनकी भी योजना अपने काव्य प्रत्यक्ष वा वास्तविक में किया करते हैं । प्रत्यक्ष रूप-विधान में रसात्मक बोध कराने अनुभूतियों द्वारा की शक्ति होती है वा उनके द्वारा रसानुभूति होती है; इस रसानुभूति विषय में आचार्य शुक्ल का प्रतिपाद्य यह है कि “जिस

प्रकार काव्य में वर्णित आलंबनों के कल्पना में उपस्थित होने पर साधारणीकरण होता है, उसी प्रकार हमारे भावों के कुछ आलंबनों के प्रत्यक्ष सामने आने पर भी उन आलंबनों के संबंध में लोक के साथ या कम-से-कम सहृदयों के साथ—हमारा तादात्म्य रहता है । ऐसे विषयों वा आलंबनों के प्रति हमारा जो भाव रहता है वही भाव और भी बहुत से उपस्थित मनुष्यों का होता है ।” — ( देखिए चिन्तामणि, पृ० ३३७-३३८ ) । हम पहले ही पर इस विचार कर चुके हैं कि आचार्य शुक्ल जीवन की प्रत्यक्ष वा वास्तविक अनुभूति तथा काव्यगत रसानुभूति में कोई अंतर नहीं स्वीकार करते, ऐसी स्थिति में जगत् और जीवन के वास्तविक वा प्रत्यक्ष लोक-सामान्य आलंबनों के उपस्थित होने पर रस-दशा की भौति दर्शक के व्यक्तित्व का कुछ क्षणों के लिए उसमें ( आलंबन में ) लय हो जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है । “अतः इस प्रकार की प्रत्यक्ष वा वास्तविक अनुभूतियों को रसानुभूति के अंतर्गत मानने में कोई बाधा नहीं ।” — ( चिन्तामणि, पृ० ३३७ ) ।

जिस प्रकार जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूति को आचार्य शुक्ल रसात्मक बोध के समकक्ष प्रतिष्ठित करते हैं उसी प्रकार उनका प्रतिपाद्य यह भी है कि जीवन में

घटित वास्तविक स्मरण या स्मृति, जो किसी काव्य में स्मृति द्वारा उल्लिखित नहीं होती, भी रसात्मक अनुभूति उत्पन्न करने में रसानुभूति समर्थ होता है। उनकी धारणा है कि अतीत में प्रत्यक्ष का हुई वस्तुओं के वास्तविक स्मरण द्वारा भी कभी कभी हम हृदय की उस स्थिति में पहुँचते हैं जहाँ केवल शुद्ध भाव का ही अनुभव होता है, जहाँ हम अपने पराये भेद भाव से छूटे रहते हैं।

स्मृति के दो रूप हमारे समुन्नत भाव हैं, एक विरुद्ध स्मृति और दूसरी प्रत्यक्षाधित स्मृति या प्रत्यभिज्ञान। साहित्य ग्रन्थों में 'स्मरण' संचारी भाव माना जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि मध्यायी भाव के सम्बन्ध से जाए स्मरण-को अनुभूति खट्टोटि की होगी, किसी भूलो रात का स्मरण वा कहा रसो हुई वस्तु का स्मरण रसात्मक न होगा। आचार्य शुक्ल की मान्यता है कि प्रायः रति, हास और करुण से उत्पन्न स्मरण ही रसात्मक बोध उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। वे कहते हैं—“प्रिय का स्मरण वृत्त्यकाल या यौवन काल के अतीत जीवन का स्मरण, प्रयास में स्मरण के स्थल का स्मरण ऐसा ही होता है।”—(चित्तमणि, पृ० ३८६)। रति हास और करुणा के जालबना के अतिरिक्त अन्य भावों के जालबनों के स्मरण में भी आचार्य शुक्ल रसात्मकता स्वीकार करते हैं। पर इस स्थिति में ऐसे जालबन का होना आवश्यक है जो किसी शक्ति विशेष की भाव सत्ता से नहीं, प्रत्यक्ष संपूर्ण नर जीवन की भाव-सत्ता से संबद्ध हो।

अपनी प्रिय वस्तु और व्यक्ति की स्मृति तो 'मनु में लिपटी हुई' आती ही है, जिस वस्तु और व्यक्ति से हमारा संबंध अतीत में रुचिकर और घनिष्ठ नहीं होना देह-काल के व्ययधान के कारण अपनी स्मृति भी माधुर्य लिए हुए आती है। 'इस माधुर्य का रहस्य क्या है?' आचार्य शुक्ल कहते हैं—“जो हो हमें तो ऐसा दिग्दर्श पड़ता है कि हमारी यह काव्य-वाग्ना, जिसे जीवन कहते हैं, जिन तिन रूपा के बीच से होती चली जाती है, हमारा हृदय उन सबको पास समेटकर अपनी रागात्मक सत्ता के अतर्भूत करने का प्रयत्न करता है। यहाँ से यहाँ तक यह एक भाव सत्ता की प्रतिष्ठा चाहता है।”—(चित्तमणि, पृ० ३४७)।

यह तो सत्य है कि प्रिय वस्तु और व्यक्ति का स्मरण वा उनकी स्मृति मधुमय होती है। कल्पनाशील व्यक्ति स्मृति को प्रवणता के कारण कभी-कभी अतीत से संबद्ध वस्तु-व्यक्ति को अंतःपट पर लाकर उनसे मिलन का सा रसात्मक अनुभव करता हुआ उसमें लीन रहता है। प्रश्न यह है कि अशुचिकर वा अप्रिय वस्तु-व्यक्ति की स्मृति मधुमय होती है अथवा नहीं। अप्रिय, अशुचिकर वा अप्रेमी वस्तुएँ जिनसे हमारा विशेष संबंध अतीत काल में नहीं रहता उनका स्मरण देश काल के व्यवधान पड़ने पर रसात्मक अवश्य होता है और इसका कारण प्रतीत होता है उनसे देशकालगत विरह के कारण इच्छा अवसाद, जो (अवसाद) परिस्थितिवश अवदात वा प्रिय लगता है। अतीत में जिन व्यक्तियोंसे हम 'चिढ़ते वा लड़ते झगड़ते थे' उनमें से उन्हीं की स्मृति को अनुभव हम रसात्मक रूप में करते हैं जिनका संबंध हमसे इस रूप में होते हुए भी प्रिय का सा अप्रिहास्य और स्वाभाविक वा 'हेतुज्ञानशून्य' होता है। शत्रु का स्मरण हमें मधुर नहीं लगता। यहाँ हम उन व्यक्तियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो ऋषि मुनिवत् होते हैं, सांसारिकों की बात कह रहे हैं। देश-काल के व्यवधान के कारण शत्रु हृदयवाला व्यक्ति शत्रु की स्मृति का अनुभव भी रसात्मक रूप में कर सकता है यदि वह (शत्रु) करुणा वा हास का आर्तवन बने। यहाँ इसका ध्यान अवश्य रहना चाहिए कि स्मरणकर्ता विशुद्ध हृदयवाला व्यक्ति हो।

स्मृति के दूसरे रूप प्रत्यभिज्ञान में भी—जो प्रत्यक्ष के आधार पर स्थित रहता है, जिनमें प्रत्यक्ष का अंश न्यून रहता है और स्मरण का अंश अत्यधिक—काव्य की भाँति ही रसात्मक बोध कराने की तीव्र प्रत्यभिज्ञान द्वारा शक्ति होती है। किसी वस्तु और व्यक्ति के प्रत्यक्ष होने पर उनसे संबद्ध अतीत के अनेक व्यक्ति, व्यापार, भाव, विचार आदि का स्मरण हो आता है, यही प्रत्यभिज्ञान वा पहचान है। आचार्य शुक का कथन है कि प्रत्यभिज्ञान की प्रक्रिया द्वारा रस-संचार का विधान वक्ता और कविगण भी किया करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रायः सुख-समृद्धि के पश्चात् दुःख दारिद्र्य, दैन्य आदि की दशा के आधार पर प्रत्यभिज्ञान का विधान विशेष कारुणिक होता है।



ऊपर रसात्मक विद्युत् स्मृति और प्रत्यभिज्ञान की विवेचना हुई है, जिनमें रसात्मकता का प्रधान कारण अतीत में प्रत्यर्थाभूत वस्तु, व्यक्ति, व्यापार आदि होते हैं। आचार्य शुद्ध 'स्मृत्याभाव कल्पना' में भी रसात्मक कल्पना संचार करने की शक्ति स्वीकार करते हैं। यह स्मृत्याभाव द्वारा रस-संचार कल्पना है क्या ? इसमें आचार्य शुद्ध का अभिप्राय है उस प्रकार की कल्पना का "जो स्मृति या प्रत्यभिज्ञान का सा रूप धारण करके प्रकृत होता है।"—(चित्तामणि, पृ० ३५०)। इस प्रकार से प्रयुक्त स्मृति और प्रत्यभिज्ञान का संप्रथ अतीत में देखते वस्तु व्यक्तियों से नहा, प्रयुक्त या ना भूतकाल में मुने या पढ़े गए वस्तु व्यक्तियों से अथवा अनुमान द्वारा पूर्ण, निश्चित वस्तु व्यक्तियों से होता है। अभिप्राय यह कि इस प्रकार के रसात्मक बोध में भूतकाल की प्रत्यर्थाभूत वस्तु का आधार नहीं लिया जाता, इनमें ऐसी बातों का आधार होता है जो या तो कहीं सुनी गई हैं या पढ़ी अथवा तो पूर्णतः अनुमान हैं। इस प्रकार के रसात्मक बोध की प्रक्रिया में कल्पना का प्रमुख हाथ होता है, यह बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए। स्मृति द्वारा रसात्मक संचार होता है, यह तो हमें विदित है। आचार्य शुद्ध के मतानुसार "अतीत की कल्पना भावुका में स्मृति की ही सजीवता प्राप्त करती है और अभी अभी अतीत का कोई पत्र हुआ चिह्न पाकर प्रत्यभिज्ञान का सा रूप ग्रहण करती है।"—(चित्तामणि, पृ० ३५०-३५१)। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि आचार्य शुद्ध की दृष्टि से स्मृति और अतीत की कल्पना में, भावुका के लिए, कोई भेद नहीं है, दोनों का प्रभाव उन पर समान रूप से पड़ता है। स्मृतिस्वरूपा स्मृत्याभाव कल्पना के मार्मिक प्रभाव का कारण वे यह बतलाते हैं कि यह मर के आधार पर स्थित है। यहाँ 'उत्पत्ति' से आचार्य शुद्ध का तात्पर्य 'केवल चमत्कृत घटित वृत्त' से ही नहीं प्रयुक्त 'निश्चयात्मकता से प्रतीत वृत्त' से भी है। कहना न होगा कि इस निश्चयात्मकता से प्रतीत वृत्त का आधार वह 'विरास' होता है जिसके मूल में परंपरा से सुनी और पढ़ा गत निहित रहती हैं। पर निश्चयात्मकता में सर्वथा विपरीत प्रमाणों द्वारा धरा लगेने पर सजीव कल्पना न जागरित होगी। स्मृतिस्वरूपा कल्पना जगने में स्पष्ट यह आवश्यक है कि चाहे आत वचन वा इतिहास द्वारा अपुष्ट

वृत्त ही हो, पर कल्पना के आश्रय को उस पर विश्वास होना चाहिए। ऊपर हम देख चुके हैं कि स्मृत्याभास कल्पना का आधार दो वस्तुएँ होती हैं, एक तो सुनी या पढ़ी बातें, जिनका संबंध आत वचन वा इतिहास से होता है और दूसरा साद अनुमान।

आचार्य शुक्ल के इस पक्ष का निर्देश हम कर चुके हैं कि स्मृत्याभास कल्पना द्वारा भी रसात्मक अनुभूति होती है। इतिहास (आत शब्द वा वचन) के आधार पर स्थित इस कल्पना में भी वह (रसात्मक इतिहासाभूत स्मृत्या-अनुभूति) निहित है। इतिहास वस्तुतः अतीत मानव तथा भास कल्पना द्वारा उसके जीवन में घटित अनेक क्रिया कल्पों का संग्रह ही रसानुभूति है। जैसे एक व्यक्ति का अतीत से संबंध होता है वैसे ही इतिहास का संबंध समष्टिगत मानव से है। इतिहास को पूर्णतः (एज ए होळ) ग्रहण करने से विदित होता है कि वह अतीत के अनेक नर-जीवन का समष्टि रूप है, जैसा कि व्यक्तिगत अतीत नर-जीवन का संबंध व्यक्ति से होता है। हमें यह भी विदित है कि अतीत की स्मृति रसात्मक होती है, अतः अतीत से संबद्ध इतिहास के संकेत पर चलती स्मृत्याभास कल्पना में भी रस-संचार की शक्ति की मात्स्यता आचार्य शुक्ल द्वारा अनुपयुक्त नहीं प्रतीत होती। जैसे अतीत की स्मृति में मानव-हृदय को लीन करने की शक्ति होती है वैसे ही इतिहास पर आभूत स्मृति की समानधर्मिणी कल्पना में भी समष्टि रूप में अतीत नर-जीवन के साथ तादात्म्य स्थापित करने की क्षमता है।

कभी-कभी यह कल्पना प्रत्यभिज्ञान का रूप धारण करके भी मार्मिकता की सृष्टि करती है। जैसे इतिहास के व्यक्ति, वस्तु, व्यापार आदि को कल्पना में लाकर हम उनमें लीन होते हैं, वैसे ही किसी प्रसिद्ध प्रत्यभिज्ञानाभूत ऐतिहासिक स्थल का दर्शन कर हम उस स्थल के व्यक्ति, वहाँ स्मृत्याभास कल्पना घटित घटनाओं आदि का कल्पना के साहाय्य से स्मरण करके द्वारा रस-संचार उनमें लीन होते हैं और रस को अनुभव करते हैं। इस प्रत्यभिज्ञान द्वारा रसानुभूति के लिए सूक्ष्म ऐतिहासिक अभ्युत्पन्न, गहरी भावुकता तथा तीव्र कल्पनाशक्ति अपेक्षित है; जिसके द्वारा

अधिक ऐतिहासिक व्योरे का मृतविधान होगा, जिनमें तादात्म्य की भ्रमता होती है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि “अतः रचन या इतिहास के सकेत पर चलनेवाली कल्पना या मूर्त भावना अनुमान का भी सहारा लेता है।” — (चिंतामणि, पृ० ३५३)।

इतिहास पर प्राप्त स्मृत्याभास कल्पना और प्रत्यभिज्ञानावृत्त स्मृत्याभास कल्पना पर विचार हुआ। जब उन स्मृत्याभास रचन का विचार करना है जो शुद्ध अनुमान के आधार पर चलती है। यहाँ इसका सकेत शुद्ध अनुमानाश्रित कर देना आवश्यक है कि अनुमान बिना प्रत्यक्ष सत्य, स्मृत्याभास कल्पना वस्तु आदि के नहीं हो सकता, जत इस कल्पना में भी ठारा रसानुभूति प्रत्यभिज्ञान की प्रक्रिया अपेक्षित है। किसी अपरिचित भ्रमानुसंग को देखकर भावुक व्यक्ति उसमें घटित अतीत काटा कल्पना दान विगत, चहल पहल आदि का अनुभव अनुमानाश्रित कल्पना के आधार पर करता है और उसमें लीन होता है। पहले किसी अपरिचित प्रत्यक्ष वस्तु का दखन होता है, फिर इसी प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर अनुमान का सहारा ले कल्पना रूप विधान करती है, जिसमें हृदय लीन होता है। इस प्रक्रिया से स्पष्ट है कि अनुमानाश्रित प्रत्यभिज्ञानरूपा कल्पना रस-संचार के उपयुक्त है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इस प्रकार रखे “रूप और व्यापार हमारे जिन मार्मिक रसात्मक भाव के जाल-घन होते हैं उसका हमारे व्यक्तिगत योग धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं जत उसकी रसात्मकता स्पष्ट है।” — (चिंतामणि, पृ० ३५३)।

ऊपर ‘ममून रूप विज्ञान’ को रसात्मकता का विवेचन हुआ है। इसने स्पष्ट है कि इसका सम्बन्ध प्रधानरूपेण अतीत से ही है। प्रश्न उठता है कि क्या अतीत वृत्त में रसात्मकता की स्थिति है? आचार्य शुक्ल कहते हैं—हाँ। उनके मतनुसार अतीत की ममूति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, यह मुक्ति लोक है, जहाँ मानव अनेक रचना से झूटकर अपने विशुद्ध रूप में विचरता है। और हम यह देख चुके हैं कि आचार्य शुक्ल हृदय की मुक्तावस्था को ही रसानुभूति की अवस्था मानते हैं। इस विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष तथा स्मृत रूप-विधान में भी रसात्मक योग की शक्ति है, जो आचार्य शुक्ल की मौलिक मान्यता है।

रसात्मक बोध के एक और रूप की विवेचना करनी है। आचार्य शुक्ल के प्रकृति-प्रेम की चर्चा हम कई स्थलों पर कर चुके हैं। वे काव्य में यथातथ्य संश्लिष्ट प्रकृतिवर्णन के कितने बड़े समर्थक हैं, यह बात प्रत्यक्ष प्रकृति-दर्शन किसी पर अप्रकट नहीं है। उनकी धारणा है कि प्रत्यक्ष द्वारा रस बोध प्रकृति-दर्शन तथा काव्यगत यथातथ्य संश्लिष्ट प्रकृति-वर्णन दोनों में रसात्मक बोध की समता विद्यमान है। यह तो सर्वमान्य है कि आज की नागरिक सभ्यता ग्राम, वन, पर्वत आदि प्रकृति की विभूति में बसकर इस रूप में दिखाई पड़ रही है। अभिप्राय यह कि आज के नगर-नियामियों के पूर्वज कभी ग्राम, वन, पर्वत पर निवास करते थे, जहाँ प्रकृति का साम्राज्य तब भी छाया रहता था और वह (साम्राज्य) अब भी किन्हीं रूपों में अक्षुण्ण है। निष्कर्ष यह कि प्रकृति से हमारा साहचर्य बहुत ही प्राचीन है। साहचर्य द्वारा हेतुशान्मूल्य प्रेम की सृष्टि होती है। अतः प्रकृति से हमारे प्रेम की स्थापना स्वाभाविक है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि प्रकृति-प्रेम हमारे अन्तःकरण में वासना के रूप में वंशपरम्परा से विद्यमान है। ऐसी स्थिति में प्रकृति का, हमारे प्रेमभाव का आलंबन होकर, रसानुभूति कराना स्वाभाविक ही है।

ऊपर हमने कहा है कि आचार्य शुक्ल प्रकृति को लेकर दो स्थितियों में रसानुभूति का प्रतिपादन करते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रकृति-दर्शन में और दूसरे काव्यगत यथातथ्य संश्लिष्ट प्रकृति वर्णन में। प्रत्यक्ष प्रकृति-दर्शन में रसानुभूति प्रत्यक्ष रूपविज्ञान में रसानुभूति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसकी विवेचना हम ऊपर कर चुके हैं। यहाँ इस विषय में यह उद्धरण ही अलग होगा—“मैंने पहाड़ों पर या जंगलों में घूमते समय बहुत-से ऐसे दृश्य देखे हैं, जो लहराते हुए हरे-भरे जंगलों, स्वच्छ शिलाओं पर चाँदी से ढलते हुए झरनों, जोकड़ों भरते हुए हिरनों और जल को झकझक चूमती हुई डालियों पर कलरव कर रहे बिंदुओं को देख मुग्ध हो गए हैं। काले मेघ अपनी छाया डालकर चित्रकूट के पर्वतों को नील-वर्ण कर देते हैं, तब नाचते हुए नीलकंठों (मोरों) को देखकर सभ्यताभिमान के कारण शरीर चाहे न नाचे, पर मन अवश्य नाचने लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे दृश्यों को

देगनर हूय होता है। हर्ष एक सचारी भाव है। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि उसमें मूल में रति भाव, यत्नमान है, और यह रति भाव उन दृश्यों के प्रति है।'—( काव्य में प्राकृतिक दृश्य ) ।

जब काव्यगत प्रकृति रचन में रसात्मक रोष उत्पन्न करने की क्षमता पर विचार करना है। ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि प्राग्जन्त प्रकृति-दर्शन में रसानुभूति की प्रक्रिया के अवर्गत प्रकृति दशक के रति-भाव काव्यगत यथातथ्य- का जालबन है। प्रकृति का यथातथ्य सखिल चित्रण जब मखिल प्रकृति चित्रण काव्य में होगा तब भी प्रकृति रति के रति-भाव का जाल- द्वारा रस बांध बन रहेगा, क्योंकि यह (कवि) उनके प्रति प्रेम के कारण ही उसका रचन करता है, और जब पाठक या श्रोता इस का पढ़े या सुनेगा तब उसके लिए भा यह जालबन ही रहेगा, भाव का आश्रय यह, कवि का भाँति, स्पष्ट होगा। तात्पर्य यह कि कवि, पाठक और श्रोता ताना की दृष्टि से प्रकृति जालबन टहगती है। यहा उन त्रिपयो का भी समाधान ही जाना चाहिए जो प्रकृति को जालबन के रूप में ग्रहण करने पर उठ सकते है। पहला प्रश्न तो यह उठता है कि जब रसानुभूति के लिए विमल-भाव—जात्रय और जालबन—के पूरे चित्रण की आवश्यकता साहित्य शास्त्र में उल्लिखित है तब केवल जालबन के चित्रण द्वारा रसानुभूति रच होगी। इस विषय में आचार्य शुक्ल का यथन यह है कि प्रकृति की लर निभाव, अनुभाव और सचारी से पुष्ट भाव यञ्जना भी हो सगती है, पर "मं जालबनमान के निगद रचन को श्रोता में रसानुभव ( भावानुभव सही ) उत्पन्न करने में पूरा समर्थ मानता हूँ।"—( काव्य में प्राकृतिक दृश्य ) । उनका मत है कि यदि ऐसा न माना जायगा तो 'नायिका-भेद' और 'नयशिल' के सैकड़ों ग्रथों की रचना-व्यर्थ समझनी पड़ेगी, निम जालबन या उसके किसी अग मात्र का ही रचन होता है। विचार करने पर आचार्य शुक्ल का पत्र बहुत सटीक प्रतीत हाता है, क्योंकि एसी स्थिति में कवि आश्रय के रूप में अपने को स्थित करके उनका रचन तो करता ही है श्रोता और पाठक भी उनको पढ़ते समय या तो स्वयं आश्रय बन जाता है यथवा किसी आश्रय की कहना तब लेता है। साहित्य शास्त्र के

ग्रंथों में रस के सभी अवयवों की नियोजना के पश्चात् रस-निष्पत्ति की स्थापना का भी कारण है। वह यह कि रस-सिद्धांत की विवेचना करते समय आचार्यों के संमुख दृश्यकाव्य ही थे, जिनमें रस के सभी अवयवों की नियोजना हो सकती है। पर पाठ्य-काव्यों द्वारा भी रसानुभूति होती है जिनमें कभी-कभी आलम्बन के चित्रण मात्र से रस-निष्पत्ति हो सकती है, क्योंकि इस अवस्था में पाठक वा श्रोता आश्रय का आक्षेप कर लेता है। अतः इस विषय में आचार्य शुक्ल की स्थापना (थीयरी) युक्तिसंगत है।

प्रकृति को आलम्बन-रूप में ग्रहण करने में दूसरे विवाद की आशंका यह है कि साहित्य-शास्त्रों में प्रकृति उद्दीपन के रूप में ही ग्रहीत है, आलम्बन के रूप में नहीं, अतः यह सिद्धांत उचित नहीं। ऐसे लोगों का पक्ष यह है कि आलम्बन का चेतनायुक्त या सजीव होना आवश्यक है, जिससे वह आश्रय के भावों का ग्रहण (रिस्पांस) कर सके, और प्रकृति जड़ है। ऐसी स्थिति में रसानुभूति संभव नहीं। आचार्य शुक्ल के पक्ष से यह कहा जा सकता है कि बीभत्स रस में घृणा का आलम्बन जड़ भी होता है और उसके द्वारा रस-प्रतीति होती है, अतः आलम्बन के जड़त्व को लेकर विवाद उपस्थित करना ठीक नहीं। कहना न होगा कि यह विवाद भी दृश्यकाव्य को ही लेकर है। फिर प्रकृति के यथातथ्य संश्लिष्ट चित्रण में जड़ समझी जानेवाली प्रकृति ही, जिसमें पेड़, पौधे आदि आते हैं, उपयोग में नहीं आती, उसमें उसके सजीव प्राणियों का भी चित्रण मिश्रित रहता है। एक बात और। काव्य के क्षेत्र में वस्तुतः जड़ मानी जानेवाली प्रकृति भी प्रायः जड़ के रूप में नहीं ग्रहीत होती। प्रकृति पर भावनाओं का आरोप कर, कवि-गण जो उसे सजीव बना देते हैं, उसकी विवेचना हम काव्य और प्रकृति पर विचार करते हुए कर चुके हैं। लक्षण ग्रंथों में उद्दीपन के रूप में ग्रहीत प्रकृति भी सर्वत्र जड़ के रूप में ही चिह्नित नहीं होती। वह हँसती, बोलती, सुनती, रुठती-सी भी वर्णित होती है। इस प्रकार हमें विदित होता है कि आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित यह मत कि प्रकृति-दर्शन और वर्णन में रसात्मक बोध की क्षमता है विवेचना करने के पश्चात् ठीक उत्तरता है।

आचार्य शुक्ल ने रस के कुछ अवयवों पर अपने विचार प्रकट किए हैं,

जो हिंदी की परंपरा के विरुद्ध जान पड़ते हैं। पर उनके तद्विपर्यय विचार संस्कृत के रस-ग्रथां ने मेल खाते हैं। हिंदी के कुछ रस हाव और अनुभाव चित्रण ने भी ऐसी बातें कही हैं, जो आधार शूल के भी भिन्नता विचारों के अनुकूल पड़ती हैं। आगे हम इन्हीं पर विचार करें। आचार्य शूल 'हाव' और 'अनुभाव' की भिन्नता प्रकृत पादित करने हैं—आश्रय और आश्रय की दृष्टि से। हिंदी के लक्षण-ग्रथां में इह एक माना गया है—आश्रय की चक्षा के रूप में। आचार्य शूल का परावृत्त है कि आश्रय की चक्षाएँ अनुभाव हैं, और हाव नायिका को रसुगी कता देने के लिए अलंकार मात्र हैं। नायिका आलस्यन हुआ करती है, उसकी मनामोहकता बढ़ाने के लिए जो अलंकार या हाव उसके रूपचित्रण में नियोजित किए जायेंगे, वे आश्रय के भावों को उद्दीप्त करेंगे। इसलिए शास्त्र का सामान्य अर्थ अलंकार उद्दीपन से है, आश्रयगत अनुभाव से नहीं।— (देखिए राम्य म रस्यवाद, पृ० ५८-५९ और गोत्वामी तुलसादास, पृ० १०१-१०२)। विचार करने पर कत होता है कि आचार्य शूल का परावृत्त शब्दशास्त्रादिपादित है। अनुभाव और हाव की पृथक्-पृथक् विवेचना करने से कत स्पष्ट हो जायगी। इस विषय में विचार के पूर्व यह समझ रखना चाहिए कि लक्षणग्रथां में नायिका प्रायः आलस्यन मानी गई है और नायक आश्रय। व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर निश्चित होता है कि इनमें विपर्यय भी हो सकता है और होता है। अनुभव ने इस विषय की स्वीकार किया है। उसका कहना है कि कथा आदि आश्रय के हृदयगत भावों को व्यक्त करने के कारण या सामान है, इस दृष्टि से तो वे अनुभाव हैं। पर आश्रय की इन चक्षाओं का देखकर आलस्यन के हृदय के भाव उद्दीप्त होते हैं, वे चक्षाएँ आलस्यन के भावों का विपर्यय बनता है, इस दृष्टि से कथा आदि चक्षाएँ उद्दीपन हैं।

७ ननु कथाश्राव्य ऋधनुदीपनविभाषा न भवन्ति, दृष्टे कथाश्राव्य कामिनोम नोविचार परिपूर्ण भवति । अनुभवसिद्धत्वेनापहोतुमशक्यत्वात् । किंच, प्रार्थनान्यमतिरपि इत्यादय इति चेत् । सत्यम्, कथाश्राव्यना करणत्वेनानु भावशून्यम्, विषय येनोदापन-विभावत्वम्, तथा चात्मनि रसाऽनुभवकरणत्वेन

हिंदी में गुलाम नवी ने अपने 'रस-प्रबोध' में इस विषय में ऐसी ही बातें कही हैं। अभिप्राय यह कि अनुभाव का संबंध सदैव भाव के आश्रय से होता है, इसमें किसी प्रकार-विपर्यय जहाँ उपस्थित होता। अनुभाव विपर्य-भेद से उद्दीपन के रूप में ग्रहण किया जाय, वह दूसरी बात है। आलंबनकी चेष्टाएँ कभी अनुभाव के रूप में ग्राह्य नहीं हो सकती। अनुभाव के विषय में आचार्य शुक्ल यहाँ कहते हैं।

ऊपर हमने देखा कि हाव को आचार्य शुक्ल आलंबन से संबंध उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो उसका आलंबन होता है। वे आश्रय से इसका संबंध नहीं स्वीकार करते। अतः यह अनुभाव के समकक्ष नहीं रखा जा सकता, जैसा कि हिंदी के लक्षणकार कवि मानते हैं। भातुभट्ट हाव के विषय में वैसी ही बातें कहते हैं, जैसी कि आचार्य शुक्ल। उनका कहना है कि स्त्रियों की शृंगारिक चेष्टाएँ हाव हैं। ये स्त्रियों में स्वभावज हैं। पुरुषों में हाव स्नाभाविक नहीं प्रवृत्त औपाधिक हैं। और इसका हम निर्देश कर चुके हैं कि काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों में नायिका आलंबन के रूप में ग्रहीत होती है। अतः हाव आलंबनमुक्त है, अनुभाव से इसका कोई संबंध नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुभाव और हाव की भिन्नता के विषय में आचार्य शुक्ल का विचार युक्तियुक्त और स्पष्ट है।

सायकं प्रति काटाक्षदयोऽनुभावाः । ते च दृष्टिगोचरीभूतः कामिनोर्मनोविकार  
कारयन्तो विपर्यवेतोद्दीपनविभाव इति ।—रसतरंगिणी, तृतीय तरंग ।

ॐ तत्र विभचारिन विभ्रिति है, ये सद्य सात्विक भाव ।

भाव परगट करन दित्त गने जात अनुभाव ॥

नारी जी नर करत है जो अनुभाव उद्भूत ।

ते वै दृष्टे और को नित उद्दीपन होत ॥ ५०५—७६ ॥

—न० विश्वनाथप्रसाद मिश्र कृत 'वाङ्मय-विमर्श', पृ० २९८ से उद्धृत ।

नारीणां शृंगारचेष्टा हावः । स च स्वभावजो नारीणाम् । ननु विश्वोक्तवि-  
लासविच्छतिविभ्रमाः पुरुषाणामपि संभवन्तीति चेत् । सत्यम्, तेषामनौपाधिकः  
स्वभावजाः स्त्रीणामेव । नन्वेवं यदि तासां सर्वैव ते कथं न भवन्तीति चेत् ।  
सत्यम्, उद्दीपकान्वयव्यतिरेकान्यां नायिकाणां हावाविभावतिरोभावाविति ।—  
रसतरंगिणी, षष्ठ तरंग ।



'उत्साह' जालबन के विषय में जाचार्य शुक्ल की मान्यता यह है कि यह (जालबन) "कोई विद्वत् या दुष्कर 'वचन' ही होता है।"—(गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ११३)। शास्त्रीय प्रथा में सुद्वार के आत्मन उत्साह का जालबन के रूप में विवक्षित निवारित किया गया है, जो शत्रु हुआ दुष्कर कर्म करता है। 'उत्साह' के जालबन के विषय में जाचार्य शुक्ल ने धनुष्यश का प्रसंग लेकर विचार किया है, जहाँ धनुष हा विवक्षित है। उनका कहना है कि धनुष तो शत्रु की भाँति ललकार नहीं रहा है। अतः उत्साह का जालबन दुष्कर कर्म हाता है। जहाँ तक जहाँ जालबन का समर्थ है जाचार्य शुक्ल का पक्ष बहुत ही ठीक है, पर-चलन जालबन के उपस्थित होने पर साहित्यप्रथा के पक्ष की जमानना भी नहीं जा सकती। हाँ, उत्साह का भाव जागरित होने पर कुछ कठिन कार्य करने का लक्ष्य जन्म होता है, यह बात दूखरी है कि काय तो हाथ में ले लने पर यह हमारी शक्ति द्वारा सरल प्रतीत हो।

सचारी भावों पर विचार करते हुए जाचार्य शुक्ल ने यह कहा है कि एक सचारी भाव दूसरे सचारी भाव का स्थायी अनुसरण करता है। उनका मत है कि कोई सचारी भाव विभाव, अनुभाव और सचारी से सचारी भाव का युक्त होकर स्थायी भाव का सा अनुभव करा सकता है, पर स्थायी भावत्व यह ऐसा स्थायी भाव न होगा जो रखरखाव तक पहुँचा सके। उनके कहने का अभिप्राय यह कि सचारिया के इस प्रकार के विधान द्वारा उनके स्थायी भावों का अनुभूति दरकर उन्हीं की अनुभूति होती है। अतः ये स्वतंत्र रूप में अपना काय कर उद्यमस्था के आस-पास तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। रति के सचारी असूया और जमय को वे दूरी कीटि में रखते हैं।—(देविण जायसी प्रभावली, पृ० १३४-३५)। साहित्य-प्रयोगों में भी सचारिया की ऐसी विवेचना हुई है। अतः यह न समझना चाहिए कि उन्होंने परंपरा विरुद्ध कोई बात कही है।

'काव्य में लोक मंगल की साधनाप्रस्था' पर विचार करते हुए जाचार्य शुक्ल ने कहा है कि किसी प्रथम नायक ने प्रधान पात्र वा नायक में कोई मूल

प्रेरक भाव वा बीज भाव की स्थिति रहती है जिसकी प्रेरणा से काव्य का कार्य-व्यापार चलता है। इस बीज की प्रेरणा से ही अन्य भावों का भी स्फुरण होता है। प्रधान पात्रगत इस बीज भाव का कार्य वैसा ही है जैसा कि आश्रयगत स्थायी भाव का, जिससे अनेक संचारी भाव संबद्ध हैं। आचार्य शुक्ल की धारणा है कि बीज भाव प्रायः कसुणा और प्रेम होता है। बीज भाव वा मूल प्रेरक भाव का प्रेरणा से कोमल और प्रकाश दोनों प्रकार के भावों की अवतारणा काव्य में हो सकती है, और बीज भावों का संबंध यदि लोक के मंगल विधान से होता है तो परम वा कठोर भाव भी सुंदर प्रतीत होते हैं। जिस पात्र में इस प्रकार के बीज भाव की स्थापना रहती है उसके साथ श्रोता, पाठक वा दर्शक का तादात्म्य होता है, वह उससे सहानुभूति रखता है। यहाँ ध्यान यह रखना चाहिए कि बीज भाव का 'व्यापकता' तथा 'निर्विशेषता'—अर्थात् अधिक से अधिक लोक-मंगल की भावना तथा अपनत्व के अधिक से अधिक त्याग—के कारण ही उसमें तादात्म्य उत्पन्न करने की अधिक से अधिक शक्ति होगी। आचार्य शुक्ल ने इस बीज भाव को साहित्य-ग्रंथों में विवेचित स्थायी भाव और अंगी भाव से भिन्न माना है। इसकी भिन्नता पर विचार कर लेना चाहिए। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बीज भाव द्वारा काव्य के उसी लक्ष्य की सिद्धि होती है, जिसकी रस की मध्यम दशा से; अर्थात् बीज भाव का संबंध काव्यगत शील-चित्रण (कैरेक्टरडिज़ेशन) से है, जिसके द्वारा, आचार्य शुक्ल के मत्पुस्तक, रस की मध्यम कोटि की अनुभूति होती है। और स्थायी भाव की सफल नियोजना द्वारा रस की पूर्ण दशा वा उत्तम दशा की अनुभूति होती है। इस प्रकार लक्ष्य-भेद से स्थायी भाव तथा बीज भाव में भेद प्रतिपादित किया गया है—ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इनमें भेद की विवेचना स्वयं आचार्य शुक्ल ने नहीं की है। अब अंगी भाव और बीज भाव के भेद पर विचार करना चाहिए। अंगी भाव से आचार्य शुक्ल का अभिप्राय साहित्य-शास्त्र में कथित अंगित (वा प्रधान-रूप में व्यंजित) व्यभिचारी वा संचारी भाव से प्रतीत होता है, जो स्वतंत्र-रूप में भी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से युक्त हो व्यंजित हो सकता है; और जिसकी अनुभूति श्रोता, पाठक वा दर्शक को रस

की पूर्णावस्था तक नहीं पहुँचाती। इसकी विवचना हम ऊपर ऊपर चुकें हैं। बीच भाग की अनुभूति रख की मध्यम दशा की अनुभूति है, इस हम देख चुके हैं, और इस अग्री भाग की अनुभूति रसावस्था तक जा ही नहीं सकती, अतः अग्री तथा बीच भाग का भेद व्यथ्यदृष्ट्या स्पष्ट है।

आचार्य शुक्ल ने यह विद्वान पर विचार करते हुए हमारी दृष्टि प्रायः ऐसी ही किया पर रही है जिन पर उनकी मौलिक उद्भावनाएँ हैं। इसका अभिप्राय यह है कि उनका उपरान्त प्रतिभा (आरिजिनल जिनियस) का उद्भावन हो पाय।

हिंदी आलोचना क्षेत्र में आचार्य शुक्ल द्वारा किए गए कार्यों की विवेचना करते हुए हमारी दृष्टि यथास्थान इस क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक महत्त्व, उनकी उपरान्त साहित्य-वितना शक्ति, उनकी विद्वान-आलोचना के क्षेत्र विषय-विशिष्टता या पटुता (एफिफि सी) तथा देखी ही म आचार्य शुक्ल का उनकी अन्य विशेषताओं पर रही है। आचार्य शुक्ल उन जिन आलोचना में वे जा अपना मौलिक प्रस्थान स्थापित करते हैं, स्थापित प्रस्थान से चकर मुन्सी बुद्धि और परिष्कृत ढंकर द्वारा साहित्य-वितना के शिष्ट लक्ष्य तक पहुँचते हैं, और निर्गीत लक्ष्य की दृष्टि पर म रखकर इतना प्रभूत और मान्य (कन्विगिग) मुर्व कर जाते हैं कि साहित्य पर उनका अमिट उप पड़ जाती है, अनेक साहित्यकार उनके अनुगामी हो जाते हैं। आचार्य शुक्ल की आलोचनाओं में हिंदी साहित्य की मौलिकता तथा आत्मनिर्भरता देकर उसे कितना ऊँच उठाना, उसका कितना परिष्कार किया, वह (हिंदी साहित्य) उन (आलोचनाओं) से कितना प्रभावित हुआ, यह किसी पर अस्पष्ट नहीं है। वे इस पर अपना अमिट उप छोड़ गए हैं। हमें विदित है कि हिंदी में आलोचना का प्रथम उपद्रव (मूल) भी है, जिसका कार्य आचार्य शुक्ल के पथ पर चलकर उनकी मान्यताओं का प्रतिपादन, समर्थन और विचार करना है। इस उपद्रव के प्रमुख और मान्य आचार्यों में प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र और प० कृष्णशंकर शुक्ल का नाम लिया जा सकता है। आचार्य शुक्ल की आलोचना से वे भी प्रभावित हुए जिनका लक्ष्य उनसे कुछ भिन्न है। मरा अभिप्राय उपाचार

युग के कुछ शिष्ट आलोचकों से है, जिनके अग्रणी हैं पं० नंददुलारे वाज-  
पेयी। ये लोग भी प्रत्यक्षतः वा परोक्षतः आचार्य शुक्ल के प्रभाव से नहीं बच  
सके, और कुछ तो उनका प्रभाव स्पष्टतः स्वीकार करते हैं। हम कहना यह  
चाहते हैं कि आचार्य शुक्ल ने संपूर्ण हिंदी-साहित्य को प्रभावित किया—अपनी  
शैलिक प्रतिभा द्वारा। यह तो हुआ हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में उनका कार्य। भारत  
के अन्य साहित्य के आलोचकों की दृष्टि में रखकर जब हम आचार्य शुक्ल पर  
विचार करते हैं तब विदित होता है कि उनके बीच भी वे एक रत्न की भाँति  
जगमगा रहे हैं।

---

## इतिहास

“In the like manner the historian of literature must be distinguished from the critic of literature. The task of research among the remains of a literary period is distinct from the task of estimating those remains for what they may be intrinsically worth. A literary historian who may do invaluable work in compiling, shifting, annotating, editing, is often a very poor critic. And, vice versa, the most discriminating literary critic, having neither the inclination nor the industry to master masses of third rate work is seldom also a first-rate literary historian” [ साहित्य के इतिहासकार और आलोचनाकार में भेद स्थापित करना आवश्यक है। किसी साहित्य काल को उपलब्ध सामग्री के अनुसंधान कार्य और उसके यथार्थ मूल्यांकन में भेद है। साहित्य का इतिहासकार चाह सफलता, प्रामाणिकता का परीक्षण, टिप्पण और संपादन का जम्बूत काय करे फिर भी प्रायः अति निम्नश्रेणी का आलोचक होता है। जोर, ठीक इसके विरुद्ध नीर और निरवका साहित्यालोचक में निम्न श्रेणी का प्रयत्न का परीक्षा का निम्नश्रेणी की न ता गृहीत होती है और न वह उसके लिए धर्म ही करता है फिर भी वह नर नर साहित्य का श्रेष्ठ इतिहासकार होता है। ]—आर० ए० स्काट 'जेम्स हूत 'दि मकिंग ऑफ लिटरेचर', पृ० २४-२५।

साहित्य के (जोर विज्ञान के भी) इतिहास प्रस्तुत करने की प्रथा जमाने ही है। इस प्रथा का आरम्भ इसकी उन्नासवीं शती के अन्तिम भाग से हो तो गया था, पर इसका विशेष प्रचलन बीसवीं शती के इतिहास और साहित्य आरम्भ से ही समझना चाहिए, जब यह समझा जाने लगा कि जिस साहित्य का इतिहास नहीं उसका अध्ययन करना समझ नहीं। वस्तुतः बात भी ऐसी ही है, क्योंकि

किसी साहित्य के इतिहास के द्वारा उसके मूल और विकास का सम्बन्ध बोध हो जाने के पश्चात् उसके विभिन्न कालों, अंशों, विशिष्ट रचनाओं वा रचनाकारों आदि के सम्बन्ध अन्वयन ( डिटेल्ड स्टडी ) के लिए मार्ग मिल जाता है। इस प्रकार किसी साहित्य का इतिहास उसके सूक्ष्म-भेद के साधन के रूप में सिद्ध होता है। कहना न होगा कि साहित्य के इतिहास का प्रणयन विशुद्ध इतिहास-प्रणयन की शैली के अनुकरण पर ही है। विशुद्ध इतिहास द्वारा किसी देश-काल की अतीत सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विशिष्ट घटनाओं और व्यक्तियों आदि का परिचय मिलता है और साहित्य के इतिहास द्वारा उक्त परिस्थिति में विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा विनिर्मित अतीत साहित्य का परिचय। इस प्रकार विशुद्ध इतिहास ( प्योर हिस्ट्री ) और साहित्यिक इतिहास ( लिटरेरी हिस्ट्री ) का घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है, क्योंकि कोई देश और काल अपने साहित्य पर अपनी अमिट छाप वा संस्कार छोड़ जाता है। साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध सबको विदित ही है। एक बात और। विशुद्ध इतिहास और साहित्यिक इतिहास में साम्य भी है—पर अपने-अपने क्षेत्र में ही। इतिहास जो कुछ होता है सब काल-क्रमानुसार, सुगठकलित और सुसंबद्ध। साहित्य के इतिहास में भी किसी साहित्य का परिचय उक्त प्रणाली के अनुसार ही रहता है। वस्तुतः 'इतिहास' शब्द से ही उत्तम ( इतिहास में ) उक्त तथ्यों की संस्थिति का ज्ञान हो जाता है। इतिहास-प्रणयन-पद्धति के विषय में आचार्य शुक्ल ने भी प्रसंगत ऐसी ही बातें कही हैं—“जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य-परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही 'साहित्य का इतिहास' कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सामुदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण-स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित् दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है।” ( इतिहास, पृ० १ )। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि साहित्य के इतिहास के विषय में आचार्य शुक्ल के वैसे ही विचार हैं जिनका विवेचन हम ऊपर कर चुके हैं।

साहित्यालोचन तथा साहित्य के इतिहास के संरक्षित होने की चर्चा प्राप्त होती जाती है। यह तो स्पष्ट है कि साहित्य के इतिहास के अंतगत उसके सभी अंग—काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि साहित्यालोचन का इतिहास जाता है। यहाँ ध्यान यह रखना चाहिए कि और साहित्य किसी साहित्य के इतिहास में उसके आलोचना का भी का इतिहास इतिहास ही होगा—उत्तम मुष्टकलित या सुमरुद परिचय ही होगा। हाँ, यह अवश्य है कि आलोचना के इतिहास द्वारा आलोचक उसके परिचय प्राप्त करके अपनी आलोचना में परिष्कार या विनास लाने का प्रयत्न करे। पर, इतिहास और आलोचना ही दो भिन्न वस्तुएँ अवश्य, दोनों को सत्तारें भिन्न भिन्न अवश्य हैं। दोनों की सत्तारें भिन्न ही हैं, पर यह भी स्पष्ट है कि दोनों का संरक्ष भाँ मुलाया नही जा सकता, क्योंकि आलोचना की सामग्री या आलोच्य विषय या रचनाकार इतिहास से ही ग्रहण किया जाता है। कोई साहित्य-काल या उसका रचनाकार जब साहित्य को अपनी देन (नाटिभूषण) से शोभित करता है, तभी यह आलोच्य बनता है और जिस काल या व्यक्ति का संरक्ष इस देन से होगा उसका संरक्ष साहित्य के इतिहास से भी होगा। गोरखामाँ तुलसीदास हिंदी साहित्य के इतिहास के एक अनूय रचनाकार हैं, जत उनही आलोचनार्थ प्रभूत रूप में प्राप्त होती हैं। हम कहना नही चाहते हैं कि इतिहास और आलोचन स्वरूपतः दो भिन्न वस्तुएँ हैं तो, पर उनही अभिन्नता में भी संरक्ष नहीं किया जा सकता। इतिहास ही उसका आधार होता है।

साहित्य-सामग्री प्राप्त वह कहा करते हैं कि इतिहास में किसी साहित्य का उनी प्रवृत्तियाँ (ट्रेडिंसीन) की विवेचना, हानी चाहिए उससे संरक्ष व्यक्तित्वा (पर्सनालिटीज) की नहीं। बात भी सिद्धान्त-साहित्यिक इतिहास टोक है। अभिप्राय यह कि इतिहास द्वारा साहित्य की में प्रवृत्ति और प्रवृत्तियों का परिचय दिया जाय किसी निगिष्ट रचनाकार की आलोचना न दी जाय। आचार्य शुक्ल भी "इतिहास की पुस्तक में किसी की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं जा सकता।"—(इतिहास, जनव्य, पृ० ७) के पक्षपाती हैं। पर देखा

यह जाता है कि भारतीय तथा अभारतीय सभी साहित्यिक इतिहासकार साहित्य की प्रवृत्तियों का निर्देश तो करते ही हैं, रचनाकारों की संक्षिप्त आलोचना भी प्रस्तुत करते हैं। वस्तुस्थिति तो यह है कि भारतीय तथा अभारतीय साहित्य के कुछ इतिहास ऐसे हैं जिनमें रचनाकारों की संश्लेष में जितनी प्रौढ़ (माल्टर्डी) आलोचनाएँ मिलती हैं उतनी और किसी पुस्तक में नहीं। इस कथन की प्रामाणिकता रिफ्रेट (आर्थर कास्टन रिफ्रेट) द्वारा प्रणीत 'ऑपरेशन्स ऑफ साहित्य का इतिहास' (ए हिस्ट्री आफ इंग्लिश लिटरेचर) से सिद्ध हो सकती है। आचार्य शुक्ल ने भी अपने इतिहास में इस शैली का ग्रहण किया है। अभिप्राय यह कि साहित्य के इतिहास-ग्रंथों में साहित्य की आलोचना भी प्राप्त होती है—यद्यपि सिद्धांततः ऐसी योजना आवश्यक वा अभिव्यक्ति नहीं है।

आजकल ऐतिहासिक आलोचना (हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म) का बड़ा मान है। इस आलोचना का केवल यह अभिप्राय नहीं कि साहित्य की आलोचना में शुद्ध इतिहास का ही उपयोग हो, प्रस्तुत यह भी कि इसमें साहित्य के इतिहास का भी साहाय्य लिया और साहित्यिक इतिहास जाय। इस विवेचन का अभिप्राय यही दिखाना है कि साहित्य के इतिहास तथा उसकी आलोचना का घनिष्ठ संबंध है, दोनों अन्योन्याश्रित हैं।

यहाँ विशुद्ध इतिहास और साहित्यिक इतिहास की एकता, इतिहास का स्वरूप तथा आलोचना और उसके सम्बंध पर विचार आचार्य शुक्ल कृत 'हिंदी-साहित्य का इतिहास' के विवेचन की सुविधा के लिए 'हिंदी-साहित्य का इतिहास' ही किया गया है। हिंदी-साहित्य में आचार्य शुक्ल के इस इतिहास का बड़ा महत्त्व है। हिंदी-साहित्य का यह सर्व-प्रथम सांख्यिक इतिहास है। और यद्यपि इसके प्रकाशित होने के पश्चात् अनेक साहित्य-चिंतकों ने अपनी-अपनी मति के अनुसार अनेक इतिहास प्रस्तुत किए—इसी इतिहास की देखादेखी—तथापि इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रंथ अब तक उतना प्रामाणिक नहीं सिद्ध हो सका है, जितना कि यह। यह आरंभ से ही साहित्यिकों का समादर समान रूप से पाता चला आ रहा है।



आचार्य शुक्ल गले इतिहास के प्रकाशित होनेके पूर्व हिंदी में तान ग्रथ ऐसे थे जिनको लोग हिंदी-साहित्य या इतिहास ही समझते थे, यद्यपि उन्हें सच्चे अर्थ में इतिहास नहीं कहा जा सकता। उनके नाम आचार्य शुक्ल के पूर्व श्री विश्वनाथ शर्मा द्वारा 'विश्वनाथशर्मा' (सन् १८८३), के इतिहास ग्रथ श्री मिथिलेश्वर द्वारा 'उत्तरा भारत की आधुनिक भाषा का साहित्य' (माडन एनाक्पूलर डिप्लोमर आफ नारन हिंदुस्तान) (सन् १८८९) और श्री मिथिलेश्वर द्वारा 'मिथिलेश्वर विवेक' (सन् १९१३)। उपरोक्त रचनाएँ त्रि-वृत्त-समूह माने हैं, इतिहास नहीं। इनमें शब्द-समाप्तिकार विधि का परिचय वा वृत्त दिया गया है। प्रायः रचनाओं के अध्ययन के पश्चात् समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अवस्थाओं आदि की दृष्टि पथ में रखकर वा विभाजन, उनकी (छाया की) प्रवृत्तियों का निर्देश आदि इनमें नहीं प्राप्त है, जो इतिहास-ग्रथ के लिये आवश्यक तथ्य हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रथ में इन सभी बातों पर ध्यान रखा। अतः सच जय में हिंदी में साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल का ही प्रकाशित हुआ। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रथ का महत्व स्पष्ट है और जय भा यह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ इतिहास माना जाता है।

यह ता स्पष्ट है कि इतिहास का समय अतीत से होता है। साहित्य का इतिहासकार जब किसी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करना चाहता है तब उस साहित्य में अतीत काल में प्रणीत विभिन्न शैली या अनेक साहित्यिक इति- रचनाएँ उसके समुदाय होती हैं, उसके सामने रचनाओं का हास्य की रचना कर लाना रहता है। जिन रचनाओं को लेकर इतिहासकार का स्वरूप इतिहास प्रस्तुत करना चाहता है उन्हें वह काल-समाप्तिकार सुव्यवस्था रूप में सजाकर रखता है, पर वेबल इतना कर देने से ही इतिहास का रचना नहीं हो जाती, क्योंकि साहित्य के इतिहास पर विद्युद्ध इतिहास का भी प्रभाव पड़ता है और विद्युद्ध इतिहास में परिवर्तित का परिवर्तन उपस्थित होने पर साहित्य के इतिहास में भी प्रायः परिवर्तन की प्रकृति मित्यन लगती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि समाज, जिसके

आधार पर इतिहास निर्मित होता है, और साहित्य का बड़ा घना संबंध है। इतिहास को देखने से विदित होता है कि विभिन्न कालों की संस्कृतिगत प्रवृत्तियों में मूलतः येन केन प्रकारेण भिन्नता आ ही जाती है—धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों की भिन्नता के कारण। संस्कृति के अंतर्गत साहित्य भी जाता है, इसलिए उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन उपस्थित हो ही जाता है। साहित्य का इतिहासकार, इस प्रकार के विभिन्न कालों में परिवर्तन को दृष्टि में रखकर विवेचन की स्पष्टता तथा सुविधा के लिए साहित्य का—जिसका वह इतिहास प्रस्तुत करता है—कालगत वर्गीकरण करता है। साहित्यिक इतिहास के काल-विभाजन में इतिहासकार की दृष्टि विशुद्ध इतिहास के परिवर्तन पर तो होती ही है, अतीत में प्रस्तुत साहित्य की शैली के परिवर्तन पर भी उसका ध्यान अवश्य रहता है। कहेना न होगा कि इतिहास का प्रमुख लक्ष्य साहित्य का प्रवृत्ति-निर्धारण इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर होता है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में लगभग एक सहस्र वर्षों में विनिर्मित हिंदी-साहित्य का काल-विभाजन इन्हीं दृष्टियों से किया है। वह इस प्रकार है—

आदिकाल (वीरगाथा-काल, संवत् १०५० से १३७५ तक)

पूर्वमध्यकाल (भक्तिकाल, १३७५ से १७०० तक)

उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल, १७०० से १९०० तक)

आधुनिककाल (गद्यकाल, १९०० से १९८४ तक)

आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी-साहित्य के काल-विभाजन की उपयुक्तता-अनुपयुक्तता पर विचार करने के पूर्व उन पद्धतियों को देख लेना अच्छा होगा जिन्हें दृष्टि में रखकर उन्होंने उपर्युक्त प्रकार का काल-विभाजन किया है। किसी भी साहित्य के इतिहास को देखने से विदित होता है कि यद्यपि उसमें किसी विशिष्ट काल में किन्हीं विशिष्ट प्रकार की रचनाओं वा प्रवृत्तियों का संनिवेश प्रधानतः रहता है तथापि किन्हीं विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्तियों के अतिरिक्त उसमें अन्य प्रकार की रचनाएँ वा प्रवृत्तियाँ भी गौणतः चला करती हैं। हिंदी-साहित्य के इतिहास में भी यह बात पाई जाती है, और आचार्य शुक्ल ने इसे इसका (हिंदी-साहित्य की)

जान पड़ता है कि इसका जायुनिक स्वरूप प्रथम, विकसित होत-रूप प्राप्त हुआ है। मस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में विकसित होकर हिंदी अपने स्वरूप को प्राप्त कर सही है। हिंदी-साहित्य के आदिकाल में दो प्रकार की रचनाएँ प्राप्त होती हैं—एक तो अपभ्रंश की और दूसरा देशभाषा (बोलचाल) की, जिसे हम हिंदी कह सकते हैं। गीर्वाणायण इत्यादि में वर्णित हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल पर विचार करते हुए अपभ्रंश में लिखी कुछ रचनाओं पर भी विचार किया है, जो संप्रदायिक हैं और साहित्य की श्रेणी में नहीं आतीं। ऐसा उन्होंने यह दिखाने के लिए किया है कि हिंदी की एक पादो पूर्व की भाषा रूप में जोर किस रूप में व्यवहृत हो रही थी, हिंदी-भाषा का स्वरूप जिस (अपभ्रंश) से निकला है। अभिप्राय यह कि हिंदी भाषा के विकास को बलक दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। इस काल में अपभ्रंश भाषा की दो चार साहित्यिक पुस्तकें भी प्राप्त हैं, पर गीर्वाणायण काल की प्रवृत्ति से उनका कोई संबंध नहीं प्रतीत होता। इस प्रकार देश-भाषा या हिंदी में भी दो चार ऐसी पुस्तकें इस काल में मिलती हैं जिनमें यद्वार आदि की प्रयोजना है, जिनमें इस काल की मुख्य प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं।

आदिकाल पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने सत्रयणी सिद्ध तथा नाथयोगी योगियों का परंपरा-ना के नियम में कुछ विलुप्त विवेचन किया है। ऐसा करने में दो उद्देश्य निहित हैं एक तो यह कि योगियों ने अपना पथ चलाने के लिए इन सिद्ध तथा योगियों ने मार्ग प्रशस्त कर दिया था। दूसरे यह कि इनका (सिद्धों और योगियों की) रचनाएँ साहित्य-कोटि में नहीं आ सकतीं और योग वाग मध्य वा साहित्य की कोई धारा नहीं है, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। हम ऐसे कुछ हैं कि आचार्य शुक्ल साहित्य को साहित्य की ही दृष्टि से देखना चाहते हैं, इसी कारण इस विषय में उनकी यह समति है।

हिंदी साहित्य के 'पूर्व मध्यकाल' को आचार्य शुक्ल ने 'भक्तिकाल' नाम दिया है, जो बहुत ही स्पष्ट और सुसंगत है। भक्तिकाल की दो धाराया—

निर्गुणधारा और सगुणधारा—तथा इनकी (धाराओं की)  
 भक्तिकाल दो दो धाराओं—निर्गुण की ज्ञानाधारी और प्रेममार्गा  
 (सूफी) धारा, सगुण की रामभक्ति और कृष्णभक्ति

शाखा—का स्पष्ट विवेचन प्रस्तुत कर दिया गया है ।

‘उत्तर मध्यकाल’ को आचार्य शुक्ल ने ‘रीतिकाल’ कहा है—वर्ष्य प्रस्तुत करने की पद्धति की दृष्टि से । ‘रीतिकाल’ में लगभग दो-ती वषों तक प्रायः एक ही ढंग की रचनाएँ प्रचुर परिमाण में हुईं । आचार्य रीतिकाल शुक्ल का कहना है कि “रीतिकाल के भीतर रीतिवद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला । रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है ?”— ( इतिहास, वक्तव्य, पृ० ६ ) । यह तो स्पष्ट और सुसंगत है कि इस काल में रीतिकार कवियों की ही प्रधानता थी । रीति से मुक्त होकर स्वच्छन्द रूप से रचना करनेवालों की संख्या बहुत ही कम थी । अतः रीतिकाल नाम वस्तुतः बहुत ही उपयुक्त प्रतीत होता है । ऊपर हमने कहा है कि वर्णन-पद्धति की दृष्टि से उत्तर मध्यकाल का नाम ‘रीतिकाल’ रखा गया है । इधर श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने वर्ष्य को दृष्टि में रखकर ‘रीतिकाल’ को ‘शृंगारकाल’ कहा है । उन्होंने ऐसा करके इस काल के उपविभाग भी निर्धारित किए हैं । विचार करने पर यह स्पष्ट लक्षित होता है कि रीतिग्रन्थों से जो विवेचना हुई है, और जितने उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, प्रायः उन सभी का लक्ष्य शृंगार ही है । रीतिग्रन्थों के अंतर्गत दो प्रकार की रचनाएँ आती हैं—एक तो वे रचनाएँ जिनमें नायिका-भेद वा स्व-मीमांसा हुई है और दूसरे वे जिनमें अलंकारों की मीमांसा हुई है । कहना न होगा कि इन दोनों प्रकार की रचनाओं में प्रधानतया शृंगार-रस की ही रचनाएँ दिखाई पड़ती हैं । इसके अतिरिक्त रीतिकाल के अंतर्गत जो स्वच्छन्दतावादी कवि हुए वे भी प्रेम को ही लेकर चलते हैं । इसलिए ‘रीतिकाल’ को ‘शृंगारकाल’ कहना वस्तुतः विशेष युक्तियुक्त प्रतीत होता है । आचार्य शुक्ल ने ‘रीतिकाल’ का कोई उपविभाग प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट की है । श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने ‘शृंगारकाल’ का उपविभाग भी किया है, जो इस प्रकार है—शृंगारकाल—( १ ) रीतिवद्ध, ( २ ) रीतिमुक्त । रीतिवद्ध—

( १ ) लक्षणमय, लक्ष्यमात्रक । 'शृंगारकाल' का यह उपविभाग उतना ही स्पष्ट है, जितना कि आचार्य शुक्ल द्वारा निर्धारित 'भक्तिकाल' का उपविभाग ।

'आधुनिक काल' को आचार्य शुक्ल ने 'गद्यकाल' कहा है । यह बात केवल हिंदी साहित्य पर ही लागू नहीं होता, प्रस्तुत भारतीय तथा अमरठार सभी साहित्यों के लिए नहीं जा सक्ती है । वस्तुतः वर्तमान गद्यकाल युग गद्य का युग है ही । गद्य के आविर्भूत सभी प्रकार का रचनाएँ—निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि—इस काल में विरचित रूप तथा प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए—सभी साहित्यों में और हिंदी में भी । इसलिए 'आधुनिक काल' को 'गद्यकाल' कहना उचित ही है । 'गद्यकाल' का निश्चय करने हुए आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के स्वरूप-विकास पर अच्छा विचार किया है जो आवश्यक था—हिंदी-गद्य की पूर्व परिस्थिति जानने के लिए ।

हिंदी साहित्य के वर्तमान काल में गद्य की प्रधानता तो अवश्य रही, पर कविता भी कुछ कम नहीं लिखी गई, जिज्ञासिता की दृष्टि से भी आधुनिक हिंदी-साहित्य का बड़ा महत्त्व है । जत आधुनिक काल को गद्य और काव्य के रूप में विभाजित करके ही इतिहासकार विचार करते हैं । वस्तुतः आधुनिक काल में आकर साहित्य की स्पष्ट दो धाराएँ हो गई—गद्य धारा और पद्य धारा । इन दोनों धाराओं में से किसी को कम महत्त्व भा नहीं दिया जा सकता । हिंदी-साहित्य की प्रेमा ही परिस्थिति है । अभिप्राय यह कि 'आधुनिक काल' का केवल 'गद्यकाल' कह देने से ही स्पष्टता नहीं आती ।

एक साहित्य मीमांसक ने आधुनिक काल को चार विधियों की दृष्टि से 'प्रेम काल' कहा है—गद्य तथा काव्य सभी प्रकार की रचनाओं में प्रेम की प्रधानता देखकर । प्रेम को वे बड़े ही व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हैं । आधुनिक काल के उपविभागों की क्रमशः 'भारतेंद्र युग', 'द्विवेदी युग' और 'छायावाद युग' कहने का भी प्रचलन है । जो भा ही पर आचार्य शुक्ल द्वारा इस युग को

१ देखिए धा विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा 'वाङ्मय विमर्श' पृ० २८५ २८० ।

'कल्पकाल' कहना असंभव नहीं ठहराया जा सकता।

इस प्रकार आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी-साहित्य के इतिहास के काल-विभाजन पर विचार करने से विदित होता है कि वह शुद्ध इतिहास वा काल को तथा वैषी को दृष्टि में रख कर बहुत ही युक्तिसंगत है। काल-विभाजन करते हुए उनको दृष्टि सदैव सुस्पष्टता, उपयुक्तता और प्रामाणिकता की ओर रही है।

आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में उसी हिंदी-साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया है जो प्राचीन राज्यकारों और कवियों द्वारा 'भाखा' शब्द से अभिहित

किया जाता था; अर्थात् 'भाखा' में प्रस्तुत साहित्य का

आचार्य शुक्ल के इति- ही इतिहास उन्होंने लिखा है। 'भाखा' से इतर हिंदी में रूप में राजस्थानी तथा निर्मित साहित्य का इतिहास उन्होंने नहीं लिखा; साहित्य-मैथिली-साहित्य का त्याग निर्माण की दृष्टि से जिसके अंतर्गत प्रधानतः उसकी दो उपभाषाएँ—राजस्थानी और मैथिली—आती हैं। राज-

स्थानी और मैथिल हिंदी में विनिर्मित साहित्य को देखने से विदित होता है कि परिमाण तथा विशिष्टता दोनों की दृष्टि से वह बहुत ही अच्छा है। ऐसी स्थिति में हिंदी-साहित्य के इतिहासकार की दृष्टि इन पर भी जानी चाहिए थी और जानी चाहिए। यह तभी संभव है जब हिंदी-साहित्य को कुछ व्यापक रूप में देखा जाय—उसके विस्तार की दृष्टि से। पर हिंदी-साहित्य के इतिहास में इनमें प्रस्तुत हुए साहित्य पर विचार नहीं मिलता। इसका कारण विशिष्ट (टिपिकल) हिंदी और उसकी इन दोनों उपभाषाओं की प्रवृत्तियों में मिलता ही हो सकता है। विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत हम प्रधानतः ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली का ग्रहण करते हैं, जिनमें अनेक दृष्टियोंसे अधिक अंश में साम्य है। खड़ी बोली बोलने वाला राज तथा अवधी को मली भौति समझ लेता है और राज तथा अवधी का बोलनेवाला खड़ी बोली को। इन भाषाओं के भाषी विचारों के आदान-प्रदान में कितनी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करते। अभिप्राय यह कि ये तीनों भाषाएँ परस्पर खप जाती हैं। पर राजस्थानी तथा मैथिल हिंदी के विषय में ऐसी बात नहीं कही जा सकती। हिंदी-भाषी प्रात का सामान्य व्यक्ति इनको नहीं समझ पाता। इसका कारण यह है कि राजस्थानी हिंदी की एक पीढ़ी पूर्व की भाषा अपभ्रंश से

वद्वत मिल्ता-तुलना है। भाषागत उसकी प्रवृत्तियों विविष्ट हिंदी से अनेक  
 रूपा म भिन्न ह। मैथिल हिंदी के विषय म भी ऐसी ही बात समझनी चाहिए।  
 इस प्रकार इन भाषाओं म निमित साहित्य ( कौशल ) भाषा की दृष्टि से विविष्ट  
 हिंदी के साहित्य से भिन्न प्रतीत होता है। इसी कारण प्राय सभी इतिहास  
 ज्ञान ने इन पर ध्यान नहा दिया। पर कौशल भाषागत वैभिन्य के कारण  
 राजस्थानी और मैथिल हिंदी के उच्च साहित्य को हिदा-साहित्य के इतिहास में  
 स्थान न देकर उनकी उपेक्षा करना समस्त हिंदी भाषा की श्रेयशक्ति को  
 कम करना समझा जाय। सामान्य पाठक समस्त इन साहित्या को न समस्त,  
 पर साहित्य के इतिहास म इनको स्थान देना अपेक्षणीय प्रतीत होना है,  
 क्योंकि इतिहास को पढ़ने-समझनेवाले साहित्य ममश भी होते हैं। फिर इतिहास  
 म मूल, जटिल जो कुछ प्रस्तुत हो चुका है नही ता उल्लेख करना चाहिए,  
 इतिहास म प्रतीत या लेखा-जोखा होता ही है—चाह यह कैसा ही हो। ता  
 प्रयत्न ता 'रश्मिणी रा बेग' और विद्यापति के गीता को इंद्री-साहित्य को  
 सर्वप्रसिद्धि करने हुए भी राजस्थानी और मैथिल हिंदी की परंपरा का प्रमाण  
 इतिहास म नही करते उनकी बात समस्त म नहा जाती।

साहित्य के इतिहासकार ता विविष्टता इस म है कि वह किस साहित्य ता  
 इतिहास प्रस्तुत कर उसकी सभी भाषाओं, उसकी सभी प्रवृत्तियों, उसके सभी  
 उत्कृष्टतम व्यक्तियों आदि के विषय म ऐसी तुल्य और  
 साहित्य क इति रोचक विवेचना उपस्थित कर दे कि उस साहित्य की रूप  
 हास की विशेष रेखा साफ साफ जात हो जाय। जाचार्य मुकुल की इतिहास  
 कार्य और भाषाओं लेखनशैली म यह विशेषता परापर मिलती है, जिसके द्वारा  
 शुद्ध ता इतिहास उपयुक्त सभी तथ्यों की सिद्धि हो गई है। मुलज्ञान वा  
 सुस्पष्टता ही उनके इतिहास की विशेषता है, कोई भी ऐसा  
 सत इसम नहा है, जिसके द्वारा भ्रमरता उपस्थित हो। उन्होंने स्वतः भ्रमर  
 प्रयोगों का उचित समाधान अपने इतिहास म किया है। रोचकता ता भी प्रचुर  
 संनिवेश उसमें प्राप्त है।

विवेचन की स्पष्टता के लिए साहित्य के इतिहासकार को शुद्ध इतिहास की  
 कितनी आवश्यकता है, यह आरंभ के विवेचन द्वारा स्पष्ट है। किसी देश

और काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि परि-  
 भाचार्य शुक्ल के इति-  
 हास में विशुद्ध  
 इतिहास के सत्य

क्षिणों में विनिर्मित साहित्य की प्रवृत्तियों की छान-बीन  
 करके उसके (साहित्य के) स्पष्ट काल-विभाजन के लिए शुद्ध  
 इतिहास का ज्ञान कितना आवश्यक है, यह विशेष पर अव-  
 दित नहीं है। आचार्य शुक्ल को भारतीय इतिहास का

सुन्दर और सुलझा हुआ ज्ञान था। इतिहास की ओर भी उनकी अभिरुचि साहित्य  
 की ओर ही झुकी थी। यह उनके इतिहास से संभव विषयों  
 पर लिखे गए निबंधों द्वारा भली भाँति प्रकट हो जाता है। साहित्य के इति-  
 हास द्वारा भी उनके विषय में यह बात स्पष्ट कही जा सकती है। अपने इति-  
 हास में कहीं-कहीं तो उन्होंने अध्ययन और विवेचन-शक्ति के बल पर इतिहास  
 के संबंध में कुछ नवीन बातों का भी निर्देश किया है। जैसे, उनकी धारणा है  
 कि जलंधर ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग कर पंजाब की ओर चले गए  
 और वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा अन्य स्थलों में भी रमते रहे। उनका यह  
 कथन है कि पंजाब प्रांत के जलंधर नगर का नाम उन्हीं का स्मारक प्रतीत  
 होता है।—(देखिए इतिहास, पृ० १८)। अपने इतिहास तथा अन्य  
 रचनाओं में भी उन्होंने ऐसी ही और ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक बातों का  
 निर्देश किया है।

इतिहासकार की दृष्टि साहित्य में प्रचलित किसी चारा, परंपरा अथवा  
 प्रवृत्ति के मूल वा उद्गम की खोज पर अवश्य रहती है। वह इसे अवश्य  
 दिखाना चाहता है कि कोई प्रचलित परंपरा कहाँ से और  
 इतिहास में साहित्य किस रूप में चली है। बिना ऐसा किए इतिहास की सार्थ-  
 की किसी धारा के कता सिद्ध नहीं हो सकती। आचार्य शुक्ल का यह इति-  
 उद्गम की खोज हास देखने से विदित होता है कि उनकी दृष्टि इस परमा-  
 तथा उसका विकास अवश्य इतिहास-लेखन-प्रणाली की ओर संवृत्त रही है। क्योंकि  
 में आई चण्ड्यानी सिद्धों और नाथवंशी योगियों की परंपरा  
 की स्पष्ट शलक दिखाने के लिए उन्होंने एक दोनो संप्रदायों का कुछ विस्तृत  
 परिचय दिया है। प्रबंध वा चरित्र-काव्य प्रस्तुत करने के लिए दोहा-चौपाई  
 की पद्धति के ग्रहण के मूल को ढूँढ़ने की ओर भी उनकी पैनी दृष्टि गई है।



उन्होंने कहा है कि पुनर्दत्त (स० १०२९) ने 'आदिपुगण' तथा 'उत्तरपुगण' को चौपाइया म लिया है। उसी काळ के लगभग 'जसहरचरित्र' (गणधरचरित्र) भी चौपाइया म लिखा गया है। प्रथम के लिए इसी परंपरा का ग्रहण जायसी, तुंगसी आदि कविगण ने भी किया है। ऐसी ही अन्य प्रवृत्तियाँ आदि के मूठ के अनुरूपण की ओर भी उनका ध्यान सदा बना रहा है—विशेषतः अपने इतिहास में।

इतिहासकार के मतम्य की इति किंसा परंपरा या धारा आदि के मूलानुरूपण के पश्चात् ही नहीं हो जाता। उसे उसका (परंपरा आदि का) स्वरूप तथा विनाश भा दिखाना पड़ता है। किसी साहित्य-परंपरा का क्या स्वरूप है और उसका विनाश किस रूप में हुआ अथवा हो रहा है, इस बात का ओर भी आचार्य शुक्ल प्रयत्न दिखाते पड़ते हैं। किसी परंपरा का विकास दिखाने के लिए उ हाने उसके कविता का जागेचनात्मक संप्रित परिवर्तन दिया है। यव तन-व्याख्यान दर्शन, साहित्य आदि के सिद्धांत पत्र की निवेचना उ हाने किंसा परंपरा के स्वरूप की स्पष्टता तथा उसके विकास की व्यापकता दिखाने के लिए ही की है।

आचार्य शुक्ल ने इतिहास में—और अन्य रचनाओं में भी—साहित्य के जिस क्षेत्र में सनापनद कार्य नहा हुआ है उसमें कार्य करने के लिए योग्य व्यक्तियों को आमंत्रित भी किया है। नहीं कहा उन्होंने हिंदी साहित्य की साहित्य के किसी विशिष्ट अंग के अन्तर्गत क्या-क्या ही पूर्णता पर दृष्टि सकता है इसका भी निदर्श कर दिया है। जैसे, उपल्लास-कदानी के अंतगत भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ या वाता के चित्रण के अतिरिक्त या ओर क्या क्या चित्रित किया जा सकता है इसका एक सनापन उ हाने इतिहास (पृ० ६८३-६८४) में दिया है। इसके निहित होता है कि उनकी दृष्टि केवल हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करने पर ही नहा था, प्रस्तुत उ हाने पूर्णता का ओर भी थी। ये चाहते थे कि हमारा साहित्य सनापनपूर्ण हो जाय, इसीलिए उसकी सुटियाँ या अपूर्णता-या पर-नी गभीर दृष्टि रखते थे।

हिंदी साहित्य तथा उसके आधुनिक युग के साहित्यकारों से आचार्य शुक्ल का संबंध बहुत पुगना था। इतिहास लिखने समय उ हाने इनके (साहित्य

कारों के ) तथा अपने बीच में प्रसंगों पर भी इष्टि आचार्य कुछ के इति- रखी है। कहने का अभिप्राय यह कि उनके इतिहास में इसमें वैयक्तिक तत्त्व वैयक्तिक तत्त्व ( पर्सनल एलिमेंट ) का पुट भी यत्र-तत्र प्राप्त होता है। पर, अपनी वैयक्तिक बातों का संनिवेश उन्होंने किसी साहित्यिक तत्त्व की सूचना देने तथा किसी साहित्यकार के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ही किया है। जैसे, एक स्थान पर वे कहते हैं— “काशीर के किसी ग्राम के रहनेवाले ब्रजभाषा के एक कवि का परिचय हमें बंधू में किसी महाकाय ने दिया था और शायद उनके दो-एक राबैये भी सुनाए थे।” ( इतिहास, पृ० ६९६ )। इसके द्वारा हिंदी-साहित्य की व्यापकता की सूचना मिलती है। ऐसे ही और प्रसंगों का उल्लेख भी इतिहास में मिलता है। साहित्यकारों के स्वरूप का परिचय देने के लिए भी उन्होंने वैयक्तिक तत्त्व का समावेश इतिहास में किया है। जैसे, इस उद्धरण द्वारा विदित होता है कि श्री गालकृष्ण मह वस्तुतः बड़े ही मुहाबरेबाज थे—“एक बार वे ( पं० गालकृष्ण मह ) मेरे घर पधारे थे। मेरा छोटा भाई आँखों पर हाथ रखे उन्हे दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा ‘मैवा ! आँख में क्या हुआ है ?’ उत्तर मिला ‘आँख आई है।’ वे चट बोल उठे ‘मैवा ! यह आँख बड़ी बला है; इसका आना, जाना, उठना, बैठना सब डरा है।’— ( इतिहास, पृ० ५६६ ) इतिहास से ऐसे ही अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पर वैयक्तिक तत्त्व की योजना द्वारा इतिहास में बड़ी रोचकता आ गई है। इसका कारण यह है कि आचार्य कुछ बड़े गम्भीर व्यक्ति थे, अतः उनके व्यक्तित्व के संबंध में जानने की इच्छा सभी के मन में बनी रहती है, और जब कुछ ऐसी बातों का परिचय किसी को मिलता है तब वे रोचकता का अनुभव करते हैं।

इतिहास के संबंध में विचारणीय प्रायः सभी विषयों की विवेचना हमने ऊपर की है। इससे स्पष्ट लक्षित होता है कि आचार्य कुछ इस क्षेत्र में भी— आलोचना-क्षेत्र की ही भाँति—सफल रहे। इतिहासकार के रूप में उनकी सफलता का स्रोत इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि हिंदी-साहित्य के पचासों इतिहासों से उनका इतिहास अत्युत्तम, प्रामाणिक, स्पष्ट और रोचक घोषित किया गया है।

## निबंध

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के जिस क्षेत्र में मार्ग दिखा उगा तो अपनी प्रौढ़ प्रतिभा द्वारा समृद्ध बनाया और उग्र नवता प्रदान की। हिंदी

आलोचना-साहित्य में उनके महत्त्वपूर्ण तथा नवीन योगदानों का आचार्य शुक्ल को ही चर्चा हम कर चुके हैं। उससे स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल निबंध (आलोचना-साहित्य में) उन्नति के पथ पर ले गए और उसकी प्रतिष्ठा उन्होंने विस्तृत और उच्च भूमि पर की।

हिंदी-आलोचना का उद्गार एक दिष्ट आदम स्थापित किया। हिंदी निबंध-साहित्य में भी उनका योग इसी प्रकार का है। इसे भा उद्गार अनो मौलिक रचनाओं द्वारा समृद्ध किया—नूतन विषया तथा विधान-वर्द्धता का इसमें सनिनेग कर। हिंदी में निबंध के साहित्यिक और कस्वरूप पर जिन दो चार निबंधकारों की दृष्टि गढ़ उनमें आचार्य शुक्ल को अग्रणी समझना चाहिए। प्रस्तुत उनके द्वारा हिंदी में प्रस्तुत किए गए निबंध ही श्रेष्ठ कौटिक के उद्गार हैं—निबंध के सच्चे अर्थ में। इस प्रकार उनका आलोचना की भाँति ही उनके निबंधों का भी उद्गार महत्त्व है। हिंदी निबंध-साहित्य को उनके निबंधों द्वारा जो समृद्धि प्राप्त हुई उसका अनुमान केवल इसी से लगाया जा सकता है कि यदि उनमें से उनके निबंध निकाल लिए जाएँ तो उसका एक भाग ही सूना हो जाय। यहाँ उनके इन्हीं निबंधों पर विचार करना है।

सभी देशों के साहित्य में आधुनिक युग गद्य का युग माना जाता है, जिसका आरंभ प्रधानतः ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समझना चाहिए। आधुनिक युग को गद्य युग मानने का कारण है गद्य-युग तथा निबंध इसमें गद्य की रचनाओं का प्रचुर निर्माण। गद्य की रचनाएँ इस युग के पूर्व के युगों में भी होनी रहीं अक्सर, पर इनकी प्रधानता न था, प्रधानता थी पद्य-रचनाओं की ही। इस प्रकार यद्यपि वर्तमान युग में गद्य रचनाओं का प्राधान्य है तथापि पद्य रचनाएँ भी प्रमुख होती हैं। वर्तमान युग के गद्य-युग स्वरूप किये जाने में गद्य की

जिन शैली की रचनाओं का प्राचुर्य है उनके अंतर्गत कहानी, उपन्यास और नाटक की प्रधानता है। वस्तुतः उपर्युक्त तीन प्रकार की रचनाओं ने ही गद्य-युग स्थापित होने में सच्ची सहायता दी। गद्य की एक और शैली की रचना ने इस युग में प्राधान्य और वैशिष्ट्य ग्रहण किया जिसका नाम है निबंध। स्मरण रखने की बात है कि वर्तमान काल में कहानी, उपन्यास और नाटक की अपेक्षा निबंध का प्राधान्य कुछ कम रहा। हाँ, उसमें प्रतिभाशाली रचनाकारों द्वारा उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य अवश्य आता गया। यहाँ निबंध से अभिप्राय उच्च-कोटि के रोचक और साहित्यिक निबंध से है; जैसे तो जीवन और समाज के सभी क्षेत्रों में लिखित रूप में विचारों का प्रकाशन इसी शैली की रचनाओं द्वारा होता है, जिसे निबंध कहने की चाल तो नहीं है, पर सामान्यतः जिसे 'लेख' कहा जाता है। हमारा अभिप्राय यहाँ राजनीतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, अर्थशास्त्रीय आदि लेखों से है, जिनका लक्ष्य येन केन प्रकारेण अपने विषय का प्रतिपादन, उसकी स्पष्टता आदि पर रहता है, रोचकता और साहित्यिकता से उन्हें कुछ लेना-देना नहीं रहता। वस्तुतः इस प्रकार के निबंध या लेख सच्चे निबंधों (जेनुइन थार टिपिकल एसेज) के अंतर्गत नहीं हो सकते।

सच्चे निबंधों का स्वरूप क्या है। इस पर विचार करने के पूर्व इस बात का निर्देश कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि निबंध के क्षेत्र में अँगरेजी-साहित्य का पूर्ण प्रभाव पड़ा—केवल आधुनिक हिंदी-साहित्य भारतीय निबंध पर ही नहीं प्रत्युत भारत के सभी आधुनिक साहित्यों पर। भारत में आधुनिक निबंधों का जो स्वरूप दृष्टिगत होता है वह अँगरेजी के निबंधों के आधार पर ही टिका हुआ समझना चाहिए। निबंध के क्षेत्र में मूढ़ प्रेरणा उधर से ही मिली। हाँ, कुछ मौलिक-प्रतिभा-संपन्न निबंधकारों ने निबंध-रचना में अपनेपन का अवश्य ध्यान रखा। वस्तुतः बात यह हुई कि अँगरेजों का संपर्क ज्यों-ज्यों भारत से बढ़ता गया त्यों-त्यों उनका प्रयत्न उसे (भारत को) अपनी राजनीति द्वारा ही शासित करना नहीं रहा प्रत्युत अपनी संस्कृति द्वारा शासित करना भी हुआ। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे भारत में पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा के समुचित प्रकार का उत्तरोत्तर प्रबंध भी

जगते गए, जिसका आरम्भ सन् १८५७ की क्रांति के पश्चात् से होता है। ऐसी स्थिति में अंग्ल-साहित्य में भारतीय साहित्य का प्रभावित होना स्वाभाविक है। निरध के क्षेत्र में यह उगले रखलिये प्रभावित हुआ कि उसके गद्य में निरध शैली की रचनाएँ नहीं और उनमें (आम्ल साहित्य में) रचना (निरध का) आरम्भ इसी की सालहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हो— मैक्स वेबु के निरध द्वारा—हो गया था। हिंदी-साहित्य में अँगरेजी साहित्य के निरध के अनुसरण पर निरध-रचना का कारण अपने साहित्य में नवान शैली के गद्य विधान का समिप्य करने की इच्छा ही है, जो प्रवृत्ति सभी साहित्य के रचनाकारों में होती है। इस प्रयोग में यह कह दिया जान कि अँगरेजी या हिंदी-साहित्य में निरध का जो रोचक और साहित्यिक स्वरूप आज दृष्टिगत होता है वह उनका निरध और विरचित रूप है, आरम्भ में वे इस रूप में विद्यमान नहीं थे। इस विवेचन का अभिप्राय यह कि हिंदी में निरध लेखन का प्रवृत्ति में अंग्ल-साहित्य के निरध का प्रेरणा का दिग्दर्शक था। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आधुनिक काल में निरध के क्षेत्र में भी— साहित्य के अन्य क्षेत्रों की भाँति ही—भारतीय साहित्य अंग्ल साहित्य से कम प्रभावित हुआ। क्या भारत में निरध का कोई स्वरूप विद्यमान न था। भारत में निरध का स्वरूप विद्यमान अज्ञात था, पर दूसरे रूप में। हम आरम्भ में तो यह देख चुके हैं कि निरध साहित्य के गद्य विभाग का एक अंग है। पद्य विभाग का नहीं। भारत में निरध का वास्तविक स्वरूप विद्यमान था यह अभिप्राय पद्य में था। भारत के प्राचीन समीक्षकों ने काव्य या साहित्य पर जहाँ कुछ विस्तृत विवेचन किया है वहाँ उन्हीं पद्य में लिखा हुआ निरध ही कहा जा सकता है। यही नहीं इन लोगों ने कृति के रूप में गद्य का भी उपयोग किया है, और वह विवेचनामय गद्य बहुत प्रौढ़ भी है। मध्यम 'काव्य प्रकाश' ने प्रथम उदाहरण में काव्य-प्रसाजन, काव्य कारण काव्य उत्पन्न और काव्य क्षेत्र पर जो विचार किया है उसे काव्य पर लिखा एक निबन्ध ही समझना चाहिए, वह गद्य-गद्य दाना में है। कारिकाएँ पद्य में हैं और वृत्तियाँ गद्य में। काव्य या साहित्य के विवेचन में भी अधिकतर पद्य के प्रयोग का कारण सभी को विदित है। यह सभी जानते हैं किसी समृद्ध साहित्य में एक समय ऐसा

आता है जब सभी विषयों पर विचार प्रकट करने के लिए प्रचुर परिमाण में पद्य ही का प्रयोग होता है। संस्कृत-साहित्य में भी एक समय-ऐसा था, इसी कारण काव्य-विवेचन में भी पद्य का साहाय्य प्रधानतः लिखा गया। विवेचन में भी पद्य के प्रयोग का दूसरा कारण है कंठस्थ करने की सुविधा। भारतीयों ने पद्य-बद्ध कितनी वाक्य कंठस्थ कर रखा था और कैसे, इसे सभी जानते हैं। तात्पर्य यह कि भारत में भी निबंध का कोई न कोई स्वरूप अवश्य था पर वह आज की भाँति केवल गद्य में नहीं प्रस्तुत किया जाता था, या तो पद्य में लिखा जाता था या गद्य-पद्य दोनों में। हिंदी-साहित्य के रीति-काल में भी ठीक यही अवस्था थी। यह हमें विदित है कि हिंदी में आधुनिक शैली के निबंधों के लेखन का आरंभ भारतेंदु-काल से हुआ, जिसकी प्रेरणा आंग्ल साहित्य से मिली। अपने निकट की वस्तु पर ध्यान जाना स्वाभाविक है, अतः उस समय के निबंधकारों का ध्यान किसी न किसी रूप में, विद्यमान निबंध की भारतीय परंपरा पर न जा सका, उनकी दृष्टि भारत में अँगरेजी-साहित्य के प्रचलित निबंधों पर ही गई। ऐसी स्थिति में निबंध के स्वरूप पर विचार करते हुए आंग्ल-साहित्य में निर्धारित निबंध के स्वरूप पर न्यूनाधिक रूप में दृष्टि रखना आवश्यक है।

अँगरेजी में निबंध के पर्यायवाची शब्द-एसे-का सामान्य अर्थ है अभी-स्थित विषय के निरूपण का प्रयास मात्र। अँगरेजी के प्रथम निबंधकार फ्रेंसिस बेकन ने भी इसे 'उच्छिन्न चिंतन' (डिस्पर्स्ड मेडिटेशन) अँगरेजी में निबंध के रूप में ग्रहण किया है। निबंध के विषय में उपर्युक्त दोनों धारणाओं का अभिप्राय स्थूलतः एक ही है। इससे विदित होता है कि जहाँ तक निबंध-रचना का प्रश्न है वहाँ तक वे लोग निबंध को गंभीर बल नहीं स्वीकार करते। हाँ, उसमें चिंतन वा प्रणिधान (मेडिटेशन) की निहिति हो सकती है। विषय-निरूपण का प्रयास और चिंतन का उच्छेद वा क्षेपण (कैंकना) में आए 'प्रयास' और 'क्षेपण' शब्द द्वारा यह स्पष्ट है। अँगरेजी-साहित्य के आधुनिक युग के निबंधकारों की निबंध-विधान-विधि में भी उपर्युक्त बात पर ध्यान रखा जाता है। आज यह तथ्य रचना का हलकापन वा उसकी सरलता (लाइट ड्रीटमेंट) के रूप

में रहती है। अँगरेजी के आधुनिक निरधकार भी जिस विषय पर निरध प्रस्तुत करते हैं उसमें र्नावटीपन ( आर्टिफिशियलिटी ) लाकर उसे दुरुद्ध वा कठिन नहीं बनाते। अँगरेज समीक्षका का कथन है कि जब उसमें दुरुद्धता आ जाती है और अभ्यन्त प्रयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन किये जाता है तब वह निरध न रहकर प्रथम ( ड्रीटाइज ) हो जाता है। ऐसी स्थिति में निरधगत साहित्यिकता और रोचकता उसमें नहीं रह जाती। निरध के विषय में उपर्युक्त विचार को देखकर यह न समझना चाहिए कि उसकी रचना कोई सरल कार्य है। निरध प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन कार्य है। इस विषय में आचार्य शुक्ल के साहित्य-सम्बन्धी विचारों को धिबेचना करते हुए हम स्वयं आचार्य शुक्ल जी के उन्मूलक मरिचक के विचारों का निर्देश कर चुके हैं। सातवें भी निरध स्वना को इसी रूप में ग्रहण करते हैं।

हमारे यहाँ 'निरध' का जो सामान्य अर्थ है उसके द्वारा भी निरध का सम्यक् स्वरूप-निधारण किया जा सकता है। 'निरध' शब्द से 'उत्था हुआ वध' का अर्थ ग्रहण होता है। इस प्रकार 'निरध' द्वारा गय निरध के तब ही ऐसी रचना का बोध होता है जिसके प्रधान में कसाव हो। यहाँ 'कसाव' शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा निरध को कसाव का लाव वा उसका जोटापन भी व्यक्त होता है और उसमें ( निरध में ) प्रस्तुत विचार और भाव का कसाव हुआ या व्यवस्थित रूप भी। निरध गय की छोटी रचना है, इस विषय में भारतीय तथा अन्तर्देशीय सभी समीक्षक एकमत हैं। अँगरेजी के आलोचक भी निरध को शीघ्र वा सामान्य लयाई ( माडरेट लय ) का ही बतलाते हैं। निरध में विचार और भावों के व्यवस्थित रूप वा उनके कसाव पर अँगरेज निरधकारों की दृष्टि नहीं दिखाई पड़ती। आचार्य शुक्ल निरध के इस स्वरूप पर विशेष ध्यान देते हैं, जिसे हम आगे यथास्थान देखेंगे। यहाँ इसका निर्देश कर देना आवश्यक है कि इस कसाव का सर्वप्रधानत विचारालम्बक निरध ही होता है। अँगरेजी के निरधकारों की इस कसाव पर दृष्टि न रहने का भी कारण है और वह कारण है निरध में निरधकार की वैयक्तिकता ( पर्सनैलिटी )

के संनिवेश द्वारा रचीत उनका ( अँगरेजी निबंधकारों का ) अर्थ । निबंध में निबंधकार का व्यक्तित्व होना आवश्यक है, इसे हिंदी के भी सभी समीक्षक और आचार्य शुक्ल भी स्वीकार करते हैं, पर वैयक्तिकता के संनिवेश के स्वरूप में अँगरेजी तथा हिंदी के समीक्षकों में मतभेद है । अँगरेजी के समीक्षक निबंध में व्यक्तित्व के चित्रण द्वारा उसमें ( निबंध में ) निबंधकार से संबद्ध घटनाओं, व्यक्तियों आदि के चित्रण पर विशेष ध्यान देते हैं, जिसके द्वारा निबंधकार के जीवन के विषय में अभिज्ञता प्राप्त होती है । वे निबंध में निबंधकार के व्यक्तिगत विचार, उसकी व्यक्तिगत विधान-विधि की विशेषता आदि पर ध्यान नहीं देते । हिंदी के समीक्षक निबंधगत निबंधकार के व्यक्तित्व-चित्रण से प्रधानतः यही अर्थ लेते हैं । यद्यपि बात ऐसी है तथापि अँगरेजी के निबंधों में उपर्युक्त बातें रहती ही हैं । इस रूप में व्यक्तित्व-चित्रण का अर्थ-ग्रहण होने के कारण होता यह है कि अँगरेजी के निबंधकारों को निबंध के प्रस्तुत विषय के अतिरिक्त बहुत-सी अन्य बातें भी कहनी पड़ती हैं । कहना न होगा कि अँगरेजी में निबंध की इस रचना-व्यवधि का बड़ा महत्त्व है, जिसका संबंध निबंधकार की मन की तरंग से जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा निबंधकार के विषय में बहुत अधिक और उसके द्वारा प्रस्तुत निबंध के विषय में बहुत कम जानकारी होती है । ऐसी स्थिति में निबंधगत विचारों और भावों का कसाव संभव नहीं है । इसी कारण कैंव निबंध को अनिवार्यतः अगूढ़ ( नेसेसरिली सुपरफिशियल ) और जर्निमूल अव्यवस्थित ( इरेगुलर ) रचना स्वीकार करते हैं । पर जो लोग निबंध को गद्य-साहित्य का प्रधान अंग मानते हैं उनको दृष्टि में संभवतः यह अगूढ़ और अव्यवस्थित रचना न स्वीकृत हो सकेगी ।

यही निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व-चित्रण की विधि की बात कुछ और स्पष्ट हो जानी चाहिए । ऊपर इसका निर्देश हुआ है कि इसके ( व्यक्तित्व-चित्रण के ) द्वारा प्रस्तुत निबंधकार के व्यक्तिगत निबंध में निबंध-विचार और उसका व्यक्तिगत विधान-विधि का अर्थ लेना कार की वैयक्तिकता चाहिए । विधान-विधि वा लेखन-शैली में तो निबंधकार का व्यक्तित्व रहेगा ही, अतः इसके विषय में कुछ कहने की



आयत्नता नहीं है। निबंध में निबंधकार के व्यक्तिगत विचार किस रूप में अते ई या जा सकते हैं, इस देखा देना चाहिए। निबंधकार निबंध में अपने व्यक्तिगत विचारों के चित्रण के लिए प्रस्तुत विषय से हटकर कभी कभी विषयांतर (टाइप्रेसन) अवसर करता है। पर यह विषयांतर या अवसरदत्ता ऐसी नहीं होती कि जर्माष्ट विषय एकदम पीछे धूट जाय और विषयांतर ही विषयांतर दृष्टिगत हो। व्यक्तित्व-चित्रणके लिए अँगरेजी के निबंधकारों का प्रवृत्ति इसी प्रकार की लक्ष्य होती है। वे प्रस्तुत विषय से मुँह मोड़कर कभी-कभी बड़ा बड़ा विषयांतर करते हैं। हिंदी के निबंधकारों में व्यक्तित्व-चित्रण के लिए जो विषयांतर दिग्गई पड़ता है वह छोटा और यथाप्रसंग होता है। वे प्रसंग वा अवसर जानेपर ही विषयांतर कर अपने व्यक्तिगत विचारों का चित्रण करते हैं। विषयांतर इनका प्रधान लक्ष्य नहीं रहता। जैसे, श्री बालकृष्ण भट्ट ने अपने 'विद्या के दाने' शीर्षक निबंध में शास्त्रा का प्रसंग जाने पर सुहृत्-शास्त्र की नूतनता, इसके द्वारा ब्राह्मणों की धनोपार्जन का ठिठली प्रवृत्ति आदि पर संक्षेप में अनूठ विचार प्रकट किए हैं, जिसके द्वारा उनके व्यक्तित्व की एक झलक मिल जाती है। इतने विषयांतर के पश्चात् वे तुरत अपने विषय पर आ जाते हैं। अभिप्राय यह कि अपने व्यक्तित्व की उप लगाने के लिए यदि निबंधकार निबंध में विषयांतर अवसर करता है तो बरे, पर यह संक्षिप्त और यथाप्रसंग होना चाहिए।

अँगरेजी साहित्य के निबंधों में निबंधकार के व्यक्तित्व-चित्रण का थोड़ा बहुत स्वरूप हमने ऊपर देखा। व्यक्तित्व चित्रण के इस स्वरूप के कारण वहाँ निबंध के लिए एक और बात बही जाने लगी है। जब निबंध में व्यक्तित्व-चित्रण की ही प्रधानता स्वीकार की चित्रण और मुख्य गई और मुख्य या प्रस्तुत विषय की गौणता, तब यह कहा विषय की सुच्छता जाने लगा कि निबंध का विषय सुच्छ से सुच्छ (मोस्ट ट्रिभिनल) भी हो सकता है, क्योंकि निबंधकार का लक्ष्य तो आत्मप्रदर्शन होता है, विषय पर तो उसकी दृष्टि बहुत ही कम रहती है। ऐसी स्थिति में 'रिलिज' (रैट्स), 'खडिया का एक टुकड़ा' (ए पोस जाय चाक)

आदि विषयों पर निबंध लिखे जाने लगे। हिंदी में भी ऐसे विषयों पर निबंध प्रस्तुत हुए हैं, पर उनकी दृष्टि अभीष्ट विषय पर अवश्य अधिक है। जैसे, श्री प्रतापनारायण मिश्र द्वारा लिखित 'दोत' और 'आप' नामक निबंध।

निबंध विस्तृत साहित्य का प्रधान अंग है, इसे सभी देशों के समीक्षक स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में निबंध में साहित्यगत सभी विशेषताओंका होना आवश्यक है। अँगरेजी के समीक्षक इसकी सरल विधान-निबंध और काव्य विधि, इसमें व्यक्तित्व के संनिवेश, इसकी अभिव्यक्ति के काव्यात्मक ढंग आदि पर दृष्टि रखकर इसे प्रगीत मुक्तकों (लीरिक्स) के समकक्ष रखते हैं। अँगरेजी के आधुनिक निबंध प्रायः इस प्रकार के होते भी हैं, उनके पढ़ने में काव्य का सा ही आनंद प्राप्त होता है। हिंदी में निबंध को काव्य-कोटि में रखने को प्रवृत्ति नहीं लक्षित होती। हाँ, भावात्मक निबंध और निगम का ही परिवर्तित और लघुरूप 'गद्यकाव्य' इस श्रेणी में अवश्य रखे जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ निबंध का संबन्ध गंभीरता और विचारात्मकता से ही जोड़ा जाता रहा है। यह उचित भी प्रतीत होता है, क्योंकि कविता या काव्य प्रस्तुत करने की सनातन शैली तो पद्य है ही, गद्य में उसे क्यों घसीटा जाय। इस विषय में आचार्य शुक्ल की भी यही धारणा है। इससे यह न समझना चाहिए कि विचारात्मकता की प्रधानता के कारण हिंदी-निबंधों में साहित्यिकता तथा रोचकता का कमी है, वस्तुतः बात ऐसी नहीं है, इसमें भी साहित्यगत आवश्यक विशिष्टताएँ प्राप्त होती हैं। क्योंकि निबंध में विचारात्मकता की प्रधानता के कारण विचारों की स्पष्टता के लिए इसकी लेखन-विधि में निबंधकार की विषय प्रस्तुत करने की, सम्यक् उदाहरण और उद्धरण द्वारा उसे स्पष्ट करने की, विषय के आरंभ, विकास तथा अंत में प्रभावात्मकता उत्पन्न करने की कला को परत की जाती है। यही उसकी शैली की रोचकता पर भी दृष्टि रखनी पड़ती है।

इस संक्षिप्त विवेचन द्वारा निबंध के स्वरूप के विषय में थोड़ी-बहुत बातें स्पष्ट हो गई होंगी। इसके स्वरूप पर विचार करते हुए हमारी दृष्टि पूर्व और

पश्चिम दोनों पर रही है इस विषय में क्यास्तान हम आचार्य शुक्ल द्वारा आचार्य शुक्ल के विचारों का भी निर्देश करते गए हैं। निवारित निरथ का यहाँ उद्देश्य भी स्मरण रखना आवश्यक है कि आचार्य शुक्ल स्वरूप के साहित्य सिद्धान्तों की विवेचना करते हुए भी हम इस विषय में उनके कुछ विचार देना चुके हैं—विशेषतः व्यक्तित्व-चित्रण के विषय में। उन्होंने इस विषय में विशेषतः अपने 'इतिहास' में पत्र तत्र कुछ लिखा है। निरथ के विषय में उनके दोष विचारों को यहाँ देना लेना अतिप्रसंग न होगा। आचार्य शुक्ल निरथ को गद्य साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग मानते हैं। इसकी रचना को भी वे एक गूढ़ और गभीर कार्य स्वीकार करते हैं, यह कहा जा चुका है। वे निरथ को 'गद्य की कसौटी' कहते हैं और उनका विचार है कि "भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निरथों में ही सबसे अधिक सम्भव होता है।"—(इतिहास, पृ० ६०५)। इससे विदित होता है कि जहाँ तक भाषा का संग्रह है, जो अभिव्यक्ति का साधन या कारण होता है, उहाँ तक निरथ का बड़ा महत्त्व है। वस्तुतः बात भी ऐसी ही है, क्योंकि भाषा की पूर्ण शक्ति के विकास को परलक्ष्य में ही सम्भव रूप से की जा सकती है, जहाँ भाषा अनेक शास्त्रों को स्वीकार करती हुई भी स्वच्छन्द रूप से चल सकती है, उसके प्रवाह में किसी भी प्रकार की रोक-टोक उपस्थित होने की सम्भावना नहीं रहती। और निरथ गद्य विधान का प्रधान स्थल है। पत्र की भाषा में अनेक निशिष्टताएँ अवश्य निहित रह सकती हैं, पर उक्त प्रवाह की उसमें प्रायः कम गुंजाइश दिखाई पड़ती है। इसका कारण पद्यगत नियंत्रण है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निरथ में इसलिए भी देखा जा सकता है कि इसमें गद्यकार जोड़े में ही अपने विचारों और भावों को लाघव (सुस्ती) के साथ रखने को बाध्य होता है—यदि गद्यकार सफल गद्यकार है तो। इस प्रकार भाषा प्रवाह की सुविधा तथा गद्य विधान के लाघव की आवश्यकता के कारण निरथ में भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास का दर्शन मिल सकता है। निरथ पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल की दृष्टि भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति के साधन भाषा की

विधिष्ठता पर ही नहीं प्रत्युत इसमें ( निबंध में ) अभिव्यक्त भावों और विचारों को प्रस्तुत करने की विधि पर भी है। अभिप्राय यह कि उनकी दृष्टि निबंध के कायविधान और आत्मविधान दोनों पर गई है। आचार्य शुक्ल उसी निबंध को उत्कृष्ट कोटि का मानते हैं जिसमें नए-नए विचारों की उद्भावना वा अभिव्यक्ति हुई हो, और वे विचार एक दूसरे से गुथे हुए हों, जिनके ( विचारों के ) पढ़ने से “पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार-पद्धति पर दौड़ पड़े।”—( इतिहास पृ० ६१० )। आचार्य शुक्ल का कथन है कि निबंध पढ़ने के पश्चात् यह आवश्यक है कि उसकी ( निबंध की ) महान विचारधारा “पाठकों को मानसिक भ्रमसाध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े।...”—( इतिहास, पृ० ६७२ )। निबंध के स्वरूप के विषय में आचार्य शुक्ल के उपर्युक्त विचारों को देखने से स्पष्टतः लक्षित होता है कि वे निबंध में विचारों की कसावट पर विशेष जोर देना चाहते हैं, जो निबंध का मुख्य तत्त्व है। निबंध के विषय में आचार्य शुक्ल ने सर्वत्र ऐसे ही विचार प्रकट किए हैं—( देखिए इतिहास, पृ० ६०५, ६०९, ६१०, ६३०, ६७२ )। निबंध के विषय में सर्वत्र उन्होंने संक्षेपतः यही निर्धारित किया है कि उसमें भाषा-विधान तथा अर्थ-विधान की सुस्ती आवश्यक है। इसमें वे ‘भाषा के नूतन शक्ति-चमत्कार’ की निहितिके साथ ही विचारों की सुगठित परंपरा की निहितिके भी देखना चाहते हैं, जिसके पढ़ने से पाठक को नूतन विचारों की उपलब्धि हो। यहाँ स्मरण यह रखना चाहिए कि जिन आचार्य शुक्ल ने निबंधों में विचारों की कसावट का प्रतिपादन किया है उन्होंने ने वह भी कहा है कि निबंधकार निबंध-रचना करते समय बुद्धि के साथ अपने हृदय को भी लेकर चलता है। यह बात ‘चित्तामणि’ के ‘निवेदन’ द्वारा स्पष्ट हो जाती है। वस्तुतः कोरी बुद्धि द्वारा लिखे निबंध सच्चे निबंध कहे ही नहीं जा सकते। आचार्य शुक्ल द्वारा निर्धारित निबंध के इस स्वरूप से यह स्पष्टतः विदित होता है कि उनके वे सब विचार विचारात्मक निबंध के विषय में ही हैं। निबंधों का स्वरूप-निर्धारण उन्होंने विचारात्मक निबंधों को लक्ष्य में रखकर ही किया है। इसका कारण यह है कि वे विचारात्मक निबंधों को ही निबंध का सचा रूप मानते थे। उनकी दृष्टि में विचारात्मक निबंध ही उच्च कोटि

के निरर्थक हैं। निरर्थक निरर्थकता की व्यक्तिगत विशेषता वा व्यक्तित्व के चित्रण के विषय में आचार्य शुक्ल भी क्या धारणाएँ हैं, इसका विचार पहले हो चुका है।

आचार्य शुक्ल ने जिस विचारात्मक क्रांति के निरर्थकता का स्वरूप निधारण किया है और जिसकी श्रेष्ठता का वे प्रतिपादन करते हैं, जिसे हमने ऊपर देखा है, उसी विचारात्मक क्रांति के निरर्थकता भी उन्होंने लिखे। वे जैसे उन पर हैं, इसकी चर्चा यथासंभव की जायगी।

निरर्थकता के स्वरूप पर विचार हो चुका, अब उसके प्रकारों को भाँटकर लेना चाहिए। सामान्यतः निरर्थकता के पाँच प्रकार स्थिर किए गए हैं, जिनके अंतर्गत साहित्य में प्रचलित सभी प्रकार के निरर्थकता आ जाते हैं। निरर्थकता के प्रकार उन प्रकारों के नाम हैं—(१) विचारात्मक, (२) भावात्मक, (३) आत्मव्यञ्जक, (४) वर्णनात्मक और (५) कथात्मक। विचार करने पर निरर्थकता के इस प्रकार के वर्गीकरण के मुख्य दो आधार स्थित होते हैं। एक आधार वह जिसका संरक्ष मानवगत हृदय और बुद्धि से है, जिसके अंतर्गत निरर्थकता के उपर्युक्त प्रथम तीन प्रकार आते हैं। दूसरा आधार वह जिसका संरक्ष साहित्य में प्रचलित अभिव्यक्ति-शैली या विषय प्रस्तुत करने की पद्धति से है, जिसके अंतर्गत निरर्थकता के उपर्युक्त अंतिम दो प्रकार आते हैं। यदि अभिव्यक्ति-शैली के रचन पर दृष्टि न रखी जाय तो निरर्थकता के केवल दो ही प्रकार—विचारात्मक और भावात्मक—निरर्थकता होंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति-शैली के आधार पर वर्गीकृत निरर्थकता में भी भाव और विचार ही व्यक्त किए जाते हैं और आत्मव्यञ्जक निरर्थकता में भी आमद्वयजना की प्रेरणा भाव वा विचार से ही मिलती है। अभिप्राय यह कि वस्तुतः निरर्थकता दो ही प्रकार के हैं—विचारात्मक और भावात्मक। साहित्य के मूल आधार भाव और विचार हैं ही। हाँ, निरर्थकता के इन प्रकारों के स्थिर हो जाने पर किसी निरर्थकता में विचारों की प्रधानता दृष्टिगत होगी और किसी में भाव की, किसी में दोनों का समान रूप मिलेगा। कुछ रचनाएँ

ऐसी भी मिल सकती हैं जिनमें विचारों की प्रधानता नहीं, प्रत्युत विचार मात्र की ही अभिव्यक्ति हो। ऐसी रचनाएँ निबंध के स्वरूप की परिमिति में न आएँगी, ये प्रबंध ( ड्रीटाइज ) कही जायेंगी, जिनमें निबंधगत रोचकता और साहित्यिकता नहीं दृष्टिगत होती। भावात्मक निबंधों के विषय में कहना यह है कि इनमें भी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। बुद्धिपूर्वक उदित और चित्रित भाव ही साहित्य की कोटि में आ सकते हैं। इसका कारण यह है कि बुद्धि बिना हृदय के सहयोग के भी कार्य कर सकती है—यह बात दूषी है कि इसके असहयोग के कारण साहित्य में पूर्णता न आएगी, पर हृदय बिना बुद्धि के नहीं चल सकता, यदि वह ऐसा करेगा तो पागल समझा जायगा। यस्तुतः बात यह है कि भावोदय भी बुद्धि वा शान के सहारे होता है। ऐसी स्थिति में भावात्मक निबंधों में भी बुद्धि वा विचार अपेक्षित है। इस प्रकार के निबंधों में विचारपूर्वक उदित भावों की अभिव्यक्ति विचार-पूर्वक होती है। इस प्रकार हम देखते यह हैं कि भावात्मक निबंधों में भी बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। विचारात्मकता इसमें भी बाह्यनीय है। निष्कर्ष यह है कि यस्तुतः निबंधों के विचारात्मकता तथा भावात्मक दो ही प्रकार स्थिर किए जा सकते हैं। इनमें भी विचारात्मक प्रकार का विशेष महत्व है।

भारत में निबंध के प्राचीन रूप, आधुनिक काल में हिंदी-निबंध का पारंपारिक निबंध से प्रभावित होना, निबंध के स्वरूप तथा उसके प्रकार आदि शास्त्रव्य विषयों पर विचार प्रत्युत विषय की विवेचना में आचार्य शुक्ल के सुविधा और स्पष्टता के हेतु ही समझना चाहिये। निबंध के आरंभिक निबंध स्वरूप का विवेचन करते हुए इस विषय में आचार्य शुक्ल की मान्यताएँ भी देखी गई हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी-साहित्य को जितने प्रकार की रचनाएँ प्रदान की हैं उन सभी प्रकार की रचनाओं का श्रीरंगेश उनके साहित्यिक जीवन के आरंभ से ही दिखाई पड़ता है। उन रचनाओं के प्रत्युत करने की प्रतिभा का बीज उनमें ( आचार्य शुक्ल में ) पहले से ही विद्यमान था, जो उत्तरोत्तर विकसित होकर पूर्णविद्या को प्राप्त हुआ। उनकी आलोचना वा उसकी शक्ति के विकास पर हम विचार कर चुके

है। आचार्य शुक्ल के निरघ या उनका लेखन कला का विकास भी कमजोर हुआ है। 'चिन्तामणि' के निरघा में जो प्रौढ़ता और परिष्कार दृष्टिमान होता है वह सदृश ही नहीं जा सकता है। ये निरघ तो उनका निरघ-रचना-शक्ति के विकसित और प्रौढ़तम पक्ष हैं। अपने साहित्यिक जीवन के आरम्भ में आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किए गए निरघा में से कुछ के नाम हैं—'साहित्य' 'भाषा की शक्ति', 'उपन्यास', 'भारतेंदु हरिश्चन्द्र और हिंदा' और 'निरघा'। ये उनके बहुत प्राचीन निरघों में से हैं। 'साहित्य' नामक निरघ सन् १९०६ की 'सरस्वती' में प्रकाशित हुआ था और 'भाषा की शक्ति' नामक निरघ 'जानदकादयिनी' में। इसी प्रकार उपर्युक्त शेष निरघ भी प्राचीन ही हैं। इन निरघा के निरघों को देखने से सिद्ध होता है कि आचार्य शुक्ल में उन सभी प्रकार के निरघों पर निरघ प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति आरम्भ से ही है जिन निरघों पर लिखे निरघ 'चिन्तामणि' में प्राप्त हैं, और जो उनके उष काल के निरघ समझे जाते हैं। उनके ये प्राचीन निरघ भी सैद्धांतिक तथा ऐतिहासिक, आलोचना और मनोविकार से संबद्ध विषया पर लिखे गए हैं। ये भी विचारत्मक या विवेचनात्मक निरघ हैं। इन निरघों की लेखन-शैली भी वैसी ही है जैसी उनके इतर के निरघों में प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें जगत् होता है कि आचार्य शुक्ल के प्राचीन तथा इतर के प्रौढ़ निरघा की प्रवृत्तियों में साम्य है। जिस प्रकार के निरघ उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की प्रौढ़ावस्था में लिखे हैं उन प्रकार के निरघों को लिखने की प्रवृत्ति उनमें आरम्भ से ही थी। जब इतर के उनके प्रौढ़ निरघ उनके प्राचीन निरघा के विकसित रूप हैं, उनमें निरघ लेखन-कला का विकास प्रमत्त हुआ है। यद्यपि आचार्य शुक्ल द्वारा इन दो अवस्थाओं में ऐसे निरघों में अनेक प्रकार का साम्य है तथापि इसे भी स्मरण रखना चाहिए कि उनके प्राचीन निरघा में निरघ के सभी तपस का पूर्ण सन्निवेश नहीं प्राप्त होता। यह संभव नहीं है, क्योंकि ये उनके आरम्भिक निरघ हैं। फिर भी उस समय जो साहित्यिक निरघ लिखे जाते थे उनमें उनका महत्पूर्ण स्थान है।

आचार्य शुक्ल के जिन आरम्भिक निरघों की चर्चा ऊपर हुई है उनके

धार्मिक उनकी ( आचार्य शुक्ल की ) प्रौढावस्था में लिखे गए प्रायः सभी निबंध 'चित्तमणि' में संगृहीत हैं । इन निबंधों को देखने से विदित होता है कि इनकी दो श्रेणियाँ सरलतापूर्वक बाँधी जा सकती हैं । एक श्रेणी में तो भावों वा मनोविकारों पर लिखे गए निबंध आते हैं और दूसरी श्रेणी में समीक्षात्मक निबंध । इन समीक्षात्मक निबंधों के भी स्पष्टतः दो विभाग

रूखित होते हैं । एक विभाग में वे निबंध आएँगे जो सैद्धान्तिक समीक्षा पर लिखे गए हैं; जैसे, 'कविता क्या है?', 'काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था', 'साधारणोद्धारण और व्यक्ति-वैश्वव्यापद' तथा 'स्वात्मिक बोध के विविध रूप' । सैद्धान्तिक समीक्षा पर प्रस्तुत हुए इन निबंधों को हम काव्य-शास्त्रीय निबंध भी कह सकते हैं । दूसरे विभाग में वे निबंध आएँगे, जो व्यावहारिक समीक्षा पर लिखे गए हैं; जैसे, 'भारतेंदु हरिश्चंद्र', 'तुलसी का भक्ति-मार्ग' और 'मानस की धर्म-भूमि' । भावों वा मनोविकारों पर लिखे गए निबंधों के नाम इस प्रकार हैं—'भाव या मनोविकार', 'उत्साह', 'भ्रष्टा-भक्ति', 'कठना', 'दया और ग्लानि', 'लोभ और प्रीति', 'शृणा', 'ईर्ष्या', 'भव' और 'क्रोध' ।

भावों वा मनोविकारों पर आचार्य शुक्ल द्वारा इन निबंधों का प्रस्तुत किया जाना हिंदी-साहित्य में एक नवीन घटना है । इस विषय पर जिस रूप में वे निबंध हैं उस रूप में प्रस्तुत होकर चाहे किसी भी साहित्य मनोविकारों पर लिखे का सरलतः ऊँचा कर सकते हैं । इस विषय का प्रतिपादन गए निबंध ( ट्रीटमेन्ट ) आचार्य शुक्ल ने जिस रूप में किया उस रूप में इस विषय पर विचार शायद ही किसी देश के साहित्य में मिले । आचार्य शुक्ल के पूर्व हिंदी के निबंधकारों ने भावों वा मनोविकारों को

किसी विषय ही के मुल से सुना था कि आचार्य शुक्ल के इन निबंधों में से कुछ के अनुवाद किसी विदेशी भाषा में हुए हैं । इस बात की सत्यता की प्रासांगिकता के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।



अपने निरपेक्ष का विषय तो उपाय पर वे इन पर साहित्यिक दृष्टि से विचार न कर सके जैसा कि आचार्य शुक्ल ने किया। कितना भी विषय पर लिखकर उसे साहित्यिक पुष्ट वा रंग देने की क्षमता उन निरपेक्षकारों में नहीं लक्षित होती। श्री बालकृष्ण भट्ट ने मानसिक शक्ति से संयुक्त 'आत्मनिर्भरता' पर निबन्ध तो प्रस्तुत किया पर उसमें अधिकतर इसके द्वारा होनेवाले लाभों की ही चर्चा की। उन्होंने इसका एक आत्मशक्ति वा भाव के रूप में प्रदूषण करके इस पर विचार नहीं किया। श्री प्रतापनारायण मिश्र ने अपने 'मनोविज्ञान' नामक निबन्ध में भी इसके लाभ हानि का ही विचार किया है। श्री माधवप्रसाद मिश्र के 'धृति और धर्मा' नामक निबन्ध में भी इनका (धृति और धर्मा का) भावों के रूप में विवेचन नहीं है प्रत्युत धर्मशास्त्रीय विवेचन है। वे ऐसे ही विषयों पर लिखते भी थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी के अन्य निरपेक्षकारों ने भावों पर निबन्ध लिखा तो अत्यन्त पर उन्होंने उन पर विपुल भावों को दृष्टि से विचार नहीं किया। उन्होंने मनाभावों की उत्पत्ति, उनके लक्षण और विकास आदि की दृष्टिपथ में खबर उन्हीं नहीं देता। आचार्य शुक्ल ने ऐसा किया है। उन्होंने मनोविज्ञान की उत्पत्ति, उनके लक्षण और विकास का अध्ययन व्यावहारिक जीवन और समाज में करके उन पर निबन्ध प्रस्तुत किए। शुद्ध मनोविज्ञान वा मनोशास्त्र की आँख से भावों वा मनोविकारों को देखकर उन्होंने उन पर निबन्ध नहीं लिखा, उन्होंने इनको (भावों का) जीवन और समाज में अपनी आँख से देखा, उनका अनुभव किया और उह निबन्ध का रूप दिया। सभ्य है उन्हें इस कार्य में कहीं कहीं मनोशास्त्र से कुछ सहायता मिली हो, पर जिस रूप में ये निबन्ध हमारे समक्ष हैं उस रूप में उन्हें देखने पर स्पष्ट विदित हो जाता है कि लेखक को भावों का सामाजिक और व्यावहारिक अनुभव है। उसने अपनी अनुभवशीलता के बल पर इनका विवेचन किया है, शाब्दिक रूप पर नहीं। भावों पर लिखे गए निबन्धों द्वारा इनके विषय में आचार्य शुक्ल की पूर्ण और सच्ची अनुभवशीलता का परिचय मिलता है। इनसे विदित होता है कि उह इनके (भावों के) सामाजिक और व्यावहारिक स्वरूप का कितना सम्पूর্ণ ज्ञान था। उनकी दृष्टि भावों के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों वा स्वरूपों पर गई है, जिससे

उनकी अनुभूतिशीलता चोत्तित होती है। आचार्य शुक्ल ने मानव-जीवन और समाज में व्यवहृत प्रधान-प्रधान भावों पर ही विचार किया है। पर इन प्रधान भावों पर विचार करते हुए ही प्रसंग उपस्थित होने पर उन्होंने छोटे-छोटे भावों पर भी विचार कर लिया है। जैसे, 'भय' पर विचार करते हुए 'भयानका' का विचार, 'क्रोध' पर विचार करते हुए 'प्रतिकार' का विचार इत्यादि। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव-जीवन और समाज में आनेवाले बड़े और छोटे सभी प्रकार के भावों का उन्होंने विवेचन कर लिया है। उपर्युक्त विवेचन से आचार्य शुक्ल की भावों की अनुभूतिशीलता तो स्पष्ट ही है, साथ ही यह भी स्पष्ट है कि भावों वा मनोविकारों पर निबंध प्रस्तुत करते समय उनकी दृष्टि मनोशास्त्र पर नहीं प्रत्युत इनके ( भावों के ) समाज और जीवन-गत व्यवहारिक स्वरूपों पर है। इसी कारण हम आचार्य शुक्ल को इन निबंधों को मनोवैज्ञानिक निबंध नहीं कहते। उन्होंने मनोविज्ञान पर निबंध नहीं लिखा है प्रत्युत भावों वा मनोविकारों के व्यवहारिक स्वरूपों पर निबंध प्रस्तुत किया है। उनके इन निबंधों को कोई भी विश्व मनोशास्त्रीय निबंध नहीं कह सकता। इनमें भावों का शास्त्रीय विवेचन नहीं प्रत्युत व्यावहारिक विवेचन है। एक और दृष्टि से भी हम इन्हें मनोवैज्ञानिक निबंध नहीं कहते। हम पर विदित है कि आचार्य शुक्ल एक साहित्यिक व्यक्ति थे और किसी भी विषय को साहित्य की दृष्टि से देखा करते थे। अतः उन्होंने भावों पर विचार भी एक साहित्यिक के रूप में ही किया है, मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं। मनो-वैज्ञानिक की भाँति उन्होंने भावों की छान-बीन नहीं की है, वह ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है। उनके इन निबंधों में साहित्य का समावेश सर्वत्र मिलता है। भावों पर विचार करते हुए भी वे अपनी साहित्यिकता वा साहित्य को नहीं त्याग सके। इसी कारण इन निबंधों में मनोवैज्ञानिक लेखों की भाँति दुरुद्धता तथा रुखापन नहीं है। इनमें सरलता, रोचकता तथा साहित्यिकता है। इस विवेचन से हमारा तात्पर्य यही है कि भावों पर लिखे गए आचार्य शुक्ल के निबंध मनोवैज्ञानिक निबंध नहीं, प्रत्युत साहित्यिक निबंध ही हैं। उनका साहित्यिक मूल्य है, मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं। हाँ, उन्होंने मनोवेगों

का समानगत तथा जोरनगत व्यावहारिक स्वरूप अवश्य ग्रहण किया है और उसे साहित्य की दृष्टि से प्रस्तुत किया है।

भाषा या मनोविकारों पर लिखे गए निबंधों के विषय में एक बात और कहनी है। यह है इन पर लिखे गए आरम्भिक निबंधों के विषय में, जिन में से इस समय 'मित्रता' नामक निबंध ही मित्रता है। यह 'मित्रता' नामक निबंध भाषा पर लिखे गए इधर के निबंधों की भाँति गूढ़न आरम्भिक निबंध नष्ट है। पर मित्रता के भाव के विषय में जानन और समानगत व्यावहारिक स्वरूपों पर इसमें विचार उत्पन्न है, यद्यपि उस प्रकार के विचार की प्रधानता इसमें नष्ट मिलती, जैसी कि इधर के निबंधों में मिलती है। यह उनका आरम्भिक निबंध है भी। इसमें ऐसे विचार का विकसित रूप मिल भी नहीं सकता है। हाँ, भाषा के विषय में इधर के जो निबंध हैं, उनके विकसित स्वरूप का रोज इसमें अवश्य मिलता है। 'मित्रता' नामक निबंध देखने से प्रसिद्ध होता है कि यह शिष्टात्मक और थोड़ी प्रिया बुद्धिवाले के लिए है। यह बात इसकी वाक्य-योजना में स्पष्टतः जानासूचक (इम्प्लिय) वाक्यों से स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि इसकी शैली प्रायः व्याकरण-आत्मक है, जिसका लक्ष्य होता है प्रभावोत्पादन। शिष्टा के लिए इस शैली की विशेष आवश्यकता होती है। मित्रता से लाभ हानि के उदाहरण इसमें विशेष हैं जो प्रायः इतिहास से लिए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह निबंध उन निबंधों की भाँति परिपूर्ण नहीं है जो आचार्य शुक्ल का प्रौढत्व में लिखे गए हैं। इसमें भाषा और विचारों की विधान-पद्धति सरल है। पर यह तो निश्चित ही है कि यह भी प्रौढ निबंधों की भाँति विचार-आत्मक निबंध ही है।

आचार्य शुक्ल के समीक्षात्मक निबंधों के विषय में कुछ विचार कर लेना चाहिये, यद्यपि इनके विषय में कुछ विचार कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, क्योंकि समीक्षा का क्षेत्र ही आचार्य शुक्ल का प्रधान क्षेत्र था। उन्होंने समीक्षात्मक निबंध ही विशेष लिखे। यह बात हम आचार्य शुक्ल के मन्तव्य ही कह रहे हैं, क्योंकि 'भ्रमरगातसार' की भूमिका को उन्होंने

‘आलोचनात्मक निबंध’ और ‘जायसी-ग्रंथावली’ की भूमिका को ‘विस्तृत निबंध’ कहा है। ‘भोस्वामी तुलसीदास’ में भी तुलसीदास पर लिखे गए विभिन्न निबंधों का संग्रह है।

समीक्षात्मक निबंध से हमारा तात्पर्य व्यावहारिक समीक्षा पर तथा सैद्धांतिक समीक्षा वा काव्य-शास्त्र पर लिखे गए निबंधों से है, इसे हम पहले ही कह चुके हैं। स्थूलतः इन्हें साहित्य-विषयक निबंध भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के निबंध हिंदी-साहित्य में बराबर लिखे जाते रहे हैं और अब भी लिखे जाते हैं। पर आचार्य शुक्ल के इन निबंधों का विशेष महत्त्व है। वह इस दृष्टि से कि व्यावहारिक आलोचना के निबंधों में उनकी अपनी प्रवृत्ति वा पद्धति का समावेश मिलता है, उन्होंने स्वतः इस कार्य में आदर्श स्थापित किया और सैद्धांतिक समीक्षा वा काव्यशास्त्र पर लिखे गए निबंधों में उन्होंने अपना मत प्रतिपादित किया, जिसका संबंध न भारतीय काव्य-शास्त्र से विशेष है और न किसी अभासतीय काव्य-शास्त्र से ही। उनमें उनके स्वर्ण के अध्ययन, मनन और चिंतन से प्रसूत विचार वा सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। हिंदी-साहित्य में इस प्रकार के निबंध आचार्य शुक्ल के ही दिखाई पड़ते हैं। द्विवेदी-युग में काव्य-शास्त्र पर जो निबंध लिखे जाते थे उनमें भारतीय काव्य-शास्त्रियों के मतों का ही अनुगमन मिलता है, उनमें लेखक की कोई अपनी सूझ नहीं मिलती। स्वतः द्विवेदीजी के ‘कवि और कविता’ नामक निबंध में यह बात देखी जा सकती है। लायावाद-युग के साहित्य-विषयक निबंधों में काव्य पर पाश्चात्य विचारों का कथन विशेष मिलता है। हाँ, इस युग में कुछ निबंधकार ऐसे अवश्य हुए जो इस विषय में अपना स्वयं मत रखते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल के काव्य-शास्त्रीय निबंधों का बड़ा महत्त्व है। उनके व्यावहारिक समीक्षा पर लिखे गए निबंधों का भी कुछ कम महत्त्व नहीं है।

आचार्य शुक्ल के निबंधों का वर्गीकरण करके उनके एक-एक वर्ग पर अब तक विचार हुआ है। अब समग्रतः उनकी विशेषताओं वा प्रवृत्तियों के विषय

म भी विचार कर लेना चाहिए। निरघ के स्वरूप की आचार्य शुक्ल के निबंधों में विवेचना की जा चुकी है। इस विषय में आचार्य शुक्ल की विशेषताएँ के विचार भी देखे जा चुके हैं। सचे निरघ की विशेषताओं को दृष्टि में रखकर यदि आचार्य शुक्ल के निबंधों पर विचार किया जाए तो विदित होगा कि उनमें इसरी सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं। निरघ में सघटित विचारों की अभिव्यक्ति, उसमें ध्वनित्रय की निहित आदि, जो निरघ के परमात्मक तत्त्व माने जाते हैं, सभी आचार्य शुक्ल के निरघा में प्राप्त हैं।

निरघ के विषय में आचार्य शुक्ल के विचारों को देखते हुए हम देख चुके हैं कि वे निरघ में सघटित विचारों की परंपरा की निहित और उनमें पारस्परिक लगाव पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक सघटित विचार परंपरा समझते हैं। उनकी दृष्टि में निरघा के अनेक तत्त्वों में से यह प्रधान तत्त्व है। उनके निरघा में इस तत्त्व की निहित सबन देखी जा सकती है। उन्होंने सदैव एक विचार को दूसरे विचार से संबद्ध रखने का प्रयत्न किया है। उनके निरघा में विचारों की परंपरा कहीं टूटती हुई भी नहीं लक्षित होती। इस कारण निरघा में कयावट स्वत ही जा गई है। निरघ की यह विशेषता आचार्य शुक्ल के 'भाव या मनोविकार' नामक निरघ में भली भाँति देखी जा सकती है।

निरघ में सघटित विचार परंपरा की अभिव्यक्ति को लेकर एक प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति में निरघ का वैशिष्ट्य विषय प्रधानता में माना जाए अथवा व्यक्ति-प्रधानता में, जो आधुनिक काल में उसके विषय प्रधानता तथा (निरघ के) तत्त्वा में अति प्रधान तत्त्व स्वीकृत किया गया है। वहीं तक निरघ में गठी हुई विचार परंपरा की निहित का संबंध है वहीं तक उसे विषय-प्रधान ही कहा जायगा—असौ विषय पर सघटित विचार परंपरा की अभिव्यक्ति पर लक्ष्य के कारण। ऐसी अवस्था में निरघों के सच्चे स्वरूप के अनुसार उनका निरघ प्रदान होना अत्यावश्यक है। बात ऐसी है अवश्य, पर इसके साथ

निबंधगत व्यक्ति-प्रधानता का कोई-विरोध हमें नहीं लक्षित होता, क्योंकि निबंध में निबंधकार की सीधी उसके व्यक्तित्व से अनुस्यूत होती ही है, किसी विषय के प्रतिपादन में उसकी रूचि, उसके कार्यक्षेत्र (साहित्य आदि), उसके अध्ययन-मनन आदि की प्रेरणा होती ही है और अभीष्ट विषय पर विचार करते हुए उसके विषय के अतिरिक्त, पर उन्हीं से येनकेन प्रकारेण संबद्ध, अपने विचारों की अभिव्यक्ति वह प्रासंगिक विषयांतर द्वारा करता ही है—यदि वह सच्चा निबंधकार है और निबंध में अपने व्यक्तित्व की निहिति पर उसका लक्ष्य है। इस प्रकार निबंधगत विषय-प्रधानता और व्यक्ति प्रधानता में कोई विरोध नहीं जान पड़ता। सच्चे निबंधकारों के निबंधों में इन दोनों तत्त्वों की निहिति द्रव्य ही हो जाती है। आचार्य शुक्ल के निबंध में इनका उपयुक्त और संबन्ध संनिवेश मिलता है। 'चिन्तामणि' के 'निवेदन' में उन्होंने कहा है—“.....इस बात का निर्णय मैं बिना पाठकों पर ही छोड़ता हूँ कि ये निबंध विषय प्रधान हैं या व्यक्ति-प्रधान।” उनके निबंध विचाररत्मक होने के कारण विषय-प्रधान तो हैं ही, पर साथ ही उनमें व्यक्तित्व की भी अग्रधानता नहीं है। उनके निबंधों में उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप है। हिन्दी में वस्तुतः उन्होंने वैयक्तिक निबंधों का भावपूर्ण प्रस्तुत किया। अपने निबंधों में इन दोनों तत्त्वों की निहिति का अनुभव करते हुए भी आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त बात कही कही। इसका भी कारण है। बात हुई वह कि जब पाश्चात्य समीक्षकों ने निबंधगत व्यक्तित्व की निहिति को ही उसका एकमात्र लक्ष्य स्वीकार किया तथा इसका (निबंध में व्यक्तित्व की निहिति का) वे अनेक सममूला अर्थ करने लगे और निबंधगत अभीष्ट विषय पर उनकी दृष्टि जमने ही न लगी, तब आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त कथन द्वारा अपना यह मत प्रकट करने का प्रयत्न किया कि निबंध में व्यक्तित्व की निहिति के साथ ही अभीष्ट विषय की भी अवहेलना नहीं की जा सकती। व्यक्तित्व की निहिति की भी उन्होंने युक्तिसंगत व्याख्या की, जिसे हम देख चुके हैं। निबंधगत विषय और व्यक्तित्व दोनों को उन्होंने समान स्थान दिया। और जिन निबंधों में इन दोनों तत्त्वों की अभिव्यक्ति मिलती है उन्हें भी वे वैयक्तिक निबंध ही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की स्वीकृति का कारण भी अस्मंगल नहीं है, क्योंकि निबंधगत विषय और निबंधकार के

व्यक्तित्व के प्रतिष्ठित संप्रदाय का विवेचन हम कर चुके हैं। इस विवेचन का अभिप्राय यह कि आचार्य शुक्ल ने निरवगत विषय और व्यक्तित्व के विषय में अपनी राय का ज़रूरत से अधिक प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने विषय और व्यक्तित्व दोनों का समन्वय किया, विषय पर विचार करते हुए उन्होंने अपने व्यक्तित्व को भी पाठ नहा रखा। आचार्य शुक्ल द्वारा अपने निबंधों में विषय की अभिव्यक्ति के विषय में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, उनके निबंधों में सघटित विचार परंपरा की निहितता और उसके पारम्परिक लक्षणों की विवेचना हम कर चुके हैं, जिसका उदाहरण विषय के प्रतिपादन या उसका अभिव्यक्ति से ही है। उनके निबंधों में व्यक्तित्व की निहितता का क्या स्वरूप है, इसे ही देना चाहिए।

आचार्य शुक्ल के निबंधों में उनके व्यक्तित्व की निहितता पर विचार करते हुए हमका स्मरण रखना आवश्यक है कि वे साहित्यिक थे, जहाँ साहित्य-विषय उनके निबंधों में तो साहित्य की चर्चा है ही, निबंधों में आचार्य भाषों या मनोविज्ञानों पर लिखे गए निबंधों में आचार्य शुक्ल के साहित्यिक यथाप्रसंग साहित्य का बात आई है। इन निबंधों में व्यक्तित्व की निहितता साहित्य की बातों को कहने के लिए विषयान्तर हो आवश्यक करना पड़ा है, क्योंकि बिना इसके ऐसा होना संभव ही नहीं था, पर यह विषयान्तर भी प्रसंग-आधे पर हुआ है। साहित्य की बातों को कहने के लिए ही विषयान्तर नहीं किया गया है। जैसे, 'श्रद्धा-भक्ति' नामक निबंध में प्रसंगगत देवी मारीगरी, चित्रकारी और संगीत पर जो विचार हुआ है वह साहित्य और साहित्यिक की दृष्टि में ही। अभिप्राय यह कि आचार्य शुक्ल के साहित्यिक व्यक्तित्व की निहितता उनके निबंधों में देखा जा सकती है।

आचार्य शुक्ल के निबंधों में उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति पर विचार करते हुए उनके लोकवाद या लोकवादीवाद पर भी दृष्टि रखनी आवश्यक है। उन्होंने लोक या समाज की स्थिति और उसकी रक्षा पर निबंधों में लोकवाद सर्वप्रधान दिया है। लोक की स्थिति में विपन्नता या जाने से, उसमें लोभियों, लपटों, रसार्थियों आदि कल्पित व्यक्तियों

अथवा राष्ट्रों की वृद्धि से और इनके समाज से हटने वा सुधारने के अप्रयत्न से समाज की रक्षा भी संभव नहीं हो सकती। समाज की स्थिति और उसकी रक्षा के लिए ऐसे व्यक्तियों और राष्ट्रों की आवश्यकता है जिनमें परस्परिक सहानुभूति हो, जो एक दूसरे का दुःख-सुख समझ सकें। ऐसे व्यक्ति और राष्ट्र से समाज वा लोक का कल्याण न होगा जिन्हें दूसरों का गला घोटकर स्वयं समृद्ध बनने की लालसा है और जो सशक्त होने पर अपनी इस लालसा की पूर्ति भी कर लेते हैं। लोकवाद के विषय में आचार्य शुक्ल के ये विचार भावों वा मनोविकारों पर प्रस्तुत हुए निबंधों में विशेष रूप से दृष्टिगत होते हैं। 'श्रद्धा-भक्ति' और 'भव' नामक निबंधों में इस लोकवाद की निहित प्रसंगवश विशेष मिलती है। जिस निबंधकार की दृष्टि समाज की स्थिति तथा रक्षा पर है और जो समाज में शांति तथा समता की स्थापना का समर्थक है उसके हृदय की विशालता का अनुभव सहज में ही किया जा सकता है।

आचार्य शुक्ल के निबंधों में यदि कोई नए ढंग की आत्माभिव्यक्ति को देखना चाहे, जैसा कि अँगरेजी के निबंधों में मिलता है, तो उसे भी निराशा

न होना पड़ेगा। पर इस नए ढंग की आत्माभिव्यक्ति भी

नए ढंग की आचार्य शुक्ल ने संयत-रूप से और सप्रसंग का है। इसके

आत्माभिव्यक्ति द्वारा विषय की स्पष्टता की सिद्धि होती है। पाश्चात्य वा अँगरेजी के समीक्षकों की दृष्टि में निबंधगत आत्माभिव्यक्ति

का अर्थ है निबंधकार द्वारा प्रथमपुरुष एक वचन में अपने से संबद्ध घटनाओं और व्यक्तियों आदि का उल्लेख, जिनका संबंध अभीष्ट विषय से नहीं भी हो सकता। कहना न होगा कि इस प्रकार की आत्माभिव्यक्ति के कारण अँगरेजी-निबंधों में प्रायः उच्छृङ्खलता के दर्शन होते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने से संबद्ध घटनाओं, व्यक्तियों आदि का उल्लेख किया है, पर वे सप्रसंग और विषय का स्पष्ट करने में सहायक हैं। जैसे विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभवों वा प्रत्यक्षों पर विचार करते हुए अपने विषय में उनका यह झुंझता—“रात्रि में, विशेषतः चपा की रात्रि में, शीतगुरो और शिष्टियों के सँकारभिन्नत सौत्कार का बँधा तार सुनकर मैं यही समझता था कि रात थोळ रही है।” (चिंतामणि, पृ० ३३३)। एक उदाहरण और देखें—



“... मैं अपने एक लखनवी दासलक्ष के साथ सांची का लूप देखने गया। यह स्थल एक बहुत नुदर छोटी सी पहाटी के ऊपर है। नीचे एक ओटा-भा जगह है जिसमें महोए के पेड़ भी बहुत से हैं। संयोग से उन दिना पुरातत्त्व-विभाग का रंप पड़ा हुआ था। रात हो जाने से हम लोग उस दिन लूप नहीं देख सके। सरेरे देखने का विचार करके नीचे उतर रहे थे। रात का समय था। महोए चारा जोर थपक रह गये। भरे मुँह ने निकला—‘महुओं की वैसी मीठी-महक आ रही है।’ इस लखनवी महाशयन मुझे रोसकर कहा—‘यहाँ महोए सहुए का नाम न लीकिए, लोग देहाती समझेंगे।’ मैं चुप हो गया, समझ गया कि महोए का नाम जानने से बायूपन भ्रष्टा भारी पड़ा लगता है।’—(चिंतामणि, पृ० १००)। जिन प्रसंगों पर वे बातें कही गई हैं उनको देखने से विदित होगा कि जेबल जपनी रात रहने के लिए ही इनकी अभिव्यक्ति कहा हुई है, प्रस्तुत उपयुक्त प्रसंग जाने पर इनकी योजना ही गई है।

आचार्य शुक्ल में हास्य, व्यंग्य और विनोद की जो प्रशंसा की अन्तर आने पर उसका दर्शन उनकी सभी प्रकार की रचनोक्ति में मिलता है। उनकी आलोचनाओं में इस प्रशंसा की निरीक्षण पर हम विचार हास्य व्यंग्य और पर चुके हैं। उनके निर्या में भी इसकी मात्रा कम नहीं विनोद है। अन्तर जाने पर आचार्य शुक्ल हास्य, व्यंग्य और विनोद से चूकते नहीं। ‘उत्साह’ नामक निर्या में अनेक प्रकार के शीशे पर विचार करने के पश्चात् उन्हें ही सचत व्यंग्य के साथ क कहते हैं—‘इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाने परावीर का उल्लेख यदि न हो तो रात अनूरी ही समझी जायगी। वे वाकीर जाबकल बड़ी बड़ी सभाओं के भचा पर से लेकर त्रिया के उठाए हुए पारिवारिक प्रपचा तफ में पाए जाते हैं और काफी तादाद में।’—(चिंतामणि, पृ० १६)। ऐसे स्थल उनके निर्या में अनेक मिल सकते हैं। इस प्रकार हास्य, व्यंग्य और विनोद को निरीक्षण द्वारा उनके निर्या में रोचकता भी प्रभूत परिमाण में आ गई है। एक रात और। उनके निर्या में इस प्रशंसा की निरीक्षण का सचय

उसमें उनके व्यक्तित्व के निहिति से भी जोड़ा जा सकता है।

'चितामणि' के 'निवेदन' द्वारा यह स्पष्टतः विदित होता है कि यद्यपि आचार्य शुक्ल ने निबंधों में बुद्धि का उपयोग प्रधान रूप से किया है तथापि हृदय भी बुद्धि के साथ ही था। इनमें बुद्धि और हृदय भावात्मकता दोनों की क्रिया का समावेश है। वही कारण है कि उनके विचारात्मक निबंधों में प्रसंग उपस्थित होने पर भावात्मकता की भी बड़ी अच्छी नियोजना हुई है जो फाल्गु नहीं, प्रत्युत समुचित स्थल पर होने के कारण, उपयुक्त प्रतीत होती है। उसकी शैली भी गभीर है। 'लोभ और प्रीति' नामक निबंध में इसका समावेश कई स्थलों पर तथा बड़ा सुंदर हुआ है। प्रेम के अंतर्गत देश-प्रेम पर विचार करते हुए एक स्थल पर आचार्य शुक्ल कहते हैं—“स्वखान तो किसी की 'लकड़टी अरु कामरिया' पर तीनों पुरों का राजविहासन तक स्थापने को तैयार थे पर देश-प्रेम की दुहाई देनेवालों में से कितने अपने भके-साँदे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूळ भरे पैरों पर रीसकर, या कम से कम न खीसकर, बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे? मोटे आड़मियों! तुम जरा-सा दुबले हो जाते—अपने अँदोलों से ही सही—तो न जाने कितनी टठरियों पर मांस चढ़ जाता।” (चितामणि, पृ० १०५)।

आचार्य शुक्ल के निबंधों की प्रतिपादन और भाषा की शैली में एक विचित्र मध्वता तथा विशालता (ग्रैंड्योर) है, जिनके द्वारा उनकी उठान, उनके विकास तथा उनकी समाप्ति में प्रभूत प्रभावात्मकता प्रतिपादन तथा भाषा-दृष्टिगत होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि इस प्रकार शैली में मध्वता और के निबंधों में बात कहने को विशेष नहीं होती, थोड़ी ही विशालता रहती है, पर कहीं इस ढंग से जाती है कि वह बहुत ही मध्व प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ, 'तुलसी का भक्तिमार्ग' 'मानस की धर्म-भूमि' तथा 'काव्य में लोकगंगल की साफनाचस्था' नामक निबंध देखे जा सकते हैं। इन निबंधों में आचार्य शुक्ल की निबंध-लेखन-कला के पूर्ण विकास का दर्शन होता है।

आचार्य शुक्ल के निबंधों के स्वरूपों की विवेचना की समाप्ति के पूर्व इनके

विषय में एक भ्रम का निवारण अतिप्रसंग न होगा। प्रायः यह कहा जाता है कि उनके निरय वडे होते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। हाँ, रक्षता का व्यव-इनमें गाम्भीर्य अवश्य है। वे गम्भीर विषयों पर लिखते ही गए-धारोप हैं। समीक्षात्मक निरयों में 'साधारणोत्तरण और व्यक्ति-चेचित्रवाद' तथा 'रसत्मक बोध के निरय रूप' निरय बहुत ही गम्भीर हैं। इसका कारण यह है कि इनमें उन्होंने अपने कुछ-मना वा सिद्धान्तों की स्थापना तथा उनकी विवेचना की है। वे गम्भीर अवसर ही पर लिखते नहीं होने पाए हैं। भावों या मनोचित्रों पर लिखे गए निरयों में भी यद्यपि विवेचना की गई है तथापि उनमें भी स्थापना नहीं आने पाया है। आचार्य शुक्ल ने समीक्षात्मक निरयों से वे अधिक रोचक हैं। अधिप्राय यह कि उनके निरय गम्भीर अवश्य हैं पर रूत नहीं। उन्होंने अपने निरयों में साहित्यिकता, हृत्त्व ध्वन्य विनोद, व्यक्तित्व आदि की निर्हित द्वार इन्हे बहुत ही रोचक बना दिया है। इस विषय में एक और बात पर ध्यान रखना आवश्यक है, वह यह कि उनके निरय उच्च कोटि के निरय हैं, इस कारण कम विद्या-बुद्धिवाला को वे कुछ दुर्बुद्ध प्रतीत हो सकते हैं, पर सच्चि-की अक्षमता के कारण उन पर स्तम्भन का आरोप युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता।

आचार्य शुक्ल की निरय शैली पर विचार करने के लिए इस पर ध्यान रखना आवश्यक है कि उनके निरय विचारात्मक हैं। विचारात्मक निरयों को प्रस्तुत करने की प्रधानत दो शैलियाँ प्रचलित हैं। एक निरयों की निगम-आगमन शैली (इडिक्टिव स्टाइल) और दूसरी निगमन मन शैली शैली (इडिक्टिव स्टाइल)। आगमनशैली में निरयकार अपने विचारा की विवेचना और व्याख्या करने के पश्चात् प्रपट्टक (पेरिफ्रास) के अंत में उनका निष्कर्ष सुनत कहता चलाता है। निगमन शैली में प्रपट्टक के आरम्भ में ही समाप्त या सूत्र रूप में विचारा वा सिद्धान्तों को व्यक्त किया जाता है और तत्पश्चात् व्यक्त विचारा वा सिद्धान्तों का प्रतिपादन उदाहरण, उदाहरण और तर्कों द्वारा किया जाता है, जिससे व्यक्त विचार स्पष्ट हो जाते हैं। कहना न होगा कि इस शैली के निरय विचा-

रात्मक ही होंगे और उनका लेखक एक गंभीर व्यक्ति। आचार्य शुक्ल के सभी निबंध इसी शैली पर लिखे गए हैं। निबंध की निगमन-शैली को समास-शैली भी कहा जा सकता है।

उपर की विवेचना से यह स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल पहले थोड़े में कुछ कह लेते हैं तब उसकी व्याख्या करते हैं। अभिप्राय यह कि सूत्र रूप में कहने की प्रवृत्ति उनमें विशेष है, और वे थोड़े में बहुत कुछ कह सूत्र रूप में कहने जाते हैं। थोड़े ही में अधिक कहने की प्रवृत्ति के कारण आचार्य शुक्ल ने मनोविकारों पर लिखे गए निबंधों की प्रवृत्ति में कुछ अति विस्तृत अर्थगर्भ सूत्रों का निर्माण किया है, जो उनकी अनुभवशीलता तथा उनके रचना-कौशल का द्योतक है। जैसे 'धैर क्रोध का अन्वय या मुरब्बा है', 'यदि प्रेम स्वप्न है तो भ्रष्टा जागरण है' इत्यादि।

भावों या मनोविकारों पर लिखे गये निबंधों में आचार्य शुक्ल ने यथावसर जिन दो भावों में साम्य वा असाम्य की स्थापना संभव है उनमें इसका ( साम्य वा असाम्य का ) चित्रण किया है। ऐसा करने से विषय में तुलनात्मक शैली स्पष्टता आ गई है। जैसे, 'उत्साह' नामक निबंध में उन्होंने उत्साह और भय की विपरीत प्रवृत्ति का निर्देश किया है ( देखिए चित्तामणि, पृ० ८ ) ] इसी प्रकार 'भ्रष्टा-भक्ति' नामक निबंध में प्रेम और भ्रष्टा का अंतर बतलाया है ( वही, पृ० २४-२७ )। अन्य भावों पर विचार करते हुए भी उन्होंने इस शैली का ग्रहण किया है।

विषय की स्पष्टता के लिए ही आचार्य शुक्ल अपने निबंधों में 'सारांश यह कि' का प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जहाँ वे समझते हैं कि विषय को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता की 'सारांश यह कि' प्रतीति पर प्रथम में किए गए पूर्व विवेचन को दो-एक वाक्यों में सूत्रतः कह देते हैं।

स्पष्टता तथा रोचकता की संस्थिति के लिए ही आचार्य शुक्ल ने अपने निबंधों में ( विदोपस्तः भावों वा मनोविकारों पर लिखे गए निबंधों में )

पौराणिक, ऐतिहासिक तथा अन्य प्रकार का कथाओं स्पष्टता तथा रोचकता के लिए अनेक प्रकार की कथाओं का सत्रियन (इंद्रकृत हत्या की रीति में अन्य देवताओं को हत्या का) भाग मिलान का कथा, राजा हरिश्चंद्र तथा रानी गंगा का कथा, रामभक्त हनुमान की कथा, गंधे का राघव बनने की हितापदेशवाली तथा और स्वयं उनमें (आचार्य शुक्ल से) शब्द अनेक राधाजी का उद्धृत मिलता है। यहाँ स्मरण रखने की बात यह है कि उन्होंने किसी भी ऐसी कथा का उद्धृत या उल्लेख नहीं किया है जो प्रचलित न हो, और जिसका दुर्लभता की आवश्यकता पड़े। यहाँ-यहाँ विज्ञान के तथा न भी उल्लेख मिलता है, पर ऐसे ही तथा का जा प्रचलित है। जैसे, "सामाजिक महत्त्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकाश विधान के बिना जगुजा द्वारा व्यवस्था का आविर्भाव नहीं हो सकता वैसे ही मानव जीवन की निराला अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती।"—(चितामणि पृ. ४६)। यहाँ विज्ञान-प्रति-आकर्षण-शक्ति का उल्लेख किया गया है।

इसे हम देख चुके हैं कि आचार्य शुक्ल ने दो प्रकार के निरव लिखे हैं। एक प्रकार भाषा पर लिख गए निरवों का है और दूसरा प्रकार समीक्षात्मक निरव का। भाषा पर लिखे गए निरवों की भाषा समीक्षात्मक निरवों की अपेक्षा सरल है। उनमें तद्भव शब्दों तथा प्रचलित मुहावरों की प्रधानता है। इसका कारण यह है, उदाहरण आदि देकर विषय का स्पष्ट करने की प्रवृत्ति ही समझना चाहिए। इनमें 'लत', 'रजारा', 'सनना', 'वूम', 'पराई' आदि प्रचलित शब्दों तथा 'महीना बावना', 'पट फूलना', 'फाँटा पर चरना', 'नी दिन चले जवाइ बोख' आदि प्रचलित मुहावरों और लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। 'लजा और म्जानि' नामक निरव में मुहावरों का उदाहरण और अधिक प्रयोग मिलता है। इन निरवों में एकाव फारसों की लोकोक्ति भी दिखाई पड़ती है। जैसे, 'मग अरोइ जयान दारद'। आचार्य शुक्ल के समीक्षात्मक निरवों में सर्वम्

शब्दों का प्राधान्य है। वे साहित्यिक विषयों पर लिखे भी गए हैं। चाहे मनोविकारों पर लिखे गए निबंध हों अथवा समीक्षा पर, उन सबकी भाषा बड़ी ही गूठी, मजी, प्रौढ़ और विषय-प्रतिप्रादनशुभ है। यदि सुरुचिपूर्ण पाठक उन्हें पढ़ें तो विदित होगा कि उनके एक-एक शब्द के शब्द मोतियों की लड़ी-की भांति लिम्ब हैं, उनमें खुरदुरापन कहीं भी नहीं मिलता।

आचार्य शुक्ल के निबंधों पर ऊपर विचार हुआ है। इसके द्वारा उनका (निबंधों की) विशेषताओं का कुछ उदाहरण हो गया होगा। कहना न होगा कि अब तक हिंदी-साहित्य के जितने निबंधकार हो गए हैं हिंदी के निबंधकार उनमें आचार्य शुक्ल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और आचार्य शुक्ल जिन विषयों को उन्होंने अपने निबंधों के लिए चुना उन पर उनके पूर्व हिंदी-साहित्य में उनके (आचार्य शुक्ल के) दंग के एक भी निबंध नहीं लिखे गए थे। हमारा तात्पर्य यहाँ उनके मनोभावों पर लिखे गए निबंधों से है। समीक्षात्मक निबंध उनके पूर्व के निबंधकारों द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके थे, पर उनमें आलोच्य को उद्घाटित करने की वह पद्धति, उनमें उसके (आलोच्य के) प्रतिपादन की वह सुस्ती नहीं जो आचार्य शुक्ल के निबंधों में मिली। इस विषय में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वे उच्च कोटि के आलोचक थे ही। हिंदी-निबंध-साहित्य को देखने से विदित होता है कि आचार्य शुक्ल के पूर्व उच्च अर्थ में दो बड़े ही उच्च कोटि के निबंधकार हो गए थे। उनके नाम हैं—पं० बालकृष्ण मठ और पं० प्रतापनारायण मिश्र। पर इनमें तथा आचार्य शुक्ल में कोई तुलना नहीं है। इनके निबंधों में आत्मव्यंजकता—की ही प्रधानता है। विषय की ओर इनकी विशेष दृष्टि नहीं लक्षित होती। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंधों में विषय पर भी दृष्टि रखी और उनमें संवत् तथा शिष्ट रूप में आत्मव्यंजना भी की। इस प्रकार उन्होंने विचारात्मक निबंधों की रचना की, जो उच्च कोटि के निबंध समझे जाते हैं। इन बातों को कहकर हमारा लक्ष्य उपर्युक्त दोनों निबंधकारों के महत्त्व को कम करना नहीं है। उन्होंने हिंदी-साहित्य को उसके गद्य-साहित्य के धारभकाल में जो देन (कॉन्ट्रिब्यूशन) दी, उसको भुलाया नहीं जा सकता। जिस काल में उन्होंने अपने निबंध

लिये उस काल की दृष्टि में स्तम्भ यदि विचार किया जाय तो वे जति उस कोटि के निरधकार सिद्ध होते हैं। उनका तो महत्त्व ही दूसरे प्रकार का है और आचार्य शुक्ल का महत्त्व दूसरे प्रकार का। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंधों द्वारा हिंदी साहित्य को उस समय नमूदा निभा जिस समय वह (हिंदी-साहित्य) अपने पैर पर खड़ा हो चुका था। इसी कारण उनके निबंध भी उड़े ही प्रौढ़ हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि निबंधकार की दृष्टि से हिंदी-साहित्य में आचार्य शुक्ल का स्थान अपने दग का है और अन्य निबंधकार का स्थान अपने दग का। उन्होंने अपने लिए निबंध का जो धेन चुना है उसके वे एकमात्र अधिपति हैं। और समप्रति अन्य निबंधकारों की तुलना में भी यदि वे रखे जायें तो भी वे उस कोटि के निबंधकारों में प्रतिष्ठित हुए दक्षिणोत्तर होते हैं।

---

## भाषाओं की मीमांसा

आश्चर्य होता है यह देखकर कि साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल में वह शक्ति भी थी जो भाषा-शास्त्रियों में होती है। उन्होंने साहित्य की सर्वना और मीमांसा के साथ ही भाषाओं की भी मीमांसा की। भाषा-मीमांसा का क्षेत्र यहाँ स्मरण रखने की बात यह है कि उन्होंने जिन और उसकी पद्धति भाषाओं का विश्लेषण किया है उनका संबंध हिंदी भाषा से ही है। वे भाषाएँ वस्तुतः हिंदी की विभाषाएँ हैं, पर साहित्यारूढ़ होने के कारण 'भाषा' पद की अधिकारिणी हो गई हैं। हिंदी के अतिरिक्त और किसी देश की भाषा की छान-बीन उन्होंने नहीं की है। उर्दू के मूल, विकास आदि के विषय में उन्होंने कुछ विचार अवश्य किया है, पर हिंदी के प्रसंग से ही। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आचार्य शुक्ल का कार्य-क्षेत्र साहित्य ही रहा है, अतः उन्होंने उन्हीं भाषाओं की मीमांसा की है जो साहित्य वा काव्य में प्रयुक्त हैं। भाषा-क्षेत्र में कार्य करनेवाले भाषावैज्ञानिकों की भाँति उन्होंने लोक-भाषा और साहित्यारूढ़ भाषा दोनों का साहाय्य अपनी भाषा-मीमांसा में नहीं लिया है। भाषा-शास्त्री तो अपनी विवेचना में लोक-भाषा का विशेष रूप से आश्रय ग्रहण करते हैं, यदि वह भाषा लोक में प्रचलित हो जिसकी वे मीमांसा करते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी मीमांसा-पद्धति भी भाषा-शास्त्रियों की-सी नहीं है। इसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी। वे भाषावैज्ञानिक की दृष्टि से अभीष्ट भाषाओं की मीमांसा भी नहीं करना चाहते थे। भाषाओं की मीमांसा द्वारा उनका लक्ष्य काव्य-प्रयुक्त भाषाओं का सामान्य स्वरूप-निर्धारण था, जिसके द्वारा उनमें (भाषाओं में) साम्य और भेद स्पष्टतः चिह्नित हो सके। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने भाषा-मीमांसा के क्षेत्र में भाषा-शास्त्री की दृष्टि से कार्य नहीं किया है, तथापि इस क्षेत्र में उनका कार्य नवीन है। इस क्षेत्र में उन्होंने वह कार्य किया जो भाषा-शास्त्रियों द्वारा भी नहीं हुआ था। उन्होंने जिन



भाषाभा की मीमांसा की है वे काव्य भाषाएँ हैं और उनके नाम हैं—मज, अजधी और सड़ी बोली। इनकी मीमांसा 'बुद्ध-चरित' में 'काव्यभाषा' के अंतर्गत तथा 'जायसी-अथावली' में जायसी की भाषा पर विचार करते हुए हुई है। 'इतिहास' में भी यथाप्रसंग उन्होंने इन भाषाओं के विषय में कुछ कहा है।

ऊपर इसका निर्देश किया गया है कि आचार्य शुक्ल ने भाषाभा की मीमांसा साहित्यिक की दृष्टि से की है भाषाशास्त्रिकी दृष्टि से नहीं। भाषा की दृष्टि से मज, अजधी और सड़ी बोली की विवेचना करते भाषा के क्षेत्र में धीरे-धीरे हुए उद्दाने लक्ष्य रूप में उन कव्यों या गद्य रचनाओं का प्रियर्सन तथा आचार्य को रसा जिनमें इनका प्रयोग है। भाषाविज्ञानियों ने शुक्ल का कार्य इनका विशेषण करते हुए लोक-भाषा का आधार विशेष किया है, अपनी विवेचना के लिए ऐसा करना वे सिद्धान्ततः उचित भी समझते हैं। मज, अजधी और सड़ी बोली पर जो विचार भी आज अमाहम प्रियर्सन ने अपने सर्वे (लिंगुइस्टिक सर्वे आफ इंडिया) में किया है वह इसी प्रकार का है। उन्होंने इनका लोक प्रचलित बोली को दृष्टि में रखकर इनका स्वरूप निर्धारण किया है। उन्होंने भाषागत व्याकरणिक रूपों का एक सौचा बना लिया था और उसी के अनुसार इन भाषाओं के मशा, क्रिया, विशेषण आदि रूपों को वे ढालते गए हैं। अभिप्राय यह कि श्री प्रियर्सन का इन भाषाओं पर विवेचन कुछ परिमित और शैलियों के आधार पर है। आचार्य शुक्ल ने अपनी विवेचना के लिए साहित्यिक भाषा ग्रहण की और उन्होंने इनमें भेद और साम्य की विवेचना सर्वप्रथम की। यही इनका भाषा के क्षेत्र में नवीन कार्य है। श्री प्रियर्सन ने इन भाषाओं का मुख्य अलग-अलग निर्धारित किया था। उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से इनका स्वरूप नहीं स्थिर किया था। आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम यह कार्य किया और मज, अजधी तथा सड़ी बोली में साम्य और भेद की विवेचना करके इनका रूप स्थिर किया। इनमें साम्य और भेद की स्थापना करते हुए, उन्होंने इनकी प्रवृत्ति—जैसे, मज की ओकरात, अजधी की लपत और सड़ी बोली की आकारात प्रवृत्ति, परसग वा कारक चिह्न लगने के पूर्व इन भाषाओं

की संज्ञाओं के विकारी रूपों, संस्कृत और प्राकृत को दृष्टि में रखकर इनके कृदन्तों आदि—की विवेचना की। इसी प्रकार इन भाषाओं की और प्रवृत्तियों तथा विशेषताओं पर भी उनकी दृष्टि गई और उन्होंने उन्हें उद्घाटित किया। इस प्रकार का पका कार्य आचार्य शुबल के पूर्व नहीं हुआ था। वस्तुतः श्री प्रियवर्तन ने इन भाषाओं के लोक-प्रचलित रूपों का नमूना मात्र संशुद्धीत कर दिया था। उन्होंने इनका संशुद्ध व्याकरण लिखा अवश्य पर ये विस्तारपूर्वक तथा तुलनात्मक ढंग से इन पर विचार न कर सके। वे करते भी तो कितना! न उनके पास उतना समय था और न स्थान, क्योंकि उन्हें अनेक बोलियों पर विचार करना था। इस कार्य के अतिरिक्त आचार्य शुबल ने इन तीनों भाषाओं के मूल का प्राकृत तथा अपभ्रंश के काव्यों को दृष्टि-पथ में रखकर संकेत किया और इनके क्रमशः विकास पर भी ये दृष्टि ले गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शुबल ने ब्रज, अवधी और खड़ी बोली के विषय में पूर्ण विवेचन कर उनके स्वरूपों को पूर्णतः उद्घाटित कर दिया। भाषा मीमांसा के क्षेत्र में यह उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है।

जायसी की भाषा पर विचार करते हुए अवधी की विवेचना का आचार्य शुबल को अच्छा अवसर मिला है। इस मीमांसा में उनका लक्ष्य जायसी की पूरबी वा ठेठ अवधी पर तो है ही तुलना के लिए उन्होंने अवधी की मीमांसा तुलसी की पच्छिमी अवधी को भी बराबर अपने सामने रखा है। इन दोनों कवियों की भाषाओं को लक्ष्य में रखकर आचार्य शुबल ने उपर्युक्त दोनों प्रकार की अवधी भाषा को छोटी और बड़ी सभी प्रवृत्तियों वा विशेषताओं का उद्घाटन कर दिया है। अवधी भाषा के सभी कालों में क्रिया के रूपों, उसके कारकों तथा करक के विशिष्ट परसर्गों आदि की आचार्य शुबल ने सूक्ष्म विवेचना की है। जैसे, अवधोग अपादान के परसर्ग के रूप में 'होइ', 'भए' वा 'भै' का प्रयोग तथा करण के परसर्ग के रूप में भी 'भए' वा 'भै' के प्रयोग पर उनकी दृष्टि गई है। तुलसी और जायसी की भाषा को दृष्टि-पथ में रखकर उन्होंने यह निश्चित किया है कि पुलिग में संबन्ध-कारक का परसर्ग सर्वत्र 'कर' और स्त्रीलिग में इसका परसर्ग सर्वत्र 'के' होता है। इसी प्रकार अवधी की प्रायः सभी विशेषताओं के विषय में उन्होंने विचार

किया है। इस विवेचन से देखने में विदित होता है कि उनकी दृष्टि भाषा के शुद्ध से मूढ़न स्वल्पों तक जाती थी।

अपने 'इतिहास' में आचार्य शुक्ल ने हिन्दी-भाषा के मूल तथा प्रसार का भी विवेचन ही है। ऐसा करते हुए उनकी दृष्टि ब्रजभाषा तथा गढ़ी बोली दोनों के साथ पर है। गढ़ी बोली के मूल पर विचार करते हिन्दी-भाषा के मूल हुए उहाने स्पष्ट अपनी यह मन्विता व्यक्त की है कि तथा विषय की मुसलमानों के द्वारा गढ़ी बोली का निर्माण नहीं हुआ। मीमांसा उसका अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से ही भारत में चलता आ रहा था। वह पठोह को जनता में नित्यप्रति के व्यवहार में बोली जाती थी और जब दिल्ली, आगरा आदि का वैभव नष्ट हो गया तब पठोह की यह (विशेषतः व्यापारी) जनता पूरा की ओर गयी। इसके साथ गढ़ी बोली भी पूरा की ओर आई और इसका प्रसार हुआ। अभिप्राय यह कि गढ़ी बोली भारत की ही स्वाभाविक बोली थी, मुसलमानों द्वारा वह गढ़ी नहीं गई। हाँ, वह कुछ काल तक दूरी अवश्य रही और अन्ततः पाकर 'भाषा' पद की अधिभारिणी बन गई।

गढ़ी बोली के मूल की मीमांसा करते हुए उहाने उर्दू के मूल का भी विवेचन किया है। उनका कथन है कि विक्रम का बादहवीं शताब्दी में सुसरा ने ब्रजभाषा में पद्य और पद्यों की लिपि ही उन्होंने गढ़ी उर्दू का मूल बाल में भी कुछ रचनाएँ कीं। अब गढ़ी बोली दिल्ली के आसपास के कुछ लोगों का स्वाभाविक भाषा बन चुकी थी। आरगजेर के समय में फारसी मिश्रित खड़ा बोली का रूपा में उर्दू कविता होने लगी और ऐसा भाषा में लिपि गई शायद या कविता का प्रचार फारसी पद्य लिख लोग में उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ा बोली के आधार पर उर्दू-साहित्य रचा जाने लगा और उसमें अरबी-फारसी के विदेशी शब्द तथा अरब-फारसी की भाषाएँ भरने जाने लगीं। अभिप्राय यह कि उर्दू भारत की वस्तु के आधार पर बनकर भारतीय वस्तु होता गई और उत्तरोत्तर अति-मती होने के कारण हिन्दी पर बराबर आक्रमण करती रही। आचार्य शुक्ल ने हिन्दी और उर्दू के पारस्परिक संबंध का भी चित्रण किया है, जिसमें उर्दू का

सदैव पक्षपात किया जाता रहा है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने उर्दू के यथार्थ मूल की भी मीमांसा की है।

ऊपर आचार्य शुक्ल द्वारा की गई भाषा-विषयक मीमांसा का उल्लेख संक्षेप में किया किया गया है। इससे इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए महत्त्व-

पूर्ण कार्यों का परिचय मिल गया होगा। उन्होंने जिन

आचार्य शुक्ल की भाषाओं पर विचार किया है उनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेष-  
भाषा-मीमांसाका पताओं का उद्घाटन हो गया है, जो उनकी पैनी दृष्टि का

महत्त्व द्योतक है। भाषाओं की मीमांसा करते हुए आचार्य शुक्ल का लक्ष्य किसी प्रकार के सिद्धांत-स्थापन पर कहीं भी

नहीं है। उन्होंने भाषाओं के खल्लों की स्पष्ट और सूक्ष्म विवेचना मात्र कर दी है। आचार्य शुक्ल द्वारा भाषाओं की इस प्रकार की मीमांसा का ऐतिहासिक

महत्त्व है, इसका उल्लेख हम कर चुके हैं। उन्होंने ब्रज, अवधी और खड़ी बोली की प्रवृत्तियों का भली भाँति स्पष्टीकरण उस समय किया जिस समय इन पर बड़ा

ही स्थूल विचार हुआ था। इनकी सूक्ष्म विवेचना उन्होंने ही सर्व-प्रथम की। एक साहित्यकार में भाषा की मीमांसा की शक्ति की भी संस्थिति वस्तुतः उसकी

महत्ता की परिचायिका है।



## अनुवाद

विभिन्न भाषा-जा के साहित्य और काल्य में मूल्य स्थापना के लिए, उनके भाषा और विचारों के परिचय द्वारा उनकी व्यापकता के प्रसार के लिए और यदि किसी भाषा के साहित्य और काल्य की वैशेषी निम्न अनुवाद का लक्ष्य और उसके भाषा तथा विचारों की व्यापकता परिमित रहा तो अन्य भाषा के उच्च वैशेषी के साहित्य और काल्य से उसका परिचय प्रसार उस उन्नतपथ की ओर प्रसर करने की प्रेरणा देने के लिए अनुवाद का आवश्यक ग्रहण किया जाता है। अनुवाद का विस्तृत लक्ष्य यही होता है—साहित्य और काल्य के क्षेत्र में। साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद का साध्य विस्तृत उपयोगिता हा होती है। अनूदित रचनाओं को देखने से विदित होता है कि उनका मूल सदैव उच्च श्रेणी का ही होता है। जब तक कोई रचना उच्च काष्ठ का होने के कारण अति प्रसिद्ध नश हो जाती तब तक उसका अनुवाद किसी अन्य भाषा के साहित्य में नहीं देखा जाता। हाँ, जब कोई रचनाकार अति प्रसिद्ध हो जाता है तब उसकी उच्च और निम्न सभी प्रकार की रचनाओं का अनुवाद अन्य भाषाओं में मिलने लगता है। किसी भी साहित्य में अनुवाद कार्य के मूल में ऐसी ही प्रवृत्ति निहित मिलती है। हिन्दी साहित्य में भी विभिन्न अनुवाद मिलते हैं वे इसी प्रवृत्ति का उपज हुए हैं।

हिन्दी-साहित्य में बँगला और अँगरेजी से अत्यधिक अनुवाद हुए हैं और अन्य भाषाओं से अल्प। इसमें जितने अनुवाद प्रस्तुत हुए उसके प्रस्तुत-कर्ता भी अनेक हैं, पर अनुवादक के रूप में रूपनारायण हिन्दी के अनुवादक पाटेल और श्री रामचंद्र वर्मा की विशेष प्रतिद्धि हुई। इन और आचार्य शुक्ल लोगों ने इस क्षेत्र में कार्य भी अत्यधिक किया और यद्यपि इनमें साहित्य की अन्य भाषाओं की ओर भी प्रवृत्ति और रुचि है तथापि वे इन क्षेत्र के क्षेत्र में गये। श्री रूपनारायण पाटेल ने भगवान् बँगला से अनुवाद किया और श्री रामचंद्र वर्मा ने बँगला, अँगरेजी,

मराठी, गुजराती और उर्दू से। पर इनका भी अनुवाद-क्षेत्र प्रधानतः बंगला ही है। हिंदी के ये प्रमुख अनुवादक हैं। प्रमुख इस दृष्टि में कि उन्होंने प्रचुर परिमाण में अनुवाद प्रस्तुत किया। हिंदी में एक अनुवादक और है जो इस दृष्टि से प्रमुख नहीं है कि उनके अनुवादों की संख्या अत्यधिक है, प्रत्युत इस दृष्टि से वे विशेष महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं कि उनके अनुवादों में गुणों की संस्थिति अत्यधिक है। उन्होंने अनुवादों में मूल को ज्यों का त्यों न रखकर अपनी अनुवादिनी शक्ति और विद्या-शुद्धि के कारण उन्हें (अनुवादों को) अपने देश और जाति की रीति-नीति या संस्कृति के अनुकूल बना दिया है। उनकी अँगरेजों से अनूदित रचनाएँ पूर्ण भारतीय रचनाओं के समान प्रतीत होती हैं। कहीं-कहीं तो उन्होंने अपने अनुवादों में मूल को परिवर्धित और संतोषित या कटे-छँटे रूप में रखा है—यदि उसमें (मूल में) कोई त्रुटि प्रतीत हुई है तो। इस प्रकार उनके कई अनुवाद मूल से भी अधिक चमक गए हैं। वे अनूदित न प्रतीत होकर मौलिक जान पड़ते हैं। जिन व्यक्ति में अनुवाद की यह प्रतिभा या शक्ति है उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल के कुछ अनुवाद भारतीयता के इतने अनुकूल पड़े हैं कि वे इनकी मौलिक रचनाएँ मान लिए गए हैं—उन लोगों के द्वारा जो यह नहीं जानते कि ये अनुवाद हैं। जैसे, 'आदर्शजीवन' के 'आचरण', 'आत्मबल' आदि निबंधों को कुछ लोग आचार्य शुक्ल के मौलिक निबंध मान लेते हैं, यद्यपि ये अनुवाद हैं। कहना न होगा कि अनुवाद की ऐसी शक्ति हिंदी के अन्य अनुवादकों में अत्यल्प ही मिलेगी। और यह भी कहना न होगा कि आचार्य शुक्ल ने जित कार्यों में हाथ लगाया उसी को अपनी मौलिकता द्वारा चमका दिया।

ऊपर आचार्य शुक्ल के अनुवादों की प्रवृत्ति के विषय में जो थोड़ी सी चर्चा हुई है उससे यह स्पष्टतः लक्षित हो जाता है कि उनके अनुवाद मूल पर पूर्णतः आश्रित नहीं होते, मूल का आधार मात्र उनमें आचार्य शुक्ल के अनुवादों का रूप है उसे उन्होंने निर्दिष्ट भी कर दिया है। जैसे, जो रचना मूल पर पूर्णतः आश्रित है उसके लिए उन्होंने इसका निर्देश

कर दिया है कि यह उनका रचना का अनुवाद है, जो रचना किसी रचना के मूल के आधार पर प्रस्तुत हुई है उसका भी निर्देश उन्होंने कर दिया है जो जो अनुवाद केवल मूल के मर्म के रूप में हुआ है उन भी उन्होंने लिख दिया है। यहाँ स्मरण यह करना चाहिए कि ऐसी रचनाएँ बहुत ही कम हैं जो केवल मूल का अनुवाद हैं। उन्होंने प्रायः मूल के आधार पर ही, भारतीयता को दृष्टि में रखकर, अनुवाद किया है।

जाचार्य शुक्ल ने दो भाषाओं से अनुवाद किया है—अँगरेजी से और बँगला से। पर उनके अनुवादों में अँगरेजी भाषा से अनूदित रचनाओं की ही संख्या अत्यधिक है और बँगला से अनूदित रचनाओं की संख्या अत्यल्प। उन्होंने उपयुक्त भाषाओं के लेखकों का विषय भी अनुवाद हिंदी-भाषा में किया है और यथा या अनुवाद भी। लेखकों का अनुवाद उन्होंने प्रायः अँगरेजी से ही किया है, जो 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' के प्राचीन संस्करण के अंक में मिलते हैं, वे अलग पुस्तक के रूप में अभी प्रकाशित नहीं हैं। इन अनूदित लेखकों के विषय की दृष्टि में देखने से विदित होता है कि वे दो विषयों पर लिखे गए हैं—दर्शन या मनोविज्ञान पर और प्राचीन इतिहास तथा सभ्यता पर। दर्शन या मनोविज्ञान वाले लेख प्रायः ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी के अँगरेज दार्शनिकों द्वारा लिखे गए हैं। इस विषय के अनूदित कुछ लेखों के नाम हैं—'अखंडत्व', सर ऑलिवर लॉज के एक लेख का अनुवाद, 'सदाचार और उत्तम प्रवृत्ति', डॉक्टर ब्राउन के 'फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन माइंड' के आधार पर, 'प्रगति या उत्थिति, उसका नियम और निदान', हर्बर्ट स्पेंसर के 'प्रोग्रेस, इट्स ला एंड काउंसेल' का मर्म। प्राचीन इतिहास और सभ्यता (एशियंट हिस्ट्री ऐंड कल्चर) संबंधी अनूदित कुछ लेखों के नाम हैं—'पारस का प्राचीन इतिहास', इसाइब्लोपीटिवा ब्रिटानिका के एक लेख का अनुवाद, 'प्राचीन भारतवासियों की समुद्र-यात्रा', डॉन मैगजीन में प्रकाशित श्री हारणचंद्र चक्रवर्ती के लेख का अनुवाद, 'भारत के इतिहास में हूण', दि इंडियन एटिकेरी में प्रकाशित श्री० कृष्णस्वामी आश्रम के एक लेख का

अनुवाद; 'सुदोधोप', दि इंडियन एंटिक्वेरी के एक लेख के आधार पर; 'प्राचीन भारतवासियों का पहिरावा' ( सरस्वती, दिसंबर १९०२ ई० ), डाक्टर राजेंद्रलाल मिश्र के लेख के आधार पर। इन लेखों द्वारा इतिहास और दर्शन वा मनोचिन्तन की ओर आचार्य शुक्ल की रुचि का परिचय मिलता है क्योंकि उन्होंने इन्हीं विषयों पर लिखे गए लेखों का अनुवाद प्रस्तुत किया है; यदि वे चाहते तो अन्य विषयों की रचनाओं का भी अनुवाद कर सकते थे, पर ऐसा किया नहीं।

लेखों के अतिरिक्त आचार्य शुक्ल ने पुस्तकों का भी अनुवाद किया है। अगर हम इसका निर्देश कर आए हैं कि उनका अनुवाद-क्षेत्र अँगरेजी और बँगला है। अतः उन्होंने अँगरेजी तथा बँगला दोनों अनूदित ग्रंथों के भाषाओं के ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किया है। विषय-निष्ठात्मक यहाँ इसका निर्देश कर देना अतिप्रसंग न होगा कि उन्होंने शुद्ध उपयोगिता को दृष्टि में रखकर कोई अनुवाद नहीं किया, प्रत्युत उन्हीं ग्रंथों का अनुवाद किया जो अपने वैशिष्ट्य के कारण अति प्रसिद्ध हैं और जिनके अनुवाद द्वारा हिंदी को भी अपने साहित्य को उन्नति-पथ पर ले चलने की प्रेरणा मिलती है। एक बात और; उन्होंने ग्रन्थानुवाद और पद्यानुवाद दोनों किए हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा अनूदित ग्रंथों को विषय की दृष्टि से हम चार श्रेणियों में रख सकते हैं—(१) शिक्षात्मक (२) दार्शनिक, (३) ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथा (४) साहित्यिक। शिक्षात्मक श्रेणी में 'राज्यप्रबंध-शिक्षा' और 'आदर्श जीवन' नामक ग्रंथ आते हैं। 'राज्यप्रबंध-शिक्षा' राजा सर टी० माधवराव के 'भाइनर हिदु' नामक ग्रंथ का अनुवाद है। मूल ग्रंथकार ने इसकी रचना महाराज सयाजी राव (जब वे नायालिया थे) को राज्य-प्रबंध की शिक्षा देने के लिए की थी। इस पुस्तक के 'अवशिष्ट' में महाराज भिनगा द्वारा लिखित 'तमल्लकेदारों के लिये कुछ अलगा बातें' भी हैं, जिसका संबंध मूल पुस्तक से नहीं है। इन्हीं महाराज की इच्छा के अनुसार मूल पुस्तक के यथ-तथ के कुछ अंश अनुवाद में छोड़ भी दिए गए हैं। इसके अनुवाद की भाषा बहुत ही



सरास रत्नी गद् है।' 'आदर्श जीवन' स्माइल के 'प्लेन लिमि एड हार्ड थिंकिंग' नामक ग्रन्थ के आधार पर लिखा गया है। इसमें प्रधानतः पुरुष के लिए वे शिक्षणयोगी बातें नहीं गई हैं जिनके द्वारा उनका जीवन आदर्श बन सके। 'आदर्श जीवन' न मूल ग्रन्थ के 'अभ्यसन' के प्रसंग न लेखक द्वारा उल्लिखित कुछ पुस्तकों का विवरण छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'जहाँ जहाँ अँगरेजी पुस्तक में दृष्टांत रूप से यूरोप के प्रसिद्ध पुरुषों के वृत्तांत आए हैं वहाँ वहाँ क्यासमय भारतीय पुरुषों के दृष्टांत दिए गये हैं। पुस्तक में इस देश की रीति-नीति के अनुकूल करने के लिए और बहुत सा बातें बताई गई हैं।'

दार्शनिक विषय के अंतर्गत 'विश्वप्रपञ्च' ज्ञान है, जो प्रसिद्ध जन्म दार्शनिक हेनरि की अत्यंत विख्यात पुस्तक 'रिडिल आव् दि युनिवर्स' का अनुवाद है। हेनरि प्राणिशास्त्रविद् था, जतः उक्त पुस्तक दार्शनिक के प्रथम ग्लोब में प्राणियों के विषय में विचार है और द्वितीय सड़ में आत्मा, ईश्वर, जगत्, प्रकृति, उपासना आदि के विषय में, जिसका तन्मय विस्तृत दर्शन से है। यहाँ एक बात बहनी आवश्यक है। वह यह कि अनुवाद में आचार्य शुक्ल की दृष्टि सदैव इस पर रहती है कि ये (अनुवाद) भारतीयों के लिए है। ऐसी स्थिति में उन्होंने उनको भारतीय रीति नीति के अनुकूल बनाया है—उनके वृत्तांत, दृष्टांत आदि में फेरफार करके। 'आदर्श जीवन' पर विचार करते हुए हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। इन अनुवादों में उनकी दृष्टि विषय को स्पष्ट करने की ओर भा सदैव रही है। जतः विषय की स्पष्टता के लिए वे अपने अनुवादों के आदि में भूमिका जोड़ देने हैं और पुस्तक के बीच-बीच में यत्र तत्र टिप्पणी लगा देते हैं। इसी कार्य की सिद्धि के लिए 'विश्वप्रपञ्च' के आदि में लगभग छेड़ सौ पृष्ठों की भूमिका है और उसके (पुस्तक के) बीच-बीच में पाद-टिप्पणियाँ लगा दी गई हैं, जिनकी देखने में विदित होता है कि आचार्य शुक्ल को भारतीय तथा पश्चात्त्य दर्शनों का स्पष्ट ज्ञान था, क्योंकि इनमें (भूमिका और टिप्पणियों में) उन्होंने इन दोनों दर्शनों की तुलना पर सदैव दृष्टि रखी है।

टिप्पणी और भूमिका में आचार्य शुक्ल ने बच-तब अपना मत भी दिया है। 'विश्वप्रपंच' के अनुवाद के विषय में एक बात और कहनी है। यह है इसकी भाषा के विषय में। यह एक दार्शनिक ग्रंथ का अनुवाद है, अतः इसमें पारिभाषिक शब्द प्रायः आए हैं। आचार्य शुक्ल ने अँगरेजी के पारिभाषिक शब्दों की बहुत छानबीन करने के पश्चात् उन्हें हिंदी का रूप दिया है, जो सड़े सटीक हैं।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय के अंतर्गत 'मेगास्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन' आता है, जो डाक्टर खानवक के 'मेगास्थनीज इंडिका' का अनुवाद है। डाक्टर खानवक ने भी अपनी पुस्तक मेगास्थनीज ऐतिहासिक और सांस्कृतिक द्वारा लिखित 'टा इंडिका' के यूनानी तथा रोमी ग्रंथों से उद्धृत अंशों के आधार पर प्रस्तुत की थी, क्योंकि मूल पुस्तक 'टा इंडिका' अब नहीं मिलती। विषय की स्पष्टता के लिए आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ के बीच-बीच में भी टिप्पणियाँ लगा दी हैं। स्पष्टता के लिए ही उन्होंने इसमें भी एक भूमिका लिखी है, जिसमें चन्द्रगुप्त और सिकंदर के विषय में संक्षिप्त ऐतिहासिक चर्चा है।

आचार्य शुक्ल द्वारा साहित्यिक विषय के ग्रंथों के अनुवाद उनके अन्य विषय के अनुवादों की अपेक्षा विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इन अनुवादों में उनकी अनुवाद की शक्ति का पूर्ण परिचय मिलता है। इस विषय साहित्यिक— के अंतर्गत उन्होंने गद्यानुवाद भी प्रस्तुत किया है और गद्यानुवाद पद्यानुवाद भी। 'कल्पना का आनंद' और 'शशांक गद्यानुवाद है और 'बुद्ध-चरित' पद्यानुवाद। 'कल्पना का आनंद' जोसेफ एडिसन के 'एसे ऑन इमेजिनेशन' का अनुवाद है, जो छोटी सी पुस्तिका के रूप में है। इसमें छोटे-छोटे म्वाह प्रकरण हैं और एक-एक प्रकरण में छोटे छोटे निबंध। अँगरेजी से अनूदित सभी रचनाओं की भाँति आचार्य शुक्ल ने इस अनुवाद को भी भारतीय रीति-नीति के अनुकूल बनाया है। इसमें भी दृष्टान्त रूप में भारतीय घटनाओं, व्यक्तियों आदि को रखने का प्रयत्न किया गया है। इसकी भाषा मीढ़ है। 'कल्पना का आनंद'

जहाँ जलम गुस्तक के रूप में नहा प्रकाशित है, यह 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( प्राचीन संस्करण )' के नव भाग में निरूला था ।

'शशाक' गणालदास वयोपाध्याय लिखित 'शशाक' नामक वैंगला उपन्यास का हिंदी भाषानर है । आचार्य शुक्ल ने वैंगला से केवल इसी एक रचना का अनुवाद किया है । 'शशाक' ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें तत्कालीन (शशाक के काल में) भारतीय नेत्रभूषा, सभोधन, नाम, कर्मचारिया की सजाएँ, राज की शिक्षता आदि पर पूर्ण रूप से व्याज रता गया है । इस उपन्यास की यही विशेषता है । रामाल दाधू उच्च कोटि के पुरातत्त्वविद् थे भी । यह तो हुई मूल रचना की विशेषता की बात । बिज अनुवादक द्वारा इसमें जोर भी विशेषता ला दी गई है—मूल रचना में कुछ परिवर्तन के द्वारा, जो परिवर्तन इतिहास-समत हैं, उनमल नहीं । मूल रचना में परिवर्तन करते हुए अनुवादक की दृष्टि भारतीय इतिहास की शशाककालीन परिस्थिति, नीति नीति आदि पर संयंत्र है । मूल रचना सु-वात है, पर अनूदित रचना सुग्रात । यही सबसे विशिष्ट परिवर्तन है । यह परिवर्तन भी इतिहास के आधार पर है, जिसका उल्लेख अनुवादक ने अपनी रचना की भूमिका में किया है । अनूदित रचना को सुग्रात बनानर भारतीय वाच्य शास्त्र का अनुगमन आचार्य शुक्ल ने किया है, जो प्रासनीय वात है । ऐसा परिवर्तन करने के लिए उन्होंने दो पत्रों की सृष्टि की की है । शशाक के समय में कलिंग और दक्षिण कोशल में ग्रीक तांत्रिकों के अत्याचार का अनुमित चित्रण आचार्य शुक्ल ने तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार हा किया है । 'शशाक' के अनुवाद के विषय में इस विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि अनुवादक की दृष्टि से आचार्य शुक्ल का कितना महत्त्व है, उन्होने अपनी विद्या-बुद्धि के बल पर इतिहास का सन् आधार ले इस रचना का अत ही विरहीत रूप में कर दिया है, जो भारतीय साहित्य शास्त्र के नितात अनुकूल है । विषय की स्पष्टता के लिए इस रचना में भी शशाक के विषय में गोजपूर्ण विवेचना भूमिका में किया गया है ।

अनुवादक की दृष्टि से जैसा महत्त्वपूर्ण कार्य आचार्य शुक्ल ने 'शशाक' के अनुवाद में किया है वैसा ही महत्त्वपूर्ण कार्य 'बुद्ध-चरित' के अनुवाद में भी ।

यह आचार्य शुक्ल का एकमात्र पद्यानुवाद है। यह रचना पर्यानुवाद सर एडविन ऑर्नल्ड द्वारा लिखित 'दि लाइट ऑव एशिया'

के आधार पर है। मूल और अनूदित दोनों रचनाओं में आठ सर्ग हैं। 'बुद्ध-चरित' के 'वक्तव्य' में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि "वद्यपि दंग इसका ऐसा रखा गया है कि एक स्वतंत्र हिंदी-काव्य के रूप में इसका ग्रहण हो पर साथ ही मूल पुस्तक के भावों को स्पष्ट करने का भी पूर्ण प्रयत्न किया गया है। इक्ष्म-वर्णन जहाँ अशुक्त या अपर्याप्त प्रतीत हुए वहाँ बहुत कुछ फेरफार करना या बढ़ाना भी पड़ा है।" ऐसा होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वह 'मक्षिकास्थाने मक्षिका' वाला अनुवाद नहीं, प्रत्युत मूल पुस्तक का केवल आधार लेकर रचा गया बहुत कुछ स्वच्छंद काव्य है। प्रायः देखा जा सकता है कि मूल की तुलना में अनुवाद उतना सुंदर नहीं होता। पर यदि 'दि लाइट ऑव एशिया' तथा 'बुद्ध-चरित' को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो सिद्धित होना कि मूल की अपेक्षा अनुवाद सुंदर है। इसका भी कारण है। मूल पुस्तक भारतीय 'बहु' के आधार पर एक विदेशी व्यक्ति द्वारा विदेशी भाषा में रची गई है और अनूदित पुस्तक एक भारतीय व्यक्ति द्वारा एक भारतीय भाषा में। मूल पुस्तक का लेखक भारतीय रीति-नीति, दृश्य आदि से कितना ही परिचित क्यों न हो फिर भी वह अनुवादक, जो भारतीय है, के उक्त वस्तुओं के परिचय की तुलना में नहीं आ सकता। इसी कारण 'बुद्ध-चरित' अपने मूल की अपेक्षा सुंदर है।

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने यथासाध्य 'बुद्ध-चरित' को एक स्वतंत्र काव्य बनाने का प्रयत्न किया है, वद्यपि 'दि लाइट ऑव एशिया' का आधार उसमें अवश्य है। रचना में स्पष्टता तथा मौलिकता की संनिहिति के लिए उन्होंने यथास्थान फेरफार और काट-छोट भी की है। पर सर्वत्र फेरफार या काट-छोट करने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी है और मूल को ही क्यों का क्यों अनुवाद में रख दिया है। वहाँ स्मरण रखने की बात यह है कि अनुवाद करते हुए आचार्य शुक्ल ने हिंदी भाषा के प्रयोगों (सुहावनों) और प्रवृत्तियों पर सर्वत्र ध्यान रखा है। हिंदी भाषा को अंगरेजी में उन्होंने नहीं बदलने दिया है। नीचे एक उदाहरण दिया जाता है, जिससे उपर्युक्त बातों

पर दृष्टि रख छ पक्तिया का अनुवाद उ ही पक्तिया म किया गया है—

But, when the days were numbered, then befell  
The parting of our Lord—which was to be—  
Whereby came wailing in the Golden Home,  
Woe to the King and sorrow o'er the land,  
But for all flesh deliverance, and that Law  
Which whoso hears—the same shall make him free.

जन दिन पूर भए बुद्ध भगवान हमारे  
तजि अपनो घर बार घोर रा अंर सिधारे ।  
जासो पत्यो स्वभार राजमदिर मै भारी,  
शोक-विकल अति भूप, प्रजा सब नई दुखारी ।  
ऐ निरुस्यो निम्तारपथ प्राणिन हित नूतन,  
प्रगळ्यो शास्त्र पुनीत कटे जासो भवरधन ।

मूल तथा अनुवाद दोनों में प्रथम चार पक्तियाँ प्रायः एक सी हैं। पर अंतिम दो पक्तियाँ दोनों में कुछ-कुछ भिन्न हैं। कहना न होगा कि अनुवाद में ये दो पक्तियाँ मूल की ओर कहीं अति स्पष्ट हैं।

एक उदाहरण ऐसा दिया जाता है जिसमें मूल में ता पंच ही पक्तियाँ हैं, पर अनुवाद में आठ। कारण यह है कि अनुवाद में वर्णन बढ़ाया गया है—

Softly the Indian night sinks on the plains  
At full Moon, in the month of Chaitra Shud,  
When mangoes redden and the asoka buds  
Sweeten the breeze, and Rama's birthday comes,  
And all the fields are glad and all the towns

निम्बरी रेन चेत पूनो की अति निर्मल उजियारी ।  
चाट्टहासिनी खिली चाँदनी पटपर ऐ अति प्यारी ।

## काव्य

हिंदी-साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आविर्भाव द्विवेदी-युग के आरंभ में हुआ और वे वर्तमान युग तक—प्रगतिशील वा समाजवादी प्रवृत्तियों का उदय होने तक—विद्यमान थे। जिस युग में आविर्भाव-काल वे हिंदी-साहित्य में आए और कार्य करना आरंभ किया— अर्थात् द्विवेदी-युग में—उसी युग के होकर वे नहीं रह गए। उनका उत्तरोत्तर विकास होता गया और वे उक्त युग के आगे आनेवाले युग—काव्य में छायावाद के प्रसार के युग—के भी प्रधान साहित्यिक व्यक्तियों में से थे और उसे अनेक प्रकार से प्रभावित किया। प्रगतिशील प्रवृत्तियों का आरंभ हुआ ही था कि वे चल बसे, इसे भली भौति न देख सके। आचार्य शुक्ल द्विवेदी-युग के ही होकर नहीं रह गए यह हम इसलिए कहते हैं कि आलोचक और निबंधकार के रूप में, जो उनका प्रधान रूप है, वे द्विवेदी-युग से कहीं आगे थे, इसकी विवेचना हम कर चुके हैं। यदि उनका विकास न होता तो संभव था कि वे इस युग के आगे आनेवाले युग में भी उसी प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत करते रहते जिस प्रकार की रचनाएँ द्विवेदी-युग के साहित्यकार करते थे; और वर्तमान युग में भी तत्कालीन (द्विवेदी-युगीन) कुछ रचयिता ऐसे हैं जिन पर आनेवाले युगों का प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों में विकास नहीं हुआ और वे अब भी द्विवेदी-युग की-सी ही रचनाएँ प्रस्तुत करते हैं। काव्य के क्षेत्र में भी आचार्य शुक्ल का विकास हुआ है, पर अपने ढंग का; वे छायावाद-युग से प्रभावित नहीं हुए। कारण यह है कि सिद्धांतदृष्ट्या वे छायावाद और रहस्यवाद की प्रवृत्ति को विदेशी मानते थे और उसका विदेशी रूप में विकास हिंदी के लिए वास्तविक समझते थे। पर वे इन बातों के वैसे अंध आलोचक नहीं थे जैसे छायावाद की प्रवृत्ति जगत् पर बहुत से हो गए थे और जिन्हें उसमें केवल अवगुण ही अवगुण दिखाई देते थे। वे उसकी अभिव्यंजन-शैली के समर्थक थे और उसे भारतीय पद्धति पर मँजते हुए देखना चाहते थे। हम कहना यह

चाहते हैं कि साहित्य के सभी अंगों के निमाण के लिए खड़ी बोली को लेकर द्वितीय युग में जो सुधारवादी आंदोलन चला—सुधारवादिता के कारण जिसमें कुछ रचना थी और नातिमत्ता तथा आंदोलन के कारण प्रयोगवादिता—उससे क्षण-आचार्य शुक्ल आगे बढ़ आए, और क्रमशः आगे बढ़ते रहे। इतना कहकर हम यह नहीं कहना चाहते कि वे द्वितीय-युग से प्रभावित ही नहीं हुए, प्रभावित हुए अवश्य, वे उस युग से होकर ही तो आगे आए थे। काव्य के क्षेत्र में वे उससे प्रभावित हुए और आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में उन्होंने उसे प्रभावित भी किया—इनमें विकास की पूर्ण स्थापना करके। द्वितीय-युग के काव्य से वे प्रभावित हुए, पर इतना नहीं कि उसी ढंग की रचना जत तक करते रहें, उन्होंने द्वितीय युग की काव्य-रचनाओं की अपेक्षा विकसित काव्य रचनाएँ भी प्रस्तुत कीं। द्वितीय युग की सुधारवादिता का हम कुछ व्यापक अर्थ में ग्रहण करना चाहते हैं। सुधारवादिता से हमारा अभिप्राय भाषा में किए गए सुधार और संस्कार से भी है और राष्ट्र या जाति को सुधारने के लिए उपयुक्त विषयों के प्रस्तुत करने से भी, जिसका संबंध नीतिवाद और आदर्शवाद से है। नातिमत्ता और आदर्शवादिता के लिए द्वितीय युग में, काव्य के क्षेत्र में, प्रधानतः भारतीय पुराण और इतिहास से विषय ग्रहण किए गए, जिनमें भारत के अतीत गौरव का चित्रण है। तत्कालीन समाज और धर्म आदि की झुटिया में भी सुधार के हेतु विभिन्न प्रकार के विषयों पर काव्य रचनाएँ हुईं। सुधारवाद को ही दृष्टि-बिन्दु में रखकर उस युग में अन्योक्तियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों पर कविताएँ लिखी गईं। विशिष्ट व्यक्तियों से हमारा तात्पर्य विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तियों से भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय-युग का साहित्य सुधारवाद या आदर्शवाद प्रधान है। द्वितीय-युग की प्रयोगवादिता से हमारा अभिप्राय काव्य के लिए खड़ी बोली को लेकर उसके (काव्य के) विभिन्न विषयों के आबमाएँ जानने से है, जिससे वह (खड़ी बोली) आगे चलकर प्रायः सिद्ध हुई। यहाँ यह भी यह देना चाहिए कि काव्य के लिए उस समय खड़ी बोली गृहीत हुई अवश्य और वह सफल भी रही, पर काव्य को पारंपरिक भाषा ब्रजभाषा का तिरस्कार वा बहिष्कार भी नहीं किया जाता था, उसमें भी प्रभूत रचनाएँ

प्रस्तुत की जाती थी। काव्य के लिए एकमात्र ब्रजभाषा का ग्रहण करने-वाले कवि 'रत्नाकर' उस समय विद्यमान थे। आचार्य शुक्ल ने भी 'दिल्लाइट आन् एशिया' का अनुवाद 'बुद्ध-चरित्र' नाम से ब्रजभाषा में ही किया। उनकी कुछ अन्य रचनाएँ भी ब्रजभाषा में हैं। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उनकी बहुत-सी रचनाएँ खड़ी बोली में भी हैं। कुछ रचनाएँ उस समय ऐसी भी होती थीं जिनमें ब्रज और खड़ी बोली मिश्रित गंगा-जमुनी भाषा का प्रयोग होता था।

यदि प्रश्न हो कि द्विवेदी युगीन उक्त सुधारवाद वा आदर्शवाद ने क्या आचार्य शुक्ल को काव्य के क्षेत्र में प्रभावित किया, तो उनकी 'गोस्वामी जी और हिंदूजाति', 'भारतेंद्र-जयंती', 'हमारी हिंदी', 'अष्टा आरंभिक रचनाएँ और उद्योग', 'प्रेम-प्रताप', 'अन्योक्तियों' आदि रचनाएँ उत्तर में प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्रथम कविता के अतिरिक्त, जो सन् १९२७ की है, उपर्युक्त सभी कविताएँ सन् '१२ तथा '१८ के मध्य लिखी गई हैं, किन्तु हम आचार्य शुक्ल की प्रारंभिक रचनाएँ कह सकते हैं। इन कविताओं के विषय द्विवेदी-युग की प्रवृत्ति के अनुरूप हैं, यह स्पष्ट है। उपर्युक्त सभी कविताओं की भाषा सीधी-साधी खड़ी बोली है जो उस युग की आदर्श काव्यभाषा थी। इनकी अभिव्यंजन-पद्धति भी सरल और सुयोग्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी-साहित्य के द्विवेदी-युग में प्रचलित सुधारवाद वा आदर्शवाद से आचार्य शुक्ल की रचनाएँ प्रभावित हैं।

क्या इसी आदर्शवाद से प्रभावित होने के कारण आचार्य शुक्ल आदर्शवादी बने, जिसका स्वरूप उनके लोकवाद में दृष्टिगत होता है? इस प्रश्न का उत्तर यों दिया जा सकता है कि किसी प्रभावशाली साहित्य-लोकवाद-कार की धारणाओं के संघटन पर भी यद्यपि उसके समय की परिस्थिति का प्रभाव पड़ता अवश्य है तथापि इस विषय में उसके व्यक्तिगत संकल्प को ही मुख्य स्थान देना चाहिए। किसी धारणा की प्रतिष्ठा में व्यक्तिगत दृष्टि का जितना अधिक हाथ रहता है उतना परिस्थिति का नहीं। अतः आचार्य शुक्ल के लोकवाद में उनकी व्यक्तिगत धारणा वा दृष्टि ही प्रधान है और परिस्थिति गौण। इसके अतिरिक्त उनका



लोकवाद द्वितीय-युगीन आदर्शवाद से भिन्न भी है। आचार्य शुक्ल के लोकवाद का सारथ लोक भर से—विश्व भर से—है, उसको व्याप्ति वशी है। वे विश्व भर की स्थिति और रक्षा के अभिलाषी हैं। वे किसी विविष्ट देश पर ही अपनी दृष्टि रचना नहीं धारते। पर द्वितीय-युगीन आदर्शवाद प्रबलत देशभक्ति का उद्गाथक है। आचार्य शुक्ल के लोकवाद का निम्न रूप उनके निरधार आलोचनाओं में विशेष देखना चाहिए, उनको उपर्युक्त कविताओं में नहीं, वित्तमें द्वितीय-युगीन आदर्शवाद अपना झन्ड मार रहा है। कविता के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का लोकवाद उनको 'हृदय का मधुर भर' नाम्नी तथा कविता में मिलका है, वित्तमें उनकी दृष्टि समस्त नर-जीवन पर है। हाँ, उन्होंने चित्रण भारतीय प्रकृति का ही किया है, वे भारत के कार्य में अन्य देश का प्रकृति चित्रण करते भी तो कैसे। अभिप्राय यह कि आचार्य शुक्ल के लोकवाद तथा द्वितीय-युगीन आदर्शवाद में एकता नहीं, भिन्नत्व है। हाँ, आरंभ में आचार्य शुक्ल द्वितीय-युगीन आदर्शवाद से प्रभावित हुए भरत।

आचार्य शुक्ल के काव्य की विवेचना करत हुए 'बुद्ध-चरित' (सन् १९२२) पर भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक है, यद्यपि यह अनुवाद है। अनुवाद होते हुए भी आचार्य शुक्ल ने इसे एक स्वच्छन्द 'बुद्ध-चरित' का काव्य ग्रंथ बनाने का प्रयत्न किया है, इसे हम दल चुके विषय हैं। इस ग्रंथ पर विचार करते हुए पहले तो आचार्य शुक्ल द्वारा अनुवाद के विषय के चुनाव पर विचार आवश्यक है, और दूसरे इसमें प्रयुक्त भाषा के प्रश्न पर विचार। हिंदू पुराणों पर दृष्टि रखकर विचार करने से सिद्ध होता है कि बुद्ध भी राम कृष्ण की भाँति अवतार हैं। यद्यपि बुद्ध और उनके अनुयायियों ने हिंदू धर्म का विरोध करते हुए-जन मत को प्रभावित करने का प्रयत्न किया और वे इसमें सफल ना हुए तथापि हिंदू धर्मकाल में उन्हें अपना अवतार माना। हिंदू-धर्म में भगवान् बुद्ध की पूजा जगन्नाथजी की पूजा के रूप में प्रचलित है। आचार्य शुक्ल ने देखा कि अनन्तार-रूप राम कृष्ण के पुष्पचरितगान से सारा हिंदी सभित्त यथा यथा है, पर अवतार के ही रूप में यहाँत भगवान् बुद्ध पर कोई भी रचना नहीं है, यद्यपि

ये तीनों ही प्रमुख अवतार हैं और भारत तथा भारतेतर देशों में इन सभी की महिमा समान है। उन्होंने देखा कि बुद्ध भगवान् भारत की विभूति होते हुए भी उसकी जनता के हृदय से दूर होते जा रहे हैं, यद्यपि उनका चरित्र कम प्रभावशाली नहीं है। इन्हीं सब कारणों से उन्होंने अपने काव्य (वा अनुवाद) के लिए बुद्ध का चरित्र चुना। कहना न होगा कि हिन्दी में काव्य के लिए बौद्ध वाङ्मय वा बुद्ध-संप्रदाय से 'वस्तु' का ग्रहण सर्वप्रथम 'बुद्ध-चरित' में ही हुआ। नाटक के क्षेत्र में बौद्ध वाङ्मय से कथानक का ग्रहण 'प्रसाद' जी भी अवश्य करते रहे। 'बुद्ध-चरित' के पश्चात् काव्य के लिए बौद्ध कथानक का ग्रहण हिन्दी-साहित्य में बहुधा होने लगा और अनेक ग्रंथ प्रस्तुत हुए, जिनमें मुख्य हैं—श्री अनूप शर्मा कृत 'सिद्धार्थ', श्री मैथिलीशरण गुप्त कृत 'यशोधरा' और 'कुणाल-गीत' तथा श्री सोहनलाल द्विवेदी कृत 'कुणाल'।

'बुद्ध-चरित' की भाषा पर विचार करने के पूर्व यह समझ रखना चाहिए कि यद्यपि आचार्य शुक्ल ने अपनी कविताएँ प्रायः खड़ी बोली में ही लिखी हैं तथापि ब्रजभाषा से उन्हें बड़ा प्रेम था, 'बुद्धचरित' इसका बुद्ध-चरित' की भाषा प्रमाण है। यह हमें विदित है कि द्विवेदी-युग में काव्य के लिए खड़ी बोली का ही ग्रहण प्रधानतः होता रहा है। हाँ, उस समय ब्रजभाषा के भी अनेक हिमायती थे, और अपनी रचनाओं में वे इसका प्रयोग भी करते थे। पर अधिक संख्या ऐसे ही व्यक्तियों की थी, जिनकी दृष्टि इस पर नहीं थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में ब्रजभाषा की धारा क्रमशः क्षीण होती जा रही थी। पर इसके कुछ प्रेमी अवश्य थे, जो इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। आज भी ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि "हम नहीं चाहते, और शायद कोई भी न चाहेगा, कि ब्रजभाषा-काव्य की धारा छूट हो जाय।"—(इतिहास, पृ० ७९६) ब्रजभाषा-काव्य की धारा बनी रहे, इसलिए "उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान भाषों को ग्रहण करने के साथ ही साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती ब्रजभाषा के अधिक मेल में लाना होगा। अप्रचलित संस्कृत शब्दों को भी अब बिगड़े रूपों में रखने की आवश्यकता नहीं।"—(वही)। 'बुद्ध-चरित' में आचार्य शुक्ल ने ब्रजभाषा के विषय में

अपने इसी सिद्धांत का अनुकरण किया है। इसमें उन्होंने त्रिज्यापद आदि की ब्रजभाषा के अनुकूल ही रखा है, पर सजा, त्रिगोपग आदि को संस्कृत के रूप के समान। इनको उन्होंने ब्रजभाषा के समान रूप नहीं दिया है। ब्रजभाषा काव्य में प्रयुक्त जो शब्द बोलचाल में उठ गए हैं उनका प्रयोग उन्होंने इस रचना में नहीं किया है, उनके स्थान पर उन्होंने प्रचलित प्रायः संस्कृत के शब्द रखे हैं। जब प्राकृत के जो शब्द समझे नहीं जाते और पहले ब्रजभाषा-शास्त्र में प्रयुक्त होते थे उन्हें भी उन्होंने नहीं प्रयुक्त किया है। हाँ, जो आज भी समझे जाते हैं उन्हें अवश्य रखा है। प्रादेशिक शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने नहीं किया है, पर ऐसे शब्द इस रचना में अवश्य हैं जो प्रादेशिक होते हुए भी सर्वत्र लिए बोधगम्य हैं। इस काल में ब्रजभाषा का यह रूप देने का एकमात्र कारण यही है कि वे ब्रजभाषा का प्रचार इस युग में भी चाहते थे, जो उस यह रूप देने पर ही संभव था, जिससे यह अधिक व्यापक बने तथा अधिक लोगों द्वारा समझी जा सके। यह सत्य है कि प्राचीन ब्रजभाषा शास्त्र में प्रयुक्त चतुष्टय से ऐसे शब्द हैं जो आज नहीं समझे जाते, इसका कारण है इस प्रकार के शास्त्र के अभ्युत्थान-न्यूनता—खड़ी बोली के प्रचार के कारण। ऐसी स्थिति में ब्रजभाषा सर्वजन-मुग्ध तभी हो सकती है जब उसमें संस्कृत के प्रायः उत्तम शब्द प्रयुक्त हों क्योंकि संस्कृत का प्रचार इस युग में अत्यधिक है। ब्रजभाषा को सर्वजन-मुग्ध बनाने के लिए जाचार्य शुक्ल का यह कार्य बड़ा महत्वपूर्ण था। पर इस जोर-जब्र कवियों की दृष्टि पूर्णतः न जा सकी। इसका मुख्य कारण तो यह है कि इस समय काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का बोलचाल हो गया और गौण कारण यह भी है कि अभी 'रत्नाकर' जो ऐसे प्रभावशाली कवि नियमान थे, जो ब्रजभाषा को उसकी प्राचीन प्रवृत्तियों के अनुकूल ही चलने देना चाहते थे और उर्हीं (प्राचीन प्रवृत्तियाँ) को दृष्टि में रखकर उन्होंने प्रभूत रचना की थी, जिसके सामने जाचार्य शुक्ल का मुस्ताय देना रह गया। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जाचार्य शुक्ल द्वारा ब्रजभाषा का उपयुक्त परिवर्तन उसके प्रचार की व्यापकता को दृष्टि में रखकर ही विशेष था, उसकी मर्यादा को दृष्टि में रखकर नहीं जो ब्रजभाषा का पारंपरिक स्वरूप है और जिस पर 'रत्नाकर' जी की दृष्टि विशेष थी—त्रिगोपत 'उद्भव शतक' में। 'उद्भव

चरित' की भाषा में सफ़ाई और चल्तापन के साथ ही उपर्युक्त परिष्कार के कारण खड़ापन वा पुंसत्व ( मैस्कुलिन स्विरिट ) विशेष है। इसी प्रसंग में यह भी कह दिया जाय कि ब्रजभाषा की सभी कविताओं में आचार्य शुक्ल ने उसके ब्रजभाषा के इसी आदर्श का पालन किया है; जैसे, 'हर्षोद्धार' आदि कविताओं में।

हिंदी-काव्यक्षेत्र में आचार्य शुक्ल का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य तथा उसे उनकी सबसे बड़ी देन ( क्रास्टिभ्यूशन ) है उनका प्रकृति-चित्रण। आचार्य शुक्ल के अनन्य प्रकृति-प्रेम की चर्चा हम कर चुके हैं, उनके प्रकृति-चित्रण द्वारा काव्य-सिद्धांतों की निर्धारणा में प्रकृति के उपयोग की चर्चा भी कर चुके हैं,। हम इसकी भी चर्चा कर चुके हैं कि वे प्रकृति के कैसे रूपों से प्रेम करते थे और हम उनका चित्रण किस प्रकार का चाहते थे। आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त हिंदी में हमें और कोई ऐसा कवि नहीं दृष्टिगोचर होता जो प्रकृति से इतना अगाध प्रेम रखता हो और काव्य में उसके चित्रण का इतना बड़ा अभिलाषी हो। छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण किया, पर उनका चित्रण दूसरे प्रकार का है, उनकी ऐसी रचनाएँ बहुत कम हैं जिनमें एकांततः प्रकृति का ही चित्रण हो, जैसा आचार्य शुक्ल करते हैं। वे ( छायावादी कवि ) प्रकृति के साथ अपने हृदय का भी चित्रण करते हैं। इसी कारण उनका प्रकृति-चित्रण प्रायः गौण है और आत्मचित्रण प्रधान। हम यह नहीं कहते कि उन्होंने एकांततः प्रकृतिका चित्रण किया ही नहीं, किया अवश्य पर कम। छायावादी कवियों के प्रकृति-चित्रण में उनके हृदय के चित्रण से—प्रकृति पर अपने हृदय के भावों वा अपनी दुःख-सुख-गयी परिस्थितियों का आरोप करके चित्रण करने से—वे खिन्न थे। वे चाहते थे कि प्रकृति के विशुद्ध रूप का चित्रण किया जाय, उसपर स्वर्क्रीय भावों को आरोपित न किया जाय। इसी कारण छायावादी कवियों की प्रकृति-चित्रण की उक्त प्रवृत्ति की आलोचना प्रसंगत वे 'हृदय का मधुर भार' नामक कविता में इस प्रकार करते हैं—

प्रकृति के शुद्ध रूप देखने को आँख नहीं

जिन्हें वे-ही भीतर रहस्य समझते हैं।

झट्टे झट्टे भाषों के आरोप में भाङ्ग्य उससे  
 करके पापड़-कन्दा अपनी दिम्बाने हैं ।  
 अपने कलेवर की मँटी भी कुर्बली वृत्ति  
 छोप के निराली छटा उसकी छिपाते हैं ।  
 मधु, भास, ज्वर, ज्वाला, नीरव रुदन, नृत्य  
 देख अपना ही तन्नी-तार वे बजाते हैं ।

प्रकृति के विशुद्ध रूप के चित्रण पर टाँट रहने के कारण ही 'आमत्रण'  
 नामक कविता में प्रकृति के विभिन्न रूपा का संकेत करके अंत में आचार्य  
 शुक करते हैं—

कविता वह हाथ उठाए हुए, खलिष्ट कविष्ट द बुझती पहाँ ।

इस प्रकार वे कवियों की प्रकृति के यथार्थ सक्षिप्त चित्रण के लिए आमंत्रित  
 करते हैं। आचार्य शुक्ल की पंक्ति रूसो के इस कथन की याद दिलाता है  
 कि 'प्रकृति की ओर लौट चलो, ( रिटर्न टु नेचर ) । कहना न होगा कि  
 आचार्य शुक्ल ने प्रकृति का जहाँ भी चित्रण किया है वहाँ वह यथातथ्य  
 सक्षिप्त चित्रण है। उमर उन्हाने अपना भावनाओं का आरोप नहीं किया  
 है। साथ ही उन्होंने प्रकृति के मधुर कोमल तथा बीहड़, उजाड़ विराट् दोनों  
 रूपों को समान रूप से अपनी कविताओं में चित्रित किया है। वे प्रकृति के  
 कोमल और उग्र दोनों रूपों के चित्रण के पक्षपाती हैं, इसे हम उनके काव्य  
 सिद्धांतों पर विचार करते हुए देख चुके हैं। आचार्य शुक्ल की प्रकृति-चित्रण  
 की इन प्रकृतियों का विशेषताओं का दर्शन हम उनकी प्रकृति सन्धिनी सभी  
 कविताओं में कर सकते हैं। जैसे, 'मनोहर-छटा', 'आमत्रण', 'मधु स्रोत',  
 'प्रकृति-प्ररोध', और 'हृदय का मधुर भार' नामक कविताओं में। आचार्य शुक  
 की पहली कविता 'मनोहर छटा' नहीं जाती है, जो अक्टूबर, सन् १९०१ की  
 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई थी। इसको देखने से विदित होता है कि प्रकृति के  
 यथाथ और सक्षिप्त चित्रण का श्रीगणेश उनके काव्य-जीवन के आरंभ से ही  
 हो गया था। आचार्य शुक्ल के प्रकृति चित्रण की सभी विशेषताएँ न्यूनाधिक  
 रूप में इस कविता में मिल जाती हैं।

आचार्य शुक्ल के काव्य-सिद्धांतों की विवेचना करते हुए हम इस पर विचार कर चुके हैं कि वे काव्यगत रहस्य-भावना का संबंध प्रधानतः प्रकृति से जोड़ते हैं। उनकी मान्यता यह है कि किसी सांप्रदायिक प्रकृति-काव्य में (डागमेटिक) रहस्यवाद से परे शुद्ध और स्वाभाविक रहस्य-रहस्य-भावना का क्षेत्र प्रकृति ही है। इस पर विचार हो चुका है, अतः यहाँ इसकी विवेचना वांछनीय नहीं। यहाँ हम कहना यह चाहते हैं कि आचार्य शुक्ल की प्रकृति-संबन्धिनी कविताओं में यत्र-तत्र रहस्य-भावना से युक्त स्थल भी दृष्टिगत होते हैं। जैसे—‘हृदय का मधुर भार’ नामक कविता में ये छंद—

धुँधले दिगंत में विलीन हरिदाभ रेखा  
 किसी दूर देश की सी झलक दिखाती है।  
 जहाँ स्वर्ग भूतल का अंतर मिला है, चिर  
 पथिक के पथ की अवधि मिल जाती है।  
 भूत औ भविष्यत् की भव्यता भी सारी छिपी  
 दिव्य भावना सी वहीं भासती भुलाती है।  
 दूरता के यर्म में जो रूपता भरी है वही  
 माधुरी हो जीवन की कटुता मियार्ता है।

x                      x                      x                      x

लगती हैं चोटियाँ वे भति ही रहस्यमयी,  
 पास ही में होगा बस वहीं कहीं देवलोक;  
 चार-चार दौड़ती है दृष्टि उस धुँधली सी  
 छाया बीच दूँकने को अमर-विलास-ओक।  
 ओट में अखाड़े वहीं होंगे वे पुरंदर के,  
 अप्सराएँ नाच रही होंगी जहाँ ताली ठोंक;  
 सुनने को सुन्दर संगीत वह मन्द-मन्द  
 बुद्धि का नहीं है अभी कहीं कोई रोक-टोक।

इस प्रकार हम निश्चित होता है कि काव्य में प्रकृति-चित्रण के विषय में आचार्य शुक्ल की जो धारणाएँ थीं प्रकृति ने सन्दर्भ उनकी कविताओं में उनका पूर्णतः पालन हुआ है। यहाँ एक और बात पर दृष्टि रखनी प्रकृति चित्रण में आवश्यक है। वह यह कि आचार्य शुक्ल द्वारा प्रकृति के सम्बन्ध की परंपरा मधुर-कीमल और उग्र-निराडू रूपों के बधातप्य सरिल्लभ चित्रण या स्वरूप संस्कृत के वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति के प्रकृति चित्रण की परंपरा के अनुगमन पर है। हमारे इस कथन को हिमाचल की परिमिति में खँधान समझा जाना चाहिए कि संस्कृत के उपयुक्त कवियों का या प्रकृति चित्रण हिन्दी में यदि कहीं मिला तो आचार्य शुक्ल के काव्य में। इस क्षेत्र में इस प्रकार उन्होंने हिन्दी तथा संस्कृत की परंपरा में एवता का मेल स्थापित किया। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि छायावादी कविता के प्रकृति चित्रण के विषय में क्या कहा जाय? गहरे में बैठ कर विचार करने से निश्चित होता है कि छायावादी कवियों के प्रकृति चित्रण में भारतीय प्रेरणा का उतना हाथ नहीं है जितना जयजि की स्वच्छन्दतावादी (सेमाटिक) कवियों की प्रेरणा का। अन्य क्षेत्रों में भी ये प्रधानतः उन्हीं से प्रभावित हुए भी हैं। हम कहना इतना ही चाहते हैं कि प्रकृति चित्रण की दृष्टि से कइ सी कवियों के पश्चात् आचार्य शुक्ल ने हिन्दी का सम्बन्ध संस्कृत से स्थापित किया। हिन्दी के लिए वह गौरव की बात है।

ऊपर हमने आचार्य शुक्ल की कविता को द्विवेदी-युग से प्रभावित बताया है। क्या प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में भी वे इससे प्रभावित थे, क्योंकि इस युग के प्रमुख कवि पं० धीर पाठक की प्रकृति चित्रण पर होती है—कुछ स्वभावतः प्रकृति की ओर झुकार के कारण द्विवेदी-युगीन ऊपर कुछ आलियर गोटस्मिथ के ग्रंथों में आए प्राकृतिक प्रभाव नहीं सल्लों के अनुवाद के कारण। कहना न होगा कि प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल द्विवेदी-युग से तनिक भी प्रभावित न थे। उनके द्वारा प्रकृति चित्रण का कारण उनका इससे प्रति निरगत प्रेम है, जो विषय की तलहटी में जन्म लेने के कारण उनमें उत्पन्न हुआ था। पं० धीर पाठक तथा आचार्य शुक्ल के प्रकृति चित्रण में कोई

समानता भी हमे दृष्टिगत नहीं होती। पाठक जी का प्रकृति-चित्रण प्रायः आलंकारिक है, उदाहरणार्थ 'काश्मीर-सुपमा' देखी जा सकती है। उन्होंने प्रकृति के शुद्ध रूपों का चित्रण भी किया, पर यत्र-तत्र ही और प्रकृति का उन्होंने जो स्वरूप लिया वह भ्रम्य ही, उसके समस्त रूपों तक उनकी दृष्टि नहीं गई। उनका प्रकृति-चित्रण तारार-भन का उल्लास है, वन्य जीवन की स्वाभाविक रमणीयता उसमें नहीं मिलती। आचार्य शुक का प्रकृति-चित्रण कैसा है, इसे हम देख चुके हैं और प्रकृति-चित्रण का यथार्थ स्वरूप वैसा ही होना चाहिए जैसा कि उनका है; वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के प्राकृतिक चित्रण इसके साक्षी हैं।

आचार्य शुक की प्रकृति-संबन्धीनी कविताओं में जो विचारधारा (फिलासफी) प्रवाहित है वह है नर द्वारा अपनी चिरसंगिनी प्रकृति का वित्मरण, उसके स्वाभाविक सौंदर्य पर मुग्ध न होकर उसके वनावटी प्रकृति काव्य में सौंदर्य (आर्टिफिशियल ब्यूटी) की ओर उसकी (नर की) विचारधारा ललक, उसके द्वारा प्रकृति की स्वाभाविकता को वैज्ञानिक सम्यता के कारण उपयोगवादिता में परिणत करना, विज्ञान के बशीभूत हो प्रकृति से संबंध-विच्छेद। नर की इन करतूतों पर आचार्य शुक बड़े दुःखित हैं। उसके द्वारा जंगलों का काटा जाना, पहाड़ों का सपाट बनना, जीव-जंतुओं का मारा जाना आदि देखकर वे उस पर रुष्ट होते हैं। कहना न होगा कि मानव इन करतूतों की वैज्ञानिक उन्मादवशा ही करता है और चाहता है कि हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लें, उसे अपनी उपयोगवादिता में बाँध लें। नर की इस स्वार्थमयी प्रवृत्ति से खिन्न और रुष्ट होकर 'हृदय का मधुर भार' नामक कविता में आचार्य शुक फरते हैं—

कर से कराल निज काननों को काटकर,  
 शैलों को सपाट कर, सृष्टि को संहार ले।  
 नाना रूप रंग धरे, जीवन-उमंग-भरे  
 : जीव जहाँ तक बने मारते, तू मार ले।



माता धरती की भरी गोद यह सूनी कर,  
 प्रेत-मा भकेला पाँव अपने पम्पार ले ।  
 विश्व बीच नर के विकास हनु नरता ही  
 होगी किंतु अलम् न, मानव ! विचार ले ।

जीवोगिक क्रान्ति ( इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ) के कारण यूरोप में जब प्रकृति का वास्तविक कर्म का रूप नष्ट कर दिया जा रहा था, जंगल काट डाले जाते थे, नदियाँ और शीलों का अप्राकृतिक उपयोग होता था, व्यापार ही सब कुछ समझा जाता था, तब प्रकृति के अनन्य प्रेमी विलियम वर्डस्वर्थ ने भी कुछकुछ पेसी ही पाते नहीं थीं जैसी आचार्य शुक्ल ने रही है—

The world is too much with us, late and soon,  
 Getting and spending, we lay waste our powers  
 Little we see in Nature that is ours,  
 We have given our hearts away, a sordid boon!

[ हम साक्षारिकता में आकृष्ट मग्न हैं । व्यापार जादि के लेन-देन के हेतु हम शीघ्रता से ही उठते हैं और देर में सोते हैं । इस प्रकार हम अपनी शक्ति का नष्ट कर रहे हैं । हमें 'प्रकृति' के लिए कुछ भी चिन्ता नहीं है, यद्यपि वह हमारी स्वयं की वस्तु है । हमने हृदय को नहीं दूर डाल रखा है । जो इश्वरीय वरदान ( हृदय ) हमें मिला है उसका हम अनुचित उपयोग कर रहे हैं । ] 'प्रकृति' ( नेचर ) से वर्डस्वर्थ का अभिप्राय प्रकृति के शुद्ध रूपों से है, जो उच्च कविता की राद की पक्षियों द्वारा स्पष्ट है । 'हृदय का मधुर भार' नामक कविता में आचार्य शुक्ल ने कई स्थलों पर इसका व्यञ्जना की है कि नर प्रकृति को विवृत करता जाता है, उसे नाश करता जाता है और प्रकृति समय आने पर पुनः विवृत और नष्ट स्थलों को अपने रंग में रँग देती है । नर प्रकृति को चिगाडता है और वह स्वतः कालांतर में बनती जाती है—

नर ने जो रूप वहाँ भूमि को दिया था कभी,  
 उसे अब प्रकृति मिटाती चली जाती है ।

x

x

x

x

मानव के हाथ से निकाले जो गद्द थे कभी

धीरे-धीरे फिर उन्हें लाकर बसाती है ।

आचार्य शुक्ल के काव्य-सिद्धांतों की विवेचना करते हुए हम देख चुके हैं कि वे मानव का प्रकृति के प्रति प्रेम स्वाभाविक मानते हैं, जो साहचर्य-जन्य है, क्योंकि मानव आदिम युगों से प्रकृति के साथ रहता चला आ रहा है। हाँ, इधर वैज्ञानिक युग में आकर वह उससे अवश्य किनारा खींचने लगा है। उनका कथन है कि प्रकृति और मानव किसी 'गुप्त तार' से बंधे हुए हैं—

उछल उमड़ और झूम सी रही है सृष्टि

गुंफित हमारे साथ किसी गुप्त तार से,

तो वा था न जिसे अभी खींच अपने को दूर;

कहना न होगा कि यह 'गुप्त तार' प्रेम-संबंध ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने प्रकृति-संबंधिनी रचनाओं में प्रकृति और मानव में चिर काल से चले आते हुए प्रेम-संबंध, प्रकृति पर मानव द्वारा अत्याचार, मानव द्वारा विकृत प्रकृति के स्वरूप का पुनः प्रकृति द्वारा स्वाभाविक रूप देने आदि की विचार-धारा की अभिव्यक्ति की है। यहाँ स्मरण रखने की बात यह है कि आचार्य शुक्ल की प्रकृति-संबंधी यह विचार-धारा भाव-प्रेरित ही नहीं है, उसमें तथ्य भी है, इस पर किसी को संदेह न होना चाहिए।

आचार्य शुक्ल की काव्य-कला पर विचार करने के लिए सामग्री प्रभूत नहीं है। उनकी पंद्रह-बीस छोटी-छोटी कविताएँ और एक बड़ी कविता 'हृदय का मधुर भार', जो एक पद्य-निबंध के रूप में है और काव्य-कला जिससे मित्र-मंडली के साथ आचार्य शुक्ल के विध्याटन का विद्वृत वर्णन है, मिलती है। काव्य-कला पर विचार करते हुए 'बुद्ध चरित' पर दृष्टि का रखना संभवतः आवश्यक न समझा जाय, क्योंकि वह एक दूसरे काव्य पर ही आभूत है, उसका महत्त्व अधिकतर अनुवाद की दृष्टि से ही विशेष है, जिसका विचार हो चुका है। आचार्य शुक्ल की जो थोड़ी-सी कविताएँ मिलती हैं उनमें लगभग आधी उनकी प्रारंभिक

रचनाएँ हैं, जिनमें काव्य कला की दृष्टि से कोई लक्षित करने योग्य वैशिष्ट्य नहीं दिखाई देता। उनमें द्विवेदी युगीन कला प्रवृत्तियाँ ही विंगोष हैं। उनकी भाषा सीधी, सदा, साफ, सुगरी और निरलङ्कृत है। आरम्भिक और प्रौढारम्भ्य की भी चार-छ कविताएँ ऐसी हैं जिनमें आचार्य शुक्ल ने प्रायः वे ही बातें कही हैं जो वे अपनी आलोचनाओं में कह चुके हैं। हा, उन्हें उन्होंने काव्य का रूप अदृश्य दिया है। इन कविता-जा के नाम हैं—‘गोस्वामीजी और हिंदू जाति’, ‘पाण्डु प्रतिपक्ष’, ‘भारतेंद्रु जयंती’ आदि। उपर्युक्त पहली कविता में प्रायः वैसी ही बातें हैं जैसी ‘गोस्वामी तुलसीदास’ में लिखी जा चुकी हैं। दूसरी कविता में छायावादी कविता की आलोचना है, जो ‘काव्य में रहस्यवाद’ में यत्र तत्र हो चुकी है। ‘भारतेंद्रु जयंती’ में मूलतः वे ही बातें हैं जो आचार्य शुक्ल ने अपने मास्तद्रु पर लिखे निबंध में कही हैं। इनके अतिरिक्त ‘हृदय का मधुर भार’ में भी छायावादी रहस्यवादी कविता पर प्रसंगात् पुच्छ कहा गया है। इतना कहकर हम यह नहीं कहना चाहते कि उपर्युक्त रचनाओं में कोई विशेषता नहीं है, उनमें रूपापन है वा उनमें गद्यात्मकता है। घट्टत-बात ऐसी नहीं है। इन रचनाओं में भाषा की सफाई तथा कथन में बड़ा प्रवाह तथा प्रभाव है। यही इनकी विशेषता है, इनका लक्ष्य भी यही है। शब्द-माधुरी की दृष्टि से वे खिली भी नहीं गई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल की प्रारम्भिक तथा ऐसी कविता-जा में काव्य माधुरी का सनिवेश ठीक-ठीक नहीं है।

काव्य कला की दृष्टि से विचार करने के लिए आचार्य शुक्ल की रेखल प्रवृत्ति सशुद्धि रचनाएँ ही उचर रहती हैं। इन पर भी मुख्यतः एक ही दृष्टि से विचार हो सकता है—रूप योजना की दृष्टि से। रूप योजना भी ऐसी जिसमें यथातथ्य अस्लिष्ट ध्यान हो। विना अस्लिष्ट वर्णन के काव्य में मूर्तिमत्ता की नियोजना समझ भी नहीं। काव्य में आचार्य शुक्ल मूर्ति विधान के कितने समर्थक थे इनका विचार हम कर चुके हैं। आचार्य शुक्ल ने प्रकृति का यथातथ्य-प्रकृति जैसी है वैसा ही—जैसे एक एक व्योरा देकर वर्णन करते हुए उसका रूप खटा दिया है। इस प्रकार उन्होंने अपनी मूर्तियोजना की शक्ति द्वारा

अपनी रचनाओं में प्रकृति का शाब्दिक चित्र खींच दिया है, उसका रूप आँखों के संमुख प्रत्यक्ष हो जाता है। आचार्य शुक्ल की काव्य-कला की सबसे बड़ी विशेषता यही है—उनकी प्राकृतिक रचनाओं में। उन्होंने प्रकृति चित्रण करते हुए अलंकारों की सहायता कहीं भी नहीं ली है, इसमें उनकी सहायता की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अतिरिक्त अपनी अन्य कविताओं में भी उनकी रचि अलंकारों की ओर नहीं लक्षित होती, वे चमत्कारवाद से बहुत दूर रहते भी थे, और अलंकार को भी वे कथन की एक प्रणाली ही मानते थे। हाँ, कहीं-कहीं रूपक, अनुप्रास आदि सामान्य अलंकार उनकी रचनाओं में स्वाभाविक रूप से आए हुए अवश्य दिखाई पड़ते हैं। अभिप्राय यह कि काव्य-कला की दृष्टि से उनकी प्रकृति संबंधिनी रचनाएँ बहुत उच्चकोटि की ठहरती हैं। प्राकृतिक कविताओं की दृष्टि से ही आचार्य शुक्ल की विशेष महत्ता है।

भाषा की दृष्टि से आचार्य शुक्ल के काव्य पर विचार करने से विदित होता है कि उन्होंने हिंदी में मुख्यतः प्रचलित दोनों काव्य-भाषाओं—ब्रज और खड़ी बोली—में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। उनकी भाषा और नूतन भाषा के विषय में हम विचार कर चुके हैं। जिस ब्रजभाषा अभिव्यंजना का प्रयोग उन्होंने 'बुद्ध-चरित' में किया है उसी का प्रयोग अपनी अन्य ब्रजभाषा की कविताओं में भी। उनके काव्य की खड़ी बोली बड़ी परिष्कृत और प्रौढ़ है। उसमें प्रवाह वा गति विशेष है, जिसका दर्शन 'हृदय का मधुर भार' में किया जा सकता है। उनकी खड़ी बोली में स्निग्धता है, रक्षता नहीं जो द्विवेदी-युग की रचनाओं में विशेषतः लक्षित होती है। उनकी खड़ी बोली में स्निग्धता का कारण है उसमें तत्सम, तद्भव तथा देशज शब्दों का निःसंकोच प्रयोग। आचार्य शुक्ल के काव्य की खड़ी बोली की इन विशेषताओं को देखने के लिए उनका 'हृदय का मधुर भार' देखना आवश्यक है। अभिव्यंजनी की दृष्टि से आचार्य शुक्ल अपनी इधर की कविताओं में नूतन अभिव्यंजन-प्रणाली की ओर भी छुके हैं, जो अपनी भाषा की गति-विधि के आधार पर चलनेवाली हैं। इससे स्पष्ट है कि वे समय की आवश्यकता का अनुभव करनेवाले हैं और हिंदी के उत्तरोत्तर

विकास का सदा साथ देते रहे हैं, पिठडे कभी नहीं। आचार्य शुक्ल के काव्य की वह भाषा जिसमें अभिव्यजना का नवीन पथ पकड़ा गया है बड़ी मधुर और कोमल है। इस प्रकारकी अभिव्यजना तथा भाषा को देखने के लिए उनकी 'मधु स्रोत' तथा 'रूपमय हृदय' नाम्नी कविताएँ देखनी चाहिए। यहाँ 'मधु-स्रोत' से एक उदाहरण दिया जाता है—

किम अतीत के अचल से बल  
 सग राग के स्रोत अनगल  
 काट काल के बाँध, वासना का  
 अखड अनुगति हलकाते ;  
 चिर सहचर रूपों के पथ में  
 बार बार है हमें बहाते !  
 जहाँ सगी सुपमा हम पाते,  
 'वहीं चकित होकर रह जाते ।

'अतीत के अचल से ढलना', 'वासना की अखड अनुगति हलकाना' आदि प्रयोग आधुनिक अभिव्यजना के अनुबल ही हैं।

आचार्य शुक्ल ने अपनी काव्य रचना में प्रधानत रोल और दडक छंदों का प्रयोग अधिक किया है। उनकी रचनाओं में सैया आदि उद भी मिलते हैं, पर अपेक्षाकृत कम। उपर्युक्त छंद हिंदी के छंद हैं और छंद और गति अति प्रचलित उद हैं, तथा इनके सँचे में कोई भी विषय ढाला जा सकता है। छायावादी युग में जब गीतों की रचना होने लगी तब उन्होंने दो-चार गीत भी लिखे। ऊपर उद्धृत पंक्तियाँ गीत की भाषा में ही हैं। 'मधु स्रोत' तथा 'रूपमय हृदय' इसी ढंग के गीत में लिखे गए हैं। अन्य ढंग के गीत भी उन्होंने रचे हैं। जैसे 'वाचना' कविता का यह गीत—

धन्य, धन्य, हे धनि के धनी कर्षाद् !

भाव लोक के ठाकुर, उदित र्क्षीद् !

सारे भेदों के अभेद को खोल

लिया जगत् का तुमने मर्म टटोल—

हृदय सबके छुए,

प्राण सबके हुए ॥

यहाँ स्मरण रखने की बात यह है कि गीतों में भी विभिन्न छन्दों का योग प्रायः देखा जाता है। उपर्युक्त उदाहरणों से यह बात स्पष्ट है।

---

## उपसंहार

हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कार्यों की विवेचना हम कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि उनोंने साहित्य के जिस किसी अंग को अपने हाथ में लिया उसी को अपनी उपजात प्रतिभा द्वारा चमका दिया और उसमें विशिष्टता का ऐसा विशाल ढर दिना जा उनके पूर्व के साहित्यकारों द्वारा नहीं हो सता था। इस प्रकार उन्होंने हिंदी साहित्य की विकास के पथ पर खा खड़ा किया, उसका वे दो पग आगे ले गए। कहना न होगा कि हिंदी साहित्य में सखनीया की स्थापना सर्वप्रथम यदि किसी साहित्यकार द्वारा हुई तो आचार्य शुक्ल द्वारा ही। वस्तुतः भारत की किसी अन्य प्रांतीय भाषा के साहित्य के अथवा किसी विदेशी भाषा के साहित्य के समुख यदि हम अपने आलोचकों को स्पना चाहेगे तो उनमें शीर्षस्थानीय आचार्य शुक्ल ही होंगे, अन्य आलोचकों के नाम उनके पश्चात् जाएँगे।) सम्बन्ध अर्थ में हिंदी साहित्य के वे प्रथम इतिहासकार थे। हिंदी निरध के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया वह किसी भी देशी वा विदेशी साहित्य द्वारा स्पृहणीय है। निरध के क्षेत्र में भी उनका काम अभूतपूर्व है। वर्तमान युग में कोई भी ऐसा निरधकार नहीं दृष्टिगत होता जा उनकी श्रेणी के समकत रखा जा सके। उनके पहले के निरधकारों में भी कोई ऐसा निरधकार नहीं दिखलाई पडता जा समग्रत निरध की विशेषताओं की दृष्टि से उनकी तुलना में जा सके। हिंदी की प्रमुख भाषाओं की मामला करते हुए उनके महत्पूर्ण कार्यों की विवेचना हम कर चुके हैं। इस क्षेत्र में भी उन्होंने जा कार्य किया वह नवीन था। उनके अनुवादी की विशिष्टता का अलोकन भी हम कर चुके हैं। हिंदी में अपने ढंग के वे एक ही अनुवादक थे। इस विषय में सभ्यत किसी नो ननु नच करन को गु जाइस प्रतीत न होगी। हिंदी साहित्य के गद्य में जिन आचार्य शुक्ल ने परिणाम तथा विशिष्टता की दृष्टि से भी इतना महत्पूर्ण कार्य किया, जिन आचार्य शुक्ल ने उसे (हिंदी साहित्य में) इस योग्य बनाया कि वह अन्य साहित्यों के सम्मुख अपना महत्त्व ऊँचा करके कंधे से कंधा भिड़ाए खडा रहे उन आचार्य शुक्ल की गद्य-लेखन-शैली भी ऐसे गुणों से युक्त है कि वह किसी भा साहित्य का गद्य-शैली की तुलना में रखी जा सकती है। काव्य में

आचार्य शुक्ल ने जिस प्रकृति की ओर अपना विशेष झुकाव दिखाया—अर्थात् प्रकृति-चित्रण की प्रवृत्ति की ओर—उसमें भी हम उनके कार्य को अद्वितीय स्वीकार करते हैं। प्रकृति का इतना बड़ा प्रेमी, उसका इतना बड़ा समर्थक और उसका इतना कुशल चित्रकार किसी भी साहित्य में विरला ही मिलेगा। इतना कहकर हम यह कहना चाहते हैं कि आचार्य शुक्ल ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा द्वारा हिंदी-साहित्य को इतना विशिष्टतान्वित कर दिया है कि अब वह सरलतापूर्वक किसी भी देशी तथा विदेशी साहित्य—विश्व-साहित्य—के समकक्ष प्रतिष्ठित किया जा सकता है। निकट भविष्य में हिंदी-साहित्य जब विश्व-साहित्य को अपनी देन देने चलेगा तब उसमें आचार्य शुक्ल की देन का भाग अधिक होगा, तब विश्व-साहित्यकारों की मंडली में हिंदी-साहित्यकारों में से आचार्य शुक्ल का नाम सर्वप्रथम रहेगा। हमारा यह कथन जिन्हें भाव-प्रेरित और अत्युक्तिपूर्ण प्रतीत हो उनका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट होना आवश्यक है कि अब हिंदी-साहित्य और उसके साहित्यकारों को केवल हिंदी-साहित्य की परिमिति में बंद कर ही नहीं देखना है, प्रत्युत व्यापक सीमा में रखकर देखना है; यदि हम ऐसा न करेंगे, अपनी भ्रमपूर्ण हीनता की प्रतीति में उलझे रहेंगे तो हमारा नाम भी कोई न लेगा; और हम यह जानते हैं कि हिंदी-साहित्य संसार के किसी भी साहित्य से न विशिष्टता की दृष्टि से हीन है और न परिणाम की दृष्टि से। आवश्यकता केवल इसकी है कि हम उसे व्यापक दृष्टि से देखें और उनकी जबान बंद करें जो इसे हीन कहा करते हैं। जिन साहित्यकारों द्वारा किसी साहित्य को इतना गौरव प्राप्त होता है, 'स्वर्गीय होने पर भी युग-युग तक जिनकी वाणी प्रभूत गुण-समन्वित होने के कारण विश्वजनों को रमाया करती है, कैसे वे साहित्यकार बंदनीय नहीं हैं?' क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे बंदनीय साहित्यकार नहीं थे—

दिवमप्युपयातानामाकल्प-

मंनल्पगुणराणा येषाम्

रमयन्ति जगन्ति गिरः

कथमपि कथयो न ते वन्द्याः ।



## अनुक्रमणिका

- अकबर अली ७  
 अकबर हुसेन ७  
 अनूप शर्मा ३०५  
 अभिधा वृत्ति मातृका १०९  
 अभिनव गुप्त पादाचार्य १८८, १८९,  
 १९०, १९१, १९२, १९३  
 आपसफर्ड लेक्चर्स आन पायट्री १२७  
 आदर्श जीवन २७३, २७५, २७६  
 आदि पुराण २३६  
 आधुनिक कविः श्री सुमित्रानन्दनपंत ८३  
 आनंद कार्दविली ४, १३, ३४, २५०  
 ऑनल्ड, एडविन २७९  
 ऑनल्ड, मैथ्यू १६१, १६७  
 आस्कर वाइल्ड १२८  
 इंग्लिस्तान का इतिहास १५  
 इण्डियन रिव्यू ५  
 इन्दौर वाला भाषण ४०, ४१, ४८  
 ५२, ६४, ७३, ७५, ९२, ९३,  
 ९४, ९५, १०५, १०९, ११०,  
 ११२, ११३, १३०, १३३, १३४,  
 १३८, १४०, १५२, १५६, १७०,  
 १९४, १९६, १९९, २०२, २०३,  
 २०६, २९८, २९९, ३००  
 ईशाअल्ला खाँ २९१  
 ईसाइकोपीडिया त्रिटानिका २७४  
 इतिहास-देखिए हिंदी-साहित्य का इतिहास  
 उत्तर पुराण २३६  
 उत्तर रामचरित १६  
 उद्धव-शतक ३०६  
 उमाशंकर द्विवेदी १०, १७, १८  
 ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ७  
 ऋतु संहार ३६  
 एडोशन, जोसेफ ११, २७७, २९१  
 एवर फ्रांसी, लेस्लीज ४२, ५१, ६७,  
 ७०, ७१, ७२, ११२, १४६,  
 १५२, १५३, १९१  
 एसेज ऑन इमैजिनेशन ११, २७७  
 ए हिप्पी ऑव इंग्लिश लिटरेचर  
 (रिक्रेट कृत) २२५  
 कवीर ५७, ११७, २३०  
 कल्पना का आनंद ११, २७७  
 कांड २३  
 कार्दवरी ११४  
 कामतांप्रसाद गुरु २८३  
 कालिदास ८५, ८६, ९०, ३१०, ३२१  
 काव्य प्रकाश २४०  
 काव्य मीमांसा १४३, १४४

- काव्य में रहस्यवाद ८४, ८५, ४७,  
 ५७, ५८, ५५, ५६, ७७, ६५,  
 ७०, ७१, ७५, ७९, ८०, ८१,  
 ८३, ८५, ८६, १००, १०३,  
 १०८, ११५, ११६, ११८, ११९,  
 १२०, १३२, १५३, १५४, १५६,  
 १७४, १८५, १९३, १९४, १९५,  
 १९६, १९७, १९९, २००, २०३,  
 २१६, २८९, २९४, २९७, ३१४
- काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका १३,  
 ४६, १३५, १५६, २७४, २७८
- काशीप्रसाद जायसवाल ९, १०, १८
- काश्मीर सुधमा ३११
- वास्ट्स ऐंड ट्राइन्स ११
- कीट्स १२१
- कुतब ५०, १०३, १०५, १३१
- कुणाल ३०५
- कुणाल गीत ३०५
- कुमार मभय १६, ३६, ८६, ८७
- कृष्णविहारी मिश्र ३७
- कृष्णशंकर गुप्त २२०
- कृष्ण स्वामी ऐयंगर २७८
- के० ऐन० बघआ ४
- केदारनाथ पाठक ९, १३
- केर, डब्ल्यू पी० ६४
- के लेट, ई० ई० ३८
- रेणव ८, ९७, १०१, १०२, १०५,  
 १६१, १६६
- केशवप्रसाद मिश्र १६
- कृष्ण ११
- कौब २४३
- कोचे, नेनेडेटी ९३, १२६, १२९,  
 १३०, १३१, १९९
- खुसरो २७०
- गंगाप्रसाद ३
- गंगाप्रसाद अमिहोत्री ३४, ३५, ३६
- गदाधर सिंह ३५
- गाधी २५
- गीताजलि १३७
- गुलाम नबी २१७
- गेली, सी० एम० १८८
- गोल्डस्मिथ, आल्बिन ३२०
- गोस्वामी गुलसीदास (ग्रन्थ) २६, ४९,  
 ४६, ४९, ५०, ५१, ६६, ६७,  
 ७०, ८९, ९७, १०१, १६२,  
 १६३, १७२, १८१, २१६, २१८,  
 २५५, २८७, २८८, २८९, २९०,  
 २९७, २९८, २९५, २९७, ३१४
- गौरीशंकर हीराचंद ओसा ११
- ग्रियसन, जी० ए० २२६, २६८, २६९
- घनानंद १०२
- चंडीप्रसाद 'द्वन्द्वेश' १३७
- चंद्रबली पांडे ११

चंद्रबली शुद्ध २

चंद्रालोक १७

चित्तामणि ४५, ४७, ४८, ५०, ५१,  
५३, ५४, ५५, ५९, ६७, ६८,  
७३, ७४, ८१, ८२, ८३, ८६,  
९२, ९३, ९५, ९६, ९७, ९८,  
१०५, १०६, १०७, १०८, १३२,  
१३६, १५६, १८१, १८५, १८७,  
१९२, १९४, १९५, १९६, १९७,  
१९८, १९९, २०४, २०५, २०७,  
२०८, २१०, २१२, २४७, २५०,  
२५१, २५७, २५९, २६०, २६१,  
२६३, २६४, २८५, २८७, २९०,  
२९१, २९५

जयदेव ९७

जयसिंह १९

जलंधर २३५

जलहर चरित्र २३६

जानसन २४३

जायसी २६, ३८, १००, ११७, १२५,  
१५६, १६१, १६२, १६३, १६४,  
१६५, १६६, १७०, १७१, १७३,  
१७५, १७८, १७९, २३६, २६९,  
जायसी-ग्रंथावली १२; ५३, ५९, ६०,  
६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६८,  
९९, १००, १०१, २१८, २५५,  
२६८, २८६, २८७, २८८, २९१,  
२९२, २९३, २९९

जैमिनी सूत्र १०९

टाइडिका ११, २७७

टाडराजस्थान ११

टाल्लट्टाय लिपो २८, १३३

टी० माधवराव २७५

डॉन मैडाजीन २७४

डारविन २३

ड्राइडेम ११४

खिलक २५

गुलसी-ग्रंथावली १२

गुलसीदास २, ६, ८, २६, २८, २९,  
३८, ६६, १०१, १२९, १५६,  
१५८, १५९, १६०, १६१, १६२,  
१६३, १६४, १६५, १६६, १७०,  
१७२, १७५, १७७, १७९, २२४,  
२३६, २५५, २६९, २८९,  
२९०, २९४

दयानंद ( स्वामी ) २५

दि इंडियन एंटीक्वेरी २७४, २७५

दि काउंटेस कैथलीन १३३

दि मॉडर्न स्टडी ऑव लिटरेचर १५०

दि मेकिंग ऑव लिटरेचर ३१, १४७,  
२२२

दि लाइट ऑव एशिया २७९, ३०३

द्विवेदी जी—देखिए महावीर प्रसाद  
द्विवेदी

देव १४८, १७६, १७७

देवीप्रसाद शुद्ध १९

नंददुलारे राजेयी २२१

नाथगाम्ब १८८, २९६

निराला ११५, १२२

निखे २८

क्षत्रिणा—देखिए नामरी प्रचारिणी  
पत्रिका

पद्मावत ६८, ६७, १६८, १६९, १७५

पद्मसिद्ध शर्मा ३७, १५३, २९३

पद्माकर १७६

पद्म १२२

पाल, हर्बट १६७

पुस्तकालय विद्यापी २६०

पुष्पदत्त २३६

पृथ्वीराज ( प्रथ ) ११

पृथ्वीराज ( प्रथकार ) २३४

पृथ्वीराज रामो ६७

पेटर ६६

पीय ११४

प्रताप नारायण मिश्र २४५, २५२,  
२६५

प्रशामदास ९

प्रसाद १, १४, ११४, ११७, १२२,  
१३३, १३७, ३०५

प्रिंसपुन्स ऑव लिटरेरी क्रिटिसिज्म  
( एवर काबी इत ) ४२, ५१,  
६७, ७०, ७१, ७२, १२१,  
१४६, १५३, १९१

प्रिंसपुन्स ऑव लिटरेरी क्रिटिसिज्म  
( रिचर्ड्स इत ) १५३, १९७,

प्रियवद १, १८, ६०, २८३

प्रैटिकल क्रिटिसिज्म ९३

प्लेग लिविंग एट हाई सिडिंग २७६

पेगुन इन लिटरेचर ३८

फ्रायड १३२

बदरीनाथ गौड १०

बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' (उपा-  
ध्याय) ८, ९, १७, ३८, ३६, ३६

बलभद्रसिंह १८

बालकृष्ण भट्ट ३६, ३६, ३६, २३७,  
२८८, २५२, २६५

बिहारी ४९, १४८, १७६

बिहारी सतसई ७, ६८

बुद्धचरित १२, २६८, २७७, २७८,  
२७९, २९६, ३०३, ३०४, ३०५,  
३०६, ३१३, ३१५

बेवन फ्रेसिस २४०, २४१

ब्राह्म २७४

ब्राह्मनिग १६८

ब्रैडले १२७

भगवानदास हालना १०, १८

भट्टनाथक १८८, १८९, १९०, १९१,  
१९२, १९३

भट्टाबोल्लट १८७, १८८, १८९

भक्त १८८, १८७

भवभूति ८५, ९०, ३१०, ३११

- भागवत ११४  
 भानुभट्ट २१६, २१७  
 भामह १०५  
 भारतेंदु—देखिए हरिश्चंद्र  
 भूपम ६७  
 भ्रमरगीत-चार ५१, ५६, १००, १०२,  
 १६५, २५४, २८५, २८६, २८८,  
 २९०, २९६, २९७  
 मंगल प्रभात १३७  
 मदन मोहन मालवीय २०  
 मम्मट २४०  
 मल्लिनाथ १४६  
 महादेवी ११७  
 महावीर प्रसाद द्विवेदी १, १८, २६,  
 ३६, ३७, १३९, १४८, २५५  
 महिम भट्ट २०१  
 माइनर हिट्स २७५  
 मार्गन एसेज ऐंड स्केचेज १३८  
 मार्गन बनोक्विलर लिटरेचर ऑफ  
 चार्दने हिन्दुस्तान २२६  
 माधवप्रसाद मिश्र २५२  
 मार्च २४  
 मिटन २३, २४, २९  
 मिश्रबंधु ३५, ३७, १७६, २२६, २९३  
 मिश्रबंधु किशोद २२६  
 मुकुट भट्ट १०९  
 मुद्दलानंद चरितावली ८  
 मेगास्थनीज ११, २७७  
 मेगास्थनीज इंडिया २७७  
 मेगास्थनीज का भारत वर्षीय वर्णन  
 ११, २७७  
 मेघदूत १६, ३६, ८६  
 मेथड्स ऐंड मेटीरियल्स ऑव  
 लिटरेरी क्रिटिसिज्म १४८  
 मैथिली शरण गुप्त ३०५  
 मैरियट, डब्लू० जे० १३८, २४२  
 मोह्यन, आर० जी० १५०, १५१  
 यशोधरा ३०५  
 यीट्स, डब्लू० बी० १३२, १३३  
 रघुवंश ३६  
 रघुवीर सिंह १३८  
 रत्नाकर ३०३, ३०६  
 रवींद्रनाथ ठाकुर १२१, १२३, १३७  
 रसतरंगिणी २१७  
 रस-प्रबोध २१७  
 रत्नकन १२९  
 रात्नालदास बंदोपाध्याय २७८  
 राजेश्वर १४३, १४४, १४५  
 राजेंद्रलाल मिश्र २७५  
 राज्यप्रबंध शिक्षा २७५  
 रानी कैतकी की कहानी २९१  
 रामगीत चौबे १०, ११, १७  
 रामचंद्र वर्मा २७२  
 रामचंद्रिका ७, ६४  
 राम चरित मानस ७, ८, २८, ६४,  
 ६७, १५८

राम फा ज्योतिषो ३	रिनय पत्रिका २०
राममद्र ज्योतिषा १९	रिश्मनाथ प्रसाद मिश्र १६, २०२,
रामायण ( वाल्मीकीय ) १६ ८६	२१७, २२०, २३१, २३२
रामावतार शर्मा ८	रिश्म प्रपञ्च २७६, २७७
रामेश्वरनाथ शुक्ल १५, १८	व्यक्ति विवेक २०१
रास पचाय्यायी ६८	शत्रुक १८८, १८९
रिफ्रेट, ए० सो० २२५	शबर स्वामी १०९
रिचर्ड्स आई० ए० ९३, १५२,	शशाक २७७, २७८
१५३, १९६	शायेन हावर २४
रिडिल जॉव दि जुनिवर्स २७६	शियदत्त शुक्ल २
रुक्मिणी क्री गेलो २३८	शियसिंह सरोज २२६
रुसुनारायण पाडेय २७२	शिवसिंह सॅगर २२६
रुसो, बीन पैक्स ७९, ३०८	शुभदेव बिहारी मिश्र ३५
लॉक २३, २८	शोली ८५, १२१, १६१, १६४
लाज, जालियर २७४	शेष स्मृतियाँ ४९, १०३, १३८, १७८,
वग विजयता ३५	१७९
वधोक्ति जीवित १०३, १०५	दनामबिहारी मिश्र ३५
वड्स, वर्थ मिलियम ५२, ७९, ८५,	दयाम सुदर दास १४, ३७
१२१, १६४, ३१२	धीधर पाठक ३१०
वल्हभाचार्य १६६	श्री नारायण चतुर्वेदी १९
वाड्यायविमर्श २०२, २१७, २३२	श्री निवास दास ३५
वामन ११३	श्वान उक २७७
वारट डिटमैन ११४	सयोगता स्वयंवर ३५
वारनीकि ५५, ८६, ९०, ३१०, ३११	सत्य हरिश्चंद्र नाटक ८
विंढम साहब ४, ५	सत्यार्थ प्रकाश ७
विद्येश्वरी प्रसाद १८, १६	समालोचना ३४, ३५
विचार ६०	सरस्वती १, ११, १८, १९, ३५, ३६,
विद्यापति २३४	४०, ४१, २५०, २७५, ३०८

- सांत बने २४२  
 साइको लायी ९  
 साहित्य दर्पण ( पत्रिका ) ७  
 साहित्यालोचन ३७  
 सिद्धार्थ ३०५  
 सीताराम ( लाल ) ३६  
 सुमित्रानंदन पंत ८२, १२२  
 सूर ७, २६, २८, ३८, ६६, १५६,  
 १५८, १५९, १६१, १६२,  
 १६५, १६६, १६९, १७०,  
 १७२, १७४, १७५  
 सूर सागर ६८  
 सोहनलाल द्विवेदी ३०५  
 स्टॉक, एफ० एन० १४८  
 स्टॉक-जेम्स, आर० ए० ३१, १४७,  
 २२२  
 स्मिनीजा २३  
 स्पेंसर, हर्बर्ट ९, २३, २७४  
 समाहल २७६  
 हम्मीर रातो ६७  
 हम्मीर हठ ७, ३५  
 हरिश्चंद्र (भारतेंदु) १, ७, ८, ९, २६  
 हरिश्चंद्र शुक्ल ९, १५  
 हाराणचंद्र चकलेदार २७४  
 हास्य-विनोद ११  
 हिंदी कालीदास की समालोचना ३६,  
 १४८  
 हिंदी प्रदीप ३५  
 हिंदी-व्याकरण २८३  
 हिंदी-शब्द-सागर १२  
 हिंदी साहित्य का इतिहास १२, ४४,  
 ४९, ५८, ६५, ८५, ९९, ११५  
 १२०, १२१, १२३, १२४, १२७,  
 १२८, १३०, १३२, १३७, १३८,  
 १३९, १४१, १४२, १५२, १५५,  
 १६२, २२३, २२४, २२५, २२८,  
 २३१, २३५, २३६, २३७, २४७,  
 २६८, २७०, २८४, २९३, २९५,  
 २९६, ३०५  
 हितोपदेश २६४  
 हीगेल २३  
 हेकल २७६  
 ह्यूम २३, २४  
 हिल्डर १२८